राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का बाईसवां दिवस [संख्या: 15

सोमवार,

21 मार्च 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोतर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल। गिर्राज सिंहजी ने आपको अधिकृत किया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं पूछ सकता हूं?

श्री अध्यक्ष: इसीलिए मैंने कहा है कि आपको अधिकृत किया है। आप प्रश्न पूछें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): थैंक यू। प्रश्न संख्या 304

बाड़ी में स्वीकृत 33 के.वी. जी.एस.एस.

304. **श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा) (श्री गिर्राज सिंह के स्थान पर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में 33 के.वी. के कितने जी.एस.एस. हैं? उक्त में से कितने जी.एस.एस. का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है?

(2) क्या सरकार स्वीकृत शेष जी.एस.एस. का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री पुष्पेन्द्र सिंह): (1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में 33/11 के.वी. के 9 सब-स्टेशन स्वीकृत हैं। इनमें से नगला दुल्हे खां सब-स्टेशन का कार्य प्रगति पर है एवं इसे शीघ्र ही पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) टोटरी सब-स्टेशन दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत आगामी 2 वर्षों में बनाया जाना प्रस्तावित है।

शेष सात सब-स्टेशन ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना में स्वीकृत

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

किये गये थे। उनकी वर्तमान में मौजूद तंत्र व भार इत्यादि के आधार पर पुन: समीक्षा की जा रही है। साध्य पाये जाने पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार आगामी वर्षों में बनाये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय मंत्री महोदय, कृपया यह बताने की कृपा करें, पहला प्रश्न नगला दुल्हे खां आप कब तक कम्पलीट कर देंगे? नम्बर दो, टोटरी के अन्दर बनाया जाना बहुत आवश्यक है। अगर इस पर आप शीघ्र कार्य शुरू करा देंगे, इसके आस-पास के गांवों के अन्दर वोल्टेज के कारण जबर्दस्त प्राब्लम है। ट्रिपिंग, वोल्टेज, फ्लक्चुएशन के कारण मोटरें जल रही हैं, किसानों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो फरमाया टोटरी जी.एस.एस. के बारे में, यह बात बिलकुल सही है कि जहां अभी 33 के.वी. सब-स्टेशन है, वहां से टोटरी लगभग 40 किलोमीटर दूर है और वहां वी.आर. लोसेज भी देखा है, वह भी 8 परसेंट से ऊपर है। निश्चित रूप से हमने इसको दीनदयाल विद्युत योजना में सम्मिलित किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं जल्दी ही हम इस कार्य को पूर्ण कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछेंगे?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हो गया।

श्री अध्यक्ष: यह बाड़ी से सम्बन्धित है, आप पूछोगे क्या, जीनगर साहब? बाड़ी के सम्बन्ध में है, इधर-उधर बोलें तो? (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): बाड़ी से सम्बन्धित है, राजस्थान से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, नो-नो।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरे यहां भी स्थिति ऐसी है कि एक 132 का जी एस एस जरूरी है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बाड़ी से सम्बन्धित सवाल है। दूसरा सवाल, श्रीमती अनिता।

सीकरी (भरतपुर) उप तहसील का तहसील में क्रमोन्नयन

305. **श्रीमती अनीता** (नगर): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती अनीता)

(1) क्या सरकार नगर विधान सभा क्षेत्र की सीकरी उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नगर की ग्राम पंचायत खोह में उप तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री अमराराम): (1) जी नहीं। तहसील नगर में 12 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त के 49 पटवार मंडल हैं। इसकी उप-तहसील सीकरी में 5 भू-अभिलेख निरीक्षक व 20 पटवार मंडल हैं। सीकरी को तहसील बनाये जाने हेतु 30 पटवार मंडल व इसके अनुरूप भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त होने चाहिये। निर्धारित नोर्म्स पूर्ण नहीं होने के कारण उक्त तहसील सीकरी को तहसील में क्रमोन्नत किया जाना सम्भव नहीं है। नोर्म्स की प्रति परिशिष्ट -अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र नगर की ग्राम पंचायत खोह तहसील डीग का पटवार मंडल एवं भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त है, जो कि तहसील डीग के अन्तर्गत आता है। तहसील डीग में कुल 14 भू-अभिलेख निरीक्षक के 56 पटवार मंडल हैं। तहसील डीग में एक उप-तहसील जनूथर स्थित है। उक्त उप-तहसील में 3 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त के 14 पटवार मंडल हैं।

ग्राम पंचायत व पटवार मंडल खोह को उप-तहसील घोषित किये जाने पर डीग से 16 पटवार मंडल व इसी के अनुरूप भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त कम हो जाते हैं, जिससे तहसील डीग का स्वरूप नोर्म्स के अन्तर्गत न रह जाने के कारण ग्राम पंचायत खोह में उप तहसील बनाया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्रीमती अनीता (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि आपने सीकरी को उप-तहसील से क्रमोन्नत करने के विचार में नहीं का जवाब दिया है। जबकि आपने लिखा है कि यहां पर 30 पटवार मंडल की आवश्यकता है एक को बनाने के लिये और नगर के अन्दर पूरे पटवार मंडल आपने 49 बताये और सीकरी में आपने 20 बताये। अगर नगर वाले पटवार मंडल को आप सीकरी में जोड़ेंगे, आधे-आधे कर देंगे तो भी सीकरी में 30 पटवार मंडल हो सकते हैं और नगर में भी 30 रह सकते हैं,

(श्रीमती अनीता)

जिससे दो तहसील तो इस प्रकार से बन सकती हैं, अगर आप उसका डिवाइडेशन करेंगे तो। क्या आप इन पटवार मंडलों की और आपने यह जो भू-अभिलेख निरीक्षक का रखा है, इनमें जनता की मांग को देखते हुए और जनसंख्या और दूरी को देखते हुए, जिससे जनता को परेशानी आती है नगर तक आने के लिये, क्योंकि जो सीकरी के गांव हैं, वह नगर से 50 किलोमीटर दूर हैं, मतलब उन गांवों को 50 किलोमीटर दूर नगर तहसील के काम के लिये उनको आना पड़ता है। क्या आप इनमें कुछ शिथिलता प्रदान करते हुए जनता की दूरी को कम करना और उनकी समस्या के समाधान के लिये सीकरी में खोलने का मन रखते हैं? आपकी थोड़ी-सी शिथिलता मिल जाए, तो उससे हो जाएगा।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपने खोह के लिये उप तहसील के मना किया है, जबकि जनूथर में आपने खुद ने बताया है, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जनूथर के लिये कहा है कि 14 के ऊपर ही उप तहसील बना दिया। जब वहां शिथिलता देकर 14 पर बना सकते हैं तो खोह को शिथिलता देकर क्यों नहीं बना सकते? इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को अवगत कराना चाहूंगा कि एक सामान्य प्रक्रिया है, और जिसके तहत में एक तहसील में जहां तक आपके वहां पर कम से कम 30 पटवार मंडल होने चाहिये।

श्रीमती अनीता (नगर): मेरा निवेदन है मंत्री महोदय, नगर के अन्दर 48 है, अगर आप उसको डिवाइड करेंगे और उसको सीकरी में डालेंगे तो 30-30 हो जाएगा और दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों तहसीलें बन सकती हैं। लेकिन आपका मन चाहिये।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): आपके आलरेडी एक उप-तहसील बनी हुई है और उस उप-तहसील में 14 है, अगर 56 में से अपन 14 को निकालते हैं और उसके बाद में 42 रह जाते हैं, फिर बाद में दूसरे 15 से कम हो नहीं सकते, तो फिर कम हो जाते हैं। इसके लिये हम परीक्षण करवा रहे हैं और आपकी बात कुछ हद तक ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक हाई-पावर कमेटी बनी हुई है, उसकी सिफारिश आने पर भी विचार किया जाएगा। इसका जरूर हम परीक्षण करवा रहे हैं।

श्रीमती अनीता (नगर): मेरा निवेदन है मंत्री महोदय, कि जो आपकी कमेटी में निर्धारित मापदण्ड है, उसमें कुछ शिथिलता, कि दूरी को देखते हुए, जनता की मांग को देखते हुए अगर आप शिथिलता प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की जनता को लाभ होगा।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): आप अपना ज्ञापन हमारी हाई-पावर कमेटी के पास पेश करो और उस पर विचार करके वह सिफारिश आएगी तो हम पूरा प्रयास करेंगे, गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

श्रीमती अनीता (नगर): मेरा निवेदन है कि कमेटी तो अधिकारियों की है। वह क्या सिफारिश करेंगे, वह आपको नोर्म्स बता देंगे कि साहब, आपने ही नोर्म्स बनाये हैं। उन नोर्म्स में कुछ शिथिलता आप प्रदान करें। एक परसेंट, दो परसेंट शिथिलता दें जिससे कि यह बन सके।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): ऐसा है, यह कमेटी 2012 में बनी, उससे पहले मैं मानता हूं कि 12 जो पटवार मंडल थे, वहां भू-अभिलेख निरीक्षक थे, वहां भी तहसीलें बन गयीं। कई जगह इस प्रकार का हुआ है, लेकिन जब 2012 में इस कमेटी का गठन हो गया और अभी तक यह कमेटी है। आप अपना ज्ञापन पेश करेंगे तो हम पूरा प्रयास करेंगे। उस पर विचार कर रहे हैं।

श्रीमती अनीता (नगर): अध्यक्षजी, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह कांग्रेस के समय में कमेटी बनी थी। इस प्रकार की कमेटी बनी है कि जनता को नुकसान हो। तो, मैं चाहती हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे मंत्री बहुत अच्छा काम करने वाले भी हैं और उनका मन भी है तो वह इसमें कुछ शिथिलता प्रदान करें जिससे कि यहां पर तहसील बन सके।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): +++

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्रीमती अनीता (नगर): क्यों नहीं चेंज कर सकते, बिलकुल चेंज करेंगे। कांग्रेस के बनाये हुए हर गलत कानून को बदलेंगे।

श्री अध्यक्ष: लक्ष्मणगढ़ के विधायक ने जो कुछ बोला, वह एक्सपंज कर दिया जाए। वह उदारतापूर्वक देखेंगे। नारायण सिंहजी।

श्रीमती अनीता (नगर): मंत्रीजी आप कह तो दो कि अगर आयेगी तो शिथिलता प्रदान करके आप देख लेना। ज्ञापन तो मैं निश्चित रूप से दे दूंगी। मंत्रीजी, बड़ा मन रख के आप दे दो।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): मैंने आप से निवेदन कर दिया प्रयास करेंगे, आप ज्ञापन तो दो। आप उस कमेटी के सामने ज्ञापन तो पेश करो।

श्री अध्यक्ष: उसके बाद लिबरल हो जायेंगे, ये यह कह रहे हैं।

नारायण सिंहजी देवल, यह नगर से सम्बन्धित है, आप क्या प्रश्न पूछेंगे? इधर-उधर तो जाने दूंगा नहीं। यही अलका सिंहजी से भी कह देता हूं। नहीं, क्या पूछेंगीं? नगर से सम्बन्धित है।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): मैं डीग की रहने वाली हूं, सर।

श्री अध्यक्ष: नगर से सम्बन्धित है।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, मैं डीग की रहने वाली हूं। मैं वहीं से सम्बन्धित बात पूछूंगी।

श्री अध्यक्ष: नो। नहीं, अगला प्रश्न। श्री रामचन्द्र।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): यह खोह है यह नगर विधान सभा में...

श्री अध्यक्ष: नहीं, डीग नहीं।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): मैं उसी से रिलेटेड पूछ रही हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नगर का है ...(व्यवधान) एक्सक्लूसिव नगर का है। श्री रामचन्द्र।

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के पोषण हेतु संचालित योजनाएं

306. **श्री रामचन्द्र** (डग): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के पोषण हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में उक्त योजनाओं का प्रभावी संचालन कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): (1) समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत महिलाओं एवं बच्चों के पोषण हेतु संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पूरक पोषाहार में जितने बच्चों का नामांकन होता है उसकी अनुरूपता से क्या वहां बच्चे पाये जाते हैं?

दूसरा, मेरा इसमें एक निवेदन है कि यह जो तीन से छह साल के बच्चे हैं, क्या सरकार मानस रखती है कि इनको प्री-प्राइमरी स्कूल और प्ले स्कूल में शामिल कर के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार इसको जोड़ना चाहती है क्या?

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डग से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि आपने एक तो प्रश्न पूछा है कि जितने बच्चे वहां नामांकित होते हैं उतने बच्चों को वहां पोषाहार दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगी कि हमने पूरक पोषाहार जितने बच्चे वहां नामांकित होते हैं उतने सभी बच्चों को मिले, इसके लिए जब से हमारी सरकार आयी है तब से हमने विभिन्न प्रकार के प्रयास किये हैं।

यदि मैं एक-एक प्रयास आपको बताऊं तो आप देखिये, हमने पूरक पोषाहार टी.एच.आर. की आपूर्ति के लिए जो नोर्म्स निर्धारित किये हैं उसमें हमने सबसे बड़ा निर्देश यह जारी किया है कि जो स्थानीय कमेटी है उस स्थानीय कमेटी के निरीक्षण में, उसकी उपस्थिति में वो पोषाहार वितरित हो। आंगनबाड़ी स्तर पर जो समिति बनी हुई है, उस आंगनबाड़ी स्तर की समिति के सदस्यों की उपस्थिति में वो पोषाहार वितरित होना चाहिए। जब से विकेन्द्रीकरण व्यवस्था पोषाहार वितरण की हुई है उसके पश्चात् से हमने एक व्यवस्था और की है कि जितना पोषाहार उस केन्द्र पर आता है वो उसी दिन आकर के बंटे नहीं। हमने व्यवस्था की है कि वो पोषाहार एक दिन पहले, क्योंकि हमने जब कई बार निरीक्षण किया तो हमें जानकारी में आया कि कहीं तो सोमवार को वितरित हो रहा है, कहीं मंगलवार को वितरित हो रहा है, कहीं बुधवार को वितरित हो रहा है, तो हमने पूरे राजस्थान भर में यह निर्देश जारी किये कि सिर्फ गुरुवार को पोषाहार वितरित हो और गुरुवार को पोषाहार वितरण होने से पहले बुधवार को उसकी आपूर्ति वहां पर हो जाए ताकि वो पोषाहार वहां रखा हो तो कोई भी सदस्य आकर के देख सके कि यह पोषाहार इतना यहां रखा हुआ है, ताकि संख्या में अन्तर नहीं आये।

(श्रीमती अनिता भदेल)

तीसरी, हमने सभी सरपंचों की उपस्थिति में जो भी जनप्रतिनिधि वहां आएं, वार्ड पंच हैं, कई बार एम.एल.ए. साहब से भी रिक्वेस्ट किया है कि गुरुवार के दिन वहां पोषाहार वितरण होता है, आप एक बार अपनी उपस्थिति वहां पर किसी भी एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर जाकर के उपस्थिति दर्ज करायें तो निश्चित रूप से वो पोषाहार उन लाभार्थियों को मिलेगा।

दूसरा, जो टी.एच.आर. की बात आपने कही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गर्म पोषाहार के बारे में भी आपके जानकारी में लाना चाहूंगी कि हम गर्म पोषाहार तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को देते हैं। स्वयं सहायता समूह उसकी आपूर्ति करते हैं और जितने बच्चे वहां नामांकित होते हैं उतने बच्चों को एक दिन खिचड़ी और एक दिन दलिया, इस तरह से अलग-अलग दिन पर वो अलग-अलग पोषाहार हम देते हैं।

माननीय सदस्यजी की जानकारी में लाना चाहती हूं, आपने दूसरा जो प्रश्न किया था...

श्री अध्यक्ष: अभी पहला ही चल रहा है, दूसरा तो अब करेंगे।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): नहीं, आपने एक साथ दो चीजें पूछी थीं। दूसरा क्या था?

श्री रामचन्द्र (डग): क्या सरकार यह मानस रखती है कि जो बच्चे तीन से छह साल के हैं प्ले स्कूल, प्री-प्राइमरी स्कूल में ताकि ...

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): हां, बिलकुल बिलकुल।

आपने यह पूछा है कि जो बच्चे तीन से छह साल की उम्र के हैं उन बच्चों को वो प्री-स्कूल के रूप में आगनबाड़ी केन्द्र काम करें, ऐसा मानस रखती हैं क्या? तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहूंगी कि केन्द्र सरकार ने एक रिजोल्युशन पास करके यह तय किया था कि जितने भी आंगनबाड़ी केन्द्र चलते हैं वो प्री-स्कूल के रूप में काम करेंगे और उसी के तहत जितने भी हमारे टी.एस.पी. एरिया के आंगनबाड़ी केन्द्र हैं उन पर एन.टी.टी. के अभ्यार्थियों की भर्ती वहां पर एज ए टीचर के रूप में, अध्यापक के रूप में वहां की गयी है और हमारी सरकार ने 11 सौ और पदों के लिए अभी एन.टी.टी. के जो पद हैं उनके लिए हम आने वाले समय में उसकी परीक्षा आयोजित करने वाले हैं, उन पदों को भर करके उन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भी प्री-स्कूल की व्यवस्था करने वाले हैं।

(श्रीमती अनिता भदेल)

साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो माड्यूल है, ट्रेनिंग का माड्यूल है उस ट्रेनिंग के माड्यूल में भी बच्चों को कैसे स्कूल के लिए उसकी मन:स्थिति को तैयार किया जाता है, उस माड्यूल को हमने उसमें जोड़ा है। जोड़ने के साथ-साथ बच्चों को वहां इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे उस सामग्री से कुछ सीखें। कुछ चार्ट हैं, कुछ खिलौने हैं, ताकि बच्चे कलर्स में कैसे अन्तर कर सकते हैं, कैसे रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं उनको छोटी उम्र में ही जान सकते हैं। वो मैग्जिममम हमारी आंगनबाड़ी जो हैं, सरकार ने भी यह सर्कूलर निकाला है कि जो आंगनवाड़ी केन्द्र स्कूल में यदि जगह है तो आप स्कूल में ही वो आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित कीजिए। उसके पीछे भी एक मंशा यह है कि बच्चे स्कूल को एन्वायर्नमेंट को देखें, वहां आना सीखें ताकि जैसे ही आंगनबाड़ी की उम्र को पार कर जाएं वो तुरन्त वहीं, उसी परिसर में स्कूल में प्रवेश कर जाएं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री रामचन्द्र (डग): एक इसी में ही मेरा सवाल है। फिर पूरक करूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। यह दूसरा है। यह दूसरा पूरक प्रश्न है, यह कर लीजिए आप।

श्री रामचन्द्र (डग): मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार से आपका नामांकन है, नामांकन के अनुरूप वहां उपस्थिति नहीं होती है और मैं चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल में पोषाहार प्लस आंगनबाड़ी में पोषाहार, दोनों में अलग-अलग पैसे देकर करते हैं, उसमें अगर मर्ज कर दिया जाए तो बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: यह तो सुझाव है।

श्री रामचन्द्र (डग): दूसरा, मेरा पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: बैठो, बैठो दूसरा भी कर लेने दो।

श्री रामचन्द्र (डग): दूसरा मेरा पूरक प्रश्न यह है कि पंचायतों का और पालिकाओं का परिसीमन हुआ है और आबादी का घनत्व बढ़ा, क्या सरकार उनमें नये आंगनबाड़ी केन्द्र बनाने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री रामचन्द्र (डग): और अगर झालावाड़ जिले में चारों विधान सभा में कितने आंगनबाड़ी जो भवन के बिना चल रहे हैं और इनकी नियुक्ति के बारे में बताएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये आप। आप इधर-उधर जा रहे हैं, विराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एक तो यह कहा है कि जिस प्रकार से स्कूलों में पोषाहार वितरित किया जाता है उसी तरह से आप पोषाहार उसमें देने की कोशिश करेंगे क्या?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहूंगी कि जो पोषाहार आंगनबाड़ी केन्द्र पर वितरित किया जाता है उस पोषाहार की रेसिपी में कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। उस रेसिपी कमेटी की बैठक हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। उसको चैंज कर के और अच्छा पोषाहार और अच्छा खाना हम बच्चों को कैसे खिला सकते हैं, उसकी हमने तैयारी की है।

दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि कितने आंगनबाड़ी केन्द्र झालावाड़ जिले में आपके विभागीय भवनों में संचालित हैं? एक सैकिण्ड, मैं आपको बताती हूं।

श्री अध्यक्ष: वैसे यह रेलेवेंट नहीं है।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): नहीं, मैं फिर भी जानकारी दे देती हूं, सर।

श्री अध्यक्ष: सूचना हो तो दे दीजिए, बाकी प्रश्न से रेलेवेंट नहीं है यह।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): मेरे पास है जानकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी झालावाड़ जिले में आंगनबाड़ी विहीन जो केन्द्र हैं उन केन्द्रों के लिए मैंने सभी दो सौ के दो सौ माननीय सदस्यों को पत्र लिखा माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैंने यह कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो हजार तो इस बजट में और पिछली बार 1300 आंगनबाड़ी स्वीकृत कीं भवनों के लिए इसलिए आप जितने जल्दी पट्टा अपने विधान सभा क्षेत्र में सरपंचगणों से, पंचायत समिति सदस्यों से, बी.डी.ओ. से दिलाकर के भेजेंगे हम उतनी ही आंगनबाड़ी आपको स्वीकृत कर देंगे।

जो आपने जानकारी पूछी है कि हमारे कितने भवन संचालित हैं, उसकी जानकारी मैं आपको भिजवा दूंगी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। पूरक प्रश्न, श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जो पद रिक्त हैं तो आप क्या उनकी समय सीमा तय करने का विचार रखते हैं? बहुत सी जगह यह स्थिति आती है, माननीय मंत्री महोदय, कि वो दो-दो, तीन-तीन साल तक पंचायतों के विवादों के चक्कर में वो भर नहीं पाते हैं। तो क्या आप समय सीमा तय करेंगे कि यह पोस्ट वेकेंट हुई है तो हम इसको इतने दिन में भर देंगे।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): बिलकुल। बहुत अच्छा प्रश्न माननीय सदस्य नरेन्द्रजी ने पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानकारी में लाना चाहूंगी कि जब मैंने विभाग सम्भाला, तब मेरी भी यह जानकारी में आया कि लगभग 10 हजार मानदेय कर्मियों के पद रिक्त थे और हम पंचायती राज विभाग पर ही निर्भर थे कि वह भर्ती करके देंगे तो हम करेंगे, नहीं तो हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे।

मैंने माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन किया और मुख्य मंत्रीजी की रिव्यू बैठक में भी यह विषय मैंने उठाया था। अब हमने इसके लिए नया प्रोसेस, नई प्रक्रिया तय कर दी है कि जैसे ही हमारा पद खाली होगा, क्योंकि अब हमारे पास राजपोषण साफ्टवेयर बना है, उस सॉफ्टवेयर से हमें यह जानकारी हो जाती है कि किस ब्लॉक में कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मानदेय कर्मियों का पद रिक्त होने वाला है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, आपस में चर्चा नहीं करें। जवाब आ रहा है।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): हम पहले से ही यह निर्देश जारी करते हैं कि आपके यहां इतने पद रिक्त हैं, आप इनको भरने के लिए विज्ञापन तुरन्त जारी करें। विज्ञापन जारी करने के बाद में जो भी आवेदनकर्ता हैं, वह आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और हार्ड कापी में भी वह आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद में, चूंकि सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम सभा में यह स्वीकार किया जाता है और अभी जो दो ग्राम सभाएं हमारी हुई थीं अक्टूबर में और दिसम्बर में, उसमें हमने विशेष अभियान चलाकर इन सब पदों को भरा था।

अध्यक्ष महोदय, मैं झालावाड़ जिले के मानदेय कर्मियों की स्थिति

(श्रीमती अनिता भदेल)

बताना चाहूंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, हमारी जो सैंक्शन है डग में, वह 202 है और इनमें से 200 कार्यरत हैं और 2 सलेक्शन पैंडिंग हैं। क्योंकि यह सतत प्रक्रिया है, हर महीने पोस्टें खाली होती हैं और हर महीने हमें भरने की प्रक्रिया करनी होती है। 202 में से 200 भरी हुई हैं और सिर्फ 2 खाली हैं। इनको भरने की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है। हमने इसको टाइम बाउंड किया है। यदि ग्राम सभा समय पर हमें प्रस्ताव नहीं भेजती है तो फिर हमने एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, वह एसडीएम उस आदेश को जारी कर देगा यदि ग्राम सभा नहीं करती है, सरपंच नहीं करता है तो।

हमें परेशानी यह आती थी कि सरपंच गण नहीं करते थे, उनके मनमाफिक यदि कोई सलेक्शन नहीं होता था तो उसको लेकर के 6-6 महीने तक बैठ जाते थे। इसलिए हमने ऐसा किया है कि शहरी क्षेत्र में यदि नगर निगम नहीं करती है तो फिर एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, एक महीने के बाद, एक महीने का समय उनके पास है, यदि एक महीने तक वह करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो एक महीने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम और शहरी क्षेत्र में एडीएम सलेक्शन करके हमें सूचना दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। श्री सुखराम।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो योजनाएं हैं इनको प्रभावी बनाने के लिए, जवाब में लिखा है कि जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पोषाहार बांटेंगे। यह असम्भव चीज है। सम्भव यह हो सकता है कि गांव का सरपंच, गांव का पंचायत समिति का सदस्य, वहां का वार्ड पंच, जब उन पोषाहार कार्यकर्ताओं को मानदेय दिया जाये तो उस रजिस्टर पर साइन हों तीनों प्रतिनिधियों के कि यह पोषाहार सही बंटा है कि नहीं बंटा है। क्या सरकार इस चीज को प्रभावी करना चाहती है कि नहीं चाहती है?

इसी में दूसरा सवाल है कि एक विधान सभा क्षेत्र के जो आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, उनको अलग-अलग पंचायत समितियों में डाला हुआ है, कम से कम एक ही जोन में रखा जाये एक विधान सभा क्षेत्र को।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदया, जवाब दीजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया है कि यह असम्भव काम है।

श्री अध्यक्ष: आप सम्भव करके दिखा दीजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि हम सब जन प्रतिनिधियों का काम यह है कि सरकार की जितनी योजनाएं संचालित हैं वह ठीक ढंग से चलें और वह यदि हमारी देखरेख में संचालित होगी तो मैं 100 प्रतिशत यह दावा कर सकती हूं कि वह बहुत अच्छे से संचालित होगी। हमने यह मेंडेटरी नहीं किया है कि इसी को करना है। वहां स्थानीय स्तर पर जो समिति बनी हुई है उनमें से बहुत सारे सदस्य होते हैं, कम से कम 7-8 सदस्य हैं, तो कोई भी सदस्य जाकर के कर सकता है। हमारे एक ग्राम पंचायत में अनेकों वार्ड पंच होते हैं। जरूरी नहीं है कि उसी वार्ड का वार्ड पंच जाकर के उसको देखे। दूसरे वार्ड का वार्ड पंच भी उसको जाकर के देख सकता है, सरपंच जाकर के देख सकता है। हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं, सुपरवाइजर, उसकी उपस्थिति में हमने तय किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हो तो ज्यादा पारदर्शिता उसके अन्दर आये।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। सुरेश धाकड़, तीसरा पूरक प्रश्न।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो आंगनबाड़ी में नामांकन होते हैं, वहां नामांकन अगर 25 का है और बच्चे 5 आते हैं, कहीं 50 का नामांकन है, 40 का नामांकन है, लेकिन संख्या के अनुरूप बच्चे पहुंचते नहीं हैं, लेकिन जो पोषाहार वितरण होता है उसमें 100 परसेंट उसको आधार मानकर के पूरी भरपाई करके, 100 प्रतिशत पोषाहार वितरण हो जाता है। इसमें मेरा सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उसमें फिजिकल वेरीफिकेशन कराकर के जितने उपस्थित हों, उतना ही मिले।

दूसरा, पोषाहार जो वितरण होता है, उसमें एक बड़ी प्रोब्लम और है कि या तो विधान सभा में ही वितरण करने के लिए एक एनजीओ को दे दिया या तहसील स्तर पर एनजीओ को दे दिया या जिले वाइज दे दिया। वह एनजीओ वाले, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर सब मिलकर के इसकी पूरी भरपाई कर देते हैं। मेरा एक अनुरोध है कि पंचायत वाइज अगर एनजीओ को दे दिया जाये। प्रत्येक पंचायत को एक दे दिया जाये तो उसकी मानीटरिंग ठीक ढंग से हो जायेगी कि उसमें सरपंच भी देख सकता है, वार्ड पंच भी देख सकता है और उसी गांव का एनजीओ अगर होगा तो गांव में आपस में लोग एक-दूसरे को जानते हैं तो वह कम से कम बदमाशी करने की कोशिश करेगा।

अध्यक्ष महोदय, अंतिम निवेदन और है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का

(श्री सुरेश धाकड़)

चयन तो हो जाता है लेकिन सरकार उनको ट्रेनिंग नहीं कराती है। वह लोग इधर-उधर घूमते रहते हैं और यह कहते हैं कि हमारी 60 की संख्या होगी तब करायेंगे। जिले में 60 की संख्या पता नहीं कब होगी, तब तक 10 साल निकल जाते हैं। पिछली सरकार में भी यही स्थिति थी और अभी भी यही स्थिति है।

मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिसको बहुत कम पैसा मिलता है, अगर उसका चयन हो जाता है और इसमें अधिकतर विधवा, परित्यक्ता इनको प्राथमिकता देकर के चयन करते हैं। उनकी समय पर ट्रेनिंग हो जाये तो उसको भी रोजगार के अवसर मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि यह शिकायत बहुत जगह से आती है कि नामांकन तो 40 बच्चों का होता है और पोषाहार 25, 30 बच्चों को वितरित होता है। यह शिकायतें हमारे पास भी आती हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये। जवाब आ रहा है।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): इसी शिकायत को दूर करने के लिए जन प्रतिनिधि की उपस्थिति में पोषाहार बंटना चाहिए, एक तो हमने यह किया है। आने वाले समय में हम इसका आनलाइन सिस्टम बनाना चाह रहे हैं ताकि जितने बच्चे नामांकित हों, वह हम यहां सेंटर पर, जयपुर में बैठे हुए देख सकें पूरे राजस्थान भर में कि कितने बच्चे वहां हैं और कितने बच्चों को वह पोषाहार वितरण हो रहा है। एक बात तो यह।

दूसरी बात आपने बताई कि एनजीओ को आप दे देते हैं। एक ब्लाक स्तर पर एक एनजीओ को दे देते हैं, जिला स्तर पर दे देते हैं। मैं माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहूंगी कि हमने एक आंगनबाड़ी पर पोषाहार वितरण के लिए एक स्वयं सहायता समूह को ही नामित किया है। अधिक से अधिक वह 5 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ही पोषाहार की सप्लाई कर सकती है। किसी भी स्वयं सहायता समूह को इजाजत नहीं है कि वह 5 से अधिक केन्द्रों पर पोषाहार की सप्लाई करे। यह जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा था उसका है।

तीसरे प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूंगी कि जब से यह समेकित बाल विकास सेवाएं प्रारम्भ हुई हैं, तब से लेकर के आज तक राजस्थान भर में सिर्फ 20 हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। उन 20 ट्रेनिंग सेंटर्स पर ही हम ट्रेनिंग करा

(श्रीमती अनिता भदेल)

सकते थे। हमने आने के बाद प्रत्येक जिले में ट्रेनिंग सेंटर्स हों, उसके लिए विज्ञप्ति जारी की। लोगों से आवेदन मांगे और कई माननीय सदस्यों ने तो मेरे पास सिफारिश भी की है कि आप इसको दे दीजिये अपना ट्रेनिंग सेंटर। हम अब यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जिले की जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो चयनित होती हैं, उनको उसी जिले में ट्रेनिंग करा दें।

अभी व्यवस्था यह है कि यदि कोटा की है तो उसको भरतपुर आना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। यदि वह अलवर की है तो उसको अजमेर आना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। इतनी दूरी आने-जाने में उनको लगती है और चूंकि वह विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, बहुत अभाव ग्रस्त हैं, इसीलिए उनका वहां चयन हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उसको आने-जाने में भी दिक्कत होती है। हमने यह व्यवस्था की है कि हम जिले में एक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित कर दें। हमने इसके लिए आवेदन मांग लिये हैं। हमारे सभी अधिकारी ट्रेनिंग सेंटर्स जो बनने वाले हैं, उनके फिजिकल वेरीफिकेशन में लगे हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पहले से संचालित हैं ट्रेनिंग सेंटर्स वह कोर्ट में चले गये कि सरकार को मना करें कोर्ट कि वह नये आंगनबाड़ी ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं चलाये। मैंने कहा कि ऐसे कैसे सम्भव है? आप अपनी मनमर्जी करेंगे क्या? फिर हमने कोर्ट से आग्रह किया, हमारे जो एएजी हैं उन्होंने विशेष आग्रह किया और कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। 30 मार्च तक तो वह पुराने वाले ट्रेनिंग सेंटर्स के अनुसार हम ट्रेनिंग दिलायेंगे और फिर 1 अप्रैल के बाद में हम उसकी प्रक्रिया को पूरा करेंगे और फिर प्रत्येक जिले में एक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करेंगे।

श्री अध्यक्षः बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न। श्री विद्याशंकर नन्दवाना।

सरकार द्वारा वितरित फाउण्डेशन बीजों का सीड प्रमाणित संस्था से प्रमाणीकरण

307. **श्री विद्याशंकर नन्दवाना** (पीपल्दा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीज के प्रमाणीकरण के क्या नियम हैं? ब्रीडर सीड, फाउण्डेशन सीड, सर्टिफाइड सीड एवं टी.एफ.एल. सीड के प्रमाणीकरण के नियम क्या हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

(2) क्या सरकार द्वारा किसानों को फाउण्डेशन बीज व टी.एफ.एल. सीड वितरित किया जाता है? यदि हां, तो क्या वितरण से पहले इनको सीड प्रमाणित संस्था के द्वारा प्रमाणित किया जाता है? यदि हां, तो उसके क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

(3) क्या कोटा जिले में राज 4079 फाउण्डेशन सीड के 119 किसानों को जो कार्यक्रम दिये गये उन सभी किसानों के यहां सीड प्रमाणित एजेन्सी द्वारा फील्ड में सभी कार्यक्रमों को अप्रमाणित माना गया है? यदि हां, तो क्या सरकार जिस एजेन्सी द्वारा उन्हें प्रमाणित किया गया था, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर उक्त किसानों के अप्रमाणित गेहूं को प्रमाणित दर पर खरीदने की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कोटा जिले में राज 4079, राज 4037 गेहूं जो सब्सीडी के माध्यम से किसानों को वितरित किया गया था, उसमें बड़ी मात्रा में मिलावटी बीज पाया गया है तथा चित्तौड़ से आने वाले बीज को सबसे ज्यादा अप्रमाणित पाया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि खरीफ व रबी की फसलों में किसानों को लगातार घटिया बीज उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को शुद्ध बीज वितरण हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की बीज उत्पादन कम्पनियों में लगातार किसानों का विश्वास कम होता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण प्राइवेट कम्पनियों द्वारा सरकार के माध्यम से किसानों को घटिया बीज उपलब्ध कराना है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई नीति बनाने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): (1) बीज अधिनियम, 1966 एवं बीज नियम, 1968 के प्रावधानानुसार राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था द्वारा भारतीय न्यूनतम प्रमाणीकरण मानक के अनुसार बीजों का प्रमाणीकरण किया जाता है।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

प्रमाणीकरण फाउण्डेशन सीड एवं सर्टिफाइड सीड का ही किया जाता है। ब्रीडर सीड एवं टी.एफ.एल. सीड के प्रमाणीकरण के प्रावधान नहीं हैं।

नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) फाउण्डेशन बीज का वितरण बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा किसानों को प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु किया जाता है जिसका प्रमाणीकरण, बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किया जाता है।

यह प्रमाणीकरण भारतीय न्यूनतम प्रमाणीकरण मानक प्रावधानों निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जाता है जिनकी प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

टी.एफ.एल. बीज का वितरण बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा किसानों को फसल उत्पादन हेतु किया जाता है जिसकी गुणवत्ता बीज उत्पादक संस्थाओं के द्वारा प्रमाणित बीज के निर्धारित मानकों के समान ही सुनिश्चित की जाती है।

(3) कोटा जिले में राज 4079 फाउण्डेशन सीड से प्रमाणित बीज उत्पादन का कार्यक्रम आर.एस.एस.सी., एन.एस.सी. एवं कृभको द्वारा कुल 93 किसानों को दिया गया है। इन फसलों का प्रमाणीकरण प्रक्रियाधीन है।

गेहूं खड़ी फसल में अंतिम निरीक्षण पर ही गेहूं बीज फसल को प्रमाणित योग्य अथवा अप्रमाणित योग्य घोषित किया जा सकता है। कोटा जिले में अभी गेहूं के बीज की फसलों के प्रथम निरीक्षण ही हुए हैं अतः अभी फसलों को अप्रमाणित नहीं माना गया है।

(4) रबी 2015-16 में कोटा जिले में गेहूं किस्म राज 4079 का प्रमाणित बीज सब्सिडी पर किसानों को वितरित किया गया है। योजना के प्रावधान अनुसार 10 वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर अनुदान देय नहीं होने की वजह से गेहूं किस्म राज 4037 सब्सिडी पर किसानों को वितरित नहीं किया गया है।

आर.एस.एस.सी. द्वारा कोटा जिले में राज 4079 के आधार बीज को प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु किसानों को वितरित किया गया है उसमें मिलावट होने की शिकायत प्राप्त हुई है।

शिकायत की जांच हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं। निष्पक्ष जांच हेतु भीलवाड़ा विधायन संयंत्र एवं दूनी विधायन संयंत्र के आर.एस.एस.सी. के 2 अधिकारियों तथा बीज प्रमाणीकरण संस्था के 2 अधिकारियों को एपीओ कर

(श्री प्रभू लाल सैनी)

दिया गया है ताकि वो जांच को प्रभावित नहीं कर सके। बीज में मिलावट की प्राप्त शिकायत की जांच रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जाएगी।

(5) जी नहीं। राज्य के किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं जिसका विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आपने पैरा नम्बर 3 के जवाब में यह लिखा है कि गेहूं की फसल में अंतिम निरीक्षण पर ही बीज फसल को प्रमाणित योग्य अथवा अप्रमाणित योग्य घोषित किया जा सकता है। कोटा जिले में अभी गेहूं की बीज फसलों के प्रथम निरीक्षण ही हुए हैं अत: अभी फसलों को अप्रमाणित नहीं माना जा सकता जबकि पैरा नम्बर 4 के जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने यह लिखा है कि आर.एस.एस.सी. द्वारा कोटा जिले में राज 4079 के आधार पर बीज को प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु किसानों को वितरित किया गया, इसमें मिलावट होने की शिकायत प्राप्त होने पर भीलवाड़ा और टूनी के अधिकारियों को आपने एपीओ किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पैरा नम्बर 3 पर यह बात कही कि 4079 गेहूं का जो बीज दिया गया है उसमें बड़ी मात्रा में मिलावट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं कल सुल्तानपुर में दो किसानों के खेत देखकर आया हूं, बीस से तीस प्रतिशत अवांछनीय बीज उन खेतों में आज भी खड़ा हुआ है। अब 15 दिन के अन्दर-अन्दर किसान की फसल कटने वाली है। माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमने उसका अभी सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया ही नहीं की। जबकि फाउण्डेशन सीड जो आपने दिया है, उस फाउण्डेशन सीड में यदि 20 से 30 प्रतिशत की मिलावट है तो उसके बाद राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन की इमेज रह क्या जाएगी?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि जिन किसानों को आपने बीज उपलब्ध करवाया है उनकी खरीद सुनिश्चित हो, इसके लिए आप प्रयास करेंगे। दूसरा मेरा निवेदन है कि उन किसानों को जो यह अवांछित पौध उसमें से निकली है, उनको बोनस देने की व्यवस्था करेंगे। तीसरी बात, क्या माननीय मंत्रीजी जिस प्रकार से किसी थाने में यदि कोई मुलजिम या किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद पूरे थाने

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

को लाइन हाजिर कर देते हैं, यदि इस प्रकार मंत्री महोदय, दूनी और भीलवाड़ा के पूरे स्टाफ को जब तक वहां से नहीं बदलेंगे तब तक यह बीज माफिया गिरोह जिस तरीके से राजस्थान सीड स्टेट कारपोरेशन में काम कर रहा है उसमें कोई अच्छी भावना से काम करने की गुंजाइश मिलेगी, यह उम्मीद नहीं करता।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। एक चूक हो गई है मंत्री महोदय, खंड 6 का आपने जवाब नहीं दिया है, उस खंड 6 का जवाब भी दे दीजिए फिर इनके पूरक प्रश्न का भी जवाब दे दीजिए। इसी प्रश्न के खंड 6 का जवाब नहीं दिया है। (व्यवधान) मैं यहां बैठा हूं, मुझे तो चूक ठीक करनी पड़ती है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह थोड़ा-सा रह गया था।

(6) जी नहीं। वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के तहत प्रमाणीकृत/उन्नत बीज की आपूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र की बीज संस्थाओं के माध्यम से कराई जाती है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि राज्य की बीज उत्पादक संस्थाओं की बीज उत्पादन एवं बीज आपूर्ति में हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। इस हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: अब पूरक प्रश्न का जवाब दे दीजिए।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है, कृषि का मूल आधार बीज होता है और जैसा कि कोटा जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, आपने कहा कि फाउण्डेशन सीड किसानों को बीज उत्पादन कार्यक्रम में दिया गया है, निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में 61 किसानों को फाउण्डेशन सीड बीज उत्पादन के लिए उनको प्रोग्राम में दिया गया था और इसी प्रकार 110 किसानों को सर्टिफाइड सीड फर्स्ट जो आधार के बाद का सीड है वह दिया गया था। चूंकि आधार सीड में मात्र फाउण्डेशन सीड के एक किसान की शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा सर्टिफाइड सीड वन जो है वह आधार बीज के बाद बनने वाला बीज है उसके बारे में अभी तक 38 किसानों की शिकायत माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राप्त हुई जो 343 हैक्टेयर में। उसकी जांच कराने के लिए जैसा मैंने अभी इस प्रश्न के माध्यम से जवाब भी दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग यह देख

(श्री प्रभू लाल सैनी)

रहे हैं कि यह जो सर्टिफाइड सीड वन कैटेगिरी का कहां से आया, तो यह भीलवाड़ा के विधायन केन्द्र से आया था और यह दूनी से भी एक लॉट आया था, पांच लॉट ऐसे थे माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनमें इस प्रकार की एक प्रतिशत से लेकर पांच प्रतिशत तक की इनमें जिस प्रकार हम कहते हैं कि अवांछित बीज उसमें आया है। गेहूं तो है वह लेकिन उसकी वैरायटी जो 4079 होनी चाहिए वह वैरायटी नहीं है यह विभाग की जांच में भी आया है और हम लोगों ने भी इसे माना है। इसके बारे में जैसा कि लॉट नम्बर है, अप्रैल 15 में जो जारी हुआ है वह 20/157/64 एक लॉट है, 126/127/128 और 132 यह भीलवाड़ा से चार लॉट आए थे। इन चारों लोट के माध्यम से जो शिकायत प्राप्त हुई थी उनकी जांच के लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है और वह कमेटी उसकी जांच कर रही है।

मैं इतना आपको विश्वास दिलाऊंगा कि किसी भी प्रकार से किसानों के हित पर कुठाराघात नहीं होगा। फसल का उत्पादन तो अच्छा हुआ है, फसल उत्पादन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। असर यह हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यदि वह फसल कटती है, हमारी सीड प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा दो निरीक्षण किए जाते हैं, पहला निरीक्षण किया गया, उसमें यह पाया गया है कि वहां पर वास्तव में एक प्रतिशत, जो कम से कम दो प्रतिशत से ज्यादा कभी भी उसमें प्लांट में, उस फसल में मिक्स नहीं होना चाहिए, अन्य वैरायटी नहीं होनी चाहिए लेकिन वह पांच प्रतिशत तक की वैरायटी पाई गई है ऐसी पूरी इसकी विस्तृत जांच कराएंगे, विस्तृत जांच कराने के बाद निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से यह आश्वस्त करूंगा कि जिन अधिकारियों को एपीओ किया है उनकी जांच आने के बाद और प्रभावी कार्यवाही भी करेंगे।

मैं तो इतना आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जांच में जिस प्रकार के तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही करके माननीय सदस्य को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न नम्बर दो। वैसे तो लम्बा-चौड़ा जवाब आ गया है।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्रीजी ने यह आश्वासन नहीं दिया है कि इन किसानों की फसल को आप खरीदेंगे और इनको खरपतवार निकालने के बाद क्या बोनस देंगे?

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

दूसरा मेरा पूरक प्रश्न यह है कि पैरा नम्बर 5 पर माननीय मंत्री महोदय ने किसानों को अप्रमाणीकृत बीज नहीं बांटे जाने के लिए जवाब दिया है, मैं इस सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गेहूं के राज 4238 वैरायटी जिसका 1 हजार क्विंटल गेहूं किसानों को फाउण्डेशन सीड सर्टिफाइड सीड में परिवर्तित करने के लिए कार्यक्रम में दिया गया जबकि उक्त बीज सरकार की बीज कमेटी द्वारा अभी तक नोटिफाइड भी नहीं किया गया। बीज के नोटिफाइड नहीं होने से किसानों को प्रोग्राम दिया गया है उसमें जो प्रीमियम 400 रुपये मिलनी चाहिए थी अगर वह बीज मेरे कहने के बाद तक, आज तक वह नोटिफाइड नहीं हुआ। अब यदि उस गेहूं को सरकार खरीदेगी तो टीएफएल के रूप में खरीदेगी और किसान को उसकी प्रीमियम मिलेगी मात्र 150 रुपया। इस प्रकार किसानों को बहुत बड़ा नुकसान जो लगभग 50 लाख रुपये के आसपास होगा।

इसी प्रकार इस गेहूं को यदि राजस्थान स्टेट सीड कार्पोरेशन सर्टिफाइड सीड के रूप में बाजार में बेचती तो इनको एक हजार रुपया प्रति क्विंटल के रूप में राजस्थान सरकार और भारत सरकार के माध्यम से सरकार को मार्केटिंग करने के लिए सब्सिडी मिलती है। वो सब्सिडी भी अब मार्केटिंग के लिए नहीं मिलेगी। इस प्रकार राजस्थान स्टेट सीड कार्पोरेशन को भी लगभग 2 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा।

माननीय मंत्री महोदय, आप इस सारे विषय की जांच कराएंगे तो तथ्य आपके सामने आ जाएंगे, सदन के सामने आ जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज उत्पादन कार्यक्रम के बारे में जैसा कि माननीय सदस्य जानना चाह रहे थे क्या उनको आर.एस.सी.सी. के द्वारा क्रय किया जाएगा या नहीं क्रय किया जाएगा। इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि किसान को बीज कीमतन दिया जाता है। कीमतन बीज देने के बाद सर्टिफिकेशन के 83 रुपये पर हैक्टेयर के हिसाब से हम लोग फीस लेते हैं और 300 रुपये उसको निरीक्षण फीस के किसान के द्वारा दिये जाते हैं। उसके बाद जो बीज पैदा होता है उस बीज पर बोनस के 300 रुपये क्विंटल अतिरिक्त किसान को देकर बीज को आर.एस.सी.सी. खरीदती है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां विजातीय पौधे का मिश्रण होता है, गेहूं का मिश्रण हो जाता है तो वह प्रामाणिक सीड की

(श्री प्रभू लाल सैनी)

परिभाषा में नहीं आता है। सीड के जो प्रकार हैं, सबसे पहले न्यूक्लियर सीड होता है जो वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बाद ब्रीडर सीड होता है, जो प्रजनक बीज होता है, वह भी वैज्ञानिकों द्वारा, यूनिवर्सिटीज के द्वारा तैयार करके दिया जाता है। आधार बीज, फाउण्डेशन सीड के बारे में जिक्र चल रहा है। इस सीड का उत्पादन आरएससीसी के माध्यम से किसानों के खेत पर बीज देकर हम लोग ट्रायल के आधार पर उसका उत्पादन करते हैं। बाद में आपने कहा कि सर्टिफाइड सीड वन को अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा प्रामाणिक सीड, जो सर्टिफाइड सीड हैं वहां तक के बीज, 10 साल से अधिक जिस बीज की अवधि हो जाती है उस पर न किसी प्रकार का अनुदान दिया जाता है। जैसे 4037 ऐसी वैरायटी है जो कोटा जिले में काफी अधिक मात्रा में बोयी जाती है, अभी भी बो रखी है। लेकिन चूंकि वह स्कीम में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उसके मानक बने हुए हैं एजेंसी के द्वारा कि 10 साल से पुरानी जो भी वैरायटी है उस पर अनुदान देने का कोई प्रोविजन नहीं है।

जहां तक क्रय करने का प्रश्न है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि फसल के प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है, अच्छी फसल है, लेकिन प्रोब्लम यह है कि हमारे सर्टिफिकेशन के नोर्म्स में थोड़ा अंतर इसलिए आ गया चूंकि वह मिलावट हो गई। मिलावट का खरीदने के बाद में उसको किसान को दुबारा रीसेल करने की कोई व्यवस्था नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। मैं आज सदन को आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा चूंकि 300 रुपये हम इसी बात के किसान को देते हैं विजातीय पौधे यदि उसमें उग जाते हैं, अवांछित पौधे उसमें उग जाते हैं तो उनको उखाड़ने के लिए प्रति हैक्टेयर के 300 रुपये के हिसाब से हम जो बोनस देते हैं वह इसका देते हैं।

फिर भी आज मैं सदन को कहना चाहूंगा किसान हित को ध्यान में रखते हुए एक प्रतिशत से लेकर पांच प्रतिशत, यानी दो प्रतिशत तक के जो विजातीय पौधे हैं वे स्वयं किसान हटाए। उसके बाद जितने भी पौधे हैं, यदि वे फिर भी पाये जाते हैं तो मैं आज सदन में घोषणा करता हूं कि उसको एक हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से विजातीय पौधों को हटाने के लिए श्रमिक के रूप में आर.एस.सी.सी. के द्वारा सरकार इनको वहन करेगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): मेरा एक पूरक प्रश्न और था।

श्री अध्यक्ष: नो, नो। आ गया।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): केवल एक और था।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, दो हो गये। शंकरसिंह राजपुरोहित। इसके बाद आपका।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना ही जानना चाहूंगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है वह ठीक है, लेकिन प्रदेश के बाहर के भी जो व्यापारी सीड कार्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सप्लाई देते हैं। पिछले सत्र में यह बात उठी थी मारवाड़ के अन्दर बाजरा सप्लाई हुआ और बाजरा बिलकुल चौपट हो गया था। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि किसान की फसल चौपट होने के बाद, अब किसान तो मर गया, आपने कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड किया, अधिकारियों को पनिशमेंट दे दिया, वह कम्पनी वाले वापस दूसरे नाम से दूसरी कम्पनी खोल देते हैं, फिर सप्लाई करती है। यह बीज निगम के साथ कम्पनियों का जो गोलमाल है इसका कहीं न कहीं प्रमाणीकरण करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे?

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, अभी दो प्रकार की सरकारी एजेंसीज हैं राजस्थान स्टेट सीड कार्पोरेशन और नेशनल सीड कार्पोरेशन, भारत सरकार का उपक्रम है। इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से राजस्थान प्रदेश में मात्र 25 से 30 प्रतिशत ही बीज का वितरण व्यवसाय के रूप में, क्योंकि ज्यादातर इसमें दूसरे लोग हैं जो प्राइवेट सैक्टर के लोग हैं। प्राइवेट सैक्टर के लोग सीड एक्ट 1966 में कवर होते हैं, उसके रूल 1968 के हैं, प्रावधान बने हुए हैं सीड कंट्रोल आर्डर 1983 का बना हुआ है। इसी प्रकार बीज प्रमाणीकरण संस्था की धारा 9 के अन्तर्गत, राजस्थान में हम लोगों ने बनायी, जहां भी निजी क्षेत्र के कोई भी सीड विक्रेता यदि इस प्रकार के सब-स्टैण्डर्ड बीज को कहीं बेचता है या उससे नुकसान होता है तो उसमें पिछले सालों में भी हमने देखा कि कई किसान भाइयों ने उपभोक्ता में जाकर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण कराया है। यहां तक कि सरकार के द्वारा जब हमें इस प्रकार की जानकारी दी जाती है और जांच करने के बाद यदि वह सब-स्टैण्डर्ड बीज पाया जाता है या उसका जर्मिनेशन, उसका प्योरिटी टेस्ट हम करते हैं, उसका जर्मिनेशन टेस्ट करते हैं, उसकी फिजिकल प्योरिटी देखते हैं और उसके बाद डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के

(श्री प्रभू लाल सैनी)
आधार पर भी उसकी पूरी जांच की प्रक्रिया इस एक्ट में दी हुई है। उसके आधार पर जांच करने के बाद दोषी पाया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ असेंसियल कमोडिटी एक्ट बना हुआ है उसी के आधार पर सज़ा देने के प्रावधान हैं। एफआईआर दर्ज होने के आधार पर हम लोग सीड कंट्रोल एक्ट, 1983 है जो इसी के साथ इसी एक्ट से गवर्न हो रहा है और इसी एक्ट के प्रावधान के अन्दर सख्त से सख्त सज़ा देने के प्रावधान हैं।

यदि इस प्रकार के विषय माननीय सदस्य ध्यान में लाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से माननीय मंत्री महोदयजी से पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं पूरे सदन की ओर से माननीय मंत्री महोदय के दीर्घायु होने की मंगल कामना करता हूं, कल इनकी कार एक्सीडेंट हो गयी थी। हम चाहते हैं किसान का बेटा है, किसानों की सेवा कर रहा है तो ये लम्बी उम्र प्राप्त करें यह हम सब सदन की तरफ से कामना करते हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने रबी में रिजका...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): किसान का बेटा नहीं हो तो उसकी उम्र कम हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, सबकी हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): फिर तो ठीक है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज की तारीख में किसान का, इतना बड़ा विभाग सम्भाल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): समय देख लो, समय का परिवर्तन देख लो, दीर्घायु का आशीर्वाद भी डोटासरा साहब देने लगे। आपने तो वह काम नहीं किया। दीर्घायु का आशीर्वाद भी डोटासरा साहब दे रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने ईश्वर से सबकी तरफ से कामना की है। यह भी आपके नहीं जंची क्या?

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): रबी में रिजका का नि:शुल्क बीज बांटती थी जो पशुओं के लिए चारे का काम करता था। खरीफ में हमने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

दो-सवा दो लाख मिनी किट बाजरे के बांटे थे। वे दोनों योजनाएं बंद हो गई हैं। हमारे शेखावाटी में, विशेषकर सीकर जिले में प्याज का उत्पादन होता है। प्याज में जो बीज एनएससी और प्राइवेट फर्में उपलब्ध करा रही हैं वह 500-550 में उपलब्ध करा रही हैं। जो लोकल बीज होता है वह 1500-2000 रुपये प्रति किलो का होने की वजह से 500-550 का खरीद लें और वह प्याज का बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित नहीं होता है। इसकी वजह से वहां प्याज के टोरे आ जाते हैं और प्याज की फसल पूरे शेखावाटी में खराब हो रही है। ऐसे बीजों का आप शेखावाटी में, जो बीज बिना प्रमाणीकरण के बांटे गये उससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या आप जांच कराकर ऐसी फर्मों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): रबी में जो रिजका हमने फ्री में बांटा था, खरीफ में जो बाजरा बांटा था उसको वापस बांटने का विचार माननीय मंत्री महोदय रखते हैं या नहीं रखते हैं यह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। इसके बाद श्री चंद्रभान आक्या का लूंगा तीसरा प्रश्न। इसके बाद नहीं। (व्यवधान) नहीं, साहब, नहीं, सबका इंपोर्टेंट है, लेकिन मैं सबको समय नहीं दे सकता। तीन से ज्यादा नहीं। जवाब दीजिए। केसारामजी चौधरी, न तो आपका अंकित होगा, न जवाब आएगा। आप दीजिए, यह नहीं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री अध्यक्ष: माइक चालू का सवाल नहीं। कोई चालू नहीं। आप बैठिए, कोई आज्ञा नहीं है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): इसके बाद पूछ लेना।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं पूछेंगे। आप डाइरेक्ट नहीं कह सकते उनको पूछने के लिए और मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप इनका जवाब दीजिए। व्यवस्था मुझे करनी है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने वास्तव में सरकार का ध्यान इस ओर इंगित किया है, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा अभी हाल ही में हम लोगों ने पशुओं के चारे के लिए लगभग 10-11 करोड़ रुपये के टेण्डर की प्रक्रिया हमने पूरी कर दी है। इसी महीने में निश्चित रूप से किसान के खेत तक हमारे मिनी किट पहुंचेंगे, यह मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप तो डोटासरा साहब के प्रश्न का जवाब दो।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): दूसरा आपका प्रश्न प्याज की फसल का था। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ बीज ऐसे हैं जो प्रमाणिक बीज होते हैं और इनका जो बीज है वो सत्य निष्ठ में आता है, इसके ट्रूथफुल लेवल, एक हमारी वैरायटी है जिसमें उसको सत्य माना जा सकता है। प्रमाणिक तो नहीं हो सकता, सर्टिफाइड भी वो नहीं हो सकता पर ऐसे क्राप्स के, पेरिशेबल आइटम्स जो होते हैं लेकिन वो टीएफएल लेवल के होते हैं। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपके सीकर जिले में प्याज का उत्पादन अधिक होता है, मैं आर.एस.एस.सी. को निर्देश जारी करूंगा कि इस प्रकार के अच्छे बीज, गुणवत्ता के बीज लाकर वहां उस क्षेत्र के किसानों को उपलब्ध कराएं। जिन किसानों को यदि किसी भी कम्पनी के द्वारा या किसी भी एजेंसी के द्वारा या किसी भी फर्म के द्वारा अमानक बीज दिये गये हैं और इस प्रकार की शिकायत यदि प्रूव होती है तो निश्चित रूप से प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, तीसरा सवाल।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 2015-16 में खराबा हुआ और काफी खराबा हुआ। खराबा होने के बाद भी राजस्थान सीड प्रोग्राम और एनएससी ने हंड्रेड परसेंट बीज खरीदा। अगर 70 परसेंट, 80 परसेंट खराबा हुआ तो हंड्रेड परसेंट भी बीज भी किसानों से खरीदना नहीं था। उन किसानों ने निम्बाहेड़ा मण्डी से, नीमच मण्डी से, पास की मण्डियों से खरीद-खरीद कर वो माल सीड प्रोग्राम में दिया और वो वाजिब नहीं है क्योंकि वो ही किसान वापस बोते हैं जिससे उचित पैदावार नहीं होती है। जब माननीय मंत्री महोदय चित्तौड़ में दौरे पर पधारे थे उस दिन भी मैंने उनको कहा था कि मंत्री महोदय, इस तरह का बीज किसान खरीद रहे हैं, बीज माफिया खरीद कर किसानों को दे रहे हैं इसलिए उचित कार्यवाही करवायें। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि 2014-15 में जो खराबा हुआ उस खराबे में भी आपने सीड प्रोग्राम और एनएससी में हंड्रेड परसेंट बीज पूरा लिया तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी आप कोई कार्यवाही करना चाहते हैं या करेंगे? यह मैं चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकजी ने निश्चित रूप से जो प्रश्न उठाया है, वास्तव में यह काफी

(श्री प्रभू लाल सैनी)

गम्भीर विषय है और मैंने भी इसको गम्भीरता से लिया है। मेरे चित्तौड़गढ़ प्रवास के दौरान जिला कलेक्ट्रेट में बैठक के समय यह विषय भी आया था। चूंकि यदि 90 परसेंट के लगभग फसलें खराब हो गईं तो सीड का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। इस बात को मैंने गम्भीरता से लेते हुए प्रदेश स्तर से दो अधिकारियों की ऊंचे लेवल पर कमेटी बनाकर भेजा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जहां भी इस प्रकार के प्रमाणीकरण सीड को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनमें मिलावट की जा रही है या अनदेखी की जा रही है या उसका निरीक्षण समय पर नहीं किया जा रहा है या उसके पैकिंग में गड़बड़ की जाती है तो अभी कल ही हम लोगों ने उच्च स्तर की बैठक करके यह फैसला लिया है कि हम प्रयास करेंगे कि ऐसे अधिकारियों की जिम्मेदारी स्वयं की तय की जाए और जितने होने वाले नुकसान हैं उनको उसकी तनख्वाह से वसूल किया जाए, ऐसी कार्यवाही हम लोग करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्रीमती कामिनी जिन्दल।

श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत लाधुवाला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण पर व्यय राशि

308. **श्रीमती कामिनी जिन्दल** (गंगानगर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र के लाधुवाला के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया है? यदि हां, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने कार्यरत हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत लाधुवाला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु नये भवन का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो उक्त भवन किस योजना में बनाया गया एवं कितनी लागत आयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) ग्राम गणेशगढ़ एवं डूंगरसिंहपुरा में दोहरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गणेशगढ़ को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.01.1997 के द्वारा ग्राम लाधुवाला पंचायत समिति सादुलशहर में स्थानान्तरित करने की स्वीकृति जारी की गई थी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाधुवाला में स्टाफ के पद स्वीकृत नहीं हैं, परन्तु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाधुवाला में निम्नलिखित स्टाफ कार्यरत है:-

चिकित्सा अधिकारी-1, डाटा ऑपरेटर-1, लैब टैक्नीशियन-1, लैब क्लिनर-1 हैं और डाटा ऑपरेटर, लैब टैक्नीशियन और लैब क्लिनर एन.जी.ओ. के मार्फत काम कर रहे हैं।

(2) जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाधुवाला के भवन का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत करवाया गया है जिस पर 27.67 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहूंगी कि यह जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हुआ है इसकी व्यथा यह है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसके हाथ में आप आइसक्रीम दे दें और आइसक्रीम भी आपने शुगर फ्री दे दी है कि बेचारा न तो खाकर स्वाद ले सकता है और न ही उसको फेंक सकता है। आपने खुद ने कहा है कि यह 1997 में स्वीकृत हुआ था और यह बिल्डिंग इतनी सुन्दर बनी हुई है कि मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि पूरे राजस्थान में इससे सुन्दर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं बना होगा। जैसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अन्दर सुपर डीलक्स रूम होते हैं ऐसे वहां पर रूम बने हुए हैं। लेकिन इसकी व्यथा यह है कि अभी तक वहां पर कोई स्टाफ नहीं है और आपने स्वयं भी कहा कि इसमें पद खाली हैं। मैं यह जानना चाहूंगी कि 1997 के बाद से अब यहां पर कोई भी पद स्वीकृत क्यों नहीं हुए और अगर होंगे तो हम कब तक इसके लिए इंतजार करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा कि दोहरी संस्था होने के कारण इस गणेशगढ़ के चिकित्सालय को लाधुवाला में स्थानान्तरित किया था। उस समय मैं ही इस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री था, कितना पुल के नीचे से पानी निकल गया परन्तु उस समय विद् पोस्ट नहीं था क्योंकि गणेशगढ़ के अन्दर उसमें पद स्वीकृत ही नहीं थे। अब मैं आपके माध्यम से, माननीय सदस्या, आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि हम बीएफसी में प्रस्ताव लेकर जायेंगे। आपका सवाल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लगने के बाद मुझे भी कुछ अटपटा सा लगा कि इतने लम्बे समय से वहां पर चिकित्सालय कार्यरत है और उसमें जो डाक्टर लगे हुए हैं वो एक दूसरा हास्पिटल है 61 एफ करणपुर, वहां से उसको प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है। इसको बीएफसी में ले जाकर चूंकि वहां कई वर्षों से यह चिकित्सालय कार्यरत है, इसकी स्वीकृति जारी करके इसको मूल रूप से प्रारम्भ करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगी?

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): मंत्री महोदय, इसमें मैं यह भी जानना चाहूंगी कि यहां पर आपने बताया कि चिकित्सा अधिकारी हैं, डाटा आपरेटर हैं, बाकी सब हैं लेकिन यहां नर्सिंग स्टाफ भी नहीं है तो क्या हम कोई महिला चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ लगाने का भी विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि इसमें अब तक कोई स्टाफ स्वीकृत ही नहीं था और अब इसमें जो हम प्रस्ताव लेकर जाएंगे उसमें चिकित्सा अधिकारी का एक पद होगा, नर्स ग्रेड द्वितीय के दो पद होंगे, महिला स्वास्थ्य दर्शिका का एक पद होगा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एक पद होगा, फार्मासिस्ट का एक पद होगा, लैब टैक्नीशियन का एक पद होगा, वार्ड ब्वॉय के दो पद होंगे और सफाई कर्मचारी का एक पद होगा। यानी छह महीने के लिए साढ़े पन्द्रह लाख रुपये का प्रस्ताव लेकर हम जा रहे हैं और इसको नियमित करवायेंगे, इसको संचालित करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री धीरज गुर्जर। यह केवल लाधुवाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के बारे में है। मिस्टर धीरज गुर्जर, क्या सवाल करोगे? लाधुवाला में आपका क्या लेना-देना? अपने जहाजपुरा का कर लेना। बैठो, नहीं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सिर्फ इतना ही पूछना है कि कहीं भी नवीन पीएचसी बनने के बाद में भवन कितने समय में आप लोग तैयार करते हो? ऐसे कोई नियम बना रखे हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। अगला प्रश्न। श्री अर्जुन लाल जीनगर। कोई लाधुवाला के बारे में हो तो बोलिये, नहीं तो बैठिये। (व्यवधान) नहीं, नहीं, श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन में संचालित ईंट उद्योग

309. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में गत दो वर्षों में कहां-कहां, किस-किस नाम से नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई है? क्या उक्त सभी इकाइयों ने नियमानुसार उद्योग चलाने की स्वीकृति ली है? यदि हां, तो किस-किसने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में चिमनी वाले ईंट उद्योग संचालित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां, कितने वर्षों से व कितनी-कितनी औद्योगिक भूमि पर संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त ईंट भट्टे सरकार व पर्यावरण स्वीकृति के नियमों की शर्तों के अनुसार चल रहे हैं? यदि हां, तो नियमों व शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त ईंट भट्टा मालिक नियमों व शर्तों की पालना कर रहे हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या उक्त उद्योगों के लिए अवैध रूप से सरकारी जमीनों को खोदकर मिट्टी लाई जा रही है? यदि हां, तो अब तक अवैध मिट्टी लाने वाले किन-किन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(6) क्या यह सही है कि अवैध रूप से खोदी गई मिट्टी ईंट उद्योग मालिकों द्वारा खरीदी जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध मिट्टी खरीदने वालों पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उद्योग मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में पिछले दो वर्ष से पंजीकृत एमएसएमईडी एक्ट के अनुसार इकाइयों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र कपासन में पिछले दो वर्षों में 9 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई है तथा इनमें से 6 औद्योगिक इकाइयों ने पावती तथा 3 औद्योगिक इकाइयों ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं जलवायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से स्थापना सम्मति प्राप्त की है। विवरण परिशिष्ट अ-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र कपासन में चिमनी वाले ईंट उद्योग पंजीकृत हैं। पंजीकृत ईंट उद्योग की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) ईंट भट्टे के प्रोपराइटर द्वारा पर्यावरण विभाग से कन्सेंट प्राप्त

(श्री गजेन्द्रसिंह)

कर ईंट निर्माण का कार्य किया जाता है। इस हेतु सम्बन्धित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

ईंट भट्टों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना आवश्यक है। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(12.00 बजे)

(4) जी हां। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों की अवहेलना पाये जाने पर चिन्हित किये गये ईंट भट्टों के विरुद्ध वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है तथा दोषी ईंट भट्टा उद्योगों को वायु अधिनियम की धारा 31(ए) में बंद किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। विधान सभा क्षेत्र कपासन में राज्य मण्डल द्वारा चिन्हित जिन ईंट भट्टों द्वारा (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों की पालना नहीं की जा रही है, उनके विरुद्ध राज्य मण्डल द्वारा कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(5) सरकारी भूमियों में अवैध रूप से खनन कर मिट्टी लाने वालों के विरुद्ध राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 48 एवं 68 के तहत कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र कपासन में 13 ईंट भट्टे स्थापित हैं। जिनमें ईंट निर्माण सम्बन्धी कार्य हो रहा है। उक्त चालू ईंट भट्टों में से 12 के पास विधिक रूप से जारी परमिट हैं एवं आवंटित क्षेत्र में खनन कार्य किया जाता है। शेष एक ईंट भट्टे के अनुमति पत्र की अवधि समाप्त हो गई है जिसके विरुद्ध राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 48 के तहत कार्यवाही की गई है। विगत तीन वर्षों (चालू वित्तीय वर्ष सहित) में खनिज ईंट मिट्टी के अवैध खनन/निर्गमन पर कार्यवाही करते हुए 16 प्रकरण बनाये जाकर राशि रुपये 12,77,015/- की वसूली की गई है।

(6) चिमनी वाले ईंट भट्टों में चिमनियों में स्थित घोड़ियों की संख्या व ईंट के आकार के आधार पर वर्ष भर में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी की गणना कर रायल्टी की वसूली अग्रिम रूप से जमा करा दी जाती है एवं परमिट जारी किया जाता है। वर्ष भर की रायल्टी जमा होने एवं आवंटित स्थल के अलावा अन्य किसी स्थान पर खनन कार्य किये जाना पाये जाने पर रायल्टी 10 गुना वसूली की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्षः विराजिए, विराजिए। जवाब आ गया उनके पास। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से पटवारी भर्ती परीक्षा परिणाम में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सफल घोषित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(2) श्रीमती अंजू देवी धानका, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी में राजकीय बालिका महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में पेयजल की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में।

(4) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से प्रदेश के निजी विद्यालयों की मान्यता से सम्बन्धित 228 प्रकरणों को निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती अंजू देवी धानका, श्री पूरणमल सैनी एवं श्री सुखराम विश्नोई को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री नवनीत लाल, सदस्य की ओर से जिला बांसवाड़ा के माही डैम के सन् 2006 में किये गये सर्वे के अनुसार पीयत भूमि के लिए बनी योजनाओं को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री शुभकरण चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में सड़कों का नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से मंदिर आसननाथजी, ग्राम वौपारी, तहसील मारवाड़ जंक्शन की भूमि को भू-माफियाओं व राजस्व अधिकारियों द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर खुर्द बुर्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के कायलाना एवं अखेराजजी का तालाब परिक्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिलने व अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री कंवर लाल, सदस्य की ओर से आयुर्वेद नर्सेज का वेतन एलोपैथी नर्सेज के समान करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री ओमप्रकाश, सदस्य की ओर से उप तहसील मण्डावर को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री ललित कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद की बिलासी मध्यम सिंचाई परियोजना को आर.डब्ल्यू.एस.एल.आई.पी. मद में स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री गोपाल कृष्ण, सदस्य की ओर से जिला बीकानेर में अन्तरराष्ट्रीय साइकिल वेलोड्राम बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती सोना देवी, सदस्य की ओर से खाटा बारानी एवं लखटीबा चकों का पुन: सर्वे करवाकर इनको सिंचाई हेतु गंग कैनाल से पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती कामिनी जिन्दल, सदस्य की ओर से जिला श्रीगंगानगर में किसानों को ओलावृष्टि से तबाह हुई फसलों का मुआवजा राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार दिये जाने के सम्बन्ध में।

(12) सुश्री कीर्तिकुमारी, सदस्य की ओर से प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं का पदनाम परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

चूंकि आज चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की अनुदान मांगें

(श्री अध्यक्ष)

सदन में विचारार्थ ली जाएंगी। इसमें समय अधिक लगने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

पर्ची

आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को शून्यकाल में बोलने हेतु 48 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

क्र. सं.	नाम माननीय विधायक	विषय
1.	श्री छोटू सिंह	जैसलमेर जिले के राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र में बसे गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2.	श्री चन्द्रभान सिंह आक्या	जिला चित्तौड़गढ़ में नगर विकास न्यास को हस्तान्तरित चरागाह भूमि की किस्म परिवर्तन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3.	श्री भीमा भाई	कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नान-पेचेबल सड़कों की स्वीकृति तथा सड़कों की चौड़ाई बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
4.	श्री रामहेत सिंह यादव	भिवाड़ी (अलवर) में बिल्डर्स द्वारा प्लाट/मकानों की बुकिंग करने के बाद भी कब्जा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यगण को मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग की मांगें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। आज मंत्रीजी भी ज्यादा तैयारी करके आये हैं और राजस्थान की हैल्थ के बारे में अपना उत्तर देंगे तो मेरा ऐसा ख्याल है कि 7.30 बजे तक दोनों तरफ के वक्ताओं को अवसर दे दें और 7.30 बजे मंत्रीजी अपना जवाब चालू करें। मुझे कह भी रहे थे कि डेढ़ घंटे का भाषण दूंगा तो अखबारों में छपना भी चाहिए, राजस्थान की जनता को मालूम पड़े। यह मेरा विनम्र निवेदन है। यह आप जानें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, 8.30 बजे की आप ही की की हुई व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आठ बजे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 8.30 बजे करो।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, 8.30 से आठ बजे कर दिया न।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): नम्बर ही नहीं आएगा हमारा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: जैसा सदन चाहे, आप जितना चलाओ, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मेरा तो विनम्र निवेदन है, जो मेरे से विनम्र निवेदन किया स्वास्थ्य मंत्रीजी ने...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 8.30 बजे की तो आपने व्यवस्था दी थी।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपके सामने रख दिया है। आगे आप जानो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आप ही व्यवस्था करिये 8.30 बजे की।

श्री अध्यक्ष: चलने दो, हो जाएगा। श्रीमती अंजू देवी धानका।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बस्सी में राजकीय महाविद्यालय

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। बस्सी में राजकीय बालिका महाविद्यालय नहीं होने के कारण बहुत सी छात्राओं को अपनी शिक्षा को वहीं पर विराम देना पड़ता है। एक तरफ तो सरकार कहती है, ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' लेकिन अगर महाविद्यालय ही नहीं होंगे तो बालिकाओं को आगे कैसे बढ़ायेंगे? बेटियों को आगे कैसे पढ़ायेंगे? राज्य सरकार के नियमानुसार और आपके मैनीफेस्टो में भी था कि प्रत्येक उपखण्ड पर एक बालिका महाविद्यालय होगा। मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को पूरी करें।

वर्तमान की भयावह परिस्थितियों को देखते हुए मां-बाप अपनी बेटियों को दूर भेजने से डरते हैं और मैं लगातार आपसे मांग करती रही हूं। मुझे यह भी मालूम है कि बस्सी विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय नहीं होने की वजह

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

से बच्चियों को किन परिस्थितियों को फेस करना पड़ता है और इसकी हर उपखण्ड मुख्यालय पर बालिका महाविद्यालय की जरूरत है...

श्री अध्यक्ष: यह क्या हो रहा है? राजपालसिंहजी, आप मंत्री हैं। इनको आप इकट्ठा मत करिये। आप बाहर जाकर बात कर लीजिए इनसे।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): ...लेकिन मुझे मालूम है, आप भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बेटियों को पढ़ाने की कितनी जरूरत है। फिर भी आपका जो जवाब है, मुझे मालूम है। जहां पर निजी महाविद्यालय नहीं हैं, वहां पर महाविद्यालय खोलने की हमारी प्रायोरिटी है या फिर दूसरा जवाब आपका यह होगा कि वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर विचार किया जायेगा। परन्तु अगर निजी महाविद्यालयों में गरीब की बच्चियां पढ़ सकतीं तो शायद मुझे यहां मांग उठाने की जरूरत नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, बस्सी विधान सभा क्षेत्र बहुत ही नजदीक है जयपुर के...

श्री अध्यक्ष: स्वास्थ्य मंत्रीजी, आपको जवाब देना है। अब उनको कुर्सी पर भेजिये। आप इनको भेजिये। आपको जवाब देना है।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): ...पर फिर भी आज की परिस्थिति की वजह से बच्चियां वहां आ नहीं पाती हैं। मंत्री महोदय से निवेदन है कि बहुत जरूरी और संवेदनशील बनकर यह बात सुनिये क्योंकि यह बच्चियों का मामला है। आपने हमारे बस्सी क्षेत्र में आकर यह वादा किया था अभी दो-तीन महीने पहले कि सबसे पहले बस्सी क्षेत्र को महाविद्यालय दिया जायेगा। मैं चाहूंगी कि आप अपना वादा पूरा करें और बालिकाओं के लिए जल्दी से जल्दी महाविद्यालय खोलने की कृपा करें।

एक इसमें और भी बात है कि अगर महाविद्यालय नहीं खुल सकता है तो जैसे केन्द्र सरकार की योजना है कि 25 प्रतिशत सीटें निजी विद्यालयों में, उसी तर्ज पर अगर हम बच्चियों के लिए, खासतौर से बालिकाओं के लिए निजी महाविद्यालयों में भी अगर 25 प्रतिशत सीटों को आरक्षित कर दें तो शायद बहुत ज्यादा लाभ होगा, जब तक आप महाविद्यालय खोलने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्री महोदय रेस्पोंड करेंगे? मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): क्या रेस्पोंड करें।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): उनका जवाब मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या आना है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आप करेंगे?

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): जब वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, तब खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: यह बात तो उन्होंने पहले ही कह दी।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): वह मैंने पहले ही जवाब दे दिया था कि उनके पास जवाब है ही नहीं। पर आप वादा मत कीजिये मंत्रीजी। आप पहले ऊपर से आर्डर ले लिया कीजिये कि मैं वादा कर सकता हूं कि नहीं।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): अबके बजट में सीमाएं हो गई साहब, अगले साल देखेंगे अब।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): आपको वादा करने का भी अधिकार नहीं है अगर आपको ऊपर से आर्डर नहीं है तो।

श्री अध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी। उसके बाद सुखराम विश्नोई।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): वादा पूरा करते ही नहीं हैं कभी ये मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: वादा पूरा करने के लिए थोड़े ही होता है भँवर लालजी। (व्यवधान) नहीं, इसके बाद आपका है।

खेतड़ी में पेयजल समस्या

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन की कार्यवाही को स्थगित करते हुए सदन के इतने महत्वपूर्ण समय में भी मेरा ध्यान रखा, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए चूंकि मामला भी गम्भीर था, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में एक नगरपालिका 20 वार्डों की है और पूरे विधान सभा क्षेत्र में 112 राजस्व गांव हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से वैसे तो व्यक्तिगत रूप से भी मिला हूं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिका के वार्ड नम्बर-12 में आज तक जब से नगरपालिका का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक पेयजल की किसी भी प्रकार की कोई सुविधा इस वार्ड नम्बर-12 में मुहैया नहीं करवाई गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वार्ड नम्बर-12 के लिए पानी की कोई न कोई व्यवस्था करवायी जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से नगरपालिका में पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, स्टोरेज के लिए जो पम्प हाउस बनाए गए हैं और राइजिंग लाइनें जो स्टार्टिंग में डाली गई थीं वे सीमेंट की थीं। उनका

(श्री पूरणमल सैनी)

पूर्ण रूप से खातमा हो गया है और 2014 में विभाग के कर्मचारी, अधिकारियों द्वारा एक प्रपोजल तैयार करके डीआरएफ योजना में 252 लाख का भिजवाया गया था। मैं माननीय मंत्री महोदया से जब मिला व्यक्तिगत तो इन्होंने अवगत कराया कि डीआरएफ योजना बंद हो गई थी इसलिए टैण्डर लेवल पर आकर के वह काम आपका रुक गया था। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि डीआरएफ योजना की बहुत महती आवश्यकता थी इसलिए वह भिजवाया गया था। योजना बंद हो गई तो फिर खेतड़ी की आवश्यकता खतम नहीं हुई है। इसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसका प्रपोजल दूसरे मद से स्वीकृत करके विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की नगरपालिका के बीस के बीस वार्डों के लिए पेयजल की व्यवस्था करायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 112 ग्राम हैं और पिछले दिनों जब हमने मंत्रीजी से मिलकर के प्रयास किया और इनको इसके साथ धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि 112 गांवों में से मात्र 11 गांवों के लिए सूखे के अगेंस्ट 11 ट्यूबवैल स्वीकृत किए। उसके लिए इनको धन्यवाद देते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के उन 112 गांवों में से काफी गांव ऐसे हैं जिनमें पानी बहुत तेज गति से नीचे जा रहा है जिनमें चिराणी, प्रतिभानगर, डाडाफतेहपुरा, आरडिया, दलेलपुरा, सैफरागुवार, माधोगढ़, कालोटा, नौरंगपुरा मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदया अविलम्ब इन गांवों का सर्वे कराकर इनमें किसी भी प्रकार से....

श्री अध्यक्ष: सारा ध्यान आपने आकर्षित कर दिया है, अब आप विराजिए ।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, अवसर दिया है आपने, दो मिनट लेता हूं। तो इनके लिए अविलम्ब सर्वे कराकर योजना तैयार करके पानी की व्यवस्था करें। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी देय था, जो 2008 में ड्यू था लेकिन 540 दिन का समय और मांग लिया गया।

श्री अध्यक्ष: यह विषय अलग है, नहीं। जो विषय था उस पर आपने बोल दिया है, अब आप विराजिए। आप मंत्री महोदया रेस्पोण्ड कर रही हैं?

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि पेयजल के लिए सर्वे करवाकर खेतड़ी की जनता को अनुगृहीत करें। धन्यवाद, जय भीम, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं। श्री सुखराम विश्नोई, व्यक्तिगत मिल लेना जी बड़ी विनम्र हैं, बड़ी उदार हैं।

प्रदेश के निजी विद्यालयों की मान्यता से सम्बन्धित 228 प्रकरणों का निरस्तारण

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी विद्यालयों की कुल 431 पत्रावलियां 2014-15 में स्वीकृति के लिए आईं उसमें से महज 279 प्रकरण ही निपटाए गए, 218 पत्रावलियां निरस्त की गईं, 35 पत्रावलियों की पुनः जांच की गई। माननीय अध्यक्षजी, मेरा आपसे निवेदन है कि इन प्राइवेट स्कूलों में 1 लाख 56 हजार 738 छात्र-छात्राएं पूरे राजस्थान में अध्ययनरत हैं। ऐसे माहौल में केवल मात्र मैदान नहीं था, कक्षा कक्ष पूरा नहीं है, ये बहाना बनाकर के ये फार्म खारिज किए गए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे जालौर जिले के अन्दर 63 पत्रावलियां निरस्त की गईं और एक अचम्भे की बात है, मैं खुद शिक्षा मंत्रीजी से मिला और 63 पत्रावलियां जो निरस्त की गईं, वो जांच जिस मौके पर की गई वहां के निजी स्कूल के हैड मास्टर को लिखकर दिया गया कि जांच में आपकी स्कूल सही पाई गई है, मापदण्ड पर सही उतरी है उनको मान्यता देंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने जाने किस प्रलोभन में जो अनुशंसा की गई थी उसके नीचे लिख दिया अनुशंसा नहीं की जाती, नहीं करके 63 पत्रावलियां निरस्त कर दीं। मैं आपको माननीय शिक्षा मंत्रीजी, एक उदाहरण बताना चाहूंगा सर्वोत्तम विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामगंज इसमें स्पष्ट लिखा हुआ हैं, वहां की कमेटी ने लिखा है कि अतिरिक्त संकाय विज्ञान वर्ग एवं अतिरिक्त विषय गृह विज्ञान हेतु निरीक्षण किया गया। सभी औपचारिकताएं पूर्ण पाई गईं। मूल प्रार्थना पत्रों के आधार पर युक्तिसंगत संकाय होने से स्पष्ट अनुशंसा की जाती है। इस तरह की अनुशंसा पूरे प्रदेश में ये जो निरस्त किए गए विद्यालय हैं, तमाम इनकी गई हैं। परन्तु माननीय अध्यक्षजी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री ने न जाने किस आधार पर इन विद्यालयों को स्वीकृति नहीं दी और स्वीकृति नहीं देने से 1 लाख 56 हजार 738 विद्यालयों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम खेल मैदान और कक्षा कक्ष की जो शर्त लगाई गई थी, 2013 में यह आदेश निकाला गया था उसमें स्पष्ट किया गया कि ये शर्त कोई जरूरी नहीं है इस शर्त को अवाइड करके भी मान्यता दी जा सकती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा मंत्रीजी से कि ये जो मूल पत्रावलियां पूरे प्रदेश की जो

(श्री सुखराम विश्नोई)

पड़ी हुई हैं, विशेषकर के मेरे जालौर जिले की 63 पत्रावलियां पड़ी हैं, उनको मान्यता दिलाई जाए।

श्री अध्यक्ष: मेरा भी जालौर जिला है, आपका ही नहीं है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हां, आपका भी है। माननीय अध्यक्ष जी, एक और निवेदन है आपसे कि बाड़मेर और जालौर जिला डार्क जोन घोषित हैं और बाड़मेर के थर्ड ग्रेड के टीचर झालावाड़ की तरफ लगाए जा रहे हैं। यह किस तरह से अन्याय किया जा रहा है। एक हजार किलोमीटर दूर लगाए जा रहे हैं जबकि वो डार्क जोन है। वहां वेकैंसी पड़ी है, ऐसा नहीं किया जाए।

(12.16 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के जो निजी विद्यालयों की मान्यता की बात है, दो श्रेणियों में हैं। एक तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता का है। उसमें राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था नियम 1993 के अन्तर्गत जो शिक्षा के अधिकार नियम-2009 के मापदण्डों को पूरा करते हैं उनको मान्यता दी जाती है और इन सबको इस 1993 के अध्याय-2 के नियम 3 से नियम 8 तक में जो विहित प्रक्रिया है उसके अनुसार आवेदन करना होता है। इनके जालौर क्षेत्र के अन्दर हमको नवीन निजी प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु 36 आवेदन प्राप्त हुए। उसमें जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 31 निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई और मापदण्ड पूरा न होने पर केवल तीन पांच आवेदन निरस्त हुए। फिर अपर प्राइमरी में इनके 29 आवेदन प्राप्त हुए, उसमें 25 को क्रमोन्नति दी गई और 4 आवेदन अस्वीकार किए हैं। जहां तक अपर प्राइमरी से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता का प्रश्न है नीचे से अनुशंसा आने पर डायरेक्ट्रेट उसको मान्यता देता है। इस बार 1507 प्रकरण जो अनुशंसित होकर के आए उनका अनुमोदन हमने तत्काल किया है। इन्होंने जो 228 प्रकरणों के लिए कहा, वो 228 नहीं होकर 281 प्रकरण थे। उनमें से 35 प्रकरणों का हमने पुन: निरीक्षण किया और 21 प्रकरणों को अनुमोदन योग्य पाए जाने पर हमने उनको तत्काल अनुमोदन दे दिया और ये 225 बचते हैं, इन 225 प्रकरणों को सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा जो विभागीय मापदण्ड हैं उनकी पालना नहीं किए जाने के कारण वे निरस्त योग्य माने गये

(श्री वासुदेव देवनानी)

और निरस्त निदेशालय पर नहीं, नीचे की रिपोर्ट आने के ऊपर हुआ है। इसका निरीक्षण करने के पश्चात् यह स्थिति बनी, लेकिन यह स्थिति मैं इनको कहूं कि कोई पर्टिकूलर प्रकरण है जो पूरा मापदण्डों पर खरा उतरता है, वो देंगे तो निश्चित रूप से जांच करा पाऊंगा, लेकिन आपके यहां टोटल जालौर की जानकारी मेरे पास पूरी है। उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में क्रमोन्नति बाबत् 38 आवेदन प्राप्त हुए और उसमें से 35 हमको निरस्त करने पड़े इसलिए टोटल आपके यहां से 71 मिले जिसमें 14 का अनुमोदन किया। अब इन सारे प्रकरणों में समय-समय पर शिकायतें आती हैं।

अगले वर्ष से सारी जितनी भी मान्यता हैं वे हम आनलाइन करने जा रहे हैं। हमने इनको कहा है कि आवेदन आनलाइन करते समय सारी फोटो अगर उसमें दे दें और फिर जब वहां पर कमेटी जाए तथ्यात्मक जानकारी करने, उसकी भी वीडियोग्राफी करवाएंगे और उसके बाद आनलाइन उनको मान्यता दे दी जाएगी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): रिकार्ड में हेराफेरी की गई है। फार्म 63 आए हैं और आप 36 कह रहे हैं, 63 फार्म आए हैं निजी विद्यालयों के, आपके पास रिपोर्ट गलत आई। मैंने एक पर्टिकूलर स्कूल का नाम लिया है सर्वोत्तम विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामगंज जिसकी सिफारिश की है आपकी कमेटी ने संकाय खोलने की और फिर ऊपर जाकर के खारिज कर दिया। पूरे राजस्थान में जो 217 विद्यालय हैं, उन तमाम में इस तरह की हेराफेरी करके सभी को मान्यता न दी जाए, इसकी हेराफेरी जानबूझ कर की गयी है। मैं खुद आपसे मिला था जालौर के लिए 63 निजी विद्यालयों के आवेदन दिये थे। मैं खुद अजमेर आपसे मिला था, आपके निवास पर मिला था, उनमें एक भी फार्म को आपने बहाल नहीं किया, मान्यता नहीं दी। उन लड़कों का क्या होगा, मेरा यह निवेदन है आपसे, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): लड़कों का एडमिशन और बिना मान्यता के पहले जो करने जा रहे हैं वह भी अवैध है, उनको मान्यता के बाद ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। मान्यता प्रक्रिया पहले करते, बैक डेट में आते हैं और उनकी पूरी नहीं होती, इसलिए विद्यार्थी को कितना कष्ट भुगतना पड़ता है, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन मान्यता में आपके 63 नहीं 60 आवेदन आये हैं और उनमें से 25 और 31 टोटल 56 को मान्यता प्राथमिक और उच्च

(श्री वासुदेव देवनानी)

प्राथमिक की हम दे चुके हैं। आप अपने आंकड़ों को ठीक करिये, नहीं तो आप मेरे से मिलिये, मैं आपको आंकड़े सही प्रदान कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्षः पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री छोटू सिंहजी। (अनुपस्थित) श्री चन्द्रभानजी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

चित्तौड़गढ़ में नगर विकास न्यास को हस्तांतरित चरागाह भूमि का किस्म परिवर्तन

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं पर्ची के माध्यम से मेरी यूआइटी के विषय में बताना चाहता हूं। नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ का गठन राज्य सरकार की अधिसचूना दिनांक 10.4.2013 से हुआ था। नगर विकास न्यास के क्षेत्र में 33 राजस्व ग्राम हैं, जिनमें 32 ग्राम चित्तौड़गढ़ तहसील के और चार ग्राम गंगरार तहसील के हैं। नगर विकास न्यास के क्षेत्राधिकार में आने वाली समस्त राजकीय भूमियों को हस्तांतरित करने के मुख्य सचिव महोदय एवं राजस्व विभाग के निर्देश हैं। इसी क्रम में जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ द्वारा 605 हैक्टेयर भूमि विभिन्न आदेशों से न्यास को हस्तांतरित की गयी है। हस्तांतरित भूमि में अधिकांश भूमि चारागाह है। 70 परसेंट भूमि चारागाह है। इस कारण जिला कलक्टर महोदय द्वारा हस्तांतरित आबंटित की गयी चारागाह भूमियों के हस्तांतरण आबंटन का अनुमोदन राज्य सरकार के राजस्व विभाग से चाहा गया। इस हेतु जिला कलक्टर महोदय द्वारा राजस्व सचिव महोदय को अर्द्ध शासकीय पत्र भी लिखा गया। नगर विकास न्यास को वर्तमान में हस्तांतरित आबंटित एवं भविष्य में विभिन्न ग्रामों की हस्तांतरित की जाने वाले भूमि का अधिकांश एवं विशेषकर बड़े चक में उपलब्ध भूमि चारागाह भूमि है। चित्तौड़गढ़ एक तेजी से विकसित होने वाला स्थान है, जिसकी विभिन्न सामाजिक सुविधाओं के लिए बड़े चक की भूमियों की आवश्यकता है। ट्रांसपोर्ट नगर बनाना, ट्रांसपोर्ट नगर वर्तमान में शहर के अन्दरूनी भाग में है जिससे भारी वाहनों की आवाजाही होती है जिसे शहर से बाहर हस्तांतरित किया जाना अति आवश्यक है। चित्तौड़गढ़ रोडवेज का डिपो बनाना, दशहरा मैदान बनाना, न्यायिक आवासीय योजना के लिए ले आउट पारित किया हुआ एवं राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन भी किया गया है, किन्तु भूमि चरागाह

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

होने से राज्य सरकार के राजस्व विभाग से अनुमोदन नहीं होने के कारण अभी आवासीय योजना को मूर्तरूप नहीं दिया गया है। सार्वजनिक पार्क बनाना, यह मामला नगर विकास न्यास मंत्री और राजस्व विकास मंत्रीजी के बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि 70-75 परसेंट जमीन गोचर होने के कारण वहां यूआईटी भले ही 2013 में बनी पर बिलकुल ही कोई काम कर नहीं पा रही है, तो मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को कहना है कि इस भूमि को चरागाह से हटाकर यूआईटी में दिलायें और यूआईटी का काम जारी कराएं। राजस्व मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष: आप करेंगे रिस्पोंड?

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय राजपाल सिंहजी कह रहे थे कि यह मामला जो चित्तौड़ के नगर का है...

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): राजपाल सिंहजी पधार गये हैं। आप दो न, साहब।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): पधारो-पधारो। यह उन्हीं के सम्बन्धित है।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): दोनों मिल कर दे दो न, साहब।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): वो दे रहे हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही कि जो अरबनाइजेवल एरिया है उन एरियाज के अन्दर जो भी राजस्व की है चाहे वह सिवाय चक हो, चाहे वह चरागाह हो, अपने-आप वेस्ट कर जाती है और इस प्रकार का एक सर्कूलर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का 2010 का, जिसमें है, "All Government land failing within the Urbanizable limits of Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Urban Improvement Trust and Municipalities shall be transferred to Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Urban Improvement Trust or Municipalities, as the case may be."

लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ जगमाल सिंह बनाम पंजाब और उसमें यह निर्णय किया गया कि चरागाह भूमियों जोहड़, पायतन और तालाबों की भूमि में से निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिए दी गयी भूमियां अर्थात् किये गये आबंटनों को अवैध माना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो लैंड का ट्रांसफर है रेवेन्यू

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

से अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को जोधपुर डवपलमेंट ऑथोरिटी को, यह बेसिकली आबंटन नहीं है और यह आबंटन नहीं है और खास तौर पर किसी निजी उपयोग के लिए और व्यावसायिक उपयोग के लिए आबंटन नहीं है। यह सुओमोटो जमीनें जेडीए अर्थात जेडीए में और यूआईटीज में वेस्ट कर जाती हैं। ट्रांसफर ऑफ लैंड है और जब तक जमीन का किस्म परिवर्तन नहीं होता है तब तक उसका उपयोग न तो निजी कार्यों में हो सकता है न उसका कामर्शियल उपयोग हो सकता है और न किसी और प्रकार का उपयोग हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चरागाह जमीन के अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में, जेडीए में, जोडा में वेस्ट करने के बाद किस्म परिवर्तन के तीन तरीके हैं। एक तरीका है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाए और किस्म परिवर्तन करायें। दूसरा तरीका है कि नये सैटलमेंट ऑपरेशंस के दरमियान जमीन की किस्म बदल जाए और तीसरा तरीका है कि जिस प्रकार जयपुर डवलपमेंट ऑथोरिटी में एक कानून है जिस कानून के तहत किस्म बदलने का अधिकार है और उस अधिकार के कारण जगमाल सिंह बनाम पंजाब के केस का निर्णय उन पर लागू नहीं होता। उसी प्रकार का प्रोविजन यूआईटी के एक्ट में भी किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व विभाग को ऐसी सारी भूमियों का हस्तांतरण तुरन्त प्रभाव से यूआईटीज को कर दिया जाना चाहिए, जेडीए को कर दिया जाना चाहिए और हस्तांतरण होने के बाद तीन तरीके से जैसा कि मैंने कहा कि किस्म परिवर्तन हो सकता है, इनके प्रोविजन अभी नहीं है। यूआईटी एक्ट में फिलहाल इसका प्रोविजन नहीं है। चित्तौड़ में यूआईटी है, ऑथोरिटी नहीं है इसलिए यह प्रोविजन नहीं है। तीन तरीके हैं जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया जिनके आधार पर उस चरागाह जमीन को जो यूआईटी में वेस्ट कर गयी है, उसका किस्म परिवर्तन हो सकता है। इन तीनों को हम एग्जामिन करा लेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से तीनों को एग्जामिन करने के पश्चात् जो सबसे ज्यादा सुटेबल मैथड़ होगा, सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग और सस्टेनेबल मैथड़ होगा, उसके आधार पर इन चरागाह भूमियों का किस्म परिवर्तन करने के बाद डिस्पोजल करने का अधिकार यूआईटीज को दे दिया जाएगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप परमिट करें तो, यह विषय गम्भीर है और राजस्थान लेवल का विषय है।

(श्री जोगाराम पटेल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह विषय जो है वह पूरे राजस्थान से सम्बन्धित है। हर गांव में गांव के बाहर आबादी बसती है वहां ओरण होगा, आगोर होगा, गोचर होगा, पायतन होगा। सरकारी विद्यालय हो, होस्पिटल हो या कोई भी पब्लिक यूटिलिटी की बिल्डिंग हो वे नहीं बन पा रही है क्योंकि चाहे ग्राम पंचायत है, चाहे वो नगर निगम है, चाहे वो जेडीए है या नगरपालिका वह अलाटमेंट नहीं कर पा रही है। जिस विषय को माननीय मंत्री महोदय आपको एग्जामिन करना है वह सैक्शन-16 है, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का सैक्शन-16 डी यह बात करता है कि अगर कोई पास्चर लैंड है तो वो कन्वर्टेबल नहीं है या अलाटेबल नहीं है, लेकिन उस वर्ड को गलत पकड़कर कि गोचर है वो अलग पकड़ दिया। ओरण, आगोर, वगैरह पकड़ दिया उसमें वह वर्ड नहीं है। सिर्फ दो जजमेंट हैं जिसकी वजह से यह प्रोब्लम पैदा हो रही है ये अलाटमेंट नहीं हो पा रहे हैं। एक वह अब्दुल रहमान का केस है नागौर का जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। वह डीबी में जाकर के सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब्दुल रहमान बनाम स्टेट आफ राजस्थान और दूसरा जिस केस का वर्णन, पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट का आपने वर्णन किया। मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान सरकार ने एएजी से राय मांगी थी और एएजी ने स्पष्ट रूप से राय आपको भेजी कि जहां ज्यों ही कोई लैंड एग्री कल्चर डिपार्टमेंट से या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अरबन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो जाती है Either it may be a Suo matu or either it may be transfer of any mode of transfer. तो वह लैंड उस नेचर की नहीं रहेगी, यह एएजी की राय थी और आपके मांगने पर यह राय दी गयी थी, तो मेरा निवेदन है कि इसको अगेन एग्जामिन करायें चाहे किसी भी मोड से आप ट्रांसफर मानें, जब वह जमीन एक्चुअल उस परपज से यूज ही नहीं हो रही है, पिछले पचास-साठ साल से भी यूज नहीं हो रही है या आबादी बसी हुई है या वहां स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, हास्पिटल की बिल्डिंग बनी हुई है, पर उसके बावजूद भी सिर्फ टैक्निकल वजह से या आपके अधिकारी उसको पूरा गहनता से एग्जामिन नहीं करा रहे हैं, इसी वजह से समस्या पैदा हो रही है। मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान लेवल पर एक जगह नहीं है, हर जनप्रतिनिधि को, हर अधिकारी को समस्या आ रही है। चाहे मैं स्कूल का रूम अलाट करवाऊं, चाहे मैं अस्पताल की जमीन अलाट करवाऊं, चाहे मैं आंगनबाड़ी का केन्द्र अलाट करवाऊं, कहीं भी नहीं होता इसलिए सैक्शन 16-डी में जो पाश्चर वर्ड यूज है उसको आप

(श्री जोगाराम पटेल)

लेवें, जब राजस्थान टीनेंसी एक्ट में ही बार नहीं है तो दूसरे जो जजमेंट है उसको रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कराएं और रिव्यू पिटीशन फाइल कराएं या इसको थ्योरोली एग्जामिन कराएं। मेरा इसमें निवेदन है कि पिछले कार्यकाल में माननीय वसुंधराजी ने एक कमेटी अपाइंट की थी, उस कमेटी की डिटेल रिपोर्ट आई थी कि जो जजमेंट इसमें एप्लाई नहीं हो रहे है, पर एक गलत रूप से प्रसीडेंट कायम हो गया है कि हम तो गोचर है, आगोर है इसलिए हम तो कर ही नहीं सकते। जबकि गोचर के अगेंस्ट में गोचर देकर आपके सर्कूलर के अनुसार गोचर के अगेंस्ट में ...

श्री उपाध्यक्ष: It's Ok. I think your point has been well made.

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): थैंक यू, सर।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें थोड़ा-सा ...

श्री उपाध्यक्ष: In Parchi, I can't allow but anyway in case if it is...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मेरा एक ही निवेदन है, जैसे मंत्री महोदय ने कहा कि यूआईटी में आने के बाद में उसकी किस्म परिवर्तन करने का अधिकार रेवेन्यू में नहीं रहता है, That is the Urban land. ऐसी चरागाह जमीन या सिवायचक जमीन, जो माननीय सदस्य ने उठाया वह धनेतकलां गांव का है और धनेतकलां पंचायत में वहां पर 50 सौ पट्टे कटे हुए हैं। काफी फर्जी पट्टे थे मैं जब वहां से विधायक था, वह कैंसिल हुए हैं। वह, already it is being put to use for residential purposes. और सैट अपार्ट की हुई लेकिन सैट अपार्ट करने के बाद 2009 में एक ऐसे जिलाधीश रहे जिन्होंने एक आर्डर से कई खातेदारी और दूसरी जमीन थी उनको सबको सिवायचक लिख दिया उसके कारण से यह दुविधा पैदा हो रही है और यूआईटी एक्ट अमेंड अब करना चाहिये क्योंकि परपज है जब तक आप उसको डिफाइन नहीं करेंगे तो उसमें बैठेगा नहीं, मंत्रीजी यह तो आपको ही पुटअप करना है, दूसरा कौन करेगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने सही कहा कि अब्दुल रहमान का मामला हो, चाहे जगमाल सिंह का मामला हो और इसी बीच में एक केस सीकर का हुआ जिसमें हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि चरागाह की भूमि पर कोई रेजिडेंशियल स्कीम नहीं काटी जाय। उस निर्णय के आधार पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

ने, बाकी डिपार्टमेंट ने जमीनों का ट्रांसफर करना बंद कर दिया। चित्तौड़ में जमीन अभी ट्रांसफर हुई है और यह बात सही है कि जहां चित्तौड का ताल्लुकात है, चित्तौड़ की नरपत की खेड़ी, बोरियाना, पाड़ौली, धनेतकला, धनेतुखुर्द, गांव ढगला और खेड़ा, वहां पर एक कलक्टर साहब ने बहुत बड़े पैमाने पर एक साथ सिंगल आर्डर से जमीन को चरागाह कर दिया। मैं अभी चित्तौड़ गया तो लोगों ने मुझे उसकी जानकारी दी, यह बात सही है। मैं इस माध्यम से केवल यही निवेदन करना चाहता हूं...

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): मंत्री महोदय, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ दोनों जिलों में मिलाकर साढ़े पांच हजार हैक्टेयर जमीन बिना नाम से गोचर में की गई।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कलक्टर के एक आर्डर ने इन सारी जमीनों को चरागाह कर दिया। मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाह रहा था कि सीकर के जजमैंट की आड़ को लेकर अभी तक 2010 का सर्कुलर जो कैटेगरिकली कहता है जो अरबनाइजेबल लिमिट में जमीन चली गई है उन जमीनों का ट्रांसफर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इमिजिएटली यूआईटीज को, जेडीए को कर देना चाहिये लेकिन उस ट्रांसफर में काफी देरी आई है। चित्तौड़ के इस मामले में जैसा आप निवेदन कर रहे हो राजस्व विभाग ने ट्रांसफर नहीं की, मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब सर्कुलर आपके विभाग का है उस सर्कूलर के माध्यम से इमिजिएटली जितनी भी अरबनाइजेबल लिमिट में चाहे सिवाय चक की जमीनें हों, चाहे गोचर की जमीनें हों, उन्हें इमिजिएटली आप ट्रांसफर कर दें। ट्रांसफर करने के बाद जैसा कि विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि अरबनाइजेबल लिमिट में आने के बाद लैंड यूज बदलने का राइट मास्टर प्लान के अनुसार अरबन डवलपमेंट अथोरिटी को है, अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को और कानून के आधार पर और कानून के आधार के अलावा उसमें कोई और परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी, उस परिवर्तन के आधार पर उन जमीनों की किस्म का परिवर्तन करके उसको अरबनाइजेबल लिमिट में उपयोग के लिये परमिट कर दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भीमा भाई।

कुशलगढ़ में सड़कों की स्वीकृति व चौड़ाईकरण

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से

(श्री भीमा भाई)

मुझे बोलने का मौका मिला उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, कुशलगढ़ विधान सभा राजस्थान के दक्षिण अंचल में है उसके एक तरफ तो गुजरात की सीमा लगी हुई और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सीमा है। कुशलगढ़ क्षेत्र सड़कों के बारे में काफी पीछे है और यह कोई नई बात नहीं है कि आज ही पीछे है। कुशलगढ़ क्षेत्र को हमेशा राजनीतिक भेदभाव की दृष्टि से देखा गया है। लम्बे समय से कुशलगढ़ क्षेत्र सड़कों के बारे में काफी पीछे है। पिछले पांच साल में जब कांग्रेस की सरकार थी तब कुशलगढ़ क्षेत्र में खड्डे के नाम पर भी एक पैसा नहीं दिया, पांच साल से एक भी खड्डा नहीं भरा, वाह वाही लूटते रहे लेकिन सड़कों के मामले में किसी भी तरह से कोई पैसा नहीं दिया और न सड़कों का काम किया। अभी सवा दो साल पहले हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद कुशलगढ़ क्षेत्र में साढ़े आठ सौ किलोमीटर के करीब ग्रामीण सड़कें बनी हुई थीं लेकिन सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी थी। गुजरात की सीमा को जोड़ने वाली सड़क+मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से खुर्द बुर्द हो चुकी थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को उन्होंने मेरे क्षेत्र में करीब 50 किलोमीटर सड़क नोन पैचेबल सड़क और रिन्युएबल सड़क मिलाकर, पिछले दो साल में सैंक्शन की और उनका काम पूरा हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आये दिन कुशलगढ़ के लोगों को गुजरात में जाना पड़ता है और गुजरात को जोड़ने वाली स्टेट के जमाने से बनी हुई थी, वह तीन मीटर चौड़ी है। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। पिछले साल हमारी सरकार के मंत्री महोदय ने मुझे 7 किलोमीटर डूंगरा से खेताबर तक जो सैंक्शन दी उसमें वही 3 मीटर चौड़ी की सैंक्शन हुई। गुजरात में जाने के लिये बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है, आये दिन वहां पर कई प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि 7 किलोमीटर की सड़क जो पिछले साल वहां दी और बनाई गई वह मात्र 3 मीटर चौड़ी है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि उस सड़क का चौड़ाईकरण करने के लिये मुझे सैंक्शन मिले ताकि कम से कम गुजरात में जाने के लिये उन लोगों को सुविधा हो सके।

साथ ही कुशलगढ़ से मध्य प्रदेश मेघ नगर को जोड़ने वाली सड़क जो भैरू पछाड़ के नाम से जानी जाती है। यानी गढ़ी, भिलुढा अन्तर स्टेट हाई वे के नाम से वह सड़क बनी हुई है। भैरू पछाड़ रास्ते को जोड़ने के लिये मात्र साढ़े तीन किलोमीटर इतनी खराब सड़क हो गई है। हमारी एक मुख्य सड़क है

(श्री भीमा भाई)
जो मेघनगर ट्रेन को जोड़ती है, दिल्ली मुम्बई ट्रेन का मार्ग है अगर साढ़े तीन किलोमीटर उस सड़क की सैंक्शन मिल जाती है तो कुशलगढ़ के लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। ट्रेन को जोड़ती है वह सड़क।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं आग्रह करना चाहूंगा कि कुशलगढ़ से रतलाम की तरफ जाने वाली सड़क की 30 किलोमीटर लम्बाई है और पिछले साल नोन पैचेबल में मंत्री महोदय ने मुझे 10 किलोमीटर की सैंक्शन दी थी लेकिन 20 किलोमीटर सड़क की स्थिति आज भी उतनी ही खराब है जिसको 10 किलोमीटर हमने बनाई है उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो 20 किलो मीटर सड़क है वह अगर नोन पैचेबल में वापस सैंक्शन हो जाती है तो मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली जो सड़क है उस सड़क को ठीक करके वहां के लोगों को सुविधा हो सकती थी।

साथ ही जिले को जोड़ने वाली जो सड़क है भोयन घाटी से टिबेड़ा वह सड़क भी काफी खराब है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा और उम्मीद करना चाहूंगा वह 9 किलोमीटर सड़क है वह भी अगर सैंक्शन हो जाती है तो कुशलगढ़ को जिले से जोड़ने वाली सड़क से फायदा मिल सकता है। साथ ही गामदा के नाम से सड़क जिले को जोड़ती है और उस सड़क पर आये दिन कई प्रकार के एक्सीडेंट, कई प्रकार की मुसीबतें होती रहती हैं। उस सड़क को भी अगर रिन्युएबल में लेकर कुशलगढ़ तक गामदा सड़क को भी जोड़ा जाये ताकि जिले में जानी वाली सड़क से भी लोगों को राहत मिल सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाले समय में कुशलगढ़ की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित हो और अधिक से अधिक कुशलगढ़ में नोन पैचेबल रिन्युएबल के नाम से पैसा मिले ताकि वहां के लोगों को सुविधा हो सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह यादव।

भिवाड़ी (अलवर) में बिल्डर्स द्वारा बुकिंग के बाद भी कब्जा नहीं देना

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत दस वर्षों में जिस तरह से रियल एस्टेट में प्रोपर्टी का काम बढ़ा, राजस्थान में सब जगह ही प्रोपर्टी के भाव बढ़े लेकिन अलवर जिला चूंकि

(श्री रामहेत सिंह यादव)

दिल्ली के नजदीक है उस कारण से जो रियल एस्टेट कारोबारी थे, वो बहुत बड़ी संख्या में अलवर जिले में भिवाड़ी, नीमराना, अलवर, लगभग हर क्षेत्र में वो आए और बड़े लोक-लुभावने नारे देकर अपने प्रोजेक्ट को विज्ञापनों के माध्यम से जनता के मन यह बैठा दिया है कि इनका अच्छा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये आवासीय कालोनी, आवासीय फ्लैट, बंगला, प्लाट सस्ते दर पर मिलेंगे और उन्होंने सी.एल.यू. भी कराया और कुछ जमीन पर कब्जा लेकर आफिस बनाकर उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया लेकिन हकीकत में, उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं था।

मैं कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं भिवाड़ी में एमटेंक प्राइवेट डवलपर आया, उन्होंने अपना आफिस खोला लेकिन खुद के नाम से कोई जमीन नहीं खरीदकर शंभु नाथ प्रोपर्टी, ओंमकारेश्वर, इलेवन फ्लोर, इस तरह की अपनी संस्था बनाकर उन्होंने जमीनें खरीदीं लेकिन एमटेक के नाम से बुकिंग की। यही नहीं, एक मैसर्स ड्रीम लैंड प्रोमोटर एंड कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड आया, उन्होंने भी डांगनहेरी तिजारा के पास अपना एक ड्रीम लैंड आवासीय प्रोजेक्ट बनाया और 2009 में उन्होंने अपनी बुकिंग शुरू की। इसी तरह से पार्श्वनाथ की एक लाइफस्टाइल सिटी तिजारा के अन्दर आयी। अरूणेश्वर बिल्डर भिवाना अभनपुर तिजारा में आया, पीयूष ग्रुप ततापुर में आया। सभी ग्रुप्स ने अपने प्लाट-फ्लैट के लिए बुकिंग की, लेकिन बुकिंग होने के बाद किसान का पैसा, जो सस्ते दाम पर 10-15 लाख रूपए में जमीन खरीदी, एग्रीमेंट किया और उसी आधार पर उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पेश कर दिया। किसान भी परेशान रहा उसकी रजिस्ट्री भी नहीं कराई और उस बुकिंग के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर ना तो प्लाट बनाए, ना फ्लैट दिए ना बंगला दिया बल्कि यही नहीं किया अपने प्रोजेक्ट को..। जैसे ड्रीम लैंड प्रमोटर ने आकर क्रिस ग्रुप को डांगनहेरी में अपनी जमीन बेच दी, ग्लोबल रियल एस्टेट को बेच दी इसी तरह पार्श्वनाथ ने एब्लोन को बेच दिया, जो कि भिवाड़ी बाइपास पर बना है और अन्य ग्रुप भी इस तरह से बेचते रहे लेकिन बुकिंग के लिए जिसने अपना पैसा जमा कराया, ना तो फ्लैट मिला ना पैसे वापिस मिले। काश्तकार को पैसे पूरे नहीं मिले और काश्तकार जमीन के लिए उसके पीछे घूमता रहा कि आप रजिस्ट्री करा लीजिए। तीन साल निकालने के बाद काश्तकार ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई और किसी दूसरे को बेची तो उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करा दी और जब बिल्डर्स के खिलाफ जिन्होंने बुकिंग कराई थी, उन्होंने एफ.आई.आर. दर्ज कराई तो यहां भी सौतेला व्यवहार हुआ। काश्तकार का ऐसे केसेज में

(श्री रामहेत सिंह यादव)

जिसमें काश्तकार के एग्रीमेंट के आधार पर एफ.आई.आर. हुई, उनके खिलाफ कार्यवाही हुई, उनका चालान हुआ और बिल्डर के खिलाफ किसी बुकिंगकर्ता ने अपनी कंपलेंट कराई, एफ.आई.आर. दर्ज कराई तो उसमें संभवत: सभी केसेज में सिविल नेचर का मानते हुए पुलिस ने एफ.आर. लगा दी।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक नहीं बीस-तीस हजार ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे पैसे बुकिंग के नाम पर लिए गए लेकिन बिल्डर्स ने उन्हें ना तो ब्याज सहित पैसा लौटाया और पैसा ही नहीं, उस भूमि को बेचकर दूसरे बिल्डर को देकर चले गए। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैसर्स ड्रीम लैंड प्रमोटर एंड कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके एम.डी. मिस्टर पवन कुमार भड़ाना है। जिसका आफिस नोएडा, उत्तर प्रदेश में है, वे डांगनहेड़ी में एक प्रोजेक्ट लाए, 2009 में श्री डी.के. शर्मा पुत्र श्री डी.एस. शर्मा जो कि दिल्ली के रहने वाले थे उन्होंने एक प्लाट की, जिसकी कुल राशि 6 लाख 15 हजार 300 रुपए जमा करा दी। इसमें से 5 लाख 86 हजार रुपए, 95 परसेंट राशि उन्होंने जमा करा दी। सिर्फ 5 परसेंट राशि उसको और देनी थी। उससे एक हमारे क्षेत्र की बेवा महिला ने उसको खरीद लिया और बाकायदा उन्होंने निवेदन किया कि मैंने आपका यह रजिस्ट्रेशन है मैंने इस प्लाट को खरीद लिया, इसको मेरे नाम स्थानांतरित कर दें, सूचना दे दी। लेकिन 2012 में सूचना देने के बाद 2013 को वो अपनी इस कम्पनी को ग्लोबल रियल एस्टेट को बेच गये। ऐसा यह एक उदाहरण नहीं है लगभग बीस-तीस हजार लोग हैं जिन्हें बुकिंग के बाद ना तो प्लाट मिला, ना फ्लैट मिला। बंगला अगर किसी ने बुक कराया तो उसे नहीं मिला। एक प्राइवेट बिल्डर दूसरे ग्रुप को बेच गया और बेचते समय यह किसी तरह की मानिटरिंग नहीं हुई कि जिसने प्लाट की बुकिंग की है, जिसने फ्लैट बुक किया है, जिसने राशि पेमेंट कराई बल्कि जो सस्ते दामों पर ली थी उसको तीन-तीन चार-चार करोड़ बीघा के हिसाब से उसको दे गए।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग हैं जिसको यू.डी.एच. से इन्होंने सी.एल.यू. कराया है, क्या सरकार इसमें कोई मानिटरिंग करती है? क्या ऐसे प्रकरणों में सबकी सामूहिक रूप से जांच कोई ए.सी.डी. से, सी.आई.डी. से या कोई जांच कमेटी बनाकर उसमें जांच कराने का आप इरादा रखते हैं? जिस तरह से लोगों से धोखाधड़ी हुई है और एक बिल्डर दूसरे को

(श्री रामहेत सिंह यादव)

अपने ग्रुप को बेच जाता है तो इन बुकिंग कराने वाले लोगों के साथ जो अन्याय हुआ, इनको न्याय कैसे मिले, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पूरे एन.सी.आर. के अन्दर रियल एस्टेट की और कंसट्रक्शन की एक्टिविटी बहुत तेज हुई है। यह बात भी सही है कि राजस्थान से बाहर के कई बिल्डर भिवाड़ी में, नीमराना, शाहजहांपुर और बहरोड़ में काम कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि तहसील भिवाड़ी के तहत भवन, जिनमें 2013 के अनुसार किसी भी परियोजना में भवन निर्माण स्वीकृति उपरांत ही आवासों की बुकिंग किये जाने का प्रावधान है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक नक्शा पास नहीं होता तब तक बिल्डर को उस प्रोजेक्ट के लिए बुकिंग करने का अधिकार नहीं है और बिल्डिंग का नक्शा पास करने से पहले किसी बिल्डर ने अगर बुकिंग की है, किसी बिल्डर ने कोई विज्ञापन देकर लोक-लुभावन नारों के साथ लोगों के साथ बुकिंग की है तो ऐसी स्थिति में जो केस बनता है वो क्रिमिनल केस बनता है, धोखाधड़ी का केस बनता है और उस केस का सम्बन्ध यू.डी.एच. डिपार्टमेंट से नहीं है। यू.डी.एच. डिपार्टमेंट, तो नक्शा पास करने के बाद उसका पांच साल के अन्दर निर्माण करना होता है और उस पांच साल के निर्माण के अन्दर दो साल का एक्सटेंशन दे सकते हैं। अगर किसी ने काश्तकार से जमीन परचेज की है जमीन परचेज करने के बाद उसके पूरे पैसे का पेमेंट नहीं किया है, भूमि का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उसमें यू.डी.एच. डिपार्टमेंट बीच में नहीं आता। यह सीधा-सीधा केस है जो कि क्रिमिनल आफेंस है। इसके तहत एफ.आई.आर. दर्ज होगी और एफ.आई.आर. दर्ज के बाद पुलिस को इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा।

जहां तक आपने इस बात की चर्चा की है कि कई और कम्पनियां आ रही हैं, जो बुकिंग करके भाग रही हैं, जा रही हैं, इसकी अगर आप कम्पोजिट शिकायत मेरे यहां पेश करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी अपने स्तर पर हम जांच करा लेंगे कि इस प्रकार से विज्ञापन देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का सुनियोजित प्रयास किया है लेकिन केस फिर भी क्रिमिनल बनेगा। हमारे यहां तो केस केवल तब बन सकता जब पांच साल तक उस निर्माण की अवधि

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

में बिल्डर निर्माण नहीं करे, नक्शा पास करने के बाद में, बुकिंग करने के बाद 7 साल गुजर जाने के बाद भी जब वह लोगों को मकान नहीं आबंटित करे। अगर उसने ब्रोशर पर कम टाइम के लिए कमिटमेंट दिया है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान होगा गयी बार हम विधान सभा के अन्दर एक अपार्टमेंट आनरशिप बिल लेकर आए। यह अपार्टमेंट आनरशिप बिल इसीलिए लेकर आए। अभी वो राष्ट्रपतिजी की कंसल्ट के लिए दिल्ली पड़ा हुआ है। राष्ट्रपतिजी की कंसल्ट के बाद लागू होगा। अभी दस-पंद्रह दिन पहले दिल्ली के अन्दर रियल एस्टेट रेगुलेटरी का एक्ट आया है। यह एक्ट इसीलिए आया है कि जो लोग इस रियल एस्टेट सैक्टर के अन्दर एडवरटाइजमेंट निकालकर धोखाधड़ी करते हैं लेकिन वो तभी हो पाएगा जब वो एक बार यू.डी.एच. डिपार्टमेंट के परव्यू में आएगा। अगर किसी ने जमीन खरीदी है और जमीन का पेमेंट नहीं किया है तो यू.डी.एच. के परव्यू में तो आया नहीं वो। एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है, एग्रीकल्चर लैंड का पेमेंट नहीं किया है, एग्रीकल्चर लैंड का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और ये काम हुआ है। तो यह धोखाधड़ी का केस है फोरजरी का केस है । इसके लिए पुलिस काम्पीटेंट है। मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि अगर इस प्रकार के केसेज के बारे में पूरी जानकारी हम देंगे तो यू.डी.एच. के कानूनों के आधार पर जिस प्रकार से हम उनकी हम जांच कर सकते हैं, उसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद हमें लगेगा कि सचमुच धोखाधड़ी हुई है तो हम निश्चित रूप से पुलिस डिपार्टमेंट को हमारी ओर से भेजेंगे।

आपके यहां भी एफ.आई.आर. दर्ज होगी, मैं समझता हूं कि एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद जो काम होगा वह काम यू.डी.एच. डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। एक मामला भिवाड़ी का है जिसके अन्दर लोगों ने बुकिंग कर ली, बुकिंग करने के बाद लाटरी निकल गयी, वह अफोर्डेबल हाउसिंग का मामला है। उसके बारे में आपने चर्चा नहीं की लेकिन वह सच ए फाल्टर रियलिटी संस प्राइवेट लिमि. नाम की एक कम्पनी है जिसने 400 मकानों के निर्माण की बात की। मकानों का निर्माण किया लेकिन निर्माण पूरा नहीं किया। जिन लोगों को हमने लाटरी के माध्यम से अलाटमेंट किया उनको अलाटमेंट नहीं मिला है, उस कम्पनी को हमने नोटिस दे दिया है। नोटिस देने के बाद कम्पनी ने नोटिस के आधार पर कार्यवाही नहीं की तो हम उस प्रोपर्टी को आने वाले एक महीने के अन्दर-अन्दर कान्फिसकेट कर देंगे। जिस सारे

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मामले की आपने चर्चा की है, जिन बिल्डर्स का, डवलपर्स का आपने नाम लिया है वह बिल्डर्स और डवलपर्स ने बुकिंग की है, कम्पनी बेच दी है, जमीन वाले को पेमेंट नहीं किया, बुकिंग कर ली बिना नक्शे पास कराये, यह सारे के सारे मामले सीआरपीसी के एक्ट में, सीबीसी एक्ट के दायरे में आएंगे। यह नगरपालिका, नगरीय विकास के क्षेत्र में नहीं आएंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जब वह एक बिल्डर दूसरे किसी कम्पनी को अपना सारा बेच जाता है तो क्या ऐसा प्रोवीजन नहीं है क्या कि जितनी बुकिंग हुई है वह भी उसकी लाइबिलिटी में उसके साथ जाए ?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरीय विकास से इसका सम्बन्ध कम है। जब भी कोई कम्पनी टेक ओवर होती है, या कोई कम्पनी ट्रान्सफर होती है, या कम्पनी के शेयर बेचकर उसके डायरेक्टर्स में बदलाव होता है तो यह बड़ा आबवियस है कि उस कम्पनी की लाइबिलिटी और असैट्स दोनों ट्रान्सफर होती है। उस कम्पनी के कमिटमेंट है वह कमिटमेंट भी ओनर किए जाते हैं, कमिटमेंट ओनर नहीं होता तो कम्पनी एक्ट में प्रोवीजन है। आज सीआरपीसी, आईपीसी में जब इस बात का प्रोवीजन है तो मैं समझता हूं उसमें रेमिडी नगरीय विकास मंत्रालय के अन्दर नहीं होगी। वह कम्पनी एक्ट का मामला होगा, वह क्रिमिनल एक्ट का मामला होगा। यह बड़ा आबवियस है कि कम्पनी के ट्रांसफर के साथ-साथ कम्पनी की लाइबिलिटी और असैट्स दोनों साथ-साथ ही ट्रांसफर होती है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लगभग 25 हजार से अधिक ऐसे लोग हैं जो इस तरह से, इन बिल्डर्स द्वारा चीटिंग की गई है, फ्लैट भी नहीं दिए, उनके पैसे भी, इस तरह से कर रखा है।

श्री उपाध्यक्ष: यह लिमिटेड कम्पनीज हैं क्या ? लिमिटेड कम्पनीज हैं जिनकी आप बात कर रहे हो ?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है।

श्री उपाध्यक्ष: देखिए इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है तो आर ओ सी से गवर्न है पब्लिक लिमिटेड कम्पनी और

(श्री उपाध्यक्ष)

आपको कोई कम्पलेंट करनी है तो SEBI is the Authority. These are the two Authorities, उसके बावजूद फ्राड हुआ है तो

Department of Home Affairs is the Institution which will take care of it.

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): गृह मंत्रालय क्या सोचता है ऐसे मामले में, किसान पर तो चालान होगा।

श्री उपाध्यक्ष: गृह मंत्रालय को आप विधिवत अपने दस्तावेज सौंपे, फिर वह क्या सोचते हैं वह उस पर रिएक्ट कर जाएंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक निवेदन था कि राजस्थान में जो रजिस्टर्ड कम्पनीज नहीं हैं, बिल्डर्स बाहर से आ रहे हैं, जैसे आपके कान्ट्रेक्टर को रजिस्टर्ड करते हैं उन्हीं का नक्शा पास होगा, उन्हीं को यहां करने दिया जाएगा, तो यहां पर फ्राड कम होगा। बाकी एन.सी.आर. में तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा उसमें फ्राड हो रहा है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी की चिंता करते हुए अभी दिल्ली में जो रियल एस्टेट के मामले में जो एक्ट पास हुआ है, जिनका रेक्टिफिकेशन वेरियल असेम्बली के माध्यम से किया जाएगा उसके बाद जितने भी डवलपर्स होंगे, जितने भी डवलपिंग कम्पनी की ऐसी कन्स्ट्रक्शन कम्पनीज होंगी उनको काम करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसकी रेगुलेटरी अथोरिटी होगी। अपार्टमेंट आनरशिप बिल के अन्दर, इन चीजों की चिंता की है उनको कवर करने की कोशिश की है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री छोटू सिंहजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, गृह विभाग का काम तो उस समय आएगा, जो इफेक्टेड पार्टी हैं जिसका शोषण हुआ है या जिसके साथ फ्राड हुआ है उसके द्वारा कोई मुकदमा दर्ज होगा तो पुलिस की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। लेकिन प्रारम्भिक स्टेज पर, जहां उसके बारे में नक्शे पब्लिश कर रहा है या रोज वह प्लाट को बेचने के एडवरटाइजमेंट दे रहा है तो जिस एरिया की वहां संस्था है, स्वायत्त शासन है, या पंचायत है वह उसके बारे में कोई बात कहेगी तभी हम कार्यवाही कर पाएंगे। बिना किसी के कहे हम कार्यवाही करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी मामले में एक एफ.आई.आर. भी दर्ज है टपूकड़ा थाने में।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय को दे देना।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): मैं माननीय मंत्रीजी को दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी को दे देना It is more or less now on record. So why are you worried about it?

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से जैसलमेर जिले के राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र में...

श्री उपाध्यक्ष: छोटू सिंहजी अगली बार आप समय पर स्थान पर रहेंगे। वर्ना दुबारा यह उदारता नहीं बरती जाएगी।

जैसलमेर जिले के राष्ट्रीय मरु उद्यान में बसे गांवों में मूलभूत सुविधाएं

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय मैंने ऐसा सोचा कि पर्ची के माध्यम से तो हमेशा दो-दो घंटे लगते आए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सोचा कि इसमें समय लगेगा, इसीलिए लेट हो गया। क्षमा करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मंत्रीजी से जैसलमेर जिले के उस राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र में बसे हुए गांवों की मूलभूत सुविधा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जैसलमेर और बाड़मेर जिले में 1980 में मरु उद्यान अभयारण्य की प्रथम अधिसूचना जारी हुई, 1981 में यह डेजर्ट नेशनल पार्क अधिसूचना जारी की गई। इसमें 1400 वर्ग मीटर बाड़मेर क्षेत्र था और 1762 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर था, टोटल 3100 वर्ग किलोमीटर दोनों ही जिलों का यह क्षेत्र आता था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर में 34 गांव और बाड़मेर में 39 गांव थे। इसकी स्थापना के बाद वहां के निवासियों ने इसकी पक्षवार सुनवाई के लिए भी, 1998-99 में बताई गई सरकारी प्रक्रिया, इसमें अधिसूचना 18 से 20 वर्षों में सुनवाई केवल कागजों में ही बढ़ाई चढ़ाई गई। डी.एन.पी. द्वारा रोजमर्रा के सभी कार्यों में रोक, मूलभूत सुविधा से वंचित करने का प्रयास किया। डी.एन.पी. क्षेत्र में किसान ट्यूबवैल नहीं खोद सकता, सड़क नहीं बना सकता, बिजली नहीं ले सकता, पानी की लाइन नहीं ले सकता, यहां तक की आज की सुविधा टेलीफोन टावर भी वहां नहीं लग सकता।

(श्री छोटू सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किसी युग की बातें हैं। इस विभाग द्वारा कागजों में बड़ी-बड़ी अच्छी भाषाएं लिखी जा रही हैं, रोड बन सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2011 में यह सैंक्शन पीएमजीएसवाई द्वारा भी ग्राम पंचायत सिडार के गांव में आयी, वहां रोड नहीं बनने दी। ग्राम पंचायत बिरसाल्या में 2012-13 में कृषि मण्डी के द्वारा रोड की सैंक्शन आई, तो उसको रिन्युअल भी नहीं कर सकते। वहां के लोगों के साथ, डी.एन.पी. के जो बड़े कर्मचारी हैं, गार्ड हैं, वहां के डीएफओ, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यह नहीं कहते हैं कि डी.एन.पी. क्षेत्र हटना चाहिए। उन पक्षियों से हमें भी प्रेम है और आपको भी प्रेम है। पक्षियों और पशुओं का, दोनों का मिलन है। ऐसे फोटोग्राफ है। ऊंट के ऊपर पक्षी बैठा हुआ विचरण करता है। गाय के ऊपर बैठा हुआ भी विचरण करता है, वहां रहता है। वहां 3100 स्क्वायर मील जो एरिया है, उस एरिया के अन्दर यह तो नहीं कि पक्षी वहां रह जाएगा, 1980 में जब गौडावण की सर्वे हुई थी, जियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया ने की थी तब 1500 गोडावण वहां थे। वापस दूसरी बार 2015 में जब सर्वे किया सुदासीर क्लोजर एरिया के अन्दर, तो केवल 130 बताई। क्या उस क्षेत्र में ऊपर से जाली लगती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि उस 31 हजार क्षेत्र में कोई ऊपर से जाली तो नहीं लगाई है जो पक्षी वहीं रह जाएगा। दुनिया भर का वहां खर्चा किया जा रहा है। पानी पी रहा है, जगह बताई जा रही है, कोई हार्न नहीं लगा सकता, सड़क पर चुपके चलना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय वहां के लोगों की कुछ सुविधाएं, जो आज से नहीं पीढ़ियों से रह रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय भी मैंने इसके बारे में खूब सारे प्रश्न भी किए थे, पर्ची के माध्यम से भी कहा लेकिन किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हुई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुदासीर के अन्दर 53 बीघा का, आईदान सिंह पीरदान सिंह करके किसान है, 1980 से आज तक उसको अन्दर नहीं घुसने दिया। कोई भी पत्र देने के लिए जाते हैं या आवेदन करते हैं, जाते हैं, फरियाद सुनते हैं तो साहब हो जाएगा। 1980 से 53 बीघा जमीन, बहुत बड़ी जमीन होती है, उसको किसी प्रकार की खेती नहीं करने दी। हमने यह भी निवेदन किया कि किसी भी तरीके से अगर आप उसमें जाने नहीं दे रहे हो तो दूसरी जगह जमीन दो।

(श्री छोटू सिंह)

(13.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये 2011 में डाक्टर रणजीतसिंहजी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मरु जीव बोर्ड के सदस्यों की एक कमेटी आई । उस कमेटी में डाक्टर भानुसिंह, निदेशक, काजरी के थे, मलखान सिंह विश्नोई, तत्कालीन विधायक, लूणी, जोधपुर के थे। राजपालसिंह और महेन्द्र सिंह व्यास एडवोकेट थे। डा. सैय्यद रहमानी निदेशक थे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक भी लिये गये, लेकिन यहां का, जैसलमेर का दुर्भाग्य ऐसा था कि कोई भी जन प्रतिनिधि उसमें नहीं था। हमें पता है कि उस क्षेत्र के अन्दर लोगों की क्या समस्याएं हैं। वहां के पशुओं का विचरण कैसे है, वहां पक्षी कैसे रह रहा है। जब 1980 में इतनी बड़ी तादाद में गोडावण था तो आज कम क्यों हुआ है। क्योंकि इनका जो ज्योलोजिकल सर्वे है, वह केवल उस क्षेत्र के अन्दर देख रहे हैं। पक्षी तो चारों तरफ उड़कर चला जाता है। उसको जगह नहीं है। पानी कहीं मिल जायेगा। यह 30 हजार स्क्वायर मील के अलग जो क्षेत्र है, वहां जो भी पानी का साधन है, चाहे तालाब है, चाहे डेयरी है, चाहे ट्यूबवैल है, वहां पी लेता है। वहां के लोगों का भी कोई आदतन गंदा काम नहीं है कि पक्षी को मारें। वे पक्षी से प्रेम रखते हैं। क्यों रखते हैं, उसका कारण है कि वहां के लोग पशुपालक हैं। पशुओं के जो चिंचड़े, चाहे गाय के हों, चाहे ऊंट के हों, चाहे बकरे के हों, तो वह पक्षी चुगते रहते हैं। इससे वे निरोग रहते हैं। इसीलिये भी प्रेम रखते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी। जिसमें सिफारिश यह की गई कि खातेदारी में सभी लाभ गांव वालों को मिलेंगे। आबादी भी बढ़ेगी, मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। कमेटी की सिफारिश थी और सिफारिश के अन्दर वहां के अधिकारियों को जानकारी दी गई थी, 2015 में जब राज्य वन्य जीव मण्डल द्वारा पांच सदस्यों की कमेटी बनाई गई, हमने ज्यादा फरियाद की तो इसमें मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, सेवानिवृत्त प्रधान वन संरक्षक, जोधपुर, दो सदस्य राज्य वन्य जीव बोर्ड के लिये गये। परन्तु कोई भी वैज्ञानिक प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं किया गया। जैसलमेर में तो कोई जन प्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता या पर्यावरण का कोई कार्यकर्ता, ऐसा मानकर कोई प्रतिनिधि उसमें भी शामिल नहीं किया गया, जो 2015 में किया है। समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि बाड़मेर में जो क्षेत्रफल आया है उसको छोड़ दिया जाये और जैसलमेर का बड़ा क्षेत्र है, उसको उसमें लिया

(श्री छोटू सिंह)

जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जैसलमेर की जनता के साथ बड़ा घोर अन्याय है। जब एक तरफ से आप कहते हो कि हमारे इस डी.एन.पी. क्षेत्र में पक्षी विचरण करते हैं वे बाहर नहीं जा सकते हैं। क्योंकि वहां रोड बनाओगे और कोई काम करोगे तो उनको डिस्टर्बेंस होगा। दूसरी तरफ से बाड़मेर के पक्षी, जैसलमेर कैसे लाओगे, क्या उनके पिंजरे हैं। पिंजरे तो नहीं हैं, जैसे तोता अन्दर रहता है, वैसे। एक तरफ से तो जैसलमेर के मूल गांव जो इस डी.एन.पी. क्षेत्र के बिलकुल पास में हैं उनको तो इतना निर्देशन किया जाता है कि आप खेत नहीं लगा सकते। आपको खातेदारी नहीं मिलेगी। आप किसी भी गाड़ी को फुल स्पीड पर नहीं चलाओगे, स्लो चलाओगे। दूसरी तरफ से गाय भी विचरण कराने नहीं जाओगे, खेती भी नहीं करोगे। एक तरफ से बाड़मेर के जो पक्षी हैं वे कौनसी विधा है कि जैसलमेर में आकर बस जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का घोर अन्याय जैसलमेर की जनता के साथ नहीं किया जाये। बाड़मेर की जमीनें बाड़मेर में रखी जाएं, जैसलमेर की जमीनें जैसलमेर में रखी जाएं। जो कमेटी ने निर्णय किया है, हम यह चाहते हैं कि हमारी खातेदारी जमीनें एक तरफ से आपने छुड़वाई थीं। दूसरे में, अभी एक कोर एरिया और बन रहा है। जिसमें भरणा गांव आता है, बीडा गांव आता है, जामड़ा गांव आता है। इन तीनों गांव के लोग पशुपालक और खेतिहर मजदूर हैं। गांव से बाहर बाजार तो नहीं है कि उसके बाहर नहीं निकल सकते। इस प्रकार का यदि कोर एरिया उन गांवों के पास बन जाएगा, उनका जीवन यापन मुश्किल हो जायेगा। मैं चाहता हूं, हम पक्षी से प्रेम करते हैं, मरु उद्यान क्षेत्र बोर्ड गया, उसमें भी कोई हर्जाना नहीं है। हम यह चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से जहां आबादी न हो, क्योंकि 31 हजार स्क्वायर मील का एरिया है, वहां आप एरिया बना दो, यदि बनाना ही है। यदि इनको भी शिफ्ट करना चाहते हो कि यहां पूरा क्षेत्र आबादी रहित है तो हमारे पास आलरेडी घुटरू के पास बहुत बड़ा, लम्बा-चौड़ा क्षेत्र पड़ा है। जैसलमेर में जमीन की कमी नहीं। हम तो वैसे भी देते आये हैं। चाहे डिफेंस हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे दूसरा भी कोई मरु क्षेत्र हो, हम देते हैं। वहां बसा दो, कोई प्राब्लम नहीं है। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से आप एक कोर एरिया बना रहे हो, जिसमें सिंह रहते हैं, शेर रहते हैं, भालू रहते हैं, ऐसे जानवर रहते हैं जो पब्लिक को

(श्री छोटू सिंह)

नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें तो एरिया बना दो, कोई प्राब्लम नहीं है। वे बाहर नहीं निकलने चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा मामला है, आप बना रहे हो, वह ऐसा बना रहे हो कि हिरण बाहर है और उस हिरण को जब कोई हार्न बजता है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप एक बार विराजें। देखें, मंत्रीजी क्या कहते हैं। सुन लें पहले।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): जी, एक सैकिण्ड में ही पूरा करूंगा, दो मिनट।

मैं चाहता हूं कि जो जालियां लग रही हैं, बार-बार करोड़ों रुपये खर्च करके लगाई हैं और हिरण जब दौड़ता हुआ आता है तो वह उस जाली में फंसता है और खतम होता है। एक तरफ से संरक्षण कर रहे हैं, दूसरी तरफ से मेरे पास फोटो है कि उस जाली के अन्दर फंसे हैं। आप डिपार्टमेंट को पूछ सकते हैं कि जाली के अन्दर सैकड़ों हिरण इस प्रकार से मर गये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जाली वाला, जैसलमेर में वैसे भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, विचरण करो कोई प्राब्लम नहीं है, पशु और पक्षियों का, जो जंगल में रहने वाले किसी भी प्रकार के जानवर हैं उनमें आपस में कोई भी किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है, वे बड़े आराम से रहते हैं। मैं यह चाहता हूं कि यह कोर एरिया बनाया जा रहा है, यह कोर एरिया वहां न बनाकर, वह क्षेत्र है, लेकिन मेरा निवेदन आपसे यह है कि वहां के लोग जो रह रहे हैं उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाये। आज के जमाने में आदमी टेलीफोन सुनना चाहता है, आदमी प्रकाश चाहता है, आदमी पानी पीना चाहता है, आदमी सड़क से रहना चाहता है लेकिन उन लोगों को हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद से आज तक किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिली है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि वन्य जीव संरक्षण के नाम पर जैसलमेर जिले के लोगों को, अफसरशाही के लोगों द्वारा खेले जा रहे खेल को रोका जाये और डी.एन.पी. क्षेत्र की पुन: समीक्षा हेतु नई कमेटी का गठन किया जाये, जिससे प्रभावित क्षेत्र के कोई भी गांव वाले हों, चाहे विधायक हों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए। स्थानीय लोगों की बात को प्रबलता से सुना जाए। यह कोर एरिया बनाने की प्रक्रिया को स्थगित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस हिसाब से हम वर्षों से वंचित हैं, हमें पुन: सुविधाएं दी जाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): हमारे वहां हैं कहां पशु, पक्षी, यह आपके शेर, चीते, भालू। एक भी उस एरिये में बता दो, तब तो आप करो। है क्या वहां, यूं ही आप लेकर इनको कर रहे हो, पूरे एरिये में कुछ तो बताओ कि वहां इस जात का पशु-पक्षी उसमें रहता है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): मेवारामजी, आपको यह चीजें मालूम नहीं पड़ेंगी।

एक माननीय सदस्य: बिना परमीशन के बोल रहे हैं आप।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1981 में राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल ने जैसलमेर और बाड़मेर के 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नेशनल डेजर्ट पार्क घोषित कर दिया। हालांकि जैसलमेर, बाड़मेर के पास में बहुत जमीन है लेकिन फिर भी यह बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। इतनी दूरी में निश्चित रूप से गांव तो आने ही थे। 13 जैसलमेर के, 39 बाड़मेर के राजस्व गांव इसमें आ गये। इससे गांव वालों को काफी समस्या हो गई। शिकायतें आने लगीं तो 1998 में बाड़मेर के एस.डी.ओ. ने तीन छूटें उनको दीं कि जो पार्क की घोषणा के पहले के जो रास्ते हैं, सार्वजनिक रास्ते हैं, कुण्ड हैं, तालाब हैं, पानी पीने के लिये पशुओं के आने-जाने के रास्ते, उन सबको उन्होंने अलाउ किया। फिर भी, सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि यह सारा का सारा काम है, यह केन्द्र का है। राज्य सरकार की इसमें कोई मजबूरी है कि वह कुछ नहीं कर सकती है। वहां से जो आदेश आता है, उन्हीं को हम लोग इम्पलीमेंट करते हैं और उसी हिसाब से हमें करना पड़ता है। इसके लिये 2011 में जब काफी शिकायतें गयीं, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ छूटें दीं, चार इंच की पाइप लाइन ले जा सकते हैं, 11 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। कुछ छूटें दीं पर उससे कुछ हिसाब बैठा नहीं। तो फिर उसमें 2011 के अन्दर उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की सिफारिशों को देखते हुए हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फिर हमारे ए.के. उपाध्याय हैं, वह दिवंगत हो गये, बहुत बढ़िया एक अधिकारी थे, पिछले समय में उनकी डेथ हो गयी तो उनको बनाया था तो उन्होंने सारी सिफारिशें दीं।

अब हमने जब वहां पर भेजा कि कम से कम बिजली-पानी, जो कुछ मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति की तो आप हमें इजाजत दीजिए तो वहां पर जो वन्य जीव मंडल है, उसने सारा का सारा प्लान बनाकर हमें भेजा है, उसमें जी.टी.सी. पर बाकी, उसके अन्दर भी प्राब्लम यह है कि वह 9 डिपार्टमेंट

(श्री राज कुमार रिणवां)

उसमें जुड़े हुए हैं और जैसलमेर कलक्टर हैं, वह काफी प्रयास कर रहे हैं। कई बार उन्होंने उन डिपार्टमेंट्स को रिमाइंडर दिये हैं, कहा है कि आप लोग अगर भेज दें तो इनका काम जल्दी हो जाए। वहां पर काफी विलम्ब हो रहा है। हमें यह लगता है कि इन 9 डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट अगर आ जाती है और वह राष्ट्रीय वन्य जीव मंडल में जाता है तो निश्चित रूप से जो इनकी पीड़ा है, समस्या है, जो बातें यह बता रहे हैं, वह बिलकुल सत्य बात है कि पक्षी की कोई लिमिट थोड़े ही होती है, वह तो खुले में कहीं भी उड़कर जा सकता है, जहां पर उसको पानी मिले और चीजें मिलें। वहां पर कोई अपने जैसे कोई टाइगर प्रोजेक्ट तो कर नहीं रखा कि उसकी कोई निश्चित सीमा है। वह भी कभी-कभी आ जाते हैं तो पक्षियों पर तो कोई बात नहीं है। अब छोटे-मोटे कोई जैसे जंगली लोमड़ी है, और है काई दो-चार तरह के और कोई हैं पर कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी फोरेस्ट का एक्ट तो आप जानते ही हैं कि वहां पर सारी चीज उस हिसाब से, पेड़ की अगर टहनी टूट गयी तो उसको उठाओ मत, उसमें दीमक लगने दो, दीमक को कीड़ी खाएगी, कीड़ी को तीतर खाएगा और तीतर को मतलब, एक बड़ा उसका वह है। आपको कुछ इंटरफियर ही नहीं करना है उसमें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, तीतर को कौन खाएगा? तीतर को कौन खाएगा?

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): तीतर को आस्ट्रेलिया की जो करेन आती है, वह खाती हैं। तो यह बहुत ही बड़ी पीड़ा वाली बात है। वास्तव में उस क्षेत्र में तो ऐसे ही समस्या है। जैसलमेर, बाड़मेर तो हमेशा से ही समस्याओं से ग्रसित क्षेत्र है और मुझे जानकारी मिली है तो निश्चित रूप से जो भी कमेटी बनी थी हालांकि, उपाध्यायजी बहुत ही बढ़िया अधिकारी थे पर अब उनको जरूर, जन-प्रतिनिधि को साथ लेना चाहिए ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य मेरी तरफ अंगुली कैसे कर रहे हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हर मामले में मेरी तरफ अंगुली करते हैं। दीमक को कौन खाएगा? मेरे को क्या मालूम। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जो अंगुली करने लायक होता है, उसकी ओर ही अंगुली की जाती है। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री नरपत सिंह राजवी)

दो अंगुली और एक अंगुली का अंतर है। यह अंगुली पुराण छोड़कर यह बता रहे हैं, वह ही ठीक रहेगा हमारा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अंगुली पुराण। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीतर चाहे कोई खाए या न खाए पर घनश्यामजी तो नहीं खा सकते, यह पक्की बात है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, तीतर खाने की थोड़े ही बात हुई है? तीतर कौन खाएगा, उसकी बात हुई। तीतर भी अलग-अलग वैरायटी के होते हैं, यह भी जानकारी है कि नहीं? (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह आपका अनुभव अच्छा, साहब, हमारा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: अब क्या करें, जहां पर जन्म ले लिया, वहां का अनुभव तो हम अपने मन से हटा नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीतर के दो आगे और तीतर के दो पीछे, वह आज तक समझ में नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष: वह पहेली सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य समझा सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य बताएं कि तीतर के दो आगे, तीतर के दो पीछे तीतर, वह बताओ तो आप।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): तीन-तीन।

श्री उपाध्यक्ष: मामला वह तिकड़ी पर ही आ जाएगा, आदरणीय सांगानेर वाले माननीय सदस्य, ...(व्यवधान)

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन गांवों का रेशनलाइजेशन करने के लिए केन्द्र को लिखा हुआ है, वन्य जीव मंडल को लिखा हुआ है। पूरे प्रयास चल रहे हैं। अब उन्होंने 9

(श्री राज कुमार रिणवां)

विभागों को निर्देशित भी किया है। मैं सम्माननीय सभी सदस्य साहब से बात कर लूंगा और उसके बाद में 9 डिपार्टमेंट्स में जहां पर यह अटका हुआ है, विलम्ब हो रहा है, उनको अतिशीघ्र करवाकर हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसमें इतनी जगह की जरूरत नहीं है। रेशनलाइजेशन करें और इन रेवेन्यू गांवों को उससे बाहर निकाला जाए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से मंत्रीजी से इतना ही पूछना चाहता हूं कि जो खातेदारी लैंड है, सिर्फ जैसलमेर के एरिया में तो एक यार्डस्टिक से सारी की सारी ले ली, टाइगर प्रोजेक्ट में आज भी 11 गांव बसे हुए हैं, वह आज भी वहीं पर चरा रहे हैं तो बिना खातेदारी अधिकार को रिहेबिलिटेट किये, फिर जमीन कैसे ले ली? उसको कैसे रोक सकते हो आप? कोई अधिकार नहीं है। केन्द्र चाहे ...(व्यवधान)

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि 1982 से जो गरीब किसान वंचित रह रहे हैं। माननीय मंत्रीजी ने कहा न कि वंचित रह रहा है, इतने साल हो गये, उसको खेती से दूर रखा है ...(व्यवधान) उसको अन्दर नहीं जाने दिया, क्या उसको, उसका हर्जाना दिया जाएगा या जमीन के बदले जमीन दी जाएगी या इतने साल वंचित रहा तो उसको वंचित के लिए कोई मुआवजा दिया जाएगा?

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय, हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि इतनी जमीन की जरूरत नहीं है नेशनल डेजर्ट पार्क के लिए तो जो रेवेन्यू गांव हैं उनका रेशनलाइजेशन करके उनको अलग किया जाए और यह प्रस्ताव चल रहा है, 1980-81 से यह है, अब हम लोगों के सामने यह आया है तो हम लोग उसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं और जो 9 विभाग हैं, जो विलम्ब हो रहा है, उसको अतिशीघ्र करवाकर, उनकी जब रिपोर्ट चली जाएगी जी.टी.सी. तो निश्चित रूप से यह रेशनलाइजेशन हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्रीमती अलका सिंह।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बांदीकुई नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताएं

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत नियम-131 के अन्तर्गत नगरपालिका बांदीकुई में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के सम्बन्ध में मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका, बांदीकुई में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के सम्बन्ध में निवेदन है कि नगरपालिका, बांदीकुई में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में विगत दो वर्षों में इस कार्यालय में विभिन्न माध्यमों यथा- निदेशालय, लोकायुक्त सचिवालय व अन्य शिकायतकर्ताओं द्वारा कुल 21 शिकायतें प्राप्त हुईं। जिन पर की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:-

सही पाई गयी शिकायतों की संख्या	-	6
निराधार पाई गयी शिकायतों की संख्या	-	1
न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण	-	2
निष्कर्ष अप्राप्त शिकायतों की संख्या		
विचाराधीन शिकायतों की संख्या	-	12

सही पायी गयी छह शिकायतों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही, वर्तमान स्थिति का विवरण निम्नानुसार है-

श्रीमती कृष्णा देवी द्वारा की गयी शिकायत में दोषी कार्मिक को, श्री सुरेन्द्र नागर, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी एवं श्री प्रवीण कुमार नांवरिया, कनिष्ठ अभियंता के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत 17-सी.सी.ए. प्रस्तावित कर सम्बन्धित को आरोप-पत्र जारी किए जाने हेतु निदेशालय प्रेषित किये गये हैं।

श्री जगदीश प्रसाद गोयल द्वारा की गयी शिकायत पर श्री सतीश मीणा, कनिष्ठ अभियंता एवं रमेश चन्द शर्मा, कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध आरोप-पत्र अन्तर्गत 17-सी.सी.ए. के प्रस्तावित कर अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, बांदीकुई को आरोप पत्र जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री गोपालदास मोरानी द्वारा प्रस्तुत शिकायत में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, बांदीकुई को अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री खेमचन्द द्वारा प्रस्तुत दो शिकायतों एवं श्री कल्याण सहाय शर्मा द्वारा प्रस्तुत शिकायत के सम्बन्ध में प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

वर्तमान में इस कार्यालय में कुल 12 शिकायतें विचाराधीन हैं। उक्त लम्बित शिकायतों की जांच के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, बांदीकुई को शिकायत से सम्बन्धित बिन्दुओं पर तथ्यात्मक टिप्पणियां सम्बन्धी

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

रिकार्ड प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लिखे गये हैं। अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, बांदीकुई से शिकायत से सम्बन्धित बिन्दुओं पर तथ्यात्मक टिप्पणी एवं सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त कर जांच रिपोर्ट पूर्ण कर शीघ्र निदेशालय को प्रस्तुत कर दी जाएगी।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि अगस्त, 2015 में विभिन्न संगठनों ने और वहां के एन.जी.ओज. ने, जन-प्रतिनिधियों ने मुझे शिकायत की थी और एक शिष्टमंडल आकर मिला था। उस शिष्टमंडल के साथ मैंने अपना पत्र लगाकर स्वायत्त शासन विभाग के डाइरेक्टर को फोन भी किया था और उस शिष्टमंडल को वहां पर भेजा था।

उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसकी जांच शीघ्र ही कर दी जाएगी लेकिन मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के मार्फत मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगी, कि आज एक साल पूर्ण होने वाला है, उस सम्बन्ध में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है और जो जवाब मुझे अभी दिया गया है, उसमें यह कहा है कि उप निदेशक, क्षेत्रीय के पास जांच पैंडिंग है तो यह जांच कब तक पैंडिंग रहेगी?

एक मामला मैं और बताना चाहूंगी कि वहां पर एक सार्वजनिक पार्क की जगह है जिस पर नगरपालिका के कर्मचारी ने कब्जा कर लिया और उसमें अधिशासी अधिकारी नरसीलाल का पूरा-पूरा हाथ था। वहां की जनता ने एस.डी.एम. को शिकायत की, मुझे शिकायत की, हम लोगों ने निर्देशित किया और एस.डी.एम. ने तो पत्र भी लिखा तत्कालीन जो वहां पर ई.ओ. था उसको। कलक्टर की अभाव अभियोग की जो मीटिंग होती है, उसके अन्दर शिकायत की गयी। कलक्टर ने वहां से पत्र भेजा नगरपालिका में और उसके बाद राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर जनता ने यह पूरी शिकायत डाली। उसके बाद भी जब कुछ कार्यवाही नहीं हुई तो जनता ने सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उसके पश्चात् न्यायालय से निर्णय हुआ कि उक्त जमीन को पार्क के लिए रखा जाए और जो अतिक्रमण है, वह हटाया जाए और पार्क को विकसित किया जाए। यह भी फिफ्थ मंथ का डिसीजन है न्यायालय का लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

स्वच्छता, जो कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री और यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का स्वप्न है, उसके लिए बांदीकुई नगरपालिका को टार्गेट दिये गये

(श्रीमती अलका सिंह)

823, जवाब में बताया गया है कि 67 को आबंटन कर दिया गया है अमाउंट लेकिन असत्य है पूरी बात, आज भी जीरो है वहां। स्वच्छता के नाम पर बिलकुल एक भी टायलेट के लिए कोई अमाउंट नहीं दिया गया है। मुख्य मंत्री बी.पी.एल. आवास योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और हमारी मुख्य मंत्रीजी का यह विजन है कि जो गरीब व्यक्ति है, उसको आवास और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वह उपलब्ध हों, उसके लिए 49 लाख का बजट था बांदीकुई नगरपालिका को, एक भी आवास आबंटित नहीं हुआ है।

यह सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि वह जो क्षेत्रीय उप निदेशक हैं, मैं यह नहीं कह रही कि वह जांच नहीं कर रहे हैं, वह सारी खानापूर्ति कर रहे हैं। वह हर दूसरे-तीसरे महीने बांदीकुई जाते हैं पर वह न तो जन-प्रतिनिधियों को सूचना देते हैं, न ही जनता को सूचना देते हैं, न शिकायतकर्ता को सूचना देते हैं। बांदीकुई जाते हैं, बंद कमरे में बैठते हैं और मैं आरोप लगाना चाहती हूं कि वह अपना लिफ़ाफ़ा लेते हैं और वापस आ जाते हैं। जो अभी डी.डी.आर. हैं, उनके टेलीफोन का बिल, उनकी गाड़ी की किश्त बांदीकुई नगरपालिका से आती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन सारे प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करती हूं और इस सारे मामले में डायरेक्टर, डी एल बी का पूरा वरदहस्त है, इसलिये मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि डायरेक्टर के अलावा किसी और स्वतन्त्र एजेन्सी से इसकी जांच कराई जाए ताकि जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद नहीं हो। अब यह और भी ज्यादा इम्पोर्टेण्ट इसलिए हो गया है कि 4,700 अभी शहरी विकास के लिये जो हमारे बजट में घोषणा हुई है, 37 नगरपालिकाएं उसके अन्दर हैं और आधारभूत ढांचा और बिजली-पानी की व्यवस्था करने के लिये पैसा स्वीकृत हुआ है और उन 37 नगरपालिकाओं में बांदीकुई का भी नाम है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। लेकिन वह पैसा भी इसी तरह से मिस-यूज होगा, इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि इस सारी व्यवस्था की जांच की जाए। जांच के नाम पर यह उस ई.ओ. से या बाद के जो भी अधिकारी हैं, उनके जो जवाब आते हैं, उससे संतुष्ट हो जाते हैं और मान लेते हैं कि उसने यह कहा है कि पहले तो मैं वहां प्रोबेशन पर था और उसके बाद मैं इतने से समय के लिए रहा तो क्या जिसके खिलाफ आरोप लगते हैं, उसका आंसर पूरा सुनने के बाद जांच को इतिश्री मान ली जाए? उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, उपाध्यक्ष महोदय, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद इस तरह से नहीं हो, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि काफी बड़ी तादाद में शिकायतें हैं। किसी एक नगरपालिका में 21 शिकायतें दो-तीन सालों में आ जाएं, इसकी संख्या कम नहीं है। यह बात भी सही है कि जो 12 शिकायतें, जिनके लिए कहा जा रहा है कि वह अभी पैंडिंग हैं, वह भी काफी समय से पैंडिंग है, 2014, 2015, साल-साल भर तक, डेढ़-डेढ़ साल तक शिकायतों का निस्तारण नहीं हो और न केवल शिकायतों का निस्तारण नहीं हो, बल्कि शिकायतों के संदर्भ में तथ्यात्मक टिप्पणी मांगी जाए, और तथ्यात्मक टिप्पणी भी वहां से नहीं आए तो यह निश्चित रूप से गम्भीर मामला है।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि डायरेक्टर, लोकल बॉडी से बड़ा अधिकारी लोकल बॉडीज में नहीं है। उसने अभी तक कोई जांच नहीं की है। जितनी जांच हो चुकी है, उनको भी वह रिव्यू कर लें और जितनी जांचे अभी विचाराधीन हैं, उनकी भी जांच कर लें और जांच करने के बाद 30 दिन तक, अब आपको कोई लगता है कि डी एल बी की जांच करने की प्रक्रिया में कोई कमी रह सकती है तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि डी एल बी के द्वारा सारे प्रकरणों की मानीटरिंग मैं अपने स्तर पर खुद करूंगा। मैं समझता हूं मुझसे ऊपर तो कोई अधिकारी इस डिपार्टमेंट में होगा नहीं। इसके आधार पर मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि जांच निष्पक्ष होगी और जांच के बारे में जिन प्रकरणों की जांच हो चुकी, उनको भी रिव्यू कर लेंगे, जो जांच पैंडिंग है, उनकी जांच कर लेंगे और जांच के आधार पर अगर शिकायते पायी जाएंगी तो चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, किसी की संलिप्तता हो, कोई लिफ़ाफ़ा लेकर आता हो या कोई लिफ़ाफ़ा देकर आता हो, न लिफ़ाफ़ा देने वाला बचेगा, न लिफ़ाफ़ा लेने वाला बचेगा और जो अपराधी होगा, निश्चित तौर पर अपराधी के खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): मंत्री महोदय, आप पर पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल पारदर्शिता से काम करेंगे, लेकिन आप, इसके अन्दर जो जवाब दिया है, उसमें देखिये। लोकायुक्त के पास जांच है, लेकिन पत्रावली विभाग द्वारा नहीं भिजवायी गयी है, बहुत गंभीर विषय है यह। आप मानीटरिंग इस स्तर पर करें और केवल डायरेक्टर को नहीं, एक कमेटी बनाइये। एक कमेटी बनाकर कमेटी से जांच कराइये और वह जांचकर्ता वहां जाएं तो जो शिकायत करने वाले लोग हैं और जो वहां के जन-प्रतिनिधि हैं, उनको जरूर

(श्रीमती अलका सिंह)
इसमें शामिल करिये ताकि निष्पक्षता से जांच हो सके और आगे फिर से इस तरह के गलत काम नहीं हों।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं समझता हूं कि जब जांच डी एल बी से कराएंगे, उसकी मानिटरिंग मेरे स्तर पर होगी, मैं भी जन प्रतिनिधि हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं समझता हूं कि जन प्रतिनिधि के उसमें होने की जो मंशा है, उसकी पूर्ति हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शैतान सिंहजी।

जैसलमेर के गांवों में ओरण, गोचर एवं नाड़ी के आगोर की भूमि पर अवैध कब्जे

श्री शैतानसिंह (पोकरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विषय तो बोल देते आप, विषय क्या है आपका?

श्री शैतानसिंह (पोकरण): ओरण, गोचर व नाडी की आगौर पायतन संरक्षित करने के लिये। यह बहुत गम्भीर विषय है और यह विषय आमजन से जुड़ा हुआ विषय है, आस्था का विषय है। इस विषय में मंत्रीजी बताएं, फिर मेरे पास जो सूचना है, वह बाद में आपको बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा किये जा रहे कब्जे से उत्पन्न स्थिति पर है, आपका यही है न विषय?

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पोकरण से आने वाले माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि जिला जैसलमेर तहसीलवार राजस्व रिकार्ड में दर्ज गोचर व ओरण भूमि, जिसका आपको मैंने जवाब दे दिया है। कुल जो गांव हैं जैसलमेर में 101 की रकबा भूमि, जो गोचर भूमि है, वह है 79,496.11 हैं, यह आपके जैसलमेर के अन्दर तहसील में है। पोकरण के अन्दर हैं 54 गांव, जिसमें 50,234.13 बीघा है, फतेहगढ़ के अन्दर 109 गांव हैं उसमें गोचर भूमि है 83,808.04 बीघा है, भणियाणा के 44 गांव इस तहसील में, जिसमें 22,856.14 बीघा भूमि है। इस प्रकार से कुल 308 गांवों की जो गोचर भूमि है 2,36,396.02 बीघा है। अब इसके अलावा जो ओरण की भूमि दर्ज है, वह 107 गांव हैं, अलग-अलग हैं, वह मैं बता रहा हूं। यह तो मैंने आपको गोचर

(श्री अमराराम)

की भूमि बताई और ओरण की भूमि है 107 गांवों की, वह आपके 27,271.17 बीघा है, पोकरण के 54 गांव हैं उसमें 1,06,122.18 बीघा है, फतेहगढ़ में आपके 45 गांव हैं उसके अन्दर 63,574.10 बीघा है और भणियाणा में 58 गांवों की 49,613.03 बीघा है। इस प्रकार ओरण और गोचर भूमि टोटल है। अब ग्रामवाइज जिनका अतिक्रमण है, उनके बारे में स्थिति मैं आपको बता रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के लिये यह जवाब देना जरूरी थोड़ी है।

श्री उपाध्यक्ष: किस सम्बन्ध में?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए जरूरी थोड़ी है आसन...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आसन ने कह दिया इसलिए जरूरी है।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): आप ठहरिए माननीय सदस्य। अब आपके जैसलमेर के अन्दर जो ग्रामवाइज गोचर भूमि पर अतिक्रमण और ओरण के अन्दर जो मामले हैं, जिनका हमने निस्तारण कर दिया और जो नये दर्ज हुए हैं, उनका कुल रकबा जमीन है वह 2418.12 बीघा है। इन चारों तहसीलों की भूमि पर, जिनके बारे में रकबे के अन्दर जो अतिक्रमण था, ओरण में था, वह इन तहसीलों में करीब 2.00 और यह गोचर और ओरण इनमें जो भी अतिक्रमण हैं, उनको हटाने के लिये हमने कार्यवाही कर दी।

आपके 21 मामलों में अतिक्रमियों के खिलाफ हमने प्रभावी कार्यवाही कर दी है और उनको हटा दिया गया है तथा चार मामले जो कच्चे-पक्के निर्माण से सम्बन्धित हैं, उनके खिलाफ भी हम उनको हटाने की कार्यवाही कर रहे हैं।

इस प्रकार आपके जिले में गांवों की गोचर, ओरण भूमि राजस्व रिकार्ड में जो ऐसे मामले हैं, जो राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज नहीं हैं, आपके गांव की गोचर है, ओरण है, उनका जो विवरण है वो अलग है। गांवों में नाडी की आगोर भूमि पर अनधिकृत कब्जे की स्थिति वो 1.4.2015 से आज तक इस प्रकार है, अतिक्रमण संख्या जैसलमेर में बिलकुल नहीं है, पोकरण में चार हैं, इस प्रकार आपके ही विधान सभा क्षेत्र में नाडी पर जो अतिक्रमण हैं चार हैं।

अब इस मामले में जिनमें कच्चे-पक्के मकान बने हुए हैं, इन मामलों

(श्री अमराराम)

में से एक प्रकरण में अतिक्रमण हटा दिया गया है, शेष चार प्रकरण में अतिक्रमियों के विरुद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जैसलमेर जिले का प्रश्न है, काई भी गोचर, ओरण और चाहे नाडी की जमीन हो, वहां पर सरकार की यह मंशा है कि कोई नाजायज कब्जा नहीं करे और जो भी नाजायज कब्जे कर रहे हैं हमने नियमानुसार कार्यवाही करके उनको हटाने के लिए निर्देश दे दिये हैं।

इस प्रकार से माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि आपकी जानकारी में इन आंकड़ों के अलावा और कोई हो आप हमें बता दें, हम तुरन्त ही उनको हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दे देंगे। धन्यवाद।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब दिया है यह जवाब मेरे पास भी है, इस गम्भीर विषय को देखते हुए जवाब को सिर्फ एक फार्मेलिटी के रूप में कार्यपालिका ने विधायिका को दिया है, यह जवाब पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं है। मतलब एक फार्मेलिटी करके छोड़ दिया।

मैंने यह पूछा है कि ओरण, गोचर, नाडियों के पायतन और आगोर इनमें कब्जे हैं और कई जगह कई हमारे जैसलमेर जिले में तो मामले दर्ज नहीं हैं और वहां ओरण है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह जनता की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। राजस्थान सरकार ने आजादी के बाद में वन विभाग जैसा विभाग बनाया, पहले ऐसे कोई विभाग नहीं थे, ऐसे विभाग नहीं होने के बावजूद भी यह सम्पत्तियां संरक्षित थीं, वो क्या विषय था? वो वही तो ओरण थी जिस ओरण की लकड़ी को लोग हाथ नहीं लगाते थे, उस घास को काटते नहीं थे, सिवाय मवेशी के चरने के अलावा कुछ भी, उस घास को काट कर इकट्ठा नहीं किया जाता था, जो सम्पदा थी उसको मानव अपने लिए कहीं उपयोग में नहीं लेता था। कितना विश्वास का मुद्दा था, तब वो ओरण बची है। पर इस बात को सरकार, कार्यपालिका कितना हल्का लेती है।

मैं आपसे इतना निवेदन करता हूं कि जब मैंने इतने गम्भीर विषय को उठाया है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यह कि आपके पोकरण में कौन से गांव में है, वहां कितनी जमीन है, आपने डिटेल वाइज क्यों नहीं दी? जब इतना गम्भीर विषय था और उसके पीछे यह लिखते हैं कि यह विधान सभा में उठाने जैसा विषय नहीं है, ठीक है, आसन की कृपा रही कि उन्होंने मुझे यह विषय उठाने का मौका दिया है। जो सूचना दी है इस पूरी डिटेल को देख लो।

(श्री शैतानसिंह)

मैं तो आपसे एक निवेदन करता हूं कि हमारे भादरिया ओरण की जमीन एक लाख से अधिक बीघा है और इसमें सभी गांवों को एक लाख में पूरी कर दी, एक लाख छह हजार। यह सूचनाएं हैं। इनको पहले पूछ लिया जाए कि वास्तविकता क्या है?

मैं तो एक भादरिया ओरण की ही पूछता हूं कि कितनी जमीन है जो बाकायदा फैसला हो रखा है। यह हाई कोर्ट से फैसला होकर और वो ओरण दर्ज हुई है। माताजी की ओरण है, सरकार उसका संरक्षण करती है अब वो नाबालिग मानते हुए, तो ऐसी कितनी ओरण है, कितने ही आस्था के स्थान हैं, सरकार उसकी तरफ क्या ध्यान देती है? सरकार की क्या मंशा है इन आस्था के स्थानों को और उन ओरण को बचाने के लिए? उन ओरण में पेड़ों की गणना कर ली जाए कि आज तक वन विभाग ने कितने पेड़ लगाये हैं और वो पेड़ अपने आप, विश्वास से टिके हुए पेड़ कितने हैं? इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है। वन विभाग लगाता नहीं है, कटवाने का काम जरूर करता है। तो करोड़ों करोड़ लग जाते हैं जिस विभाग को पोषित करने में पर वो पर्यावरण का तो कहीं संरक्षण नहीं कर पाते हैं। तो यह पर्यावरण संरक्षण के जो पुराने, अपने पैतृक स्थान हैं, जो आस्था के केन्द्र हैं, वापस सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है कि उस ओरण को संरक्षित किया जाए।

ओरण में कितना बड़ा विश्वास है कि उस ओरण की लकड़ी को कोई काटता नहीं है। वो पौधे अपने आप उस विश्वास से बचे हुए हैं। बोरड़ियां हैं, एक भी बोरड़ी को कोई घाव नहीं डालता है। मैं आपको इस उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि अपने जो सिवाना से आने वाले माननीय विधायक बैठे हैं, इनके क्षेत्र में एक बीलियाणा गांव है जिसमें इतनी लकड़ी है कि उस लकड़ी को कोई जलाने के लिए या अपने खुद के निजी उपयोग के लिए काम में नहीं ली जाती है और उस क्षेत्र में जिनका अंतिम संस्कार होता है तो उस लकड़ी से अपने आप हो जाता है और वो पूरा वन क्षेत्र संरक्षित है। वन विभाग की वहां चौकियां नहीं लगी हैं, वहां सरकार को कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ उस विश्वास की वजह से, उस श्रद्धा की वजह से वो क्षेत्र बचा हुआ है। तो इस तरफ सरकार ध्यान क्यों नहीं देती है और इतना जवाब देकर यह कार्यपालिका फ्री हो जाती है। तो यह कार्यपालिका ऐसे मामलों को इतना हल्का क्यों लेती है? मेरा उपाध्यक्ष जी की मार्फत माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि इसकी पूरी डिटेल क्यों नहीं दी?

(श्री शैतानसिंह)

इसके अलावा मैंने कहा है कि कहीं कुछ गांवों में ओरण है, वहां मौके पर हंड्रेड परसेंट ओरण है, बोरड़ियां आज भी लगी हुई हैं, आप सर्वे करवाएं पर भूलवश पूरे जैसलमेर जिले में यह हो सकता है तत्कालीन राजाओं की वजह से शायद कहीं चूक हो गयी और उसको समय पर मपवाया नहीं गया और वहां कहीं मगरा और ऐसे ही सिवाय चक में दर्ज हो गयी और वहां मौके पर आज भी ओरण है, लोग आज भी उन पौधों को हाथ नहीं लगाते हैं। तो इस तरफ सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है?

मुझे सूचना दी जिसमें मेरे को बताया है उसमें ओरण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं बताया। क्योंकि मेरा कालोनाइजेशन क्षेत्र है, उस क्षेत्र की पूरे की एक भी सूचना नहीं दी। वहां हैं, प्रस्ताव आये हुए हैं न। मैं आपको बताऊं कालोनाइजेशन एरिया के, मेरे विधान सभा क्षेत्र के मैं गांव बता रहा हूं जिसमें आसकंदरा है, उसमें लगभग-लगभग आज भी बोरड़ियां लगी हुई हैं और स्टेट टाइम से वो ओरण हैं। राज में राज रकबा है, फिर भी गांव वालों से इस वस्तु स्थिति का पता करवाया जाए न, पता करो कि वो क्षेत्र आज तक क्यों बचा है, उसमें पौधे क्यों बचे हुए हैं? इस तरफ सरकार ध्यान नहीं देना चाहती है, यह अपना धर्म नहीं बनता है? एक तरफ तो अपन, वन विभाग सिर्फ पौधों के लिए कितने करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं, उस हैड में कितना पैसा खर्च होता है और रिजल्ट क्या आता है, इस तरफ कभी ध्यान दिया और जो बचे हुए पौधे हैं, जहां आलरेडी ओरण है उसको ओरण दर्ज नहीं किया जा रहा है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक तरफ तो वन विभाग द्वारा राजकोष को घाटा दिया जा रहा है, फिर भी पौधे नहीं लगते हैं, एक तरफ पौधे लगे हुए हैं उन पौधों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उस जमीन की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

सरकारी तंत्र क्या करता है? मैं आपको बता रहा हूं आसकंदरा में बीस हजार बीघा जमीन जिसमें कम्प्लीट पौधे, बोरड़ियां लगी हुई हैं और वहां आज भी गांव के कोई लोग उसमें ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आपकी बात आ गयी, मंत्रीजी का रिएक्शन तो ले लें।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): यह टोटल लगभग मेरे 9 गांव हैं जिसमें ओरण और गोचर, यह पूरी भूमि की डिटेल है और वो दर्ज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आपका कहने का यही तात्पर्य है न कि मौके पर जमीन की किस्म ओरण है लेकिन इनके राजस्व रिकार्ड में उसका अमलदरामद ओरण के नाम से नहीं हुआ, यह करें।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): नहीं है। उसका दुरुस्तीकरण करें और इसकी पूरी डिटेल कर के जवाब दें। मेरा आपके मार्फत यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, वैसे तो अपन जैसलमेर में हमेशा जहां मन्थली मीटिंग रखते हैं उस समय आपने कभी यह बात नहीं कही।

मैं वहां आता ही रहता हूं लेकिन फिर भी आपने चिंता जाहिर की है तो वह वाजिब है और मैं पूरी कार्यवाही करके जहां भी मुझे मालूम है आज जैसलमेर जिला हिन्दुस्तान के जिलों में से और राजस्थान के जिलों में सबसे बड़ा जिला है, 38 हजार, साढ़े 38 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक है। वहां पर पापुलेशन बहुत कम है।

उसके बावजूद भी जहां ओरण का सवाल है, भादरिया ओरण का तो वैसे उदाहरण है कि एक व्यक्ति ने उस ओरण में से बोरडी को काटा था, उसके साथ में क्या हुआ ऐसी कहानियां हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): क्या हुआ था?

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): उस आदमी को उसी समय पर्चा मिल गया था। उसके बाद में उसने माफी मांगी। आज दिन तक ऐसी ओरणों के अन्दर, जो देवियों के स्थान बने हुए हैं, थान बने हुए हैं, उसके कारण से वहां कोई पत्ता तक भी नहीं काटता है। यह वहां पर लोगों की भावनाएं हैं।

पूरे बाड़मेर जिले के अन्दर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोलोनाइजेशन में सारे एरिये में अतिक्रमण बिलकुल नहीं है। कोलोनाइजेशन एरिये में बारानी भूमि जो चरागाह के रूप में चिन्हित है, उसमें बरसात के दिनों में अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए हमने निर्देश कोलोनाइजेशन विभाग को दे दिये हैं। बहुत से लोग काश्त करते हैं। उनकी काश्त फिर नीलाम भी होती है। ट्रैक्टर चलाकर के उसको बरबाद भी करते हैं। यह आपको सारा ध्यान में है। आप सहयोग करेंगे तो कोई भी अतिक्रमण गोचर, ओरण, नाडी पर नहीं होने देंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गौतम कुमार।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): एक नाडी का और है। नाडी का है, ओरण का और साथ में नाडी का रखा था। पोकरण नगर में एक बांधोलाई नाडी है, वहां मोहनपुरी जी का मठ है। स्टेट टाइम से उस नाडी का ताम्रपत्र पट्टा है। यह ठिकाने की जमीन थी। कहीं न कहीं महंतों से चूक हो गई। अब वह पट्टा दर्ज नहीं हुआ और उस पर कब्जे हो रहे हैं। वह बहुत बड़ा तालाब है।

एक तरफ हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदया जल स्वावलंबन अभियान को लेकर बहुत चिंतित हैं और हृदय से वह इसमें लगी हुई हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि उस मामले को भी बहुत गम्भीरता से लेते हुए उस नाडी को संरक्षित करें ताकि वह भूमाफिया जो उस पर कब्जे कर रहे हैं, पोकरण नगर से जुड़ती हुई जमीन है, चूंकि वह रेवेन्यू से बदल जाता है, अभी चर्चा हुई थी। फिर भी यह पुराने, ट्रेडिशनल जल स्रोत हैं। उनको बचाने के लिए सरकार खुद चिंतित है तो इसको भी विशेष रूप से देखें।

मेरा आपसे निवेदन है कि आप पूरी कार्यपालिका को निर्देशित करें कि ओरण और गोचर सभी की वापिस पैमाइश करवाकर पुख्ता करें अन्यथा यह जमीनें चली जायेंगी और पशु धन नहीं बच पायेगा, विशेषकर गाय नहीं बचेंगी। इसको बचाने के लिए मेरा आसन के माध्यम से मंत्रीजी, आपसे बहुत-बहुत निवेदन है। जय हिन्द, जय भारत।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक मिनट ही, आधा मिनट ही बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न कर लें छोटू सिंह जी। हां, प्रश्न कर लें।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में सैटलमेंट के समय में बहुत सारी भूलें जैसलमेर जिले में रही हैं। यह मांग पूर्व में भी उठायी गयी हैं। पूर्व विधायकों द्वारा भी उठायी गयी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: क्या हो गया? उप सचेतक महोदय, आसन ने उनको परमिशन दी थी ...(व्यवधान)

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह भूलें हैं। उन भूलों का एक बार री-सर्वे हो जाये तो जो ओरण है, जो गोचर है, जो चरागाह हैं। ओरण भी ऐसी-ऐसी कि जिन पर आज तक किसी का कब्जा नहीं है, न उन पर कोई अतिक्रमण करना चाहता है क्योंकि वह आस्था का केन्द्र हैं, लेकिन भूल यह रही कि सैटलमेंट के समय वह रिकार्ड पर नहीं आयी। मैं आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार सर्वे करके उनका इंद्राज किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोतम कुमार।

डूंगला, चित्तौड़गढ़ में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ में 132 केवी ग्रिड स्टेशन के लिये ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाओ। पहले वह जवाब दे दें। फिर आप प्रश्न कर लेना।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): थोड़ा सा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजो। उनका पहले जवाब आने दीजिये। मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने 131 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा डूंगला में 132 केवी जीएसएस की स्थापना करने के लिए आपके सामने बात रखी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बड़ी सादड़ी के मंगलवाड़ चौराहा में फिलहाल 132 केवी जीएसएस है। उसमें से 4 फीडर, 33 केवी फीडरों से 15 सब स्टेशन जुड़े हुए हैं। लगभग 15 सब स्टेशन उस 132 केवी जीएसएस के अंडर में हैं। डूंगला का जो फीडर है यह लगभग 11 किलोमीटर दूर है। डूंगला, मंगलवाड़ चौराहे से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। इस फीडर में जो 33 केवी डूंगला का है, उसमें 5 सब स्टेशन अभी चल रहे हैं।

डूंगला एक तहसील हैड क्वार्टर है और बड़ा कस्बा है। जहां तक मैंने देखा है, इसमें 33 केवी जीएसएस है, उसमें भी 3.15 एमवीए का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और एक एडिशनल ट्रांसफार्मर 5 एमवीए का लगा हुआ है। इसके साथ-साथ बिलोदिया गांव है, वह भी इस फीडर के साथ जुड़ा हुआ है, सरवानिया भी इस फीडर के साथ जुड़ा हुआ है, किशन, करेरी भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, देलवास भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस तरह से यह 5 जीएसएस इस 33 केवी फीडर से जुड़े हुए हैं। इनका जो वीआर लोसेस हैं, वह भी लगभग साढ़े 11 परसेंट हैं।

जो आरआरईसी की गाइड लाइंस हैं, उनके तहत 9 परसेंट ही वीआर लोसेस होने चाहिए। हमने 60 लाख के एस्टिमेट को सैंक्शन करके नया 132 फीडर केवी जो मंगलवाड़ में है, वहां से 11 किलोमीटर का नया डैडीकेटेड फीडर

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

प्रपोज किया है, सैंक्शन भी कर लिया है, बहुत जल्दी इस काम को हम शुरू कराकर पूरा कर देंगे जिससे लगभग 3.62 वीआर लोसेस कम हो जायेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर लगभग साढ़े 7 परसेंट ही वीआर लोसेस रहेंगे।

माननीय सदस्य काफी समय से डूंगला में 132 केवी के जीएसएस के लिए प्रयासरत हैं। आरईसी की गाइड लाइन यह बोलती है कि एक जीएसएस से दूसरे जीएसएस की कम से कम दूरी लगभग 30 किलोमीटर होनी चाहिए। फिर भी मैं इसको देख रहा हूं। इसमें 15 सब स्टेशंस आलरेडी हैं। आने वाले समय में गुमानपुरा में एक और सब स्टेशन बनने वाला है। फिर भी मुझे अगर लगेगा कि इसमें कोई रिलेक्सेशन की जरूरत होगी, इनका वीआर लोसेस और ट्रिपिंग इसी तरह से बढ़ती रही तो निश्चित रूप से वहां 132 केवी का हम जीएसएस खुलवायेंगे।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय मंत्री महोदय जी, यह जो 30 किलोमीटर का मापदंड आप बता रहे हैं, मेरे हिसाब से अभी झूंझपुरा में एक नया 132 केवी जीएसएस जो खुला है, वह शायद भिंडर से 15 किलोमीटर दूर है। इधर बड़ी सादड़ी से स्टेट डिस्टेंस अगर देखें तो वहां से 14 किलोमीटर है। ऐसे ही भिंडर से मंगलवाड़ वाला जो जीएसएस है, वह लगभग 17-18 किलोमीटर है। जो डूंगला से मंगलवाड़ की दूरी 11 किलोमीटर बताई है, यह 11 किलोमीटर नहीं होकर के लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है। जीएसएस लगभग 15 किलोमीटर दूर है।

एक फीडर पर 5 जीएसएस आप बता रहे हैं। एक जीएसएस पर लगभग 5 एमवीए का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एक 3.15 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, लगभग 8 मेगावाट का एक जीएसएस पर होता है। लगभग 5 फीडर इसमें होंगे तो 40 मेगावाट से भी ऊपर का लोड होता है। सीजन में, पीक आवर्स में जब यह चलते हैं, पिछले साल भी लगभग 3-4 बार तार टूट गये थे, दुर्घटनाएं हुई हैं।

इसी तरह से हमारे पास का गांव हैं, इससे तो सम्बन्धित नहीं है, लेकिन हमारे वहां ही लोड बढ़ने की वजह से, गर्मी में तार टूटने से एक आदमी जिंदा जल गया तेजपुरिया की ढाणी का।

उसको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये का मुआवजा भी मिला था लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं हों, अगर एक छोटा सा जीएसएस बन जाए तो आपके लोसेज कम होंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जैसा आप बता रहे हैं,

(श्री गोतम कुमार)

जैसे इन चार फीडर पर 15 जीएसएस चल रहे हैं आपके, अगर 15 पर जैसे 8-8 एमवी का लगता है तो 120 मेगावाट का लोड एक साथ चारों फीडर पर जाता है, 120 मेगावाट जाता है और आपके ट्रांसफार्मर तो 75 मेगावाट के ही लगे हुए हैं, एक 50 का है और एक 25 का है तो वह कैसे एक साथ लोड सहन कर पाएगा। तो, ऐसे में जरूरत है और अगर आप चाहें तो इसमें बड़ी सादड़ी के जीएसएस भी कुछ जोड़ देंगे और डूंगला अलग से 132 जीएसएस बनाएंगे तो निश्चित रूप से छीजत कम होगी और बहुत सारी आने वाली, यह जो मंगलवाड़ का जीएसएस है, बीच आबादी में है, अभी आप जो नया 11 केवी निकालना चाह रहे हैं यह 33 केवी नहीं निकालकर यह जो 2 अलग फीडर के लिए आप कर रहे हैं, लगभग साल भर हो गया उसकी सैंक्शन निकले हुए लेकिन वह बीच बस्ती में होने से वह फीडर भी नहीं निकाल पा रहे हैं आप। यह 60 लाख रुपए स्वीकृत जो आप बता रहे हैं, यह लगभग साल भर पहले स्वीकृत हुए थे लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वह फीडर निकलकर हो नहीं पा रहा है समस्या का समाधान। तो, आप जब तक नया 132 ग्रिड सब स्टेशन नहीं लगाएंगे तक तब समस्या का समाधान होगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आश्वासन चाहूंगा आज पूरा कि हमारे डूंगला में जो लम्बे समय से मांग आ रही है 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन की, उसकी आज आप घोषणा कर दें। चूंकि 16 केवी जीएसएस की आपने इस साल नए खोलेंगे भी आप उसमें यह भी एक नया हो जाएगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से मैं यह कहना चाहूंगा कि हर 132 केवी जीएसएस पर लगभग 4 फीडर्स निकलते हैं, 5 फीडर्स निकलते हैं। हर एक फीडर पर, लगभग चार-पांच जीएसएस पर एक फीडर रहता है। मैं यह मानता हूं। जैसा आप बता रहे हैं कि डूंगला एक बड़ा कस्बा है, तहसील हैडक्वाटर है, मुझे यह भी मालूम है कि वह पूरा एग्रीकल्चर बैल्ट है। डूंगला में 3.15 एमवीए का एक ट्रांसफार्मर था उस पर ज्यादा लोड होने के कारण हमने वहां 5 एमवीए का एक और ट्रांसफार्मर लगा दिया। (व्यवधान) सब में नहीं है, ...(व्यवधान) सब में नहीं है, मेरे पास पूरी लिस्ट है, सब में नहीं है, आप कह रहे हैं सब में है। दूसरे जीएसएस पर 5 एमवीए का ही है, 3.15 एमवीए का नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है, मैंने यह बात बिलकुल आपसे अभी की है कि यहां वीआर लोसेस

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

11.5 प्रतिशत से ज्यादा है, वीआर लोसेज 9 परसेंट तक होने चाहिए। हमने एक डेडीकेटेड फीडर जो सांखला होकर स्वीकृत किया है, हम कोशिश करेंगे कि 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, माननीय सदस्य ने जो बताया है, दूरी कितनी भी है, डूंगला में एक नया डेडीकेटेड फीडर जिसमें खाली मात्र दो जीएसएस ही रहेंगे, एक तो डूंगला रहेगा और एक बिलोरा गांव है दो ही उसके फीडर पर रहेंगे, जहां तक मैं समझता हूं कि जब यह लाइन खिंच जाएगी तो मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि इनकी जो ट्रिपिंग है, वोल्टेज के जो फ्ल्कचुएशंस हैं इन पर निश्चित रूप से, फिर भी अगर कोई प्रोब्लम होगी तो आने वाले समय में डूंगला में 132 केवी जीएसएस खुलवा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन। श्री वासुदेव देवनानी।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 से 2014-15

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के नियम 46 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर के वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 से 2014-15 तक सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, जब से इसका इंसेप्शन हुआ है तब से इसके लेखे नहीं आये थे और यह शिड्यूल 5 में पोइंट नम्बर 20 पर शिड्यूल्ड अंडरटेकिंग है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत थी, न तो सरकार से आर्थिक सहायता लेती है न अनुदान लेती है और यह मण्डल स्व वित्तपोषित संस्था है। मण्डल के मेमोरेंडम आफ एसोशिएशन के अनुसरण में जो राजस्थान स्टेट टैक्स्ट बुक्स बोर्ड रूल्स, 1973 के नियम 46 के अन्तर्गत संस्था के लेखे मय आडिट रिपोर्ट शासी परिषद से अनुमोदन उपरांत राज्य सरकार को भेजे जाने का प्रावधान है। उक्तानुसार मंडल द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन अपने प्रशासनिक विभाग प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को प्रेषित किए

(श्री वासुदेव देवनानी)

जाते थे। मंडल शिक्षा विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से अपनी वित्तीय एवं भौतिक स्थिति, प्रगति के विषय में राजस्थान विधान सभा को सूचित करता रहा है। गत बार जब विधान सभा के अन्दर मुद्दा उठा तो मैंने प्रयास करके पाठ्य पुस्तक मंडल के नियमों में प्रावधान करवाकर मंडल की स्थापना से वर्तमान समय तक की अवधि के वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखे हैं। भविष्य में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के वार्षिक प्रतिवेदन समय पर सदन की मेज पर रखे जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2014-15

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री सुखराम विश्नोई।

याचिका

सांचौर में रेस्क्यू सैंटर

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं-

1- विधान सभा क्षेत्र सांचौर, जिला जालौर में हिरणों के लिये रेस्क्यू सेन्टर खोलने बाबत,

सांचौर में मृदा जांच प्रयोगशाला

2- विधान सभा क्षेत्र सांचौर में मृदा जांच की प्रयोगशाला खोलने बाबत् ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

पादरली ग्राम पंचायत, आहौर में बालिका स्कूल

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आहौर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पादरली में बालिका स्कूल खुलवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। पुर:स्थापित किए जाने वाले विधेयक। श्री गजेन्द्र सिंह।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विशेष विनिधान रीजन विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आय व्ययक अनुमान वर्ष 2016-17, श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, सुबह माननीय मंत्रीजी ने प्रश्न के जवाब में कहा कि 1995 में भी, 1996 में भी कामिनीजी का प्रश्न था, मैं ही चिकित्सा मंत्री था, फिर बीच में विपक्ष में आ गये, फिर आ गये, फिर चिकित्सा मंत्री आ गये तो या तो अशोक सिंघवीजी जब भी आते थे तो माइनिंग में आते थे या राजेन्द्र राठौड़जी जब भी आते हैं तो चिकित्सा में आते हैं, यह कारण क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसका कारण तो आप ही खोजो, आपसे ज्यादा विद्वान इस बारे में कोई नहीं है।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 – चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 71,64,74,37,000 (इकहत्तर अरब, चौंसठ करोड़, चौहत्तर लाख, सैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 26 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर जसवंत सिंह।

मांग संख्या 26 पर विचार

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तिवाड़ीजी वाला जवाब मैं ही दूंगा। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 26, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विभाग एक ऐसा विभाग है जो मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। स्वस्थ मनुष्य होगा तो स्वस्थ समाज भी होगा, स्वस्थ दिमाग भी होगा। प्रदेश, देश, सभी जब सब स्वस्थ होंगे तो उन्नति की तरफ बढ़ेंगे। अभी माननीय तिवाड़ीजी ने भी कहा और हमारा विपक्ष बार-बार यह कहता है, राठौड़ साहब के बारे में, हमारे चिकित्सा मंत्रीजी के बारे में कि चिकित्सा मंत्रीजी तड़फड़ा रहे हैं और विभाग के लिए पर मैं ताज्जुब यह करता हूं कि शायद इंसान के जीवन से बहुमूल्य जीवन कोई हो नहीं सकता क्योंकि हमारे हिन्दू शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सारी योनियां पार करके इंसान को मनुष्य जीवन मिलता है और उसको बचाने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए उससे बड़ा कोई पुण्य भी नहीं हो सकता और जिस तरह का कांग्रेस राज में तत्कालीन सरकार में इस विभाग को इस सरकार को सौंपा तो हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने भी सोचा होगा कि हैल्थ विभाग जो अपने आप में ही बीमार है, इसमें डाक्टर की जगह डाक्टर नहीं, ऑपरेशन थियेटर की जगह आपरेशन थियेटर सही नहीं, दवाइयों की जगह दवाइयां नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ की जगह पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं और ऐसा विभाग जो मनुष्य के जीवन को, चाहे हम कितना ही भौतिक सुख ले लें अगर इंसान का शरीर ठीक नहीं है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा।

(14.00 बजे)

ऐसा विभाग जो अपने आप में ही बीमार हो वह किसको सौंपा जाय तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को कोई सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टर मिला, सबसे काबिल डाक्टर मिला तो वह राठौड़ साहब मिले। मेरा तो यह मानना है तिवाड़ी जी इसलिए इनको दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इनके नाम के आगे फिर डाक्टर लगा दें?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): डाक्टर से नहीं, साधु, संत, हमारे योगी, रामदेवजी दुनिया को चला रहे हैं उनके आगे डाक्टर नहीं है। जितने हमारे साधु, संत हैं, चरक और सुश्रुत, जिनके आगे डाक्टर नहीं था उन्होंने इस डाक्टरी का हमको सब कुछ दिया जो आज दुनिया में प्रचलित है। तो डाक्टर लगाना जरूरी नहीं होता, ज्ञान तो अपने आप अन्दर से आता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): डाक्टर लगा है वे बनते नहीं हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): वे बनते नहीं हैं। मन तो मेरा भी था। इसलिए इससे बड़ा कोई भी विभाग हो नहीं सकता, क्योंकि जिसकी जैसी सोच है वह वैसा ही सोचेगा। बार-बार विपक्ष के लोग यह कहते हैं कि मलाईदार नहीं मिला। इससे बड़ा पुण्य का महकमा कोई हो नहीं सकता जो राजेन्द्र जी राठौड़ को मिला है। शायद वे समझ नहीं पाते, उनके दिमाग में मनुष्य की कीमत है ही नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, आपकी सच्चाई बता रहा हूं। आप काबिल हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपकी अभिशंसा कर रहे हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप एक काबिल हैं और जिस तरह का विभाग जिस हालत में मिला, आपके अलावा इसको सही तरीके से कोई चला भी नहीं सकता था। तो यह मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद है कि आप जैसे काबिल इंसान को चुना।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): डाक्टर तो आप हो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मन तो मेरा भी खूब था, पर मेरे कारसेवकों ने काफी कारसेवा कर दी तो इसमें मुख्य मंत्रीजी का दोष नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कारसेवा करने वाले भी डाक्टर थे।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): वे नकली। जिस तरह से उप स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर मेडिकल कालेज तक 17 हजार चिकित्सा संस्थानों का संचालन सफलतापूर्वक कर रहे हैं और यह हकीकत है, हम चाहे आज कुछ भी कहें। पिछली सरकार ने ताबड़तोड़ जिस तरह से उप स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, सीएचसी, उनके दिमाग में नहीं था कि इनका हश्र क्या होगा, उनके

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

दिमाग में नहीं था कि इंसान को इससे लाभ क्या मिलेगा। मैं हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे काबिल हैल्थ मिनिस्टर साहब और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे हालात में भी आप उनका संचालन कर रहे हैं। बजट भी बहुत ज्यादा नहीं है, 8742 करोड़ रुपया कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पर फिर भी उसमें जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यह अपने आप में एक परिपक्व सोच की कल्पना है। जहां जरूरत नहीं थी वहां केवल वोट के लालच में पीएचसी खोल दी, सीएचसी खोल दी, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये और आज यह पता था कि न नर्स है, न डाक्टर है, न बिल्डिंग है, न साज है, न सामान है तो इसका होगा क्या? उस चीज को सही रास्ते पर ले आना यह अपने आपमें बड़ी बात है, मैं कोई वैसे ही राठौड़ साहब का प्रशंसक भी नहीं हूं, पर सच्चाई तो कही जाएगी। यह अपने आपमें कीर्तिमान नहीं हुआ? हम सबके लिए गौरव की बात है कि सीमित साधनों के अन्दर एसएमएस मेडिकल कालेज के अन्दर लिवर ट्रांसप्लांट करना बहुत बड़ी बात है। राजस्थान का गौरव भी बढ़ा, मनुष्य के जीवन को भी बचाया। इनकी टीम को धन्यवाद है, इस तरह का कार्य करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है।

हर आदमी चाहता है कि जीवन के अन्दर कोई बीमारी हो जाय, पैरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाय, बच्चे चाहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ठीक हो जाएं। सभी लोग यह चाहते हैं किसी भी तरह, कहीं भी जाकर वे ठीक हो जाएं। अब गरीब आदमी बीमार होता था तो गवर्नमेंट होस्पिटल की जगह और कहीं के लिए कहें कि उस होस्पिटल के अन्दर ठीक हो सकता है तो वह जा नहीं सकता था। उसको बार-बार सोचना पड़ता था कि वह खर्चा कैसे वहन करेगा। खर्च के अन्दर ही अपना सब कुछ गिरवी रख देता था। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जो स्वास्थ्य बीमा योजना दी है, यह वाकई में इतना बड़ा कार्य है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आज कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए, जो अपने बीमा से जुड़ा हुआ है, सारे के सारे 432 गवर्नमेंट हास्पिटल्स में तो इलाज करा ही सकता है, लेकिन जो पैनल में 423 प्राइवेट होस्पिटलस जोड़े हैं और सरकार की मंशा है, इसमें और होस्पिटल्स को भी जोड़ रहे हैं तो शायद उनके जीवन में कोई काम हो नहीं सकता। ख्वाब में नहीं सोच सकते थे कि हम अपना इलाज उस अस्पताल में करवा सकते हैं जिसमें कभी घुसने में भी दिक्कत आती हो और वहां फ्री में इलाज हो जाए और उनका जीवन बच जाए तो यह अपने आप में हकीकत में एक प्रशंसनीय कार्य है और इससे बड़ी सोच कोई हो भी नहीं सकती।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

सबसे बड़ी बात यह है कि दिसम्बर, 2015 के अन्दर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हुई। इतनी जल्दी 43 हजार से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिला। वाकई में इसकी जरूरत थी। इस बात के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, ये हमारे साथी नहीं हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। इस बजट में हमारी यशस्वी मुख्यमंत्रीजी ने, वह भी चाहतीं तो पूर्ववर्ती सरकार की तरह जहां चाहे घोषणा कर देतीं, पर पता है कि कोई भी चीज खोलने का मकसद यह होता है कि उसको डाक्टर भी मिले, नर्स भी मिले, स्टाफ भी मिले, सब कुछ मिले। अभी भी उन्होंने जहां जरूरत थी, पूर्ववर्ती सरकार को तो यह पता नहीं था कि कहां जरूरत है, केवल वोट की बात होनी चाहिए। इनका क्या होगा यह भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस वक्त क्रमोन्नत वो किये जहां जिस चीज की जरूरत थी, आवश्यकता थी। इसके लिए बहुत मेहनत की है कि किस क्षेत्र में किस चीज की जरूरत है। जहां बैड बढ़ाने की जरूरत थी वहां बैड भी बढ़ाए। काम सारे किये अभी भी। उप स्वास्थ्य केन्द्र को स्वास्थ्य केन्द्र में बदलना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सीएचसी में बदलना शय्याओं की संख्या बढ़ाना। किया वहीं जहां जरूरत थी। अब कोटपूतली के अन्दर तो हमारा विधायक नहीं है, फिर भी वहां 200 से 250 की हैं क्योंकि वहां जरूरत है। मैंने ज्यादातर देखा इस मेडिकल के अन्दर जो काम हुआ है इसमें एक बार भी यह पार्शियलिटी नहीं की। मैं पिछली बार भी एमएलए था, हमारे यहां उप स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र खुले, जहां जरूरत थी वहां नहीं खुले। इस बार यह देखा कि एक बार सरकार ने यह नहीं देखा कि कहां अपना विधायक है, कहां नहीं है। केवल यह देखा, कि मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए कहां उपयोगिता है, कहां जरूरत है वहीं पर बैड बढ़ाए, वहीं ये सारी सुविधाएं कीं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1716.12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, यह अपने आप में ऐतिहासिक है। सबसे बड़ी बात जो 5 करोड़ रुपये रखे हैं, वाकई गांवों में देखते थे, जाते थे तो ज्यादातर बच्चों में अवेयरनैस नहीं थी, दांत खराब थे। जो सर्वे हुआ 2014-15 और 2016 का, उसमें भी 20 परसेंट बच्चों के दांत खराब मिले। उसके अनुसार यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच है कि 100 डेंटल चेयर। हर सम्भाग स्तर पर और ज्यादा जरूरत है मोबाइल यूनिट की जो घोषणा हुई है, जिसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है कि 8742 के बजट को किस बखूबी तरीके से कि कहां किसकी आवश्यकता है, सारा बजट मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए, उसके

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

स्वास्थ्य को बचाने के लिए उपयोग हो जाय, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मैं इसको देखकर दंग रह गया कि वाकई में क्या सोच रही है। आनन-फानन में नहीं किया गया, मेहनत की गई है।

मैं आज देख रहा था, मांग संख्या 26 पर किस विधायक ने क्या-क्या मांगा। इसमें पहले ही आ गया था। हमारे चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने लिखा कि डोपलर मशीन की जरूरत है। वाकई में इन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी है, स्टडी की, वह विधायक तो वहां का रहने वाला है, वह कर रहा है, पर यहां बैठे हुए लोगों को पता है कि कहां कौनसी मशीन की जरूरत है।

तो यह भी अपने आप में प्रशंसा की बात है। इसी तरह से उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालयों, अस्पतालों के नव निर्माण के लिए भी कहा है। कहीं जर्जर हालत हैं, कहीं बहुत बुरी अवस्था में अस्पताल पड़े हैं और उनके लिए 31 करोड़ रुपये रख देना भी अपने आप में बड़ी बात है। सोचते थे कि जब बजट पास होता है तो कोई इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देता।

आरोग्य राजस्थान के तहत 1 करोड़ 5 लाख परिवारों का सर्वे हुआ और जो कार्ड बन रहे थे और जिनके लिए हमारे विपक्ष के लोग मजाक भी उड़ा रहे थे। उनका जिस तरह से आनलाइन रजिस्ट्रेशन करना और अब उनको भामाशाह बीमा योजना से जोड़ना, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से यही प्रयास जो हमारी यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री जी कर रही हैं, हमारे हैल्थ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, उसमें यह पता था कि राजस्थान में डाक्टर, स्पेशलिस्ट डाक्टर, इन सबकी बहुत कमी है और सही आंकड़े तो मुझे पता नहीं पर 35 हजार के लगभग सीटें मेडिकल डिपार्टमेंट में खाली मिली थीं। तो इसके लिए अगर पूर्ववर्ती सरकार भी प्रयास करती तो शायद यह दुर्दशा नहीं होती। उन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किये और उन्होंने तो केवल वाह-वाही ले लेना, उसका कोई मतलब नहीं रखा। यह कितनी बड़ी सोच है कि 7 मेडिकल कालेज खोलने से 700 सीटें तो वो बढ़ेंगी, अजमेर, कोटा, उदयपुर में 100-100 सीटें और झालावाड़ में 50 तो 350 सीटें ये बढ़ा देना, यह भी अपने आप में एक बड़ी सोच की बात है कि किसी तरह से जरूरत पूरी हो। सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया तो लिया है कि किस तरह से डाक्टरों की कमी से निपटा जाए तो तुरन्त प्रभाव

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

से उनकी उम्र 60 साल से 62 साल कर देना, यह एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और इससे निश्चित रूप से इस चिकित्सा विभाग को ऐतिहासिक फायदा मिलेगा।

बहुत जगह, जब देखो तो वहां कहीं मावा मिलावटी, कहीं कुछ-कुछ मिलावटी की बात आती है तो हमारे पास पहले प्रयोगशालाएं ही कुल 6 थीं। अब 60 साल में 6 बनीं और इन दो साल के अन्दर 5 बना देना, यह भी अपने आप में दर्शाता है कि लोगों की हैल्थ के प्रति कितनी जागरुकता है। इसके लिए भी हमारे हैल्थ मिनिस्टर और मुख्य मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं।

इसी तरह से जब देखो तब बच्चों के लिए बहुत शोर मचता था और उन नवजात शिशुओं को बचाने के लिए 16 न्यू बोर्न स्टेब्लाइजेशन यूनिट को क्रमोन्नत कर स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट बनाई है, यह भी अपने आप में एक जागरुकता है और इस बात के लिए भी हम हमारे हैल्थ मिनिस्टर साहब को धन्यवाद दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वाकई में आज हिन्दुस्तान को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो आयुर्वेद की जरूरत है। आयुर्वेद एक ऐसा विभाग है जिसने पूरी दुनिया को चिकित्सा शास्त्र दिया है, चिकित्सा दी है। पूरी दुनिया के अन्दर जो कुछ है वो आयुर्वेद की ही उपज है। जितनी भी पैथी हैं और उनका कोई जनक है तो वो आयुर्वेद ही है और इस तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया और अब ध्यान दिया है। पहले 30 आंचल प्रसूता केन्द्र, 24 पंचकर्म केन्द्र एवं 22 जरावस्था केन्द्र थे और अब आगे के लिए 9 जिलों में पंचकर्म केन्द्र खोल देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 11 जिलों में जरावस्था केन्द्र खोल देना और प्रसूता आंचल केन्द्र खोल देना भी बड़ी बात है। सबसे बड़ी उपलब्धि इसमें है तो वह यह है कि पंचकर्म से अच्छी कोई पैथी दुनिया में हो नहीं सकती। उसमें पूरे इन्सान का ओवरहाल हो जाता है और ज्यादातर बीमारियों का तो पंचकर्म करने के बाद में समूल नष्ट हो जाता है। परन्तु आज तक उनसे कराने का किसी ने यह फैसला ही नहीं लिया, किसी में फैसला लेने की हिम्मत ही नहीं थी कि उनके ऊपर जो खर्च होता था उसका कभी भी रिफण्डेबल नहीं होता था और हमारी इस सरकार ने, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी, हमारे हैल्थ मिनिस्टर साहब ने यह करके सही मायने में जो भारत माता को आयुर्वेद की जरूरत थी इससे आयुर्वेद के प्रति लोगों का प्रचलन बढ़ेगा क्योंकि एलोपैथी के साइड इफैक्ट होते हैं जिसे कोई नकार नहीं

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

सकता। आयुर्वेद पैथी ऐसी है जो सस्ती भी होती है, सुलभ भी होती है बशर्ते इसकी गुणवत्ता सही रखी जाए। इसमें जो काम किया है यह भी अपने आप में बड़ा है।

अब आपको बताता हूं कि पूरे 60 सालों में तो एमबीबीएस की 1400 सीटें थीं और फिर हम सब हल्ला मचाते हैं कि सारा विभाग खाली पड़ा हुआ है। इसको पूरा करने के लिए 7 मेडिकल कालेज खोल देना, 700 वो हो गई, 350 ये होंगी, तो जितनी 60 साल में सीटें थीं उतनी अब दो साल के अन्दर सीटें कर दीं। मेरे ख्याल से तो इससे बड़ा कोई और ऐतिहासिक फैसला हो नहीं सकता और इस पर पैसा भी खूब खर्च होता है। इन 350 सीटों में 420 करोड़ रुपये खर्च होगा। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर एसएमएस मेडिकल कालेज के अन्दर जो नाम है, इसके लिए जो लैब का अपग्रेडेशन होना था उसके लिए 10 करोड़ 50 लाख देना, स्वाइन फ्लू के लिए सारी दुनिया चिंतित है उसकी लैब को अपग्रेड करना, कैथ लैब को अपग्रेड करना, इसी तरह से अजमेर के अन्दर मोड्यूलर आपरेशन थियेटर, इन सबकी जरूरत है इन्सान को बचाने के लिए। इन सब जरूरतों को पूरा किया है और यहां तक की हास्टल तक का ध्यान रखा कि पी.जी. हास्टल है उसके लिए भी जरूरत की चीजें हैं।

मैं दो-चार चीजें आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय, जब इन्सान का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है, अपना जीवन उसने किस तरह से गुजारा है वो एक साइंटिस्ट भी हो सकता है, मजदूर भी हो सकता है, एक डाक्टर भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा व्यापारी भी हो सकता है, गवर्नमेंट सर्विस में भी हो सकता है, कोई नेता भी हो सकता है लेकिन जब डैथ के बाद मोर्चरी में जाता है तो उसकी तरफ आज तक किसी का ध्यान नहीं गया है। इसलिए आप निश्चित रूप से इसके अन्दर प्रावधान करें कि मोर्चरियों की क्या हालत है। आज वहां पर आदमी घुस नहीं सकता, वहां लाइट नहीं है, उनके अन्दर किसी तरह की सेफ्टी नहीं है और कई जगह तो ऐसा पाया गया कि डैड बॉडी को चूहों, कुत्तों और बिल्लियों के द्वारा नोंच लिया गया है इसलिए यह एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसके लिए मुख्य मंत्रीजी से, आप सैंसिटिव हो, बात करना और हमने इसका कहीं जिक्र नहीं किया इसलिए इसका जिक्र आप निश्चित रूप से करना।

एक और निवेदन है कि हमारे यहां जो मेडिसिन की टेंडरिंग होती है,

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

जेनरिक मेडिसिन के लिए टेंडर देते हैं, इन्सान के स्वास्थ्य से बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती है और उसमें भी आप वही रवैया अपनाते हैं जो सड़क बनाने में, पुल बनाने में या किसी और चीज में अपनाते हैं कि जो लोएस्ट टेंडर देगा उसको दिया जाएगा। पर इसमें एक मजबूत फैसला लेना चाहिए और इसमें लोएस्ट के स्थान पर क्वालिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसको आपको चैक कराना चाहिए कि हर कम्पनी की क्वालिटी में बहुत बड़ा अन्तर होता है। सिप्ला की अलग होती है, किसी और कम्पनी की अलग होती है तो दुनिया भर की होती है और इसी तरह से आयुर्वेद में भी होता है। कई जगह देखा है कि जैसे हमारे यहां विधान सभा के अन्दर भी जो गवर्नमेंट सप्लाई आती है वो केवल-केवल इस बात पर उनकी सप्लाई होती है कि वो सस्ता देते हैं पर यह नहीं देखते कि इसका जीवन के अन्दर क्या असर हो रहा है। मैं किसी कम्पनी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन कई तो मिट्टी बराबर होती है, नाम ही होता है। पिछली बार हम यही बात कहते थे कि पूर्ववर्ती सरकार ने फ्री दवाइयां कर दीं, फ्री दवाइयां कर दीं तो क्या तो वो फ्री दवाई थी बल्कि अगर उसकी सही स्टडी की जाए तो डैथ रेट उससे बढ़ा था। क्योंकि उसमें पूरी दवाइयां नहीं थीं, क्वालिटी नहीं थी और केवल क्वांटिटी थी। जो चाहे वो दे दो तो उसका रिजल्ट चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का मकसद ही यही है कि इन्सान को स्वस्थ रखा जाए और इसमें भी हम यह सब चीजें देखने लगें तो यह हमारी कमजोरी होती है। इसलिए इसमें आप कानून में क्या परिवर्तन कर सकते है, वह करें। 24 घंटे इसी बात को सोचना कि वो महंगी ले ली, अब अच्छी कम्पनियां तो महंगी ही देंगी, वो उस रेट पर नहीं दे सकतीं जो एक हिमाचल में बनी हुई कम्पनियां दे सकती हैं, सम्भव नहीं है। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि इसमें सरकार कोई न कोई मजबूत फैसला ले।

दूसरा, आयुर्वेद के लिए हमारे यहां काफी गौशालाएं हैं। वे बहुत अच्छा गौ-मूत्र से मेडिसिन बनाते हैं पर हम उनको आयुर्वेद में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर उन मेडिसिन को हम आयुर्वेद के कोर्स में जोड़ दें तो आपका डबल फायदा होगा। गौ-वंश भी बचेगा, आपको पैसा भी कम देना पड़ेगा और 100 परसेंट जिस भी बीमारी के लिए वह मेडिसिन बनाई गई हैं, उसका इलाज होगा, उन बीमारियों का समूल नाश होगा। तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनको लेने में कठिनाई तो आती हैं, पर आप जैसा काबिल स्वास्थ्य मंत्री, यह मैं नहीं कह रहा, आप सोचोगे कि डाक्टर साहब में आज क्या हो गया है। पर आप में

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

हिम्मत है, हौसला है, आप अपनी बात कह सकते हो मजबूती से, इन चीजों को आप कंसीडर कराइये क्योंकि बीमार महकमे को सही लाइन पर ले आना बहुत बड़ी बात होती है।

कुछ घोषणाएं पिछली सरकार ने कीं, वे घोषणाएं हो गईं, आप उनको अब कैंसिल नहीं कर सकते। आपने डिस्पेंसरी खोल दी, उसमें अगर आपका स्टाफ नहीं है तो वह डिस्पेंसरी किस बात की? उस डिस्पेंसरी के पास बिल्डिंग नहीं है तो वह डिस्पेंसरी किस उपयोग की? मेरे विधान सभा क्षेत्र में आप ताज्जुब करोगे, पूर्ववर्ती सरकार ने केवल कुछ वोट लेने के लिए सीएचसी खोल दी, जिसमें कुल ही तीन कमरे थे। अब तीन कमरों में तो वह संचालित नहीं हो सकती, जिसका नाम पहाड़ी गांव है। दो साल से मैं बार-बार आपको भी अवगत करा रहा हूं। अब उसको आप बंद भी नहीं कर सकते और उसका उपयोग करना है तो निश्चित रूप से आगे घोषणाएं मत करो क्योंकि घोषणाओं से जनता परेशान हो चुकी है। ऐसा हाल कर दिया पूर्ववर्ती सरकार ने कि घोषणा का मतलब झूठ का पुलिंदा, किसी उपयोग का नहीं। यह तो खाली घोषणा है। अब आपको इसको मूर्तरूप देने के लिए चाहे आगे की घोषणाएं बंद करो, पर जो भी अस्पताल है, मेरे यहां बहरोड़ के अन्दर 100 बैड का अस्पताल बन गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी जाकर पत्थर लगा आये। मैंने खुद ने हमारे काबिल चिकित्सा मंत्रीजी राठौड़ साहब से कहा उपाध्यक्ष महोदय, तो वो बोले कि यह तो हमारे रिकार्ड में है ही नहीं। मैंने कहा कि अब अगर यह नहीं हुआ तो जनता में क्या मुंह दिखायेंगे? आपने 100 बैड की इसकी घोषणा कर दी। पर तकलीफ तो होती ही है। अब 100 बैड की घोषणा करते तो पूर्ववर्ती सरकार से हमें भिन्न तो बनना पड़ेगा। उस बहरोड़ के होस्पिटल में एक साल में अब तक न तो कोई आईसीयू खुला, न कोई वेंटीलेटर आया, न कोई किसी तरह की मशीन आई, न कोई स्पेशलिस्ट डाक्टर आया, ना पीएमओ का स्टाफ आया, न और स्टाफ आया, न पैरामेडिकल स्टाफ का कहीं सृजन हुआ। तो, एक भी स्पेशलिस्ट डाक्टर नहीं आये एक साल के अन्दर तो लोग हमसे और आपसे अपेक्षा ज्यादा करते हैं। मेरा तो आग्रह है, परेशानी आपको है, सीमित संसाधन है, बहुत बड़ा बजट नहीं है, आपके पास डाक्टर्स की कमी है लेकिन जनता इस बात को नहीं देखती। जनता तो यह कहती है कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और हमारे काबिल चिकित्सा मंत्रीजी इसके मालिक हैं और वह सक्षम हैं इन चीजों को पूरा करने के लिए। इसलिए

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

मेहरबानी करके आगे की चाहे घोषणाएं मत करो, अगले बजट में घोषणा की बात मत करो, पर जो घोषणाएं कीं, पहले उनको पूर्ण करो।

अगर किसी अस्पताल के अन्दर वेंटीलेटर नहीं है और आपने 100 बैड का अस्पताल बना दिया तो क्या वह मारने के लिए बूचड़खाना थोड़े ही बनाया है। वहां पर स्पेशलिस्ट डाक्टर नहीं हो तो किस बात के लिए? वहां का अगर स्टाफ नहीं है तो किस बात के लिए? सोनोग्राफी मशीन नहीं है तो किस बात के लिए? तो मेरा आग्रह है, फिर हकीकत में अपने आप में आपकी मजबूरियां हैं, इनसे जनता को निजात तो आप ही दिलाओगे क्योंकि जनता को आपसे ज्यादा अपेक्षा है।

गांवों के अन्दर वैसे तो बहुत बड़ा हंगामा मचा था जो मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मैं उस दिन भी सोच रहा था कि साधन सीमित हैं, डाक्टर्स नहीं हैं, पिछली सरकार ने सारा दीवाला निकाल दिया था। इस मिनिस्ट्री को बीमारू मिनिस्ट्री बना दिया था। उसको संभालना कोई आसान काम नहीं है। पिछली बार हंगामा मचाया।

मैं ताज्जुब कर रहा था कि एक स्कूल के अन्दर जेंट्स टेलर ने लड़कियों का नाप ले लिया, बड़ा भारी हंगामा मचा। क्या हम में से किसी को सोचने का वक्त है कि गांव के जितने सीएचसी हैं, जिनमें महिलाएं आती हैं अपनी अन्दरनी बीमारियों के लिए या डिलीवरी कराने के लिए, उनको जेंट्स चैक-अप करते हैं। इस बारे में तो कभी नहीं सोचा। क्यों नहीं किसी ने भी आवाज उठाई कि लेडीज का तभी चैक-अप हो सकता है जब कोई लेडीज डाक्टर हो, स्पेशलिस्ट डाक्टर हो, गायनोकोलोजिस्ट हो। किसी का ध्यान आज तक नहीं गया। नाप लेने के लिए एक टेलर ने कहा, किससे ले लिया। पूरा सदन चिंतित हो गया और रोजाना जो बहिन-बेटियां जेंट्स के हाथ से डिलीवरियां कराती हैं, अपनी सारी अन्दरूनी बीमारियां दिखाती हैं, आज तक एक बार भी यह बात नहीं उठी। क्या यह नहीं उठनी चाहिए थी? आपसे निवेदन है कि कैसे भी करके इसकी तरफ ध्यान तो देना पड़ेगा। पिछली सरकार के टाइम में जोधपुर में और पता नहीं कितनी जच्चाएं मरीं? हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और हमारे काबिल मंत्रीजी की देन है कि इस बात को ध्यान रखा है कि वाकई में संक्रमण फैलता है तो संस्था को पांच करोड़ रुपये देगी। यह भी अपने आप में अनूठा काम है। कितनी सेंसिटिव है यह सरकार।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

मैं आपसे ही निवेदन करूंगा कि इसी तरह से हमने थोड़ा-सा भी होम्योपैथी की तरफ ध्यान नहीं रखा। आजकल लोगों का रूझान होम्योपैथी की तरफ बढ़ रहा है। होम्योपैथी की मेडिसिन सस्ती भी मिलती हैं, उनका कोई साइड इफैक्ट भी नहीं होता। तो आपसे निवेदन है कि कुछ न कुछ होम्योपैथी की डिस्पेंसरीज और बढ़ाई जायें और आयुर्वेद का जितना प्रचार-प्रसार हम ज्यादा करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। आज चाइना में चाइनापैथी, तिब्बत में तिब्बतपैथी है। कहीं भी जाओ, हम अपनी पैथी को भूलकर अंग्रेजी गुलामों की तरफ दौड़ रहे हैं जो रोगों को समूल नष्ट करने की ताकत आयुर्वेद की मेडिसिन के अन्दर है, बशर्ते कि इसमें क्वैक्स नहीं हों।

एक गांव में जो दवाखाना है और ये बैठे हुए हैं ना, आधे तो ये बर्बाद कर रहे हैं, बीमारियों को और बढ़ा रहे हैं कि कम से कम जो क्वैक्स गांवों के अन्दर काम कर रहे हैं झोलाछाप जिन्हें कहते हैं, इनकी तरफ ज्यादा ध्यान दो। इन बीमारियों को बढ़ाने में इनका भी अपना योगदान है। चाहे स्वाइन फ्लू हुआ, चाहे डेंगू हुआ, कोई और हुआ। माननीय हैल्थ मिनिस्टर साहब, मन से धन्यवाद दे रहा हूं, जिस काबिलियत से आपने और आपकी टीम ने काम किया, शायद यह इतिहास में अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है।

माननीय डोटासराजी आ गये हैं। मैं इनको ही तलाश कर रहा था। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से, क्या मनुष्य से बड़ा जीवन किसी का हो सकता है? क्या इससे बड़ा कोई परोपकार हो सकता है? सारी योनियां पार करके मनुष्य जीवन मिलता है। वह महकमा राठौड़ साहब के पास है। वह केवल काबिल इन्सान के पास ही हो सकता है। आप जैसे आदमी को वह महकमा नहीं मिल सकता। इसलिए ध्यान रखना, इस महकमे का। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राठौड़ साहब को भी झटका दे रहे हैं और हमें भी दे रहे हैं। क्या ये तीसरा दल बनाने वाले हैं क्या? यह तो पूछ लो।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जिस मांग पर चर्चा है...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद कि आप बहुत देर बाद पधारे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ...वह लोक कल्याण का ऐसा विषय है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल में चिकित्सा व्यवस्था की जो दुर्दशा हुई थी। अस्पताल है, डाक्टर नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं। लोक-लुभावनी घोषणाएं जरूर कीं उन्होंने। नि:शुल्क दवा, नि:शुल्क जांच। पर दवा लिखने वाले कितने हैं? इसकी कभी व्यवस्था उस सरकार के कार्यकाल में नहीं हुई।

मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मैंने इसी विधान सभा में पिछले कार्यकाल में एक प्रश्न लगाया था कि पाली के बांगड़ चिकित्सालय में किस-किस फैकल्टी में कितने-कितने सर्जन हैं और उनका वार्षिक वेतन कितना है? यह भी पूछा कि थियेटर में कितना स्टाफ है और उसका वार्षिक वेतन कितना है? पोस्ट-आपरेटिव वार्ड और सर्जिकल वार्ड में कितना स्टाफ है और उसका वार्षिक वेतन कितना है?

और इस अवधि के दौरान किस-किस बीमारी के कितने-कितने आपरेशन हुए? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जवाब आया वह चौकाने वाला था कि सर्जन डाक्टर मौजूद हैं, चाहे वह आर्थोपेडिक सर्जन हो, चाहे जनरल सर्जन हो, गायनिक सर्जन हो, चाहे ईएनटी सर्जन हो, चाहे आई सर्जन हो, एक आपरेशन अपेन्डिक्स का उसका जो एवरेज बैठता है वह 1 लाख 85 रुपये बैठता है उस जवाब में। एकमात्र एनेस्थीसिया का डाक्टर नहीं था जिसके लिए मैं बार-बार इस सदन में मांग करता रहा था और उसकी वजह से सारे सर्जन बेकार बैठे रहे कई लम्बे समय तक और इतना खर्चा हुआ। कहां की फोकट की दवाई काम आ गई उसके जब उसका आपरेशन ही नहीं हुआ? एक मामूली-सा आपरेशन अपेन्डिक्स का उसको भी वह प्राइवेट में करवाने के लिए मजबूर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हमारी चिकित्सा व्यवस्था आईसीयू में चली गई थी, वेंटीलेटर पर थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं गवाह हूं इस बात का और मैं धन्यवाद दूंगा हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को, हमारे बहुत डायनामिक चिकित्सा मंत्रीजी को कि बहुत कम समय में जिस तरीके से चिकित्सा व्यवस्था में सुधार किया और राजस्थान के मरीजों को राहत दी है। यह वाकई में चमत्कार है, इतनी कम अवधि में इतनी लचर व्यवस्था को इतना बेहतर बनाना कोई मामूली काम नहीं होता। चारों दिशाओं से, हर रास्ते से किस प्रकार इस व्यवस्था को ठीक किया जा सके इस बात का प्रयास किया और रिक्त पदों की भर्ती का जो अभियान चला, सारे गवाह हैं उसके कि हमारे दो

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

साल के कार्यकाल में 3394 चिकित्सकों को नियुक्ति दी गई। हम तो और देने वाले थे, हमने कभी कमी नहीं रखी, डाक्टर आये ही इतने। फिर भी कमी लगी तो पे-माइनस पेंशन से भी जो डाक्टर अपनी वापस सेवाएं देना चाहता है उसको भी हमने मौका दिया और जिला स्तर पर भी वाक-इन-इंटरव्यू के जरिए जो-जो चिकित्सक लगना चाहे वह अधिकार भी हमने जिला कमेटी को दे दिए ताकि उसको जयपुर तक के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। मतलब हर तरीके से प्रयास किया है और ये प्रयास अब भी लगातार चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी पद रिक्त नहीं है, बहुत सारे पद रिक्त हैं पर जिस तरीके से प्रयास हो रहे हैं और जिस तरीके की पहले की जो कमियां थीं। बहुत जल्दी जिन रिक्त पदों की बात सदन पिछले कई वर्षो से करता आ रहा है वह हमारे चिकित्सा मंत्रीजी के नेतृत्व में निश्चित रूप से पूरी होगी। पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती में तो हमने कमाल कर दिया। नर्स ग्रेड-।। के हमने 11208 की भर्ती अभी की है और पूरा पैरामेडिकल स्टाफ देखें चाहे एएनएम हो, चाहे लैब टैक्निशियन हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे दंत तकनीशियन हो, चाहे सहायक रेडियोग्राफर हो, चाहे नेत्र सहायक हो, तंबाकू नियंत्रण इकाई हो, 17332 की तो हमने सीधी भर्ती की है। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र के बांगड़ अस्पताल में नर्सिंग का एक भी पद खाली नहीं है। संविदा की भर्ती की हमने 1254 और जो हमारी भर्ती प्रक्रियाधीन हैं जो आने वाले समय में बहुत जल्दी हो जाएगी वह भी 9 हजार से भी ज्यादा है। मतलब हम सतत् प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार जो यह कमी है उस कमी को पूरी करके चिकित्सा व्यवस्था को इतनी बेहतर बना दें कि हमारी जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसका सीधा-सीधा लाभ हर मरीज तक पहुंच जाए। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा।

माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आपकी और भी योजनाएं हैं, उसके लिए भी आपको धन्यवाद दूंगा। यह भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना इस प्रदेश की 67 परसेंट वह आबादी जो अन्न सुरक्षा से जुड़ी है उसके लिए बहुत बड़ा वरदान है और मैं यह भी कह सकता हूं। क्योंकि मैं यहां एसएमएस में ओपन हार्ट सर्जरी के काफी सारे केसेज करवाता हूं। पहले मुझे मुख्य मंत्री सहायता कोष, प्रधान मंत्री सहायता कोष से सहायता राशि लेनी पड़ती थी। पर जब से आपकी यह योजना चालू हुई है मैंने 13 ऐसे मरीज जो बीपीएल या स्टेट बीपीएल में नहीं थे, इस भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से उनको लाभान्वित करवाकर के उनका निशुल्क इतना बड़ा आपरेशन करवा दिया। तीस हजार से

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

तीन लाख तक की राशि का कोई भी इलाज हो, किसी गरीब को, किसी मध्यम वर्ग के व्यक्ति को किसी के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा, किसी से उधार पैसे नहीं लाने पड़ेंगे, सरकार सारी व्यवस्था कर देगी, यह इतनी बड़ी योजना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में आने वाले कल में चिकित्सकों की कमी नहीं रहे इस दूरगामी सोच से जो काम किया है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान में एक नहीं, सात-सात नए मेडिकल कालेज जिसका जिक्र अभी जसवंत जी ने किया है मैं बार-बार जिक्र नहीं करना चाहूंगा उसका। यह कोई मामूली काम नहीं होता है कि सात नए मेडिकल कालेज इस राजस्थान की धरती पर एक साथ आए हैं। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी तो हमारी सरकार एनआरएचएम योजना लाई थी और हमारी इस सरकार ने एनयूएचएम, शहर में भी वही सुविधा मिले और उसमें भी प्रावधान ऐसे किए हैं कि बहुत निकट के अस्पतालों में उसको वह सुविधा मिल जाएगी। मैं उनको धन्यवाद इस बात के लिए भी दूंगा कि पाली शहर को भी आपने दो नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिए हैं, यह मांग थी हमारी पुरानी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक नि:शुल्क दवा की बात है, प्रतिपक्ष के सदस्य हम पर आरोप भी लगाते हैं कि हमने इस बजट में कटौती कर दी, अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में 2012-13 में 206 करोड़ 38 लाख की दवाइयां दी गई थीं और 2013-14 में जिसमें कुछ कार्यकाल हमारा था 324.34 करोड़ की दवाइयां दी गई थीं। 2014-15 में कुछ कमी जरूर आई है 313.49 करोड़ पर 2015-16 में फरवरी माह तक हमने 346.21 करोड़ की दवाइयां दी हैं जिसके बारे में कहते हैं कि हमारे अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, हमने दवाइयां देना बंद कर दीं, हमने इतनी दवाइयां दी हैं। परन्तु मैं चिकित्सा मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो दवाइयों की आवश्यकता है ना, उस पर निगरानी रखनी बहुत जरूरी है। अस्पताल से डिमाण्ड क्या आती है, मरीज किस दवा को चाहता है वो दवाई ही परचेज होनी चाहिए और वो दवाई ही सप्लाई होनी चाहिए। क्योंकि पाली में जब इनकी सरकार थी....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक जानकारी है, बीपी और डायबिटीज के रोगी बढ़े हैं इस दो साल में पाली में, जहां से ये माननीय सदस्य आते हैं। उसकी भी बात बताएं कि क्यों बढ़े? डायबिटीज और बीपी के दोनों के रोगी बढ़े हैं, यह प्रमाणित है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): वो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए बढ़े कि इनकी सरकार के कार्यकाल में जिस घटिया तरह की दवाइयां दी गई थीं वह एकमात्र वजह थी कि उसकी वजह से ये रोगी बढ़ गए। अगर उस समय गुणवत्ता वाली दवाई मिल जाती तो आज रोगियों की संख्या बहुत कम हो जाती। यह मैं नहीं कह रहा हूं, एक केस पाली में एंटी-करप्शन में दर्ज हुआ है पिछली सरकार के कार्यकाल के दवा घोटाले का। जिस दवाई की मरीज को आवश्यकता नहीं, जिस दवाई की अस्पताल ने डिमाण्ड नहीं की, दवा कंपनियों ने अधिकारियों को मैनेज करके बहुत बड़ी मात्रा में वह दवाइयां क्रय कर लीं। बाद में शिकायत पर जांच हुई और जांच में पाया कि वाकई में बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है तो मुकदमा भी दर्ज हुआ है। यह आपकी सरकार के कार्यकाल का है, हमारी सरकार के कार्यकाल का नहीं है, मुकदमा हमने दर्ज कराया है और जब इसकी जांच पूरी होगी तो आपको पता लगेगा कि ये मरीज बढ़े क्यों हैं और कैसी दवाइयां दी थीं वो?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब सीधा एसएमएस जो हमारे प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल है, जहां बहुत बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश के कई बीमारियों के मरीज एक उम्मीद लेकर आते हैं कि यहां हमारी बीमारी का इलाज हो जाएगा। और विशेष तौर से कार्डियक पेंशेंट की बात मैं कहना चाहूंगा सबको पता है कि जो मरीज कार्डियक सर्जरी के लिए आता है 3 से 5 महीने पहले उसका आपरेशन के लिए नम्बर नहीं आता है और यह बात सदन में कई बार उठी है। अधिकांश जो सदस्य हैं अगर उनके क्षेत्र का कोई मरीज आता है तो डाक्टर से अप्रोच भी करता है कि मेरे मरीज का आपरेशन थोड़ा जल्दी कर दो। हमने अप्रोच की डाक्टर से कि आपरेशन जल्दी हो जाए, पर हम वो व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाए कि बिना अप्रोच के भी हर मरीज का आपरेशन समय पर हो जाए। 1993 में जब माननीय भैरोंसिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय उस यूनिट को चालू किया गया था, 250 आपरेशन प्रतिवर्ष हो जाएं, इतने संसाधन उस समय जुटाये गये थे। आज आपरेशन की संख्या एक हजार से भी ज्यादा हो गयी, पर संसाधन डेढ़े भी हमने नहीं किये। कौन करेगा? यह हम करेंगे और मेरा हमारे चिकित्सा मंत्रीजी से विशेष आग्रह रहेगा क्योंकि आप भी कई बार आपके क्षेत्र के मरीज का आपरेशन जल्दी हो जाए उसके लिए अप्रोच करते हो, फोन लगाते हो या निर्देश देते हो। ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मेरा एक निवेदन है कि गत बार बजट में डिमाण्ड पर जब बहस हो रही था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय मंत्री महोदय ने इस बात की घोषणा की थी कि एसएमएस में हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी भी एमएलए के पास उसकी कांस्टीट्यूएंसी का कोई व्यक्ति आएगा और अप्रोच करेगा तो उसकी तुरन्त व्यवस्था हो जाएगी। अभी तक हुई नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वहां कमरा नम्बर-23 इसीलिए है कि अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो तो वहां बताएं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): फिर ये क्यों कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि जितनी बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं उसके अनुपात में हमारे यहां उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मरीजों की संख्या को देखते हुए हमको और संसाधन देने चाहिए और मैं इसके लिए माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद भी दूंगा कि जो इमरजेंसी ओ.टी. है, पोलीट्रोमा वार्ड है, उसको सीटी सर्जरी को देने के आपने आदेश कर दिये और लगभग तीन करोड़ से भी ज्यादा की राशि आपके द्वारा उस स्ट्रक्चर को और डवलप करने के लिए स्वीकृत कर दी गयी है, पर राशि स्वीकृत करने के बाद अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। कोई स्वीकृति हम जारी कर दें तो साथ में इस बात के लिए भी उसको पाबंद करें कि निश्चित अवधि में आपको यह काम पूर्ण करना है। पहले भी ऐसे कई सारे काम हैं जिनमें राशि स्वीकृत हो गयी पर काम समय पर नहीं हुआ। तो, मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि जो राशि आपने स्वीकृत की, जो इमरजेंसी ओ.टी., पोलीट्रोमा वार्ड दे दिया, इसमें यह एम्सपोशन और जल्दी से जल्दी हो जाए, यह मेरा आपसे आग्रह है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही अगर हम इस बात की चिन्ता नहीं करेंगे कि हमारे प्रदेश में आने वाले समय में भी कार्डियक सर्जन की संख्या बढ़े तो हो सकता है कि इस प्रदेश को आने वाले समय में कार्डियक सर्जन की बहुत ज्यादा कमी महसूस हो जाए। मैं आपकी जानकारी में डाल दूं कि हमारे यहां एमसीएच की आठ सीटें हैं, पिछले तीन साल में मात्र दो कैंडीडेट आये। एक-एक साल में दो-दो और एक साल में एक भी कैंडीडेट नहीं आया। होना यह चाहिए सीटें आठ हैं तो कम से कम पचास कैंडीडेट आने

(श्री ज्ञानचन्द पारख)
चाहिए जिनमें से आठ का सलेक्शन करें, पर जितनी सीटें हैं उतने कैंडीडैट भी एमसीएच करने नहीं आ रहे हैं तो हमको उसका कारण ढूंढना होगा कि क्या वजह हो गयी कि सरकारी अस्पताल एसएमएस जैसे एक प्रतिष्ठित अस्पताल में भी एमसीएच की सीटें खाली रह जाएं और उसका जो कारण है कि हम एमसीएच करने वाले डाक्टर को जो तनख्वाह देते हैं वो और प्रदेशों की तुलना में लगभग आधी हैं और साथ में हम बांड जो भरवाते हैं कि एमसीएच करने के बाद में आपको, पच्चीस लाख का जो पहले पांच लाख था उससे पहले डेढ़ लाख था, सीधा पच्चीस लाख।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पहले था ही नहीं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): पच्चीस लाख का बांड और कम से कम पांच साल की सरकारी सेवाएं देने के लिए वह बाध्य होगा और प्रमोशन भी यहां लेट मिलता है और बाकी स्टेट्स में इस तरह की पाबंदियां नहीं हैं। तो, माननीय मंत्री महोदय कुछ ऐसा करो कि हमारे यहां जो सीटें हैं उतने कैंडिडेट हर वर्ष आ जाएं वर्ना आपके आने वाले कल में कार्डियक सर्जन आपको मिलेंगे नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही हालत हो रही है यूरोलॉजी वार्ड की, जो यूरोलॉजी फैकल्टी किसी समय पूरे देश में एसएमएस की प्रसिद्ध थी, आज निरन्तर उसमें गिरावट आ रही है। मरीजों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी और डाक्टरों की संख्या में कई गुना कमी। यह अन्तर आपका बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर आपरेशन करने वाले डाक्टर पांच। प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर, लेक्चरार अधिकांश पोस्टें खाली हैं आपकी। मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि बेड पर जितने मरीज हैं उससे भी दुगनी संख्या में मरीज नीचे हैं। चूंकि इसकी बहुत प्रतिष्ठा रही है इसलिए यहां नाम सुनकर व्यक्ति आता है कि एमएसएम में बहुत अच्छा इलाज होता है और वजह यही है कि हमने आरपीएससी के जरिये कभी भर्ती का प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास करते तो हो सकता है हमको यूरोलॉजी के और डाक्टर मिलते और जो फैक्ल्टी हमारी पूरे देश में प्रसिद्ध थी, क्योंकि मैं गवाह हूं इस बात का, मैंने बहुत सारे आपरेशन जो अहमदाबाद में सक्सेस नहीं हुए यहां आकर करवाये थे और यहां वो सक्सेस हुए हैं। तो हमारे ये पद सारे के सारे किसी प्रकार भर जाएं उसके लिए चाहे आपको आरपीएससी के द्वारा करवाना पड़े। एक प्रमोशन का जो आपका 6 साल का अन्तराल है उसको भी आपको ठीक करना होगा वर्ना अदर स्टेट्स में दो-तीन साल में प्रमोशन मिल जाता है 6 साल वेट नहीं करता तो

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप इस यूनिट को भी दिखाएं। बाकी आपका एसएमएस बहुत ही बढ़िया है हर चीज में और साथ में एसएमएस में जो बड़ी संख्या में आजकल मरीज आ रहे हैं जन्मजात गूंगे-बहरे बच्चे, सरकार पूरी मदद करती हैं उनकी। हमारे यहां काफी आपरेशन हुए। सक्सेस भी हैं वो, जिनके कोकलियर इंप्लांट लगता है, उसमें भी लंबी वेटिंग है। अगर कोई बच्चा जन्मजात गूंगा-बहरा है और सरकारी राशि की सहायता और सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों की मदद से उसकी आवाज आती है और वह सुनने लग जाता है तो यह बहुत-बड़ी बात है। इसमें भी वेटिंग बहुत लम्बी हो गयी आपकी। तो आप एक तो थोड़ी इसमें सहायता बढ़ाएं और दूसरा जितने भी गूंगे-बहरे बच्चे आ रहे हैं उनका समय पर आपरेशन हो जाए वर्ना आठ साल के बाद में वो ऑपरेशन भी उसका सक्सेस नहीं होगा क्योंकि डाक्टर बताते हैं कि आठ साल के बाद में उसकी सक्सेस रेट कम हो जाती है, तो जितनी भी पेंडेंसी हैं, वेटिंग है आपकी, आप आठ साल से ऊपर किसी बच्चे को होने मत दो और सबके आप आपरेशन करवा दो, यह मेरा आपसे आग्रह है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में यह भी लाना चाहता हूं एक विषय जो एसएमएस में बहुत ज्यादा चल रहा है। मेरा वहां काफी जाना होता है। यह लैटरल एंट्री के माध्यम से जो मेडिकल आफिसर है उनको मेडिकल टीचर बनाने का या उनके पद भरने का जो काम हम करने जा रहे हैं यह सबको ठीक नहीं लग रहा है आप इसको एक बार एग्जामिन करायें। इसकी ज्यादा डिटेल तो आपको पता होगी, पर यह सब जानते हैं कि जो मेडिकल आफिसर है वो टीचिंग करवा नहीं पायेगा, रिसर्च उसने कभी किया नहीं है, तो एक बार आप जितने भी आपके एक्सपर्ट डाक्टर हैं उनसे पूछो कि जो हम करने जा रहे हैं वो प्रदेश के या आने वाले जो डाक्टर हैं उनके हित में है या अहित में है, इसको हम जरूर दिखवा दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीधा-साधा बहुत कम शब्दों में अपनी बात, क्योंकि मुझे पहले ही कह दिया कि आपको कम बोलना है आज, अब मैं सीधा मेरे पाली पर आ जाऊंगा, लम्बा नहीं कहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेष तौर से पाली में एक तो आपने मेडिकल कालेज दिया जिसकी चारदीवारी पूरी बन गयी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पाली शहर को आपने दो सिटी डिस्पेंसरी दीं उसके लिए भी आपको और मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद। पाली में आपके आने के बाद में

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

सत्रह पोस्टें हमारी भर गईं चिकित्सकों की, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नर्सिंग स्टाफ की आपने सारी की सारी पोस्टें भर दीं, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और जो ट्रोमा वार्ड हमारा बनने के बाद से ही बंद पड़ा था...

पूर्व सरकार के मुख्य मंत्रीजी ने उद् घाटन किया था उसका, उद् घाटन किया उसके दो दिन पहले आदेश कर दिये चिकित्सकों के और नर्सिंग स्टाफ के। मुख्य मंत्रीजी आये, उद् घाटन किया, चले गये और दो दिन बाद जितने भी डाक्टर आये थे वह भी अपना तबादला करा के चले गये, उस दिन के बाद ताला लग गया। यह हकीकत है और माननीय मंत्री महोदय तीन महीने पहले पाली के दौरे पर आये थे। उस वार्ड का ताला लगने की बात वहां की जनता ने की तो पाबंद करके आये थे कि इतनी अवधि के दौरान यह ट्रोमा वार्ड चालू हो जाना चाहिये ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पाली में 2014 में कुपोषण से मौतें हुई हैं, उसकी भी बता दो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं पाली विधान सभा क्षेत्र में यदि एक भी मौत का प्रमाण यह हमारे साथ ले आये तो मैं इस सदन से इस्तीफा, मैं पाली विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, मुझे वहां की जानकारी है।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): उनका काम तो असत्य बोलना है, आपको स्पष्टीकरण देना ही चाहिये था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 2014 में 4, 2015 में 10 ....

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): आपके पास जो आंकड़े हैं वह आपके बनाये हुए हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस दौरान सुमेरपुर में भी 6 मौतें हुई हैं।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): अगर आपकी बात असत्य निकले तो आप इस्तीफा देंगे क्या?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): यह आप लाते कहां से हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका, सरकार का ही रिकार्ड है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): नाम बता दो उसका, पता लगा लेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, जिस इकाई का उद्‌घाटन स्वयं मुख्य मंत्री करे और दो दिन बाद उसका पूरा स्टाफ गायब हो जाए तो एक नीयत साफ दिखती है मात्र नाम करना, काम नहीं करना, पाली जाकर देख लेना, पूछ लेना आप, वहां का रिकार्ड देख लेना आप।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने इस बार पाली को टू डीईको कार्डियोग्राफी विद कलर डोप्लर भी दी है, उसके लिये भी धन्यवाद। पाली को डेंटल चेयर दिया है, उसके लिये भी धन्यवाद। दो नई डायलिसिस मशीनें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली एक मात्र वह जिला अस्पताल है जहां पिछले 7 सालों से डायलिसिस की सुविधा है। पहले जन सहयोग से थी, दानदाताओं ने डायलिसिस मशीन लगाई, एमएलए कोटे से दिये हैं, एमपी कोटे से भी है। मैंने पिछली मांग के दौरान भी माननीय मंत्री महोदय से आग्रह किया था कि आपने मेडिकल कालेज में डायलिसिस बिलकुल फ्री कर रखा है, माफ कर रखा है और दानदाताओं के सहयोग से जो डायलिसिस सेंटर चल रहा है वहां सरकार शुल्क लेती है। माननीय मंत्री महोदय मेरी बात सुन लें, मैंने पिछली बार भी इसी मांग के दौरान आपसे यह निवेदन किया था कि मेडिकल कालेज में डायलिसिस निःशुल्क होती है और हमारे यहां शुल्क लिया जाता है। मेहरबानी करके आज आप घोषणा करें, पिछली बार भी आपसे निवेदन किया था कि वहां भी निःशुल्क हो वहां दानदाताओं के सहयोग से होता है। आपने हमको डेंटल चेयर दी। अभी जब मेरे ही निवेदन पर आप पाली पधारे थे और मैंने आपको उपकरणों की एक सूची पकड़ाई थी उसमें से आपरेशन थियेटर के लिये 50 लाख से भी ज्यादा राशि के अति आधुनिक उपकरण अभी-अभी आपने भिजवाये हैं, उसके लिये भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान) पांच मिनट में खतम कर रहा हूं, कितना फास्ट चल रहा हूं मैं।

माननीय मंत्री महोदय पाली की जनता आपकी जानकारी में लाई थी कि सीटी स्कैन मशीन जो हमारे पिछली सरकार के कार्यकाल में पाली को दी गई थी वह अवधि पार हो गई, वह अब बिलकुल बंद हो गई है। या तो आप नई सीटी स्कैन मशीन जल्दी भिजवा दें अन्यथा पीपीपी मोड पर भी आप हमको एक मशीन और दिलवा दें। पाली के बारे में मैं आपको बता दूं, पाली में रोज के 8-10 मरीज राजस्थान भर के ऐसे आते हैं जिनको पता है कि पाली में सारी चिकित्सा सुविधा फोकट में हो जायेगी खाने पीने के साथ, इसलिए पाली छोटा होते हुए भी इलाज के मामले में और शहरों से बहुत बड़ा है।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मानीय मंत्री महोदय, अभी जो यह जांचें हो रही हैं चाहे इंजेक्शन लगते हैं, पहले तो आपने पहचान पत्र या आधार कार्ड जो भामाशाह योजना में कवर होता है, अब आपके वहां राशन कार्ड भी मांगते है, तो कोई मरीज राशन कार्ड लेकर नहीं आयेगा। आप राशन कार्ड की अनिवार्यता थोड़ी खतम करवा दो। सोनोग्राफी के लिये आपने सख्ती इसलिए की कि लिंग परीक्षण नहीं हो इसलिए आपको एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है चाहे पहचान पत्र हो, चाहे आधार कार्ड हो, या आधार कार्ड और पहचान पत्र नहीं हो तो किसी से लिखवाकर ले आये कि इस गांव की महिला को मैं इतने साल से जानता हूं। पुरुषों के तो कोई लिंग परीक्षण होता नहीं है पर आपके साफ्टवेयर में पता नहीं क्या गडबड है कि वह हर पुरुष की सोनोग्राफी में भी वह मांगते हैं। वह साफ्टवेयर आप ठीक करवा दो ताकि यह दिक्कत नहीं हो, यह पूरे राजस्थान में है।

माननीय मंत्री महोदय, पाली का जो टीबी अस्पताल है वह अब एमडीआर में चला गया है, वह लाइलाज हो गया। आपने या आपके विभाग ने पाबंदी लगा रखी है कि जो टीबी का मरीज होगा उसको टीबी अस्पताल में ही अपना इलाज करवाना पड़ेगा, जब आज की तारीख में वह अस्पताल खुद बीमार हो गया तो आप कम से कम यह पाबंदी हटवा दो। कोई भी मरीज जिस डाक्टर से चाहे, अपनी बीमारी का इलाज करवा ले। आपका जो डाट प्रोग्राम है, मैंने पहले भी हर मांग पर पिछले 8-10 सालों में कहा है कि यह जो आपका डॉट प्रोग्राम है यह बिलकुल फेल्योर है। आप मरीज को उल्टे एमडीआर की ओर ले जा रहे हो, यह आपका आधा अधूरा कोर्स है इससे मरीज ठीक नहीं होता। आप इसकी एक बार जांच करवाये। मैं पिछले 10 सालों से लगातार कह रहा हूं, वर्ना हम उसको इस बात के लिए विश्वस्त कर सकें, यह ठीक हो जायेगा और वह ठीक होता नहीं है और बाद में धीरे-धीरे वह एमडीआर में चले जाता है। कई सारी ऐसी टीबी है, चेस्ट की टीबी तो हो सकता है कि सरकारी दवा से या डॉट की दवा से ठीक हो जाये, पर चेस्ट की टीबी के साथ कइयों को चमड़ी की टीबी भी होती है, कइयों को पेट की टीबी होती है, कइयों को हड्डी की टीबी भी होती है, वह उससे बिलकुल ठीक नहीं होगी। तो यह टीबी में जो बाध्यता है उसको आप समाप्त कर दो, डाक्टरों को फ्री कर दो कि जो भी डाक्टर चाहे उसका इलाज लिख सकता है और जिस मेडिकल वार्ड में चाहे भर्ती कर सकता है, यह थोड़ा-सा आप ठीक करवा दो।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

सचेतक जी, दो मिनट में बात खतम कर रहा हूं चिंता मत करो आप। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पाली का जो ईएसआई अस्पताल है उसमें जितने मरीज रोज आते हैं उससे ज्यादा पैरा मेडिकल स्टाफ लगा हुआ है जिसके बारे में पेपर में कई बार छप चुका है। 18 से ज्यादा एएनएम, जीएनएम मेल नर्स लगे हुए हैं। आपकी जानकारी में हम लाये थे, पेपर में कई बार छपा है, मरीज आते हैं वहां रोज के 5-6, आप आउटडोर का रिकार्ड देख लो। हमारे पास भी कई सारे मेल नर्स या जीएनएम आती हैं कि हमारी ईएसआई में पोस्टिंग करवा दो। किसलिये? कि वहां मात्र दस्तखत करने से हमको तनख्वाह मिल जायेगी। जो भी अधिक स्टाफ है उसको आप हमारे बांगड़ में या कहीं और लगवा दो, बहुत जगह खाली है वहां लगवा दो आप। पाली जिले में और कहीं खाली हो तो वहां लगा दो आप। मतलब 15 का स्टाफ वर्षों से फोकट की तनख्वाह ले रहा है, मैं आपकी जानकारी में डाल दूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम निवेदन है, हमारे पाली बांगड़ में एक तो हेमो डायलिसिस यूनिट, एक बर्न यूनिट, एक गायनिक थियेटर, एक एफसीएनसी वार्ड, एक ट्रोमा यूनिट, इसमें आपने 22 पद तो स्वीकृत कर दिये, उसकी स्वीकृति का पत्र भी कभी का जारी हो गया पर आईएफएमएस की साइट में चढ़ा नहीं है इसलिए आपकी पोस्टिंग हो नहीं सकती। अभी आपके पास दुनिया भर के कर्मचारी आये हुए हैं, यह पद आप साइट में चढ़वा दें ताकि हमारी जितनी डिमांड है वह कम से कम पूरी हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में मेरे विचार रखना चाहती हूं। स्वास्थ्य विभाग का बजट प्रस्तुत करने के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री महोदय राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ को हृदय से बधाई देना चाहती हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को रोकना मत, मैं मेरी बात ही कहूंगी क्योंकि आपके रोकते ही मैं एकदम बैठ जाती हूं, मैं अनुशासन वाली हूं, मैं अपने आप ही बैठ जाऊंगी मेरे को जो बात कहनी है वह कहकर।

(15.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

योजना द्वारा प्रदेश से 67 प्रतिशत परिवारों को चिकित्सा खर्चे से पूरी तरह बचाने का संकल्प साकार करने की दिशा में ठोस कार्य किया है। एक करोड़ पांच लाख परिवारों का हैल्थ कार्ड सर्वे पूर्ण कर लिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट में सौ नई डेंटल चेयर यूनिट और प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर एक-एक मोबाइल टेबल वैन की उपलब्धता की गई है। मेडिकल कालेज शिक्षकों और राजकीय चिकित्सालयों में विशेष चिकित्सकों के लिए रिक्त पदों की समस्या के निदान के लिए सेवानिवृत्ति आयु को दो वर्ष बढ़ाया गया है। इसके लिए मैं सदन की नेता और मंत्री महोदय का बड़ा आभार व्यक्त करती हूं।

नवीन खाद्य प्रयोग स्थापना का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई दे रही हूं कि सरकार कृतसंकल्प है। बजट में प्रदेश से सश्रय तीनों जिलों में आंचल प्रसूता केन्द्र, 9 पंचकर्म केन्द्र, 11 जरावस्था केन्द्र एवं 6 नये योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की घोषणा का मैं स्वागत करती हूं। क्योंकि मैं स्वयं खुद इस बात को मानती हूं कि आयुर्वेद का एक ऐसा महत्व है कि आयुर्वेद चिकित्सा का अगर उपयोग कर लें तो मैं समझती हूं इससे ज्यादा बढ़कर और कोई चीज नहीं हो सकती है। बजट में मेडिकल कालेजों में सात सौ अरब, 350 सीटों की वृद्धि से नए चिकित्सालयों की उपलब्धता दर बढ़ाई गयी है। बजट में गम्भीरतम रोगों के लिए विशेष चिकित्सा के लिए अलग-अलग मेडिकल कालेजों में अत्याधुनिक कैथ लैब, पैथ लैब, आपरेशन थियेटर, वाल्ड मशीन, सीनियर सेलिटेटर, गामा कैमरों और डिजीटल मेमोग्राफी मशीन आदि की सुविधा विस्तार के प्रावधान किए गए हैं। मैं इसके लिए मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं।

जोधपुर मेडिकल कालेज में एम.बी.एम. के बाद अब महात्मा गांधी अस्पताल में भी सीटी-स्कैन, एम..आर.आई. की सुविधा उपलब्ध कराई गई, मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूं कि यह करायी जाए। एम.बी.एम.एच. में नई प्रसूति इकाई को आरंभ कर दिया गया है। इन सभी के लिए मेरा हार्दिक आभार है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मसूरिया, शोभावतों की ढाणी, चारनाबाकर में तीन नए पी.एच.ए.सी. खोले हैं और नये भवन निर्माण के लिए 75-75 लाख रुपए

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जारी किए हैं। इसलिए मैं सदन की नेता का और माननीय मंत्री महोदय का समूचे सूरसागर क्षेत्र के निवासियों की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अस्पतालों में कुशल प्रबंध में रोगियों के परिजन और चिकित्सकों के बीच के झगड़ों से निपटने के लिए प्रदेश अस्पताल में प्रबंध का काम देखने वाले अस्पताल अधीक्षकों को कुशल प्रशासक बनाने के लिए मैंने पूर्व में राज्य चिकित्सा सेवा के गठन का निवेदन आपसे किया था। आपने मुझे आश्वासन भी दिया था कि जल्द से जल्द इस सेवा का गठन किया जाएगा ताकि पांच साल के अनुभवी चिकित्सकों में से अस्पताल प्रशासन में जाने वाले चिकित्सकों को छांटकर क्रमित दायित्व वृद्धि से कुशल प्रशासक बनाया जा सके। अगर यह हो जाए तो मैं समझती हूं कि काफी कुछ अस्पतालों में सुविधा होगी।

इसके साथ ही अस्पतालों के अच्छे संचालन के लिए मेरा निवेदन है कि प्रदेश के मेडिकल कालेज संलग्न अस्पतालों में सीसीटीवी तंत्र स्थापित कर उसके सर्वर को अधीक्षक कक्ष से जोड़ा जाए और ऐसे समस्त अधीक्षक कक्ष सर्वर को जयपुर स्थित मुख्यमंत्री, अतिरिक्त मुख्य सुचिव, प्रमुख शासन सचिव के कार्यालय से जोड़ा जाए। ताकि इस प्रयोग से एक ही साथ प्रदेश के सभी अस्पतालों पर प्रभावी मानिटरिंग की जा सके। इस व्यवस्था से अस्पताल प्रबंध के अनुशासन में बहुत सहायता होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगी कि मनोयोगी रोग जैसे बैलवर्ड, कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा आदि का एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में इलाज नहीं किया जा सकता। केवल नियंत्रण किया जाता है, मरने तक रोगी इसकी नियमित दवाई खाता है, जो धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। हमारी योग पद्धति में एक प्रक्रिया होती है शवासन जिसके द्वारा मन के तनाव की शिथिलता की जाती है। इसी प्रकार आयुर्वेद में पंचकर्म, शास्त्रीय संगीत में राग-ताल प्रयोग द्वारा, गौ श्रवक शिक्षा द्वारा मन के स्तर पर तनाव को कम करके इन मनोयोगी रोगों को ठीक किया जाता है। मेरा निवेदन है कि आप राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को इस विषय पर अनुसंधान और शोध करने और शोध के परिणाम को आधुनिक तकनीक के प्रयोग से सामाजिक रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दें। इससे समाज को बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल बड़ी-बड़ी सर्जरी कराने का फैशन

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

हो गया है, यह वास्तव में चिकित्सा-फार्मेसी माफिया विकसित हो रहा है। मेरा निवेदन है कि इसे रोकने के लिए आप प्रभावी कदम उठाएं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को लेकर जाने का मेरा शुरू से ऐसा रहा है, कम-से-कम मैं पंद्रह-सोलह की साल थी तब से किसी को भी कोई तकलीफ होती थी तो मैं उनको लेकर हास्पिटल जाती और तीन-चार-पांच सालों के अन्दर ऐसा हुआ कि कोई मेरे को कहता ही नहीं कि मेरे को हास्पिटल...। क्योंकि वहां तो आजकल सर्जरी कर देते हैं और वो बच्चा हो गया बस। तो अब यह पद्धति हो गई है या तो कोई ऐसा माफिया है जो इस तरीक से कर रहा है या क्या मालूम क्या स्थिति हुई है आजकल ? आप इसकी डिटेल मंगवा लो, ज्यादातर उनको सर्जरी करके बच्चे होंगे। मैं इसलिए यह चाहती हूं कि इसकी भी व्यवस्था हो कि इस तरीके से जरूरी हो तो जरूर करें और नहीं तो इस तरीके से न करें। आज प्राइवेट अस्पतालों में सिजेरियन प्रसव व्यवसाय भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। माता और उनके परिजनों को डरा-डरा कर सिजेरियन प्रसव के लिए दबाव डाला जाता है। मेरा निवेदन है कि मातृ एवं शिशु इकाई में आयुर्वेद और योग चिकित्सा को जोड़ा जावे। प्रसूताओं को सामान्य और सुरक्षित प्रसव के लिए उपयोगी योग प्रणाली और बिना साइड इफैक्ट के आयुर्वेदिक औषधियों को भी बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि यही काम में लेते थे पुराने जमाने के अन्दर लोग, तो मैं समझती हूं इसको थोड़ी ज्यादा प्राथमिकता दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आधारित चिकित्सा पद्धति बहुत सुलभ, सरल और सहज है। मैंने एक विस्तृत नोट आपको जोधपुर प्रवास पर, माननीय मंत्रीजी जब आप जोधपुर पधारे थे, उस प्रवास पर दिया था। मेरा निवेदन है कि आप राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय और जोधपुर आई.आई.टी. की एक संयुक्त टीम प्रोजेक्ट बनाकर इस पर कार्य करवाएं। यदि हम इसमें सफल हुए तो प्रिवेंटिव हैल्थ केयर में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं कि मेडिकल कालेज, जोधपुर का सबसे पहला अस्पताल था जोधपुर के अन्दर। मिन्डम हास्पिटल के नाम से जाना जाता था, उसके बाद में वो गांधी हास्पिटल बना और उसी गांधी हास्पिटल के अन्दर सबसे पहले मेरे ससुर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

डाक्टर बनकर आये, गोविंद राम जी आए, गंगाराम जी डाक्टर आए, चटर्जी आए। ऐसे बड़े-बड़े वहां पर डाक्टर आए और डाक्टर आने के बाद उस हास्पिटल की ऐसी अच्छी स्थिति उस जमाने में थी। जब कोई जाता तो रंजी भी नहीं मिलती। यह हास्पिटल वो हास्पिटल है। जब महाराजा उम्मेद सिंह जी की बहू महारानी जी ने नाराजगी प्रकट की और कहा कि आपने हास्पिटल आदमियों के लिए बना लिया, औरतों ने क्या गुनाह किया है, औरतों के लिए हास्पिटल आप क्या नहीं बना रहे? महाराज उम्मेद सिंह जी को उन्होंने अर्ज की। महाराजा उम्मेद सिंह जी ने उम्मेद हास्पिटल बनवाया, यह महिलाओं के लिए ही हास्पिटल बना था। यहां पर महिलाएं आएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को बधाई देती हूं। मंत्रीजी की प्रशंसा भी करना चाहूंगी क्योंकि मंत्रीजी लम्बे चौड़े हैं, बोली के बहुत मीठे हैं और राठौड़ हैं। महाराजा उम्मेदसिंह जी ने उम्मेद हास्पिटल बनाया। क्योंकि मिंडम हास्पिटल का नाम गांधी हो गया मगर उम्मेद हास्पिटल का नाम चेंज नहीं हो सका। उसमें एक बहुत बड़ी खासियत है कि महाराज साहब ने उम्मेद हास्पिटल के नाम से बनाया। आज उम्मेद हास्पिटल की, मैं निंदा नहीं करूंगी मगर उनमें काफी कुछ सुधार की आवश्यकता है। उसमें ऐसे सुधार की आवश्यकता है, आप स्वयं चलो, मैं समझती हूं कि इन मंत्री जी के कहने और करने में अंतर नहीं आता है। फिर भी आज भी स्थिति को थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है । एक पलंग पर दो-दो महिलाएं सोती रहती है। मैरे को कहते हुए अपने आप पर शर्म आती है। मैं हास्पिटल जाती हूं और वहां की गलतियां देखती हूं तो मैं मंत्री जी को तुरंत पत्र लिखती हूं कि आज वहां पर यह स्थिति है।

गांधी हास्पिटल में काफी सुधार हुआ है, काफी वार्ड बन गये हैं, काफी काम हो रहा है। मगर आपके माध्यम से मुझे मंत्रीजी को दो-चार बात कहनी है कि जितनी भी जगह खाली है वह सारी जगह आप भर दो। उनको किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े, कुर्सियों की, मशीनरी की हो, हम किसी भी तरीके से, कहीं से भी पैसा लाकर उनकी व्यवस्था करेंगे, मगर डाक्टर हम नहीं ला सकते, डाक्टर तो आप ही लाओगे।

आपको तो बधाई दें उतना ही कम है। आपने अभी कितनी नर्सों को परमानेंट कर दिया, परमानेंट कर दिया है तो हमें उपलब्ध कराओ। गांवों में भी कराओ, शहरों में भी कराओ, सब जगह कराओ। यह बात थोड़े ही है कि मैं

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

शहर की ही बात करूं। आवश्यकता के अनुरूप सब जगह हो। मरीज को, वार्ड बाय होता है, डाक्टर को बाद में कहता है, सिस्टर मेरे यह तकलीफ हो गई ऐसे बोलेंगे, डाक्टर को बाद में बोलेंगे। मंत्री महोदय, आपसे मेरा यह निवेदन है कि आप इनकी व्यवस्था कराओ।

एमडीएच ट्रोमा सेंटर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्रोमा सेंटर उपयोगिता के अनुरूप नहीं है, मेरा निवेदन है कि इसे ट्रोमा अस्पताल के रूप में अपग्रेड किया जाए। जिला अस्पताल पावटा ट्रोमा सेंटर का उपयोग नहीं हो पा रहा है, मेरा निवेदन है कि सख्त कदम उठाकर पावटा अस्पताल ट्रोमा सेंटर की उपयोगिता सुनिश्चित करें। वहां नाम के ट्रोमा सेंटर है, कोई कामकाज नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब मेरे क्षेत्र की बात करूं। मेरे क्षेत्र में कमला नेहरू नगर में स्थित संभागीय अस्पताल है। मैं यह मानकर चलती हूं कि मंत्रीजी मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मेरे कहने से काम भी कर देते हैं मगर एक-दो काम ऐसे हैं पता नहीं क्यों नहीं करे, यह अपनी जानें। चांदपोल डिस्पेंसरी के अन्दर डाक्टर बैठा है, कोई काम नहीं करता, बैठता नहीं। मैंने इनको सारी डिटेल भेजी, इन्होंने मेरे कहने से हटाया, फिर क्या मालूम कैसे लगा, यह जानें। आपको एक बात बता दूं वह डिस्पेंसरी वह डिस्पेंसरी है, खीवराज जी कछुआ जैसा कोई आदमी नहीं, जनसंघ के टाइम का आदमी था, वह ईमानदार और न्याय करने वाला था, उसके नाम से वह डिस्पेंसरी है और वहां आप एक अच्छा डाक्टर नहीं लगाओ, तो मैं समझती हूं कि मेरे को कम गले उतर रहा हैं। मैं तो आपसे यह भी चाहूंगी कि उस डिस्पेंसरी को खीवराज जी के नाम से सैटेलाइट दी जाए। पूर्व सरकार ने मेरे कहने पर दो सैटेलाइट... (व्यवधान) बीच में मत बोलो आप, फिर मैं अपनी बात भूल जाती हूं। मेरे को दो सैटेलाइट दिये।

(15.14 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

दे तो दिये साहब, बहू तो घर में आ गई, बहुत गोरी भूरी है, काम तो कुछ करती नहीं है क्या करें। बहू आई घर में, बहुत गोरी है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, चलती अच्छी है, पर काम कुछ नहीं करती। आपने सैटेलाइट तो दे दिया, डाक्टर नहीं दिया, व्यवस्था कोई करी नहीं, कोई बात नहीं, लोग तो मुझे ही ओलमा देते हैं। मैं आपसे मांग करती हूं कि यह दो सैटेलाइट हैं

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

इनको तो मेरे कहने से आपने मेडिकल कालेज में दे दिया इसके लिए तो मैं आपको इतना धन्यवाद देती हूं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, राठौड़ साहब जो सुन्दर बहू आ गई न उसको काम करना सिखाओ यह कह रही हैं जीजी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप बैठो साहब, मैं ज्यादा बात आपकी नहीं करती।

श्री हीरालाल (निवाई): यह जीजी आपके समझ के बाहर है, आप मत बोलो जीजी के सामने।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): जीजी तो आपको भी सिखा रही है, आप भी सीखो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मंत्रीजी, आपने मेरे कहने से मेडिकल कालेज में तो दे दिया। मेरा एक निवेदन है ई एस आई अस्पताल है उसको भी मेडिकल कालेज में दे दो। ईएसआई अस्पताल इतना बढ़िया बना हुआ है कि आपको क्या बताऊं मगर वहां पर भी एक डाक्टर ऐसी बैठी हुई है जिसको आप नहीं हटा रहे हो। मारवाड़ी में एक कहावत है कि एक मछली समुद्र को गंदा करे, एक डाक्टर की वजह से। वह रेपर हास्पिटल के नाम से पहचाना जाता है। वह ऐसी जगह है चाहे तो डिलेवरी केसेज वगैरह सब हो सकते हैं। लोगों को 200-400 रुपये खर्च करके उम्मेद अस्पताल जाना पड़ता है।

मेरा सूरसागर क्षेत्र, जहां से मैं जनप्रतिनिधि हूं, वह कच्ची बस्तियों से भरा हुआ क्षेत्र है, बहुत मध्यम श्रेणी के लोग रहते हैं। वहां उनको बहुत असुविधा होती है। इसलिए मैं आपसे यह चाहूंगी कि खीवराज जी के नाम पर आप चांदपोल डिस्पेंसरी को किसी तरह से सैटेलाइट करो। वहां की व्यवस्था देखो, वह सभी मध्यम श्रेणी के लोग रहते हैं। मेरी यह मांग है, मैं चाहती हूं कि सदन की नेता भी इसके ऊपर कभी मना नहीं करेंगी अगर आप अपना प्रस्ताव देंगे तो, सदन की नेता आपकी बहुत मानती हैं, तो मैं समझती हूं कि मना नहीं करेंगी।

माननीय सभापति महोदय, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, वहां पर सवा दो करोड़ का काम हो चुका है वह सिर्फ आपके द्वारा उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। वहां डाक्टर्स, नर्सों की कमी है वह तो आप पूरी करना, बाकी कमी है वह हम पूरा कर लेंगे।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि सूरसागर खनन क्षेत्र है। सूरसागर से जुडा सेठ सूरजमल राजकीय चिकित्सालय है, वहां पर आप खुद चलकर देखें, सवा-डेढ़ करोड़ का काम हुआ है। राठौड़ साहब ने उसका उद् घाटन भी किया। वहां भी थोड़ी कमी है, उसको भी पूरा करने में आप मेरी थोड़ी मदद करें। आप मिनिस्टर हो और मेरे क्षेत्र में कोई काम रूक जाए यह मेरे लिए भी उचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगी कि गांधी अस्पताल के अन्दर काटेज वार्ड हैं। उन काटेज वार्डो की ऐसी स्थिति है, काटेज वार्ड का पैसा देता है, किराया देता है तो कम से कम काटेज वार्ड तो अच्छा चाहेगा। उसके अन्दर ए.सी. नहीं तो पंखा तो अच्छा हो, पर्दे लगे हुए हों, उनके अन्दर पानी नहीं पड़ता हो। काटेज वार्ड के अन्दर गटर का पानी चला जाता है। राजा-महाराजाओं के टाइम के बनाए हुए हैं, काटेज वार्ड पर दया करके उनको सबको ठीक करवाओ ताकि लोगों के आने जाने की व्यवस्था हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि जितने हास्पिटल हैं, मैं वह कागज लाना भूल गई, आपको बताती। जो आपका काम हो रहा है पांच-छह साल से, कितना घटिया तो वहां काम हो रहा है, किस तरीके से वह लोग काम कर रहे हैं। छह साल में वह अपने दस मकान बना देते, मगर इस हास्पिटल की क्या स्थिति कर रखी है। दो-चार वार्ड बनाकर रह गये, क्या छह साल के अन्दर दो-चार वार्ड ही बनाएंगे। काम अच्छा नहीं, उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं, खुद जाकर देखते नहीं हैं। मेरा सबसे ज्यादा अस्पताल से पाला पड़ता है। कोई भी फोन करें, मैं हर समय उनके लिए तैयार हूं और जाती हूं।

यह भी तारीफ की बात है कि हमारे यहां के डाक्टर बहुत अच्छे हैं, मरीज की बात भी सुनते हैं और हम जाते हैं तब की तो बात ही छोड़ो। फिर भी उनके लिए मैं जाऊं या नहीं जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं टेलीफोन करूं तो भी वह काम करते हैं। मैं हमारे जोधपुर के सभी डाक्टर्स की इस मामले में प्रशंसा करूंगी। माननीय सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र सूरसागर है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरे घण्टी नहीं बजाओगे, साहब। मैंने पहले ही कह दिया है। मैं यह

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

वादा करके बोली हूं। नहीं तो मैं तो बोलूं ही नहीं। मेरे को कहां आवश्यकता है, मेरे तो काम ऐसे ही होते रहते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, फिर भी अपनी बात को जितना सीमित कर सकें, सीमित करने का प्रयास करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या बात करते हैं आप! नहीं बोलें, यह कोई बात हुई क्या।

श्री सभापति: नहीं, बोलें आप, सीमित करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हम हमारी बात तो कहेंगे। आप जब घण्टी बजाते हैं तब मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं अनुशासन में रहने वाली हूं। मैं समझती हूं अभी मेरी उम्र से छोटे हैं, मगर वहां बैठे हैं, आप बड़े हैं। मैं आपकी इज्जत करती हूं। मेरा लिंक टूट जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट में बात खतम करुंगी। सूरसागर के अन्दर एक डिस्पेंसरी है, उस डिस्पेंसरी में आप सारी सुविधा करा दें या उसको सैटेलाइट करें क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा मरीज आते हैं। सूरसागर चौपड़ के अन्दर है। सारे गरीब तबके के, लेबर वगैरह, सारे वहां आते हैं। वहां सारी सुविधाएं करने से लोग आपको इतनी दुआ देंगे कि जिसका कोई पार ही नहीं। मैं तो आपको खूब आशीर्वाद देती हूं, ढेरों सारी, मगर आप भी तो कुछ देओ। हम तो ब्राह्मण हैं जो आपको आशीर्वाद देते हैं, आप राजपूत हो, पर हमें भी तो कुछ देओ आप। मेरे को मत देओ, आप सूरसागर को देओ। मेरी कांस्टीट्यूएंसी को दें। (व्यवधान) राजा-महाराजाओं ने हास्पिटल खोले थे। आप सैटेलाइट तो करें। आप राठौड़ हो, आप भी हमारे वंश के ही हैं। कम से कम हम ब्राह्मण हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। आप हमें कुछ दें तो सही। इसलिये आप मेरे सूरसागर क्षेत्र को यह दें।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): इन्हें आशीर्वाद दें कि ये मुख्य मंत्री बन जाएं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे सिर्फ थोड़ा सा ही निवेदन है, एक बात ही कहना चाहूंगी कि जो सूरसागर वाला हास्पिटल है, उसको दें और चांदपोल वाला, इन दो के अन्दर आप मेरे को आपकी मीटिंग करके, जो कुछ भी करके देंगे, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपको बहुत-बहुत आशीर्वाद। आप मेरे जोधपुर में जो कोई भी काम करते हैं, उसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। आपने घण्टी बजाई, इसलिये मैं अपनी बात भूल गई। सही बात यह है।

श्री सभापति: श्री जगसी राम।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान की विधान सभा में मांग संख्या 26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर चर्चा की जा रही है। हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी के इस कार्यकाल में और चिकित्सा मंत्रीजी सम्माननीय राठौड़ साहब ने आने के बाद में चिकित्सा के क्षेत्र में इस पूरे प्रदेश भर में बहुत अच्छे कदम उठाये हैं। जिस प्रकार से बजट में सारी बातें जो दर्शायी हुई हैं, पूरे राजस्थान को और पूरे राजस्थान के सभी जिलों को प्रत्येक क्षेत्र को जो देखा है, चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा मंत्रीजी ने, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, पिछले कार्यकाल में आप पी.डबल्यू.डी. मिनिस्टर थे, अभी चिकित्सा मंत्री बने तो हमेशा हर क्षेत्र के अन्दर उन्होंने जो भी विभाग, जो कार्यभार सम्भाला, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम देखा है। पिछली बार हमारे सिरोही जिले में और रेवदर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के बारे में और चिकित्सा विभाग का देखा है, इन्होंने सिरोही जिले के लिये बहुत अच्छा काम किया है।

राजस्थान, क्योंकि हमारे समय के हिसाब से माननीय सदस्य बोलेंगे। अभी महीने भर पहले चिकित्सा मंत्रीजी का सिरोही जिले में पधारना हुआ, उस समय सिरोही मुख्यालय पर ट्रोमा सेण्टर का आपके द्वारा उद्‌घाटन हुआ, सिरोही जिले की जनता को इससे बहुत फायदा मिलेगा। आबू रोड, जो कि ग्रामीण क्षेत्र, आसपास के ट्राइबल क्षेत्र हैं, वहां पर लोग, आदिवासी भाई जहां ग्रामीण क्षेत्र में विराजते हैं, उनकी मूलभूत सुविधा चिकित्सा के क्षेत्र में, उन्होंने बहुत गहराई से मंथन कर वहां पर तीन करोड़ रुपये की लागत से नया चिकित्सा भवन बनाने के लिये इनके कर कमलों द्वारा शिलान्यास करवाया गया। मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा और सरकार की सारी जो योजनाएं हैं, जहां तक मेरी समझ है, बहुत सराहनीय हैं, अच्छी हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने जो योजना लागू की थी, उस कार्यकाल में भी मुझे रहने का मौका मिला था, लेकिन सिर्फ कागजों तक ही रही, न कि जनता तक, गांव तक और ढाणी तक पहुंची थी।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में मैं समझता हूं, बहुत अच्छा कदम इन्होंने उठाया है, सरकार ने। मूलभूत जो सुविधा, मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने कही, अच्छी-अच्छी जो बातें बताई हैं, उन सबको दोहराना भी ठीक नहीं है, लेकिन मूलभूत सुविधा से जनता को जो सीधा-सीधा फायदा मिल रहा है, यह जो भामाशाह योजना लागू की है चिकित्सा के क्षेत्र

(श्री जगसी राम)

में, और गांवों में जो छोटी-छोटी, चिकित्सा के क्षेत्र में देखा है, बहुत सराहनीय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत दूर-दराज का क्षेत्र, गुजरात अम्बाजी से लगता हुआ जो क्षेत्र है, वहां पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, एक मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं ताकि मेरे क्षेत्र के अन्दर मूलभूत छोटी-छोटी, जैसे ग्राम रानाड़ी, वाड़का, हड़मतिया, ओर, रेवदर और क्यारिया आबू रोड ब्लाक में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं तो क्षेत्र की जनता को फायदा होगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भामाशाह द्वारा पिछले लम्बे समय से, 4-5 वर्ष से एक वार्ड के अन्दर भवन बना हुआ है। सारे संसाधन, भामाशाहों द्वारा पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन सरकार की ओर से, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर डाक्टर और संसाधनों की व्यवस्था कराएं ताकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को और जनता की भावनाओं को देखते हुए यदि वहां पर डाक्टर्स और स्टाफ लगाया जाए तो मैं समझता हूं, बहुत अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप सिरोही जब पधारे थे, ट्रोमा सेण्टर के उद्‍घाटन के समय में, उस समय मेरे रेवदर विधान सभा क्षेत्र से कुछ डाक्टर हटे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जानकारी में यह बात आने के बाद निश्चित तौर पर उसका समाधान होगा। एक तो भटाणा से हटाया था, एक तांतराई से, इन डाक्टरों को वापस लगाया जाये। ताकि हमारे क्षेत्र के अन्दर जनता के लिये बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे जो हास्पिटल्स हैं, वहां पर डाक्टर्स और कम्पाउण्डर्स, मंत्री महोदय रेवदर विधान सभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से भी काफी लम्बा फैला हुआ है और गुजरात से लगता हुआ है। तो काफी लोगों को गुजरात भी जाना पड़ता है और वहां पर ऐसे कई हास्पिटल्स हैं, जहां पर डाक्टर्स और कम्पाउंडर्स के पद खाली हैं, उनको आप, पूरी उम्मीद के साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप जल्दी से उनको भरवाने की कृपा करें। आपका कहना, आपकी जानकारी में आने के बाद में क्योंकि मुझे पिछले

(श्री जगसी राम)

लम्बे समय से, 15 साल से आपके साथ में रहने का जो मौका मिला और आपकी जानकारी में आने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि हमने अभी जो हमारी छोटी-मोटी मांग रखी है, उन मांगों को आप पूरा करेंगे। ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात कहना भी उचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री रमेश मीणा।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य और सफाई की मांग पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में जो स्थिति है, बीमारियों से लोग मर रहे हैं और प्रदेश का वातावरण इतना बिगड़ गया है कि स्वास्थ्य विभाग संभाल नहीं पा रहा है और यह स्थिति जिस तरह सरकार ने बताई कि बिजली की स्थिति अच्छी नहीं है, उससे भी बदतर स्थिति हमारे चिकित्सा विभाग की है कि पूरे वर्ष राज्य की जनता मौसमी महामारियों से परेशान रहती है।

दिसम्बर से अप्रैल तक स्वाइन फ्लू, सितम्बर से अक्टूबर तक मलेरिया, डेंगू, इसके साथ-साथ ही बरसात में जो जलजनित बीमारियां हैं, पीलिया है, टाइफाइड है लेकिन राज्य सरकार इन बीमारियों पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर पाई है और इनको रोक पाने में सरकार विफल रही है।

2015 में डेंगू के प्रकरणों में कोटा सबसे पहले नंबर पर रहा। दूसरे नंबर पर हमारा जयपुर रहा। 480 से अधिक लोगों की स्वाइन फ्लू की वजह से मौत हो गयी और चूहे के मूत्र से जो फैलाई जाने वाली लेपटोस्पाइरोसिस और हैजे के मामले भी बड़ी संख्या में सामने आए, इनकी सरकार कोई जांच की व्यवस्था या टैस्ट की, कोई जांच की व्यवस्था सरकार नहीं कर पायी और इसकी जांच के लिए एक मात्र एपिडमोलाजिल एक लैब है, उसको इधर से उधर शिफ्ट करते रहे और अंत में एम.एस.एस. में इसको लगा दिया, जहां पर इसकी हालत खराब होने के कारण इसमें संक्रमण फैलने की संभावना है।

आज हम प्रदेश में देखें कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर की क्या स्थिति है? सरकार बड़े-बड़े दावे करती है तो राज्य की जन्म दर 2013 के अनुसार 25.6 परसेंट है जबकि देश की 21.4 परसेंट है और राज्य की मातृ

(श्री रमेश)

मृत्यु दर 2013 में 244 प्रति एक लाख पर जीवित जन्म रही जबकि देश की इससे काफी कम 167 प्रति एक लाख पर जीवित जन्म रही। मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में शिशु मृत्यु दर 57 प्रति हजार जीवित जन्म और आपके, अब जबकि देश की उसमें बताई गयी 49 प्रति हजार जीवित जन्म और आपके जो परिवार कल्याण का प्रतिवेदन है 2015-16 का उसमें 2013 की जो बताई है, वह यहां राज्य की 47 प्रति हजार जीवित जन्म और देश की 40-40 प्रति हजार जीवित जन्म रही। तो कौनसी सही है, कौनसी गलत है मंत्रीजी, यह प्रश्न का उत्तर भी सरकार ने दिया है, प्रतिवेदन भी आपने बनाया है तो इसको भी आप दिखवा लें।

उसके बाद हम आपकी जो भामाशाह योजना है, माननीय सदस्यों ने भी काफी चर्चा की, काफी बड़ी-बड़ी बातें की हैं कि राज्य सरकार अब मुफ्त दवा और जांच योजना का विकल्प बनाकर भामाशाह योजना लेकर आई है और बड़े-बड़े वादे किये हैं लेकिन आपने जो वित्तीय हालत, स्थिति पैदा की है तो आप इतना पैसा कहां से जुटा पाएंगे? निजी अस्पतालों को आप कैसे भुगतान करेंगे, क्योंकि निजी चिकित्सालय आपके फर्जी भर्ती, महंगा इलाज दिखाकर राशि मांगेंगे तो उसकी जांच की आपके पास क्या व्यवस्था है? निजी चिकित्सालयों की आए दिन बिना वजह जांच, बीमारी नहीं है, कोई सी भी जांच, मनमानी जांचें करवा देते हैं और मरीज को वेंटीलेटर पर सीरियस बताकर के पैसे वसूल करते हैं तो वह आम आदमी का कैसे इलाज करेंगे? इतना पैसा आपके पास भेजेंगे, उसका कैसे पेमेंट करेंगे?

मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भामाशाह कार्ड अभी तक लोगों के बन नहीं पा रहे हैं और ई-मित्र वालों के यहां लोग चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं और खामियां निकालकर बार-बार लोगों को लौटा रहे हैं। तो इस प्रदेश की जनता का क्या होगा, कैसे उपचार करेंगे, कैसे उनको स्वास्थ्य का लाभ दिलवा पाएंगे? आपने अभी तक जो बड़े-बड़े हास्पिटल्स की बात की कि इनसे जोड़ा जाएगा लेकिन वह बड़े-बड़े हास्पिटल्स इस भामाशाह योजना के अन्तर्गत इलाज करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने छोटे-मोटे जो हास्पिटल्स हैं, उनको जोड़ने का प्रयास किया है तो छोटे-मोटे हास्पिटल्स तो इसलिए आसानी से आ जाएंगे क्योंकि अभी उनकी दुकान चल नहीं रही है, उनको फ्री में ही मरीज मिलेंगे। धीरे-धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी, भार बढ़ जाएगा मरीजों का तो एक दिन वह भी आपसे कह देंगे इस सस्ती दर पर, हम आपका इलाज नहीं

(श्री रमेश)

करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि इतनी दुर्दशा और इतनी परेशानी इस जनता को इस राज्य में हो रही है लेकिन स्वास्थ्य विभाग सो रहा है।

एस.एम.एस. अस्पताल की हम बात करें तो अभी इसी भामाशाह योजना की तो एस.एम.एस. अस्पताल में 5.5 करोड़ के आस-पास कम्पनी से, जो यह इंश्योरेंस कम्पनी है, उसमें से मात्र 29 लाख के आस-पास का ही भुगतान हुआ है और लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं क्योंकि हास्पिटल भी सोच रहा है कि पैसा नहीं मिलेगा तो हिचकिचा रहा है कि इलाज कैसे करेंगे? खर्चा कहां से चलाएंगे? मरीजों को कभी कहा जाता है कि 15 दिन बाद आना। कभी मरीज लाइन में लग रहा है। 15 दिन तक वहां पर भर्ती है, उसके बाद भी उसका इलाज शुरू नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की परेशानी आ रही है।

दवाओं की सप्लाई की बात करें तो एक ही मेडिकल स्टोर को आपने भामाशाह योजना का ठेका दे दिया तो वहां पर दवाइयां भी पूरी नहीं मिल पा रही हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। क्या वह कोई निजी आदमी है या कोई चहेता है? आप चार-पांच दुकानों को लाइसेंस देते तो वहां पर आम आदमी को लाइन में नहीं लगना पड़े, वह परेशान नहीं हो तो इस तरह की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। एक ही मेडिकल स्टोर है कोई केवल आल इंडिया, जो इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो लोगबाग वापस निराश होकर घर लौट रहे हैं और मरीजों को दवा नहीं मिल रही है।

आपने एम.आर.आई. और सीटी-स्कैन जैसी दवाइयों की जांच की कोई दर डिसाइड ही नहीं की है, उस बारे में भी मंत्रीजी जब जवाब दें तो हमें बताएं और आपके एस.एम.एस. हास्पिटल में जांच की दरें कई गुणा बढ़ गयी हैं। चार से पांच गुणा बोझ जनता पर, आम जनता पर, गरीब पर जो बी.पी.एल. नहीं है, उस पर भार बढ़ गया है तो आपको गेस्ट्रोलाजी सम्बन्धी, पेट सम्बन्धी जो बीमारियां होती हैं, उनकी काफी दरें आपने बढ़ाई हैं। गेस्ट्रोस्कापी की दर 350 रुपये से 500 रुपये तक, सिग्नोमाई गेस्ट्रोस्कापी 80 रुपये से 500 रुपये तक, ई.आर.सी.पी. 600 रुपये से 1750 रुपये तक और पहले आपका आई.सी.यू. फ्री था, अब उस पर भी आपने प्रतिदिन 200 रुपये का चार्ज वसूलना प्रारम्भ कर दिया है। तो आम आदमी, किसान, मजदूर आखिर इतनी दर पर कैसे इलाज करवाएगा? सरकार को सोचना चाहिए था, कोई निर्णय लेना चाहिए था कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या है? हमारे प्रति

(श्री रमेश)

व्यक्ति आय की क्षमता क्या है, वह कितना पैसा सहन कर सकता है लेकिन आनन-फानन में भामाशाह योजना लागू कर दी और इलाज करवाना है तो करवाओ नहीं तो 3 करोड़ लोगों को आपने बाहर तो कर ही दिया, रास्ता तो दिखा ही दिया।

तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एस.एम.एस. हास्पिटल में क्योंकि इस समय आपकी जो पोजिशन है, प्रदेश का सबसे बड़ा हास्पिटल एस.एम.एस. है, वहां पर गरीब, किसान, मजदूर आदमी एक आशा लेकर आता है कि मेरा इलाज होगा और इलाज होता भी है, ऐसी बात नहीं है कि इलाज नहीं होता है लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं कि मुफ्त की दवाइयां दुकान पर नहीं मिल रही हैं। बार-बार मोहर लग जाती है- 'नहीं है दवा', 'नो', कितनी आप पर्चियां मंगवा लो अभी, दवाइयां ही उपलब्ध नहीं हैं। दस बार जाएगा, दस दिन जाएगा, आदमी चक्कर काटेगा तो उसको दवाइयां ही नहीं मिलती हैं जबकि आपको वहां की ओ.पी.डी. और इंडोर की जो क्षमता है, उसको देखें तो ओ.पी.डी. आपकी 13 लाख 51 हजार 371 है।

आई.पी.डी. आपकी 7,47,166 है, तो टोटल 20,98,537 लोग साल भर में आपके पास इलाज के लिये एस एम एस में आ रहे हैं। इसकी स्थिति तो हमारे एम्स है दिल्ली का, उससे भी बढ़िया हमारी स्थिति है तो इसमें आपको सुधार करना चाहिये। लोग एक आशा लेकर आते हैं कि राज्य सरकार इस एस एम एस हास्पिटल को चला रही है और आपके जो डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल हैं, वह रैफरल हास्पिटल हो गये हैं, सीधे आदमी को यहां भेज देते है। आपका कोई पालिटिकल आ गया, आपका कोई हाई एप्रोच का आ गया तो वहां के डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल क्या देखते हैं कि बीमारी को कहां झेलेंगे, दस बार इसके हाजिरी लगानी पड़ेगी, इलाज नहीं हुआ तो यह हमारे सिर पर आ पड़ेगा, सीधा-सीधा कह देते हैं सीरियस है, गम्भीर है, इसको जयपुर भेज दिया जाए। तो वह प्राइवेट हास्पिटल में आता है या एस एम एस में आता है।

इस एस एम एस हास्पिटल में काफी पद खाली हैं, 72 पर एक नर्स है एस एम एस में, जबकि औसत एवरेज राजस्थान का देखें तो 53 पर एक नर्सिंग स्टाफ है। मैं कहना चाहूंगा कि आपके बहुत सारे पद खाली हैं, पर सबकी तो बात नहीं कर पाऊंगा। सह आचार्य में 163 में से 132 पद रिक्त हैं, सहायक आचार्य के 50 से अधिक पद रिक्त हैं और नर्सिंग के 79 में से 56 पद रिक्त हैं। इसी तरह से नर्सिंग स्टाफ की बात करें तो 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सब यही हुए हैं क्या? यह सब दो साल में ही हुए हैं क्या? दो साल में हुए हैं?

श्री रमेश (सपोटरा): मैंने कब कहा?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): पांच साल राज किया आपने तो कुछ तो करते आप। राजेन्द्र सिंहजी ने तो फिर भी दुनिया भर की भर्तियां की हैं। अभी ज्ञानजी बता रहे थे कि रिकार्ड तोड़ भर्तियां हुई हैं इन दो सालों में। आप तो कह रहे हो यह भी रिक्त है, वह भी रिक्त है। खुद ने तो कुछ किया नहीं, पांच साल तक आराम किया।

श्री रमेश (सपोटरा): मैंने कब कहा ? मैं कह रहा हूं जो सरकार सत्ता में है, वह सुधार करे। सरकार की बात तो आगे करूंगा मैं। माननीय, आप विराजिए न थोड़ी देर के लिये। माननीय सभापति महोदय, मेडिकल कालेजों में रिक्त पद राज्य में आपके 8 सरकारी मेडिकल कालेज हैं, जिनमें एक हजार विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी है। इसके बावजूद भी हमारी सरकार इसको चला रही है, चलाने का प्रयास कर रही है। जब मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया इनकी फैकल्टी का निरीक्षण करने आते हैं तो कालेजों में हमारे जो लगे हुए लैक्चरर हैं, उनको इधर से उधर करके हम एडजस्ट करवाते हैं, इंसपेक्शन करवाते हैं, लेकिन मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया वालों को भी पता लग गया कि इधर से उधर घुमाते हैं तो हमारे अधिकारियों ने एक नया तरीका सोचा कि नये कालेजों में इनकी नियुक्ति कर दो, बाकी जो पुराने कालेज हैं, स्टाफ वही चलता रहेगा। तो इसको आप विशेष भर्ती करके या कैसे भी हमारे मेडिकल कालेज हैं, यदि हम इस तरह की व्यवस्था रखेंगे और इस तरह ही चलाते रहेंगे तो हमारी जो मेडिकल की शिक्षा है, उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा और हमारा जो स्टेण्डर्ड है, वह धीरे-धीरे गिरता जाएगा।

एक बात शायद मुझे जानकारी पूरी नहीं है, पर फिर भी मंत्रीजी उसका स्पष्टीकरण कर दें कि सरकार अभी यह चाह रही है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो डाक्टर हैं, उनको प्रमोशन करके प्रोफेसर के पद पर लगाने का प्रयास कर रही है। तो इसमें मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय, यह एक अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि उनका जो मेडिकल का, चाहे वह यहीं से मेडिकल की डिग्री करके एम बी बी एस या एम डी की डिग्री लेकर गया है, लेकिन उसका सम्बन्ध छूट जाता है, छोटे-छोटे अस्पतालों में रहता है तो वह जो सुविधाएं हैं, जो दक्षता है, योग्यता है, वह नहीं दे पाएगा और हमारी इसमें एक कमी रहेगी। तो इस पर पुनर्विचार करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

(श्री रमेश)

राज्य सरकार ने कहा था कि ट्रांसप्लांट करेंगे। बड़े-बड़े वादे किये ट्रांसप्लांट के, केडेवर ट्रांसप्लांट, लीवर, हार्ट, लंग्स ट्रांसप्लांट प्रारम्भ कर देंगे। 2015 में तो आपने लीवर ट्रांसप्लांट प्रारम्भ करने का ठोस आश्वासन दिया था, लेकिन अंगदाताओं के अंगदान करने के बाद भी आपके चिकित्सकों ने कहा कि अभी हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। आपने लीवर ट्रांसप्लांट प्रारम्भ करने के लिये जनवरी, 2016 का समय दिया था, फिर मार्च, 2016 का समय दिया। अभी तक लीवर ट्रांसप्लांट का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। हार्ट और लंग्स के ट्रांसप्लांट की योजना पर तो अभी आपका विचार भी नहीं हुआ है। जो भी आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आने वाले कल के लिये, तो इसका समयबद्ध काम करें ताकि प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिले।

अब आज प्रदेश में जरूरत है कि हमें नर्सिंग स्टाफ मिले, डाक्टर मिले, लेकिन सरकार की मंशा पर डिपेंड करता है कि नर्सिंग कालेज खोले जाने चाहिए। नर्सिंग कालेज हमारे माननीय मंत्री महोदय ने खोले भी हैं। आज हमें इस प्रदेश में 50 नर्सिंग स्कूल और कालेज की आवश्यकता है। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, 496 आवेदन आए और उसमें से इनकी कमेटी थी आई एन सी के इंसपेक्टर ऑफ स्कूल के मापदण्ड के अनुकूल होने का आकलन किया और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की कमेटी 16 दिसम्बर को 32 कालेजों को मान्यता देने के लिए एग्री हुई। फिर पता नहीं क्या हुआ, नियम बदल दिया गया और मीटिंग हुई और फैसला हुआ कि पेरेंटल होस्पिटल संचालकों को मान्यता नहीं देंगे। जबकि आई एन सी के नियमों में साफ है कि पेरेंटल होस्पिटल संचालकों को मान्यता दी जा सकती है। तो मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, इसमें कुछ गड़बड़ी लगती है, जनता की शिकायतें, लोगों की शिकायतें, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की सरकार जांच करवाए कि जो कालेज योग्यता रखते थे, उनको नहीं लिया गया और कुछ ऐसे स्कूल और कालेज हैं, जिनको इन्होंने परमिशन दी है, स्वीकृति दी है, वह एक तरह से शंका पैदा करता है कि कहीं न कहीं इसमें मिलीभगत से काम हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार वीर तेजाजी नर्सिंग स्कूल नागौर, यह सांसद महोदय का है, सी आर चौधरी जी का, अनन्ता जी एन एम नर्सिंग स्कूल, कोई बिजनस मैन है नितिन अग्रवाल, तिरूपति नर्सिंग स्कूल है उदयपुर, मार्बल व्यापारी है कोई बी.आर. अग्रवाल, भंडारी नर्सिंग स्कूल, जयपुर, यह डा. एम के एन भंडारी का है, ग्लोबल नर्सिंग

(श्री रमेश)

स्कूल, सवाई माधोपुर, यह भी बिजनस मैन है, लाइजनिंग वाला काम है अनीस खान है। यह तो नर्सिंग स्कूल हैं और तीन जो कालेज बी एस सी के लिये दिये गये हैं एक चौधरी नर्सिंग स्कूल हैं, हमारे किसी माननीय विधायक का है और अनन्ता नर्सिंग कालेज नितिन अग्रवाल का है, इसको एक नर्सिंग कालेज स्कूल मिला है, एक कालेज मिला है। एक बराला नर्सिंग कालेज, जो बराला अस्पताल का मालिक है, डा. एस. बराला, इनको बी एस सी की मान्यता दी है। तो मैं पुन: दुबारा निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से, लोगों में जिस तरह का मैसेज गया है कि इसमें अनियमितताएं हुई हैं, तो इसकी जांच की जानी चाहिए और हम कहते हैं कि 9 नहीं, आप तो 90 नर्सिंग कालेज खोलो और स्टाफ बढ़ाओ, लोगों को नियुक्तियां दो जिससे स्वास्थ्य के प्रति लोगों को लाभ मिले और व्यवस्था में सुधार हो।

बात आती है दवाइयों में मिलावट की। राज्य सरकार प्रतिवर्ष 400 से 500 करोड़ की दवाइयां खरीदने का दावा करती है फिर भी अधिकांश दवाइयां मुफ्त दवा केन्द्रों पर नहीं मिलती है और मरीज को मजबूरन निजी दुकानों पर जाना पड़ता है। तो सरकार इन दवाओं की जांच भी नहीं कर पाती है, क्योंकि राज्य सरकार के पास एकमात्र सरकारी ड्रग टैस्टिंग लैब में 64 पदों में से 45 पद रिक्त हैं और 4 हजार दवाओं के सैम्पल टैस्टिंग लैब में पेंडिंग पड़े हैं और 26 दवाओं के सैम्पल टैस्ट में फेल हुए हैं। तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग बिना जांच के, बिना सैम्पल के दवाओं को यूज कर रहे हैं और लोगों की मृत्यु हो रही है। सरकार गम्भीर नहीं है और दुकानों पर जिन दवाओं पर प्रतिबन्ध लगा देते हैं, उसके बावजूद भी दवाएं धड़ल्ले से मिल रही हैं, क्योंकि हमारे पास औषधि नियन्त्रण अधिकारियों की जो संख्या है, वह नाममात्र की है। दुकानों की संख्या हजारों में है, इसलिए हम सारी दुकानों की जांच नहीं करवा पाते हैं तो इसके लिये मानिटरिंग की अच्छी व्यवस्था करें जिससे नकली दवाएं या प्रतिबन्धित दवाएं नहीं बिकें। राज्य सरकार की एक ड्रग निर्माता कम्पनी बिना निर्धारित लाइसेंस प्राप्त किए पांच करोड़ की स्वाइन फ्लू की दवा बनाकर सप्लाई कर देती है और राज्य सरकार को इसकी जानकारी भी नहीं होती है तो इस संदर्भ में भी सरकार इसकी जांच कराए, मामला क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कम्पनी कौनसी है, कम्पनी का नाम क्या है?

श्री रमेश (सपोटरा): कम्पनी तो इसमें ड्रग कम्पनी है, कोई सरकारी ही है आपकी, नाम तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा।

और एक मामला और, माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, इसमें मैं किसी का नाम लूंगा नहीं लेकिन जिस प्रकार की शिकायतें हो रही हैं और जिस प्रकार का वातावरण यहां आपके आर.एन.सी. में बन रहा है कि एक आपका कोई चहेता कह सकते हैं या आपकी जानकारी में नहीं हो, उसको आप रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति देते हैं और रजिस्ट्रार पद पर वो रहता है और रजिस्ट्रार पद के कार्यकाल में वो भ्रष्टाचार करता है और न सरकार को पता है न मंत्री को पता है। जो रजिस्ट्रार है वो योग्यता नहीं रखता है। तो बहुत बड़ी बात है कि जो योग्यता नहीं रखता है और उसके बाद आप उसको रजिस्ट्रार के पद पर बैठा दो, उसके बाद आप उसको आर.एन.सी. कालेज का प्रिंसिपल बनवा दो, तो वहां भी वो प्रिंसिपल की योग्यता नहीं रखता है। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि ऐसा क्या मीठा है जो सरकार चिपक रही है या सरकार का मंत्री चिपक रहा है। अयोग्य व्यक्ति को आपने क्यों बैठा रखा है और वो भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किये जा रहा है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड प्रथम के स्तर का अधिकारी होना चाहिए, राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए, दस वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए जबकि जिसको आपने रजिस्ट्रार नियुक्त किया, अब तो हटा दिया, उसका नर्सिंग ट्यूटर ग्रेड सेकिण्ड का एवं 2011 में ही पदोन्नत हुआ, इससे ऊपर 150 लोग और बैठे हैं, वो राजपत्रित अधिकारी हैं, उनको आपने नहीं लगाया। उसने जो छोटे-मोटे काम किये हैं, जी.एन.एम. परीक्षा में मूल्यांकन का प्रावधान नहीं था, थर्ड ईयर के परीक्षा परिणाम में 65 से 70 परसेंट लोग फेल हो गये, फिर पुनर्मूल्यांकन के आधार पर उनको पास कर दिया और 20 परसेंट से अधिक नम्बर भी उन लोगों को औसत में मिले। तो इन विषयों का पुनर्मूल्यांकन कराना, फेल को पास करना, आपके जो आपके नर्सिंग स्कूलों की, कालेजों की जांच होती है उसमें भी भ्रष्टाचार के मुद्दे आये हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रिंसिपल की जो योग्यता होनी चाहिए, कम से कम 15 साल का एम.एससी. नर्सिंग के अनुभव के साथ-साथ 12 वर्ष का टीचिंग का भी अनुभव होना चाहिए जबकि आपका केवल नर्सिंग ट्यूटर है, टीचिंग का अनुभव नहीं है, एम.एससी. किये हुए उसको पांच साल हुए हैं और उसके बाद भी आपने उसको रजिस्ट्रार रखा, अब प्रिंसिपल है। तो,

(श्री रमेश)

माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी उस ओर ध्यान दें और सरकार से, विशेष तौर से मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा क्योंकि उनके ध्यान में भी यह बात आयी, जब पता लगा कि रजिस्ट्रार अयोग्य व्यक्ति को बैठा रखा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको वहां से हटाया। तो इसके कार्यकाल में जो भी भ्रष्टाचार हुआ नर्सिंग कालेजों में, स्कूलों में जो भी लेनदेन हुआ, जो नर्सिंग कालेज कहीं का एड्रेस है, कहीं उसका कालेज चल रहा है, कहीं उसके पास जो निर्धारित मापदण्ड हैं उनको फालो नहीं करता है उसके बावजूद भी इन्होंने राजस्थान से आर.एन.सी. से, कौंसिल से उसको भेजकर दिल्ली आई.एन.सी. को भेज दिया कि बिलकुल सही हैं। तो इन कालेजों की भी जांच कराई जाए और उसके कार्यकाल की भी जांच कराई जाए। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप सीमित करें।

श्री रमेश (सपोटरा): साहब, शोर्ट में कह रहा हूं। आपने बंद कर दिया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सीमित कर दें आप, दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री रमेश (सपोटरा): हां। बजट पूरा व्यय नहीं करना, केन्द्र से 2014-15 में बजट मद में मिला पैसा पूरा खर्च नहीं कर पाये जिसका खामियाजा हमारी जनता को भुगतना पड़ रहा है। केन्द्र से 1906 करोड़ रुपये राशि में से केवल 1633 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाये, 273 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाने के कारण हमें आने वाले बजट में 273 करोड़ रुपये कम मिलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में झोलाछाप डाक्टर का कहीं कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई निरीक्षण, कोई प्रतिबंध लगाने की कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है और सरकार कभी-कभी फार्मलिटी के तौर पर निरीक्षण करती है। उसमें जो निरीक्षण किये हैं, जो बताया है कि 330 से अधिक डाक्टर पकड़े, 50 पर भी कोई मुकदमे दर्ज नहीं किये। जयपुर में 103 आदमी पकड़े जिसमें 4 के खिलाफ भी केस दर्ज नहीं हुआ। अभी मेरे करौली जिले में हिण्डौन में वदवाड़ा गांव में 8 वर्षीय बालिका का झोलाछाप ने इलाज किया, इस वजह से उसकी मृत्यु हो गयी। तो मेरे जिले में तो बिलकुल इंस्ट्रक्शंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। झोलाछाप डाक्टर खुलेआम उपचार कर रहे हैं।

सभापति महोदय, राज्य सरकार के हमारे स्वास्थ्य विभाग के

(श्री रमेश)

अधिकारी कितने जिम्मेदार हैं कि बाड़मेर के धोरीमन्ना में एक नसबंदी शिविर में आपरेशन के बाद महिलाओं को बेड के अभाव में सड़क पर लिटा दिया, यह जानकारी हमारे मंत्रीजी को भी है और सक्षम अधिकारी जो डाक्टर होना चाहिए था वो भी कहीं बाहर था, तो यह काम सिर्फ ए.एन.एम. के बलबूते पर किया। ऐसा कार्यक्रम चल रहा है तो कैसी लापरवाह सरकार है, कैसे वहां के अधिकारी हैं जिनको आपने दंडित नहीं किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात...

श्री रमेश (सपोटरा): सुझाव है, सुझाव।

श्री सभापति: नहीं, सुझाव हो गये, आपके बहुत सुझाव आ गये।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं, अभी नहीं हुआ, साहब, ऐसे नहीं रोकोगे।

श्री सभापति: आपके बाकी माननीय सदस्य सुझाव दे देंगे।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं, सुझाव मैं दे रहा हूं, समय है मेरे पास। नहीं, ऐसे नहीं करें आप।

श्री सभापति: नहीं। माननीय सदस्य, आपका समय ...

श्री रमेश (सपोटरा): बाकी लोग आधा-आधा घंटे, 40-40 मिनट बोल लिये ...(व्यवधान) साहब, मैं दो मिनट और बोलूंगा।

श्री सभापति: हां।

श्री रमेश (सपोटरा): जनाना एवं महिला के चिकित्सालयों की बड़ी दयनीय स्थिति है पूरे राजस्थान में। आप एक तरफ स्मार्ट सिटी की बात करते हो, अगर ग्रामीण चिकित्सा को आप देख लें, आपका जो डिलीवरी रूम है उसको देख लें, उसकी टेबल को देख लें तो आपको पता लग जायेगा कि हम कौनसी 21वीं सदी में जीने की बात करते हैं। उस टेबल पर जंग लगी हुई है, औजारों पर जंग लगी हुई है और वहां पर लगातार एक के बाद एक क्या सैकड़ों डिलीवरियां हो जाती हैं लेकिन संसाधनों की कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह से प्रदेश में अकाल मौतें हो रही हैं और बच्चे मर रहे हैं लेकिन सरकार का इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं है।

निजी चिकित्सालयों में आम आदमी को लूटा जा रहा है, अनाप-शनाप जांचों के नाम पर लूट रहे हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आपका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसको सरकार लागू क्यों नहीं कर देती? जो हमारे प्राइवेट हास्पिटल हैं, जिनको हमने टोकन मनी पर दिया हुआ है, वो

(श्री रमेश)

टर्म्स एण्ड कंडीशन को फालो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो हमारे मरीजों का, बी.पी.एल. मरीजों का इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? यह भी एक विषय है।

प्राइवेट हास्पिटल्स में मरीजों पर दवाइयों का परीक्षण किया जाता है जबकि परीक्षण चाहे सरकारी करें, चाहे गैर-सरकारी करें, परमिशन लेनी पड़ती है कि इस दवा की हम आपके ऊपर जांच कर रहे हैं, इसकी वजह से लोग मर रहे हैं, सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

मिलावट की जांच के बारे में, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, एक मिनट लगेगा। दीपावली का मौका आता है जब मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच होती है, बाकी बारह महीने कोई जांच नहीं होती। जो भी सैम्पल आते हैं उनका भी क्या है कि लास्ट तक उसका समापन समाप्त हो जाता है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने 7232 सैम्पलों की जांच की, जिनमें मिलावटी 2054 पाये गये, तो यह 28.40 परसेंट हैं और 284 सैम्पल तो ऐसे थे, बिलकुल अनसेफ थे। तो यह अत्यन्त गम्भीर मुद्दा है कि हम खाद्य वस्तुओं में मिलावट को खा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपना समाप्त करें आप। श्रीमती अनीता। अब आपका अंकित नहीं होगा।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26 - चिकित्सा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री रमेश (सपोटरा):×

श्रीमती अनीता (नगर): आपका दो-दो मिनट कर के तो 15 मिनट हो गये।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं होगा।

श्रीमती अनीता (नगर): सभापति महोदय, मैं आज चिकित्सा की मांग पर एक प्रार्थना की तीन लाइन बोलकर शुरू करना चाहती हूं, 'असतो मा सद्गगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योममृितम् गमय,' अर्थात्, हे ईश्वर, हम सब को असत्य से सत्य की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, इस प्रकार के विचारों से चलने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुन्धरा जी और हमारे लोकप्रिय चिकित्सा मंत्री महोदय।

(श्रीमती अनीता)

राजस्थान का क्षेत्रफल वैसे तो भारत के गणराज्य में सबसे बड़ा है और यहां की जनसंख्या भी 6.85 करोड़ है लेकिन उसके बावजूद हमारे पूरे देश में चिकित्सा क्षेत्र में अन्य राज्यों से बहुत बेहतर स्थिति है। राजस्थान अपनी परम्परागत कला और रंग-बिरंगी लोक संस्कृति के लिए तो जाना जाता है लेकिन मुझे आज इस बात की खुशी भी है कि हमारे यहां पर अच्छी और बेहतर चिकित्सा सुविधा की होने की वजह से आसपास के राज्य हैं हरियाणा, यू.पी., पंजाब, मध्य प्रदेश यहां के भी हजारों लोग रोज एस.एम.एस. के अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि यहां पर कम खर्च होता है और साथ में यहां के इलाज पर उनका विश्वास है कि यहां का इलाज, यहां के डाक्टर, यहां के अस्पताल उनको अच्छा इलाज देंगे, उनकी बीमारियां दूर करेंगे, यह उनका विश्वास है।

(16.00 बजे)

यह विश्वास इस कदर बढ़ रहा है कि विदेशों से भी बहुत सारे लोग सिर्फ अपने इलाज के लिए यहां जयपुर में आते हैं क्योंकि यहां बहुत कम खर्च पर इलाज होता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि हमारी मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री महोदय राज्य की जनता के लिए विशेषकर कमजोर वर्ग के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाने के लिए बहुत सारी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। माननीय मंत्रीजी द्वारा संरचनात्मक विकास और सुदृढ़ीकरण कर एक सुनियोजित तरीके से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक व्यक्ति को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया जा रहा है, जिसके लिए मंत्रीजी को मैं आज सदन में आपके माध्यम से बहुत बधाई देना चाहती हूं।

सभापति महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे काम हमारी सरकार के आने के बाद हुए हैं। चिकित्सा शिक्षा में माननीय वसुंधरा जी ने बाड़मेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, चूरू, डूंगरपुर और पाली में एक-एक करके 7 मेडिकल कालेज खोलने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके लिए मेडिकल कालेज में 289 करोड़ रुपये में 2016 से इसके निर्माण कार्य चल रहे हैं।

हमारी सरकार आने के बाद हमारे माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने एमबीबीएस सीटों में भी बहुत वृद्धि की है। कांग्रेस के शासन में हमारे जो अस्पताल थे, अस्पताल तो थे लेकिन डाक्टर नहीं थे। उन डाक्टरों की पूर्ति करने के लिए यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, जिसमें जयपुर में

(श्रीमती अनीता)

100 हैं, जोधपुर, बीकानेर में भी 100 हैं। झालावाड़ में, अजमेर में, उदयपुर, कोटा यहां पर 100-100 करके सीटें बढ़ाई गई हैं। जो 7 प्रस्तावित कालेज हैं, जिसमें हमारा भरतपुर भी शामिल है, उसके अन्दर भी 100 बढ़ाई हैं। इस प्रकार से 700 सीटें मेडिकल स्टूडेंट्स की बढ़ी हैं, जिससे मैं समझती हूं कि आने वाले समय में हम लोगों को बेहतर और अच्छी संख्या में डाक्टर्स प्राप्त होंगे जिससे हम अपने सब अस्पतालों में, जो छोटे से छोटे गांव के अन्दर हमारी पीएचसी खुली हैं, वहां पर डाक्टर्स उपलब्ध करा पाएंगे।

राज्य में एमबीबीएस की गत सरकार के कार्यकाल तक 1 हजार 50 सीटें ही उपलब्ध थीं, जबकि हमारी सरकार आने के बाद एमबीबीएस की वर्तमान कालेजों में 700 सीटों के साथ नये कालेजों में भी अगर 700 हो गई तो उसके साथ 1 हजार 400 सीटों में वृद्धि हो गई है जिससे हम लोगों को आने वाले समय में बहुत फायदा मिलेगा।

इसके साथ मरीजों को सुलभ सुविधाएं प्रदान किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में जयपुर और जोधपुर शहर में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं का विस्तार कर सैटेलाइट अस्पतालों को मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्यों के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण में दिया गया है। जिसकी वजह से भी हमारे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग में पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया गत सरकार से लम्बित चली आ रही थी। जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां पूरे क्षेत्र में और अस्पतालों में हो रही थीं, जनता को हो रही थीं जो मरीज भर्ती होते थे उनको हो रही थीं लेकिन भर्तियों का न्यायिक प्रकरणों से निस्तारण करवाकर हाल ही में इन पदों की नियुक्तियां भी कर दी गई हैं जो सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। जो आपके और हमारे सबके सामने हैं। पैरा मेडिकल स्टाफ के विभिन्न पदों पर कुल 17 हजार 332 भर्तियां हुई हैं जिसमें संविदा पर 1 हजार 254 तथा 9 हजार 538 भर्ती अभी प्रक्रियाधीन हैं, जिनकी बहुत जल्दी ही भर्ती हो जायेगी और हमारे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा इसमें मिलने वाला है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि राज्य में जो स्वीकृत चिकित्सा संस्थान हैं, सीएचसी हमारी 551 हैं, पीएचसी हैं 2 हजार 80, सब सैन्टर हैं 14 हजार 408 और इनका कुल योग 17 हजार 60 हो जाता है। हर जगह पर डाक्टर्स, नर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराना

(श्रीमती अनीता)

सरकार के लिए अपने आप बड़ी चुनौती थी क्योंकि कांग्रेस के राज में उन्होंने इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया कि कहां पर तो डाक्टर्स हैं और कहां पर नहीं हैं। जहां भी देखते थे तो सारे अस्पताल खाली पड़े रहते थे। जनता इस बात को कहती थी कि अस्पताल तो खोल दिये लेकिन इनमें डाक्टर्स ही नहीं हैं तो इलाज कराने कहां जाएं। लोगों को निजी अस्पतालों की तरफ पलायन करना पड़ता था लेकिन अब बहुत सारे अस्पतालों में सीटें भरी हैं।

राज्य में चिकित्सकों के कुल स्वीकृत जो पद हैं वह तो 11 हजार 8 हैं, वर्किंग 9 हजार 224 हैं और वैकेंट 1 हजार 784 हैं। राज्य में चिकित्सक भर्ती की 2013 के अन्दर जो स्थिति थी, सैंक्शन तो थी उसमें पोस्ट 10 हजार 761 और वर्किंग थे केवल 6 हजार 702 और वैकेंट कितनी रह गई 4 हजार 60, इतनी खाली पड़ी थीं लेकिन आज की स्थिति में हम बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे मंत्री महोदय ने बहुत मेहनत करके इस काम को किया है। जो 1 हजार 784 रह गयी हैं वह भी बहुत जल्दी भर जाएंगी। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसके लिए हम मंत्रीजी को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं।

चिकित्सकों की जो भर्ती है, फरवरी, 2015 में जो चयनित हमने किये 1 हजार 549 और जिसमें से 980 ने कार्य ग्रहण कर लिया, यह एक बहुत बड़ी बात है। आजकल डाक्टर्स निजी चिकित्सालयों में जाना पसंद करते हैं या अपना चिकित्सालय खोलना पसंद करते हैं लेकिन उन डाक्टर्स को समझाकर और नीति बनाकर, उन सबको कार्य ग्रहण कराया, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।

माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के कार्य भार संभालने के समय 4 हजार 95 चिकित्सकों के पद रिक्त थे। चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने हेतु की गई कार्यवाही, इन्होंने वाक इन इंटरव्यू किया तो 466 आये, पे माइनस पेंशन 2 वर्ष का किया इसमें 50 आये, एनएचएम के द्वारा किया इसमें 135 आये और डीपीसी द्वारा किया इसमें 2 हजार 17 आये। इतने सारे काम तरीके से, तकनीकी रूप से आपने किये जिससे पूरे प्रदेश में चिकित्सा का एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, जिस पर जनता आगे से विश्वास कर रही है।

सभापति महोदय, वर्ष 2015-16 में नि:शुल्क दवा योजना पर पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक राशि व्यय की गई है। नि:शुल्क जांच योजना द्वारा पिछले

(श्रीमती अनीता)

5 वर्षों में सर्वाधिक मरीज भी लाभान्वित हुए हैं। जो राशि है, उसमें आप देखिये कि 2011-12 में जो कुल व्यय था करोड़ों में वह 116.37 था और आज की हम बात करें 2015-16 या फरवरी, 2016 तक तो वह 417.50 है, इतना बड़ा गैप बनाकर के इसको आगे बढ़ाया है, यह मैं आपसे कहना चाहती हूं।

सभापति महोदय, कितने मरीजों को लाभ दिया है? जब 2011-12 में कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने दिया 3 करोड़ 78 लाख मरीजों को, आज की तारीख में हम कितने मरीजों को दे रहे हैं लाभ, हम 8 करोड़ 51 लाख 40 हजार 674 को लाभ दे रहे हैं, जो अपने आपमें एक बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे माननीय सदस्य रमेश मीणा जी कह रहे थे कि सब जगह गड़बड़ हो रही है। कहीं इलाज नहीं हो रहा है। अगर यह आंकड़े उठाकर के आप देखेंगे तो निश्चित रूप से इस बात को महसूस करेंगे कि आज के समय में कितना जनता को इलाज मिल रहा है।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना से लाभान्वित मरीजों की जो वर्षवार संख्या है, वह देखिए, कुल मरीजों की संख्या 2013-14 में, जब इनकी सरकार थी कांग्रेस की, तब 1 करोड़ 54 लाख और आज उससे दुगने हो चुके हैं। आज उनकी संख्या 2 करोड़ 16 लाख है। मतलब दुगने लोगों को, मरीजों को हमने जांच की सुविधा मुहैया कराई है, जो अपने आपमें हमारी मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री महोदय का बहुत बड़ा योगदान है।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में किशोरी बालिकाओं को मासिक धर्म सम्बन्धी स्वच्छता का ध्यान रखने हेतु भी बहुत आवश्यक चीज है, जिसके लिए 2015-16 में मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना में 7 जिलों में सैनेटरी नैपकिन वितरण का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था जिसमें 6 से 12 की बच्चियां विद्यालयों में जाने वाली, करीब साढ़े 15 लाख किशोरियों को और बीपीएल परिवार की विद्यालय नहीं जाने वाली 10 से 19 वर्ष की लगभग साढ़े 4 लाख किशोरी बालिकाओं को लगभग 60 करोड़ रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 12 सैनेटरी नैपकिन नि:शुल्क वितरित किया गया, जो अपने आपमें एक अभिनव पहल है।

सभापति महोदय, मैं आज इस मांग पर कहना चाहती हूं माननीय मंत्री महोदय, कि यह आपने 7 जिलों में शुरू किया है, यह लड़कियों की एक बहुत आवश्यक चीज है।

अगर आप पूरे राजस्थान में इसको शुरू करेंगे किशोरियों के लिए तो

(श्रीमती अनीता)

यह स्कूल जाने का और पढ़ाई के स्तर में जो उनकी संख्या कम होती जा रही है उसमें अपने आप यह एक बहुत बड़ी पहल हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी।

हमारे तम्बाकू और जो व्यसन हैं उसके लिए भी माननीय मंत्री महोदय ने बहुत बड़े काम किए हैं, उन्होंने तम्बाकू छोड़ने और युवा बचाओ का अभियान प्रारम्भ किया और इसके लिए उन्होंने झुन्झुनूं में बहुत बड़ा विशाल शपथ ग्रहण समारोह भी 13 मई को कराया, जिसमें मेरे ख्याल से 50 हजार लोगों ने भाग लिया। बहुत सारी, सोशल साइट्स की भी हम बात करें तो उसमें 3 लाख 47 हजार लोगों ने उस दिन यह तय किया कि हम तम्बाकू छोड़ेंगे लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि आपकी कैबिनेट में भी जो तम्बाकू का सेवन करते हैं तो वह भी आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप तम्बाकू छोड़ने के लिए उनको प्रेरित करें। इसके साथ ही रक्षा बंधन के पावन पुनीत पर्व पर तम्बाकू मुक्त शपथ के साथ 3 लाख बहनों और भाइयों...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तम्बाकू के साथ-साथ माननीय सदस्या, और भी सेवन करते हैं वह भी छुड़वाइए।

श्रीमती अनीता (नगर): पहले तो कहने वाले आप ही छोड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने नया सवेरा केन्द्र खोले हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने तो कभी जिंदगी में छुआ ही नहीं, न तम्बाकू पीता हूं, न बीड़ी पीता हूं न शराब पीता हूं, कुछ भी नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): फिर हमारा खून क्यों पीते हो?

श्रीमती अनीता (नगर): चलो बहुत अच्छी बात है, बधाई है, आपकी प्रशंसा है इस बात के लिए। (व्यवधान) इसके साथ-साथ मैं यह चाहती हूं कि यह असत्य बोलना छोड़ दें तो इनका और भी अच्छा काम हो जाए।

माननीय सभापति महोदय, कैंसर रोग से भी प्रदेशवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए 34 हजार स्क्वायर मीटर भूमि पर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण किया है जो विश्व में पुर्तगाल की ख्यातिवान संस्था है जो नो लोस, नो प्रोफिट के आधार पर Champalimaud Foundation के साथ राज्य सरकार ने एमओयू साइन किया है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, भविष्य में एक बहुत बड़ी इमारत होगी और हमारे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा इससे

(श्रीमती अनीता)
मिलेगा। जिसके लिए हमारे माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में एक अध्ययन दल Champalimaud Foundation और अत्याधुनिक तकनीक से किए जाने वाले इलाज के लिए पुर्तगाल भी गया और वहां भी स्टडी करके आए हैं, जिससे बहुत अच्छा फायदा हमारे प्रदेश को मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां यह उल्लेख करना आवश्यक समझती हूं कि राज्य में एमबीबीएस की गत सरकार के कार्यकाल में 1000 सीटें ही उपलब्ध थीं और हमारी सरकार ने आने के बाद इसमें बढ़ोतरी की है, 1400 की है वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र की ओर भी माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि मंत्री महोदय, मेरे यहां पर नगर के अन्दर जगपत जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है उसको क्रमोन्नत हुए, पीएचसी से सीएचसी हुए 15-16 साल हो गए लेकिन आज भी जो पैरामेडिकल स्टाफ है वह पीएचसी के हिसाब का लगा हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि सीएचसी में जितना मेडिकल स्टाफ होता है अगर वह सीएचसी है, 15-16 साल से बना हुआ है तो उसका पैरामेडिकल स्टाफ सीएचसी के अनुसार किया जाए क्योंकि वहां पर अगर 9 डाक्टर हैं और 2 पैरामेडिकल स्टाफ से अगर वे काम करेंगे तो वह निश्चित रूप से बहुत ज्यादा परेशानी का विषय है, यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां जनूथर की पीएचसी है, आपको ध्यान होगा जब सरकार आई थी, आप जनूथर आए थे तो आपसे मेरी बात हुई थी, आपने मेरे को आश्वासन भी दिया था कि जनूथर जो पीएचसी है उसको सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए क्योंकि वहां क्षेत्र में सीएचसी काफी दूर पड़ती है तो उसका करना चाहिए।

सेमली, मिड आफ द नगर और अलवर के बिलकुल मिड में आती है मतलब 30 किलोमीटर यहां और 30 किलोमीटर अलवर तो वहां कोई सीएचसी, पीएचसी कुछ भी नहीं है और वहां के जो भामाशाह हैं वे जमीन देने को तैयार है और उस सीएचसी की जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को भी बनाने को तैयार हैं, अगर वहां पर आप पीएचसी देंगे तो आसपास के क्षेत्र के लोगों को इससे बहुत फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, एक मांग और करना चाहती थी कि तरोण्डर में एक उप केन्द्र की आवश्यकता थी अगर आप वहां एक उप

(श्रीमती अनीता)

केन्द्र ...(व्यवधान) आप निश्चित रहो, मुझे तो सब कुछ मिलने वाला है जो कुछ मैं कह रही हूं। (व्यवधान) पूरा मिलेगा, पूरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको दिया हुआ है, माननीय सदस्या, आपको दिया हुआ आश्वासन पूरा नहीं कर रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है?

श्रीमती अनीता (नगर): मैंने कहा था तो मिलेगा, मिलेगा, हण्डरेड परसेंट मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं उप केन्द्र की कहना चाहती हूं और मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद भी करना चाहती हूं कि पहली बार मैंने आपसे गुलपाड़ा में पीएचसी मांगी थी, आपने पीएचसी उसकी सैंक्शन कर दी, उसके साथ-साथ 1 करोड़ 33 लाख रुपये आपने उसके लिए सैंक्शन किए, बिल्डिंग बन रही है, जैसे ही बिल्डिंग बनेगी, आपको निश्चित रूप से उद्‌घाटन के लिए उसमें बुलाउंगी जिससे हमारे यहां पर आपके पैर पड़ेंगे तो हमारे अस्पतालों और चिकित्सा सेवाओं में बहुत फायदा मिलेगा।

मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहती थी कि क्योंकि नगर, कामां, ये अल्पसंख्यक ब्लाक्स में आते हैं और वहां पर नर्सिंग कालेज खोलने की आपकी मंशा थी तो निश्चित रूप से जो अल्पसंख्यक ब्लाक हैं वहां पर नर्सिंग कालेज खुले जिससे हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास हो।

हमारे सीकरी की 108 सेवा बहुत खराब और दयनीय स्थिति में है, उसको अगर आप बदलकर दे देंगे तो हमारा क्षेत्र आप का बहुत आभारी रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने मुझे पूरा समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शुभकरण चौधरी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक कहावत जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं,

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागभवेत् ।

यह कहने को तो संस्कृत का मात्र एक श्लोक और चार लाइनें हैं पर राजस्थान की सरकार और हमारे चुस्त-दुरुस्त मंत्री और हमारी संवेदनशील

(श्री शुभकरण चौधरी)

मुख्य मंत्री ने इस बात को बहुत मर्म से पहचाना। इस बात को दिल से लगाया और पूरे राजस्थान के स्वास्थ्य की चिंता की, तय किया कि हरेक व्यक्ति को सुखी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और बिना स्वास्थ्य सही रहे, न कोई प्रदेश विकास कर सकता, न वहां का आवाम चैन से बैठ सकता है और न प्रगति कर सकते हैं। किसी ने यह भी कहा है कि "Wealth is lost, nothing is lost; but health is lost, something is lost; if character is lost, everything is lost." धन आपने खो दिया तो आपने कुछ नहीं खोया, आपने स्वास्थ्य खो दिया तो कुछ खोया पर अगर आपने अपना चरित्र खो दिया तो अपना सब कुछ खो दिया। धन से चरित्र खरीदा नहीं जा सकता पर बिना स्वस्थ शरीर के, उस शरीर में अच्छे चरित्र का वास हो नहीं सकता यह शाश्वत सत्य है इसलिए व्यक्ति स्वस्थ रहे इस बात की हमारी सरकार ने चिंता की, हमारे माननीय मंत्रीजी ने चिंता की और इतनी गम्भीर चिंता की कि ऐसे नवाचार स्थापित किए, आज राजस्थान में, इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्रफल वाले प्रदेश में जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है और भौगोलिक क्षेत्र देश में सबसे अधिक है और मैं समझता हूं कि पूरे देश में राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य के विभाग के माध्यम से अग्रणी राज्यों की गिनती में आता है। राजस्थान में चिकित्सा संस्थानों की संख्या कुल 17550 है। चिकित्सालय हैं, डिस्पेंसरीज हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, मेडिकल कालेजों के तहत आने वाले चिकित्सालय इससे अलग हैं, लगभग 20 किलोमीटर की परिधि में राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर जैसे क्षेत्र भी राजस्थान में आते हैं जहां दूर-दूर तक बस्तियां नहीं है इसके उपरांत भी राजस्थान का औसत है कि 20 किलोमीटर में एक चिकित्सा का कोई न कोई केन्द्र राजस्थान की सरकार ने स्थापित किया हुआ है, 6 करोड़ 86 लाख 21012 की जनसंख्या वाले प्रदेश में प्रति 3910 की जनसंख्या पर एक चिकित्सा सेवा जरूर उपलब्ध है। चाहे वह आयुर्वेद केन्द्र हो, चाहे स्वास्थ्य केन्द्र हो, चाहे वह उप केन्द्र हो, चाहे पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, पर यह उपलब्ध है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार में सन् 2012 में कुल 5,65,33,116 मरीजों का जो इलाज किया उस इलाज में 55.16 प्रतिशत महिलाएं शामिल थीं। पर 2014 में हमने इस आंकड़े को ले जाकर 7 करोड़ 59 लाख 81 हजार 633 मरीजों को लाभान्वित किया, यहां तक पहुंचाया। इसमें 54.51 परसेंट महिलाओं ने इसका लाभ उठाया। सदन में आये उस दिन से

(श्री शुभकरण चौधरी)

लोग कहते आ रहे हैं कि सारी सुविधाएं बंद कर दीं, मुफ्त दवाइयां बंद कर दीं, जांच बंद कर दीं। हमने अगर जांच बंद कर दीं तो मैं मित्रों से पूछना चाहता हूं, जो लोग यह बातें करते हैं कि आंकड़े क्या हमने बनाये, कहां से बढ़कर आये? ये आंकड़ा बढ़ा हुआ इस बात को सिद्ध करता है कि राजस्थान की सरकार, हमारी संवेदनशील मुख्यमंत्री और हमारे चिकित्सा मंत्री जनता के स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं और उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, पिछले दिनों बात हो रही थी लोग एड्स से मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं, डेंगू से मर रहे हैं। मैं क्षय निवारण केन्द्र के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं 2013 में 84720 लोगों ने इलाज कराया जिसमें 30.76 प्रतिशत महिलाएं थीं, 2014 में आंकड़ा 84810 पर पहुंचा, 36.77 प्रतिशत उसमें महिलाएं हैं। सन् 2015 में आंकड़ा घटकर 76000 पर आया, 31 प्रतिशत महिलाओं ने इलाज कराया इसका मतलब यह नहीं है कि हमने उनका इलाज नहीं किया। हमने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर टीम लगायी, लोगों को चिन्हित किया और उनका इलाज करके इस बीमारी को नेस्तनाबूद किया, कम किया, इसलिए आंकड़े घटकर सामने आये। एक स्वस्थ राजस्थान की परिभाषा है, स्वस्थ राजस्थान का नमूना है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बीमारियां घट रही हैं, रोग घट रहे हैं, मरीजों की संख्या घट रही है, नि:शुल्क दवाइयों के पैसे बढ़ रहे हैं, जांच करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, पर चिकित्सा कराने वाले रोगियों की संख्या इसलिए कम हो रही है कि हम रोगों को खतम कर रहे हैं, स्वस्थ राजस्थान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।

सभापति महोदय, पिछले दिनों स्वाइन फ्लू की बहुत चर्चाएं चली थीं। हाउस में कहा गया स्वाइन फ्लू के माध्यम से मौतें हो रही हैं, इलाज नहीं किया जा रहा। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं हमने टास्क फोर्स की स्थापना की। उस टास्क फोर्स ने पूरे राजस्थान में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, अलग-अलग ब्लाक में जाकर लोगों को चिन्हित किया, उपचार किया और उस उपचार में हमने स्वाइन फ्लू को नियंत्रित करने के लिए वीटीएम, पीपी, एन 95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क, आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू कंट्रोल रूम आदि सुविधाओं को जनता तक पहुंचाकर स्वाइन फ्लू पर सम्पूर्ण रूप से नियंत्रण किया।

सभापति महोदय, आपको बताना चाहता हूं 17550 चिकित्सा संस्थानों पर नि:शुल्क 591 दवाइयां उपलब्ध करायी हैं। आप उनकी पुरानी लिस्ट देख

(श्री शुभकरण चौधरी)

लीजिए, 200-225 की गिनती करते थे और उसके ऊपर 73 सर्जिकल्स, 77 सूचर्स नि:शुल्क हमने दिये हैं। 2013-14 में 140 करोड़ रुपया राज्य सरकार के द्वारा और एनएचएम के द्वारा 135.54 करोड़ रुपया खर्च किया। उस संख्या को बढ़ाकर हमने 2014-15 में 194.99 करोड़ रुपया खर्च किया। 2015-16 में 210 करोड़ रुपया नि:शुल्क दवाइयों पर खर्च करके हमने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। अभी पूरी साल हुई नहीं है, अभी हमारा लक्ष्य 391.99 करोड़ करने का है जो उनके 2012-13 में किये गये पैसे से जस्ट दुगना है। फिर कहते हैं आपने दवाइयां फ्री नहीं कीं। मुफ्त दवाइयां आपने बंद कर दीं। इतनी दवाइयां कांग्रेस सरकार ने मुफ्त में बीमार लोगों को दी थीं उससे दुगने दाम हमने खर्च किये हैं, उससे दुगना हमारा बजट प्रावधान है और हमने खर्चा किया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं पहली बार राजस्थान में जेएसवाई के भुगतान में ऐसी पारदर्शिता आयी है। एक ओजस साफ्टवेयर की स्थापना हमारे मंत्री महोदय ने की है। उस ओजस साफ्टवेयर के माध्यम से किसी को पूछने की जरूरत नहीं, कोई भ्रष्टाचार का काम नहीं, सीधा पैसा उस जेएसवाई में, जो लाभार्थी महिला है उसके खाते में जमा होता है, यह नवाचार राजस्थान में पहली बार हुआ है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, आप तो इसी प्रकार अच्छे-अच्छे काम और नवाचार करते रहें, कोई आपकी तारीफ करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की आधी दुनिया सोती है तब भी सूरज उगता है, रुकता नहीं है इसलिए आप अपने कामों में लगे रहें, किसी की वाहवाही की जरूरत नहीं, हम आपको इस बात के लिए जरूर धन्यवाद देना चाहते हैं, राजस्थान की पूरी जनता धन्यवाद देती है कि वाकई आपने चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है यह पूरा देश मानता है।

नि:शुल्क जांच योजना, 2015 में 4 करोड़ 43 लाख 34 हजार 855 जांचें नि:शुल्क की गयी हैं। यह एक ऐसा आंकड़ा है, न भूतो न भविष्यति। बहुत मुश्किल है इस प्रकार के आंकड़े को अचीव करना। इन हालातों में जहां एक पैसा इलाज करने के लिए छोड़ा नहीं, जहां राजस्थान को घाटे का एक स्टेट लाकर खड़ा कर दिया था, बीमारू प्रदेश की गिनती में लाकर कांग्रेस ने खड़ा कर दिया, उस प्रदेश में इतने करोड़ों लोगों की नि:शुल्क जांच करना और जांच में भी जिस प्रकार की जांच कराना चाहे वह शामिल करना कोई छोटी-

(श्री शुभकरण चौधरी)

मोटी बात नहीं है। हमने तय किया है राजस्थान का एक भी जरूरतमंद व्यक्ति अगर वह छोटी बीमारी से बीमार है तो 30 हजार रुपया, यदि वह गम्भीर बीमारी से ग्रसित है तो 3 लाख रुपया। ऐसा इस देश में किसी प्रदेश में नहीं होता जो राजस्थान में होता है। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति अपना इलाज कराए और राजस्थान की सरकार उसका इलाज करने के लिए दृढ़संकल्पित है और हमारे माननीय मंत्री महोदय इस बात के लिए रात-दिन चिंतित हैं। कभी एसएमएस में, कभी अन्य चिकित्सालयों में, पूरे राजस्थान के एक-एक जिले में जाकर इस बात की चिन्ता करते हैं कि कैसे राजस्थान के एक-एक व्यक्ति को निरोग रखा जाय, कैसे उनको स्वस्थ रखा जाय, चाहे कितना ही बजट लग जाय। राजस्थान का हर नौजवान, हर गरीब, हर अमीर, युवा, बूढ़ा, बुजुर्ग और महिला स्वस्थ और सुरक्षित रहे, राजस्थान की सरकार इस बात के लिए दृढ़संकल्पित है। हमारे मंत्री महोदय इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं नि:शुल्क जांच की स्थिति। अभी श्रवणजी आये हैं मेरे बोलने के बाद, हमेशा मेरे बोलने के बाद ही आते हैं कि झुंझुनूं जिले की पूरी बात न कर लें, लेकिन जिले के लिए बोलने के लिए काफी हूं। एक बात जरूर कहूंगा। अनिताजी कह रहे थे झुंझुनूं में बेटी बचाओ कार्यक्रम में 50 हजार लोग आये, माननीय मंत्री महोदय गवाह हैं उस कार्यक्रम के। इस देश में इतिहास रचा गया। झुंझुनूं जिला जो वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, नौजवानों की धरती है, किसानों की धरती है, उस धरती पर 2 लाख लोगों ने बेटी बचाने का संकल्प लिया और संसार के वर्ल्ड रिकार्ड में उस झुंझुनूं जिले का नाम लिखा गया यह भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकर्ताओं का काम है।

नि:शुल्क जांच योजना के माध्यम से बताना चाहता हूं, 2012-13 में 28.56 करोड़ रुपये का प्रावधान था मात्र 28.56 करोड़ का प्रावधान। नि:शुल्क जांच में 2013-14 के अंत में 127.09 करोड़, 2014-15 में 139.37 करोड़ रुपया और 2015-16 में 117.18 करोड़ तो हमने खर्च कर दिया, साल तो अभी बाकी है। सीधा-सीधा बताना चाहता हूं 2012-13 के मुकाबले जस्ट 10 गुना पैसा हमने नि:शुल्क जांच में खर्च किया। यह है राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लोगों के प्रति समर्पण और उनके द्वारा किया गया काम।

डेंगू के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 27 सेंटिनल सेंटर डेंगू और चिकनगुनिया के उपचार हेतु हमने चिन्हित किये हैं। इनके समय 2013 में

(श्री शुभकरण चौधरी)

4413 रोगी थे, इसमें से 10 की मृत्यु हुई। 2014 में 1243 रोगी थे जिनमें से मात्र 7 की मृत्यु हुई। 2015 में 4043 रोगी थे उसमें से मात्र 7 की मृत्यु हुई। हम कितने संवेदनशील हैं, हम कितने चिकित्सा के प्रति समर्पित हैं, हमारे मंत्री महोदय कितने सावचेत और सावधान हैं कि राजस्थान में बीमारी तो आ सकती है, पर बीमारी का हमारे रहते, इस सरकार के रहते किसी व्यक्ति की मृत्यु न हो जाय इसके लिए हम कितने गम्भीर हैं, यह आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

आपको बताना चाहता हूं चिकनगुनिया में 2013 में रोगियों की संख्या 23 थी उसको घटाकर हमने 2015 में हमने 9 पर लाकर खड़ा कर दिया है, 2015 में चिकनगुनिया से राजस्थान में मात्र 9 मौतें हुई हैं।

मलेरिया 2013 में 33118 रोगी थे, उनमें से 10 की मृत्यु हुई, 2014 में 15118 रोगी थे, मात्र 3 की मृत्यु हुई है मलेरिया के माध्यम से, 2015 में 11796 रोगी थे जिनमें से मात्र 3 की मृत्यु हुई है। इस बात से स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार ने चिकित्सा व्यवस्था को कितना सुधारा है और रोगियों की संख्या तथा मरने वालों की संख्या में कितनी कमी आयी है। यह स्वस्थ राजस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

आयुर्वेद के माध्यम से आपको और पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद चिकित्सा में पहली बार कई वर्षों के बाद, वैसे तो आयुर्वेद हिन्दुस्तान में चिकित्सा की सबसे पुरानी पद्धति रही है, लेकिन बीच के समय में यह पद्धति कुछ लोगों ने एक तरह से बंद कर दी, हमने पहली बार दुबारा इस बात की चिन्ता की है और वर्तमान में चिकित्सालय स्तर पर 30 आंचल प्रसूता केन्द्र, 24 पंचकर्म, 22 जरावस्था केन्द्र स्थापित किये हैं। इनको बढ़ाकर 2016-17 में शेष रहे तीन जिलों में, मात्र 3 ही जिले बाकी रहे हैं उन तीन जिलों में 3 आंचल प्रसूता केन्द्र, 9 जिलों में पंचकर्म केन्द्र एवं 11 जिलों में जरावस्था केन्द्र खोलकर प्रत्येक जिले में आयुर्वेद को बढ़ावा देने की तरफ हमारी सरकार अग्रसर है।

मैं आपको बताना चाहता हूं, जो माननीय सदस्य चिंतित थे आयुर्वेद के लिए, उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सा में भी अव्वल बनने जा रहा है।

सभापति महोदय, ऐलोपैथी चिकित्सा, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों और वरिष्ठ चिकित्सकों के अनुभव का फायदा उठाने के

(श्री शुभकरण चौधरी)

लिए हमारी सरकार ने चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का काम किया है, इससे जितने वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनकी सेवा का लाभ राजस्थान के मरीजों को ज्यादा मिलेगा, यह काम भी हम लोगों ने करने की व्यवस्था की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014-15 में चिकित्सा क्षेत्र में मात्र 1 करोड़ 30 लाख का बजट रखा गया था उसको बढ़ाकर सरकार आने के बाद 1 करोड़ 86 लाख 394.84 लाख रुपये किया और इस वर्ष 2016-17 में आय-व्ययक में 2 करोड़ 44 लाख 489.32 लाख रुपये किया है जो सभापति महोदय एक रिकार्ड है। इतना बड़ा बजट राजस्थान की जनता को स्वस्थ रखने के लिए इस विभाग के माध्यम से हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मंत्री महोदय ने अनुमोदित करवाया है, यह ऐतिहासिक काम है। इतना बड़ा बजट स्वीकृत होने के बाद राजस्थान का एक भी व्यक्ति पैसे के अभाव में कभी बीमार न रहे, कोई पैसे की कमी से वो अस्वस्थ न रह जाए, उसके इलाज में कोई कमी नहीं रह जाए, इस बात के लिए हमारी सरकार लगातार चिंतित है।

बार-बार लोग कहते आये हैं कि एएनएम्स की कमी है, जीएनएम्स की कमी है, डाक्टर्स की कमी है, वर्षों से यह भाषण देते आये पर यह कमी पूरी कैसे होगी इस बात की चिंता किसी ने नहीं की। हमारे मंत्री महोदय ने पहली बार इस बात की चिंता की और 350 सीटें एमबीबीएस में जो एग्जिस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारे पास था, उसी में बढ़ायीं ताकि नये मेडिकल कालेज तो बनेंगे तब बनेंगे, उनका समय आएगा तब आएगा पर 350 पर-ईयर डाक्टर्स ज्यादा बनेंगे, यह बहुत बड़ी बात हमारी सरकार ने ठान ली है और अगली साल से वो 350 डाक्टर राजस्थान में ज्यादा बनेंगे।

एएनएम्स की भर्ती आपके सामने अभी है, जीएनएम्स की पोस्टिंग अभी चालू है। रात-दिन हम लोग इनके आगे-पीछे रहते हैं कि साहब हमारा ट्रांसफर कर दो, हमारी पोस्टिंग कर दो। 5 साल लगातार इन्होंने एनआरएचएम का माध्यम सुनाकर, 5 हजार, 7 हजार, 8 हजार रुपये में कोई नौकरी करता है? कोई अपना पेट पाल सकता है? पहली बार इस संवेदनशील सरकार की मुख्य मंत्री और हमारे मंत्री महोदय ने इस बात की चिंता की। ग्रामीण परिवेश के बेटे-बेटियां 5-5, 7-7 हजार रुपये में नौकरी करके अपना जीवन-यापन नहीं कर सकते तो उनका स्थायीकरण करने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता और

(श्री शुभकरण चौधरी)

इस सदन को बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने वो भर्तियां करके राजस्थान के गरीब, किसान और जरूरतमंद लोगों को इतना फायदा पहुंचाया है, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में लोग सरकार की तारीफ कर रहे हैं। वाकई आपने बहुत अच्छा किया है और कई वर्षों से हमारे बेटे-बेटियां 5-5, 7-7 हजार रुपये में 500-500 किलोमीटर जाकर नौकरियां कर रहे थे उनको स्थायी करने का काम किया है। मेडिकल कालेजों में स्टाफ लगाने का काम किया है और राजस्थान में कोई सोच भी नहीं सकता था, पहली बार राजस्थान में 7 मेडिकल कालेज स्वीकृत कर वाकई में बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है, एक नवाचार स्थापित किया है। इस बात के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को और मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मेरे लिए तो आपको बताना चाहता हूं कि पहली बार, ये चाहे कुछ भी कहें, वैसे तो मंत्री महोदय किसी प्रकार का भेदभाव करते नहीं पर उदयपुरवाटी के हर अस्पताल में 50-50 लाख से धर्मशालाएं बनी हैं, हरेक पीएचसी, सीएचसी पर सवा-सवा करोड़, एक-एक करोड़ रुपये खर्च कर रिनोवेशन हुआ है, नवीनीकरण हुआ है, डाक्टर्स लगे हैं। मात्र एक छोटी सी मांग बाकी रह गई थी जिसके लिए मंत्री महोदय से निवेदन भी कई बार किया था.... महाराजजी, सुन लेने दो मंत्रीजी को एक बार, थे पाछै गाय चरा लीज्यो, महाराज, म्हारी बात पूरी कर ले बा द्यो। राजस्थान में एक इतिहास पैदा किया है, और इसमें कोई दोराय नहीं है। एक-दो बार निवेदन हमने भी किया था, गुढा एक मेरा बहुत बड़ा अस्पताल है, छोटी सी पीएचसी में 800-900 की ओपीडी है, मंत्री महोदय, आपने खुद ने भी देखा है और वह अगर 50 बैड की जगह 100 बैड का हो जाए तो उदयपुरवाटी की जनता आपको बहुत धन्यवाद देगी, वहां जरूरत भी बहुत ज्यादा है। मेरे इतने बड़े अस्पताल में 108 एम्बुलैंस जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है, ब्रेक डाउन बड़ी है। इसके लिए हमने आपसे निवेदन भी कर रखा है तो वो 108 एम्बुलैंस आप हमें देंगे तो अच्छा रहेगा और उदयपुरवाटी की जनता तो वैसे ही खुश है। सभापति महोदय, चिकित्सा में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अनगिनत सब-सैंटर बने, नई इमारतें बन रही हैं, पट्टे भी हमने जमा कराये हैं, तो यह एक अस्पताल हमारे 100 बैड का बन जाए और 108 की सुविधा वहां नई मिल जाए तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करना चाहते हैं। पूरा राजस्थान इस बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता है, श्रवणजी मात्र इतना ही कहना चाहता हूं

(श्री शुभकरण चौधरी)

कि क्यों बार-बार झगड़े कर रहे हो, क्यों मैं ही बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो बोलते हो। लोग तो यह कहते हैं कि –

फूल से फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है,
अरे, लोहे के टुकड़ों को भी जोड़ो तो हथकड़ी हो जाती है।
क्यों आपस में लड़ते हो हम तो आखिर इन्सां हैं, जुड़ना ही हमारी शक्ति है,
अरे, पत्थर से पत्थर को भी जोड़ो तो इमारत खड़ी हो जाती है।

हमारे साथ आकर मिलकर चलो, इन मंत्री महोदय को धन्यवाद दो, सूरजगढ़ में भी बहुत बड़ा काम किया है, वहां भी डाक्टर लगाये हैं, वहां भी सब सैंटर किये हैं। हमने तो यह दु-भांत का काम किया नहीं, फिर काहे के लिए......

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सूरजगढ़ से डाक्टर फेल होकर आ गया।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): अब एक बात जरूर बताना चाहता हूं। मंत्री महोदय, क्या है चक्कर कि आप सबको बताते नहीं और आप जो काम करते हो वो किसी को पता नहीं चलता इसलिए अंत में एक दो लाइन का शेर कहूंगा फिर बैठ जाऊंगा। श्रवणजी को पता है कि – न खंजर पर कोई बूंद है न कपड़ों पे कोई दाग, न खंजर पर कोई बूंद है न कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करै है कि करामात करै है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): शुभकरणजी, यह सिर्फ श्रवणजी के लिए ही था क्या, हम सबके लिए नहीं था क्या?

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): नहीं, नहीं, वो श्रवणजी के कब काम कर जाते हैं मंत्री महोदय इसलिए वो बोलते हैं, बताते नहीं हैं न। आज अख़बार में एक आया है कि इंश्योरेंस कम्पनी ने रोके एसएमएस के साढ़े पांच करोड़ रुपये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 2018 में मालूम पड़ेगा। ये दुबारा दिखाई नहीं देंगे।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मंत्री महोदय, आप जैसा प्रभावशाली मंत्री होने के बाद आपके विभाग का कोई इंश्योरेंस का पैसा रोक ले, यह जनता के साथ में ठीक नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ये दोहे बोलने वाले 2018 में दिखाई नहीं देंगे आपको।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): आप अपने विभाग के साथ-साथ इस बात की मानीटरिंग भी करो ताकि हमारा कोई भी बीमार, कोई जरूरतमंद व्यक्ति एसएमएस में परेशान होकर न जाये। इस इंश्योरेंस कम्पनी की हिमाकत कैसे हो गई कि हमारे पैसे रोक ले और हमारे गरीबों का इलाज करने में बाधा पहुंचाये इसलिए इस पर भी आप कंट्रोल करें। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाकई में चिकित्सा विभाग का ऐतिहासिक काम राजस्थान की इस वर्तमान सरकार में चल रहा है, हमारे मंत्री महोदय कर रहे हैं। इस बात के लिए मैं आपको और मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): एक शेर श्रवणजी के लिए, एक सुनना तो पड़ेगा।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): श्रवणजी, जल में बसै कमोदिनी, चंदा बसै अकास, ये कह रहे थे, आपको नहीं पता पर मुझे कह रहे थे कि आप गुणगान क्यों कर रहे हो तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि – जल में बसै कमोदिनी, चंदा बसै अकास, जो है जाको भावता, सो ताही के पास। अब हमारी भावना जिनके साथ है उनके पास हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): शुभकरणजी, कमोदिनी कौन है? कमोदिनी किसको कह रहे हो आप? कमोदिनी कौन है, चाँद कौन है वह बता दो आप।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): वह आपके वश का रोग नहीं है, श्रवणजी समझते हैं। वो श्रवणजी समझ गये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठें आप। श्री रामलाल शर्मा।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): वो सुखरामजी को बताता हूं साहब, सुनो। एक मिनट में, एक ही लाइन। माननीय सभापति महोदय, मात्र एक लाइन में उनका जवाब देना जरूरी है, उन्होंने पूछा कि कमोदिनी कौन है।

श्री सभापति: मैंने अगला नाम पुकार दिया।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): एक सैकिण्ड, सभापति महोदय, प्लीज। सुखरामजी, जांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।

श्री पब्बाराम (फलौदी): शुभकरणजी, इनके मानसिक स्वास्थ्य की जांच करवा लो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राठौड़ साहब, आप कह रहे थे कि जाट बुद्धिमान नहीं होता, आप रोजाना कहते हो कि जाट बुद्धिमान नहीं होता, देखा आपने।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): जाट तो बुद्धिमान होता है, डोटासरा बुद्धिमान नहीं होता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ऐसा मैंने कभी नहीं कहा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सभापति महोदय आज सदन के अन्दर एक संवेदनशील मांग पर डिबेट चल रही है और यह इतनी संवेदनशील है कि अर्श का जीवन जीने वाले और फर्श का जीवन जीने वाले व्यक्ति, दोनों को ही चिकित्सा सुविधाओं की नितांत आवश्यकता है और जीवन के अन्दर कभी न कभी इन सेवाओं का वो उपयोग करता है। मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे और मैं उन विचारों को आगे बढ़ाते हुए इतना जरूर कहूंगा कि प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने और हमारे काबिल चिकित्सा मंत्रीजी ने कई ऐसे अनूठे कदम उठाये हैं जिनकी वजह से इस पूरे प्रदेश के अन्दर चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि हुई है। माननीय सभापति महोदय, कई निर्णय ऐसे भी लिये हैं जो निर्णय कठोर थे और पूर्ववर्ती सरकार उन निर्णयों को लेने में भी संकोच कर रही थी कि शायद हमारे वोट बैंक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो कठोर निर्णय थे, उन निर्णयों को लेने में उन्होंने उदारता बरतने का काम किया।

सभापति महोदय, प्रदेश के अन्दर 13 जिले ऐसे हैं, जिन जिलों के अन्दर कोई भी चिकित्सक जाना पसंद नहीं करता था। माननीय मंत्रीजी ने प्रयास किया कि कैसे भी उन 13 जिलों के अन्दर चिकित्सक लगें और उनको अतिरिक्त मानदेय 30,000/- का भी प्रावधान किया गया।

उसके साथ-साथ पिछले दो सालों में पूरे प्रदेश के अन्दर कई महत्वपूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के ऊपर पद रिक्त थे। लगभग 3,300 पदों को भरने का काम भी माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने किया।

दो सालों के अन्दर मेडिकल कालेज खोलने की बात भी की। मेडिकल कालेजों के अन्दर सीट वृद्धि करने की बात भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कही है।

सभापति महोदय, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करके

(श्री रामलाल शर्मा)

आम आदमी को राहत प्रदान करने का काम भी सरकार ने किया है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हमारे सामने ऐसी हैं कि उन चुनौतियों से निपटना नितान्त आवश्यक है। यदि वास्तविकता की बात करें सभापति महोदय, आप तो चिकित्सा महकमे से जुड़े हुए हो और आपने उस दर्द को भी महसूस किया है कि आज भी किसी आदमी के सिर दर्द होता है तो वह कोई भी हरी पट्टी की टेबलेट लेना पसंद करेगा या काम्बीफ्लेम लेना पसंद करेगा। वह अपने परिवार वालों को यह कहता है कि दर्द थोड़ी देर का है, ठीक हो जाएगा। उसको पता है कि मैं अगर इन्वेस्टीगेशन कराने के लिए जाऊंगा तो मेरे 2-3 हजार रुपये जांच के अन्दर लगेंगे और 2-3 हजार रुपये को बचाने के लिए या उसके पास उपलब्धता के अभाव के अन्दर वह इस प्रकार के रास्ते को अपनाने का काम करता है।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा माननीया मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को कि उन्होंने राजस्थान के अन्दर एक ऐसे अनूठे अभियान की शुरुआत की है कि यह राजस्थान निरोगी रहे और उसके लिए आरोग्य राजस्थान अभियान की शुरूआत की। ग्रामीण परिवेश के अन्दर भी घर-घर जाकर सर्वे करके, बीमारी की जांच करके, उस बीमारी का निदान करने का एक शुभारम्भ किया गया है।

सभापति महोदय, आज जिस तरीके से 30,000 से लेकर तीन लाख रुपये तक के इलाज के खर्चे की बात इन सुरक्षा बीमा योजनाओं के माध्यम से की जा रही है। प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह योजना कैसे सफल होगी? इस योजना के अन्दर यह कमी हैं। जो कमियां रह गईं, उनको सरकार सुधार भी करेगी लेकिन एक ऐसा मर्म और एक ऐसा रास्ता तो अपनाने का काम किया, जिससे पूरा प्रदेश लाभान्वित होगा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से इतना निवेदन जरूर करूंगा, आज एसएमएस चिकित्सालय को अगर देखें तो आज एसएमएस चिकित्सालय के अन्दर राजस्थान ही नहीं, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तक के मरीज इस एसएमएस अस्पताल की सुविधाएं लेने के लिए आते हैं। इस एसएमएस चिकित्सालय की स्थिति ऐसी है कि आईसीयू समय पर नहीं मिलते हैं। जिनको आपरेशन कराने हैं, उनको एक-एक, दो-दो महीने का लम्बा समय दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, मेरे दिमाग में एक सुझाव है मंत्री महोदय, मैं भी इस चीज को अच्छी तरह से

(श्री रामलाल शर्मा)

स्वीकार करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर कोई भी चिकित्सक जाना पसंद नहीं करता। हम भी, माननीय सदस्य भी कई बार आपसे पैरवी करते हैं कि अमुक व्यक्ति को आप शहर में लगाइये।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर को केन्द्र बिन्दु मानते हैं तो 30 किलोमीटर की परिधि के अन्दर जो भी शहर हैं, वह ग्रामीण परिवेश के अन्दर नहीं आते चाहे बगरू हो, चौमूं हो, चाकसू हो चाहे बस्सी हो। मंत्री महोदय इन क्षेत्रों को यदि आप विकसित करोगे तो एसएमएस चिकित्सालय का प्रेशर निश्चित रूप से कम होगा और जो चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र में जाना नहीं चाहते हैं, वे इन 30 किलोमीटर की दूरी के अन्दर जाना शुरू कर देंगे, आसानी से वह चले जायेंगे इसलिए इन 30 किलोमीटर की दूरी के अन्दर यदि आपने अच्छी सुविधाएं शुरू कर दीं, सर्जरी का काम शुरू कर दिया, आर्थोपेडिक्स का काम शुरू कर दिया, ट्रोमा अस्पताल विकसित कर दिये तो आपके एसएमएस चिकित्सालय का प्रेशर बहुत कम हो जायेगा।

सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा। मंत्रीजी बहुत उदार भी हैं, दबंग भी हैं, मजबूत भी हैं और अपनी जुबान के पक्के भी हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ढोढसर एक गांव है, वहां पिछले पांच साल पूर्व एक दानदाता ने लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से भवन तैयार किया है और उस भवन के शिलान्यास के कार्यक्रम में माननीय मंत्री महोदय उपस्थित थे। जब भी आप अपने विधान सभा क्षेत्र में जाते हैं या वापस आते हैं तो निश्चित रूप से वह बिल्डिंग आपको दिखाई देती होगी। आपके मन में भी दर्द होगा। मैं आपसे इतना निवेदन जरूर करूंगा कि उस भवन में दानदाताओं की भावनाओं को देखते हुए एक ट्रोमा यूनिट यदि आप शुरू करोगे, वह गांव एनएच पर स्थित है, ट्रोमा यूनिट रींगस के अन्दर भी नहीं है, सीकर के अन्दर है तो यह एक बीच में सैंटर ऐसा विकसित होगा जिससे आम आदमी को लाभ मिलेगा।

आज बीमारी किसी शरीर में प्रवेश करती है तो उसका इलाज सम्भव है लेकिन सभापति महोदय, इसकी गहराई के अन्दर भी जाने की आवश्यकता है कि आखिरकार बीमारियों में वृद्धि होने का क्या कारण है? मौसमी बीमारियां होती हैं, मौसम परिवर्तन होता है, वह बात समझ में आती है लेकिन आज ग्रामीण परिवेश के अन्दर भी आप जाकर देखोगे कि क्या स्थिति है। उम्र

(श्री रामलाल शर्मा)

कितनी, 22 साल। मृत्यु कैसे हुई, हार्ट फैल होने की वजह से, हार्ट अटैक आने की वजह से, ब्रेन हेमरेज होने की वजह से हुई। इतनी कम अवस्था के अन्दर इस प्रकार की बीमारियों का आखिरकार कारण क्या है?

मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान जब आजाद हुआ था तो उस समय दो-पौने दो करोड़ की आबादी थी और लगभग साढ़े तीन करोड़ का पशुधन था, आज पशुधन घटा है, आबादी बढ़ी है लेकिन उसके बावजूद भी सभापति महोदय, कितनी ही शादियों का दौर हो, कितने ही त्यौहार हो, कभी भी आप अख़बार उठाकर देख लें, एक भी पृष्ठ के अन्दर यह लिखा हुआ नहीं आता कि घी की कमी है या मावे की कमी है या दूध की कमी है। आखिरकार इन विपरीत परिस्थितियों के अन्दर भी यह दूध कहां से आता है, घी कहां से आता है? मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन जरूर करूंगा सभापति महोदय, यदि आप अभियान चलाओगे तो वह लोग सतर्क होंगे कि इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक अभियान चलेगा तो वह अपना काम बंद कर देंगे। मंत्री महोदय, अचानक, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति एक आदमी के ऊपर प्रहार करके उसे मौत के घाट उतारता है तो धारा 302 के अन्दर उसकी सज़ा का प्रावधान है लेकिन ऐसे लोग जो अनेकों लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं धीमे जहर के माध्यम से, सभापति महोदय, उनके लिए कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है और उन लोगों को कानून के शिकंजे में लाकर सज़ा दिलाना भी अनिवार्य है।

दूसरा सभापति महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरे राजस्थान के अन्दर किस तरीके से हम बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, माननीय मंत्री महोदय, बेहतर प्रयास कर रहे हैं, भर्ती भी कर रहे हैं, चिकित्सकों की भर्ती भी कर रहे हैं, मेल नर्स की भर्ती भी कर रहे हैं, अवसर आने पर उनको मान-सम्मानपूर्वक पदोन्नति देने का काम भी कर रहे हैं इनके प्रयासों में कोई कमी नहीं है लेकिन राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल को देखते हुए जितने सब-सेंटर यहां खुलने चाहिए, उतने हैं नहीं। आज भी सब-सैंटर्स की कमी है। जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यहां खुलने चाहिए, उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है। जितनी सीएचसी खुलनी चाहिए, उन सीएचसी की कमी है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा। मंत्री महोदय, कई छोटी-छोटी समस्याएं ऐसी हैं, एमआरएस के जरा से सहयोग

(श्री रामलाल शर्मा)

से उन समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि जितनी भी चाहे पीएचसी पर हो या सीएचसी पर हो, जो एमआरएस बनी हुई हैं, उन एमआरएस को मजबूत करने की आवश्यकता है। वहां पर यदि गार्ड की व्यवस्था करनी है, फोर्थ क्लास कर्मचारी की व्यवस्था करनी है, किसी मेल नर्स की व्यवस्था करनी है या अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी है तो एमआरएस के माध्यम से हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रावधान ऐसा निश्चित करें कि एमआरएस के अन्दर थोड़ी सी आमदनी की शुरुआत भी हो।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने राजस्थान के अन्दर एक ऐसा प्रयास शुरू किया है जिसकी राजस्थान की जनता को आवश्यकता थी। वह चाहे...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया जाता है।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मैं एमआरएस की बात कर रहा था। इन एमआरएस को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि वैकल्पिक छोटी-छोटी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान एमआरएस के माध्यम से हम कर सकें।

सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर वैसे भी सभी पद भरे हुए हैं, कोई पद रिक्त नहीं है लेकिन छोटी-छोटी दो-तीन मांगें हैं। मेरे यहां सीएचसी चौमूं के अन्दर आज भी 1,000 से अधिक का आउटडोर है जबकि जिला अस्पताल में भी 1,000 से अधिक का आउटडोर नहीं है।

(श्री रामलाल शर्मा)

मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि हमारी सीएचसी के अन्दर दंत चिकित्सक भी लगे हुए हैं तो हमारे यहां सोनोग्राफी की सुविधा भी है। हमारे फेको मशीन भी आपने उपलब्ध कराई है इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आपने हमारे को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिया उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा मंत्रीजी। लेकिन मैं आपसे एक छोटा आग्रह जरूर करूंगा कि हमारे एक हजार से अधिक का आउटडोर है। आप कम से कम इस सीएचसी को क्रमोन्नत करने का प्रयास करें ताकि जयपुर का प्रेशर भी कम हो पाए और हमारे नागरिकों को भी सुविधाएं मिलें। एक सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर अगर अवार्ड किसी सीएचसी ने लिया है तो वह हमारी सीएचसी गोविन्दगढ़ थी। अभी वहां के डाक्टर रूंडला के रिटायरमेंट के बाद वहां कोई सर्जरी करने वाला चिकित्सक नहीं है और इस सीएचसी के अन्दर आंखों का चिकित्सक भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि गोविन्दगढ़ की सीएचसी में दो विशेषज्ञ आप जरूर लगाएं।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही एक और निवेदन करना चाहूंगा कि सामोद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सीएचसी में क्रमोन्नत हुए लगभग चार साल हो गए लेकिन अभी तक भी भवन निर्माण का पैसा हमें नहीं मिला है। सीएचसी सामोद का अगर भवन निर्माण का पैसा हमें मिल जाए तो कम से कम उस क्षेत्र के अन्दर आम आदमी को सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन में घोषणा की थी कि उदयपुरिया के अन्दर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपीपी मोड पर हम खोलने का प्रयास करेंगे। मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उदयपुरिया जो ग्राम है उसके आसपास कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपीपी मोड पर भी अगर आप स्वीकृत करेंगे तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो इन सबके मेडिकल कालेज भी हैं लेकिन आज भी पूरे प्रदेश के अन्दर होम्योपैथिक का कोई मेडिकल कालेज नहीं है, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूँगा कि होम्योपैथिक पद्धति को विकसित करने के लिए पूरे राजस्थान में आप कहीं पर भी एक होम्योपैथिक मेडिकल कालेज जरूर खोलें ताकि होम्योपैथिक में काम करने वाले जो चिकित्सक हैं या रुचि रखने वाले जो लोग हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अंतिम निवेदन माननीय

(श्री रामलाल शर्मा)

मंत्रीजी से करूंगा कि ढोढसर सर की जो बात मैंने कही है, ढोढसर आपके रास्ते में हैं, आते जाते समय आप उस बिल्डिंग को देखते होंगे और आपके मन में भी दर्द होता होगा। इसलिए कम से कम आपकी रिप्लाई एक उदार मन से, क्योंकि पूरा राजस्थान आपकी उदारता से परिचित है और आप जिस समाज से आते हैं इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब भी ब्राह्मणों के ऊपर संकट आया तो क्षत्रियों ने रक्षा की है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय निश्चित रूप से अपनी रिप्लाई के अन्दर ढोढसर के इस भवन का निर्माण जिस दानदाता ने किया है उसकी भावनाओं को देखते हुए वहां पर ट्रोमा यूनिट या सीएचसी की घोषणा आप करेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26 पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आजादी के बाद एक साथ सात मेडिकल कालेज खोलकर राजस्थान को और बाड़मेर जिले में एक मेडिकल कालेज देने के लिए राजस्थान की आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और राजस्थान के चिकित्सा मंत्रीजी को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। ग्रामीण क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर में हमेशा डाक्टरों की कमी रही है और मेडिकल कालेज बाड़मेर में बनने से वहां के स्थानीय लड़के-लड़कियां डाक्टरी की पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र को जहां जरूरत है वहां डाक्टर उपलब्ध होंगे। कई बार मंत्रीजी से मिलकर ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग तो करवा देते हैं परंतु डाक्टर ज्वाइन ही नहीं करते हैं। बाड़मेर और जैसलमेर जिले के लिए जो मेडिकल कालेज दी है उसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और आदरणीय चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद अर्पित करता हूं। इस मेडिकल कालेज से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा।

हमारी सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करके भामाशाह कार्ड के आधार पर तीस हजार से तीन लाख तक का इलाज करवाने के लिए यह जो योजना बनाई इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक गरीब परिवार देवाराम देवासी उसके दो वाल्व खराब थे। अगर ये योजना नहीं होती तो वह परिवार इलाज नहीं करवा सकता था। मैं आदरणीय चिकित्सा मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि वो जयपुर आया, मैंने

(श्री हमीर सिंह भायल)

मंत्रीजी से निवेदन किया, मंत्रीजी ने तत्काल एसएमएस में फोन किया और उसके दो वाल्व चेंज हुए। उस परिवार को इतनी सहायता मिली कि कभी अपनी जेब की कमाई से वह अपना इलाज नहीं करवा सकता था, उसका इलाज इस योजना से हो गया। मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि मुख्य मंत्री राहत कोष से मैंने 14-15 व्यक्तियों का अहमदाबाद में भी इलाज करवाया है और इस तत्काल राहत से उनका इलाज समय पर हो पाया। जीएनएम की भर्ती करके ग्रामीण क्षेत्र में एक भी पोस्ट अभी खाली नहीं है, सब जगह भर दी गई इससे भी पूरी जनता को राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सिवाना क्षेत्र के राजस्व गांव जहां पर भी सब-सैंटर स्वीकृत नहीं किए गए हैं उनमें नए सब सैंटर खोलने की मांग करता हूं। क्षेत्र में पीएचसी से सीएचसी की क्रमोन्नति हेतु बड़े ग्राम जो पदरी और मोकलसर है इनमें सीएचसी करने की आवश्यकता है। क्षेत्र में नई पीएचसी स्वीकृत करने हेतु विभागीय नियम अनुसार ढंढाली, कुण्डल, धनवास, सिणेर, थापण, मदल आदि में नई पीएचसी खोलने की मांग करना चाहता हूं। सिवाना के आयुर्वेदिक औषधालय के रिक्त पदों को भरने जिसमें समदडी, सिवाना, मौकलसर, सिणधरी है तथा बजट घोषणा के अनुसार नए आयुर्वेदिक औषधालय सैला, जटुन्तरी, काटाडी, सेवाली, जुना-मीठाखेड़ा आदि में भी खोलने की मांग रहेगी। एक मेगा हाइवे सांचौर से लगाकर बालोतरा तक का है जिस पर इतना ट्रैफिक रहता है, उप मुख्यालय भी है और वहां पर एक ट्रोमा सैंटर की आवश्यकता है, वहां पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और ये रामजी के गोल से लगाकर बालोतरा और इधर सांचौर तक जो भी एक्सीडेंट होता है तो इलाज के लिए एक ट्रोमा सैंटर सिणधरी में होना अति-आवश्यक है, यह भी मेरी मांग है। इसके साथ ही एक मांग यह है कि एएनएम और जीएनएम का ठहराव हर गांव में सुनिश्चित होना चाहिए ताकि गरीब जनता को राहत मिल सके। समदड़ी की सीएचसी को 30 से 50 बैड में पूर्व में परिवर्तित कर दिया गया था परन्तु अभी उसकी क्रियान्विती नहीं हुई है। मेरे क्षेत्र में 15 साल से समदड़ी, सिवाना और सिणधरी बड़े क़स्बे होने के बाद भी वहां पर महिला डाक्टर नहीं है। इसलिए चिकित्सा मंत्रीजी से मेरी मांग है कि वहाँ पर महिला चिकित्सक भी लगायें। मेरे क्षेत्र में पीएचसी व सीएचसी के लिए बजट घोषणा के अनुसार नई सामग्री जिसमें गद्दे, बैड, व्हिल चेयर, ट्रोली आदि खरीदने की

(श्री हमीर सिंह भायल)

भी मांग रहेगी। बालोतरा उद्योग फैक्ट्री क्षेत्र है और आस पास के क्षेत्र में आगजनी काफी हो जाती है तो बालोतरा मुख्यालय पर एक बर्न यूनिट होनी बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बाड़मेर जिले में किसी जगह नहीं, तो बालोतरा में होने से सिवाना से लगाकर सिणधरी, बायतू क्षेत्र तक के लोगों को इससे फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि सफाई का जो टैण्डर होता है तो वह टैण्डर जिसको भी दिया जाता है वह सफाई समय पर अस्पताल की और सब जगह नहीं कर पाते हैं। इसके लिए भी कारगर व्यवस्था की जाए और जिसको भी टैण्डर दिया जाए उसकी पूरी जिम्मेदारी हो अस्पतालों की सफाई करने की इसकी एक व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, यही मेरा निवेदन है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, एक आश्चर्य की बात है कि हमारे यहां तो हां पक्ष में यह तय किया हुआ है कि एक सदस्य दो कट मोशन से अधिक नहीं बोलेगा। कांग्रेस के माननीय सदस्य केवल वही चार लोग हमेशा बोलते हैं। वह तो एक ऐसी कहावत हो गई ना कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर-फिर अपने को दे। यानी दूसरों को मौका ही नहीं देते इसलिए वो चले भी गए, यहां रहते ही नहीं हैं सदन के अन्दर और ये ही चार लोग बैठे रहते हैं।

(17.00 बजे)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय उप मुख्य सचेतकजी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि हम इनकी बैंड बजाते हैं रोजाना। इसलिए इनका आक्षेप भी ठीक है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपने बैंड बजाना कब से सीखा यह बताओ और कौनसी कम्पनी का बैंड बजाते हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लगभग सवा दो साल हो गये।

श्री सभापति: अब आप यहां बैंड मत बजाओ। आप तो अपनी बात कहो न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जिस आदमी को माननीय सभापति महोदय, अल्प ज्ञान हो, उसको ज्ञान ले लेना चाहिए और जो बोलना नहीं जानता उसको पहले लिख लेना चाहिए और फिर लिखा हुआ पढ़ देना चाहिए। फिर भी दोनों सचेतक महोदय, मुख्य सचेतकजी और उप मुख्य सचेतक दोनों वह काम नहीं कर रहे हैं जो इनको करना चाहिए।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह काम आप तक नहीं आएगा चिन्ता मत करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय की डिमाण्ड पर चर्चा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी के बारे में माननीय सदस्यों ने काफी कुछ अच्छी बातें कही हैं और हमने भी पिछले पांच साल में माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को यहां इस मेरे वाली सीट पर बैठ करके विभिन्न विषयों पर चर्चा करते देखा है, सुना है, ज्ञान भी प्राप्त किया है जितना हम ले सके। इस स्वास्थ्य के ऊपर भी उन्होंने काफी कुछ कहा था और स्वास्थ्य मंत्रीजी जो पहले रहे थे हमारे दिगम्बर सिंहजी, उनको दुबारा स्वास्थ्य मंत्री बनाने के लिए सूरजगढ़ भी ले गये, लेकिन पार नहीं पड़ी वह एक अलग बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आपकी सरकार ने चिकित्सा मंत्रीजी, जो सर्वे करवाया उसके खुद के हिसाब से भी राज्य में दस परसेंट लोग ब्लड शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं, 6 परसेंट से ज्यादा हाई बीपी से लोग पीड़ित हैं और दस परसेंट के लगभग ही लोग हैं जो प्रत्येक कोई न कोई बीमारी से निश्चित रूप से पीड़ित हैं। इसके लिए सरकार को क्या व्यवस्था करनी है। स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता है तो जैसे आज स्वास्थ्य मंत्रीजी का थोड़ा मन भी कम लग रहा है कमरे में। अब पता नहीं या तो डिमाण्ड पर चर्चा है या कोई स्वास्थ्य नर्म है मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिस प्रकार यहां खड़े हो-होकर कुपोषण की बातें की थीं, एनआरएचएम की बातें की थीं, नि:शुल्क दवा योजना की बातें की थीं और लोगों के स्वास्थ्य के बारे में इतनी चिन्ता प्रकट करते थे, सवा दो साल हो गया माननीय सभापति महोदय, वो कुपोषण की मौतें जो ये यहां खड़े हो-होकर हल्ला करते थे और पूरे सदन को हिलाते थे, वो कुपोषण की मौतें बाड़मेर में हो रही हैं, नागौर में हो रही हैं और आपके पाली जिले में भी हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रीजी आज तक कुछ नहीं कर पाए। ऐसे ही हो रही हैं साहब, और बीमारियां थी, एक-दो ही हुई हैं हमारे यहां तो कुपोषण की। कुपोषण का

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इलाज कर नहीं पाए। स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी को रोक नहीं पाये। डेंगू जैसी महामारी को ये रोक नहीं पाये और जो बातें करते थे, हमने जितने सब सैन्टर खोले, पीएचसी खोली, सीएचसी खोली, अब सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्रीजी, पीएचसी के भवन बना दिये? सीएचसी के भवन बना दिये? सब सैन्टर बना दिये? मेरे यहां मैंने दो सीएचसी खुलवायी थी। एक ही थी पहले केवल लक्ष्मणगढ़ में। मैंने जाजोद और नेछवा में खुलवाई। दोनों का भवन नहीं बन रहा है। आपने सैंक्शन नहीं किया। पीएचसी मैंने सात खुलवाई थीं। एक शहीद के नाम से और उसका भवन भी हमने बना दिया था उसके अलावा एक भी भवन आपने बनाया नहीं। हमने 32-32 सब सैन्टर खुलवाये थे, आपने राजस्थान में पांच-सात-आठ सीएचसी और सब सैन्टर तो एक भी नहीं और हमने जो खुलवाये उनके भवन भी आपने नहीं दिये। कोई एक-दो दिये हों जिले में तो मैं कह नहीं सकता।

मानवीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां खड़े होकर कहते थे कि एएनएम की भर्ती करो, जीएनएम की भर्ती करो, डाक्टरों की भर्ती करो, पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती करो। कर दी क्या भर्ती? पांच हजार एएनएम, ग्यारह हजार जीएनएम और हजार-पन्द्रह सौ डाक्टर अभी भी बाकी पड़े हैं और वो लड़कियां जिनको आपने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान आश्वासन दिया था कि जो एनआरएचएम में काम कर रही हैं उन सबको एडजस्ट करेंगे। आपने दूसरी भर्ती निकाल दी, नयी भर्ती निकाल दी, उन बच्चियों को लिया नहीं। होम्योपैथिक को ले लीजिये, यूनानी डाक्टर्स को ले लीजिये, आयुष चिकित्सकों को ले लीजिये, जिन-जिन से आपने वादे किये थे, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के लिए वो माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, अभी तक आप भर्ती नहीं कर पाये। आयुष चिकित्सक आठ-आठ वर्ष से बैठे हैं आप उनकी भर्ती नहीं कर रहे हो। संविदा पर एएनएम, जीएनएम रखने की बात कर रहे हो। क्यों रखना चाह रहे हो आप संविदा पर? आपके पास में भर्ती है, आप सरकार हैं, आप निकालिये भर्ती, इन लोगों को भर्ती कीजिये। सवा दो साल हो गये माननीय सभापति महोदय, केवल बात कर रहे हैं। बेरोजगार इस डिपार्टमेंट के, इनके रोजाना घरों पर जाते हैं, रोजाना बंगलों पर जाते हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी देखिये एक काम में तो होशियार हैं, आज जितने माननीय सदस्य सत्ता पक्ष वालों ने बोला वे सारे बाहर इनके विरोध की बात करते हैं और अन्दर आकर इतना शानदार स्वास्थ्य मंत्री, दबंग है। मैं मानता

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हूं कि दबंग हो, लेकिन उस दबंगाई का प्रयोग तो करो राजस्थान के लोगों को फायदा तो दिलवाओ, केवल दबंगाई आपने एक काम में की थी मेरे सीकर जिले की मेडिकल कालेज को ले जाने का काम किया था। आज केन्द्र ने फिर सैद्धांतिक सहमति देने की बात की और आपका कल फिर बयान आया है कि नहीं, मेरे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सीकर से होते हुए ही चूरू पधारते हो तो, आपको सीकर से इतना बैर क्यों है? झुंझुनूं से तो मुझे समझ में आता है आपका बैर, लेकिन सीकर से तो कम से कम नहीं होना चाहिए, सीकर आपके रास्ते में पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन कर देना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्रीजी, अगर सीकर के मेडिकल कालेज नहीं मिली तो ईंट से ईंट बजा देंगे और आप चूरू जाओगे तो आपको घेर कर बैठ जाएंगे, सीकर का रास्ता आपको बदलना पड़ेगा। यह मैं चेतावनी भरे शब्दों में विनम्र निवेदन करता हूं आपसे कि आप हमारे सीकर के मेडिकल कालेज दे दीजिये। आपने पीपीपी मोड, पीपीपी मोड, कर दिया क्या पीपीपी मोड? कोई नहीं आएगा। मेडिकल कालेज खोल रहे थे पीपीपी मोड पर। एक भी निवेशक आपके पास में आया नहीं है। पीपीपी मोड पर सीएचसी, पीएचसी के संचालन की बात कर रहे थे, आपके पास में आज की तारीख तक भी कोई ऐसा एजेंडा है नहीं, ऐसा कोई नियम है नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक काम इन्होंने बहुत शानदार किया। यहां खड़े होकर भाषण देते थे कि कैन्सर हो रहे हैं, धूम्रपान को रोका जाए, पान-पराग, गुटखे वगैरह पर पाबंदी लगायी जाए। स्वास्थ्य मंत्रीजी, 750 करोड़ से 1000 करोड़ रुपये के बीच में सालाना आय होती है आपकी सिगरेट और इन पर टैक्स से और जो इलाज में लगता है वो 1100-1200 करोड़ रुपये से ज्यादा लगता है और आपने सिगरेट से टैक्स घटा दिया। आपको धूम्रपान को हतोत्साहित करना चाहिए था, आपने प्रोत्साहित किया। किन व्यापारियों से आपने सांठ-गांठ की, आपकी सरकार ने सांठ-गांठ की? जीवन रक्षक दवाइयों में मोदीजी कह रहे थे कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। मोदीजी ने वहां पर टैक्स बढ़ाने का काम किया है। हमारी जीवन रक्षक दवाइयां भी आपने महंगी कर दीं। केन्द्र से टैक्स बढ़ा, यहां भी उसका फर्क पड़ेगा।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

भामाशाह बीमा योजना, बहुत ढिंढोरा पीटा। सवा दो साल लोग भामाशाह कार्ड लिये-लिये घूमते रहे और अंत में एक नियम लगा दिया कि जो खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत पात्र होगा, भामाशाह कार्ड होगा और उसका जो आई.डी. प्रूफ होगा उसके बाद में उसको मिलेगा। बीमा कम्पनियां किसानों को चौपट कर रही हैं। किसानों को समय पर मुआवजा देती नहीं हैं और आपने जिन बीमा कम्पनियों को एंगेज किया है वो राज्य का पैसा लूटकर ले जाएंगी, गरीब का इलाज नहीं करेंगी। आपने एक नमूना देखा होगा कि चार करोड़ का क्लेम किया और आठ लाख रुपये आपकी बीमा कम्पनियों ने पास किये। आपके सीईओ, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का और चैयरमेन, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, एसएमएस का बयान खुद कहता है कि बीमा कम्पनियां अड़चन पैदा करती हैं, गरीब को फायदा नहीं देती है, इसमें आप सुधार कीजिये। 67 दवाइयां ऐसी रख दीं आपने कि केवल सरकारी में इलाज होगा, उस गरीब को पता नहीं है कि मैं सरकारी में जाऊं या मैं प्राइवेट में जाऊं। वह प्राइवेट में चला गया अगर वहां वह पैकेज एप्रूव्ड नहीं है तो उसको पैसे भरने पड़ेंगे, इस विसंगति को आपको दूर करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कोई स्पेशलिटी गांवों में नहीं है और जिस प्रकार गुटखे, सिगरेट का प्रचलन बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में नि:शुल्क दवा योजना जो हमारी सरकार में थी, बहुत शानदार चल रही थी, यहां से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी धन्यवाद दिया था लेकिन आज जिस प्रकार से उसका दम तोड़ने का काम किया है यह राजस्थान के हित में ठीक नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रीजी, आपको मौका मिला है अच्छा काम कीजिए। आप और हम पूरा सदन मिलकर इस बात की व्यवस्था करें, सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे। अगर गरीब को इलाज की जरूरत हो तो उसको इलाज मिलना चाहिये, उसको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिये, इस तरह की व्यवस्था आपको करनी चाहिये।

हमारे समय में नर्सेज एसोसिएशन के कर्मचारी अपनी मांगों के लिये जब भी आये, हमने उनकी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक निपटाने का काम किया और आपने क्या किया? आपकी सरकार के अधिकारियों ने उनसे वादे किये, उनसे जुलाई में लिखित में समझौता किया और जुलाई के बाद आज मार्च आ गया स्वास्थ्य मंत्रीजी, आप नर्स ग्रेड फर्स्ट को गजिटेड करने की बात कर रहे

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

थे, पता नहीं कितनी-कितनी बातें कर रहे थे, वेतन विसंगति की बात कर रहे थे, एनआरएचएम संविदा नर्सिंग कर्मियों को नियमित करने की बात कर रहे थे। पीएचसी, सीएचसी के निजीकरण को लेकर भी आपने समझौते किये थे। परिवहन भत्ता, ग्रामीण भत्ता, दवा लिखने का नर्सेज कर्मियों को अधिकार, यह सब चीजें, इतना बड़ा मेमोरेंडम तैयार किया, लिखित में समझौता किया 20.7.2015 को, इसमें आपके हस्ताक्षर भी हो गये, प्रमुख शासन सचिव के हस्ताक्षर भी हो गये फिर दिक्कत कहां आ गई, आप मुझे बताने का कष्ट करें कि जब आपने लिखित में समझौता कर दिया, उसको 6-6, 8-8 महीने हो गये, उसके बाद में भी उनका काम हुआ नहीं।

मैं निवेदन करूं, प्रदेश में एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। एक्सीडेंट के बाद में आदमी ट्रोमा यूनिट में जाता है। बीकानेर से लेकर जयपुर के बीच में सीकर ट्रोमा यूनिट है। फतेहपुर भी छोटा मोटा हमने बनाया था, रींगस भी मामूली होगा, शायद सीएचसी है ट्रोमा सैंटर नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सीकर के ट्रोमा सैंटर में जो आता है, वहां न नर्सिंग स्टाफ है, न रेडियोलोजिस्ट है, न कोई स्पेशलिस्ट है वहां पर केवल रैफर करने का काम किया जाता है और जयपुर आते-आते वह दम तोड़ देता है। आप यहां से बोलते थे हम बड़े ध्यान से सुनते थे, हमने उनमें से बहुत बातें सीखने की भी चेष्टा की है। आप उस वक्त अच्छी बातें बोलते थे, हमें लगता था कि राठौड़ साहब जो कह रहे हैं, वह बात सरकार को करनी चाहिये। हम मनन करते थे लेकिन आज सवा दो साल हो गये सभापति महोदय, हम राठौड़ साहब को कभी उदास कभी मुस्कुराहट, केवल दो ही चीजें देख पा रहे हैं। जो काम एफीशिएंसी से आपको करना चाहिये था वह नहीं किया। केवल एक काम एफीशिएंसी से, उदयपुरवाटी से आने वाले माननीय सदस्य अभी बड़ाई कर रहे थे। यह कहां से कर रहे थे, मन से कर रहे थे या बाहर से कर रहे थे, मुझे पता नहीं लेकिन आपने प्रभारी बनने के बाद झुंझुनूं की बीजेपी को तो जंचा दिया, बिना ब्लेड के आपरेशन आपने कर दिया। कुछ भी नहीं मिला फिर भी कितनी बड़ी सफाई से आपकी बड़ाई कर गये, आपकी वाह वाही कर गये, यह आपरेशन आप ही कर सकते हो, बाकी दूसरे 200 में से किसी के पास है ही नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): थोड़ा बहुत आपके पास तो है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी का अदना-सा सिपाही हूं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): नहीं, नहीं आपके पास है तो सही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह तो आपरेशन करते ही हैं पर इस बार इनका आपरेशन हुआ है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, यह सही है और यह उसका सही इलाज कराने के लिये लेकर भी गये थे सूरजगढ़ लेकिन पार नहीं पड़ी तो किसको ओलमा दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं, अपने यहां पर एक डाक्टर युनुस हैं, डाक्टर युनुस खान है वह इसी प्रकार का आपरेशन करता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपका आपरेशन किसने किया, वह बताओ मेरे को तो, मैं तो उस विशेषज्ञ को ढूंढ रहा हूं जिसने आप जैसे विद्वान का आपरेशन कर दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उसने ही किया है जिसने आपका किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक बात पर तो अपन एक साथ आये, डाक्टर तो अपना एक ही रहा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इस बात पर अपना साथ है लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी है। मैं दबंग हूं, आप दब रहे हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, इलाज बहुत ही जोरदार है, सरल है, सस्ता है, शानदार सी एक मलहम आती है, डाक्टर युनुस साहब वह मलहम रखते हैं और आप वह मलहम रखते नहीं हो इसलिए जब तक मलहम नहीं रखोगे तब तक चिकनाहट नहीं आयेगी और चिकनाहट नहीं आयेगी तब तक सही तरीके से इलाज होगा नहीं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं आज स्थिति क्या है, आज स्थिति यह है कि अगर किसी हास्पिटल में कोई आदमी खतम हो गया, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, सीरियस बात हम सबके लिये हैं और आप कर सकते हैं, अगर किसी हास्पिटल में मरीज खतम हो गया और उसके बाद में उसको रात को रोकना पड़ा क्योंकि 6 बजे बाद में होता नहीं है, डीप फ्रिजर केवल एसएमएस में है,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

उसको वहां लाया जाता है। वहां पर उसका पोस्टमार्टम होता नहीं, उसको वापस दूसरे हास्पिटल में ही ले जाना पड़ता है। यानी मुर्दे भी धक्का खा रहे हैं, यह स्थिति ठीक नहीं है। हम सब जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिये, आप इसमें सक्षम हैं, मंत्री हैं, इस बात की व्यवस्था कीजिए कि या तो सब जगह डीप फ्रिजर अनिवार्य कर दिया जाये और नहीं तो उस मुर्दे की जहां व्यवस्था होती है वहां पर उसका पोस्टमार्टम होना चाहिये। यह हम सबके लिये चिंता का विषय है। हम इलाज की बात कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं लेकिन मुर्दों के बारे में तो कम से कम, क्योंकि यह तो सबके लिये है, सबको जाना है इसलिए हमारी सबकी पीड़ा है, यह कोई हमारा या आपका सरकार का विषय नहीं है, हम सबके लिये यह शर्म की बात है कि हम यह बात नहीं कर पाये।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके हास्पिटलों में नसबंदी हो जाती है उसके बाद में नसबंदी फेल हो जाती है। सरकार तीन हजार रुपये उनको कराने का देती है चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, सबको देती है। प्राइवेट में भी देती है उसके बाद नसबंदी फेल हो जाने पर तीस हजार रुपया जुर्माना दे देते हो, यह क्या बात हुई। एक बच्चे का कितना खर्चा आता है, उस डाक्टर की गलती से आता है। आप इस तरह की व्यवस्था कीजिए कि उसको स्वयं को पैनेलाइज होना पड़े, उसे क्लेम मिले और उस बच्चे की उस दम्पति की चाहत नहीं थी, डाक्टरों की गलती के कारण से हुआ उसका पूरा का पूरा रहना, खाना, खर्चा, शिक्षा, दीक्षा, वह पूरी उस डाक्टर से वसूल की जाय जिसकी गलती से यह हुआ है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं जब एक्सीडेंट होता है तब ब्लड की आवश्यकता होती है, मेरे खुद के बच्चे के डेंगू हो गया था, डाक्टरों ने तत्काल कहा कि प्लेटलेट्स काफी नीचे आ गई, आपको बी नेगेटिव ब्लड चाहिये, 200 लड़के आये किसी का नहीं मिला, दिक्कत हुई लेकिन अफसोस की बात तब होती है मंत्रीजी, जब सरकारी हास्पिटल से खून जाता है, दलाल गरीब से पैसा लेते हैं, तब हम सबका शर्म से सिर झुक जाता है कि हम जनप्रतिनिधि, हमारी सरकारें चाहे कोई सी भी हों अगर दलाल खतम नहीं कर सकते तो फिर हमें अच्छी सरकार, गुड गवर्नेंस कहने का कोई अधिकार नहीं मिलता है इसलिए इस बात को भी देखने की जरूरत है।

सात मेडिकल कालेज आने की बात की, माननीय सभापति महोदय, यह यूपीए गवर्नमेंट में आई थीं। मंत्रीजी का और भारतीय जनता पार्टी की

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सरकार का कोई लेना देना नहीं, यह श्रेय लेना चाह रहे हैं। केवल दो जगह की मेडिकल कालेज का स्थान चिन्हित करने के लिये सरकार ने राज्य सरकार पर छोड़ा था, आपने स्थान चिन्हित किया। चूरू का किया और चूरू का भी यह कहकर किया कि नागौर के लोगों को फायदा मिलेगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, चूरू में मेडिकल कालेज खुलेगी, सीकर बीच में पड़ेगा फिर नागौर जाता है, उद्योग मंत्रीजी बैठे हैं इनको पूछो यह नागौर से आते हैं, क्या चूरू जायेंगे जयपुर आयेंगे या सीकर जायेंगे। यह सीकर की मेडिकल कालेज आप जबरदस्ती डांग के जोर पर ले गये हो उस मेडिकल कालेज की झालावाड़ से भी बुरी स्थिति हो जायेगी। कोई रहने वाला नहीं मिलेगा, सरकार के पैसा का दुरुपयोग मत होने दीजिए, आज भी समझ जाइए। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में निःशुल्क दवा भी चल रही है। प्रदेश में दवाइयों की आवश्यकता है लेकिन 90 परसेंट कम्पनियां बाहर से हैं, प्रदेश की नहीं हैं।

10 परसेंट का मैं कह नहीं सकता । 90 परसेंट बाहर की कम्पनियां अमानक दवाइयां बेचती हैं फर्जी शपथ-पत्र देकर, फर्जी बातें कर-करके और आप फिर कहते हो कि ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। जिस कम्पनी का पकड़ में आ गया उसका ब्लैक लिस्टेड कर दिया लेकिन जो आप यहां से खड़े होकर कहते थे कि गहलोत सरकार निःशुल्क दवाओं में जहर बांट रही है। वह तो आपका केवल राजनीति से प्रेरित था, लेकिन जिस प्रकार से दवाइयां अमानक पाई जा रही हैं, वो दवाओं से जहर बांटने का काम आपकी सरकार कर रही है, इसको आपको रोकना चाहिए। कल-परसों मैं किसी अख़बार में पढ़ रहा था कि रामगढ़, अलवर में जो निःशुल्क दवाइयां सरकार देती है, वो एक कुए में पड़ी मिली। शर्म की बात है निःशुल्क दवाइयां। जो सरकार का पैसा लगता है, गरीब पीड़ित को फायदा पहुंचाना होता है वो अगर इस तरीक से कुओं में डाल-डाल कर उसको नष्ट करेंगे तो मैं समझता हूं यह स्थिति ठीक नहीं है।

मिलावट को रोकने के लिए आपने कोई अभियान नहीं चलाया। त्यौहार के दिन केवल बात करते हैं और उसमें भी बड़ी हास्यास्पद स्थिति हमारी हो गई थी। जब हाई कोर्ट ने कहा कि आप मिलावट को रोकिए तो आपके किसी अधिकारी ने लिख दिया कि पूरा मावा ही मैं तो बैन कर देता हूं, पूरे प्रदेश में और फिर वो खुला भी वापिस। हो सकता है गलती हो गई, लेकिन मैं इसके पीछे जो बात कहना चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से वो बात यह है कि हम रोजाना उन्हें चैक नहीं करते,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मिलावटी जो लोग बेचते हैं उनकी सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को मिलावटी जहर नहीं मिले यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) तकलीफ हो रही है क्या? आपसे बोला नहीं जाता और मेरे को बोलने नहीं देते, आपको बोलने में दिक्कत रहती है इसलिए आपके हिस्से का बोल रहा हूं। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में जो प्राइवेट हास्पिटल ...। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, ये मेरे हिस्से का बोल रहे हैं इसलिए मैं मेरा हिस्सा वापिस लेता हूं, बंद करो इनका।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनको हिस्सा अलाट ही नहीं किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य अपनी बात को आप थोड़ा सीमित कर दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल आपकी तो मैं हर बात मानता हूं। जो पैकेज आपने दिया माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, उस पैकेज को दुबारा रिव्यू कीजिए और रिव्यू करके प्राइवेट हास्पिटल मना कर रहे हैं या परेशान करेंगे, फिर आपकी साख खराब होगी, सरकार की साख खराब होगी। बीमार को टरका देते हैं 'नहीं नहीं, यह व्यवस्था यहां नहीं है, इसमें यह दिक्कत हो जाएगी, यह दिक्कत हो जाएगी' इसलिए व्यवहारिक बनाइए। वो प्राइवेट हास्पिटल वाला अब छह हजार सिजेरियन डिलेवरी सम्भव नहीं है, अगर नहीं तो नहीं है उसको बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ाना पड़ेगा इसलिए उसको बढ़ाने की बात कीजिए। जो पी.पी.पी. मोड का आपने फार्मूला चाहे मेडिकल कालेजों में लगाया हो, चाहे सब-सैंटरों में, चाहे पी.एच.सी. में इन सबमें लगाया है, यह चलने वाला नहीं है। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसकी व्यक्ति को सबसे पहले चिंता रहती है कि मैं स्वस्थ रहूं और उसके बाद में दूसरे काम आदमी करता है। तन-मन से स्वस्थ रहेगा, तभी आगे जाकर वो काम कर पाएगा। इसलिए स्वास्थ्य जैसी बातों में आप पी.पी.पी. मोड को नहीं घसीटें तो ही ज्यादा बढ़िया होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं सीकर की बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सीकर में एक साल में दो हजार से भी ज्यादा ट्रोमा यूनिट से रैफर होते हैं। जिनके सिर में चोट लग जाए, न न्यूरो सर्जन हमारे सीकर में है,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

न ट्रोमा यूनिट में स्टाफ है, मेडिकल कालेज आप छीनकर ले गए। कब दोगे भगवान जाने ? कल थोड़ी आस जगी थी हमारे स्वास्थ मंत्रीजी, जब हमारे एम.पी. ने....।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : चूरू में बन रही है क्या ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चूरू में भी नहीं बनेगी, पैसा नहीं मिल रहा केन्द्र से, आप नहीं ले पाए। केवल हमारी योजनाएं थीं यूपीए गवर्नमेंट की, उसकी नकल की थी वो चली नहीं तो वहां से आता है, न तो वहां पर सोनोग्राफी के लिए रेडियोलाजिस्ट, न्यूरो सर्जन नहीं, मशीनें धूल फांक रही हैं और रैफर कर देते हैं वो व्यक्ति रास्ते में आते-आते मर जाता है इसलिए मेहरबानी करके सीकर बहुत बड़ा है, आपसे ओ.पी.डी. एक लाख-सवा लाख–डेढ़ लाख ज्यादा है हमारे इसलिए सीकर के ट्रोमा यूनिट को चुस्त-दुरुस्त कीजिए, जहां डाक्टर की जरूरत हो, डाक्टर दीजिए, संसाधन की आवश्यकता है, मशीनरी की आवश्यकता है, वो मशीनरी दीजिए और तत्काल मुख्य मंत्रीजी से मिलकर सीकर के सरकारी मेडिकल कालेज की घोषणा करवा दीजिए। नहीं तो आप मेरे बड़े भाई और मैं छोटा भाई, छत्तीस का आंकड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहां बी.जे.पी. के विधायक तो बोल नहीं रहे हैं, आपसे डर रहे हैं। इसलिए वो तो कहते नहीं हैं कि हमें मेडिकल कालेज चाहिए। एक स्वामीजी ने जरूर हिम्मत की, आपके खिलाफ जाकर और मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ जाकर प्रधान मंत्रीजी से मिले कि मुख्य मंत्रीजी और स्वास्थ्य मंत्री ने सीकर की सरकारी मेडिकल कालेज का हक छीना है। प्रधानमंत्रीजी ने गौर किया, मैं समझता हूं वो हमारी बात सिर चढ़ेगी और सीकर में सांवली में भवन बना पडा है, हास्पिटल हमारा 300 बैड का, हमारे सांवली के ट्रस्ट सारी सुविधाएं देने को तैयार हैं, सब लिखकर दे दिया, आपको दे दिया, सरकार को दे दिया, केन्द्र में दे दिया। इसी साल से सरकारी मेडिकल कालेज, अगर माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी आपकी मेहरबानी सीकर पर रही तो वो खुल सकती है और चालू भी हो सकती है। सीकर और झुंझुनूं दोनों जिलों से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी जो आर.पी.एम.टी. एग्जाम होते हैं, उससे अकेले दो जिलों से 35-40 प्रतिशत डाक्टर बनते हैं और सीकर से जयपुर की दूरी वो 110 किलोमीटर है, डेढ़ घंटे में प्रोफेसर भी जा सकता है, सारा स्टाफ भी मिल सकता है। मैं समझता हूं सीकर इसके लिए बिलकुल डिजर्व करता है। इसलिए मेहरबानी करके विशेष रूप से हमारी जो मेडिकल कालेज है, उसको भी देने का काम करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक सैकण्ड में खतम करता हूं। एक हमारे जनाना हास्पिटल भी है। हमारी सरकार ने जनाना हास्पिटल के भवन का पैसा दिया, लेकिन जो ट्रस्ट द्वारा संचालित जनाना हास्पिटल है चूंकि वो सरकार की जमीन थी और यह एम.ओ.यू. था कि 30 परसेंट लोगों का निःशुल्क इलाज होना चाहिए। उन लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। हाइ कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, उसके ऊपर भी मेहरबानी करके स्वास्थ्य मंत्रीजी देखने का काम करें। मैं केवल इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यवस्था आप बनाने का संकल्प लेकर चले थे वो संकल्प अभी तक पूरा होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए किस को कहें? आपसे ज्यादा योग्य इस मंत्रिमंडल में कोई और है तो उसको दिला दीजिए स्वास्थ्य मंत्रालय । मुझे तो आपसे ज्यादा योग्य दिख नहीं रहा। गृह मंत्रीजी गृह मंत्रालय सम्भाल रहे हैं, आप स्वास्थ्य मंत्रालय सम्भाल रहे हैं।

शुरू-शुरू में तो आपने कहा था कि हास्पिटलों की सफाई होनी चाहिए, हुई भी थी। धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद में, शुरू के दो-तीन महीने के बाद में यह जो सफाई की बात है वो हास्पिटलों में दूर-दूर तक नजर नहीं आती है। उससे ज्यादा बीमारी पनपने का खतरा रहता है। इसलिए एक मुख्यमंत्री रक्षा कोष जो हमारी सरकार ने चालू किया, आपके समय में भी चालू था। उसको भी मैं समझता हूं मैंने सुना है शायद आपने बंद करने का काम किया है। वह बहुत अत्यावश्यक था। जनप्रतिनिधि उसके लिए लिखते थे या सीधा का सीधा कोई गरीब जिसकी आय का क्राइटेरिया था उसमें अगर आता था तो उसको मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से पैसा मिलता था, वो पैसा भी आप जारी करें। वो पैसा भी मिलना चाहिए। भामाशाह योजना में जो कमियां हैं, उन कमियों को आप सुधारने का काम करें और जो भवन चाहे सीकर हो, चाहे लक्ष्मणगढ़ हो, प्रदेश में, जो हमने एक रिकार्ड कायम किया था राजस्थान के इतिहास में, हमारे पांच साल में गहलोत सरकार ने पी.एच.सी., सी.एच.सी. सब-सैंटर खोलने का काम किया था। इन सवा दो साल में दो परसेंट भी वो भवन नहीं बने हैं, बगैर भवन जो मरीज आता है वो कहां बैठे? डाक्टर कहां बैठे, नर्सिंग स्टाफ कहां बैठे, सामान कहां रखें? यह जो अव्यवस्था है, सभापति महोदय, जो भवन बन रहे हैं उनकी भी गुणवत्ता ठीक नहीं है। हमारे सीकर के एस.के. हास्पिटल में भवन बन रहा था, हम सभी एम.एल.ए. ने देखा था। कागजी खानापूर्ति तो कर दी गई कि साहब ये देखो ये रिपोर्ट, ये

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

रिपोर्ट, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं एन.आर.एच.एम. में जो भी ठेकेदार होते हैं, वो इंजीनियरों से, एक्स.ई.एन. आदि से मिलकर एक ऐसा नमूना पेश करते हैं कि लोग हमें कहते हैं आप जनप्रतिनिधि हो। मेरे 16 गांव हैं। माननीय सभापति मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि 16 गांव हैं, उसमें हमारे समय में सब-सैंटर बना, मुझे खुद को तकलीफ है। वो छह महीने बाद में जैसे आदमी के बोदरी निकलती तो पूरा शरीर उधड़कर लाल हो जाता है फुंसी सी। वैसे हो गई। पूरी लिपाई उसकी खत्म हो गई। कोई जांच नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय सभापतिजी को पहले दूंगा क्योंकि इन्होंने मुझे बोलने को समय दिया और स्वास्थ्य मंत्रीजी आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आपका मन इस विभाग में नहीं। उस मन को टिकाकर आप प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य ठीक रहे इस बात की व्यवस्था करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री जगदीश नारायण

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग 26 पर मुझे बोलने की परमीशन दी इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जितनी चर्चाएं माननीय सदस्यों द्वारा की गईं, बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं थीं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा, उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, तो माननीय मुख्यमंत्रीजी ने ऐसे-ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाए जो आज भी जनता में लोगों की जुबान पर हैं, चर्चा में हैं। इतिहास गवाह है।

माननीय सभापति महोदय, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे राजस्थान प्रदेश में कभी ऐसी भी कोई योजना आएगी । उस योजना के माध्यम से आम गरीब व्यक्ति को, गांव के आम नागरिक को इतना बड़ा तोहफा मिलेगा, इतनी बड़ी राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों आरोग्य राजस्थान कार्यक्रम चला। आरोग्य राजस्थान कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्रीजी ने इस बात की कोशिश की कि गांव में कौन-कौन सी बीमारी से, कौन-कौन लोग पीड़ित हैं उनकी बीमारी को आइडेंटिफाई किया जाए। बीमारी को चिन्हित करने के बाद उनको उपयुक्त

(श्री जगदीश नारायण)

इलाज दिया जाए। यहां अगर प्राइमरी स्तर पर इलाज हो सकता है तो यहां करवाया जाए यदि उनको आगे भेजने की जरूरत हो तो आगे भेजा जाए। माननीय सभापति महोदय, ऐसी योजनाएं हम पहली बार देख रहे हैं, जनता साक्षी है, जनता में चर्चा है। यहां विपक्ष के भाई चाहे कुछ भी कहें लेकिन मैं मानता हूं कि प्रजा की हितैषी सरकार का, विकास का जो कदम होना चाहिए, वह वाकई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है।

माननीय सभापति महोदय, इसी कार्यकाल की नहीं, पिछले कार्यकाल की भी अगर चर्चा की जाए तो, जननी सुरक्षा योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने वह योजना जनता को देने का काम किया जिस योजना के तहत गरीब महिलाओं को 1400 रुपये का नकद अनुदान और 300 रुपये किराये के रूप में अनुदान, कुल मिलाकर 1700 रुपये महिलाओं को मिले। वह 1700 रुपये तब भी मिले और आज भी मिल रहे हैं। वह भी जनता में आम चर्चा का विषय है। आम जनता को लाभ मिल रहा है। जनता लाभान्वित हो रही है। मैं समझता हूं कि ऐसे काम पहली बार हुए हैं। इसके लिए मैं ही नहीं पूरी जनता बोल रही है।

माननीय सभापति महोदय, 108 नम्बर की एम्बुलैंस बस सेवा की बात करें, देश आजाद होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी ने चिंता की है तो हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधराजी ने चिंता की है, 108 नम्बर की बस देकर गांव के लोगों को भी अस्पताल तक पहुंचने के लिए एक साधन मुहैया करवाया और वह भी नि:शुल्क सुविधा के रूप में। यह सारे प्रशंसा करने योग्य काम है।

माननीय सभापति महोदय, इसी बजट में माननीय मुख्यमंत्रीजी ने चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की, यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है, 60 के बाद कम से कम दो साल तक राजस्थान की जनता को अनुभवी चिकित्सकों द्वारा इलाज करवाने का मौका मिलेगा। इसके लिए जनता में भी खुशी की लहर है और चिकित्सक वर्ग में भी खुशी की लहर है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के काम काज की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है लेकिन मुझे मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में भी चर्चा करनी है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राठौड़ साहब को, हमारे लोकप्रिय और जन-जन के हृदय सम्राट आदरणीय राजेन्द्र सिंह राठौड़ साहब

(श्री जगदीश नारायण)

को धन्यवाद दूंगा, इनका आभार प्रकट करूंगा कि जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सैटेलाइट हास्पिटल के लिए मैंने जो मांग की थी उसमें इन्होंने गत सत्र में ही 30 से बढ़ाकर उसको 50 बैड का हास्पिटल बनाया। उसके लिए जनता आज पूरी तरह से इनका आभार प्रकट कर रही है, इसके लिए मैं इनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, 20 बैड पहुंच भी गए, व्यवस्था शुरू भी हो गई। इनका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद।

मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए हर सीएचसी सैंटर पर धर्मशाला का निर्माण आपने करवाया, इस सरकार ने करवाया, वाकई प्रशंसा का काम है। प्रतिपक्ष के भाई चाहे कुछ भी कहें, मैं तो प्रतिपक्ष के भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि राज तो आपके पास भी रहा है, आपको भी मौका मिला था, अगर ऐसे काम आप भी करवाते तो जनता आज बढ़-चढ़कर आपके कामों का भी बखान करती। जो काम हुए हैं, जिनको जनता देख रही है, जो जनता के काम आ रहे हैं, जनता प्रशंसा कर रही है। इसलिए ऐसे काम वाकई प्रशंसनीय काम है।

भारतीय जनता पार्टी जब दिसम्बर, 2013 में सत्ता में आई थी तो चर्चा चली थी कि अस्पताल तो हैं लेकिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, कम्पाउण्डर नहीं हैं, नर्स नहीं हैं, कैसे व्यवस्था होगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राठौड़ साहब को और माननीय मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे इतने बड़े विधान सभा क्षेत्र में, आज चाहे हम सीएचसी की चर्चा करें, चाहे पीएचसी की चर्चा करें, आज कहीं भी किसी चिकित्सक का पद खाली नहीं है, सारे के सारे पद भर दिए गए हैं। सब जगह डाक्टर उपलब्ध हैं। इसलिए भी मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरे क्षेत्र के बारे में बात करूं, तो विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कुल मिलाकर 97 स्वास्थ्य केन्द्र जनता के काम में कार्यरत हैं, 97 केन्द्रों में 73 केन्द्र एलोपैथिक जिसमें 4 सीएचसी, 11 पीएचसी और इसके अलावा 58 सब सैंटर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही 23 आयुर्वेद केन्द्र और 01 यूनानी केन्द्र, कुल मिलाकर 97 केन्द्र जनता की सेवा में काम कर रहे हैं। सब में चिकित्सकों के पद भरे हुए हैं। कोई पद आज की तारीख में खाली नहीं है। यह मेरे लिए और मेरे क्षेत्र की जनता के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसका बखान मैं इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूं।

(श्री जगदीश नारायण)

मान‍नीय सभापति महोदय, अब थोड़ी-सी चर्चा इनके ऊपर करना चाहूंगा, जमवारामगढ जो हमारा सीएचसी केन्द्र है वह विधान सभा का हैड क्वार्टर भी है, वहां गुणवत्ता पूर्ण बढ़िया बिल्डिंग भी बनी हुई है, वहां धर्मशाला भी बनी हुई है लेकिन थोड़ी सी समस्या है कि वहां ब्लाक सीएमएचओ आदरणीय चिकित्सा मंत्रीजी ने लगा तो दिया था लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणोंवश उनको किसी दूसरी जगह डेप्यूट कर दिया है, वह डेपुटेशन पर चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि कम से कम ब्लाक सीएमएचओ का आप डेपुटेशन रद्द करके उसको जमवारामगढ़ भिजवाने की मेहरबानी करें क्योंकि वह अति आवश्यक है। उस ब्लाक सीएमएचओ के थ्रू पूरा क्षेत्र चलता है, पूरे क्षेत्र की मानिटरिंग होती है, देखरेख होती है।

माननीय सभापति महोदय, वहां सीएचसी अस्पताल में एक अच्छा सा आपरेशन थियेटर कक्ष भी बना हुआ है लेकिन एक सर्जन की कमी है। सर्जन नहीं होने की वजह से उस थियेटर का जो उपयोग होना चाहिए, उससे जितना लाभ लेना चाहिए वह लाभ नहीं मिल पा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, दो डाक्टर, एक कन्हैयालाल शर्मा और एक यश मुद्‌गल, उनकी पोस्टिंग जमवारामगढ़ सीएचसी में है लेकिन उनका डेपुटेशन यहां शहर में कहीं कर रखा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह डेपुटेशन रद्द करें और उनको जमवारामगढ़ भिजवाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि जमवारामगढ़ सीएचसी में दंत चिकित्सक की पोस्ट है। दांतों का डाक्टर वहां मौजूद है लेकिन वहां थोड़ी सुविधा का अभाव है। वहां चेयर्स की कमी है, चेयर्स नहीं है, दांतों के इलाज के लिए जो आवश्यक उपकरण होने चाहिए वह उपकरण नहीं है। उपकरण भिजवाए जाएं, चेयर्स की व्यवस्था करवाई जाए, उनके बैठने की व्यवस्था हो, यह भी मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, ब्लाक स्तर पर जो ब्लाक सीएमएचओ का कार्यालय होता है वह अभी जमवारामगढ़ में नहीं बन पाया है। उसके लिए दो बार पैसा स्वीकृत भी हुआ था, पूर्ववर्ती सरकार के समय लेकिन वह पैसा वापस लैप्स हो गया। पता नहीं क्या कारण रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और यह ब्लाक सी.एम.एच.ओ. कार्यालय का पैसा जो पहले स्वीकृत हुआ

(श्री जगदीश नारायण)

था, जिसको लैप्स कर दिया गया, उसको वापस से स्वीकृत करने की मेहरबानी करेंगे ताकि ब्लाक सी.एम.एच.ओ. का वहां कार्यालय बनाया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, एक थोड़ा सा निवेदन यह करूंगा, क्योंकि वह हैड-क्वार्टर का अस्पताल है और वहां मेल नर्स की छह पोस्टें स्वीकृत हैं लेकिन वर्तमान में वहां तीन नर्स की पोस्टें खाली हैं। वह तीन पोस्टें हमारी और भर दें तथा वह भी महिला कर्मियों की दें क्योंकि वहां महिलाओं का ज्यादा उपचार चलता है, डिलीवरी कैसेज ज्यादा आते हैं। थ्रू-आउट जमवारामगढ़ ही नहीं, जमवारामगढ़ के बाहर के, सीमा के गांव के लोग भी वहां आते हैं। इसलिये हमारे मेल नर्स की भी व्यवस्था करावें।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद में दूसरा नम्बर सी.एच.सी. आंधी का आता है। आंधी में पर्याप्त चिकित्सक हैं, भवन भी अच्छा है लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां महिला चिकित्सक नहीं है, महिला नर्स भी नहीं है। प्रसूताओं को प्रसव से पहले की जांच करवाने में, प्रसव के दौरान इलाज लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि महिला चिकित्सक न होने की वजह से वे अपनी जांचें भी नहीं करवा पातीं और वहां पर्याप्त इलाज भी नहीं ले पातीं, या तो उनको जमवारामगढ़ आना पड़ता है या फिर जयपुर आना पड़ता है इसलिये आंधी में महिला चिकित्सक और महिला नर्स लगाने की मेहरबानी करें ताकि जमवारामगढ़ सी.एच.सी. का भार कम हो जाये और वहां कम से कम 20 ग्राम पंचायतों की महिलाओं को एक अच्छी सुविधा मिल सके।

इसके साथ ही, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, नायला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के बारे में, नायला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बढ़िया चल रहा है। सारे चिकित्सक हैं लेकिन जो भवन है, वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का अपना भवन नहीं है। वह भवन कोई ट्रेनिंग सैण्टर आर.एन.टी.सी.टी. का है, उस ट्रेनिंग सैण्टर में वह अस्पताल चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि या तो, क्योंकि वह सैण्टर, वह बिल्डिंग भी खाली पड़ी है, या तो उस बिल्डिंग को इसके नाम से ट्रांसफर करवायें, या फिर नया भवन बनवाने की मेहरबानी करें। ताकि अपना भवन बने और उस भवन के माध्यम से काम हो।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा। थोड़ी सी तो बात की मैंने।

श्री सभापति: थोड़ा, सीमित शब्दों में अपनी पूरी बात कर दें।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): हां, ठीक है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं बात करूं सी.एच.सी. भानपुरकलां की कि जो भानपुरकलां सी.एच.सी. है, उसका जो भवन बना हुआ है, वह काफी पुराना हो चुका, जर्जर अवस्था में आ चुका, उसमें पानी चूता है। डाक्टर्स के जो क्वाटर्स हैं, वे भी बिलकुल टूट चुके हैं। एक तरह का खण्डहर सा हो चुका है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि भानपुरकलां सी.एच.सी. का भवन नया बने। उसके लिये आप स्वीकृति प्रदान करें और डाक्टर्स के रूम भी वहां बनवायें। इसके अलावा हमारे चार पी.एच.सी. सैण्टर्स हैं, बासणा, टोडा मीणा, ताला और धूला। चारों में भवन का अभाव है। ताला में पैसा मंजूर कर दिया गया। वह काम तो चालू हो जायेगा लेकिन इन तीन पी.एच.सी. सैण्टर्स के लिये भी आप पैसा यहां से मंजूर करवाकर भिजवाएं ताकि ये भी काम हो सकें। इसके अलावा हमारे 58 उप स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं, 58 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में 30 केन्द्र वे हैं जो पंचायत हैड-क्वार्टर पर चल रहे हैं और 28 गांवों में चल रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम पंचायत हैड-क्वाटर्स पर जो सैण्टर्स चल रहे हैं, उप स्वास्थ्य केन्द्र के, उनको तो कम से कम क्रमोन्नत करके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बदलें ताकि वहां की जनता को पंचायत हैड-क्वार्टर पर पूरी सुविधा मिल सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): सभापतिजी, एक ही मिनट।

इसके अलावा हमारे 23 आयुर्वेद केन्द्र चल रहे हैं, एक यूनानी केन्द्र चल रहा है। उन 23 में से 10 केन्द्रों पर 10 कम्पाउण्डर्स की कमी है, 10 कम्पाउण्डर्स की व्यवस्था और हो जाये तो वह केन्द्र भी सुचारु रूप से चलने लग जाये। वहां भी जनता को पूरी सुविधा मिल जाये। मैं यह भी कहूंगा कि आयुर्वेद केन्द्रों पर विशेष ध्यान दें क्योंकि देशी दवाओं से इलाज होता है और जनता को सीधा लाभ मिलता है। देशी दवा से एक बढ़िया और लम्बा इलाज मिलता है। उसमें भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर कार्यवाही करेंगे तो वह भी लाभ जनता को मिलेगा। आपने समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश वर्मा।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26, चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य व सफाई की आज बड़ी महत्वपूर्ण मांग, इस राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। चिकित्सा एक ऐसा विषय है, जिसके बारे में मैं नहीं मानता कि कुछ लोगों की गलतफहमी शायद पुरानी आदत का कारण बनी हुई है। मेरे से पहले वक्ताओं के आधार के ऊपर इस सदन के अन्दर अपने शब्दों के साथ में, क्योंकि गांवों के अन्दर तो किसी भी सब्जैक्ट के आधार पर, गांवों में भाषण के आधार के ऊपर जब हम भाषण देते हैं, किसी भी कार्य के अन्दर तो लोग बड़ी तल्लीनता के साथ में, जैसे किसी के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, और विशेषकर इस सदन के अन्दर जब किसी भी मांग के ऊपर बात आती है, जिस प्रकार का व्यंग्य एक वाद-विवाद के आधार के ऊपर चलता है और शायद यही विपक्ष के जो साथी लोग हैं, उन्होंने अपनी आदत के आधार के ऊपर, अभी वे शायद सदन में नहीं हैं, शकुन्तलाजी उन तक बात पहुंचाएंगी क्योंकि इनकी तो पूरी आदत हो गई। मैं तो उनको बाहर भी एक दिन बोल रहा था कि इतना तेज मत बोला करो। यहां से पता नहीं नस कभी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि सरकार तो आपकी भी थी। राजस्थान के अन्दर जब इस जयपुर की स्थापना हुई और कब-कब कांग्रेस पार्टी ने राज किया, कितने लम्बे समय तक राज किया, मनुष्य हित से जुड़ा हुआ पहला कार्य, पहला सुख निरोगी काया, नर सेवा नारायण सेवा, यह व्यक्ति के इस शरीर से जुड़ी हुई है। इस शरीर के ऊपर पार्टी लागू नहीं होती, कांग्रेस-बी.जे.पी.। यह एक मन की धारणाएं होती हैं जो इस सदन तक पहुंचने के लिये व्यक्ति बहुत कोशिश करता है। जब स्वास्थ्य सेवाओं की हम बात करें तो एक सिर्फ सवाई मानसिंह अस्पताल जो इस राजस्थान की राजधानी जयपुर के अन्दर बना था, जब लगभग सवा लाख की आबादी जयपुर की थी। उसके बाद में सरकारें आईं, गईं, किसी भी सरकार ने, जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ावे की बात नहीं की। इतना सीमित चिकित्सा को कर दिया कि पिछली जो इनकी सरकार थी, बेहतर चिकित्सा सेवाओं के दो साल पहले, पूर्ववर्ती सरकार ने जगह-जगह पी.एच.सी., सी.एच.सी., बड़े-बड़े हास्पिटल, इतनी घोषणाएं जाते-जाते कर गई। जो बड़ी योजना की यह बात कर रहे हैं। हर मंत्री के रूप में हर विभाग से जुड़ी हुई बात को, चाहे वह चिकित्सा विभाग से जुड़ी हुई हो, चाहे वह गृह विभाग से जुड़ी हुई हो, चाहे वह उद्योग से जुड़ी हुई हो, इन्होंने दो-तीन बातों के ऊपर अनुसरण कर रखा है कि चिकित्सा की बात आयेगी तो हम मुफ्त दवा योजना की बात करेंगे। गृह

(श्री कैलाश वर्मा)
मंत्री की बात आयेगी तो हम आनन्दपाल की बात कर लेंगे, उद्योग की बात आयेगी तो कोई बड़ी फैक्ट्री की बात करेंगे, इसके अलावा इनके पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा विहीन यह लोग, जिन्होंने राजस्थान की जनता के साथ में कुठाराघात किया और विशेषकर उनके विश्वास के साथ में खिलवाड़ करके आजादी के बाद में बहुत लम्बे समय तक इन्होंने राज किया। राज करने के बाद में आज चिकित्सा की जो बात है, यह राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे बच्चा जन्म लेता है और बुजुर्ग सौ वर्ष की आयु तक, यह जुड़ा हुआ बहुत अहम मुद्दा है जिसके ऊपर विशेषकर अभी मेरे से पहले डोटासराजी बोल रहे थे कि इनकी जो मुफ्त दवा योजना है वह एक कुए के अन्दर पड़ी मिली।

माननीय सभापति महोदय, अभी पांच से छह महीने पहले मैं यहां से पैदल लोक देवता बाबा रामदेवजी के यहां पर गया था, एक स्कूल से गुजर रहे थे तो वहां पर कुछ समय विश्राम के लिए सुबह का समय था और कोई प्राचार्य महोदय से वहां पर, मैंने पूछ लिया कि यह स्कूल कहां तक है, विधान सभा क्षेत्र का नाम नहीं लूंगा, यह स्कूल कहां तक है? वह बोले कि आठवीं क्लास तक है यह स्कूल। आपके जितने बच्चे पढ़ते हैं इनको एक बार यह पूछो कि पिछली सरकार की कोई एक भी उपलब्धि बता दो तो बड़े मुस्कराते हुए बच्चे, उनके बैग से किताबें निकालने के बजाए इन्होंने जो मुफ्त दवा योजना, बंदर-बांट जो लोगों को बांटी थीं, बड़े मुस्कराते हुए बैग से, वह थैली से निकाल ली और बोले यह है पूर्ववर्ती सरकार की योजनाएं, इनको खाते हैं और मजे करते हैं। ऐसी योजनाओं को, यह बार-बार एक ही बात कहते हैं कि सरकार ने बंद किया, सरकार ने बंद किया। मैं बधाई देता हूं चिकित्सा मंत्रीजी को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि जिन्होंने योजनाओं को बंद नहीं किया, योजनाओं को सुधार कर इस राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति के साथ में अच्छी चिकित्सा देने का वादा किया। जो सुराज संकल्प यात्रा के माध्यम से 'आओ साथ चलें', ऐसे-ऐसे नारों के साथ में सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो कार्य किया वह वाकई में आने वाले समय के अन्दर इस राजस्थान के इतिहास के अन्दर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और पूर्ववर्ती सरकार ने चिकित्सा के माध्यम से जो व्यक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है, उसके साथ में खिलवाड़ किया और इनके साथ में अगर कोई चिकित्सा की बात आए, किसी भी योजना की बात आए तो जिस हिसाब से इन्होंने कार्य किया, मैं यह देख रहा हूं कि इनके इतिहास के अन्दर, पूर्ववर्ती सरकार या पहले की सरकारें इनकी थीं, इनके

(श्री कैलाश वर्मा)

इतिहास के अन्दर कोई बात आएगी तो वह सिर्फ चिकित्सा के अन्दर काला अध्याय देखा जाएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात को अब सीमित करें, अब समेटें।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू): माननीय सभापति महोदय, मैं विधान सभा क्षेत्र बगरू से आता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 30 ग्राम पंचायतें हैं, 7 नगरपालिका के वार्ड हैं, 7 नगर निगम के वार्ड हैं, 1 नगरपालिका है। सम्माननीय मंत्रीजी जानते हैं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र एन.एच.-8 पर पड़ता है जिसके अन्दर आए दिन, 1 सी.एच.सी. बगरू के अन्दर है, जहां आबादी लगभग 45 से 50 हजार है। मेरी मंत्रीजी से यह मांग रहेगी कि यहां पर डाक्टर्स हैं, डाक्टर्स की संख्या और यहां का आउट-डोर लगभग 400 से 500 पर डे का है, यहां पर एक बिल्डिंग की, भवन की व्यवस्था हो जाए तो जैसे अभी चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि इस एस.एम.एस. हास्पिटल के ऊपर जो भार है, वह कम हो जाएगा और विशेषकर चिकित्सा सेवाओं के अन्दर जो सुविधाएं सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी की देन है, इस जयपुर के अन्दर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर चाहे नारायण हृदयालय हास्पिटल हो, चाहे राजकीय विश्वविद्यालय जो अभी 500 बैड का सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, 29 तारीख को ही इसका भूमि पूजन किया है, इससे चिकित्सा सेवाएं बेहतर हुई हैं।

मैं तो विशेषकर जो मीना-पालड़ी के अन्दर सी.एच.सी. है और बगरू के अन्दर जो सी.एच.सी. है, उन दोनों का आने वाले समय के अन्दर, इनका विकास के रूप में, भवन के रूप में और यहां की व्यवस्थाओं के रूप में इनका और मनोनयन होकर यह आगे बढ़े, इन्हीं भावनाओं के साथ में, आज मेरे को जो आपने चिकित्सा जैसी मांग के ऊपर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अंत में आपको यही कहूंगा, कहूं किसको, वह तो हैं ही नहीं कि माननीय मंत्रीजी, बार-बार आपके ऊपर भी वह प्रहार करते हैं, सरकार के ऊपर भी प्रहार करते हैं। अगर कोई ऐसी दवाई या ऐसा हास्पिटल कोई बन जाए जिनमें यह जो देशद्रोह की बात करते हैं, सरकार की योजनाओं को बताने के अलावा बात करते हैं, ऐसी कोई योजना बन जाए तो उसको आप थोड़ा जल्द लागू कर दें। आपने मेरे को समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। सम्माननीय सदस्य, आप समाप्त करें। जितने भी माननीय सदस्य बोलने शेष हैं, आसन की ओर से व्यवस्था है कि दस मिनट में अपनी मांग इस सदन में वह रख दें क्योंकि जितने माननीय सदस्य बोलने शेष हैं और वह आसन ने पहले व्यवस्था दी है कि साढ़े आठ बजे माननीय चिकित्सा मंत्रीजी अपना उत्तर देंगे तो सबको बोलने का मौका मिल जाए तो दस मिनट में अपनी बात को आप समाप्त कर दें। आसन को टोकना नहीं पड़े। श्री गोरधन।

श्री गोरधन (धोद): माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई- मांग संख्या-26 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से भारतीय चिकित्सा पद्धति प्राचीन काल से ही, जिसकी साख है, प्रसिद्ध है क्योंकि कहते हैं कि पहले भारतीय चिकित्सा पद्धति ऐसी थी कि जिसमें युद्ध में जब योद्धा लड़ाई करता था और उस समय यदि उसके कहीं हाथ-पैर या शरीर पर अन्य कहीं पर भी चोट लग जाती थी तो उस घाव को उस रात में ही ठीक कर दिया जाता था और वह सुबह वापस युद्ध के लिए तैयार हो जाता था।

इसी चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के नेतृत्व में सम्माननीय राठौड़ साहब के द्वारा जिस प्रकार से इस राजस्थान की चिकित्सा पद्धति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आज भी यहां पर बहुत सारे लोग देश और विदेश के यहां पर चिकित्सा लेने के लिए, अपने रोग को ठीक करवाने के लिए यहां पर आते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की अच्छी और सुदृढ़ व्यवस्था के कारण, अच्छी चिकित्सा पद्धति के कारण यहां पर लोग आते हैं। वह चिकित्सा पद्धति चाहे यूनानी पद्धति के द्वारा हो, चाहे ऐलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक द्वारा हो और चाहे पंचकर्म पद्धति द्वारा हो क्योंकि यहां की एक से बढ़कर एक चिकित्सा पद्धति लोगों को ठीक करती है।

जिस प्रकार से हमारे माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने क्योंकि, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, उससे पहले कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से इस राज्य की स्थिति को बिगाड़ा है और जिस प्रकार उसकी दवाइयों में, यह कहते थे कि हम फ्री में दवाई दे रहे हैं लेकिन मैं सोचता हूं कि उन दवाइयों में केवल मिट्टी देने के सिवाय कुछ नहीं किया क्योंकि लोग उस दवाई को लेते थे तो यह कहते थे कि साहब, फ्री में दो देते हैं लेकिन हम यहां से नहीं लेंगे, बाहर से लेंगे।

(श्री गोरधन)

(17.59 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उस चिकित्सा पद्धति को, उस चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक अच्छी सोच के साथ में, एक अच्छी क्वालिटी की दवाइयां आज जिस प्रकार से हमारे चाहे छोटे से लेकर बड़ा हास्पिटल हो, उसमें नि:शुल्क दिया जाता है।

मैं धन्यवाद देता हूं माननीय राठौड़ साहब को कि वह हास्पिटल्स को, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को, सबको समय-समय पर चैक करते रहते हैं और लोगों से और हमसे पूछते रहते हैं कि आपके किसी प्रकार की स्वास्थ्य के सम्बन्ध में या चिकित्सा के सम्बन्ध में उस गरीब, असहाय व्यक्ति को कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जिस प्रकार से उस असहाय, गरीब व्यक्ति की सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, चाहे जिसमें भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा, जब व्यक्ति गम्भीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है, चाहे साधारण बीमारी से पीड़ित होता है तो उसका इलाज ए से लेकर जैड तक किया जाता है।

(18.00 बजे)

इसी प्रकार से इस चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एन.आर.एच.एम. के द्वारा जो पहले संविदाकर्मी लगे हुए थे चाहे जे.एन.एम. हों, चाहे ए.एन.एम. हों और चाहे डाक्टर हों, उन सबको नियमित करके एक अच्छी सरकारी सेवा में लिया गया है। मैं इसके लिए भी माननीय मंत्रीजी राठौड़ साहब को, माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार से माननीय कैलाशजी कह रहे थे, माननीय जगदीश नारायणजी भी कह रहे थे कि हमारे जितने भी पद हैं, वह लगभग-लगभग चाहे डाक्टर हों, चाहे जे.एन.एम. हो, चाहे ए.एन.एम. हों, सब पद भरे हुए हैं। हो सकता है, क्योंकि हमारे यहां पर विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी है और विशेषज्ञ डाक्टर वैसे अधिकतर बड़े हास्पिटल्स में रहते हैं, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा नगरपालिका क्षेत्र है लोसल, उसमें विशेषज्ञ डाक्टर की कमी है तो वहां पर यदि स्त्री रोग विशेषज्ञ या फिजिशियन डाक्टर लगा दिया जाए, तो उस क्षेत्र के लोगों को फायदा हो सकता है।

मेरा विशेषकर एक निवेदन और है कि लोसल नगरपालिका क्षेत्र में

(श्री गोरधन)

सोढ़ानी हास्पिटल है और उस हास्पिटल में एक डाक्टर की व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि वह एकदम शहर के बीच में है तो इसलिए उस हास्पिटल को सिटी डिस्पेंसरी का दर्जा दिया जाए, जिससे लोगों को अधिक दूर नहीं जाना पड़े और वहीं पर वे अपने रोग का निदान करवा सकें, इसके लिये भी मेरा निवेदन है।

इसके अलावा, क्योंकि आपने बहुत सारे पदों को भरने की कोशिश की है, लेकिन कुछ हमारे ऐसे गांव हैं, जहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है और जहां पर बड़ी पंचायतें हैं, उनमें भी यदि आप पी एच सी खोलकर हमें लाभान्वित करें तो उस क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। जिस प्रकार से डोटासरा जी कह रहे थे, मैं तो उनकी बात का विरोध करता हूं। माननीय हमने चिकित्सा मंत्रीजी ने पहले भी निवेदन किया था, क्योंकि यदि उनको मेडिकल सुविधा देनी होती तो उनके पास पांच साल का समय था, उससे पहले भी उनकी सरकार रही थी, लेकिन उनको काम नहीं करना था, केवल और केवल जनता को बरगलाना था और जिसके कारण से केवल वह बरगलाते रहे और उसी के कारण से आज उनकी यह स्थिति है।

मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि श्री कल्याण आरोग्य सदन, जिसकी भव्य बिल्डिंग बनी हुई है और यदि हमारे सीकर जिले में मेडिकल कालेज की स्थापना की जाए तो हमारे क्षेत्र को और आस-पास के जिलों को फायदा हो सकता है। मेरा नम्र निवेदन है कि आने वाली 30 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री महोदया और आपके द्वारा मैं चाहूंगा कि सीकर जिले में मेडिकल कालेज की स्थापना की घोषणा की जाए, जिससे क्षेत्र को फायदा हो।

मेरे विधान सभा क्षेत्र धोद में वैसे तो बहुत सारे गांव हैं और बहुत सारी ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन दो-चार मैं आपको बताऊं जहां पर अति आवश्यक है, वहां पर निवेदन करता हूं कि दो-तीन पी एच सी खोल दी जाएं तो वहां पर लोगों को फायदा हो सकता है। पांच-सात की जरूरत नहीं है, दो-तीन से काम चल जाएगा। जैसे सिंगरावट हो, वहां पर यदि पी एच सी की स्थापना की जाए तो अच्छा होगा, सांगलिया हो, सरवड़ी हो, मेरा यह निवेदन है कि इस क्षेत्र में यदि चिकित्सा से लोगों को अच्छा फायदा पहुंचाना है तो ये दो-चार छोटी-मोटी मांगें हैं, इनको पूर्ण करें। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: राजकुमारी दियाकुमारी।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(राजकुमारी दियाकुमारी)

आपने मुझे मांग संख्या-26 पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार। मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में पी.एच.सी. खिरणी को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने के लिए माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी। साथ ही मैं मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने पिछले दो साल में जिस तरह से विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर की चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया है और जिला चिकित्सालय सहित क्षेत्र की सारी ही पी.एच.सी. व सी.एच.सी. की मरम्मत, रख-रखाव व नवीन उपकरणों को खरीदने के लिए धनराशि स्वीकृत की, उससे क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं काफी बेहतर हो चुकी हैं, पिछली सरकार की अनदेखी के कारण परेशानी की मार झेल रही जनता को बहुत राहत मिली है। इसके लिये माननीय मंत्रीजी और मुख्य मंत्री साहिबा का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

मुझे यह कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि इस साल के बजट में प्रदेश के हर नागरिक को उचित दर पर बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मरीज और मरीजों के परिजनों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही राज्य में आम जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा सेवाओं में सुधार विस्तार के कदम उठाए हैं। एन.आर.एच.एम. के तहत चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिये 1716 करोड़ 12 लाख का प्रावधान किया गया है। इन सभी के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की तो हैल्थ सैक्टर में ऐसी हालत थी कि जनरल हास्पिटल, जो हमारा जिला अस्पताल है, वहां तो आप अन्दर ही नहीं घुस सकते थे, वहां अन्दर जानवर जा रहे थे, इतनी बुरी अव्यवस्था थी, लेकिन अब इन दो सालों में बहुत सुधार आया है। पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी मंत्रीजी, हमारी 70 परसेंट से ज्यादा पोस्ट वेकेंट थीं, वह सारी पोस्टें भर चुकी हैं और वहां सफाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो गयी है। मैं तो पूर्ण रूप से बहुत-बहुत खुश हूं मंत्रीजी, आपने हम पर कृपा की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक खिरणी में पी.एच.सी. है, इस विषय पर कहना चाहूंगी कि इस पी.एच.सी. के अन्तर्गत ग्रामपुरा, ज्वलन्दा, मोतीपुरा, महेश्रा, मेधपुरा, बड़ोदिया, हरसोता, डिडवाड़ी, हिन्दपुरा, जड़ावती,

(राजकुमारी दियाकुमारी)

पीपलवाड़ा, बहनोली, मांगरोल, बड़ा गांव व इनके अलावा भी 26 गांव और आते हैं और यह पूरा मिलाकर जनसंख्या भी लगभग 52 हजार के करीब है। इस क्षेत्र में अगर पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में कन्वर्ट किया जाए और क्रमोन्नत कर दिया जाए तो इससे इन लोगों को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि पापुलेशन भी बहुत ज्यादा है इस एरिया की, तो अगर आप यह कृपा कर दें तो हम सभी लोग आपके आभारी रहेंगे।

एक और बहुत ही बड़ी मांग है हमारे क्षेत्र की, वह यह है कि हमारा एक मलारना चौड़ है, जो मेगा हाइवे पर स्थित है मलारना चौड गांव और वहां पर भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं तो वहां का जो अभी हैल्थ सेंटर है, उसको अगर ट्रोमा यूनिट बना दिया जाए, क्योंकि उस एरिया में बहुत जरूरी है। अभी यह लोग मरीजों को लेकर जिला चिकित्सालय में जाते हैं और कई बार तो मतलब ऐसी हालत होती है कि वहां तक पहुंचते-पहुंचते मरीज दम ही तोड़ देता है। इसलिए वहां ट्रोमा सेंटर एस्टेब्लिश हो तो वहां भी उन लोगों को इस प्राब्लम से बहुत राहत मिलेगी।

इसके साथ ही माननीय मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र की पी.एच.सी. संचालन के लिए नवीन भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में भी मैं अनुरोध करना चाहूंगी। वर्तमान में ग्राम मखोली, मलाना स्टेशन, शेषा और लोटवाड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं और उसी में पी.एच.सी. चल रही है, जिससे वहां रोगियों के बढ़ते दबाव के कारण चिकित्सा सुविधाओं में काफी परेशानी होती है तो यहां पर पी.एच.सी. सेंटर स्वीकृत हैं, परन्तु भवन नहीं है तो यहां पर अगर इनके भवन निर्माण के लिए भी जल्द से जल्द इसकी भी स्वीकृति हो जाए और वहां इनको बिल्डिंग की बहुत-बहुत जरूरत है वहां पर तो इसके लिये भी अगर आपकी कृपा हो जाए।

एक और चीज मैं कहना चाहूंगी जो पी सी पी एण्ड डी टी सैल है, उसके लिये भी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि वह बहुत एक्टिव हो गया है और उसकी मानिटरिंग रैगुलरी हो रही है और आपने एक्टिव ट्रैकर्स, जो पहले काम नहीं कर रहे थे, वह भी अब बहुत अच्छी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं।

जो पी.सी.पी.एन.डी.टी. के कोआर्डिनेटर्स हैं उनमें भी अब बहुत एक्टिवनैस आ गयी है और वो लगातार काम कर रहे हैं। मैं इस सैल की मैम्बर भी हूं क्योंकि मैं 'बेटी बचाओ' से जुड़ी हुई हूं। वो भी आपकी मेहरबानी

(राजकुमारी दियाकुमारी)

से और मुख्यमंत्री साहिबा की मेहरबानी से हुआ है। एक चीज और कहना चाहूंगी कि इससे चाइल्ड सैक्स रेशो में भी अन्तर आया है और इस साल बहुत अच्छे आंकड़े दिखाई दे रहे हैं और लोगों में जागरूकता भी बहुत बढ़ी है तो, मंत्रीजी इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

अगर हमारी पी.एच.सी. खिरणी को सी.एच.सी. में कन्वर्ट कर दिया जाए तो बहुत ही मेहरबानी होगी। जो हमारे भवन निर्माण हैं, कुछ हमारी पोस्ट भी वेकेंट हैं, वैसे तो ज्यादातर, सभी पोस्ट हमारी भर चुकी हैं पर कुछ पोस्ट हैं जो अभी भी वेकेंट हैं। जनरल हास्पिटल में हमारे जो सीनियर स्पेशलिस्ट है उसकी बहुत-बहुत आवश्यकता है, तो अगर वो हो जाए और जो हमारे सी.एम.एच.ओ. के अन्डर है जूनियर स्पेशलिस्ट की चार पोस्टें और सीनियर मेडिकल आफिसर की दो पोस्ट अभी भी वेकेंट हैं, तो उनकी भी भरपाई जल्दी से हो जाए।

माननीय उपाध्यक्षजी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मास्टर मामन सिंह। (अनुपस्थित) श्री शैतानसिंह।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज मांग संख्या 26 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

इस मांग पर चर्चा तो पूरी हो गयी, मेरा तो मात्र चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है चूंकि कांग्रेस सरकार जाती-जाती नियमों, कानूनों सब को ताक पर रख कर और मेरे अकेले विधान सभा क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए पांच पी.एच.सी. घोषित करके गयी, जिसमें डाक्टर दिये नहीं, भवन दिया नहीं, फिर भी हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया और आदरणीय मंत्रीजी के आशीर्वाद से हमारी सरकार ने उनको यथावत् रखा नहीं तो इन्होंने सिर्फ इसीलिए घोषणाएं की थीं कि हम तो वापस नहीं आ रहे हैं और जो सरकार आयेगी, वो बंद करेगी और हम एक माहौल बनायेंगे। उन पी.एच.सी. को बंद नहीं किया, फिर भी उन्होंने घूम-घूम कर यह प्रचार करने की कोशिश की कि आपकी यह पी.एच.सी. बंद की जा रही है, जो पी.एच.सी. दी है, हमने बनायी है और यह भा.ज.पा बंद कर रही है, हमारे माननीय मंत्री महोदय ने उस सब पी.एच.सी. को रखा। उसमें एक भी न तो कोई कम्पाउंडर दिया, न ए.एन.एम. दी, न डाक्टर दिया, हमारी सरकार बनने के बाद में हमारे उस क्षेत्र में मेरी सभी पी.एच.सीज. में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक

(श्री शैतानसिंह)

पी.एच.सी. में जो अभी दुर्घटना से डाक्टर की मृत्यु हो गयी, नहीं तो सभी पी.एच.सी. में डाक्टर हैं। यह मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि पद तो खाली हैं फिर भी एक-एक डाक्टर तो सभी पी.एच.सीज. में हैं जबकि यह लास्ट में ऐसी घोषणाएं करके गये हैं।

पापुलेशन के मापदण्डों को किनारे पर रखकर माननीय गोविन्द सिंहजी की गवर्नमेंट में जाते-जाते ऐसा करके गये फिर भी पब्लिक ने वोट नहीं दिये, वो लोग सब हमारे साथ हैं और वो सब पी.एच.सीज. चल रही हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, ईमानदारी से बताना, आपको नींद में भी कांग्रेस गवर्नमेंट ही दिखती है न?

श्री शैतानसिंह (पोकरण): नींद में नहीं, काम ही ऐसा किया न ... (व्यवधान) नहीं, कांग्रेस सरकार, इनकी सरकार, गयी वो सरकार तो कह रहा हूं। कांग्रेस ने यही काम किये इसलिए नींद का काम नहीं है, तो जैसा करम किया है वो सब को ध्यान है।

मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि जिस क्षेत्र में हमारा विधान सभा क्षेत्र आता है, रामदेवरा में राजस्थान का सबसे बड़ा मेला भरता है और उस मेले में लगभग 25 से 50 लाख लोग आते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला। पोकरण से 10-12 किलोमीटर पर है और पोकरण से जैसलमेर 110 किलोमीटर है और जोधपुर 180 किलोमीटर है। तो इतनी दूरी को देखते हुए और उस मेले में सघन पब्लिक के आवागमन को देखते हुए कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए मेरा माननीय मंत्रीजी से और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया से करबद्ध निवेदन है कि पोकरण में एक ट्रोमा सेन्टर बनवाया जाए ताकि जो यह दुर्घटनाएं होती हैं, उन राहगीरों को और जिन लोगों के साथ दुर्घटना घटित हो जाती है उनको राहत मिले। क्योंकि उसके नजदीक में कोई हास्पिटल नहीं है, जोधपुर लाना पड़ता है और जोधपुर आते-आते 180 किलोमीटर है तो 180 किलोमीटर की लम्बाई तक कोई बड़ा अस्पताल नहीं है तो यदि पोकरण में ट्रोमा सेन्टर बनाया जाए तो उन यात्रियों को बेनिफिट होगा। सेन्टर पाइंट है। यहां से अनुमोदन करेंगे तो होगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 60 पोस्टें ए.एन.एम. की खाली हैं, उनको हालांकि भरेंगे, अभी मुझे बीच में भी काफी ए.एन.एम. दी थीं, यह जो पोस्टें खाली हुई हैं कई बार यह मामले उठते हैं। ये पिछली सरकार के ही तो करम हैं, इतनी पोस्टें खाली कैसे हुई? हमने तो आते ही किसी को भेजा नहीं।

(श्री शैतानसिंह)

जबकि हमारी सरकार के समय सभी पोस्टें भरी हुई छोड़ कर गये थे, कांग्रेस के टाइम में वो बैन हटाकर सभी ए.एन.एम. को वहां से हटाया गया। अब, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि तत्काल भर्ती करके और हमें ए.एन.एम. की पोस्टे दें क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है। हमारे विधान सभा क्षेत्र की लम्बाई 300 किलोमीटर है, चौड़ाई लगभग 75 किलोमीटर है जिसमें कई डिस्ट्रिक्ट सलट जाते हैं तो एक-दूसरे सेन्टर से 15-15, 20-20 किलोमीटर दूरी है। जैसे हमारे एक घंटियाली गांव है, वो अपने पंचायत हैडक्वार्टर से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो पंचायत हैडक्वार्टर 25 किलोमीटर नजदीक नीयरेस्ट स्थान नाचना है, नाचना से लगभग-लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर, तो वहां ऐसी जगहों पर आज पोस्टें खाली हैं, वो पोस्टें भरवाएं ताकि लोगों को तत्काल सुविधा उपलब्ध हो। बाकी सब ठीक है। इतना ही आपसे निवेदन है। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बंशीधरजी।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 26 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

दिसम्बर, 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुन्धराजी ने आगामी पांच वर्षों के लिए 'श्री' के कासैप्ट के हिसाब से चलने का काम किया। 'श्री' का मतलब SHREE, इसके अन्दर हर वर्ड का अलग-अलग उच्चारण हो रहा है। एस फॉर सैनिटेशन, एच फार हैल्थ, आर फार रूरल डवलपमेंट, ई फार एजुकेशन और ई फोर एनर्जी में शामिल किया जायेगा स्वच्छता, चिकित्सा, ग्रामीण विकास, शिक्षा, ऊर्जा के लिए आधारभूत सुविधाओं का काम करने का काम किया है।

स्वास्थ्य के लिए पूरे राजस्थान के अन्दर उप-स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर मेडिकल कालेज तक के लिए हमारी करीबन 17 हजार संस्थाएं ऐसी हैं ...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): इनको पता नहीं, साहब, 'श्री योजना' बंद हो गया। मनरेगा में 'श्री योजना' थी वो बंद हो गयी। यह कौनसी श्री योजना ...

श्री बंशीधर (खण्डेला): मैं मनरेगा की बात नहीं कर रहा हूं, आप समझे नहीं, उसमें मेरी कोई कमी नहीं है। मैंने 'श्री' का एस और हर का अलग-अलग शब्द बताया है, आप मनरेगा लिये बैठे रहो। 'श्री' का मतलब नहीं सुना तो दोबारा बताऊं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं नहीं बोला।

श्री बंशीधर (खण्डेला): आप नहीं बोले, मैं बोल लूंगा। आप मत बोलो, मैं बोल लूंगा। (व्यवधान) बुलाऊंगा, उनसे बुला लूंगा, अभी बुला लूंगा उनसे भी।

17 हजार से अधिक उप-स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर मेडिकल कालेज तक हमारी संस्थाएं काम करने में लगी हुई हैं और राजस्थान की जनता के लिए स्वास्थ्य के अन्दर काम करने में लगी हुई हैं।

आज चाहे अमीर हो या गरीब, बीमारी के नाम से सब डरते हैं लेकिन गरीब को डबल डर लगता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीब को बीमारी का डर लगता है उसके अलावा उसको एक पैसों का डर लगता है कि पैसे कहां से आयेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्रीजी ने हमारे चिकित्सा मंत्रीजी की निगरानी के अन्दर 'भामाशाह बीमा योजना' शुरू की, इसके अन्दर आज 67 प्रतिशत परिवारों को 'भामाशाह योजना' का लाभ मिल रहा है। इसके अन्दर राजकीय चिकित्सालयों और प्राइवेट चिकित्सालयों को मिलाकर 432 राजकीय चिकित्सालय और 423 निजी चिकित्सालय को यह सुविधा दे रखी है कि कोई बी.पी.एल. का आदमी वहां जाए, अपना इलाज करा ले। और उस इलाज में उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। गरीब के लिये यह योजना एक भगवान के रूप में चालू हुई है। यह एक बहुत ही अच्छा काम है, यह एक संजीवनी का काम है बीमार आदमी के लिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि डाक्टर्स की कमी रहती है, हमारे चिकित्सा मंत्रीजी ने, हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने डाक्टर की रिटायरमेंट की आयु 60 से 62 की है, उससे डाक्टर्स की जो कमी है, उसमें थोड़ा-बहुत ब्रेक लगेगा।

इसके साथ-साथ एक चीज और है कि बीमारी का कारण है कि खाद्य सुरक्षा में कई कमियां हैं हमारी जांच में। जांच के लिए केवल 6 जिलों में ही लैबोरेट्री लगी हुई हैं। इनकी कमी के कारण खाद्य सुरक्षा की जांच नहीं होती है। इससे बीमारियां ज्यादा बढ़ती हैं। आदरणीय मुख्यमंत्रीजी ने आगामी 5 वर्षों के लिए ज्यादातर जिलों में खाद्य सुरक्षा की जांच के लिए लैब स्थापित करने के लिए 27 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया है। यह एक बहुत बड़ी सोच है। यह बहुत बड़ा बजट है। जिससे कि खाद्य सुरक्षा के अन्दर हमारे जो इंस्पेक्टर पकड़ते हैं, इनकी जांच में जो अमानक पाया जाता है, उसकी जांच जल्दी होगी और व्यापारी व खाद्य पदार्थ बनाने वाले को जल्दी ही इसका

(श्री बंशीधर)

परिणाम मिलेगा कि मेरा खाद्य पदार्थ सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसको सज़ा मिलेगी। इससे हमारे देश में अच्छा वातावरण बनेगा। अच्छा खाने-पीने के लिए सामान मिलेगा।

हमारी आदरणीय मुख्यमंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी की यह सोच थी कि डाक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है, इस कमी को कैसे पूरा किया जाये। हमने हमारे मेडिकल कालेज जो चालू हैं, अजमेर, उदयपुर, कोटा के अन्दर 100-100 सीटें बढ़ायीं और झालावाड़ में 50 सीटें बढ़ायीं। कुल डाक्टर्स के लिए 350 एमबीबीएस की सीटों में वृद्धि की। उससे हमारे यहां जो कमी है, वह दूर होने में मदद मिलेगी। उसके साथ-साथ राजस्थान के अन्दर 7 मेडिकल कालेज भी खोले जा रहे हैं। उससे भी राजस्थान में डाक्टर्स की जो कमी है, वह पूरी होने की पूरी-पूरी संभावना रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं तो 25 परसेंट बच्चों को छूट दे रखी है। उसी हिसाब से गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं, उनसे पैसा नहीं लेते। सरकार पैसा देती है। उसी हिसाब से प्राइवेट हास्पिटलों में भी यह सुविधा दे रखी है। लेकिन मैं सोचता हूं कि इसके अन्दर कहीं न कहीं कमी हो रही है। जो प्राइवेट हास्पिटल हैं, वह बीपीएल के या दूसरे गरीब लोगों का इलाज नाममात्र का करते हैं। दूसरे को भर्ती करते हैं और नाम दूसरा लिखते हैं। इसके लिए जांच की व्यवस्था बहुत जरूरी है। जिससे गरीब तबके तक, गरीब आदमी तक उसकी सुविधा मिल सके। यह जांच भी एक नहीं, दोहरी जांच होनी चाहिए। इसकी प्रशासनिक जांच भी होनी चाहिए और एक कमेटी ऐसी बनानी चाहिए, जिसके अन्दर जन प्रतिनिधि भी हों और वह जन प्रतिनिधि उस कमेटी में सूचना करें कि फलां गरीब आदमी, फलां हास्पिटल से इलाज कराकर के आया है कि नहीं आया है। इससे हमारे यहां जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी बताना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में रींगस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। रींगस, सीकर और जयपुर के बीच में है। उसके अन्दर जमीन भी करीबन 2 हैक्टेयर है। रींगस में खाटू श्यामजी के मेले के लिए लाखों श्रद्धालु जाते हैं। कई दफा वहां साधनों से एक्सीडेंट होते हैं, इससे उनको या तो जयपुर आना पड़ता है या सीकर जाना पड़ता है। जबकि एट दी स्पाट वहां से 5 किलोमीटर की दूरी नहीं है। मैं

(श्री बंशीधर)
आदरणीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारे रींगस के अन्दर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ट्रोमा यूनिट जरूर खोली जाये जिससे कि सैकड़ों जान प्रति वर्ष बच सकती हैं।

खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में खण्डेला नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर सीएचसी है। उस सीएचसी में जमीन की बहुत ज्यादा कमी है। मैं मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि हमारी पंचायत समिति के प्रधानजी जमीन स्वास्थ्य केन्द्र के लिए फ्री में देना चाहते हैं। आने वाले समय में आप स्पेशल बजट पास करके खण्डेला में सीएचसी की नई बिल्डिंग बनाने के लिए प्रावधान करें। जिससे कि वहां आगे चलकर लोगों को सुविधा मिल सके।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे खण्डेला की सीएचसी में गायनिक डाक्टर की पोस्ट सैंक्शन है। लेकिन आज तक उसमें गायनिक डाक्टर लगी हुई नहीं है। मेरे यहां 60 परसैंट मुसलमान आबादी है। मुसलमान आबादी में किसी महिला को ही वहां महिला दिखा सकती है, इसलिए उन्हें प्राइवेट में जाना पड़ता है। प्राइवेट भी वहां आसपास कोई नहीं है। मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि खण्डेला के अन्दर या तो कोई गायनिक डाक्टर भेजें या वहां जब तक उसकी व्यवस्था नहीं हो, तब तक कोई महिला डाक्टर जरूर लगायें, जिससे कि मेरे मुसलमान भाइयों की समस्या का समाधान हो सके। वहां महिला डाक्टर होना बहुत ही जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, खण्डेला और रींगस के अन्दर 2 डेंटल चिकित्सक लगे हुए हैं, लेकिन डेंटल चेयर नहीं होने के कारण उन चिकित्सकों का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा निवेदन है कि पूरे राजस्थान के लिए कह सकता हूं मैं तो, जहां-जहां डेंटल चिकित्सक लगे हुए हैं, वह बेकार बैठे हुए हैं। जहां डेंटल चेयर नहीं है, डेंटल इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं, वहां इसके लिए स्पेशल प्रावधान करके डेंटल चेयर भी खरीदें और दूसरे सामान भी वहां भेजें।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के टाइम पर जोधपुर के अन्दर एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। जोधपुर में ग्लूकोस के अन्दर फंगस पाई गयी थी और उससे कई जानें गई थीं। वह फंगस क्यों हुई और कैसे हुई, यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन आजकल नई टैक्नोलोजी आ गई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, जोधपुर में तो हुआ लेकिन आपकी सरकार के समय में तो पशुओं के इंजेक्शन आदमियों को लगा दिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला): मैं फंगस की बात कर रहा हूं इसलिए कि यह जान की बात है। यह पब्लिक हमारी ही है सारी। इनको मालूम नहीं है कि कहां लगे हैं। इनको खुद को ही मालूम नहीं है ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप अच्छी बात मानते हो ... (व्यवधान)

श्री बंशीधर (खण्डेला): मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बीएफएस टैक्नोलोजी जो बहुत पुरानी टैक्नोलोजी हो गयी है ग्लूकोज के लिए, इसके लिए एफएफएस टैक्नोलोजी जिसके अन्दर कहीं पर भी हाथ टच नहीं होता है। इस विधि के अनुसार 3-4 राज्य हैं, जो एफएफएस टैक्नोलोजी के ग्लूकोज खरीद रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इनके अन्दर यह बीएफएस वाली बंद कर दी गई है। एफएफएस टैक्नोलोजी की ही सारी की सारी ग्लूकोज खरीदी जा रही हैं। इसके अन्दर 1 परसेंट भी कहीं फंगस की संभावना नहीं रहती है। इसलिए जनता का ध्यान रखते हुए यह टैक्नोलोजी वाली, और प्रदेश खरीद रहे हैं तो हमें भी खरीदना चाहिए। कल को खुदा न खास्ता ऐसा न हो कि कोई फंगस वाला काम हो जाये और इनको कहने को विपक्ष वालों को एक बहाना मिल जाये। हल्ला मचाने का मिल जायेगा और कई लोगों की जान चली जायेगी। आप इसकी तरफ ध्यान दें और इसकी बहुत जगह तो अधिकारियों से रिपोर्ट आ गई है तो आप उसके हिसाब से उसकी घोषणा भी करें। आपके जंचे तो करो, नहीं करो तो आपकी मर्जी है। लेकिन एक टैक्नोलोजी के बारे में मैंने अख़बार में पढ़ा और वह मैंने आपको बताया है।

उपाध्यक्ष महोदय, ओआरएस का घोल आता है, यह पाउडर में आता है। आजकल यह घोल लिक्विड में भी आने लग गया है। गांवों के अन्दर शुद्ध पानी नहीं मिलता है पीने के लिए और उस बच्चे को दूषित पानी से ही ओआरएस का घोल पिलाते हैं। उससे ज्यादा बीमारी बढ़ती है। जहां तक हो सके इसको भी लिक्विड फार्म में लेना चाहिए। जिससे कि बच्चे को बीमारियों से दूर रखा जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सोचता हूं कि माननीय चिकित्सा मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगे और इसको देखेंगे।

हमारे चिकित्सा मंत्रीजी बीमारियों के बारे में या घटिया दवाइयों के बारे में अथवा इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं, उसके बारे में बहुत तत्परता से अपनी घोषणाएं भी करते हैं। जैसे हमारे आदरणीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी एक प्रश्न उठाया था कि फलां कम्पनी दो-दो दफा ब्लैक लिस्ट हो

(श्री बंशीधर)

चुकी है और आज तक उसको क्यों नहीं किया गया, तो आपने यहां सदन में ही यह घोषणा की, इससे हमारी सरकार की साख़ बढ़ी है। साख़ कम नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस द्वारा बार-बार कहा जाता है कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। सरकार का मैं 2 मिनट में डाटा बताना चाहूंगा कि नि:शुल्क दवा योजना आपने चालू की है, लेकिन उस योजना में आपने 2011-12 के अन्दर 3 करोड़ 78 लाख रुपये खर्च किये। 2012-13 के अन्दर 6 करोड़ 60 हजार खर्च किये और 2013-14 में 5 करोड़ 81 लाख रुपये खर्च किये। लेकिन हमारी सरकार ने 2014-15 में 8 करोड़ 24 लाख रुपये खर्च किये। वर्तमान में 2015-16 के अन्दर केवल 15 फरवरी तक, 7 करोड़ 68 लाख रुपये खर्च किये हैं। इसका मतलब हमारी सरकार आपसे भी बढ़िया काम कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नि:शुल्क जांच योजना हमारी सरकार ने जब से चालू की है, 2013-14 के अन्दर 1 करोड़ 64 लाख रुपये खर्च हुए और 2014-15 के अन्दर 1 करोड़ 94 लाख खर्च किये एवं 2015—16 के अन्दर 15 फरवरी तक 2 करोड़ 16 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आंकड़े यह नहीं हैं, कहीं न कहीं कोई गड़बड़ हुई है। लिखने-पढ़ने में कहां हुई पता नहीं, लेकिन यह आंकड़े गलत हैं।

श्री बंशीधर (खण्डेला): बिलकुल सही हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह हंड्रेड परसेंट गलत हैं ... (व्यवधान) चिकित्सा मंत्रीजी बता दें अगर सही हैं तो।

श्री बंशीधर (खण्डेला): हां, हां, मैं बता दूंगा वह। मैं बता दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह सिर्फ खण्डेला, खण्डेला की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीधर (खण्डेला): मैं जिले की भी बात करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरोग्य राजस्थान के अन्तर्गत आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार घर-घर जाकर, हर गांव में जाकर लोगों की जांच की गई, इन जांचों में कुछ लोगों को कुछ भयानक बीमारियां भी पाई गईं, उन लोगों का अस्पताल में नि:शुल्क इलाज करवाया जा रहा है। यह एक पहल है और राजस्थान की जनता के लिए बहुत अच्छी बात है।

(श्री बंशीधर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, फिर मैं बैठ जाता हूं। मैटर तो बहुत है लेकिन समय कम है। आयुर्वेद राजस्थान का ही नहीं पूरे देश का ऐसा चिकित्सक है जैसे आज हमारी देशी गाय एक चलती फिरती आयुर्वेदिक दुकान है वैसे ही आयुर्वेद का नाड़ी वैद्य एक चलता फिरता जांच केन्द्र है जो हमारे एमआरआई, माइक्रो एमआरआई जो आप यहां करते हैं, नाड़ी वैद्य एक मिनट में नाड़ी देखकर सब कह देगा जो अब सब यहां एमआरआई करते हैं, वह सब बता देता है। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस नाड़ी वैद्य की शिक्षा दुबारा चालू की जाए, यह अच्छी पद्धति है, गरीब के लिए भी अच्छी रहेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

...(व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेडिकल कालेज मांग लो वर्ना सीकर की जनता माफ नहीं करेगी। (व्यवधान) यह राठौड़ साहब नाराज नहीं होंगे, मुख्य मंत्रीजी नाराज नहीं होंगी, अगर हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सीकर की जनता नाराज हो गई तो मुश्किल हो जाएगी।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय सदस्य, आप सुनें एक मिनट, मैं भूल गया। हमारे माननीय एमपी महोदय ने प्रधान मंत्रीजी से मिलकर सीकर के लिए मेडिकल कालेज की जो शुरूआत की है, वो बात सुनने के बाद, पेपर में आने के बाद, हमारे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले एमएलए साहब यह कह रहे हैं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसी बात नहीं है। मेडिकल कालेज खोलेंगे सीकर में तो हम ही खोलेंगे, आपसे नहीं खुला। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कांग्रेस के शासन में ही मेडिकल कालेज खोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी, आपने सवा दो साल रोक दिया और आज भी राठौड़ साहब से डरते हुए बात उठा रहे हो, मेरे कहने के बाद उठा रहे हो, राठौड़ साहब से। (व्यवधान)

श्री बंशीधर (खण्डेला): हम ही मेडिकल कालेज खोलेंगे, ...(व्यवधान) वह होगा, राठौड़ साहब और मुख्य मंत्रीजी और प्रधान मंत्रीजी निश्चित रूप से मेडिकल कालेज खोलेंगे, जय हिन्द, जय भारत।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, सीकर की जनता आपके साथ में है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अंजू देवी धानका।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कालेज की नींव तो राव राजा कल्याण सिंहजी ने रख दी थी। सांवली में जो टीबी सेनेटोरियम बना हुआ है तो कल्याण सिंहजी ने 500 बीघा इतना सारा काम करके उसकी नींव रख दी थी इसलिए कालेज बनेगी भी तो प्रधान मंत्रीजी या यहां की सरकार जो भी निर्णय ले, लेकिन राव राजा कल्याण सिंहजी का नाम जो उस पर लगा हुआ है उस नाम को नहीं हटाएं कम से कम और उस नाम के साथ मेडिकल कालेज बने, यह मेरा कहना है। (व्यवधान)

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे चिकित्सा की मांग पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बस्सी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सामरिया में पीएचसी खुलवाने के लिए याचिका लगाई थी, 3 जुलाई, 2012 को, फिर 2012 और 2013 में बस्सी विधान सभा क्षेत्र को 3 पीएचसी और एक 1 सीएचसी में 50 बैड दिए गए थे कांग्रेस सरकार में। जिसका अभी हाल ही में मंत्रीजी ने उद्‌घाटन किया था सामरिया पीएचसी का और उस कार्यक्रम को आर्गेनाइज किया था बीसीएमओ, बस्सी ने। मैं बताना चाहती हूं सदन के माध्यम से मंत्रीजी को कि वह प्रोग्राम जो बस्सी, बीसीएमओ ने आर्गनाइज किया था उसमें जब आर्गनाइज कर रहे थे, प्रोसीजर जो चल रहा था उससे मुझे न तो अवगत करवाया गया न मुझे निमंत्रण दिया गया आने के लिए और न नेम प्लेट पर मेरा नाम लिखा गया। उसके अलावा वह इंटेशनली किया गया बीसीएमओ द्वारा, यह मेरा अपमान नहीं है उन लोगों का अपमान है जिन्होंने बस्सी विधायक को बस्सी विधायक बनाया है। जो काम कांग्रेस सरकार में मेरी अनुशंसा से हुआ, बीजेपी के मंत्रीजी ने उसका उद्‌घाटन किया उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऐसा होता रहता है, शिलान्यास कोई सरकार करती है और उद्‌घाटन कोई सरकार करती है तो मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि मुझे तो पोलिटिकली बहुत फायदा हुआ, मंत्रीजी, आप गए, आपने बुलाया नहीं, यह तो मुझे बहुत फायदा हुआ क्योंकि वहां के लोग फिर बात करने लगे जो मेरे समर्थक थे कि मंत्रीजी को घमंड आ गया है बहुमत का उन्होंने जिनकी अनुशंसा पर काम हुआ उनको ही नहीं बुलाया, हमारे विधायक को नहीं बुलाया। तो हमारे विधायक तो आगे भी आप ही रहोगे, ऐसा कहकर उन्होंने मुझे तसल्ली देने की कोशिश की। (व्यवधान)

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

मानननीय मंत्रीजी, मुझे पोलिटिकली बेशक फायदा हुआ लेकिन मैं पर्सनली बहुत हर्ट हुई हूं, वह हर्ट इसलिए हुई हूं क्योंकि आपसे मेरी पहले बात हुई थी फोन पर, उसके बाद आपने बीसीएमओ से कुछ भी नहीं कहा, उसके बाद प्रोग्राम होने के बाद आपने उससे पूछा नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया, यह बात मुझे ज्यादा तकलीफ दे रही है। क्योंकि मुझे यह अच्छी तरह मालूम है कि आप बहुत काइंड हार्टेड हो और आपके दिल में लेडीज के लिए एक साफ्ट कार्नर है, यह भी मुझे मालूम है, यह सच है, मंत्रीजी कभी किसी को मना नहीं करते काम के लिए। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि आपने पूछा ही नहीं मुझसे। ईवन मेरी पहले फोन पर बात हुई और उसके बाद भी आपने मुझसे पूछा ही नहीं कि ऐसा बीसीएमओ ने क्यों किया। उसने इंटेशनली किया और वह वजह मैं आपको बता सकती हूं अगर यहां बोलूंगी तो एक सामाजिक मामला हो जाएगा तो बोलूंगी नहीं। उससे भी बड़ी बात जो हुई वह सदन के माध्यम से, आसन के माध्यम से माननीय मंत्रीजी, आपको यह कहना चाहती हूं, आपको मैं पहले ही बता दूं, मुझे पहले से ही मालूम है कि आपको इन सब बातों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उस प्रोग्राम के बाद में मैं आपसे काफी बार मिली भी हूं लेकिन मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मंत्री ज्यादातर अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पर विधायक से ज्यादा विश्वास करते हैं इसलिए यह बात मैंने आपको पहले नहीं बताई। मैं समझती हूं कि यह सदन पवित्र मंदिर है और मैं यहां बोल रही हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ में बोल रही हूं और मैं पूरे अधिकार के साथ बोल रही हूं, आपसे खास तौर से। जो आपने उद्‌घाटन किया उसमें जो भी सरकारी भवन का शिलान्यास, उद्‌घाटन जो भी होता है उसका खर्चा विभाग देता है लेकिन यहां पर आप जिस उद्‌घाटन को करके आए उसका खर्चा आम नागरिकों से उगाही करके किया गया बीसीएमओ द्वारा। (व्यवधान) इसकी मेरे पास रिकार्डिंग है बाकायदा, आडियो रिकार्डिंग है, इसके सबूत हैं मेरे पास पुख्ता इसीलिए सदन को माध्यम बनाया बोलने का वर्ना मैं आपसे पहले भी बोल सकती थी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि बहुत अपमान किया आपके अधिकारी ने हमारे लोगों का। मैं चाहती हूं कि ऐसे अधिकारी जो राजनीति करते हैं बजाय काम करने के, आप उन पर सख्ती से कार्यवाही करेंगे। स्पेशली आप मेरे लिए यह कहना जरूर, बीसीएमओ के ऊपर। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आपके दिल में लेडीज के लिए साफ्ट कार्नर है इसलिए मैंने कहा। (व्यवधान) आप ऐसा नहीं है, वह जो आम नागरिकों से आपके स्वागत के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, लोगों से पैसों

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

की उगाही कर रहा है उसके अलावा भी उसकी बहुत सारी कारस्तानियां हैं, पैसे उगाही के अलावा भी। बस्सी और कानोता में ईंट भट्टे हैं काफी सारे जिनमें काम करने वाले जो गरीब लोग हैं, जो भट्टों पर काम करते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाती है, विभाग ध्यान रखता है इस बात का कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और सरकार द्वारा पैसा भी काफी खर्च किया जाता है उनके लिए। मगर इसमें भी यह अधिकारी खास कर बीसीएमओ ने इसका फायदा उठाया है, यह आज से नहीं, पिछले छह-सात साल से रह रहा है, छह-सात साल से इसका कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है और कई सालों से हैल्थ से जुड़े जो ईयरली प्लान होते हैं वह यह बनाते हैं, कई सालों से यही बना रहे हैं लगातार, बीसीएमओ बना रहा है और उसमें लगातार ईंट भट्टों की संख्या है उसने 157 शो की है अब तक और इतने सालों से उसका जो पोलियो अभियान भी चलता है उसके दो सैशन होते हैं एक जनवरी में और एक फरवरी में, उसमें भी काफी पैसा खर्च करती है सरकार, उसके लिए बजट अलग से आता है तो अबकी बार इस साल में सीएमएचओ ने यह आर्डर किया कि जो कानोता का स्टाफ है डाक्टर का, वह जाकर के इसका सर्वे करेगा, ईयरली प्लान वह बनाएगा। इसीलिए कानोता के डाक्टर और स्टाफ जब प्लान बनाने गए तो फिर वहां पता चला कि वहां 157 ईंट के भट्टे हैं ही नहीं वहां सिर्फ 88 ईंट के भट्टे हैं, 69 ईंट के भट्टों का जो खर्चा आता है, जो भी सरकार पैसा देती है उसका दुरुपयोग होता है या ऐसा कह सकते हैं कि बीसीएमओ की जेब में जाते हैं, फर्जी भुगतान उठाया जाता है कुल मिलाकर। इसके अलावा रुटीन इम्यूनाइजेशन के तहत ईंट भट्टा मजदूरों को कई बीमारियों से बचाने के लिए सरकार जो पैसा देती है जैसे कि टीकाकरण के लिए देती है पर मंथ के हिसाब से लगभग 40 हजार रुपया इनके लिए दिया जाता है बीसीएमओ द्वारा। सरकार बीसीएमओ को देती है और वह उनके ऊपर खर्च करने के लिए होता है। पर मंथ 40 हजार के टीकाकरण किये जाते हैं यानी साल का 4 लाख 80 हजार रुपया। अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने एक सर्वे किया और उसमें पता चला कि भट्टे तो 88 हैं, एक तो यह फर्जी भुगतान उठ रहा था दूसरा 2011 से अब तक टीकाकरण वहां बीसीएमओ ने कराया ही नहीं। यह सबसे बड़ा वहां फर्जीवाड़ा किया गया। सरकारी पैसों का भी इसमें दुरुपयोग हुआ और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया। ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें, कार्यवाही करें। भवन के उद् घाटन समारोह के लिए आपको सरपंच ने भी बताया था, प्रधान को भी उस प्रोग्राम में नहीं बुलाया था, बस्सी विधायक को

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

भी नहीं बुलाया, सरपंच को भी नहीं बुलाया, उसके भी मेरे पास सारे सबूत हैं, यह अख़बार की कटिंग भी हैं ये सारे मैं आपको दे दूंगी ताकि आप उस पर सख्ती से कार्यवाही कर सकें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय, इसको भी नहीं बुलाना, विधायक को भी नहीं बुलाना, उनको भी नहीं बुलाना, ऐसा रुख, माननीय सदस्या के कहने से ऐसा लग रहा है ''गैरों पे करम, अपनों पे सितम। ए जाने वफा, ये जुल्म न कर। रहने दे हमें थोड़ा सा भरम।''

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में बार-बार सभी मंत्री यह कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते। स्पष्ट रूप से मैंने दिखाया कि एक निर्दलीय विधायक के साथ किस स्तर तक भेदभाव आपके लोग करते हैं, भेदभाव आपके अधिकारी भी करते हैं।

अब मैं रेयर डिजीज के बारे में बात करना चाहती हूं। रेयर डिजीज के बारे में न तो लोगों को पता चल पाता है और कई बार डाक्टर्स को भी पता नहीं चल पाता है और मरीज इसकी वजह से बच नहीं पाते हैं। भारत में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसआडर, एलएसडी के लगभग 500 रोगी हैं। 400 ऐसे हैं जिनमें 7 प्रकार के एलएसडी की पहचान हुई है। राजस्थान में करीब 20 रोगी हैं, इसमें एंजाइम रिप्लेसमेंट थिरैपी होती है जो यहां के लोग जाकर एम्स में कराते हैं। लेकिन एम्स में जाना एक गरीब आदमी के लिए, जो किसान है या ईंट-भट्टों पर काम कर रहा है उसके लिए पोसिबल नहीं है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे 10 किलो का वज़न है, उसको एंजाइम का इंजेक्शन दिया जाता है उसमें एक महीने का खर्चा लगभग 5 लाख रुपया आता है। अगर उसका वज़न बढ़ता जाएगा तो उसका खर्चा भी बढ़ता जाता है। जैसे 60 किलो का व्यक्ति है तो उसका 30 लाख रुपया खर्चा बढ़ जाता है। ऐसे में वह गरीब आदमी दे नहीं सकता। इसको लेकर आपने काफी बार बैठक की है। एक तो आपने दिसम्बर में की है, उसके बाद आपने अभी सितम्बर में की थी। वे बैठकें लगातार आप कर रहे हैं, लेकिन उसका न तो संशोधन है, न आपकी एनएचएम की कमेटी है उसने अभी तक उसमें काम नहीं किया है, कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं चाहती हूं उन बच्चों को जो एलएसडी रोग से पीड़ित हैं उनको एंजाइम थिरैपी न मिलने के कारण जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मंत्रीजी के क्षेत्र चूरू में भी दो बच्चे हैं जो इस वक्त काफी सीरियस हैं। इनमें से 5 बच्चे मर चुके हैं, लेकिन उनको अच्छा इलाज नहीं मिल पा

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

रहा है, उनका कुछ हो नहीं पा रहा है। मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगी कि आप उनके लिए भी कुछ काम करें।

इसके अलावा हमारे बस्सी में यशोदाओं का मामला आपके पास बार-बार आया। पिछली बार भी मैं उन महिलाओं को आपके पास लेकर आयी थी। जो यशोदाएं हमारे बस्सी में हैं, आशा सहयोगिनी उन्हें छोड़ जाती हैं डिलीवरी वूमेन को, यशोदाएं जच्चा और बच्चा दोनों को संभालती हैं। वे हमारे यहां कम से कम 15-16 हैं जिसमें उनको 125 रुपया प्रति डिलीवरी दिया जाता है। वह 125 रुपया उन 16 में बंट जाता है जिसमें से 5 या 6 रुपया उनके हाथ में आता है। 3 दिन तक वे लगातार उनके साथ काम करती हैं उसके बाद उनके हाथ में 4-5 रुपये आते हैं। इसको देखते हुए भी आप उसका भी कुछ करें क्योंकि उससे बच्चों का पालन-पोषण नहीं हो पाता है। कई जिलों में फिक्स है, जैसे भरतपुर, दौसा, डूंगरपुर में 4500 रुपया आपने फिक्स कर रखा है उसी तर्ज पर आप इनके लिए भी करें। मेरी खासतौर से आपसे रिक्वैस्ट है, यह भी महिलाओं का मामला है, वे सिर्फ 5 रुपये के लिए काम कर रही हैं, डेली 5 रुपया उनको मिल रहा है। 125 रुपया उन सबको मिलता है तो प्रति यशोदा 125 रुपया आप कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी या जैसा भी आप उनके लिए उचित समझें, वह करिए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ा-सा क्षेत्र को लेकर मैं बोलना चाहती हूं, कुछ मेरी डिमाण्ड्स हैं। जैसे हमारे सीएचसी में मोर्चरी बिलकुल भी नहीं है। वहां पर ट्रौली या ट्रेक्टर में रखकर पोस्टमार्टम होते हैं, कपड़ा लगाकर वहां कर देते हैं। बिलकुल जयपुर के पास होते हुए ट्राली या ट्रैक्टर में पोस्टमार्टम हो रहा है और वहां आते-जाते बच्चे उन्हें देखते हैं तो यह बड़े दुःख की बात है। आप वहां एक मोर्चरी का इंतजाम जरूर करें।

बस्सी में 20-20 साल से डाक्टर लगे हुए हैं और उसकी वजह से उन्हें कोई डर नहीं है। वे होस्पिटल में कम रहते हैं, अपने प्राइवेट क्लीनिक ज्यादा चलाते हैं। वहां अल्ट्रासाउंड वगैरह की मशीन हैं, इक्विपमेंट्स हैं लेकिन वे उनका इस्तेमाल नहीं करते, उनको सलाह नहीं देते कि आप होस्पिटल में कराएं। वे प्राइवेट क्लीनिक के लिए लिखकर दे देते हैं क्योंकि प्राइवेट क्लीनिक से डाक्टर की कमीशन बंधी हुई होती है। यह भी मैं आपसे डिमाण्ड करूंगी कि अगर आप उन डाक्टर को, जो 20 साल से टिके हुए हैं उनको हटा देंगे तो जो प्राइवेट चल रहा है वह आटोमैटिकली हट जाएगा और लोगों को अच्छी राहत मिलेगी।

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

आपको याद होगा, बांसखो के लिए कई बार लोग मेरे साथ आपके पास आये हैं, वहां पीएचसी तो है, लेकिन भवन नहीं है। स्कूल के पास जमीनें पड़ी हुई हैं और खाली पड़ी हैं दो-दो, तीन-तीन जमीनें हैं जिनका कोई यूज नहीं है। अगर उनमें से एक जमीन पीएचसी के नाम आप करवा देंगे, आपने पता नहीं प्रयास किये या नहीं किये, कई बार आपके पास मैं आयी हूं। एक जमीन पीएचसी के नाम करा देंगे तो वहां पीएचसी का भवन भी बन जाएगा और अच्छे इक्विपमेंट्स डालकर अच्छे डाक्टर्स की व्यवस्था की जा सकती है। अभी वह उप स्वास्थ्य केन्द्र की तरह ही चल रहा है क्योंकि वहां फैसिलिटीज के लिए जगह ही नहीं है।

एक चीज जो बहुत जरूरी है, मेरे पास कल ही आयी थी, उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट, जो आशा सहयोगिनी अच्छी परफोर्मेंस देती हैं उनको इनाम के तौर पर जो स्टेट लेवल का होता है, एक लाख रुपया दिया जाता है। वह बस्सी के कानोता में दिया गया था अबकी बार। पिछले दो साल से लगातार उसको दिया जा रहा है, लेकिन वह पैसा उसको पर्सनली नहीं मिलता, वह पैसा मेडिकल के क्षेत्र में ही लगाया जाता है। मेडिकल में, जैसे वहां के पीएचसी का डाक्टर कुछ भी ला सकता है इलेक्ट्रोनिक सामान या कोई इक्विपमेंट ले आये या फर्नीचर ला सकता है। उसका जो बिल पास होता है वह सरपंच करता है, लेकिन उसको एक-एक साल, छह-छह महीने अटकाकर रखता है। पिछले साल का अब तक नहीं मिला और इस साल का तो पता नहीं कब मिलेगा। वहां सैक्रेटरी व सरपंच की कमीशन की प्राब्लम है। उसकी वजह से डाक्टर्स सामान तो खरीद लेते हैं और सामान खरीदने के बाद उनकी जेब से पैसा चला जाता है। सरपंच और सैक्रेटरी मिलकर उसे यह कहते रहते हैं कि अभी बिल पास नहीं हुआ, बिल पास नहीं हुआ। मैंने विभाग में जाकर पता किया तो उनका बिल पास हुए छह महीने हो गये, लेकिन सरपंच उसे अब तक इसलिए नहीं दे रहा, मैंने जब उससे बात की तो उसने कहा कि सैक्रेटरी कमीशन मांगता है। जब सैक्रेटरी से पूछा तो बोला, सरपंच नहीं देना चाहता। आपस में इस तरह से है। इसके लिए आप कुछ ऐसा इंतजाम करें कि इनके बिल पंचायत से कैश नहीं हो बल्कि आपको जो उचित लगे वह आप कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बहुत देर से यह सोच रही थी कि जब मैं बोलूं तो उपाध्यक्ष महोदय, आप सीट पर हों क्योंकि आप बहुत टाइम दे देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज मांग संख्या 26 पर वाद-विवाद पूरा होकर माननीय मंत्रीजी का जवाब आकर मांग पारित होने तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय मांग संख्या 26 के पारण तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया। श्रीमती सोना देवी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 पर विचार

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की बहुत ही इंपोर्टेंट डिमाण्ड संख्या 26 पर बोलने का मौका दिया, थैंक्यू सर। मैं हैल्थ मिनिस्टर साहब का ध्यान रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं क्योंकि रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में सीएचसी समेजा, जिसके अन्दर आबादी 50 हजार से अधिक है उसमें 5 डाक्टर के पद हैं जिसमें 4 पद रिक्त हैं। 13 कंपाउंडर के पद हैं जिसमें ग्यारह रिक्त है। एएनएम नहीं है, सूचना सहायक नहीं है, फोर्थ ग्रेड का कोई सहायक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कैसे चलेगा? मेरी मांग है मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं वे जोहड़ पायतन की भूमि पर बने हुए हैं। विडम्बना यह है और मैं नहीं जानती कि जोहड़ पायतन में कौनसी सरकार ने उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन बनाये, कौनसी सरकार ने बनाये, मुझे नहीं पता। लेकिन ये उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाकर गवर्नमेंट भूल ही गयी।

अब उन भवनों की मरम्मत इत्यादि के लिए किसी भी प्रकार की विकास योजना से कोई फण्ड मंजूर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये केन्द्र जोहड़ पायतन की भूमि पर बने हुए हैं। मेरे रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में जो है, मैं एग्जाम्पल के लिए सत्य बात कहूंगी और एग्जाम्पल भी दे सकती हूं कि कूंपली में, गोमावाली में भी, श्यामगढ़ में भी जोहड़ पायतन में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन बने हुए हैं और वो जर्जर हालत में है, उनकी मरम्मत

(श्रीमती सोनादेवी)

आवश्यक है और चारदीवारी के निर्माण के लिए भी मैं आग्रह करना चाहती हूं। उक्त कार्यों हेतु मेरे द्वारा जो विधायक स्थानीय विकास निधि से राशि मंजूर की गई थी लेकिन जिला परिषद द्वारा जोहड़पायतन की भूमि पर उक्त केन्द्र आने के कारण यह राशि मंजूर नहीं की जा सकने का हवाला दिया गया। इसी कारण बीएडीपी योजना में भी राशि मंजूर नहीं की जा सकती। इसलिए माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगी कि आप इनका सर्वे करवाकर ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र भवन जो जोहड़पायतन की भूमि पर बने हुए हैं उन्हें जोहड़पायतन से मुक्त करवाने बाबत् कार्यवाही करवायें ताकि यहां पर कुछ सुधार किया जा सके।

इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य में रेडियोलाजिस्ट का पद खाली है और काफी समय से रिक्त पड़ा है। मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना यहां औंधे मुंह पड़ी है और यहां जननी एक्सप्रेस की कोई सुविधा नहीं है। केवल मात्र 108 एम्बुलेंस है वो भी नकारा पड़ी है। 108 एम्बुलेंस है उसकी स्थिति क्या बताऊं कि जब भी कोई दुर्घटना होती है और जब वो 108 एम्बुलेंस उनको लेने जाती है तो बीच रास्ते में वो अटक जाती है जिससे घसीट कर उसका इलाज करें या जो दुर्घटनाग्रस्त लोग-बाग़ हुए हैं उनका इलाज करें। ऐसी स्थिति रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र की है। वहां पर जब भी कोई एम्बुलेंस जननी को लेने जाती है तो फीमेल नर्स स्टाफ साथ नहीं जाती है, वहां मेल जाता है तो मेरा माननीय मंत्रीजी से विशेषकर निवेदन है कि 108 एम्बुलेंस जननी को लेने जाये तब उसमें फीमेल नर्स साथ होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से यह भी कहना चाहूंगी कि पहले आप सभी विधान सभा क्षेत्र मुख्यालयों में चिकित्सा सुविधा पूर्ण करवा दें। रायसिंहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कई पद रिक्त पड़े हैं। वहां पर महिला रोग विशेषज्ञ, आर्थो चिकित्सक के पद स्वीकृत नहीं है। विधान सभा के चतुर्थ सत्र में तारांकित प्रश्न संख्या 1917 दिनांक 06.04.2015 के माध्यम से मैंने रिक्त पदों को भरने की सूचना चाही थी जिस पर माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने शीघ्र ही पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण के माध्यम से पदों को भरने का आश्वासन दिया था परन्तु आज छठे सत्र की समाप्ति होने को है और एक वर्ष बीत जाने के बाद भी सीएचसी में पदों को नहीं भरा गया है। यदि विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक

(श्रीमती सोनादेवी)

स्वास्थ्य केन्द्रों का यही हाल रहा तो प्रदेश के अन्य दूरस्थ स्थानों पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का क्या हाल होगा। इसी के साथ, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री धनसिंहजी।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा): धन्यवाद माननीय उपाध्यक्षजी आपने मांग संख्या 26 पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले इस बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए हमारी राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी और आदरणीय राठौड़ ने जो बजट रखा, प्रावधान रखा उसके लिए उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं। आप लोगों ने उप स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर मेडिकल कालेज और उससे ऊपर हमारे स्वास्थ्य के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनके लिए और जो बजट में 8 हजार 742 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है यह राजस्थान की जनता की खुशहाली का प्रतीक है।

मैं राठौड़ साहब को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आप जैसे ही इस विभाग के मंत्री बने तो पूरा राजस्थान एक्टिव हो गया। आप स्मार्ट और एक्टिव हो तो आपका विभाग भी बहुत एक्टिव है और इस नाते आपने बहुत कुछ अच्छे काम किये हैं। समय के अभाव में मैं आपकी प्रशंसा करते हुए, आपका सम्मान करते हुए मैं मेरे जिले और मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में अपनी बात कहना चाहूंगा। बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर महात्मा गांधी चिकित्सालय स्थित है उसमें राठौड़ साहब, 7 वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद स्वीकृत हैं जिनमें आर्थोपेडिक, रेडियोलोजिस्ट, पैथोलोजिस्ट, मेडिसिन, सर्जरी, आई और पीडियाट्रिक हैं और ये सातों पद रिक्त हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि वरिष्ठ विशेषज्ञ के जो पद हैं उनको भरा जाए। वरिष्ठ विशेषज्ञों के साथ ही वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 6 पद हैं जिनमें से 3 पद खाली हैं, कनिष्ठ विशेषज्ञ के 19 पद हैं जिनमें से 5 पद खाली हैं, चिकित्सा अधिकारी के 39 पद हैं जिनमें से 22 पद खाली हैं। बांसवाड़ा चिकित्सालय में 300 बैड स्वीकृत हैं और अभी 366 बैड चल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आपका वहां पर पधारना हुआ था तब माननीय मंत्री महोदय ने हमको आश्वस्त किया था कि मैं 40 बैड इस हास्पिटल में स्वीकृत करूंगा। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने जो वायदा किया था उसे आप पूरा करेंगे और महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा में 300 के बजाय 400 बैड करने का प्रयास करेंगे क्योंकि बांसवाड़ा का आउटडोर 1000 से

(श्री धनसिंह रावत)

1200 के लगभग रोज का है और उनमें से 125-150 के लगभग मरीज भर्ती होते हैं इसलिए बैड भी बढायें और डाक्टरों की पूर्ति भी की जाए।

बांसवाड़ा नगर में तीन अरबन पीएचसी हैं और पांच डिस्पेंसरी हैं। एक डिस्पेंसरी कांग्रेस के राज में जाते-जाते उन्होंने मुसलिम कालोनी में खोल दी थी जो कागजों में ही स्वीकृत थी। वहां पर न डाक्टर है, न स्टाफ है, न भवन है और मात्र कागजों में ही है। हम चाहते हैं कि उसके लिए स्टाफ दें और उसको भी चालू किया जाए।

ग्रामीण क्षेत्र में तीन सीएचसी हैं व 7 पीएचसी हैं उनमें से 3 पीएचसी में डाक्टरों के पद रिक्त हैं। कुल मिलाकर बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में 6 कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद खाली हैं तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का एक पद रिक्त है। इसके अलावा महात्मा गांधी चिकित्सालय में एमसीएच विंग बन चुकी है और 10-15 दिन में विभाग उनको हैंडओवर करेगा इसलिए उसके लिए पद स्वीकृत किये जाएं और उसको चालू भी किया जाए।

वर्तमान में बांसवाड़ा जिले में सी.टी. स्कैन की मशीन खराब है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उस मशीन को ठीक कराया जाए या नई मशीन उपलब्ध करायी जाए। टेलीमेडिसिन योजना, जो पूर्व की अपनी सरकार ने चालू की थी वह कांग्रेस के आने के बाद से बन्द पड़ी है जिसे पुन: चालू किया जाए तो बांसवाड़ा जिले के गरीब मरीजों को सीनियर डाक्टरों की राय के हिसाब से इलाज की सुविधा मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में महात्मा गांधी चिकित्सालय पर बहुत भार है और उस भार को कम करने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के अलावा गढ़ी विधान सभा क्षेत्र का प्रतापपुर कस्बा है जहां पर सीएचसी है। वो सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है और चार पंचायत समितियों का केन्द्र बिन्दु है इसलिए मैं चाहता हूं कि उस सीएचसी में जो वर्तमान में 50 बैड हैं, उनको बढ़ाकर 100 बैड का किया जाए तो बांसवाड़ा चिकित्सालय को कुछ सुविधा, राहत मिलेगी और उसका भार कम होगा।

साथ ही बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से कम से कम 80 किलोमीटर की दूरी पर कुशलगढ़ उपखण्ड मुख्यालय है जो गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से लगता हुआ है। वहां पर डाक्टर के पद रिक्त हैं। हम चाहते हैं, मांग करते

(श्री धनसिंह रावत)

हैं कि आजादी से लेकर आज तक वहां पर गायनिक का डाक्टर नहीं पहुंचा है और महिला चिकित्सक का तो नाम ही नहीं है इसलिए मैं मांग करूंगा कि कुशलगढ़ के अन्दर जो कम से कम जो प्रमुख पदों की आवश्यकता है उन डाक्टर की आप व्यवस्था करायेंगे तो अच्छा रहेगा। कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत बड़ी सरवा तथा ग्राम पंचायत खजूरा में पीएचसी खोलना जरूरी है क्योंकि दूर-दराज का इलाका है, ग्रामीण इलाका है और इस ग्रामीण इलाके में आप चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेंगे तो हमारी जनता आपकी ऋणी रहेगी।

हमारे बांसवाड़ा जिले में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों और स्टाफ के अलावा हमारे यहां पीएचसी, स्वास्थ्य केन्द्रों की बिल्डिंग की भी आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीजी से मैं आपके माध्यम से रिक्वैस्ट करूंगा कि बांसवाड़ा जिले में कुल 53 पीएचसी और 21 सीएचसी हैं। भवन रहित 3 सीएचसी भोड़ीकामा, अरथूना और सुराणिया में है और पीएचसी 19 हैं जहां भवन की राशि स्वीकृत कर भवन बनाने की आवश्यकता है। सब-सेंटर भवन रहित 130 हैं जिनमें से 50 की स्वीकृति आपने प्रदान की है और 80 सब-सेंटर भवनों की स्वीकृति अभी बाकी है। बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में माही डैम, झूपेल, सियापुर और सालिया पीएचसी हैं जिनके भवन के लिए भी राशि स्वीकृत करना बाकी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बांसवाड़ा जिले की जो समस्या है उस समस्या का समाधान आप करेंगे। साथ ही हमारे जिले में एक प्राब्लम यह है कि डायरेक्टर, निदेशालय के आदेश क्रमांक 318 दिनांक 6 मार्च, 2014, जिसके द्वारा नर्सिंग संवर्ग के 6851 में से बांसवाड़ा में 191 पद स्वीकृत हुए थे। जिसका बजट मद आबंटित नहीं किया गया है, जिससे उनको वेतन देने में कठिनाई आएगी। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि 191 पद जो स्वीकृत हैं, उनके लिए बजट मद आबंटन करने का श्रम करायें।

एक बार पुन: सम्पूर्ण सदन का ध्यान रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूं, इससे पहले हमारे माननीय मंत्री महोदय का और राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं। जय भारत।

(19.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: श्री छोटू सिंह जी।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-26, चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सात करोड़ जनता के लिए विशेषकर यदि महत्व देखा जाये तो चिकित्सा एक ऐसा विषय है जिससे आमजन स्वस्थ और सुखी रह सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी आपस में चर्चाएं हुईं। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस बजट में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना चालू की गई है। यह बहुत महत्व रखती है और इस बजट के अन्दर 1,715 पैकेज अनुमत किये गये हैं। साथ ही 432 राजकीय चिकित्सालय और 423 निजी चिकित्सालयों को भी जोड़ा गया है। यह इस बजट में माननीय हमारी सरकार की मुखिया द्वारा बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और धन्यवाद योग्य है। स्वास्थ्य के अन्दर आपने प्रदेश में कई स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत किया है, सेवाओं की संख्या भी बढ़ाई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी खोले हैं। विशेषकर मेरे जिले में जो सुल्ताना और चेलक पीएचसी की आपने घोषणा की, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। चिकित्सा के अन्दर सुदृढ़ीकरण के लिए भी 1,700 करोड़ रुपये का प्रावधान लिया है, उससे हमारे प्रदेश के सभी चिकित्सा केन्द्र हैं, उसमें सुदृढ़ता आएगी। साथ ही दंत चिकित्सा चेयर, बैड्स और गद्दे के लिए करोड़ों का बजट इसमें आपने लिया है। वह भी स्वागत योग्य है।

माननीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, डाक्टर्स की 60 से 62 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई है। यह यदि पूर्ववर्ती सरकार के समय बढ़ जाती, तो आज समस्या नहीं रहती, लेकिन सोच नहीं था।

माननीय डोटासरा साहब कह रहे थे कि मेरे क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में सात पीएचसी की घोषणा हो गईं, दो सीएचसी की हो गई। हम भी विपक्ष में थे। हमने भी खूब मांग की। डोटासराजी ने तो खाली धन्यवाद दिया था। यदि धन्यवाद देने से इतना लाभ मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। हमारे तो एक भी पीएचसी की घोषणा नहीं हुई।

2008 में पूर्ववर्ती सरकार हमारी बीजेपी की थी, तब आदरणीय हमारे मंत्री राजवी साहब ने ट्रोमा, बर्न और मनोविज्ञान के तीन अस्पतालों का उद् घाटन किया था। पांच वर्ष तक लगातार हम बोलते रहे, एक भी डाक्टर नहीं आया। और डाक्टर आज भी नहीं है। माननीय मंत्रीजी ने 36 डाक्टर्स का हमारे यहां अपाइंटमेंट भी किया। अहोभाग्य हमारा कि डाक्टर आये। जैसलमेर

(श्री छोटू सिंह)

क्षेत्र में माइनिंग खूब है, सोलर और पवन ऊर्जा के लिए विशेषकर केन्द्र बना हुआ है। आये दिन एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा। कैसे भी हो, जैसलमेर के भूभाग को देखते हुए, दूरियों को देखते हुए, किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो 300 किलोमीटर दूर जोधपुर पड़ता है और दूरियों के अन्दर कोई भी मरीज को ले जाना खतरे से खाली नहीं है। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के समय में जो उद्‌घाटन ट्रोमा और बर्न यूनिट का हुआ था, उसे अब चालू किया जाये जिससे कि वहां की जनता को यह लाभ मिल सके।

माननीय मुखिया की सोच से, हमारे मुख्य मंत्रीजी की सोच से एमबीबीएस की सीट्स को बढ़ाकर डेढ़ गुना किया है, उससे भी आने वाले समय में हमारी जनता को इसका लाभ मिलेगा। यह अच्छा काम हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी से, 20 किलोमीटर का क्षेत्र माना जाता है, वहां पर कोई न कोई उप स्वास्थ्य केन्द्र या स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए। जैसलमेर भूभाग के बारे में जैसा हमारे आदरणीय पूर्व वक्ता शैतानसिंहजी ने भी कहा है और मैं भी यही निवेदन करना चाहता हूं, जिस हिसाब से क्षेत्रफल है, आजकल बीमारियां इस पानी के अन्दर, खाद्य पदार्थों के अन्दर बहुत सारी हो गई हैं। चाहे डिलीवरी केस हो, चाहे बच्चों का टीका हो, जैसलमेर एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी दूरी कोई भी उप स्वास्थ्य केन्द्र की 50-60 किलोमीटर से ज्यादा होती है। मैं चाहता हूं कि जैसलमेर को चिकित्सा के मामले में विशेष पैकेज दिया जाये, चाहे वह ढाणी हो, चाहे वह गांव हो, जनसंख्या का अनुपात न मानकर दूरी के हिसाब से माना जाये ताकि वहां की जनता को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। मेरा आपसे यही निवेदन है विशेषकर ज्यादा न बोलते हुए, जैसलमेर भूभाग को देखते हुए, जनसंख्या का घनत्व कम है। हम चाहते हैं कि उस भूभाग के हिसाब से, आमजन को कैसे अच्छा इलाज मिले, इसके लिए उप स्वास्थ्य केन्द्र की घोषणा बजट में की जाये।

वहां पर वैसे पीएचसी की बहुत कम संख्या है। आपने दो दी हैं। एक बहुत बड़ा गांव है, मैंने पहले भी कहा था, बडोडा गांव, जिसकी जनसंख्या भी हमारे पूरे जिले में सबसे ज्यादा है। वहां पीएचसी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, बडोडा गांव जो मैंने भी आदर्श गांव में लिया है, वह आदर्श पंचायत भी है, पंचायत मुख्यालय भी है। मैं चाहता हूं बडोडा गांव

(श्री छोटू सिंह)

में पीएचसी की घोषणा इस बजट में आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी करवाना चाहेंगे।

मेरा निवेदन यही है कि एक सीएमएचओ का पद भी है, वह डाक्टर है, पीएमओ का पद है, वह भी डाक्टर है। मेरा निवेदन है, दूसरे जिलों की तो मैं नहीं बात करता हूं, मेरे जिले की बात कर रहा हूं। ये दो पद डाक्टर के हैं। यदि इस जगह प्रशासनिक अधिकारी लगाया जाये। व्यवस्था ही तो करनी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि उनको पर्ची तो लिखनी नहीं है कि उनको ये मेडिसिन देनी है। यही आदेश देना कि इस डाक्टर को यहां लगाना है, इसको यहां लगाना है, दूसरी जगह वहां व्यवस्था करनी है, तो इसके लिए पूरा सदन है। मैं चाहता हूं प्रशासनिक अधिकारी को यदि लगा दिया जाये तो डाक्टर अपने को और मिल सकते हैं। इसलिए आमजन को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पर्ची लिखने वाला मिलेगा।

मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्रीजी को कि आपने बहुत कोशिश की, जैसलमेर में डाक्टर कम होने के बावजूद भी आपने मोबाइल टीमें हमारे यहां भेजीं। आमजन तक चाहे टीकाकरण का हो, चाहे दूसरी कोई बीमारी का हो। हम मानते हैं कि हमें मिला। फिर भी जो लाभ दूसरे जिलों की तरह मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। इससे थोड़ा सा यूं मन में होता है कि हम भी इसी राजस्थान के रहने वाले हैं। हमें यह व्यवस्था क्यों नहीं मिल रही है।

मैं चाहता हूं बडोडा गांव एक ऐसा बड़ा गांव है, वहां कई शहीद भी हुए हैं और शहीद के नाम से हास्पिटल की यदि घोषणा हो जाये और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सर्विस में लोग भी हैं। आज भी आमजन की सेवा करते हैं। वहां न तो सड़क की पूर्णत: व्यवस्था है, न मेडिकल की व्यवस्था है, न ही कोई बड़ी बैंक है। वह आदर्श गांव है। आपके मुख से हास्पिटल की, पीएचसी की घोषणा हो जाये तो अच्छा काम है।

बजट अच्छा आया है। इस हिसाब से यदि मिलेगा और जो घोषणाएं आपके बजट में की हुई हैं, इससे आमजन को, आम सात करोड़ जनता को इसका लाभ मिलेगा। इन्हीं आशाओं के साथ, आपने अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कंवर लाल।

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मांग

(श्री कंवर लाल)

संख्या-26 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आज इस पवित्र सदन में ऐसे विषय पर चर्चा के लिए मुझे बोलने का मौका दिया है जो आमजन के स्वास्थ्य से, हम सबसे जुड़ा हुआ एक हृदय को छूने वाला विषय है। डाक्टर जब ट्रेनिंग लेकर आता है और उसकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वह शपथ लेता है। शपथ में यह बात आती है कि किसी मरीज के बीमार होने पर उसको बचाने की शपथ लेता है, ठीक करने की पूरी-पूरी कोशिश करता है। हम सारे सदस्य भामाशाह बीमा योजना के बारे में अच्छी जानकारी रखकर, राजस्थान में अभी जितनी भी सीएचसी, पीएचसी और मेडिकल कालेज हैं, इन संसाधनों से हम अच्छा लाभ सीएचसी, पीएचसी को दिला सकते हैं।

मैं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभ के बारे में मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस स्वास्थ्य बीमा योजना में जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो खाद्य सुरक्षा में लाभार्थी हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को गेहूं मिलता है और उसी व्यक्ति को भामाशाह में लाभ के लिए नामांकित किया है। जिनको लाभ मिलता है उसको गेहूं नहीं मिलता है और इसलिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता है तो प्राइवेट अस्पताल वाले उसको लाभ देने से मना करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये साफ्टवेयर प्रत्येक सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए और अस्पताल वालों को निर्देश दिया जाए कि जो लाभार्थी हैं उस लिस्ट में नाम हैं अगर उसको गेहूं नहीं मिलता है तो उस मरीज को मना नहीं किया जाए और उसका इलाज किया जाए। इस साफ्टवेयर के माध्यम से हम सब लोगों को यह पता लगे कि ये लाभार्थी हैं और ये नहीं हैं।

मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इस योजना में श्रमिक कार्ड को भी जोड़ा है। इससे श्रमिक कार्डों वालों को भी भामाशाह योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ-साथ अगर उसकी डिलिवरी होती है और अगर बच्चा होता है तो बीस हजार रुपए और अगर बच्ची होती है तो इक्कीस हजार रुपये का लाभ आपने देने का प्रावधान किया है इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुछ त्रुटियां भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में हैं और आपसे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है इस सॉफ्टवेयर को धीरे-धीरे और अच्छा करेंगे। मरीज

(श्री कंवर लाल)

को भर्ती करने के बाद प्राइवेट अस्पताल वालों की यह शिकायत आती है प्रत्येक दिन उसकी छुट्टी की जाए और फिर वापस भर्ती किया जाए। तो जितने दिन में मरीज भर्ती होता है और जितने दिन में मरीज ठीक होता है उस पैकेज को जितने दिन भर्ती रहता है उसमें कन्वर्ट किया जाए ताकि बार-बार अस्पताल वालों को यह प्राब्लम नहीं आये।

इस स्वास्थ्य बीमा योजना से वास्तव में गरीब आदमी को लाभ मिलता है और मैंने एक दो हार्ट के आपरेशन इस योजना के तहत महात्मा गांधी और निम्स अस्पताल में कराए हैं और जिन मरीजों को इसमें लाभ मिला है वो वास्तव में खुश होकर गये हैं। इस स्वास्थ्य योजना में अगर सारे सदस्य रुचि लेकर अच्छे मन के साथ मरीजों की मदद करेंगे तो हण्ड्रेड परसेंट प्राइवेट अस्पताल वाले भी हम सब लोगों के दबाव में, हम सब लोगों को प्यार और विश्वास में आकर वह भी इस योजना को आगे बढ़ाने में हमारी पूरी मदद करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले को 38 करोड़ रुपए का पीजी हास्टल, माड्यूलर आपरेशन थिएटर बनाने के लिए इन्होंने दिया है। झालावाड़ मेडिकल कालेज सम्माननीय वसुंधरा जी का जो सपना है उसको और आगे बढ़ाने के लिए आपने मदद की है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में सीएचसी बीच नगर में आती है, रास्ते बहुत पुराने हैं उनमें जाने की जगह नहीं होती है। इमरजेंसी में मरीज आता है तो अस्पताल में पहुंचने में टाइम लगता है। मनोहरथाना शहर में जो सीएचसी है उसको अन्य जगह पर शिफ्ट करना है, वहां पट्टा मिल चुका है इसके लिए आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। अकलेरा क्षेत्र जो कि एनएच-12 पर है और यहां पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं इसलिए यहां पर ट्रोमा यूनिट की सख्त आवश्यकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमें यहां एक ट्रोमा यूनिट देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि झालावाड़ जिला हाई-रिस्क डिस्ट्रिक्ट नहीं है। यह मध्य प्रदेश सीमा से लगा हुआ जिला है और हमारे यहां दूर-दराज में डाक्टर नहीं मिलते हैं। आपसे निवेदन है कि इसको हाई-रिस्क डिस्ट्रिक्ट घोषित किया जाए।

प्राइवेट अस्पतालों में माननीय कांग्रेस के सदस्यों ने कुछ आरोप

(श्री कंवर लाल)

लगाए हैं कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में भर्ती करके और बहुत सारी अनाप-शनाप जांचें कराई जाती हैं और मरीज को वेंटीलेटर पर रखा जाता है। मैं उन सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में अगर सामान्य बीमारी में मरीज भर्ती होता है तो उसको 750 रुपए का पैकेज है और न तो उसमें जांच का लिया जाता है, न ही कोई एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हैं। अगर कोई सीरियस मरीज हैं तो उसको आईसीयू में भर्ती में किया जाता है तो मात्र 1500 रुपए प्रति दिन के हिसाब से पैसा लिया जाता है। आप 1500 रुपए में चाहे जांच कराएं, चाहे आप वेंटीलेटर पर रखो तो मैं सोचता हूं कि प्राइवेट अस्पताल द्वारा जान-बूझकर मरीज को वेंटीलेटर पर नहीं रख सकते। जो आवश्यकता होती है, जो वह शपथ लेता है उसको बार-बार वह शपथ याद आती है। इसलिए आप बिना जानकारी के कोई आरोप नहीं लगाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आपने चलाया है। इसमें जो गरीब संवर्ग के बच्चे हैं जीरो से 18 साल तक के बच्चों को आपने कैंप लगाकर, ढूंढकर उनको चिह्नित करके बड़े-बड़े अस्पतालों में उनके हृदय जैसे गम्भीर रोगों का इलाज किया है। यह योजना वास्तव में दिल को छूने वाली योजना है। अगर हम सब सारे सदस्य इसमें रुचि लेकर इन बच्चों को खोजने में, ढूंढने में, चिह्नित करने में मदद करें तो इन गरीब बच्चों का समय पर इलाज हो जाता है। इस योजना के लिए मैं सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

अभी कुछ सदस्यों ने यहां कहा है कि प्रत्येक सीएचसी पर जो एमआरएस कमेटी होती है उसको मजबूत किया जाए। मैं सारे सदस्यों से निवेदन और अपील करना चाहता हूं कि इस स्वास्थ्य बीमा योजना में जितने भी सीएचसी पर हमारे काम होते हैं अगर ये सारे उसमें नामांकित हो जाएं, उस साफ्टवेयर में अपलोड़ हो जाएं और उनका पैसा अगर इस एमआरएस में आ जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह जो एमआरएस कमेटी है यह बहुत पैसे वाली कमेटी हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी। इस हमारी सीएचसी से आराम से छोटे-मोटे काम कर सकते हैं, उससे छोटी-मोटी मशीनें ला सकते हैं, उसमें रंग-रोंगन का काम कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सीएचसी पर जितनी भी डिलिवरी हो रही हैं इसमें अच्छा पैकेज मिलता है, लेकिन वहां जो भामाशाह कर्मी बैठा है वह

(श्री कंवर लाल)

इसको रिकार्ड नहीं करता है। उनसे पूरे कागज नहीं मंगाता है, उसे अपलोड नहीं करता है तो हमारी सीएचसी पर ये पैसे अभी आ नहीं रहे हैं और जो इंश्योरेंस कंपनी है वह चाहती है कि प्रत्येक अस्पताल इसमें कोई न कोई कमी रखे, कोई न कोई गड़बड़ी करें ताकि उनको वह पैसा नहीं देना पड़े। इसलिए इसमें सारे माननीय सदस्यों के साथ और विभागीय अधिकारियों के साथ भी एक वर्क-शाप रखें। सीएचसी, पीएचसी और मेडिकल कालेज पर जितने भी काम होते हैं अगर वह स्वास्थ्य बीमा योजना का सारा पैसा एमआरएस कमेटी को मिल जाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी कमेटी में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। छोटी सी पीएचसी पर भी कम से कम दस डिलिवरी प्रतिदिन होती है, 2500 रुपये या 3500 रुपये का पैकेज है और अच्छा पैकेज पर-डे मिल सकता है। अगर सामान्य बीमारी होती है तो उसका भी पैकेज है और छोटे-मोटे आपरेशन अगर होते हैं उनका भी पैकेज है और करीब 70 परसेंट लोगों का इस स्वास्थ्य बीमा योजना में नाम है। इससे जो यह हमारी एमआरएस कमेटी है यह मजबूत होगी। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय ने घंटी बजा दी है, मैं मेरी एक दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बीएससी नर्सिंग जो कर्मी है उनको दो वर्ष का एक रूरल डाक्टर की ट्रेनिंग कराकर एमसीआई ने भी एक लैटर जारी किया है। इसलिए मैं आपके ध्यान में लैटर की बात करके बीएससी नर्सिंग वालों को दो साल रूरल में डाक्टर की ट्रेनिंग कराकर उनको प्रैक्टिस करने का अधिकार अगर उनको दिया जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र में ये बीएससी नर्सिंग कर्मी डाक्टर बनकर वहां सेवा दे सकेंगे। इसके साथ ही आयुर्वेद नर्स को भी एलोपैथी नर्स के बराबर वेतन दिया जाए। क्योंकि इनके बराबर ही इन्होंने ट्रेनिंग की है और उनके बराबर ये भी गांवों में काम करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय को एक सुझाव है कि सीएचसी अकलेरा में हमने एक प्रयोग किया है। प्राइवेट डाक्टर आर्थोपेडिक सर्जन और सामान्य सर्जन से भामाशाह योजना में काम करने के लिए उसे 80 परसेंट पैसे की बात करके उसको सीएचसी में काम करने के लिए निवेदन किया। उन्होंने वहां काम करना शुरू किया है जो पैसा भामाशाह योजना में आएगा उसका 80 परसेंट उनके पास रहेगा और 20 परसेंट एमआरएस की कमेटी में जमा करेंगे। डाक्टर सारा स्टाफ वो करेगा

(श्री कंवर लाल)

हमारी केवल सीएचसी की बिल्डिंग रहेगी। इस माध्यम से लगभग बहुत अच्छा काम हुआ है और हमारे आर्थोपेडिक सर्जन और सर्जन सीएचसी को मिला है। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि प्राइवेट डाक्टर से अगर आप बात करोगे तो वो ऐसे काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे और प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले डाक्टर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में अगर जुड़ जाएंगे तो हमें डाक्टर्स की कमी की पूर्ति होगी। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मास्टर मामन सिंह।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पुनर्विचार करते हुए बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण क्षमा प्रार्थी हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राठौड़ साहब ने सबको तैयारी करायी है। (व्यवधान) सबको तैयारी आपने करायी है आज।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-26 पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

चिकित्सा में सभी माननीय सदस्यों ने काफी सरकार की उपलब्धियां और पूर्व सरकार की कमियां और आंकड़े प्रस्तुत कर दिये, तो मैं ज्यादा लम्बी बातों में न जाते हुए संक्षेप में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मंत्री महोदय का। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व सरकार के चिकित्सा मंत्री +++ जो थे, उस क्षेत्र से उनको जनता के द्वारा परास्त करके यहां पर मुझे अवसर मिला है। पूर्व कांग्रेस सरकार की नकारात्मक उपलब्धियां इसी बात से सामने आ जाती है कि +++ चिकित्सा मंत्री ने इस विभाग का, चिकित्सा विभाग जो इतना संवेदनशील विभाग है जो पूरी जनता के जीवन से जुड़ा हुआ है, उसका भट्ठा बैठा दिया था। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि कहीं डाक्टर नहीं, एएनएम नहीं, दवाइयां नहीं और ऐसे-ऐसे उदाहरण मैं आपको बताऊं, अखबारों में भी आया था कि जब उन्होंने एंबुलेंस चलायी हास्पिटल्स पर तो उनमें भी असामाजिक तत्व जो आवारा लड़के थे और एक ही वर्ग विशेष से पक्षपातपूर्ण तरीके से उनकी भर्तियां की गईं । उसके साथ-साथ आनन-फानन में चुनाव जीतने के लिए और जगह-जगह जहां अनावश्यक रूप से बजट था नहीं एक

(मास्टर मामन सिंह यादव)

अठन्नी भी इनके पास, लेकिन इन्होंने जगह-जगह पर पीएचसी उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये।

अभी मैं हमारे माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे बिगड़े हुए ढर्रे को जो बिलकुल ही जमीन के नीचे डाल दिया था, चिकित्सा व्यवस्था ही नहीं थी उसको सुधारते हुए कुशल नेतृत्व और कुशल प्रबंधन और इनकी सूझबूझ से और माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच और आशीर्वाद के कारण आज धरातल पर लाकर उसको पटरी पर लाया गया। डाक्टर ही नहीं थे, दस हजार के करीब पोस्टें खाली पड़ी हुई थीं, जिनको हमारे माननीय मंत्री महोदय ने भरने का काम किया। आयुर्वेद विभाग में तो लगभग पूरी पोस्टें भर दीं। आयुर्वेद विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें न कोई साइड इफेक्ट और सभी वैद्यों की एक साथ भर्ती करके एकमुश्त उनकी सबकी पूर्ति कर दी। इसी तरह से एएनएम, जीएनएम और सभी की कितनी भर्तियां की हैं। दस-पन्द्रह सालों से जो सात-आठ हजार पर महिलाएं और पुरुष भी जो बेरोजगार थे, नौकरी करते थे और उनका बिलकुल भी लालन-पालन नहीं होता था, उनको स्थायी करके सराहनीय कार्य किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री नि:शुल्क योजना में दोगुनी-तीन गुनी से ज्यादा वृद्धि की है। हमारे कांग्रेस के भाई-बहन यह कहते हैं कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क योजना बंद कर दी। आप सब यहां पर हो। किसी भी अस्पताल में जाइये वो उसी तरह चल रहा है बल्कि कांग्रेस सरकार जो थी उससे दोगुना-तीन गुना ज्यादा पैसा दवाइयों के लिए जा रहा है। तो जो व्यवस्था थी उनकी, क्योंकि जो भी जिस भी विभाग का मुखिया होता है, जैसे पूरे राजस्थान की मुखिया हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पहले माननीय गहलोत जी थे तो मुखिया पर निर्भर करता है तो यह चिकित्सा विभाग का जो हश्र हुआ, जिसका सही संचालन करने के लिए, पटरी पर लाने के लिए माननीय मंत्री महोदय को इतनी ज्यादा कसरत करनी पड़ी, इतनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ी, ऐसा कुप्रबंधन किया था +++ कि वह असफल मंत्री थे। उसका उदाहरण सामने है सबके। अगर वो अच्छे होते, कोई अच्छे कार्य किये होते उन्होंने तो उनका इतने बड़े मंत्री होते हुए भी जो राजा नवाब भी थे, उनका यह हश्र नहीं होता। जनता ने उनको बिलकुल नकार दिया चालीस हजार मतों से। क्यों नकारा? अव्यवस्था के कारण। मेरे यहां उनका काम क्या था? उनका काम अस्पतालों से नहीं, डाक्टर लगाने से नहीं, दवाइयों की व्यवस्था से

(मास्टर मामन सिंह यादव)

नहीं, उनका काम अपराधियों को संरक्षण देना, गुंडा तत्वों को भर्ती करना और अव्यवस्था फैलाना, अराजकता फैलाना उस क्षेत्र में। वे खुद तो मरे ही मरे लेकिन हमारे कांग्रेस के माननीय भाई-बहन जो थे उनको सबको ले बैठे, क्योंकि वो उनकी हवा थी। दवाइयां, अस्पताल, डाक्टर यह बहुत जरूरी है। जब जनता को इस तरह की सुविधा नहीं मिलती है, पानी, स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, तो ये सारा करने के बाद इसलिए उनका ह्रास हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने तिजारा की ही बात करूंगा क्योंकि समय भी कम मिलेगा मुझे। तो मेरे यहां ऐसा सौतेला व्यवहार पूर्व माननीय मंत्री महोदय ने किया था कि जहां आवश्यकता नहीं थी वहां पर पीएचसी खोल दी, सीएचसी खोल दी, उप केन्द्र खोल दिया, लेकिन केवल वोटों की राजनीति के लिए एक ही वर्ग विशेष के यहां। अभी हमारे प्रभारी माननीय मंत्री महोदय हेम सिंह जी भडाना उपस्थित हैं यहां पर, एक इन्दोर गांव है वह बिलकुल सबके बीच में पहाड़ों में दूरदराज का गांव है उस गांव में केवल इसलिए पीएचसी नहीं खोली गयी कि वो कभी कांग्रेस को वोट नहीं देता और दूसरे वर्ग के हैं। इसी तरह से गोठड़ा जो किशनगढ़ और तिजारा की सीमा पर पड़ता है बहुत-बड़ी पंचायत है, बहुत-बड़ा गांव है, लेकिन वह भी इसीलिए केवल मात्र नहीं खोला कि वह दूसरे वर्ग का है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से ही वोट मिलते हैं कांग्रेस को कभी नहीं मिलते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी आदर्श ग्राम पंचायत में भी ले रखा है, वहां पर पीएचसी नहीं खोली। अब हमारे माननीय मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये चार-पांच जो उपेक्षित गांव थे उनके अन्दर पीएचसी खोल करके और पूरा बजट एक करोड़ तिरेसठ-तिरेसठ लाख रुपये का उन्होंने दिया, कुल 6 करोड़ 65 लाख रुपये दिये और जो भवन चालू हो गये, उद्‌घाटन हो गया उसके लिए माननीय मंत्री महोदय को मैं बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरे तिजारा में मंत्री महोदय ने नर्सिंग कालेज दिया जिसके पांच करोड़ भी हाथों हाथ स्वीकृत कर दिये, यह काम करने का तरीका है। मेरे यहां नर्सिंग कालेज के आदेश किये। मंत्री महोदय से मैंने उनके निवास पर निवेदन किया कि मेरे यहां एक नर्सिंग कालेज खोल दो। इन्होंने तुरन्त कार्य कर दिया और हाथों हाथ पांच करोड रुपये और दिये जिसका अभी शिलान्यास होने वाला है, टेंडर प्रक्रिया है। +++ ने क्या किया, उन्होंने खोल दिये और कहीं कोई व्यवस्था नहीं। न डाक्टर था,

(मास्टर मामन सिंह यादव)

न एएनएम थी, न बजट था। कुल मिलाकर तिजारा में मंत्री महोदय ने 17 करोड़ 15 लाख का मेरे यहां दो साल के कार्यकाल में...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, जो सदन के सदस्य ही नहीं है उनका बार-बार नाम ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप किसी व्यक्ति का नाम न लेकर आप निवर्तमान चिकित्सा मंत्री, यह कह दीजिए।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): 17 करोड़ माननीय मंत्री महोदय, 17 करोड़ 15 लाख रुपये का तिजारा में मेरे यहां काम किया। उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब कुछ रह भी गया क्या तिजारा में कराने का, अब कुछ रह गया हो तो वह बता दें आप इनको, अब जो रह गया, और कराना है वह बता दें आप इनको।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय मंत्री महोदय ने कृपा करके इनका पूरा आर्शीवाद रहा है..

श्री उपाध्यक्ष: फिर 10 मिनट से हम यही इंतजार कर रहे थे कि आपके यहां क्या कमी रह गई वह कहेंगे वर्ना आप 10 मिनट से कर क्या रहे थे।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): साहब, 2 मिनट तो बोलने दो, औरों को आधा-आधा घंटा दिया है मेरे को 10 मिनट भी नहीं दे रहे हो। मेरे यहां कोई कमी नहीं छोड़ी। सभी एएनएम, जीएनएम, डाक्टर जहां 7 थे वहां 8 हैं, सबकी पूर्ति माननीय मंत्री महोदय ने कर दी। कोई डिमांड नहीं है और पूरा बजट, जो नहीं दिया था वह पूरा बजट देकर सारा काम चल रहा है।

माननीय मंत्री महोदय से केवल एक निवेदन करना चाहूंगा जो पूर्व मंत्री ने, माननीय मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत है गोठडा, उसको जानबूझ कर नहीं बनाया कि यह कभी भी कांग्रेस का ग्राम नहीं रहा बीजेपी का ग्राम रहा है, कृपा करके वहां अबकी पीएचसी खोल दो, यह आपसे निवेदन है।

दूसरा हमारे यहां भिवाड़ी जो हिन्दुस्तान के नक्शे पर है, वहां अन्तरराष्ट्रीय उद्योगपति भी आते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा सोसाइटियां हैं। एक एक सोसाइटी में ढाई-ढाई हजार की आबादी है वह हर महीने, दो महीने में ब्लड डोनेशन कैम्प लगाते हैं और मैं भी उसमें जाता रहता हूं। उनकी मांग है

(मास्टर मामन सिंह यादव)

कि जो इतना संवेदनशील है जो मरीजों के लिये नि:शुल्क ब्लड डोनेट करते हैं तो एक ब्लड बैंक भिवाडी में अगर खोल दिया जाये तो वहां पर और ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाये जो जनता के काम आये, मरीजों के काम आये।

यह कहकर मैं मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और उपाध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा अब व्यवस्था तो बिगड़ ही गई थी क्योंकि मैं थोड़ा बाहर चला गया था, इसलिए सबको धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर मुझे मेरी बात रखने के लिये आपने अवसर दिया इसके लिये आभार व्यक्त करते हुए मेरे पूर्व वक्ता के रूप में माननीय सदस्य मास्टर मामन सिंह जी यादव कह रहे थे उससे चरितार्थ हो रहा था, मारवाड़ी में एक उक्ति है कि भरया न भर और खाली न परेसी धर। यह प्रकृति का ही नियम है कि धनी घर में श्री जाती, कभी न जाती निर्धन घर में, मानसरोवर में गंगा गिरती, कभी न गिरती सूखेसर में। माननीय मंत्री महोदय का या सरकार का कहीं कोई दोष नहीं है, प्रकृति का नियम रहा है कि नाला जहां से बहता है वह वहीं से गमन करता है। अगर डायवर्जन की कोई बहुत ताकत आ जाये तो उस नाले को डिगा सकती है।

आपने मुझे अवसर दिया इस बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि अभी मास्टर मामन सिंह जी यादव बता रहे थे कि पूर्व चिकित्सा मंत्रीजी ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। मैं वर्तमान मंत्री महोदय का सौतेला व्यवहार तो नहीं कहूंगा क्योंकि अभी क्या पता समय बचा है सोच लें, देख लें, चेत जायें। लेकिन अब तक यह निश्चित रूप से चरितार्थ हो रहा है कि माननीय पूर्व चिकित्सा मंत्री, कांग्रेस की सरकार ने हमारे यहां जो एक रैफरल हास्पिटल, अजीत हास्पिटल खेतड़ी में है, उसको सीएचसी के रूप में क्रमोन्नत किया था आते ही, उसके बाद उसकी व्यवस्थाओं में जितना भी वह कर पाये, हुआ लेकिन अंत समय में जाते-जाते, आप तो कह रहे थे, बहुत माननीय सदस्य कह रहे थे कि कहीं धन का प्रोविजन नहीं किया, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सीएचसी बहुत पहले से है और उसमें जो भी स्वीकृत पदनाम हैं चाहे वह किसी भी स्तर के कर्मचारी

(श्री पूरणमल सैनी)

चिकित्सक हों, चाहे वह पैरामेडिकल स्टाफ के दूसरे कर्मचारी हों, ¼ भी आज खेतड़ी में कार्यरत नहीं है। मैं बार-बार प्रश्नों के माध्यम से भी माननीय मंत्री महोदय को अवगत करवाता रहा हूं लेकिन आज दिनांक तक, हो सकता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई धन का भी प्रोविजन नहीं किया जा रहा है। पूर्व वक्ता के रूप में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बहुत कह रहे थे कि हमारे यहां पूरे हैं। जहां 7 पद चिकित्सकों के स्वीकृत हैं और वहां पूरे हैं तो हमारे यहां कम से कम 50 या 60 परसेंट तक अगर 100 परसेंट मान लिया कि राजस्थान में डाक्टरों की संख्या कम है, तो कमी में से हमें भी कम देते हुए उस अजीत अस्पताल में, दूसरा उसमें मशीनरी भी पड़ी है लेकिन स्टाफ के अभाव में और राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा पैसा जो जनुपयोग में नहीं आ रहा है, मैं अपील करना चाहूंगा कि उस अजीत अस्पताल में स्टाफ की वजह से वहां की मशीनरी और वहां के लोगों का जो इलाज नहीं किया जा रहा है इस पर मंत्री महोदय ध्यान दें और अजीत अस्पताल में चिकित्सकों को लगाकर वहां की जनता को सुविधाएं उपलब्ध करायें।

दूसरा मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान 2004 की ओर दिलाना चाहूंगा, एक प्रोविजन है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहे जो भी पार्टी सरकार बनाये, जो भी दल सरकार बनाये, उसका दायित्व होता है लेकिन कर भी रहे हैं जहां इनके फेवर के लोग हैं वहां ज्यादा कर रहे होंगे तो हमें थोड़ा-थोड़ा कर दें। 2004 में आयुर्वेदिक विभाग ने वेकेंसी निकाली और लम्बे समय से, उसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के 100 पद नर्स कंपाउंडर के वेकेंसी निकाली और वह बैकलाग पदों की भर्ती थी लेकिन इन्होंने नियम विरुद्ध जाकर 2004 में बैकलाग को ध्यान में नहीं रखते हुए उनको संविदा के आधार पर अस्थाई के रूप में उन 100 पदों पर आयुर्वेदिक नर्स और कंपाउंडरों को नियुक्ति दे दी जो अस्थाई और संविदा पर रहीं। उपाध्यक्ष महोदय, यह निश्चित रूप से नियम विरुद्ध था और जब बाद में वह बार-बार पीछे पड़े रहे, सरकार से बार-बार मांग करते रहे उसके बाद इन्होंने एक व्यवस्था करके काफी लोगों को नियुक्तियां दीं 2009 में लेकिन उनका जो उनका एरियर बनता था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 100 पदों की भर्ती जब लगातार उसके अनुभव जैसे दूसरे विभागों में भी अनुभव दे-देकर संविदा के आधार वालों को परमानेंट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में बैकलाग में 100 पद कम थे उनकी भर्तियां नहीं कर रहे हैं। मैं यहां दो मांग माननीय मंत्री

(श्री पूरणमल सैनी)

महोदय से करना चाहूंगा कि एक तो जो बैकलाग और अनुसूचित जाति के नर्स और कंपाउंडरों के लिये जो 100 पद थे वह खाली समझते हुए उन पर पुन: नियुक्ति के लिये फार्म निकालकर उन बैकलाग के 100 पदों को भरा जाना चाहिये। दूसरा संविदा के आधार पर लगाये गये अस्थाई कर्मचारियों को जो 2009 में नियुक्ति देकर परमानेंट कर दिया उनको 2004 से लगातार अगर बैकलाग में माना जाता है तो एरियर के रूप में इनको परिलाभ दिया जाना चाहिये ताकि बैकलॉग के पदों को भरा जाये।

दूसरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश लेवल पर और चिकित्सा विभाग में एक नियम बना है 22 ए, 2010 से लगातार जब चिकित्सकों की प्रथम नियुक्ति की जाती है तो 22 ए नियम यह कहता है कि ग्रामीण चिकित्सालयों में उनकी प्रथम नियुक्ति की जानी चाहिए लेकिन 2010 से सरकार ने उन चिकित्सकों की प्रथम नियुक्ति ग्रामीण हास्पिटलों में नहीं देकर सरकारी हास्पिटलों में दी।

हालांकि 2014 तक उन चिकित्सकों को पी.जी. करने के लिए जो भी बोनस अंक या ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का जो इजाफा मिलता था वो 2014 तक मिलता रहा, लेकिन 2015 में आकर उन चिकित्सकों को पी.जी. करने के लिए यह कहा गया कि आपकी नियुक्ति शहरी क्षेत्र में रही है इसलिए आपको 2010 से अर्थात चार-पांच वर्ष की नौकरी में जो आपको पी.जी. के लिए फायदा मिलना चाहिए, वो फायदा आपको देय नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उन चिकित्सकों की क्या गलती रही है ? जब नियम 22-ए को स्वयं सरकार ने चैलेंज किया और अनेदखा करते हुए उन चिकित्सकों को ग्रामीण एरिया के बजाय शहरी क्षेत्र में नियुक्तियां दीं और आज उनको पी.जी. में जो फायदा नहीं दिया जा रहा है, उनका कोई दोष नहीं है, इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगा कि उन चिकित्सकों को भी पी.जी. में परिलाभ देते हुए प्रवेश दिया जाना चाहिए तथा अगर सरकार ऐसा चाहती है कि 22-ए नियम को नहीं तोड़ती तो भविष्य में जो भी प्रथम नियुक्ति चिकित्सकों की दी जाती है, उनको दो वर्ष के लिए ग्रामों में ही दें। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि उनको बाद में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत बवाई में पिछली सरकार ने एक सी.एच.सी. में

(श्री पूरणमल सैनी)

क्रमोन्नत किया था और वहां एक सेठ का भवन बनाया हुआ है। सरकार का आज तक उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा है। उस सी.एच.सी. में साधन और केवल स्टाफ की जरूरत है। भवन की अगर अब भी कोई जरूरत पड़ी तो वहां के दानदाताओं और बहुत बड़ी तादाद में बबई क्षेत्र के प्रवासी जो मुंबई में रहते हैं, पिछले दिनों वो आए थे और हम लोगों, जनप्रतिनिधियों के साथ भी उन्होंने बैठक की और उन्होंने बताया कि अगर कोई धन का प्रोविजन नहीं है तो माननीय मंत्रीजी से आप मिल लो और बात कर लो, हमें भी मिलवा दो। निश्चित रूप से भवन की अगर कोई और रिक्वायरमेंट रही है तो हम बवई सी.एच.सी. में भवन बना देंगे, लेकिन इसके लिए मशीनरी और स्टाफ की व्यवस्था राजस्थान की सरकार करे। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि वो बवई जिसके नीचे विधान सभा खेतड़ी की 41 पंचायतों में से करीब 13-14 पंचायत जैसे ग्राम पंचायत गाडरटा, बवई, हरडिया, दलेलपुरा, सेफरा गुंआर, माधोगढ़, कालोटा, नौरंगपुरा और कांकरिया ये सब पंचायतें इस पी.एच.सी. के नीचे जो कि सी.एच.सी. क्रमोनत की गई है, उसके नीचे आती हैं तो मैं इसके लिए भी मांग करना चाहूंगा।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगे इसी बात को बढ़ाते हुए एक डाडा फतेहपुरा में पी.एच.सी. है, जिसमें धन का भी प्रोविजन है और काम भी चलाया जाना चाहिए था, लेकिन केवल खसरा संख्या 888 में भूमि भी आबंटन हो गई । उसको आपसी दो-पांच लोगों के विवाद को लेकर नहीं चला गया । मैंने माननीय मंत्री महोदय से पिछले दिनों व्यक्तिगत मिलकर निवेदन किया तो इन्होंने तो डायरेक्टर को आदेश भी दिए कि इसको अविलम्ब तैयार करा दें, उसके लिए इनको धन्यवाद देते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की ग्राम पंचायत में एक सी.एच.सी. और स्वीकृत है। वहां पर पूरा स्टाफ लगा है सात-आठ लोग लगे हैं, लेकिन वो भवन रहित है। वो दो मात्र मकानों में अपना काम चला रहे हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बढ़ऊ के नीचे भी शेष उधर की 13-14 पंचायतें आती हैं तो उसके लिए भी धन का प्रोविजन बढ़ऊ में करें।

माननीय मंत्री महोदय, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, उसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों राजस्थान की सरकार ने पंचायत परिसीमन के दौरान मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी तीन पंचायतों का नवसृजन किया और उसमें एक ग्राम पंचायत संजय नगर भी आती है और संजय नगर ग्राम पंचायत का हैड क्वार्टर ढाणी चाचाड़ा में रखा गया। जिस अकेली ढाणी की

(श्री पूरणमल सैनी)

पापुलेशन करीब 1400 है और उसके साथ लगती पूर्वी ग्राम पंचायत संजय नगर है तो उसमें शुरू में ही स्वास्थ्य के अन्दर मैं मांग करना चाहूंगा कि एक मात्र उप स्वास्थ्य केन्द्र उस पंचायत हैड क्वार्टर पर मंत्री महोदय इसी बजट सत्र में। दूसरा, मैं जहां पर निवास करता हूं ग्राम प्रतिभा नगर, वहां का हमने प्रश्न भी लगाया और उसके माध्यम से पता चला कि पापुलेशन भी फुलफिल करती है और वह दूरी के हिसाब से काफी दूरी पर है। सात-आठ किलोमीटर की दूरी में किसी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है तो मैं अपील करना चाहूंगा कि मेरे गृह गांव प्रतिभा नगर में भी एक उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति जारी कर उस खेतड़ी की जनता को अनुगृहित करें। मुझे आपने बोलने का जो अवसर दिया, इसके लिए मैं अंत में एक दोहे के माध्यम से कि :-

अजा सहेली ता सूं रिपु । ता जननी भरतार ।। ताके सुत के मित्र ।
को भजिए बारम्बार ।।

अगर मेरी बात पर माननीय मंत्री महोदय गौर फ़रमाते हुए सैक्शन करते हैं तो इसका अर्थ माननीय उपाध्यक्ष महोदय अंत में यह होता है कि सभी माध्यमों से आते हुए अंत में एक ही शब्द में अर्थ निकलता है कि 'श्री कृष्ण जी को भजिए बार-बार' तो अभी डोटासरा साहब कह रहे थे वैसे राठौड़ साहब मेरे मित्र हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा डोटासरा जी के मित्र माननीय राठौड़ साहब से कि आपका बार-बार खेतड़ी की जनता नाम रटती रहे। इसके लिए आपका धन्यवाद। जय भीम। जय भारत।

श्री उपाध्यक्षः श्री सुखराम जी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 26 पर चर्चा हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा की कई पद्धतियां हैं परन्तु हमारे शास्त्रों में कहा गया है 'पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख पतिव्रता नारी और पांचवां सुख राज हो पासा' माननीय चिकित्सा मंत्री इस प्रस्ताव में होम्योपैथी और यूनानी दोनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें दोनों पद्धति का कहीं भी उल्लेख नहीं है। आयुर्वेदिक जो हमारी पद्धति है, राजस्थान में इस आयुर्वेदिक पद्धति के लिए कई तरह की जड़ी-बूटियां अपने यहां पैदा होती हैं। इसको बढ़ावा मिल सकता है। एलोपैथी के अलावा जितनी भी पद्धति हैं, चाहे प्राकृतिक है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथी

(श्री सुखराम विश्नोई)

है, चाहे आयुर्वेदिक है, किसी का भी साइड इफेक्ट नहीं है, सिवाय एलोपैथिक के। ज्यादा बजट इसमें दिया गया है। मैंने पहले भी कहा था कि इस साल सबसे कम बजट चिकित्सा को मिला है। कम क्यों मिला ? इसका कारण क्या हो सकता है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के लोग मांग कर रहे हैं और मांग में समय जाया कर रहे हैं। यह तो लिखकर भी दे सकते हैं। बजट पर समालोचना होनी चाहिए, आलोचना नहीं। यह जरूरी नहीं कि वो सत्ता पक्ष है इसलिए खाली इसकी वाहवाही करें और हम प्रतिपक्ष में हैं इसलिए आलोचना करें। बजट में हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? इस बात की समालोचना बैठकर की जानी चाहिए।

एक माननीय सदस्य: कर लो आप भी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैं कर रहा हूं। मैं यही तो कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दोनों बजट में पी.पी.पी. मोड का बहुत प्रचार किया गया। पूरे राजस्थान में क्या पता कहां दी गई है? मेरे निकट में गुढामालानी से माननीय लादूराम जी आ रहे हैं इनके यहां पी.पी.पी. मोड में एक हास्पिटल में एक पी.एच.सी. दी गई। न तो उसमें स्टाफ लगाया है, केवल मात्र कागजों में स्टाफ दर्ज हैं। अनुदान ले रहे हैं। पहला जो प्रयोग हुआ है, पूरा फेल हुआ है। सब-सेंटर देने की बात कही थी। उप-स्वास्थ्य केन्द्र कहीं पर भी नहीं दिए गए हैं। मेरा यह मानना है कि यह नर सेवा, नारायण सेवा का मामला है। अगर सरकार अपने स्तर पर करे, अपने हाथ में लेकर कोई काम करेंगे तो ही बढ़िया होगा। पी.पी.पी. मोड पर देने से न तो सही सेवा हो पाएगी, न ही गरीब लोगों का इलाज हो पाएगा, न उनकी सही जांच हो पाएगी, न वो वहां पर जा पाएंगे। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मेरा निवेदन है कि यह जो प्रयोग हुआ है, वो पूरी तरह से फेल हुआ है तो इस प्रयोग की पुनरावृत्ति न करके अपनी सरकार के स्तर पर काम किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी जब भी किसी वस्तु का निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करके जब प्रेस वार्ता करते हैं तो हर बार सुनते हैं कि मैं खुद शर्मसार हूं, क्या स्थिति है हास्पिटल की, गंदगी पड़ी है, यह पड़ी है। मेरा यह मानना है कि माननीय चिकित्सा मंत्री के इतने जोरदार ढंग से, सही बात कहने के उपरांत भी आज की तारीख में पूरे राजस्थान में, चाहे सीएचसी हो, चाहे पीएचसी हो, चाहे सब सेंटर हो, सफाई की वही

(श्री सुखराम विश्नोई)

व्यवस्था बनी हुई है, वही मशीनों की व्यवस्था बनी हुई है। चाहे एसएमएस हो, वहां भी सोनोग्राफी मशीन खराब पड़ी है। मेरे सांचौर में खराब पड़ी है, उसका टैक्निकल हैंड आदमी नहीं है, पूरे जिले की यह स्थिति है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन है कि जितनी भी मशीनें है चाहे एक्सरे मशीन है, चाहे सोनोग्राफी, चाहे सीटी स्कैन की मशीन है, पूरे राजस्थान की जितनी भी मशीनें हैं उनकी पूरी इंक्वायरी की जाए। कितनी मशीनें खराब पड़ी हैं, कितनी में चलाने वाला टेक्निकल हैंड आदमी नहीं है, ताकि मशीनों पर राज्य सरकार ने जो पैसे खर्च किए हैं उनका सही उपयोग हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने पिछली मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना को करीब-करीब बंद करके मुख्यमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की। भामाशाह योजना के तहत मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एसएमएस हास्पिटल ही क्या जितने भी जिला मुख्यालय पर अस्पताल हैं, सम्भाग स्तर पर हास्पिटल है उन तमाम हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है। आप एसएमएस में जाकर देखिए। मैं चार दिन पहले गया था, एक मेले की तरह चल रहा है जैसे कि मेला है। कैसे तो जांच कराए, कब नम्बर आए, एक लाइन में 100-100 आदमी 300-300 आदमी खड़े हैं, चार दिन से जांच का नम्बर आता है। चार-पांच दिन में एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन का नम्बर आता है, यह हालात बने हुए हैं।

सरकार ने घोषणा की थी कि सरकारी हास्पिटलों के साथ-साथ हम प्राइवेट हास्पिटल से भी यह जांच कराएंगे। इसके साथ ही किसी भी तरह की जांच है, इलाज है, पूरा करेंगे। परन्तु आज दिन तक भी जो निजी अस्पताल है सरकार के, प्रस्ताव रखे हैं, एक भी प्रस्ताव निजी चिकित्सालय ने नहीं माना है। नहीं मानने के क्या कारण हो सकते हैं, या तो सरकार की इच्छाशक्ति कमजोर है। मनाने का प्रयास नहीं कर सकते। जिला कलक्टर के पास बहुत सारे प्रशासनिक फोन होते हैं। एक कलक्टर चाहे तो वहां के जो निजी अस्पताल हैं, रात दिन सही काम नहीं करते, 50 परसेंट गलत काम करते हैं, अगर जिला प्रशासन मजबूत हो, उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो इस तरह से गरीबों के इलाज का मामला है वह हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि क्लिनिकल एस्टेबिलिशमेंट एक्ट पेंडिग है, इस एक्ट को अगर लाया जाए तो प्राइवेट

(श्री सुखराम विश्नोई)

अस्पताल है उनके ऊपर नकेल कसी जा सकती है। एसएमएस हास्पिटल व दूसरे सभी हास्पिटल में जो भीड़ लगी हुई है उस भीड़ से भी निजात मिल सकती है और उन्हें भी फायदा हो सकता है।

नि:शुल्क दवा योजना बंद की गई। 2013 में करीब-करीब 600 दवाइयां थीं जो नि:शुल्क दी जा रही थीं। 200 से पिछली सरकार ने शुरू की थी, 600 तक पहुंची थी, आज की तारीख में यह है कि अगर कोई भी दवा डाक्टर लिखता है, ड्रग हाउस है, वहां जाते हैं तो एक ही बात की जाती है कि मेरे पास दवा नहीं है, जबकि यह व्यवस्था है कि सरकारी स्तर पर दवा नहीं है तो पेरेलल स्तर पर खरीदकर दवा की व्यवस्था की जाए। परन्तु रोज अख़बार में पढ़ते हैं चाहे जालौर जिले का मामला हो चाहे राजधानी का मामला हो, डाक्टर लिखकर देता है और पर्ची लेकर वहां जाता है तो वहां मना करते हैं कि यह दवा नहीं है, उस बेचारे की क्या स्थिति होती है, वह बाहर दुकान से खरीदता है। मेरा आपसे निवेदन है कि पर्ची पर जो दवाई डाक्टर लिखता है वह दवाई अस्पताल के अन्दर ही मिले। उस डाक्टर को पाबंद किया जाए। आपके स्टोर में नहीं है तो अपने स्तर पर खरीदकर उस मरीज की व्यवस्था की जाए, ताकि उस गरीब को सही इलाज मिल सके।

इसी के साथ कुपोषण का मामला है, राजस्थान में कुपोषण की समस्या बाड़मेर जिले तक ही आ गई। जो बैकवर्ड ज़िले थे वहां तक तो थी बाड़मेर में भी कुपोषण के शिकार बच्चे मिल रहे हैं। कुपोषण के 147 सैंटर हैं वह पूरे के पूरे बंद पड़े हैं। इसलिए बंद पड़े हैं कि अधिकारी से बात करते हैं तो अधिकारी कहते है कि यहां पेशेंट नहीं आते इसलिए बंद पड़े हैं। मेरा निवेदन है कि कुपोषण के सैंटर हैं इन सैंटर्स को विधिवत चालू रखा जाए। पूरी मानिटरिंग की जाए ताकि जो बच्चे मौत की कगार पर जा रहे हैं उनको बचाया जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा आपकी मार्फत निवेदन है कि एम्बुलेंस सेवा है, यह कह रखा है सरकारी हास्पिटल में जाना जरूरी है जबकि बीच में प्राइवेट हास्पिटल पड़ता है। माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था की जाए, उसके मान लीजिए खून बह रहा है और आधा घंटा लगेगा तब तक वह जा सकता है, तो कम से कम जहां निजी हास्पिटल भले ही हो, नजदीक हास्पिटल हो, एम्बुलेंस को कहा जाए, उस पेशेंट को वहां पहुंचाया जाए ताकि वह पेशेंट बच सके।

(श्री सुखराम विश्नोई)

इसके साथ-साथ महावीर हास्पिटल में भी, एक पेंशेट कैंसर का, वहां गया था, कैंसर का ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा। उसको जमीन किसलिए दी थी, अब वह क्या काम में ले रहा है इसकी भी जांच कराई जाए ताकि पूरा खुलासा हो सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अमृता मेघवाल।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-26 पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति में से एक है। मानव शरीर पंच तत्व से मिलकर बनता है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जो कि इसी प्रकृति से बनते हैं। आयुर्वेद इन्हीं सिद्धांतों को आधार मानकर कार्य करता है। सामान्यता यह प्रकृति का सर्व भौतिक विधान है, हर उस समस्या का समाधान प्रकृति ने अपने अन्दर छिपाकर रखा हुआ है। अपने पूर्वजों और ऋषि मुनियों ने इसी सिद्धांत को आधार बनाकर, इसी आयुर्वेद के विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का विकास किया। पंचतत्व से निर्मित इस मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बिना किसी साइड इफेक्ट के, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों व रसायन विधि व योगासन से कोई भी बीमारी ठीक करते थे।

मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि वर्तमान में भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर आयुर्वेदिक को प्राचीनतम गौरव प्राप्त है। वहां पर जन सामान्य लोगों के उपचार की पहली आयुर्वेद पद्धति है। केरला के अन्दर टोटल 14 जिलों में 2 हजार 706 हैल्थ सैंटर हैं, उसमें से एलोपैथिक के 1 हजार 272 और शेष आयुर्वेदिक व होम्योपैथी के ही केरला में प्रति एक ग्राम पंचायत पर एक आयुर्वेदिक व होम्योपैथी सैंटर है। वहां पर एक नवीन प्रयोग किया गया है, वहां पर एचएमसी गठित की गई है, उसका पूरा नाम हास्पिटल मैनेजमेंट कमेटी है। प्रति हैल्थ सैंटर ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर पर उसका गठन किया गया है। इस कमेटी में वहां के जितने भी निर्वाचित जन प्रतिनिधि हैं, वहां के गांवों के मुखिया प्रतिनिधि होते हैं वह इसमें मैम्बर होते हैं। केरला में तीन स्तरीय हास्पिटल सैंटर का संचालन होता है, जिला स्तरीय, जिला स्तर पर जिला आयुर्वेद हास्पिटल। तहसील स्तर पर स्पेशल आयुर्वेद हास्पिटल। ग्राम पंचायत पर आयुर्वेद हास्पिटल। केरल में इस नवीन

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

प्रयोग से चिकित्सा व्यय आधा हो गया है और आश्चर्यजनक परिणाम आए हैं। ऐसा प्रयोग हम अपने राजस्थान में भी कर सकते हैं। राजस्थान की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यहां कई तरह की जड़ी बूटियां हम उगा सकते हैं। मैं सोचती हूं कि यह किसानों से भी मिलता जुलता है क्योंकि किसानों को हम अच्छी जड़ी बूटियां उगाने के लिए, फलदार जड़ी बूटियां, जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं वह जड़ी बूटियों में इस्तेमाल होते हैं। अगर हम उनको योजना प्रोवाइड कराएंगे, उनको प्रेरित करेगे तो हमारे यहां आयुर्वेद का स्तर अच्छा हो पाएगा।

(20.00 बजे)

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। अभी यहां विधान सभा में ऐसे एक एम.एल.ए. हैं जिनके पिताजी को स्लिप डिस्क की प्राब्लम हो गई थी। वे बड़े-बड़े हास्पिटल्स में गये, बड़े-बड़े डाक्टर्स के पास गये। सबने कहा आपरेट करना पड़ेगा, आपरेशन करना पड़ेगा, आपरेशन करने के बाद भी कोई गारण्टी नहीं है लेकिन वे जब आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जोधपुर में जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वहां गये, वहां पर एक महीने के आयुर्वेदिक इलाज के बाद आज वे दौड़ पा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि आयुर्वेदिक चिकित्सा को हमें बढ़ावा देना चाहिये। पंचगव्य व गौमूत्र चिकित्सा को भी आयुर्वेद में शामिल किया जाये ताकि गौशाला में वृद्धि हो और गायों को संरक्षण मिलता रहे। एक्युप्रेशर चिकित्सा को भी आयुर्वेदिक में शामिल किया जाये ताकि आज की जीवन शैली की बीमारियों में राहत मिल सके। प्राकृतिक उपचार से मनुष्य अपने सभी रोगों से मुक्ति पा सकता है। हमारे राजस्थान में बहुत से चिकित्सक प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि ऐसे प्राकृतिक चिकित्सकों को भी मान्यता प्रदान की जाए जो वर्षो से उपचार कर रहे हैं, मानव को विभिन्न रोगों से मुक्त कर रहे हैं, ऐसों को भी हमें मान्यता देनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूं कि हमारी सरकार की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी वसुन्धरा राजे जी चिकित्सा को लेकर बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। मैं मंत्रीजी को भी धन्यवाद दूंगी, उन्होंने प्रदेश में, क्योंकि पाली हमारा पड़ौसी जिला है तो हमें खुशी है कि वहां पर मेडिकल कालेज मिला। हमें भी इससे काफी हद तक फायदा होगा। हम पूरे संतुष्ट हैं क्योंकि पास ही का जिला है और पूरे राजस्थान में आपने सात मेडिकल कालेज दिये हैं, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान प्रदेश में आर्गन ट्रांसप्लाण्ट का

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

कार्य भी निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छी और सराहनीय उपलब्धि है। इसमें लीवर किडनी और इन सब चीजों का ट्रांसप्लाण्ट, मरीज को काफी हद तक सरकार इलाज के लिये साधन उपलब्ध कराती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लम्बे समय से रिक्त पड़े पैरामेडिकल स्टाफ, जी.एन.एम., ए.एन.एम. की भर्तियां की गयीं, उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि मैं जिस जिले से आती हूं वहां पर ऐसे-ऐसे गांव हैं कि नर्स तो बहुत दूर की बात है डाक्टर भी सोच नहीं सकते, वे घरेलू इलाज करते हैं। उनको वह नर्स, मंत्रीजी ने गांवों में पंचायत लेवल पर बहुत ही नर्स, ए.एन.एम., जी.एन.एम. हमारे यहां भेजी हैं। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी। जालौर में खाद्य प्रयोगशाला का भी निर्माण किया जायेगा। यह भी एक सराहनीय काम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का एक बात के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि इतना अच्छा जालौर में काम हुआ है, एक एम.सी.एच. यूनिट के सफल संचालन हेतु मैं उनसे निवेदन करूंगी, बिल्डिंग पूरी बन चुकी है, सारे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, मशीनें आ चुकी हैं, आप उसका उद्‌घाटन भी करेंगे लेकिन अगर वहां मेन बाडी नहीं होगी तो फिर काम कैसे होगा। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी, वहां पर वरिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री रोग, वरिष्ठ विशेषज्ञ शिशु रोग, कनिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री रोग, अभी उनकी पोस्टिंग जीरो-जीरो है, उनको भी आप वहां पर भेजने का कष्ट करें।

ट्रोमा सैण्टर आपको पता ही है। हमारे माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने ट्रोमा सैण्टर तो खोल कर दे दिया लेकिन वहां मेन बाडी के लिये कुछ नहीं दिया, सिर्फ उद्घाटन करके, अभी तक ताला बंद है लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगी, क्योंकि मुझे मेरी सरकार पर पूरा भरोसा है। आप वहां पर रेडियोग्राफर, लैब टैक्निशियन, वार्ड ब्वाय, स्वीपर, वाहन चालक, ये भेजिये। पूरा विश्वास है कि आप वहां पर यह सब सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कोई भी स्कूल हो या हास्पिटल हो, अगर वहां पर चौकीदार, सफाई कर्मी, ये नहीं होंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी, वहां चारों तरफ कचरा हो जायेगा। मोदीजी का एक सपना है 'स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत', यह कैसे सफल होगा। जब स्वच्छ रहेंगे, मरीजों को जब स्वच्छ रखा जायेगा, मरीजों को जब स्वच्छ वातावरण दिया जायेगा, तभी जो वहां आने वाले जो मरीज हैं, वे स्वस्थ हो पायेंगे, अच्छे

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

हो पायेंगे। तो हमें पहल करनी चाहिये कि जो फोर्थ ग्रेड की भर्तियां हैं, वे भी खोली जाएं ताकि जितनी भी, यह सफाई कर्मचारियों की और वार्ड ब्वाय और जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनसे भी हमें राहत मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर में जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है, वहां के लिये मैं कहना चाहूंगी, वहां बहुत सारी सुविधाएं हैं और बहुत बैस्ट यूनिवर्सिटी है। वहां पर एक चीज की कमी है। वहां पर एम.आर.आई. मशीन नहीं है, अगर वहां पर एम.आर.आई. मशीन आ जाए तो मरीज को और जगह न जाकर वहीं पर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, जोधपुर में जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है, वहां पर आप एम.आर.आई. मशीन उपलब्ध कराएं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आधा मिनट। जालौर में मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप मेडिकल कालेज जालौर को भी देते हैं तो हमारा जो पिछड़ा जिला है, उसको बहुत फायदा होगा। जालौर, बाड़मेर, सिरोही, आसपास के सभी जिले इससे, जो डाक्टरों की कमी है, जो हम बहुत समय से सह रहे हैं कि कहीं भी जाते हैं तो डाक्टर रैफर कर देते हैं तो मैं आपसे मेडिकल कालेज की मांग करती हूं। एक बात के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद कहूंगी कि हमारे जालौर का जो हास्पिटल है, वह बहुत अच्छा सुधारा है। वहां पर पिछले दस-पन्द्रह सालों से कोई भी गाइनोकोलोजिस्ट, लेडी डाक्टर नहीं थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी कि पहली बार उन्होंने कोई लेडी डाक्टर जालौर में भेजी है, उसके लिये मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करती हूं। जय हिन्द, जय भारत, वन्दे मातरम।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे सदन को यह सूचित करना है कि साढ़े आठ बजे मैं मंत्री महोदय को जवाब देने के लिये निवेदन करूंगा। 25 मिनट हैं, तीन आप सदस्य हैं। सम्माननीय मानिकचन्दजी सुराना, हनुमानजी बेनीवाल और सुखारामजी। मैं हनुमानजी बेनीवाल से आग्रह करूंगा कि आप बोलें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मांग संख्या-26 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के टाइम भी, इस सरकार के टाइम भी राजस्थान की बहुत बड़ी बदनामी पूरे देश के अन्दर हुई। चाहे जोधपुर में प्रसूताओं की मौत का मामला हो या आंखों के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आपरेशन में करीब 2-3 दर्जन लोगों की रोशनी चली गई आंखों की। प्रसूताओं की मौत के बाद जो जांच हुई थी, उस जांच में पांच-पांच लाख रुपये उन परिवारों को देकर इतिश्री कर ली। उसके अन्दर क्या लापरवाही थी, कौन लोग जिम्मेदार थे, क्या उनको सलाखों के पीछे डाला, किनकी वजह से यह काम हुआ, दुबारा से इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको रोकने के लिये सरकार ने क्या किया? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पशुओं के इंजेक्शन आदमियों को लगा दिये। इसी सरकार के टाइम पी.एम.टी. का बहुत बड़ा घोटाला हुआ और मंत्रीजी ने सदन के अन्दर हमें विश्वास दिलाया था कि पी.एम.टी. का घोटाला करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे। मैं मंत्रीजी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन एक्जाम तो रद्द करवा दिये। इसके अन्दर आपकी भूमिका रही होगी, एक्जाम रद्द कराने के अन्दर लेकिन वह कुलपति आज भी उसी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अन्दर बैठा है। उस रजिस्ट्रार के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आर.पी.एस.सी. के चेयरमैन को सरकार हटा सकती है, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है तो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति, ऐसी कौनसी ताकत उसको मदद कर रही है राजस्थान की सरकार के अन्दर, जो अभी तक उस पद पर बैठा है। कौन सी उसकी जांच हुई? आपने तो कह दिया, यह तो ऐसे ही चूक हो गई। इतनी बड़ी बात हो गई, उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की जनता और देश की जनता देख रही है कि किस तरह पी.एम.टी. घोटाले के आरोपियों को सरकार ने बचाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-26, स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही है लेकिन आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस देश...।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): स्वायत्त नहीं, स्वास्थ्य विभाग।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): स्वास्थ्य विभाग।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): चिकित्सा स्वास्थ्य ही तो कह रहा हूं और क्या है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): स्वायत्त नहीं है, स्वास्थ्य है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): स्वास्थ्य ही बोल रहा हूं, आप थोड़े कान ठीक करा लो अपने।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): हां, सब सुन रहे हैं हम।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब आपको नींद की बीमारी के साथ-साथ यह भी हो गई क्या? आप ऐसे कह रहे हो, कालूलालजी, मेरे को टोक रहे हो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपके लग रही है आज, जो आपको पता ही नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं स्वास्थ्य ही बोल रहा हूं साहब, स्वायत्त नहीं बोल रहा हूं, कालूलालजी, अब आप मंत्री नहीं बने। (व्यवधान)

आपको मंत्री नहीं बनाकर वहां बैठा दिया तो मेरा क्या दोष है इसके अन्दर, मैं तो अलग बैठा हूं, मेरे यहां पर। आपकी पीड़ा आप मेरे ऊपर डाल रहे हो। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मुझे लगता है कि आपका शायद और भी कोई ...(व्यवधान) स्वास्थ्य ठीक नहीं है आपका।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): डिस्टर्ब मत करो। (व्यवधान) हां, आपकी वजह से ठीक नहीं है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो हमारे को? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज रोटी, कपड़ा और मकान के बाद अगर आवश्यकता होती है तो अच्छा स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर एक सर्वे मेडिकल हैल्थ डिपार्टमेंट का आया था कि 80 हजार शिशु, 18 लाख शिशुओं में से पहले ही साल 80 हजार शिशुओं की राजस्थान के अन्दर मौत हो जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी विडंबना नहीं कि आज जिला मुख्यालयों पर अत्याधुनिक सुसज्जित अस्पताल, जनाना अस्पताल बनाए इस सरकार ने लेकिन उनका उद्‌घाटन नहीं हो रहा है, उसका कारण मैं नहीं जानना चाहता लेकिन खुद मंत्रीजी का जो चूरू के अन्दर जनाना अस्पताल बना है, उसका उद्‌घाटन भी अटका हुआ है। अब अगर आप उद्‌घाटन के चक्कर के अन्दर लोगों को, करोड़ों रुपये खर्च करके एक अच्छी सेवा देना चाहते हो तो इस राजनीति से आप बचें और जल्दी से काम चालू करें ताकि लोगों को राहत मिले।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सिलिकोसिस रोगियों की यहां पर सदन में पहले भी कई बार चर्चा हुई थी। मेरे इलाके में भी माइनिंग का बहुत बड़ा काम है और सिलिकोसिस ऐसा रोग है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसके न तो अपने पास स्पेशलिस्ट है और न ही कोई जांच के केन्द्र ही यहां राजस्थान के अन्दर है इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का और सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि सिलिकोसिस रोग को राजस्थान से कैसे भगाएं, इस रोग पर कैसे काबू पाएं, इसके लिए आपको ठोस कदम, इन रोगियों को, मजदूरों को जो अपना पेट पालते हैं, उनकी मजबूरी है। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए माइनिंग के काम के अन्दर लगातार काम करते हैं और सही समय पर दवाई और जांच नहीं होती है इसलिए उनकी जान चली जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अपन बात कर रहे हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की। राजस्थान के अन्दर आज 50 प्रतिशत पद, चाहे नर्सिंग स्टाफ के हों, डाक्टर्स के हों और विशेषज्ञों के हों, 50 प्रतिशत पद खाली हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने 2013 के अन्दर एक भर्ती निकाली थी ए.एन.एम., जी.एन.एम. के 27 हजार पदों की, आपकी सरकार आने के बाद उनमें एन.आर.एच.एम. के जो संविदाकर्मी थे, उनको एडजस्ट किया था लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन पदों में कटौती कर दी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा और निवेदन भी करूंगा कि ए.एन.एम. और जी.एन.एम. के जो भी पद बचे हुए हैं और जो 27 हजार की वैकेंसी राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने निकाली थी, उन सब पदों पर एन.आर.एच.एम. के अन्दर जो कार्यरत हैं, उनको बोनस का लाभ देकर 27 हजार की भर्ती करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकारें आती हैं, धन्यवाद यात्रा में जाते हैं। आप सुराज संकल्प यात्रा के अन्दर जाते हो और हर जगह एक ही बात आप कहते हो कि आपको मजबूत करेंगे, रोजगार के साधन देंगे लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी अगर प्रत्येक गांव के अन्दर आप अस्पताल नहीं दे सकें, प्रत्येक गांव के अन्दर आप सब सैंटर नहीं खोल सकें तो मुझे नहीं लगता कि अपन 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मानीनीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर बहुत ज्यादा ऐसे गांव नहीं हैं, जहां पर सब-सैंटर नहीं है। अगर, पूरे गांव की संख्या जोड़ी जाए राजस्थान के अन्दर और प्रत्येक गांव के अन्दर सब-सैंटर सरकार खोले तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम इस दिशा के अन्दर होगा। आपको इस दिशा पर सोचना होगा। आज गांव के अन्दर इलाज कराने के लिए आपका स्टाफ नहीं है। पी.एच.सी. जहां पर आपने खोली, पी.पी.पी. मोड पर दे रहे हो पी.एच.सी. को और आपने देकर, प्रथम जो चरण था, इसके अन्दर देख लिया कि पी.पी.पी. मोड कितना सक्सेस हुआ?

आज गांव के अन्दर कोई इलाज नहीं करवाना चाहता। सारे लोग प्राइवेट हास्पिटल्स की तरफ जाते हैं और जिला मुख्यालयों पर आजादी के 70 साल बाद अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो जिला मुख्यालय पर आपके पास कौनसी मशीन है जो यह जांच कर ले कि हार्ट अटैक हुआ है इसके? ब्रेन हैमरेज, कल एक सर्वे के अन्दर मैं पढ़ रहा था कि राजस्थान में ब्लड शुगर और बी.पी. के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आपके ईको करने की सुविधा जिला मुख्यालय पर नहीं, ब्रेन हैमरेज का टैस्ट, सीटी-स्कैन, एम.आर.आई. की सुविधा नहीं, हार्ट के स्पेशलिस्ट जिला मुख्यालय पर नहीं।

आपने मेडिकल कालेज राजस्थान में 7 खोलने की घोषणा की थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन राजस्थान क्षेत्रफल में इतना बड़ा है कि यहां और जैसे मेरा नागौर जिला है, यहां पर भी आप मेडिकल कालेज खोलें। सीकर की भी बात चली थी, सीकर में मेडिकल कालेज खोलें। आप प्राइवेट सैक्टर में देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी मेडिकल कालेज हर जिले के अन्दर करीब-करीब, जिले के अन्दर खोलेंगे तो बहुत बड़ा फायदा इस राजस्थान के स्टूडेंट को और राजस्थान के लोगों को होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खतरनाक स्वाइन फ्लू, जो कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं आया। स्वाइन फ्लू लगातार पिछले कई सालों से राजस्थान के अन्दर, स्वाइन फ्लू से कई मौतें हो गयीं और हमारा पिछली साल का, उससे पिछली साल मंत्रीजी कह रहे थे कि हम रोकथाम कर देंगे। पूरी हो गयी अब रोकथाम? लेकिन, फिर भी इस साल, जो पिछला साल था, 28 स्वाइन फ्लू से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मौतें हुईं और डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा 'जींका' वायरस के अलर्ट के बाद भी कोई तैयारी नहीं की गयी है, अगर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आ गया 'जीका' तो 100, 200, 500 मर जाएंगे और फिर मंत्री जवाब दे देंगे कि हम तैयारी कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज निजी मेडिकल कालेजों में मन-माफिक डोनेशन लिया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन मिनट लूंगा। ऐसे मत करो, मदनजी, आप तो मेरे पड़ौसी हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निम्स की गुंडागर्दी और दादागीरी पूरा राजस्थान जानता है। जो आपके पूर्व मंत्री थे, मैं कहना नहीं चाहता, पिछली सरकार के अन्दर और जिनके लिए मेरा एक बार उनसे दोस्ताना वाद-विवाद भी यहां पर हुआ था। उनके पास मैं एक बार निम्स वाले की शिकायत लेकर गया था तो मेरे को कह रहे थे कि यह तो मेरे फोन नहीं उठाता, आप दस-बीस लड़के भेजकर उसको पिटवा दो, यह कहा। मैंने कहा कि साहब, मेरा यह काम है क्या? मैं गुंडागर्दी थोड़े ही करता हूं जो लड़के भेज कर पिटवाऊं? सुनो एक मिनट। तो बोले, मेरा फोन नहीं उठाता, आप उसको पिटवा दोगे तो मेरा भी काम हो जाएगा, मेरा फोन उठा लेगा। अब मैंने कहा कि हम तो आपके पास काम के लिए आए हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपको ही क्यों कहा? यह आपको ही क्यों कहा? यह अपना बिजनस थोड़े ही है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मदनजी, एक मिनट रुको। बैठो एक मिनट। आप भी यही करते थे पहले।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पहले पूर्व मंत्रीजी के सवाल लग जाता था न यहां पर, आप भी विराजते थे, मैं भी था आपके साथ, तो सवाल उनका लग जाता था तो उस एम.एल.ए. को ढूंढते थे कि सवाल किसका लगा और उसको कहते कि मैं तुझे पार्टी दूंगा। आप यह तीन ही पूरक प्रश्न पूछना, इकबाल आपको बता देगा। यह राजस्थान को इकबाल ने चलाया। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य था। मैं कोई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं लेकिन जो हकीकत घटना है और जो मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि ऐसे-ऐसे लोग पांच साल तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर राजस्थान में रह गये और किस तरह वह कुछ जानते नहीं थे। लोग उनको चलाते थे, अधिकारी चलाते थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे नुकसान किसका हुआ? राजस्थान का नुकसान हुआ।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन मिनट सिर्फ, हाल ही में आंखों के आपरेशन में काम आने वाले ऐसे लैंस जिससे आंखों की रोशनी तक जा सकती है, ऐसे ढाई करोड़ के घटिया लैंस न्यू सांगानेर रोड पर कटेवा नगर में पकड़े गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार आर.यू.एच.एस. मेडिकल कालेज में कैंसर संस्थान की शुरूआत को लेकर श्रेय बटोर रही है मगर सेंट्रल टीम ने बुनियादी सुविधाओं व अनुभव फैकल्टी की कमी बतायी और आर.यू.एच.एस. की बजाए एस.एम.एस. को उपयुक्त माना।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 80 से 100 रुपये के आंखों के लैंस हजार रुपये में बिक रहे हैं। आज एस.एम.एस. अस्पताल देश में सबसे अधिक ओ.पी.डी. देने वाला अस्पताल है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नि:शुल्क दवा, जरूरतमंदों को नहीं मिल पाती है और न ही खराब मशीनों को समय पर ठीक करवाया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट रुको। ऐसा मत करो।

श्री उपाध्यक्ष: बाकी को भी समय देना पड़ेगा। आप कन्क्लूड कर लो, जो भी आपकी बात है, आप कन्क्लूड कर लो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बस दो मिनट सिर्फ। सुनो, मेरे कुछ इश्यूज हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता है कि राजस्थान के अन्दर जितने भी खाली पद हैं उनको भरा जाए और जो भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं मेरे इलाके की बता देता हूं कुछ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके के अन्दर मैं मेरे जिले और कांस्टीट्युएंसी पर आता हूं, एक बहुत बड़ा मेला भरता है खरनाल के अन्दर तेजाजी महाराज का, मेरी कांस्टीट्युएंसी के अन्दर है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि साल के अन्दर दो बार यह मेला भरता है और दो-दो, तीन-तीन लाख लोग वहां पर आते हैं तो वहां पर पी.एच.सी. उस गांव के अन्दर चालू की जाए और मेरी कांस्टीट्युएंसी 175 किलोमीटर लम्बी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और वहां पर कई ऐसे इलाके हैं जहां 50-50 किलोमीटर तक पी.एच.सी. नहीं है।

तो करणू, जनाणा और खरनाल, यहां पी.एच.सी. खोली जाए। पूर्ववर्ती सरकार ने पांचला सिद्धा के अन्दर जाते समय सी.एच.सी. की घोषणा की थी,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

लेकिन बजट के अभाव के कारण पांचला सिद्वा की सी.एच.सी. का काम, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक चालू नहीं हुआ। कुचेरा मेरी कांस्टीट्यूएंसी का बड़ा गांव है, लेकिन वहां अस्पताल को लेकर बहुत बार आन्दोलन चले। कुचेरा अस्पताल के अन्दर विशेषज्ञों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वहां पर जो भ्रष्टाचार अस्पताल के अन्दर है, उसकी जांच कराएं और वहां विशेषज्ञों की नियुक्ति करें और जितने भी हमारे बेरोजगार संविदा पर लगे हुए हैं, चाहे यू.टी.बी. के हों, उनकी भी आप मदद करें, उनको निकाले नहीं। आपने उदयपुर के अन्दर यू.टी.बी. के लोगों को, नर्सेज को निकाल दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसलिये मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि यू.टी.बी. नर्सेज को आप मौका दें, उनको नियमित करें और सरकार को आवश्यकता हो तो और भर्ती निकालें, लेकिन राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के साथ सरकार खिलवाड़ नहीं करें। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: सुखाराम जी।

श्री सुखाराम (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, मुझे आपने मांग संख्या – 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदयजी, हमारे क्षेत्र के लिये निवेदन है कि उक्त समस्या को ध्यान में रखते हुए मेड़ता सिटी में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा की गहन इकाई, सोनोग्राफी, ब्लड बैंक, लेबोरेट्री, आई.सी.यू. यूनिट, आपरेशन थियेटर तथा विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं तुरन्त प्रभाव से उपलब्ध कराते हुए न केवल मेड़ता सिटी के आम नागरिकों को, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर दुर्घटना होते घायल मरीजों को लाभान्वित करें तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मौजूदा 40 बैड हैं, उनको क्रमोन्नत करके 100 बैड करने की कृपा करें, 100 बैड का क्रमोन्नत करने की दिशा में सामुदायिक केन्द्र के पास करीबन 30 बीघा जमीन खाली है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं है। उस केन्द्र में आई.सी.यू. गहन चिकित्सा इकाई, मेडिसन सर्जरी (शिशु) का भामाशाह हमारे वहां भवन निर्माण करवा रहे हैं, उसमें करीब 50 लाख रुपये लगेंगे और वह एक महीने में पूरा हो जाएगा। वर्तमान सामुदायिक केन्द्र,

(श्री सुखाराम)
मेड़ता सिटी में कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन, कनिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री रोग, कनिष्ठ विशेषज्ञ निश्चेतन आदि चिकित्सा अधिकारी लगाने के भी हमारे ग्रामीण एरिये में लम्बे समय से मेल नर्स के, करीब 70 गांव हैं उनमें से 20 गांवों में नहीं लगे हैं। मुझे आशा है कि मंत्री वह 20 रिक्त पद भी भर देंगे।

मेरे मेड़ता क्षेत्र में दो उपखण्ड हैं रियांबड़ी, तो रियांबड़ी की भी समस्या मैं आपको निवेदन करता हूं। सामुदायिक केन्द्र पंचायत समिति रियांबड़ी में एक निरीक्षक हेतु राजकीय एम्बुलैंस की हमारे वहां बहुत जरूरत है, उपखण्ड कार्यालय भी है और पंचायत समिति है और वहां भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 60 पद हैं, उन 60 पदों में से 13 ग्रामीण पद खाली पड़े हैं, उनको भी आप भरने की कृपा करें। आपको धन्यवाद साहब।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिक चन्दजी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा मेरा निवेदन है कि सम्भव हो तो 15 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको आप 8.45 पर बुलाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष: There are two more Members who want to speak for 2-2 minutes. उनके स्पेसिफिक पाइंट्स हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं भी स्पेसिफिक पाइंट्स ही बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: Then 10 minutes.

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, मैं अर्ज करूं कि मैं स्पेसिफिक पाइंट ही बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: No. For 10 minutes.

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप देख लेना। मेरे पाइंट्स में आपको लगे कि कुछ है तो देख लेना आप।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपने व्यवस्था दी थी तो नहीं बदली जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: व्यवस्था तो मेरी दी हुई है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपकी दी हुई है, इसलिए तो निवेदन कर रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय

(श्री मानिक चन्द सुराना)

चिकित्सा मंत्रीजी को अनेक मुद्दों पर बहुत बधाइयां मिली हैं और बहरोड़ और पाली से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं और जिन उपलब्धियों का बखान कर दिया है, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, मैं भी मेरी भावनाएं उनमें शामिल करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने अभी फरवरी में 12 हजार जी एन एम की नियुक्तियां की हैं, वह निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय हैं। मैं मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि आप ध्यान करें कि सन् 2015 के बजट सत्र में आपने उन जी एन एम की नियुक्तियों के लिए कोई विशेष तारीख, जो बजट सत्र के बहुत इर्द-गिर्द थी और बजट सत्र के भीतर थी, उसमें उनकी नियुक्तियां देने का वादा किया था लेकिन वह नियुक्तियां 2015 में न होकर फरवरी, 2016 में वह नियुक्तियां हुईं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तो सोच ही रहे थे कि 12 हजार नियुक्तियां होंगी तो शायद हमारे प्राइमरी हैल्थ सेंटर और सी.एच.सी. में भी कोई नर्स ग्रेड प्रथम पहुंचेगी या सैकण्ड पहुंचेगी पर मुझे निवेदन करते हुए बहुत दु:ख है। इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारे डिविजनल हैड क्वार्टर की संस्थाएं, वह हजारों साल में पचासों हजार मरीजों की सेवा करती हैं। एस.एम.एस. भी उसमें है, पी.बी.एम. भी उसमें है, जोधपुर के मेडिकल कालेज से सम्बन्धित अस्पताल हैं, वह भी उसमें हैं। पर मेरी जानकारी में यह आया है कि आपने उन 12 हजार में प्राथमिकता में तो सब जो हमारे डिविजनल हैड क्वार्टर की संस्थाएं हैं, उसी में भर दीं और आपने उसके बाद कहा कि यह सैटेलाइट में भरें, सैटेलाइट से भी बच जाए तो जिला अस्पताल में, तो सी.एच.सी. और पी.एच.सी. का तो माननीय मंत्री महोदय, नम्बर ही नहीं आया। आपने अभी संविदा पर और 3 हजार जी.एन.एम. को अपाइंट करने की बात की है और उसके लिये भी इंटरव्यू हो गये 14 से 18 मार्च में, मेरा निवेदन होगा कि यह 3 हजार जो जी.एन.एम. आप भर्ती कर रहे हैं, एक्सक्लुसिवली ग्रामीण सेवाओं में आप इसका उपयोग करें, ताकि राजस्थान के गांवों में यदि जी.एन.एम. और ए.एन.एम नहीं होगी तो वहां स्वास्थ्य सेवाओं का कोई मतलब नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में जो स्थिति है, उसको तो मैं अंत में कहूंगा, पर मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह जो सात मेडिकल कालेजेज, जिसकी घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने की है 2014 में, आज उसका स्टेटस क्या है? आपने 2014 में घोषणा की थी कि हम लैटरल एण्ट्री करेंगे। आपके स्पीच का पार्ट मेरे पास है। आपने कहा था कि हम लैटरल

(श्री मानिक चन्द सुराना)

एण्ट्री करते हैं इन कालेजेज में, जो भी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करेंगे। मंत्री महोदय, सात मेडिकल कालेजेज के लिए मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया की तरफ से जो नोर्म्स हैं, उनमें सातों का मैं ज्वाइंटली कह रहा हूं नोन क्लिनिकल ब्रांच के लिए 21 प्रोफेसर चाहिए, 21 ही एसोसियेट प्रोफेसर चाहिए, जूनियर स्टाफ में असिस्टेंट प्रोफेसर 35 चाहिए, रेजीडेंट और ट्यूटर 108 चाहिए। क्लिनिकल ब्रांच में प्रोफेसर 14, एसोसियेट प्रोफेसर 42, असिस्टेंट प्रोफेसर 77 और ट्यूटर और रेजीडेंट 217, कुल 350, यह नोन-क्लिनिकल और क्लिनिकल पढ़ाने वालों की संख्या है। आज तक आपने क्या भर्ती की है? यह कालेजेज ब्रांच के रूल्स मेरे पास में हैं। इन रूल्स के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर की ही भर्ती होगी और असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर में सैंट-परसैंट प्रमोशन है और एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर में सैंट-परसैंट प्रमोशन है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने अभी तक कितने असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती सात मेडिकल कालेजज के लिए आर.पी.एस.सी. को भेजी है? यदि आपने नहीं भेजी है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की उसकी क्रियान्विति दो साल तक आर.पी.एस.सी. को उन एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स, जिनके ऊपर सारी भर्ती है, वो अब तक आपके द्वारा आर.पी.एस.सी. को न भेजने का कारण क्या है?

लैटरल एंट्री किन की होनी है, जो मेडिकल आफिसर्स मेडिकल कालेजों में लगे हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय, चाहे उनकी सर्विस आठ साल की हो गयी, मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया का साफ कहना है और रूल्स मेरे पास भी हैं, मैंने पढ़े भी हैं कि ऐसे लोगों को वो जिस हास्पिटल में काम कर रहे हैं वो यदि किसी मेडिकल कालेज का रूप ले रही है तो भी उनको 16 और 8 साल की सेवा में ही प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जा सकेगा।

हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप लैटरल एंट्री करें पर आप यह ध्यान करें कि जो एक हायरारकी है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो कालेजएट ब्रांच के रूल से स्टेब्लिस्ड है और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है और मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के समय-समय पर डाइरेक्शंस हैं, ई.एस.आई. वालों ने जब हास्पिटल्स खोलनी चाही तो, उपाध्यक्ष महोदय, अलग से यह कहा गया कि 300 बैड का जहां ई.एस.आई. हास्पिटल था वहां 16 साल और 10 साल जिनकी सेवाएं उसी हास्पिटल में हो गयी हैं ई.एस.आई. की उनको स्पेशलिस्ट का दर्जा दिया जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके इस लैटरल एंट्री में अभी कितने लोग आये? मेरी जानकारी है कि

(श्री मानिक चन्द सुराना)

29-30 लोग आये हैं। भई, सात मेडिकल कालेजज में तो साढ़े तीन सौ आदमी चाहिए और सात में साढ़े तीन सौ आदमी चाहिए तो 30 आदमियों की आपने लैटरली एंट्री भी कर दी, 50 की कर दी, 300 का क्या हुआ? मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, हम सब ने बहुत मेजें थपथपाई जब मुख्यमंत्रीजी ने सात मेडिकल कालेजज की घोषणा की पर आज तक उन मेडिकल कालेजज को मूर्त रूप देने की कोई कार्यवाही ध्यान में नहीं आ रही।

हमारे कोई भी मेडिकल आफिसर होंगे, यदि मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के नोर्म्स को पूरा करते हैं आप उनको लीजिए पर यदि कोई नियम नहीं है तो मेरा निवेदन होगा कि मेडिकल कोलेजिएट ब्रांच के रूल्स के और मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के सारे डाइरेक्शंस और गाइड लाइंस की अवहेलना करते हुए आप यदि नये नियम लैटरल एंट्री के बनाते हैं तो यह भी ध्यान रखिये कि हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है और जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो सब उनको ध्यान में है कि यदि हायरारकी का उल्लंघन किया जाता है तो हाई कोर्ट जाने में उनको देर नहीं लगेगी। मेरा निवेदन है कि जिनको चार साल हो गये, पांच साल हो गये, छह साल हो गये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पढ़ा रहे हैं, आप प्रमोशन देना चाहते हैं उनमें से छांटे, जो एज पर रूल्स प्रमोशन के लायक हो गये उनको छांटिये।

मेरा निवेदन है कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए जो भी हमारे नोर्म्स हैं और हमें तो विश्व स्तरीय शिक्षा देनी है सात मेडिकल कालेजज में भी, तो मेरा निवेदन होगा कि हमारी नयी मेडिकल कालेजज को विश्व स्तरीय और राजस्थान की अन्य मेडिकल कालेजज के अनुसार उसमें शिक्षण व्यवस्था हो, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को देखने की माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को, पूरे चिकित्सा विभाग को, चिकित्सा शिक्षा वालों को निहायत आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन होगा कि आज तक लैटरल एंट्री में आदमी ही 30 आये हैं चाहिए साढ़े तीन सौ, भई, जो असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए उनकी विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि जो रिटायर हो गये, प्रोफेसर थे, 60 साल उनकी सेवा थी अब आपने 62 की है, मेडिकल काउंसिल कह रही है कि प्रोफेसर 70 साल तक पढ़ा सकता है तो आप रिटायर प्रोफेसर्स को क्यों नहीं बुला रहे? 70 साल जिनकी उम्र नहीं हुई है और जो अभी पांच-सात साल पढ़ा सकते हैं और किसी भी विषय के प्रोफेसर रह चुके हैं।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि जो ढाई साल मेडिकल कालेजज में पढ़ाई होती है वो पढ़ाई तो मूल रूप से एनाटोमी की, फिजियोलोजी की, बायोकैमेस्ट्री, पैथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, फोरेंसिक मेडिसन, मेरा दावा है कि मेडिकल विभाग में पोस्ट ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन के ये डाक्टर्स नहीं हैं और कोई मेडिकल में इस आधार पर अपाइन्ट नहीं होता कि वो एनोटोमी का शिक्षक रहा है। इसलिए यह जो ढाई साल तक सारे मेडिकल कालेजज में नोन-क्लिनिकल सब्जैक्ट पढ़ाये जाने हैं, आप क्यों देरी कर रहे हैं? नोन-क्लिनिकल सब्जैक्ट के प्रोफेसर आज भी उपलब्ध हैं, जो रिटायर हो गये पिछले दो, तीन, चार साल में, पांच साल में, वो सब उपलब्ध हैं। तो माननीय मुख्यमंत्रीजी के सात मेडिकल कालेजज खोलने को मूर्त रूप देने का काम करें, आर.पी.एस.सी. की मदद लें और इस लैटरल एंट्री के चक्कर में न पड़ें कि लैटरल एंट्री से हमारे सारी मेडिकल कालेजज चल जाएं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं यह मुफ्त दवा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुफ्त दवा को मैंने देखा, काफी डाक्टर्स से बात की, हमारे ओ.पी.डी. और आई.पी.डी. में यह मुफ्त दवा उपलब्ध है। माननीय मंत्रीजी, मैं आपका ही डाकूमेंट पढ़ रहा हूं कि ये दवाएं 591 प्रेसक्राइब्ड हैं, मैं आपसे पूछता हूं, यह कांग्रेस वाले तो चले गये...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हम लौट कर आयेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, आप लौट कर आओ या न भी आओ, वो अलग मुद्दा है, खैर, उस पर मुझे बहस नहीं करनी।

मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपकी यह मुफ्त दवा डाकूमेंट में लिख रही है कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत कैंसर रोग की 27 दवाइयां, हृदय रोग की 54 दवाइयां, डाइबिटीज की 33 दवाइयां, मंत्रीजी, मैं यह कहना चाहूंगा कि पी.बी.एम. हास्पिटल में कैंसर की कीमोथैरेपी की दवा एक पेशेंट को भी मुफ्त में नहीं दी गयी है, सैकड़ों-सैकड़ों पेशेंट हैं जो उसके हकदार हैं। आपकी घोषणा है कि कैंसर की दवा मुफ्त, हृदय रोग की मुफ्त, डाइबिटीज की मुफ्त। बीकानेर में जिन्होंने एक साल में कैंसर का उपचार कराया है और जिन्होंने 20, 30, 40 हजार रुपये, लाख रुपये तक कीमोथैरेपी में खर्च किये हैं, माननीय मंत्री महोदय, वो सारे रिएम्बर्समेंट के हकदार हैं। आप बीकानेर के प्रिंसिपल महोदय और वाइस प्रिंसिपल से पूछिये कि वो कीमोथैरेपी क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे हैं जो कैंसर के पेशेंट हैं उनको।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मुफ्त दवा में हमारा डाक्टर पी.बी.एम. का, एस.एम.एस. का, जोधपुर और उदयपुर मेडिकल कालेजज का यदि पांच दवा लिखता है और दो दवा मिलती हैं तो तीन दवा जो 591 में प्रेस्क्राइब्ड है, यदि उस वक्त उपलब्ध नहीं है और वो बाजार से ले रहा है तो यह मुफ्त दवा की घोषणा तभी क्रियान्वित होगी, तभी वो सही मानी जाएगी जबकि डाक्टर की लिखी हुई पर्ची पर दो तो मिल गयी तीन नहीं मिली, उस तीन का रिएम्बर्समेंट का रूल्स में प्रावधान करें। यदि हम प्रावधान नहीं करते हैं तो यह कांग्रेस सरकार भी बिना मतलब कह रही थी कि मुफ्त दवा और हम भी इनकी लीक पर यह कह रहे हैं कि मुफ्त दवा। दवा पूरी दे नहीं रहे, 591 का दवाएं देने का आपका वादा है। तो मेरा निवेदन है कि यह दवाएं आप उपलब्ध कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के बारे में माननीय मंत्रीजी से थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि इस पी.बी.एम. की स्थितियों को तो सुधारें और जो मेरे क्षेत्र की सी.एच.सी. है ...

श्री उपाध्यक्ष: आ गये, अपनी उस पर आ गये, विधान सभा पर आ गये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नापासर के लिए तो मैं आपको बधाई देता हूं कि वहां पूरा स्टाफ है, जितनी पोस्ट क्रिएटेड हैं वो हैं पर लूणकरणसर का क्या हुआ?

11 डाक्टर और मौके पर 4 हैं, जिसमें एक महिला डाक्टर, चलो वह प्रेगनेंसी के कारण छुट्टी चली गयी। आप 7 में से 4 तो दो, 3 तो दो, आपको पर्सनल निवेदन भी किया गया है। सीएचसी की हालत और खराब है, 2 डाक्टरों के पद खाली हैं। इतना ही नहीं प्राइमरी हैल्थ सेंटर में डाक्टर हैं, लेकिन नर्स ग्रेड-1 और ग्रेड-2 नहीं है। क्या करेगा डाक्टर अकेला?

उपाध्यक्ष महोदय, पीएचसी कालू में नर्सिंग ग्रेड-1 का पद रिक्त है। मैं आपको निवेदन यह करूंगा कि मेरे यहां जितनी पीएचसी हैं, उसमें 80 परसेंट पीएचसी में नर्स ग्रेड-1 और नर्स ग्रेड-2 नहीं हैं। डाक्टर हैं लेकिन नर्स नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि मेरे प्रश्न के उत्तर में, जो उत्तर उन्होंने 15 फरवरी, 2016 को दिया है, जो सूची दी है, जो पद रिक्त हैं राजस्थान में, मैं मुख्य-मुख्य पद पढ़ता हूं, नर्स श्रेणी-प्रथम 4 हजार 510, नर्स श्रेणी-द्वितीय 10 हजार 69, सहायक रेडियोग्राफर 1 हजार 312, महिला स्वास्थ्य दर्शिका 3 हजार 202, महिला

(श्री मानिक चन्द सुराना)

स्वास्थ्य कार्यकर्ता 5 हजार 959, फार्मेसिस्ट 2 हजार 399, लैब टैक्निशियन 2 हजार 466 ।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): मंत्रीजी के पास हैं यह सारी चीजें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मंत्रीजी, साल अब 2 ही हैं। इन रिक्तियों को पूरा करने का दायित्व इस सरकार का है और मैं चाहता हूं कि यह सरकार 2018 में वापिस जीतकर के आये। मंत्रीजी, इन रिक्त पदों को भरना पड़ेगा और रिक्त पदों को भरने में और स्वास्थ्य सेवाएं गांव-गांव प्रसारित करने में, इसे मूर्त रूप देने से मेरी मान्यता है कि यह सरकार 2018 में हमारे कांग्रेस के मित्रों के सपनों को तोड़कर वापिस पदासीन होगी और बहुमत से सरकार बनाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: आसन 2 सदस्यों से क्षमा चाहता है कि समय की कमी की वजह से, मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि 2 माननीय सदस्य हैं, जो भी उनकी कोई समस्या हो वह आपसे सीधा कह देंगे ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल कालेज है अलवर का। अधूरा पड़ा है एक ईएसआई हास्पिटल बना पड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष: I will not allow this now. एक मिनट आप विराज जाएं। मैंने पिछले समय भी आप सबसे निवेदन किया था कि सता पक्ष के जो सदस्य बोल रहे हैं वह 2 डिमांड से ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। जो आज बोले हैं, उनमें अधिकतम वह 2 बार बोले होंगे। आपके यहां से लिस्ट प्रतिपक्ष से, 4 आदमियों की आ रही है और हर डिमांड पर वही 4 या 5 आ रहे हैं। मुझे कहीं न कहीं तो, और जो 4 व्यक्ति समय लेते हैं, यहां से 14 आदमी उतना समय लेते हैं ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आसन का आदेश ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पक्ष और विपक्ष को।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 2 पाइंट हैं। मेडिकल कालेज और ईएसआई हास्पिटल बनकर के तैयार ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पक्ष और प्रतिपक्ष के ...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, मंत्री महोदय। एक मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि don't try to guide.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पक्ष और प्रतिपक्ष के 28 उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने चिकित्सा, स्वास्थ्य और आयुष जैसे अति महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में अपने विचार प्रकट करते हुए मेरा मार्गदर्शन किया। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे 116 माननीय सदस्यों के 166 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मैंने कटौती प्रस्तावों के उत्तर यहां आने से पहले ही आपके डाक के पते पर प्रेषित कर दिये है, शायद घर जाने से पहले आपको वह मिल जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसा विषय जो आम अवाम के जीवन से जुड़ा हुआ है। मैंने निश्चय किया है कि इस सदन में बोलते हुए माननीय सदस्यों ने जो बात कही, किसी ने आलोचना की दृष्टि से कही, किसी ने समालोचना की दृष्टि से कही, किसी ने नवाचार की प्रशंसा की लेकिन कहीं न कहीं इस चिकित्सा, स्वास्थ्य और आयुष जैसे विषय पर अपनी बात कही। मैं मेरे प्रमुख शासन सचिव, स्पेशल सैक्रेटरी, मेडिकल एंड हैल्थ एवं डायरेक्टर, मेडिकल एंड हैल्थ की एक कमेटी बना रहा हूं। वह यहां सदन से पूरी कार्यवाही का वृतांत लेंगे। एक-एक चीज को पढ़ेंगे और इसमें जो भी एक्शनेबल प्वाइंट होंगे, उस पर एक्शन भी करेंगे। माननीय सदस्यों को अवगत भी करायेंगे कि आपने सदन में बोलते हुए अमुक-अमुक बात कही थी और उस अमुक-अमुक बात पर सरकार का प्रत्युत्तर क्या है, इसके बारे में भी अवगत करायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विषय है जिसकी गूंज गांव की चौपाल में भी है। उप केन्द्र के रूप में गांव के अन्दर उप केन्द्र हैं। शहरों के अन्दर भी अलग-अलग चिकित्सालय के रूप में विद्यमान हैं। महानगरों में मेडिकल कालेज के रूप में विद्यमान हैं। इन सेवाओं में छोटी-मोटी कमी जब भी आती है तो निश्चित रूप से वह सबका ध्यान आकर्षित करवाती है।

हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि राजस्थान देश के अन्दर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान 3 लाख 42 हजार 239 किलोमीटर में फैला हुआ है। जब हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो हमारा जनसंख्या घनत्व 200 प्रति स्क्वायर किलोमीटर हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह जो कास्ट आफ सर्विस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

डिलेवरी है यह इन सेवाओं के अन्दर अगर उसका आकलन करें तो बड़े भू-भाग होने के कारण से वह भी आगे बढ़ जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, कई प्रकार की टीका-टिप्पणियां यहां की गईं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं सरकारी संस्थानों के माध्यम से जो हो रही हैं, वह ठहर गयी हैं। कइयों ने कहा कि इनमें आमूलचूल परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं एक बानगी प्रस्तुत करना चाहता हूं, मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि आज भी राजस्थान के अधिकांश लोगों का विश्वास इस सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा संस्थाओं पर बना हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगर जनवरी से लेकर के दिसम्बर तक के आंकड़े रखूं तो हमारे कुल आउटडोर जो एक उप केन्द्र से लेकर के, हमारे जिलों में चलने वाले सारे चिकित्सालयों और मेडिकल कालेजों तक है तो एक साल का आउटडोर 9 करोड़ 78 लाख 65 हजार 810 लोग हैं। इतने लोग एक साल के अन्दर सरकारी संस्थाओं में आउटडोर में आये। अगर प्रतिदिन का औसत निकालूं तो प्रतिदिन का औसत 2 लाख 68 हजार 132 निकलता है। अब इंडोर पेशेंट की बात, इंडोर पेशेंट के रूप में सारी संस्थाओं में पूरे साल में जो भर्ती हुए उनका आंकड़ा 52 लाख 38 हजार 936 है और प्रतिदिन का औसत 14 हजार 353 आता है। मेजर सर्जरी जो होती हैं, वह 3 लाख 37 हजार 817 हैं और प्रतिदिन राजस्थान के किसी न किसी सरकारी चिकित्सालय में 927 मेजर सर्जरी हो रही हैं। माइनर सर्जरी 10 लाख 39 हजार 608 होती हैं और एक दिन का औसत 2 हजार 849 है। यह बात यह सिद्ध करती है कि तमाम कमियों के पश्चात आज भी आम व्यक्ति का विश्वास इन राजकीय चिकित्सा संस्थानों में बना हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे स्वीकार करने में गुरेज़ नहीं है कि जो चिकित्सा पहले सेवाएं हुआ करती थी, वह व्यवसाय में तब्दील हो गई हैं। आज हमारा नौजवान चिकित्सक जब मेडिकल कालेज में एमबीबीएस के प्रथम सत्र में प्रवेश करता है और जब इंटर्नशिप करके निकलता है तो मेडिकल कालेज के बजट को उन पूरे आंकड़ों में बांटकर देखते हैं तो हर मेडिकल कालेज में से निकलने वाले इंटर्नशिप तक पहुंचने वाले एक स्टूडेंट पर 19-20 लाख रुपया सरकार का खर्च होता है। यह पैसा किसका है? यह पैसा सरकार का है। आम व्यक्ति जो कर देता है उसका पैसा है।

लेकिन मुझे आज कहने में संकोच नहीं है कि लगभग सभी माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदस्यों ने कहा कि आपके पास विभिन्न श्रेणियों के चिकित्सकों की संख्या में कमी है, जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। मैं इसको स्वीकार करता हूं। मैं इसलिए स्वीकार करता हूं कि आज का चिकित्सक कम समय में ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहता है। यह जो बदलाव आया है, यह सामाजिक बदलाव कहें, इसके कारण से यह सारी परेशानियां आ रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब लोकतंत्र पैदा हो रहा था तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने भी आर्टिकल 39 एफ और आर्टिकल 42 में इस चीज का प्रावधान किया था कि बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व सरकारों के पास है।

सरकार को यह काम करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां बजट की भी बात चली, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को और धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि वर्ष 2013-14 के अन्दर जो पूरे महकमे का बजट था वह था, 5028 करोड़ रुपए और वर्ष 2016-17 में यह बढ़कर हो गया 9537 करोड़ रुपए, यानी 90 परसेंट की बढ़ोत्तरी इस काल खंड में इस विभाग में हुई, यह इस बात को सुनिश्चित करती है कि राजस्थान की सरकार आम व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अधिक से अधिक बजट देकर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करना चाहती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वह आंकड़ा भी लेकर आया हूं कि न केवल आउटले हमारा बढ़ा बल्कि आउटले के साथ-साथ इस बार मेडिकल हैल्थ और मेडिकल एजुकेशन के अन्दर जो बजट हमें आबंटित हुआ उसका हमने 93 परसेंट खर्च किया, हमें आयुष, होम्योपैथी और यूनानी में जो पैसा मिला उसमें हमने 96 परसेंट खर्च किया। यह इसलिए कह रहा हूं कि बजट के आबंटन के साथ ही बजट का खर्चा भी महत्वपूर्ण है, तभी तो हमारी इन सेवाओं का विस्तार होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां कई माननीय सदस्यों ने नि:शुल्क दवा योजना और नि:शुल्क जांच योजना के बारे में कई प्रकार के सवाल खड़े किए। टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अपनी बात कही, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ दूसरे अंदाज में अपनी बात कही और धोद और सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कही तो कुल मिलाकर यह बात कहने की कोशिश की कि सरकार इन योजनाओं के प्रति, मुफ्त दवा योजना और मुफ्त जांच योजना के प्रति गम्भीर नहीं है। एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सदस्य ने तो यह भी कह दिया कि अब चूंकि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना आ गई है, 13 दिसम्बर से उसकी आड़ में भी सरकार इसको बंद करना चाहती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मुख्य मंत्री, माननीय वसुन्धराजी जन कल्याण के कार्यक्रमों को कभी भी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखतीं। यह इस बात का द्योतक है कि आज भी जो पूर्ववर्ती सरकार की योजनाएं थीं, चाहे वह मुफ्त दवा योजना हो, चाहे मुफ्त जांच योजना हो या चाहे और कोई जन कल्याणकारी योजना हो, एक भी योजना को बंद करने की मंशा न सरकार की पहले थी और न बाद में रहेगी। हां, यह जरूर है कि हमने आकर इन दवाओं में गुणात्मक दृष्टि से किस प्रकार अच्छी और गुणात्मक दवाइयां मिल जाएं, इसके लिए हमने एक नई नीति जरूर बनाई। उस नीति के अन्तर्गत माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जून, 2015 में हमने बनाई, हमने ई-टेंडरिंग करने का काम चालू किया और कहा कि दवाई जो भी आएगी, दवाई निर्माता और विक्रेता उसके पास डब्ल्यूएचओ, जीएमपी सर्टिफिकेट हो उसी की दवाएं हमने खरीदने की अर्हताओं में बात डाल दी। हमने संविदा शर्तों में भी पहले जो एक साल का कांट्रेक्ट होता था उसको बढ़ाकर दो साल कर दिया। गुणवत्ता की दृष्टि से दो स्तरीय अलग-अलग लैब से हमने जांच के लिए प्रावधान कर दिया यानी सरकारी संस्था में अगर कोई दवाई जा रही है तो पहले दस दवाई का रैंडम तौर पर उसका सैम्पल और सैम्पल लेकर उस पर बैच नम्बर, निर्माता कम्पनी का नाम हटाकर उसका कोड नम्बर देकर और NABL Accredited Laboratory में या लाइसेंसशुदा लैब में उसकी जांच करवाते हैं और जब जांच में दो अलग-अलग लैब से जांच में प्रमाणित हो जाती है उसके बाद ही हम उस दवा को आगे भेजते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कैंसर की दवाई के बारे में कहा, कैंसर की दवाई आपने सूची में शामिल कर रखी है, जो मुफ्त में है, मुफ्त दवा योजना में है लेकिन उसका पीबीएम हास्पिटल, बीकानेर में पैसा लिया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 595 दवाइयां हैं जो असेंशियल ड्रग की लिस्ट के रूप में हमारे विशेषज्ञों ने कहा कि यह दवाइयां मुफ्त दवा योजना में होनी चाहिए और 214 प्रकार के सर्जिकल और सूचर्स, अब इसके अन्दर कीमोथैरेपी में काम आने वाली दवाई, उसका कौनसा कम्पोनेंट ऐसा है जो उसमें शामिल नहीं है, मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, आपने जो बात कही उसको गम्भीरता से देख रहा हूं और मेरे अधिकारियों को निर्देशित कर रहा हूं कि अगर 595 दवाई जो ईडीएल की सूची में हैं, उसमें वह दवाई शामिल हुई और उसके बावजूद उसका चार्ज लिया गया तो निश्चित तौर पर उसमें कार्यवाही करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी बात उठी, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैंने निश्चित तौर पर स्वीकार किया जब इन्होंने एक कम्पनी के बारे में मुझे शिकायत की और मैंने सदन में भी इस बात को स्वीकार किया पर इसके पश्चात् भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक कुल मिलाकर 41154 नमूने लिए गए दवाओं के और उसमें जो रिपोर्ट प्राप्त हुई 40514 की, जिसमें सही पाए गए 39766 और सिर्फ 748 अमानक पाए गए। जो अमानक पाए गए उसके अन्दर जो हमारे रूल्स में लिखा था, 291 तरह की जो दवाइयां थीं उनके बैच को बदला गया, 41 जो उत्पाद थे उनको डी बार किया गया, 108 कम्पनियों को डी बार किया गया, 287 प्रकार की दवाइयों को डी बार किया दो साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया और आज 23 प्रकरण हमारी अनुशासनात्मक समिति के पास हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां इस बात की भी चर्चा चली कि मुफ्त दवा योजना के बारे में सरकार गम्भीर नहीं। मैं लम्बी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ दो आंकड़े देना चाहूंगा। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि पांच वर्षों में जब से यह योजना प्रारम्भ हुई है, अगर सर्वाधिक बजट का आबंटन और खर्चा यदि किसी ने किया है तो इस सरकार ने किया है। इसलिए कह रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2013-14 उसमें 324 करोड़ 34 लाख रुपए, इसमें मैं केवल एक्सपेंडीचर की बात कर रहा हूं बजट की बात नहीं कर रहा हूं, 324 करोड़, 34 लाख रुपए का एक्सपेंडीचर हुआ और अब मैं जब फरवरी की बात कर रहा हूं आपसे तो एक्सपेंडीचर हुआ है 417 करोड़ 50 लाख रुपए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं 2013-14 में इस मुफ्त दवा योजना का लाभ लिया 5 करोड़ 81 लाख लोगों ने और जब मैं फरवरी का आपसे निवेदन कर रहा हूं तो लाभ लिया है 8 करोड़ 51 लाख 40 हजार 674 लोगों ने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, यह जो मुफ्त जांच योजना है उसमें भी 2013-14 का मैं आंकड़ा बताऊं, उसमें 1 करोड़ 54 लाख लोगों ने जांचें करवाईं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और मैं 15 फरवरी, 2015 तक का आंकड़ा देखता हूं तो इसमें 2 करोड़ 16 लाख, यह इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि इस मुफ्त दवा, मुफ्त जांच योजना को सरकार ने गुणात्मक दृष्टि से ठीक करके आगे बढ़ाने का काम किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया, निश्चित तौर पर पहला सुख निरोगी काया है। आरोग्य राजस्थान रहे इसके लिए नवाचार भी माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर हमने किया, हमने आरोग्य राजस्थान का अभियान चलाया। परन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आरोग्य राजस्थान रहे कैसे? आज जनसंख्या का विस्फोट हमारे सामने है, आज दूषित होता हुआ पर्यावरण हमारे सामने है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज न तो पानी शुद्ध है, न हवा शुद्ध है, न खाद्यान्न शुद्ध है, न फल शुद्ध है, न सब्जी शुद्ध है, अभी पेरिस के अन्दर एक सम्मेलन हुआ था नवम्बर के अन्दर क्लाइमेट चेंज को लेकर। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर देश और दुनिया चिंता कर रहे हैं कि बिगड़ता हुआ पर्यावरण और यह बढ़ती हुई जनसंख्या और यह अशुद्ध खानपान, यह नित नई बीमारियों को पैदा करता जा रहा है, इनके विरुद्ध में किस प्रकार की योजना बनाएं। आज हम सब लोग रोज पढ़ते हैं कि ओजोन परत का क्षरण हो गया और उसमें छेद हो गया और निश्चित तौर पर आज उसी छेद के कारण से अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वह सीधी पड़ रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बदलते हुए मौसम ने बीमारियों का मिज़ाज बदल दिया है। आज निश्चित तौर पर बैक्टिरियल और वायरस जनित रोग चाहे स्वाइन फ्लू हो या डेंगू हो, चाहे जीका हो या स्क्रब टाइफस हो, यह कब आकर किस आबादी के किस बड़े भाग को अपनी जकड़ में, पकड़ में ले ले इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। आज जब हम वायुमंडल की बात करते हैं तो आज कार्बन डाईऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीएफएस, यह इस प्रकार की गैस है जिससे एक तरह से वातावरण दूषित और जीना अस्वास्थ्यकर यह सारी चीजें हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी वर्ल्ड हैल्थ आर्गनाइजेशन ने 2014 के अन्दर 91 देशों में 1600 शहरों का उन्होंने एक अध्ययन करवाया था। हमारे राजस्थान के भी 5 शहर उसमें शामिल थे, यह 5 शहर थे, जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर और कोटा। इसमें जोधपुर के अन्दर तो सर्वाधिक वायु प्रदूषित पाई गई और हमारे इन चारों शहरों के अन्दर निर्धारित मापदंडों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के अनुसार जो पर्यावरण की शुद्धता होनी चाहिए थी वह एक में भी नहीं मिली। अभी मैं हमारे एसएमएस के पूर्व सुपरिन्टेंडेंट वीरेन्द्र सिंहजी का एक लेख पढ़ रहा था, उन्होंने लेख में लिखा है, यह जो प्रदूषणकारी गैसें हैं इनके साथ जो particulate matter हैं, अगर वो 2.5 से ज्यादा होते हैं तो यह हानिकारक हो जाते हैं, ये पार्टिकल्स बड़े छोटे-छोटे होते हैं और ये विंड पाइप के द्वारा अन्दर चले जाते हैं और इनके कारण से obstructive pulmonary disease आज आम व्यक्ति का रोग बनती जा रही है। अब यह वायु प्रदूषण रुके कैसे, सबसे बड़ी चुनौती इसकी है। मैं समझता हूं कि अब सदन को सोचना पड़ेगा। दिल्ली के अन्दर जो प्रयोग हुआ, आड-इवन व्हीकल्स के चलन को लेकर, निश्चित तौर पर आज हमारे महानगर उस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं।

(21.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, जो जनसंख्या का विस्फोट है, धरती में पानी धंसता जा रहा है। आज प्यास बुझाने के नाम पर जो पानी हम पी रहे हैं वह सौगात में कई प्रकार की बीमारियां भी दे रहा है। आज हमारे 33 जिले हैं, उन 33 जिलों में अधिकांश ब्लाक में फ्लोराइड और नाइट्रेट की परमिसेबल मात्रा 1.16 से अधिक है। आज ज्यादा फ्लोराइड का पानी पीने से जिस प्रकार की बीमारियां हैं, अभी केन्द्रीय भूजल मंत्रालय ने जो अध्ययन किया अप्रैल, 2015 में उसकी रिपोर्ट मैं कहीं देख रहा था, राजस्थान के 7056 गांव ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी तो बहुत ही खतरनाक मोड़ पर हैं जो फ्लोराइड का पानी पीने को मजबूर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं हमारे प्रदेश के अन्दर 16 जिले हैं जो इंदिरा गांधी नहर के पीने के पानी पर निर्भर करते हैं। दो करोड़ जनसंख्या यह पानी पीती है, यह पानी पौंग से आता है, पंजाब से होकर निकलकर आता है। आज भी पंजाब के अन्दर जालंधर के पास फगवाड़ा के अन्दर मैन कैनाल को पंक्चर करके वहां इण्डस्ट्रियल वाटर डाला जा रहा है, वहां ड्रैनेज का वाटर डाला जा रहा है। वह सारा पानी आगे जाकर जब पीने के पानी में इस्तेमाल लिया जाता है तो उसमें हानिकारक आर्सेनिक हैं, क्रोमियम, हैवी मेटल्स हैं, इनके कारण से लिवर, फेफड़े, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर होने की बात होती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 19 फरवरी, 2015 को सूरतगढ़ के अन्दर प्रधानमंत्री महोदय आये थे उस समय पंजाब के मुख्य मंत्रीजी को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि निश्चित तौर पर पंजाब इसमें देखे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो अप्रैल, 2015 का जिक्र कर रहा था केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय का, उनका अध्ययन यह कह रहा है कि देश के अन्दर सर्वाधिक गांव जिसमें सबसे ज्यादा फ्लोराइड और नाइट्रेट हैं 21833, उनमें कैमिकल और बैक्टीरियल कंटेमिनेटेड वाटर पीने के लिए जो सबसे ज्यादा आबादी है वह राजस्थान के अन्दर है।

उपाध्यक्ष महोदय, फ्लोराइड। फ्लोराइड से फ्लोरोसिस। मैं खुद जिस इलाके से आता हूं हमारे सरदारशहर, चूरू के लोगों को लोग पहचान लेते हैं कि आपके दांत से तो आप चूरू के दिखते हो। आज इस डेंटल फ्लोरोसिस से दांत पीले होंगे, दांत भूरे होंगे, उसके बाद दांत काले होंगे, उसके बाद दांत गिर जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज नागौर के अन्दर बांकापट्टी के रूप में एक इलाके को जब पुकारते हैं तो मन में अफसोस होता है, पर इसका कोई इलाज नहीं है। आज स्केलेटल फ्लोरोसिस नाम की बीमारी जिसमें आदमी टेढ़ा हो जाता है इस फ्लोराइड के कारण से हो रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा उन्होंने जो 100 डेंटल चेयर दी है, इसके पीछे मंशा यही थी कि राजस्थान के अन्दर फ्लोरोसिस और डेंटल फ्लोरोसिस बढ़ रही है इसलिए 100 डेंटल चेयर दी है। इन 100 डेंटल चेयर के साथ-साथ मैं भी यह घोषणा करना चाहता हूं कि हम इन पर 82 डेंटल डाक्टर की भर्ती भी आने वाले 3 महीने में पूरी करके इन डेंटल चेयर्स का उपयोग हम करेंगे। यही नहीं सम्भाग मुख्यालय पर एक डेंटल वैन देने का काम किया है। मैं समझता हूं कि उसके पीछे भी भावना ऐसी है कि हम हर सम्भाग के अन्दर जो सर्वाधिक फ्लोराइडयुक्त गांव हैं उन गांवों को हम छांटेंगे और इन सारे सम्भागों में 500-500 पहले वे गांव जिनमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है यह डेंटल वैन भी जाएगी और हमारे खुद के और एक्सपर्ट डाक्टर भी जाएंगे। उनमें कैम्प लगाकर इस रोग के खिलाफ एक तरह से जंग लड़ने का काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, और तो और यह ध्वनि प्रदूषण। यह भी कई प्रकार के रोग पैदा कर रहा है। इसके कारण से बहरापन, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और मानसिक अवसाद। अभी एक कंसील्टंग इंजीनियरिंग ग्रुप लिमिटेड है इसने जयपुर में 17 जगह इसका अध्ययन करवाया और 16 जगह उन्होंने पाया कि 30 डेसिबल जो इसका मापदण्ड है उससे ज्यादा सब जगह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नोइस थी और यह इस प्रकार की स्थिति थी। आज मोबाइल टावर के रेडिएशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा है, आज के अख़बार में था कि इसका अध्ययन किया जाय कि किस तरह के रेडिएशन के प्रभाव और कुप्रभाव हैं। आज मोबाइल का उपयोग कितना बढ़ता जा रहा है। कान के लगा हुआ मोबाइल और कंप्यूटर पर टिकी हुई आंखें, ये भी कई प्रकार के रोग को पैदा कर रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब हरित क्रान्ति का दौर चल रहा है। किसान अधिक से अधिक उपज करना चाहता है और आज अधिक उपज के कारण से यूरिया और डीएपी का अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है। अभी एक अध्ययन था, उसकी रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जहां यूरिया व डीएपी खाद्यान्नों में एक मात्रा से ज्यादा होती है वहां आंत्रशोथ और किडनी का कैंसर होने की सम्भावनाएं हैं। आज यही नहीं यहां सदन में दूसरे प्रस्ताव के माध्यम से इस बात की चिन्ता भी प्रकट की गयी थी, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को कहा था कि आज जोधपुर के आसपास गंदे व ड्रेनेज तथा सीवरेज के पानी से सब्जी पैदा की जाती है। शहरीकरण बढ़ रहा है, आज राजस्थान की 24.9 प्रतिशत आबादी शहरों में रह रही है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार बड़े शहरों में इस गंदे पानी से सब्जी पैदा की जा रही है इसके कारण से अस्वास्थ्यकर कैमिकल, कीड़े, टेपवर्म, लार्वा और स्टेसिस, ये इस प्रकार के हैं ये जब लार्वा व अण्डे के रूप में स्टेसिस आदमी सब्जी के साथ में खा लेता है वह ब्रेन में जाते हैं उसे मिर्गी के दौरे आने प्रारम्भ हो जाते हैं। इसमें भी आर्सेनिक, क्रोमियम और डोक्सेसिन के कारण से लिवर, थायराइड, ऑसोफेगस और इस प्रकार का कैंसर होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीजी ने इस बात को बड़ी गम्भीरता से देखा क्योंकि आजकल एक होड़ चल गयी है कि कच्चे फल लेकर आओ और कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट डालकर उसको जल्दी से पका लो। अस्वास्थ्यकर तत्व इससे भी पैदा होते हैं। मुख्यमंत्रीजी ने जयपुर के अन्दर 7 करोड़ रुपये की एक आधुनिक लैब इस बजट में देने की घोषणा की है। इसके अलावा बांसवाड़ा, जालौर, भरतपुर, बीकानेर और चूरू में 27.50 करोड़ की लागत से आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी आज निवेदन करना चाहूंगा कि हम विभिन्न विभागों का सहयोग लेकर इस सीवरेज और ड्रेनेज के गंदे पानी से पैदा होने वाली सब्जियां और कृत्रिम रूप से पकाये जाने वाले फलों के विरुद्ध में दो महीने का लगातार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अभियान छेड़कर इसको हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जन जागृति भी हो और इस प्रकार स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसमें रुकावट भी आये।

उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कैंसर की चर्चा की थी। निश्चित तौर पर हमारी जीवन शैली और जीवन शैली के साथ-साथ हमारी दिनचर्या और सामाजिक रूप से कई चीजों को मान्यता मिल गई। उपाध्यक्ष महोदय, एक सर्वेक्षण यह बताता है कि राजस्थान में 32 फीसदी आबादी, जिसमें 50 परसेंट महिला और 13 परसेंट पुरुष, ये किसी न किसी रूप से तम्बाकू का सेवन करते हैं। अब तम्बाकू के अन्दर निकोटिन हैं और 40 अन्य घातक रसायन हैं। इससे हम सब जानते हैं श्वांस का रोग होता है, मुंह, फेफड़ों व पेट का कैंसर होने की सम्भावना रहती है और हृदय रोग भी होता है। आज प्रतिदिन 2200 लोग इस देश के अन्दर कैंसर से काल-कवलित होते हैं। 8 लाख लोग इस हिन्दुस्तान में कैंसर के रोग से अपनी जान देते हैं। इसके पीछे एक कारण भी है आज कोई व्यक्ति किसी प्रकार की स्मोकिंग करता है सिगरेट या बीड़ी से तो 1/3 धुएं को अन्दर लेता है और 2/3 धुएं को बाहर निकालता है। जो पेसिव स्मोकर्स हैं जो स्मोक करते नहीं वे भी इसकी गिरफ्त में आते हैं। राजस्थान के अन्दर भी आज 40 हजार कैंसर के मरीज हमेशा विद्यमान रहते हैं और 20 हजार हर साल उसमें जुड़ते जा रहे हैं। कितना भयावह यह रोग हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा झुंझुनूं के लोगों को उन्होंने 13 मई को तम्बाकू छोड़ो-युवा बचाओ के नाम से एक बड़ी रैली की। रैली भी इतनी बड़ी थी कि उसको लिम्का बुक आफ रिकार्ड और इण्डियन बुक आफ रिकार्ड में इन्द्राज किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने कोशिश की कंट्रोल ऑफ टोबेको प्रोडक्शन एक्ट, कोटापा को हम सख्ती से लागू करें। राजस्थान की सरकार पहली सरकार है जिसने कहा कि खुली सिगरेट नहीं बेच सकते क्योंकि खुली सिगरेट पर चेतावनी लिखी नहीं रहती, कोटापा एक्ट में जिसका प्रावधान है। हमने हर महीने के अंतिम दिन नो टोबेको डे करने की बात की जिसका जिक्र एक माननीय सदस्य कर रहे थे कि रक्षा बंधन तंबाकू मुक्त शपथ युक्त राखी का हमने अभियान चलाया, तीन लाख बहनों ने उसमें हिस्सा लिया। तंबाकू को छोड़ने के लिए हैल्प लाइन भी चला रखी है। इसके लिए और भी कई तरह के नवाचार हमने किये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्रीजी ने यह कहा था कि हम स्टेट इंस्टीट्यूट आफ कैंसर बनाएंगे जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर का होगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चिकित्सा शिक्षा विभाग को आरयूएचएस मेडिकल कालेज के पास प्रतापनगर के अन्दर 34 हजार स्क्वायर मीटर भूमि हम आबंटित कर चुके हैं। हमारा सिम्फोनी मोड फाउण्डेशन, जो पुर्तगाल के अन्दर, नो लोस-नो प्रोफिट में चलने वाला आर्गेनाइजेशन है। उसके साथ टैक्नीकली हैल्प के लिए हमारा एमओयू हो चुका है और वहां जो सिंगल फ्रेक्शन इमेज-गाइडेड रेडियो थैरेपी है जो आधुनिक है आज के युग में।

उपाध्यक्ष महोदय, 120 करोड़ की लागत से बनने वाला यह स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है और इसके निर्माण के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, हमने निर्माण करने वाली एजेंसी को भी छांट लिया है और हम अगले मार्च तक इसका निर्माण करके जनता को समर्पित कर देंगे, यह आज मैं निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा झालावाड़, बीकानेर के अन्दर हम टर्सियरी कैंसर केयर सेंटर स्थापित कर रहे हैं और उसके भी 45 करोड़ रुपये मंजूर हो चुके हैं और केन्द्रीय उपक्रम एचएससीसी निर्माण कार्य एक-दो दिन में प्रारम्भ कर देगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा जो सवाई मानसिंह चिकित्सालय है जिसके बारे में कई प्रकार की चर्चाएं कीं, वहां 2007 के अन्दर वसुंधराजी ने कैंसर ग्रस्त मरीजों को ब्लड कैंसर, ब्लड डिजीज, थैलेसिमिया और एप्लास्टिक एनीमिया के लिए बोनमैरो ट्रांसप्लांट और स्टेम सैल ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना की थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विश्व के अन्दर haploidentical transplant अगर शुरू करने का काम किसी ने किया तो हमारे इस एसएमएस के हमारे विद्वान चिकित्सकों ने किया, उन्होंने प्रयोग किया और वो प्रयोग बिलकुल सफल रहा।

उपाध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं कि आज की जिन्दगी भागमभाग की जिन्दगी है। जिन्दगी का तौर-तरीका बदल गया, श्रम लगभग अनुपस्थित हो गया, खान-पान बिगड़ गया जिसके कारण से लाइफ स्टाइल डिजीज जिसके अन्दर कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गये। अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य एक आंकड़ा रख रहे थे, मैं उससे इत्तफाक रखता हूं माननीय सदस्य। अभी जो आरोग्य राजस्थान अभियान चला, उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य इस बात का है कि यह अभियान हमने चलाया, गांवों के अन्दर ई-हैल्थ कार्ड और हैल्थ इन्फार्मेशन नैटवर्क तैयार करने के लिए और उसके अन्दर जो आंकड़े ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सामने आये उनसे सिद्ध हुआ कि यह लाइफ स्टाइल डिजीज गांवों में कैसे पांव पसार रही है। हमने ब्लड शुगर की जांच 2 लाख 55 हजार की की जिसमें जो डायबिटीज के रोगी निकले उनकी संख्या 24198 है यानी 8 फीसदी। ब्लड प्रेशर की 8 लाख 30 हजार लोगों की जांच की और हाई ब्लड प्रेशर के जो रोगी निकले उनकी संख्या 58497 निकली, यानी 7 फीसदी। महिलाओं में हमने हीमोग्लोबिन की 3 लाख 6 हजार की जांच की और एनेमिक महिला 81223 निकली, यानी 26 परसेंट। यह जो ट्रेंड आफ इलनैस है, उपाध्यक्ष महोदय, हम इसका मूल्यांकन कर रहे हैं और उसके बाद हम हर जिले के अन्दर जिस प्रकार का ट्रेंड आफ इलनैस हमें मिलेगा, हम विशेषज्ञों के द्वारा मुफ्त परामर्श के लिए पहले दौर में डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स में इसका कैम्प लगायेंगे, दूसरे दौर में सैटेलाइट हास्पिटल में कैम्प लगायेंगे और इस प्रकार के 100 कैम्प आगामी वर्ष में लगाने का काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब स्वस्थ होने के लिए सैंस आफ वैलनैस, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मुझे महसूस करना पड़ेगा कि मैं स्वस्थ हूं परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, आज भी आत्महत्याओं का बढ़ता हुआ आंकड़ा दिल को दहला देता है। कोटा के अन्दर जिस प्रकार एक श्रृंखला सी चल निकली उसकी सबको चिंता वाजिब है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ आज भी अखबारों में जब यह पढ़ते हैं कि मानसिक रोगी आज भी घर में, झोंपड़े में जंजीरों में बंधा है, आज चांद तक की यात्रा की तैयारी हो रही है, विज्ञान कई सोपान चढ़ रहा है पर आज भी मानसिक रोगी घर के अन्दर, एक झोंपड़े में, एक पेड़ के नीचे बांध रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, हम इसके लिए एक अभियान चला रहे हैं जंजीरों से मुक्त अभियान, हम ऐसे रोगियों को अगले वर्ष में खोजेंगे, खोजकर उनका सम्बन्धित मेडिकल कालेज में मुफ्त इलाज करायेंगे। हमने आरोग्य राजस्थान के माध्यम से भी इस प्रकार के रोगियों को चिन्हिकरण करने का काम चालू किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने बीकानेर मेडिकल कालेज में यह जो स्टेट एक्सीलेंस सेंटर फोर मेंटल हैल्थ, इसकी हमें सैद्धान्तिक मंजूरी दे दी है। उपाध्यक्ष महोदय, जो जयपुर का मानसिक रोग चिकित्सालय है, क्योंकि यह डिमेंशिया की बीमारी है और उपाध्यक्ष महोदय, यह उम्र के साथ-साथ आती है और कइयों के उम्र से पहले भी आ जाती है। इस बीमारी के लिए मानसिक रोग चिकित्सालय में जेरियेटिक साइकेट्रिक केयर सैंटर हम इसी साल खोलेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह पहले कहा कि यह नान कम्युनिकेबल डिजीज, यह लाइफ स्टाइल डिजीज बढ़ती जा रही हैं और इसके नियंत्रण के लिए भी हम आगामी इस वर्ष में 17 जिले जिनमें चूरू, हनुमानगढ़, झुन्झुनूं, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, टोंक हैं और इनके अन्दर हम जिला स्तरीय एनसीडी क्लिनिक खोलेंगे। इस एनसीडी क्लिनिक में चिकित्सक होगा, दो जीएनएम होंगे और ये स्क्रीनिंग करेंगे और जांच व उपचार करेंगे। इसके अलावा हम 75 जो हमारी सीएचसी हैं उनके अन्दर भी एनसीडी क्लिनिक खोलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इन क्लिनिक के साथ-साथ हम 17 जिला स्तरीय क्लिनिक में प्रयोगशाला को इन्हीं 17 में सुदृढ़ करने के लिए 10-10 लाख रुपये सरकार देगी और 5 जिलों में 80 लाख प्रति के हिसाब से हम जेरियेटिक वार्ड भी स्थापित करेंगे जिसमें चूरू, झुन्झुनूं, बांसवाड़ा, दौसा, धौलपुर हैं। इन प्रत्येक जेरेटिक क्लिनिक में दो चिकित्सक, छह जीएनएम, फीजियोथेरेपिस्ट और सब होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कैंसर डिटेक्शन के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि अर्ली डिटेक्शन अगर किसी का हो जाए तो उसका उपचार सम्भव है। 1 मई, 2016 को मजदूर दिवस के दिन से हम एनजीओ के सहयोग से प्रत्येक महीने में एक बार जितने भी डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल हैं उनमें फ्री कैम्प लगायेंगे और कैंसर अर्ली डिटेक्शन की यह नई योजना, नवाचार हम प्रारम्भ कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे यहां 1100 पीएचसी और सीएचसी हैं जहां एक छत के नीचे आयुर्वेद और एलोपैथिक, दोनों ही संस्थाएं चल रही हैं। हमने उनमें से 200 जगह छांटी हैं जिनमें वैलनैस सेंटर स्थापित करेंगे। आज जिस प्रकार से कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि कुछ बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के अन्दर है जिसमें साइड इफेक्ट नहीं है। आज इसके एक नये सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम जो वैलनैस सेंटर खोलेंगे उसमें योगा प्रतिदिन होगा और योगा के साथ-साथ आयुर्वेद पद्धति से हर्बल और दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, आप कभी कुलिश उद्यान में गये होंगे तो वहां पर हर सन्डे को एक शम्भु जी वैद्य हैं जो एक घंटे के लिए आते हैं और वहां पर अलग-अलग बीमारियों के लिए अलग-अलग प्रकार का ज्यूस और दूसरी पद्धति से वो इलाज करते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, इस नवाचार को 200 वैलनैस सेंटर के रूप में करेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, यहां अभी आरोग्य राजस्थान की चर्चा चली, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि पहले 1 करोड़ 5 लाख घरों का दरवाजा खटखटाकर हमारी एएनएम और हमारी आशाओं ने किस प्रकार की बीमारियां सम्भव हैं, क्या है उसके बारे में स्क्रीनिंग करने के बाद हमने कैम्प लगाने प्रारम्भ किये। उपाध्यक्ष महोदय, 31 मार्च तक 8209 कैम्प का आयोजन हो गया जिसमें 15 लाख लोग आये। उसमें पांच बीमारियों की जांच की और इनमें 1 लाख 5 हजार को हमने सरकारी चिकित्सालयों में रैफर किया और 5 हजार को निजी चिकित्सालयों में रैफर क्या। राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहां ई-हैल्थ कार्ड बनेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हैल्थ इन्फार्मेशन नैटवर्क के लिए डाटाबेस हम तैयार कर रहे हैं और इन सबको भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ जोड़ने का काम करेंगे। हम उसको कहेंगे कि तेरे अमुक बीमारी है और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में निजी चिकित्सालय में जाकर तू मुफ्त में इलाज करा सकता है, इस प्रकार का प्रबन्ध करेंगे। आगामी वर्ष में हम इसको शहर की कच्ची बस्तियों में 23 लाख परिवारों का भी इसी प्रकार से संरक्षण करने का काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं हुईं। सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कुछ बात की, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कुछ बात की, मनोहरथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कुछ बात की। उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला प्रयोग है जब राजस्थान के अन्दर 67 फीसदी जनता, 1 करोड़ 2 लाख परिवार, उनको 1715 बीमारियां और 1715 बीमारियों में 30 हजार से 3 लाख रुपये तक के नि:शुल्क उपचार की व्यवस्था की। उपाध्यक्ष महोदय, यहां अब तक 885 हास्पिटल इस भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ जुड़े हैं जिसके अन्दर 453 निजी हैं और 432 सरकारी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बीमा योजना है, इसमें निश्चित तौर पर कुछ निजी चिकित्सालयों ने, जिस तरह से लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अभी वो हमारे साथ में जुड़े नहीं हैं और उन्होंने कहा कि ये पैकेज में दरें कम हैं तो हमने प्रिंसिपल, मेडिकल कालेज एसएमएस की अध्यक्षता में एक 11 सदस्यीय कमेटी बनाई, उनके साथ इनकी बात हो चुकी है और उन्होंने कहा कि सीजीएचएस रेट है उससे 10 परसेंट कम रेट पर अगर आप पैकेज को री-आर्गेनाइज करो तो हम इसमें आयेंगे। हम इस पर गम्भीरता से बात कर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय और इसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मिड टर्म करेक्शन कमेटी भी बना दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी के साथ एमओयू हुआ है, यह देश के अन्दर पहला है, जिसमें रिफण्ड क्लाज डाला है। यानी प्रीमियम की जो राशि इंश्योरेंस कम्पनी हमसे लेगी, उसमें रिफण्ड अगर 87 प्रतिशत से कम हुआ, ज्यादा कर दिया तो ठीक है, कम होगा तो शेष बची हुई राशि सारी रिफण्ड होकर सरकार में आ जायेगी और आज तक की सबसे कम प्रशासनिक लागत हमारी है। महाराष्ट्र में यह योजना चल रही है, वहां 10 परसेंट प्रशासनिक लागत है। तमिलनाडु में 15 परसेंट है और राजस्थान में तीन से सात परसेंट है और इसमें सबसे ज्यादा कवर है। किसी में भी तीन लाख तक का कवर नहीं है और सबसे कम प्रीमियम है। हमारा 370 रुपये है, तमिलनाडु में 470 रुपये है और उपाध्यक्ष महोदय, अब तक 68,043 मरीज आये हैं उसमें 12,968 मरीज निजी चिकित्सालय में गये हैं। इसमें बहुत बड़ी सुधार की आवश्यकता है, हम निश्चित तौर पर करेंगे।

मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके पीछे लाने का मकसद एक ही था। तमाम कोशिश के पश्चात् भी ह्यूमन रिसोर्सेज थे, जिसको हम पैदा करना चाहते थे, उसके अन्दर कुछ कमी रही और उसके कारण से हमें इस योजना को लेकर आना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी यहां बात चली थी कि जो महिला स्वास्थ्य है, उसके प्रति सरकार ज्यादा गम्भीर नहीं है। अभी एएचएस, एनुअल हैल्थ सर्विसेज का सर्वे हुआ था। उसके अन्दर हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वह बढ़कर 78.2 परसेंट हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, आज अपने को सबसे बड़ा संकट क्या है? इस राजस्थान में एक वर्ष के अन्दर 17 लाख नये मेहमान आ रहे हैं। एक महीने के अन्दर 1.40 लाख मेहमान आ रहे हैं और सुबह से शाम होती है, 4,651 नये मेहमान राजस्थान की धरती पर आ रहे हैं। यह जनसंख्या का विस्फोट है। इसमें कोई शक नहीं कि पांच वर्ष तक की उम्र के बच्चों में से प्रतिवर्ष 1,27,251 बच्चों की मृत्यु हो रही है। प्रतिमाह 10,604 और प्रतिदिन 353 बालक काल-कवलित होते हैं। इसका कारण कुपोषण भी हो सकता है, टीकाकरण की कमी भी हो सकती है, दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। परन्तु इस कमी को गम्भीरता से लेते हुए इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जन्म

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के साथ ही जो नवजात शिशु को एसपिक्सिया, इंफेक्शन, हाइपर थरमिया और पीलिया और दस्त, इस प्रकार के रोग गिरफ्त में ले लेते हैं और इसके लिए बड़ी आवश्यकता होती है कि न्यू बोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट्स हो और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि 16 जगह पर पांच करोड़ रुपये की लागत से इस बार हम यह न्यू बोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट प्रारम्भ करेंगे। ये जगह हैं, किशनगढ़, प्रतापपुर, बालोतरा, बयाना, शाहपुरा, सरदारशहर, बाड़ी, कोटपूतली, भीनमाल, बिलाड़ा, हिण्डौन, डीडवाना, सोजत सिटी, गंगापुर सिटी, सलूम्बर और जयपुरिया चिकित्सालय। इन 16 जगहों में हम एनबीएसयू को प्रारम्भ करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हम एक और नवाचार को प्रारम्भ कर रहे हैं। प्रसूता और नवजात बच्चा, बच्चे के पैदा होने के 42 दिन तक इन दोनों की देखभाल करने के लिए हम आशा सहयोगिनियों को एक कार्यक्रम, जो कार्यक्रम है, ''घर आधारित शिशु देखभाल कार्यक्रम'', उसमें 250 रुपये हम आशा सहयोगिनी को देंगे। वह एक जच्चा और एक बच्चा को देखेंगी तो निश्चित तौर पर इसके अन्दर भी सुधार आएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां कुपोषण की बात भी चली। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कुपोषण के साथ हमारे माननीय कई सदस्यों ने बाड़मेर की चर्चा भी कर दी। यह विश्वव्यापी समस्या है। इसी कुपोषण को आपके प्रधान मंत्रीजी ने राष्ट्रीय शर्म कहा था। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आपको याद होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक नवाचार किया, कम्युनिटी बेस मैनेजमेंट आफ एक्यूट माल-न्यूट्रिशन चाइल्ड्स का, समुदाय आधारित कुपोषण प्रबन्ध करने का हमने एक नवाचार किया। अभी नेशनल फैमिली हैल्थ का सर्वे जो आया है, उसके अन्दर यह कहा कि भारत के अन्दर 6.4 फीसदी बच्चे अति कुपोषित हैं। राजस्थान में 7.3 फीसदी बच्चे अति कुपोषित हैं। इनकी संख्या अगर हम देखें तो भारत के अन्दर इनकी संख्या है 1.1 करोड़ और राजस्थान में इनकी संख्या है 6,38,000. उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर विभिन्न शोध यह बात कह रहे हैं कि अति गम्भीर कुपोषित बच्चों में मौत की सम्भावना सामान्य से नौ गुना ज्यादा है और जो हमारा सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2013 है, उसके अनुसार पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर अभी 47 है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी विश्व स्वास्थ्य

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्टैण्डिंग कमेटी आन न्यूट्रिशन, इनका एक अध्ययन था और उस अध्ययन में इन्होंने कहा कि सामुदायिक आधारित प्रबन्धन पर 25 परसेंट से 85-90 परसेंट बच्चों को ठीक किया जा सकता है। हमने भी 13 जिलों में यूनिसेफ, गेन और एसीएफ के सहयोग से इस बात को चलाया और इसमें एक एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, जिसको पोषण-अमृत का नाम दिया। हमारे स्वास्थ्यकर्मी की प्रजेंस में प्रतिदिन उन अति कुपोषित बच्चों को खिलाने का काम किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने इन 13 जिलों में 2,34,404 बच्चों का संरक्षण किया, उसमें जो मध्यम गम्भीर थे 42,654, उनको आंगनबाड़ी के साथ जोड़ा। जो अति गम्भीर थे 10,135, उसमें से जो ज्यादा बीमार थे उनको एमटीसी सेंटर में किया, बाकी को हमने हमारे इस प्रोग्राम के साथ जोड़ा और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि आठ सप्ताह के अन्दर 7,173 बच्चे इस कुपोषण के चक्र से निकल गये। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसके साथ ही हमने कुपोषण वाच, एक नवाचार किया है आईटी के माध्यम से, जिसमें इन सब बच्चों को हम देख रहे हैं और आप माननीय सदस्य कह रहे थे कि बाड़मेर के अन्दर कुपोषण से बच्चों की मौत हुई, वह मौत कुपोषण से नहीं हुई। इन बच्चों में दो बच्चे हृदय रोग से मरे, एक बच्चा सर्प काटने से मरा, एक बच्चा रीनल फेल्योर से मरा, एक बच्चे के गैंगरीन हो गया उससे मरा, एक डूबने से मरा, छह न्यूमोनिया से मरे और दस्त से, बुखार से और लम्बी बीमारी से 10 बच्चे मरे। ये सारी सूची...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पाली, नागौर, बाड़मेर में मौतें हुई हैं। माननीय मंत्रीजी, आप छिपाओ मत बात को। पाली में भी हुई, बाड़मेर में हुई, नागौर में हुई। कुपोषण से मौतें हुई हैं। यह सरकारी आंकड़े हैं छिपाने के लिए, सरकार को सेव करने के लिए।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं आपको, सुनो आप शांति से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही ''स्वस्थ बचपन का अधिकार'' पर आजकल बहस चल रही है कि बच्चा पैदा हो गया तो उसका बचपन भी स्वस्थ रहना चाहिए। हमने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसको दो चरणों में चलाया, 56 लाख से अधिक बच्चों की हमने जांच करवाई और इसमें चार तरह के डिफेक्ट,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

'डेफिशिएंसी, डिजीज, डवलपमेंट डिले और डिसेबिलिटी', उसमें तीस प्रकार के रोग इन बच्चों में, उनके लिए हमने इलाज किया और उसके अन्दर मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि 56.5 लाख में से 2,16,301 बच्चों को हमने सीएचसी और जिला चिकित्सालय में रैफर किया। 479 की मेडिकल कालेज में और 55 की मेडिकल कालेज में सर्जरी हुई। सब तरह का इलाज बिलकुल मुफ्त में करवाया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा कर रहा हूं कि राजस्थान के अन्दर 3,141 मदरसे हैं, 2.40 लाख बच्चे इनमें हैं। इन बच्चों का भी स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर इनमें भी जो बीमार बच्चे निकलेंगे, उनका राज्य सरकार मुफ्त में इलाज कराने का काम करेगी।

नगर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो हाईजीन नि:शुल्क सेनेटरी नेपकिन्स की बात की, उपाध्यक्ष महोदय, यह नवाचार भी राजस्थान में ही किया है। गांवों में रहने वाली हमारी बच्चियां जिनको मासिक धर्म सम्बन्धी स्वच्छता नहीं रखने के कारण कई प्रकार के इसमें संक्रमणकारी रोग हो जाते हैं। हमने 2015-16 में सात जिलों में प्रारम्भ किया। मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि अब हम पूरे राजस्थान में इसको प्रारम्भ करेंगे। इसके अन्तर्गत जो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक जाने वाली 15.5 लाख हमारी बच्चियां और जो बीपीएल में है, 10 वर्ष से 19 वर्ष तक की, वे चार लाख बच्चियां हैं, इनको 60 करोड़ रुपये की लागत से प्रतिमाह 12 सेनेटरी नेपकिन मुफ्त में देने की हम घोषणा कर रहे हैं। इसको हम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां लिंगानुपात की बात भी चली। आज गिरता हुआ लिंगानुपात हमारे लिए एक तरह से सामाजिक चुनौती है। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पहले शुभलक्ष्मी योजना में तीन किश्तें मिलती थीं 7,300/- की। इन्होंने ''मुख्य मंत्री राजश्री योजना'' एक तरफ हमने नवाचार किया था कि बच्ची राजस्थान में कहीं पर भी पैदा हो, माननीय मुख्य मंत्री का बधाई संदेश फोटोयुक्त हम उनको भेजते हैं। पर यह जो हुआ उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर, प्रथम वर्षगांठ पर 2,500-2,500 रुपये, पहली कक्षा में प्रवेश करेगी तो 4,000/-, छठी कक्षा में प्रवेश करेगी तो 5,000/-, 10वीं में प्रवेश करेगी तो 11,000/- और कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करेगी तो 25,000/- । मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इससे निश्चित तौर पर यह जो सैक्स रेशो हमारा बिगड़ता जा रहा है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसमें सुधार होगा और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने पीसीपीएनडीटी एक्ट की सख्ती से पालना की। हमने जन चेतना की। इसमें भी झुंझुनूं जिले ने ''बेटी बचाओ'' विशाल रैली की थी...

आज उसका अन्तरराष्ट्रीय रिकार्ड आफ बुक्स में भी नाम है। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो प्रेगनेंसी एण्ड चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम है, पीसीटीएस सिस्टम इसके ताजा आंकड़े मैं निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कुल 28 लाख 38 हजार हमारे प्रसव हुए और यह मैं बता रहा हूं जनवरी, 2015 से लेकर फरवरी, 2016 तक के, उसमें 14 लाख 71 हजार तो बालक पैदा हुए और 13 लाख 67 हजार बच्चियां पैदा हुईं। हमारा सैक्स रेशो जो 888 था आज बढ़कर हो गया 929, यह बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं समझता हूं ये निश्चित तौर जो हमारे माथे पर कलंक है उस कलंक को भी हमने मिटाने का काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, ये जो सुरक्षित मातृत्व की बात कर रहे हैं ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आज भी स्वास्थ्य के मापदण्डों के अनुसार, हैल्थ इंडिकेटर के अनुसार हम बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़े हैं। हमारा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर इसको किस प्रकार ठीक किया जाए, इसके लिए हमने योजना बनाकर आगे काम करने का काम किया और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इन दो वर्षों में हमारी एमएमआर जो है, हमारी मातृ मृत्यु दर जो है उसमें शानदार गिरावट आई है। उपाध्यक्ष महोदय, एसआरएस का 2010 और 2012 का जो सर्वे है उसमें 255 मृत्यु प्रति एक लाख और जो एएचएस का सर्वे है उसमें 208 यानी हमारा जो एमजीडी का गोल है 181 की तरफ, इसकी तरफ निश्चित तौर पर बढ़ रहे हैं।

इसमें कारण भी है हमने कुशल मंगल जैसी योजना चलाई और इस योजना के माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर यहां कई माननीय सदस्यों ने कहा कि स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं नहीं है परन्तु हमने शुक्रवार का दिन निश्चित किया। उसको सुरक्षित मातृत्व दिवस का नाम दिया और 2 अक्टूबर, 2015 से हमने योजना प्रारंभ की। हमने सीएचसी स्तर पर शुक्रवार के निश्चित दिन पर उस सीएचसी पर महिला डाक्टर जो प्राइवेट हो उसको पांच हजार रुपए में एक दिन में वह जाकर हमारी सारी इन महिलाओं में जो बीमारियां हैं, जो प्रसव के दौरान जिस प्रकार के काम्प्लीकेशंस आ रहे हैं उसकी जांच करती है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी यहां कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि आपकी एम्बुलेंस की सेवाएं, निश्चित तौर पर उपाध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ा मार्ग अगर किसी को कह सकते हो जिसमें मृत्यु का कारण है तो हमारी इस अच्छी सड़कों के कारण सड़क दुर्घटनाएं हैं। पिछले एक वर्ष के अन्दर 35 हजार से ज्यादा दुर्घटनाएं हुईं और 10 हजार 600 लोग काल-कलवित हुए। आज की तारीख में हमारे पास जो बेड़ा है 108 एम्बुलेंस का वह 741 का है, 104 जननी सुरक्षा एक्सप्रेस का 600 का है और बेस एम्बुलेंस 240 हैं। अब हमने डायल एण्ड एम्बुलेंस इनको सबको इंटीग्रेटेड करने का काम किया है और कर रहे हैं इसको। अभी हमने इसके टैण्डर फ्लोट किए हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले साल में इसको कर देंगे। इसमें एक टेलीफोन नम्बर पर जो भी हमारे पास एम्बुलेंस उपलब्ध होगी पास में, चाहे वह जननी सुरक्षा की हो, 104 की हो, 108 की हो, चाहे बेस एम्बुलेंस हो उसका उपयोग करके हम जो बीड़ा अब तक जो एक्सीडेंट होने पर 740 एम्बुलेंस दौड़ा करती थी। उस जगह पर 1500 एम्बुलेंस दौड़ेंगी और 1500 एम्बुलेंस दौड़ेंगी तो निश्चित तौर पर समय पर वो पहुंचेगी और इसके अलावा 100 नई एम्बुलेंस। कई माननीय सदस्यों ने कहा, मैंने सबको लिखा भी है जहां जिन-जिन माननीय सदस्यों ने कहा कि एम्बुलेंस कण्डम हो गई, ज्यादा चल गई, उन सब एम्बुलेंस को हम रिप्लेस करेंगे और इस बेड़े के अन्दर 100 नई एम्बुलेंस आगामी वित्तीय वर्ष में करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक निवेदन और करना चाहता हूं मैं कि जब कहीं दुर्घटना होती है तत्काल फर्स्ट एड मिल जाए उसको कहते हैं गोल्डन पीरियड्स में गोल्डन आवर्स के अन्दर फर्स्ट एड मिल गई। अब जिस प्रकार से राजस्थान पत्रिका ने एक अभियान चला रखा है आओ बचाये जिंदगी। हम भी उसी तरह के अभियान के अन्दर राजस्थान की सरकार भी सहभागी बनेगी। हमने तय किया है जो दो सड़कें नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे, एक नेशनल हाइवे और एक स्टेट हाइवे जिसमें पिछले वर्ष सर्वाधिक दुर्घटना हुई है हम एक अभियान चलाकर के उपाध्यक्ष महोदय, वहां सर्वेक्षण करवाएंगे और जो सड़क के किनारे ढाबे हैं, होटल हैं, हम उन लोगों को चिन्हित करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे और उनको हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दिलाकर दुर्घटना होने पर गोल्डन पीरियड्स के अन्दर किस प्रकार फर्स्ट एड दें। फर्स्ट एड की सारी दवाइयां भी हम मुफ्त में देंगे, ट्रेनिंग भी मुफ्त में देंगे ताकि दुर्घटनाओं के अन्दर कुछ लोगों को काल कवलित होने से बचाया जा सके।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, यहां बात चली आर्गन ट्रांसप्लांट की। सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि आपने लिवर ट्रांसप्लांट की घोषणा की थी, इसको मैं स्वीकार करता हूं लिवर ट्रांसप्लांट की मैंने घोषणा की थी। मेरी घोषणा के अनुसार लिवर ट्रांसप्लांट के काम को हम आगे नहीं बढ़ा पाए, पर यह पहली बार हुआ माननीय उपाध्यक्ष महोदय आर्गन ट्रांसप्लांट की बात अगर पहले किसी ने सोची तो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सोची। राजस्थान के अन्दर लाइव आर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा था, कैडेवर बिलकुल नहीं हो रहा था और विगत आठ महीने के अन्दर राजस्थान के अन्दर हमने दस जिंदगियां बचाई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष के अन्दर जो हमारा एसएमएस हास्पिटल है उसके ट्रोमा के अन्दर 1384 दुर्घटनाओं में ऐसे लोग मरे जिनमें 60 परसेंट की ब्रेन डैथ थी। अब ये ब्रेन डैथ, इस ब्रेन डैथ का आदमी अगर अंगदान करे तो कई जिंदगी बच सकती हैं। आपको मालूम है ट्रांसस्प्लांट ह्यूमन आर्गन एक्ट बना 1994 में होटा एक्ट परंतु उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। आज हमारे शास्त्रों में लिखा है कि महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान किया था असुरों के वध के लिए, आज दुनिया जानती है।

आज उपाध्यक्ष महोदय, देश के अन्दर 1 लाख कॉर्निया की जरूरत रहती है जिनका प्रत्यारोपण हो और होता है 25 हजार, डेढ़ लाख किडनी जिनको प्रत्यारोपित होने की आवश्यकता होती है और होती है चार हजार, बीस हजार लिवर में प्रत्यारोपित होते हैं सिर्फ पांच सौ। हमने इसके लिए आगे बढ़ने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने होटा एक्ट के अन्तर्गत वैब रजिस्ट्री बनाई, एप्रोप्रिएट अथोरिटी बनाई, आथोराइजेशन कमेटी बनाई, ब्रेन डैथ कमेटी बनाई और उपाध्यक्ष महोदय, यह जो दस किडनी, पांच लिवर, दो हार्ट वाल्व और उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि हमारे महात्मा गांधी हास्पिटल के अन्दर एक पूरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। सूरजभान नाम का एक व्यक्ति हनुमानगढ़ के पास के गांव का है और एक राजू लुहार नाम की जो ब्रेन डैथ हुई उसका दिल आज उसके दिल में धड़कता है। मेरे से मिलने आया वह और मुझे कहने लगा कि मेरा नाम तो सूरजभान है पर मेरे अन्दर जो दिल धड़क रहा है वह राजू का है। आज धीरे-धीरे हमारा यह जयपुर, हमारा यह राजस्थान मेडिकल टूरिज्म की दृष्टि से एक मेडिकल हब की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एसएमएस हास्पिटल में जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लिवर ट्रांसप्लांट की बात आप कह रहे थे, देश के ख्यातिनाम इंस्टीट्यूट आफ लिवर एण्ड बायोलरी साइंस के साथ एमओयू हमारा हो गया। निश्चित तौर पर आप सही कह रहे थे कि 181 किडनी ट्रांसप्लांट के लिए और 12 लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हमारी वैब रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एसएमएस हास्पिटल में इसी बजट के अन्दर 4 करोड़ की लागत से इस लिवर ट्रांसप्लांट के काम को अंजाम देने के लिए दो माड्यूलर थिएटर बनाने का काम भी हम इसी साल में करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर शहरीकरण बढ़ा है और शहरों के अन्दर हमारी जनसंख्या का 24.8 फीसदी रहना प्रारम्भ हुआ है लोगों का। शहरों के अन्दर हमारी चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ कैसे हों, यह सोचा हमारी मुख्य मंत्रीजी ने 13 दिसम्बर, 2014 को। उन्होंने जो हमारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना एनएचयूएम और राजस्थान सरकार दोनों के संयुक्त संसाधनों से यह कोशिश की कि शहरों के अन्दर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। 61 शहरों के अन्दर जो पचास हजार की आबादी से ज्यादा थे 140 पीएचसी, हर पीएचसी में 75 लाख रुपए और 13 सीएचसी, हर सीएचसी में 5 करोड़ रुपये मंजूर किए थे हमने। मुझे अब यह कहते हुए अफसोस है कि इनमें से मात्र 23 शहरी पीएचसी और 4 सीएचसी में भूमि उपलब्ध हुई। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि अगर आप अपने स्तर पर भूमि उपलब्ध करा दें तो यह निर्माण कार्य भी निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा और आज मैं इस 425 करोड़ की सीएचसी और इनकी घोषणा कर रहा हूं इसमें 27 सीएचसी हैं, अजमेर जिले के अन्दर 5, चित्तौड़गढ़ में 3, दौसा, चूरू, सवाईमाधोपुर, उदयपुर में 2-2, बीकानेर, जयपुर, बारां, भीलवाड़ा, अलवर, झुंझुनूं, सीकर, डूंगरपुर, कोटा और पाली में 1-1 ये कुल 27 सीएचसी का हम निर्माण करेंगे। हर सीएचसी की कीमत 5 करोड़ रुपए होगी और इसके अलावा 170 पीएचसी इनका निर्माण करेंगे जो 260 करोड़ की होगी और उप स्वास्थ्य केन्द्र 306 जो 88 करोड़ की लागत से होंगे, इनका निर्माण भी हम अगले वित्तीय वर्ष के अन्दर करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां बात चली कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत से पद खाली हैं, मैं स्वीकार करता हूं। मैंने पहले भी निवेदन किया पर 2013 के अन्दर जब मैंने इस विभाग को संभाला तो जो हमारे चिकित्सकों के पद थे, एम.ओ. के पद 10 हजार 761 थे उनमें रिक्त 4059 थे और आज 11008 पद

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं जिनमें 1784 रिक्त हैं और जिनमें 340 तो विशेषज्ञों के हैं। हमने 3394 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति दी हैं। वाक इन इंटरव्यू के माध्यम से 466 और पे माइनस पेन्शन से भी हमने 50 की नियुक्ति दी और मैं घोषणा कर रहा हूं कि इसी अप्रैल महीने में हम 1300 चिकित्सकों की परीक्षा जो 4 अप्रैल को हो रही है, 1300 चिकित्सकों की और भर्ती करने का काम करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ये चिकित्सा सेवाएं व्यवसाय में तब्दील हो गयी हैं। हमें मजबूर होकर सरकारी मेडिकल कालेज में जो एमबीबीएस में पढ़ रहा है उससे हम बांड भरवा रहे हैं कि या तो दो साल तुम सरकार की नौकरी करोगे वर्ना पांच लाख का बांड दो। हम सरकारी मेडिकल कालेज में जो पी.जी. कर रहे हैं उनसे बांड भरवा रहे हैं तीन वर्ष का या पन्द्रह लाख रुपये का बोंड भरो, तीन वर्ष सेवा करो। हम जो सेवारत पी.जी. करने वाले हैं उनसे पांच साल अनिवार्य सेवा या पचास लाख रुपये बांड भरवा रहे हैं। ये जो हमारे पास विशेषज्ञों की कमी है, हमने 21 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ किया। हमने उस स्पेशियलिटी को छांटा जिनमें हमारे पास कमियां थीं। वो स्पेशियलिटी गायनिक, पीडिएट्रिक्स, एनेस्थीसिया, आर्थोपेडिक्स, रेडियोलोजी, सर्जरी, ई एन टी में 21 महीने का हमने यह विशेषज्ञ कोर्स इन सभी डाक्टर को करवाया है। इसका पहला बैच 358 डाक्टरों का हमें मिलेगा जिनको हम हमारे जे.एस. और इनके अगेंस्ट में लगायेंगे और दूसरे बैच की भी हमने तैयारी कर ली उसमें भी 300 लोगों को हम इसके साथ जोड़ेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मुम्बई के कालेज आफ फिजीशियन एंड सर्जन के साथ हमने एमओयू किया। हम दो वर्ष का डिप्लोमा कोर्स स्पेशलिस्ट की सेवाओं को पूरा करने के लिए, इन डाक्टर्स को जो स्पेशलिस्ट हमारे पास कम हैं, इन सर्विस और दूसरे के साथ यह एमओयू हमने करके हम दो वर्ष का नया डिप्लोमा प्रारम्भ कर रहे हैं और जिस तरह आप सबको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्रीजी ने सेवानिवृति उम्र को भी बढ़ाया है। हमने डीएसीपी के माध्यम से 2017 चिकित्सकों को डीएसीपी भी दी है और जो पहले प्रोबेशन दो वर्ष का था उसको कम करके एक वर्ष भी किया है और जो पहले फिक्स पे थी 16,800 रुपये उसको बढ़ाकर 22,180 रुपये करने का काम भी किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो हमारे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पद खाली हैं इनको हम भरें। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने पदों को भरा, परन्तु हमारी पैरीफेरी के अन्दर हमारे पैरामेडिक्स नहीं पहुंचे। निश्चित तौर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारा पढ़ूंगा तो समय लगेगा, 17332 पदों पर हमने इसी वित्तीय वर्ष में भर्ती करने का काम कर लिया। इनमें नियुक्ति देने का काम इसी महीने पूरा करेंगे, परन्तु उसके पश्चात भी मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि हम अगले वर्ष में 9538 पैरामेडिक्स की भर्ती और कर रहे हैं और जिसमें 1254 संविदा पर हैं। ये पद भर देंगे तो निश्चित तौर पर आपके पास जो रिक्तियां हैं उनमें कमी आयेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां इस बात की भी चर्चा चली कि बहुत से इक्विपमेंट ऐसे हैं जो सरकार खरीद लेती है परन्तु उन उपकरणों का उपयोग नहीं होता। आज हमने एक साफ्टवेयर ई-उपकरण के नाम से डवलप किया है उसमें हमने 66923 उपकरण जो राजस्थान के अलग-अलग चिकित्सालयों में हैं उसमें 68468 तो कार्यशील हैं, 109 तो इंस्टाल ही नहीं हुए पैंडिंग पड़े हैं और 1139 हैं जिनकी मरम्मत करानी हैं और उनमें से कुछ मरम्मत योग्य हैं कुछ अनुपयोगी भी हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि अब राजस्थान की सरकार राजस्थान में जो 66923 उपकरण हैं एक-एक उपकरण का हिसाब रख रही है, किसका उपयोग हम किस प्रकार करें, कैसे करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पीपीपी मोड को लेकर कई प्रकार की चर्चा चली। निश्चित तौर पर पीपीपी मोड पर हमें क्यों जाना पड़ा, हमारे पास मानव संसाधन कम हैं। तमाम प्रयास के पश्चात जिन प्रयासों का जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, हमें पूरे मानव संसाधन नहीं मिले। हमने 34 प्राथमिक चिकित्सा के अन्दर, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और एक ट्रोमा सेन्टर को प्रायोगिक तौर पर हमने पीपीपी मोड पर चलाया और उसका रिजल्ट बड़ा उत्साहजनक आया। इनमें सात महीने का जो रिजल्ट आया उसमें इन चिकित्सालयों में आउटडोर में 74 परसेंट की बढ़ोतरी हो गयी। इन्स्टीट्यूशनल डिलीवरी में 35 परसेंट की बढ़ोतरी हो गयी और चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति 97 प्रतिशत रहने लग गयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए 243 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को पीपीपी मोड पर देने के लिए ई-टेण्डरिंग की। हमें 152 पीएचसी के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसी 16 मार्च को हमने निविदाएं खोली हैं। हम गुणावगुण के आधार पर और जनप्रतिनिधियों से बात भी करेंगे कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पीपीपी मोड पर हम इन चिकित्सालयों को देना चाहते हैं। उनकी राय के अनुसार जहां सहमति होगी वहां इन सारे जो हमारे पीएचसी हैं इनको हम पीपीपी मोड पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास रेडियोलोजिस्ट की कमी है। हमारी सी टी स्कैन मशीनें 29 जगहों पर लगी हैं परन्तु काम नहीं हो रहा है और कई जगह पर जिलों में क्योंकि आजकल सिटी स्केन का उपयोग बहुत हो गया, ट्रोमा ज्यादा होने लग गया। हमने पीपीपी मोड पर पूर्व संचालित बंद पड़ी 29 सिटी स्केन मशीनों का टैण्डर किया ई-टैण्डर के माध्यम से, हमें 14 के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ब्यावर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, अलवर, सीकर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, धौलपुर, चित्तौड़, बूंदी और राजसमन्द के अन्दर हम पीपीपी मोड के आधार पर हम इन्हें संचालित करने का काम अगले वर्ष से प्रारम्भ करेंगे और 14 जगह पर जहां नयी सी टी स्कैन लगेगी उनमें भी 13 जगह हमें प्रास्ताव प्राप्त हुए हैं जिनकी एलओआई हम जारी कर रहे हैं। दौसा, जोधपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी, बारां, चूरू, झुंझुनूं, बीकानेर, हनुमानगढ़, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर यानी एक तरह से लगभग सभी जिला मुख्यालयों पर किसी न किसी तरह से सिटी स्केन का उपयोग प्रारम्भ हो जाए इसका प्रबंध हमने किया है। एमआरआई के लिए हमने 33 जगह निकाली थी जिनमें से सिर्फ तीन प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं भीलवाड़ा, कावंटिया जयपुर और अलवर इनकी एलओआई भी हम जारी करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हीमोडायलिसिस में जहां तकनीशियन की कमी है, हमने 33 जगह पर पीपीपी मोड पर निविदाएं आमंत्रित कीं, 26 की एलओआई हम जारी करेंगे। आईवीएफ के अन्दर भी हम 6 स्थानों के लिए जारी करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इस पीपीपी मोड के माध्यम से जहां सेवाएं और तकनीकी इसको चलाने वाले चिकित्सक और तकनीशियन नहीं मिले वहां इस काम को हम आगे बढ़ायेंगे। यहां लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यहां आपने सात मेडिकल कालेज खुलवाने की घोषणा कर दी, मुख्यमंत्रीजी से करवा ली। ये मेडिकल कालेज कैसे चलेंगे। ये मेडिकल कालेज कब बनेंगे। ये सात मेडिकल कालेज बाड़मेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, चूरू, डूंगरपुर और पाली इसमें जो इसके निर्माणकर्ता हैं वो भारत सरकार के उपक्रम हैं। हमने उनको वर्क आर्डर दे दिया है, 179 करोड़ की स्वीकृति जारी कर दी। बाड़मेर का मेडिकल कालेज ईपीआई

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बनायेगी। भीलवाड़ा का आरएसआरडीसी बनायेगी। भरतपुर का आरएसआरडीसी बनायेगी। चूरू का एचसीसीएल बनायेगी। डूंगरपुर का एनबीसीसी बनायेगी और पाली का एचसीसीएल बनायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं आपको कि हमारी लैटरल एंट्री के पीछे भावना एक ही थी कि इन चिकित्सालयों में हमें फैकल्टी कहां से मिले। इसके साथ-साथ मैं आपके सुझाव को स्वीकार करता हूं। हम जो रिटायर्ड डाक्टर होंगे, क्योंकि 62 वर्ष तक उम्र बढ़ाई है, परन्तु इसके साथ मैडिकल कौंसिल आफ इंडिया यह कह रही है कि सत्तर वर्ष तक किसी प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर को हम अगर अनुमति दें तो अध्ययन के साथ-साथ इस काम को कर सकता है, हम उसको आगे बढ़ायेंगे और निश्चित तौर पर दोनों काम हम पूरे करेंगे और एमसीआई का जो निरीक्षण का फर्स्ट स्टेज है, दिसम्बर, 2016 में इनके निर्माण कार्यों को हम यहां तक ले आएंगे, ताकि एमसीआई का पहला इंस्पेक्शन हो जाए और शैक्षणिक सत्र 2017-18 में हम सौ-सौ छात्रों का इन मैडिकल कालेजज में प्रवेश करके इन मैडिकल कालेजज को धरती पर उतारने का काम करेंगे, हवा में नहीं रहेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारे सीकर का क्या करोगे? राठौड़ साहब, सीकर में खोलोगे कि नहीं कोई सरकारी मेडिकल कालेज?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर के कालेज का भी मंत्री महोदय बताएं कब तक बनेगा? जमीन हम दे देंगे साहब, बानसूर में। सिटी में नहीं मिल रही है तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2014-15 और 2015-16 जहां एक तरफ हमने, क्योंकि ये मेडिकल कालेज वो कारखाना है जिससे डाक्टर पैदा होंगे। हमने इनमें हमारी एमबीबीएस की सीटों को बढ़ाने का काम किया, 2014-15 में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, झालावाड़ में हमने 350 सीटें बढ़ायीं। 2015-16 में भी अजमेर में 100, उदयपुर में 100, कोटा में 100, झालवाड़ में 50 इस प्रकार कुल ये 700 सीटों की भर्ती हो गयी और 700 सीटें हमें इन नये मैडिकल कालेजेज से मिलेंगी यानी 1400 सीटों पर नये डाक्टर पैदा करने के कारखानों में शामिल करने का काम इस सरकार ने किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अलावा हमें सात नये मेडिकल कालेज में, जो अन्य जिलों में हमने 28 जगहों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर एक्सप्रेस आफ इंट्रेस्ट के लिए एक निविदा जारी की थी। जिसमें जिला मुख्यालय थे 28 और 9 सब डिवीजन जगह थी जहां हमारे दो सौ बैडेड हास्पिटल्स थे। हमें जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इसमें हमने रखा कि जो भी पीपीपी मोड पर आना चाहिए पचास करोड़ का उसका टर्न ओवर होना चाहिए। हमें जो अब तक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसमें ब्यावर में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, सीकर में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, करौली में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, हनुमानगढ़ में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और बहरोड़ और कोटपूतली में हमें एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट पर हुए हैं, अभी रिक्वेस्ट फोर प्रपोजल बनेंगे। उसमें शर्तें भी तय करेंगे, यह सब पारदर्शिता से हमने प्रस्ताव अख़बार में देकर, निविदा देकर ई टेंडरिंग से मंगवाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक नया प्रयोग प्रारम्भ किया है जयपुर और जोधपुर में हम चाहते हैं कि जयपुर का हास्पिटल रैफरल हास्पिटल के रूप में काम करना प्रारम्भ कर दे इसलिए सेठी कालोनी, कांवटिया और बनीपार्क, इन तीनों हास्पिटल को हमने एसएमएस के प्रिंसिपल के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार में दिया है। यहां एसएमएस की पूरी फैकल्टी इन तीनों को टेकओवर करेगी और इन तीनों हास्पिटल को एसएमएस का इंट्रीग्रेटेड पार्ट मानते हुए इसमें काम चालू करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि यह पैरीफेरी के हास्पिटल अगर डवलप हो जायेंगे तो धीरे-धीरे हम एसएमएस को रैफरल हास्पिटल की तरह, एम्स की तरह आगे बढ़ाने का काम करेंगे, यह हमने पहला कदम उठाया है। जोधपुर में भी जिला अस्पताल पावटा महिला जिला चिकित्सालय चौपासनी सैटेलाइट और प्रताप नगर सैटेलाइट, इसको हमने जोधपुर मेडिकल कालेज के साथ जोड़ा। इन सबमें चिकित्सक शिक्षक सेवाएं प्रदान करने की मैं घोषणा करता हूं। अब मेडिकल कालेज के लोग जाकर वहां इलाज भी करेंगे और सारी सेवाएं देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बार जितने भी मेडिकल कालेज हैं मैं घोषणा करता हूं कि हम हर मेडिकल कालेज में दो-दो अतिरिक्त सोनोग्राफी की मशीन देंगे और इसके साथ ही गुणात्मक प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने के लिये स्वतंत्र एजेंसी से रैंकिंग करवाने की भी मैं घोषणा करता हूं। बायोमेडिकल एकेडमी, हमने झालावाड़ में एक प्रयोग किया था कि डायलिसिस टेक्निशियन और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्किल डवलपमेंट के आधार पर कोशिश चालू करने के लिये, अब सारे मेडिकल कालेज में पीपीपी मोड पर बायोमेडिकल एकेडमी स्थापित करने की मैं घोषणा कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि जो प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है उसके चतुर्थ चरण में जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय का चयन हुआ है। 200 करोड़ रुपये हमें इसमें मिलेंगे जिसमें 60 फीसदी हिस्सा केन्द्र का होगा और 40 परसेंट राज्य का होगा। इसमें 200 करोड़ से हमारी सुपर स्पेशलिटी विंग को उन्नयन करेंगे। इसके अलावा 2 करोड़ 23 लाख की लागत से जयपुर में स्टेट पाइनल इंजरी सैंटर स्थापित किया जायेगा। जिस तरह मैंने पहले कहा कि रीनल और लीवर ट्रांसप्लांट के लिये 2 करोड़ से दो हाइडैंट माड्यूलर आपरेशन थियेटर स्थापित करेंगे और मानसिंह चिकित्सालय में 10 अतिरिक्त डायलेसिस मशीन के लिये 70 लाख रुपये और लैब को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फोर testing and calibration laboratory के मानक के रूप में क्रमोन्नत करने के लिये भी पांच करोड़ रुपये खर्च होंगे, 10 करोड़ 50 लाख रुपये नवीन कैथ लैब बीएस लैब तीन के निर्माण के साथ-साथ स्वाइन फ्लू और लैब के अपग्रेडेशन के लिये खर्च करेंगे। ट्रोमा और मानसिंह चिकित्सालय के बीच में जो सड़क है उन दोनों को जोड़ने के लिये डीपीआर भी हम तैयार करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि एक तरह से आमूलचूल परिवर्तन की तरफ हमारा उदयपुर मेडिकल कालेज, हमारा कोटा मेडिकल कालेज और हमारा बीकानेर मेडिकल कालेज, इन तीनों मेडिकल कालेज में हमें भारत सरकार और राजस्थान सरकार 60-40 के रेश्यो में डेढ़-डेढ़ सौ करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई और हमने तीनों के लिये एजेंसी तय कर ली है। तीनों मेडिकल कालेज में भारत सरकार की जो एजेंसी है एचएससीसी वह इनके निर्माण कार्य को प्रारम्भ करेगी और जल्दी ही हम केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को आमंत्रित करके तीनों का शिलान्यास करायेंगे।

उदयपुर में गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी, जीआई सर्जरी, रेडियोथैरेपी, यूरोलोजी, यूरोसर्जरी, एंड्रोक्रायोनोलोजी यह सुपरस्पेशलिटी खोलने का काम हम इसी वर्ष में करेंगे, 77 करोड़ की लागत से भवन निर्माण होगा। जिसमें 9 करोड़ की लागत से पहले राज्य सरकार ने भूमिगत पार्किंग बनाने की स्वीकृति दी थी, वह भी करवायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, 14 करोड़ 50 लाख की लागत से उदयपुर में इसी साल सीनियर रेजीडेंट हास्टल बनेगा, 4 करोड़ की लागत से सीटी साइमुलेटर 64 स्लाइस की मशीन लगेगी। न्यूरोसर्जरी का आपरेटिंग

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माइक्रोस्कोप 2 करोड़ की लागत से, 4 माड्यूलर आपरेशन थियेटर बनेंगे 4 करोड़ की लागत से, 10 करोड़ की लागत से लीनियर एक्सीलेरेटर उदयपुर में स्थापित किया जायेगा, 4 करोड़ की लागत से नई कोबाल्ट मशीन उदयपुर में स्थापित की जायेगी। ब्रोकोस्कोपी 18 लाख की लागत से, थोरोस्कोप 18 लाख की लागत से और इंट्रावसक्यूलर अल्ट्रा साउंड और 2 करोड़ की लागत से लिथोट्रिपर, यह सारी चीजें आगामी वित्तीय वर्ष में उदयपुर मेडिकल कालेज में स्थापित की जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कोटा मेडिकल कालेज में 90 करोड़ की लागत से 6 मंजिला भवन बनेगा। 15 लाख की लागत से सी-आर्म मशीन, 15 लाख की लागत से सोनोग्राफी मशीन, 2 करोड़ 75 लाख की लागत से डिजिटल मैमोग्राफी मशीन। न्यूरोसर्जरी में आपरेटिव माइक्रोस्कोप के लिये 1 करोड़, 6 माड्यूलर आपरेशन थियेटर 6 करोड़ की लागत से, 20 लाख की लागत से एनेस्थिसिया वर्क स्टेशन, 1 करोड़ की लागत से 10 वेंटीलेटर, 60 लाख की लागत से 2 मल्टी पैरामीटर, 15 लाख की लागत से यूएसजी एंडोस्कोप, 20 लाख की लागत से फेलेसी एंडोस्कोप और 20 लाख की लागत से डिजिटल ईसीजी और साढ़े पांच लाख की लागत से एबीजी एनेलाइजर, यह सारी चीजें कोटा मेडिकल में इसी वित्तीय वर्ष में और बीकानेर मेडिकल कालेज में 82 करोड़ की लागत से भवन निर्माण होगा, 4 माड्यूलर आपरेशन थियेटर 4 करोड़ की लागत से, 70 लाख की लागत से 7 डायलिसिस मशीन, 10 लाख की लागत से 10 डायलिसिस चेयर, 15 लाख की लागत से सोनोग्राफी मशीन, 8 लाख की लागत से एक्स-रे, 25 लाख की लागत से 10 डिफैब्रिलेटर और 20 लाख की लागत से वीडियो एंडोस्कोपी और 25 लाख की लागत से वीडियो कोलोनोस्कोपी की मशीन उपलब्ध करायी जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह भूतो न भविष्यत, कभी ऐसा नहीं हुआ।

अजमेर में भी 4 करोड़ की लागत से 4 माड्यूलर थियेटर का निर्माण किया जायेगा और जोधपुर में 5 करोड़ की लागत से...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को टोक नहीं रहा हूं, मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था एक तो रेजीडेंट डाक्टर जो हास्पिटल में सेवाएं देते हैं, इन्होंने कहा कि आपको साढ़े तीन हजार रुपये मिलते हैं, अदर स्टेट का सारा मंगा कर आपका साढ़े तीन हजार से बढ़ा देंगे। कम से कम रेजीडेंट डाक्टर जो अस्पताल में ड्यूटी देता है उसको मिनिमम जो अपने नजदीक के स्टेट

(श्री हनुमान बेनीवाल)

हैं इनसे मंगाकर इनका 10 हजार रुपया रेजीडेंट डाक्टरों का किया जाय। दूसरा मंत्रीजी, यूटीबी जो आपने अरजेंट टेम्पप्रेरी बेसिस पर...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, I can't allow these things. This is going haywire now. आप विराज जायें, मंत्री महोदय आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि जोधपुर में संक्रामक रोग संस्थान को उपकरण देने के लिये 5 करोड़ का प्रावधान और जहां कैथ लैब अवधि पार कर गई है, मैं घोषणा करता हूं कि पीपीपी मोड पर नई कैथ लैब मशीन वहां लगायेंगे और लीनियर एक्सीलरेटर और गामा कैमरा वह भी पीपीपी मोड पर हम स्थापित करेंगे।

झालावाड़ में 38 करोड़ 25 लाख की लागत से पीजी हास्पिटल स्टाफ क्वार्टर, माड्युलर आपरेशन थियेटर, स्टाफ क्वार्टर, इमरजेंसी वार्ड का निर्माण करायेंगे। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो रिसर्जेंट राजस्थान हुआ है उसमें भी कई प्रपोजल प्राप्त हुए हैं, 7 प्रपोजल प्राप्त हुए हैं। इन सबको मैं जोड़ूं तो यह भी लगभग ढाई हजार करोड़ के प्रपोजल हैं। यह सारे प्रपोजल के हिसाब से मेडिकल सेवाओं में अपग्रेडेशन का काम होगा। उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर हम एक नये युग में प्रवेश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा यहां सिलिकोसिस की बात भी चली थी। निश्चित तौर पर आक्यूपेशनल हैजार्ड है सिलिकोसिस। मैं निवेदन करूं कि 20 जिले इससे प्रभावित हैं। हमने पिछली बार 10 मोबाइल वैन खरीदीं। न्यूमोकोन्योसिस बोर्ड का गठन भी हुआ। आगामी वर्ष में हम 75 कैम्प लगायेंगे और इन 75 कैम्पों में जिन मरीजों का आइडेंटिफिकेशन करेंगे उनको न्यूमोकोन्योसिस बोर्ड तक ले जाने के लिये फ्री ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध करायेंगे और फ्री उनका इलाज उपलब्ध करायेंगे, इस प्रकार का काम हम निश्चित तौर पर करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां आयुर्वेद के बारे में कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है परन्तु फिर भी आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। निश्चित तौर पर विज्ञान ज्यों-ज्यों सोपान चढ़ता गया, हमारा चिकित्सा विज्ञान ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, एलोपैथी का विकास ज्यों-ज्यों होता गया, वहां कई बीमारियों के साइड इफैक्ट भी आते चले गये। यह इस प्रकार की पैथी है जिसमें कोई साइड इफैक्ट नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैं एक ही बात निवेदन करना चाहूंगा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2013-14 में राजस्थान के जो आयुर्वेद हास्पिटल थे उनके कुल मिलाकर इनमें मेडिसिन सप्लाई के नाम पर, दवाई के नाम पर औषधि के नाम जो बजट रखा था वह था सिर्फ 1 करोड़ 53 लाख और इस वर्ष हमने बजट प्रस्तावित किया है 25 करोड़ 14 लाख रुपये सिर्फ मेडिसिन के लिये। उपाध्यक्ष महोदय, अब आप अंदाजा लगा लें 1 करोड़ में हमारे 5336 आयुर्वेद चिकित्सालय, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सालय, यह करने की मानसिकता यह थी, यह सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिये क्या कर रही है, यह आपके सामने है। उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद में और होम्योपैथी में 2013 में चिकित्सा अधिकारी के 50 परसेंट पद, यूनानी में 74 परसेंट पद और आयुर्वेद कम्पाउंडर में 36 परसेंट पद रिक्त थे। उपाध्यक्ष महोदय, हमने आकर 461 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, 128 होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी, 143 यूनानी चिकित्सा अधिकारी और 313 नर्स कंपाउंडर की भर्ती की है।

(22.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप देखें 2013 में कुल चिकित्सा अधिकारियों के 4997 पदों में से रिक्त पद 2676 थे और आज की तारीख हमारे समय में सिर्फ 938 है यानी हमने 1936 चिकित्सा अधिकारियों के पदों को भरने का काम किया है और नर्स कम्पाउंडर की मैं जब बात करुं तो उसके अन्दर भी पिछली सरकार के समय में रिक्त पद 1658 थे और अब 1057 हैं, हमने इसमें भी भर्ती करने का काम किया है और उदयपुर के अन्दर एक मात्र आयुर्वेद महाविद्यालय है। 13 वर्षों से लगातार माननीय गृह मंत्रीजी इस मांग को उधर उठाते रहे। कोई फैकल्टी नहीं, 13 साल में पहली बार पांच प्रोफेसर और 13 एसोसिएट प्रोफेसरों की आर.पी.एस.सी. के माध्यम से भर्ती करने का काम किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि आगामी वर्ष के अन्दर आयुर्वेद विभाग में 938 चिकित्सकों की स्थाई भर्ती और 973 नर्स कम्पाउंडर की स्थाई भर्ती करेंगे। संविदा के आधार पर आर.बी.एस. के प्रोग्राम में 1024 आयुष चिकित्सकों की भर्ती करेंगे और संविदा के आधार पर एन.एच.एम. प्रोग्राम में 700 आयुष चिकित्सकों की भर्ती करेंगे। कुल मिलाकर 2762 आयुष चिकित्सकों की और 973 आयुष कम्पाउंडरों की भर्ती करने का काम उपाध्यक्ष महोदय हम निश्चित रूप से करेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, रिसर्जेंट राजस्थान के अन्दर 51 एम.ओ.यू. आयुर्वेद के अन्दर हुए। 3976 करोड़ के हमें प्रस्ताव मिले। आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, महाविद्यालय खोलने का, हर्बल गार्डन खोलने, पंचक्रम सैंटर खोलने का, वैलनेस सैंटर खोलने का, हम इनका परीक्षण उपाध्यक्ष महोदय करवा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमने कुछ नवाचार भी किए। पहली बार आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सालय के अन्दर जो हमारे चिकित्सा अधिकारी काम कर रहे हैं उनको हमने मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना में जांच कराने का अधिकार दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, वृद्धावस्था में सामान्य उपचार के लिए पहली बार राज्य में इस सरकार के आने के बाद दो वर्षों में 22 जरावस्था जन्य रोग निवारण केन्द्र स्थापित किए गए थे। पिछली सरकार ने बिल्कुल नहीं खोले और इन दो वर्षों में हमने 11 खोले और अब इस वर्ष में हम 11 और खोल रहे हैं। बाड़मेर, भीलवाड़ा, दौसा, डूंगरपुर, जैसलमेर, झालावाड़, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही और टोंक में नवीन जरावस्था जन्य केन्द्र खोलने की मैं घोषणा करता हूं और इसी तरह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए 30 अंचल प्रसूता केन्द्रों की स्थापना कर, इस वर्ष हम तीन और खोल रहे हैं। बाड़मेर, पाली, राजसमंद आंचल प्रसूता केन्द्र खोलने की मैं घोषणा करता हूं उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचकर्म पद्धति को विदेशों तक में सराहा गया है। इस पंचकर्म पद्धति में पिछली सरकार में सिर्फ चार पंचकर्म चिकित्सा केन्द्र स्थापित थे। हमने गत दो वर्ष में 21 खोले और इस वर्ष शेष नौ में बाड़मेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, धौलपुर, जैसलमेर, जालौर, करौली और राजसमंद में पंचकर्म केन्द्रों की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूं। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, जो डिप्लोमा कोर्स हैं। एक वर्ष का योग डिप्लोमा कोर्स जो हमने पिछले वर्ष प्रारम्भ किया था। इसमें 30 सीटें थीं, उसको बढ़ाकर 100, पंचकर्म तकनीकी सहायक कोर्स में 100 और चार वर्षीय बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स में 100 की क्षमता के साथ हम कार्य करेंगे उपाध्यक्ष महोदय।

अब तक प्राकृतिक योग और प्राकृतिक चिकित्सकों के पंजीयन का कोई प्रावधान नहीं था। हमने पहली बार राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम में संशोधन किया। हमने डिग्रीधारी का तो कर दिया, पर अभी डिप्लोमाधारी इसमें शेष हैं। मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि डिप्लोमाधारी तीन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हजार प्राकृतिक चिकित्सकों का भी हम इसमें संशोधन करेंगे उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, समाचार पत्र खुलते ही हम रोज समाचार पत्र में विज्ञापन देखते हैं। विज्ञापन में लिखा है कि आप अमुक तरह की औषधि का अगर इस्तेमाल करोगे तो आपके जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा, कई प्रकार के ऐसे भ्रामक विज्ञापन कई लम्बाई बढ़ाने की बात को लेकर, कभी यौन रोग से सम्बन्धित बात को लेकर, इसके लिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, 1954 बना हुआ है। इसका कभी उपयोग नहीं हुआ। पहली बार ड्रग एंड मैजिक रेमेडिज एक्ट, 1954 की धारा 8 के अन्तर्गत हम जिला आयुर्वेद अधिकारियों को आथोराइज आफिसर के रूप में सूचित कर रहे हैं ताकि इस प्रकार के भ्रामक विज्ञापन हैं उन पर रोक लगाई जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, कहने को तो बहुत कुछ है परन्तु विलम्ब हो गया। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि चिकित्सा, स्वास्थ्य और आयुष विभाग एक तरह से एक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर आम आवाम से जुड़ा हुआ यह एक विभाग है। इसकी कमी-खामी दृष्टिगोचर होती है, परन्तु फिर भी मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हम इसके अन्दर 'नर में नारायण' को देखते हुए सेवा के इस क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमें हमारे योग्य चिकित्सकों पर भरोसा है। हमारे पास निश्चित तौर पर मानव संसाधन कम हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि मानव संसाधन पूरे करें। जो भवन रहित बिल्डिंग हैं, उनमें भवन बनें। हमें मुख्यमंत्रीजी ने इस बार जितना बजट दिया है, मैं समझता हूं कि आज तक इतना बजट कभी नहीं मिला। हम उसका एक-एक का सदुपयोग करेंगे और राजस्थान के अन्दर चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मैं निवेदन करूंगा कि मांग संख्या-26 को पारित किया जाए। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): बीकानेर में सैटेलाइट हास्पिटल के लिए, मंत्रीजी, कुछ कहा नहीं आपने? (व्यवधान) कुछ तो बात करो, साहब।

मांग संख्या 26 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26 – चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 71,64,74,37,000/- (इक्कहत्तर अरब, चौंसठ करोड़, चौहत्तर लाख, सैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 22 मार्च 2016 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.06 बजे मंगलवार, दिनांक 22 मार्च 2016 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में होमगार्ड जवानों को पुलिस कांस्टेबल के समान वेतन देने की योजना

310. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रदेश के 28000 होमगार्ड जवानों को उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशानुसार पुलिस कांस्टेबल के समान वेतन देने व पूरे वर्ष नियमित ड्यूटी पर रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के अनुसार अंडमान निकोबार में होमगार्डों को पुलिस के समान वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उसी तर्ज पर प्रदेश के होमगार्डों को वेतन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार होमगार्ड जवानों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर अनुदान राशि व अनुकम्पा पर नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या भारत सरकार ने होमगार्ड जवानों को अन्य बैल्ट बंध भर्तियों में 50 प्रतिशत आरक्षण लाभ सी और डी ग्रुप के तहत दे रखा है व अन्य राज्यों में भी उक्त लाभ दिया जा रहा है लेकिन राजस्थान में इसे लागू नहीं किया गया है? क्या सरकार इसे लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि होमगार्ड जवानों के सम्बन्ध में राजस्थान मानव अधिकार आयोग ने भी कोई आदेश दिये हैं? यदि हां, तो कब व क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि होमगार्ड जवानों से वर्ष 1987 से वेलफेयर फण्ड कटौती के नाम से राशि वसूली जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार होमगार्ड जवानों को ई.एस.आई. व पी.एफ. का लाभ देने का विचार सरकार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में पुलिस कानिस्टेबल के समान वेतन भत्ते दिये जाने हेतु डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 741/2015 सरकार बनाम श्री ईश्वर सिंह व अन्य में स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। अत: इस सम्बन्ध में वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

होमगार्ड स्वयं सेवकों को मांग एवं रोटेशन के आधार पर नियोजित किया जाता है। नियोजन की मांग कम होने से सभी सदस्यों को निरन्तर 12 माह ड्यूटी नहीं दी जा सकती है।

(2) गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.4.2015 अंडमान निकोबार में पुलिस के समान वेतन दिये जाने बाबत आदेश इस राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। समस्त राज्यों में गृह रक्षा स्वयं सेवकों को भिन्न-भिन्न दरों से मानदेय सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा परिस्थितियों को देखते हुए निर्धारित किया जाता है।

(3) होमगार्ड जवानों की डयूटी के दौरान मृत्यु हो जाने पर प्रत्येक मृतक सदस्य के आश्रितों को निम्नानुसार आर्थिक सहायता देय है :-

(अ) राजस्थान पेंशन सेवा नियम 75 एवं 76 के अनुसार अधिकतम 20.00 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान राशि देय होती है।

(ब) सामूहिक दुर्घटना दावा अधिकतम 1.50 लाख रुपये सामान्य प्रावधायी निधि विभाग द्वारा देय है।

(स) गृह रक्षा विभाग कल्याण निधि से अधिकतम 75,000/- की आर्थिक सहायता देय है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75(2)(ख) के अनुसार उक्त तीनों निधियों व अन्य स्रोतों की कुल राहत/अनुग्रह अनुदान राशि रु. 20.00 लाख से अधिक नहीं होगी।

गृह रक्षा सदस्य सरकारी कार्मिक नहीं होने से 'राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितो को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अनुसार नियुक्ति दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) होमगार्ड जवानों को बैल्ट बन्ध भर्तियों में 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ 'सी' एवं 'डी' ग्रुप में देने सम्बन्धी भारत सरकार का आदेश राज्य सरकार/गृह रक्षा विभाग को अप्राप्त है। ऐसा कोई प्रस्ताव राजस्थान में विचाराधीन नहीं है।

(गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा मंत्री)

(5) जी हां। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर द्वारा इस सम्बन्ध में जारी आदेशिका दिनांक 18.3.2015 की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(6) गृह रक्षा के स्वयं सेवक नियमित कर्मचारी नहीं होते हैं। अत: ई.एस.आई. एवं पी.एफ. का लाभ देने का वेलफेयर फण्ड रूल्स के नियमों में कोई प्रावधान नहीं हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के आश्रम छात्रावासों में देय सुविधाएं

311. श्री नवनीत लाल (घाटोल) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा आश्रम छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो उक्त यह आश्रम छात्रावास कब से चलाए जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में आश्रम छात्रावास चलाये जाने के क्या उद्देश्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में किन-किन जिलों की पंचायत समिति में आश्रम छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं? उक्त छात्रावासों में किस-किस जाति के छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है व उक्त छात्रावासों में क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति छात्र-छात्राओं हेतु आश्रम छात्रावास का संचालन वर्ष 1977 से किया जा रहा है।

(2) ऐसे जनजाति परिवारों के छात्र-छात्राएं जो कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण विद्यालयों में अध्ययन जारी नही रख पाते है, ऐसे छात्र-छात्राएं आगे नियमित अध्ययन जारी रख सकें एवं उनके सर्वागीण विकास के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आश्रम छात्रावास संचालित किये जा रहे है।

(3) प्रदेश में संचालित आश्रम छात्रावासों की जिलेवार, पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। इन छात्रावासों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। इन छात्रावासों में छात्र-

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)
छात्राओं को सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, सायं का भोजन की सुविधा के साथ ही नि:शुल्क यूनिफार्म, स्टेशनरी व अन्य सहायक सामग्री दी जाती है। इसके साथ ही खेल सामग्री, विद्यार्थियों को भ्रमण सुविधा तथा कठिन विषयों की कोचिंग भी उपलब्ध करवाई जाती है। प्रतिछात्र/प्रतिमाह प्रावधित राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में राज्य कार्मिकों के तीसरी संतान होने पर दण्डित करने के प्रावधान

312. श्री तरुण राय कागा (चौहटन) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश के राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को दिनांक 01 जून, 2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने पर उनको दण्डित करने के प्रावधान हैं?

(2) क्या यह सही है कि ऐसे प्रावधान भारतवर्ष में सिर्फ राजस्थान के अलावा अन्यत्र नहीं हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि इस योजना को लागू करने से भ्रूण परीक्षण एवं भ्रूण हत्या में बढ़ोतरी हुई है?

(4) क्या सरकार द्वारा नि:शुल्क चिकित्सा, राशन सहित अन्य जनहित योजनाओं के लिए यह योजना लागू की गई है? यदि हां, तो इसके क्या प्रावधान हैं व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अन्य राज्यों के सम्बन्ध में इस प्रकार की सूचना संकलित नहीं की जाती है। राज्य सरकार द्वारा लिया गया तत्सम्बन्धी नीतिगत निर्णय अन्य राज्यों की नीति के आधार पर नहीं लिया गया है।

(3) जी नहीं। ऐसी धारणा के समर्थन में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा ऐसा करना जनहित में जरूरी नहीं माना गया।

(कार्मिक मंत्री)

(5) तत्सम्बन्धी प्रावधानों को पूर्ण रूप से वापिस लिए जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। यद्यपि मानवीय आधार पर इसमें कतिपय संशोधन किये जा चुके हैं/किये जा रहे हैं।

दौसा कलां (दौसा) में सैन्ट्रल पार्क हेतु भूमि का आबंटन

313. श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद दौसा द्वारा ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित खसरा नं. 2300 लगायत 2311 कुल किता 12 रकबा 19.49 हैक्टेयर चरागाह भूमि को सैन्ट्रल पार्क हेतु भूमि आबंटन के प्रस्ताव जिला कलक्टर एवं तहसीलदार के पास लम्बित हैं? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव अब तक राज्य सरकार को नहीं भिजवाने के क्या कारण हैं तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सैन्ट्रल पार्क को विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि आयुक्त नगर परिषद दौसा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 860 दिनांक 26.06.2015 के द्वारा जिला कलक्टर दौसा के कार्यालय को ग्राम दौसा कलां के खसरा नम्बर 2300 लगायत 2311 कुल किता 12 रकबा 19.49 है. में सैन्ट्रल पार्क बनाये जाने हेतु भूमि आबंटन करने का निवेदन करने पर जिला कार्यालय के पत्र क्रमांक 5327 दिनांक 22.07.2015 के द्वारा उक्त प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये गये थे। जिसकी पालना में तहसीलदार दौसा ने अपने पत्र क्रमांक 6864 दिनांक 6.10.2015 एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा ने अपने पत्र क्रमांक 2587 दिनांक 8.10.2015 के द्वारा प्रस्ताव जिला कार्यालय को भिजवाया गया था। प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रस्तावित भूमि गेटोलाव तालाब के भराव क्षेत्र/केचमेन्ट एरिया की होना पाया जाने पर मूल प्रस्ताव कार्यालय पत्र क्रमांक 8462 दिनांक 27.02.2015 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी दौसा को पुनः परिक्षण कर प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये गये। किन्तु अभी तक उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण से प्रस्ताव वापिस प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण लम्बित रहने के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी

(राजस्व राज्य मंत्री)

जिम्मेदार नहीं है। बल्कि इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ भूमि दौसा मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं होना है।

(2) जिला स्तर से उचित भूमि चयन उपरान्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य स्तर पर परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेश में संचालित आगंनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कार्मिकों को वार्षिक भत्ता देने की योजना

314. श्री रामपाल (बारां-अटरू) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन, आंगनबाड़ी सहायिका एवं आशा-सहयोगिनी को वर्तमान में सरकार द्वारा क्या-क्या मानदेय दिया जा रहा है एवं उक्त मानदेय कब-कब बढ़ाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सुराज संकल्प यात्रा 2013 में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत उक्त कार्मिकों का मानदेय बढ़ाने एवं उन्हें वार्षिक भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घोषणा को पूरा करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन, आंगनबाड़ी सहायिका एवं आशा-सहयोगिनियों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन, आंगनबाड़ी सहायिका एवं आशा-सहयोगिनी को वर्तमान में सरकार द्वारा दिये जाने वाले मानदेय का विवरण एवं समय-समय पर बढ़ाये गये मानदेय का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) सुराज संकल्प यात्रा 2013 में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत मानदेय कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट अभिभाषण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 400 रु. मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 300 रु. एवं सहायिका, सहयोगिनी एवं साथिनों का 250 रु. प्रतिमाह मानदेय वृद्धि दिनांक 01.06.2016 से किया जाना प्रस्तावित किया है।

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कार्य परिणाम आधारित प्रोत्साहन हेतु पृथक से योजना बनाई जाना प्रस्तावित है। एक मुश्त वार्षिक भत्ता के सन्दर्भ में विभाग द्वारा नियमानुसार परीक्षण किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। इन्हें नियमित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये राज्य कर्मचारी नहीं होकर पूर्णत: अस्थाई एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली मानदेयकर्मी हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हनुमानगढ़ जिले में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना

315. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा) : क्या तकनीकी शिक्षा (कृषि) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ एक कृषि प्रधान जिला है?

(2) क्या सरकार हनुमानगढ़ जिले में कृषि विश्वविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) हनुमानगढ़ जिले में कृषि विश्वविद्यालय खोलने का नीतिगत निर्णय लिये जाने बाबत राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में संविदा नर्सेज कर्मियों को नियमित नियुक्ति

316. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में गत 15 वर्षों से कितने संविदा नर्सेज कार्य कर रहे हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में नर्स ग्रेड-द्वितीय एवं ए.एन.एम. भर्ती 2013 के अन्तर्गत कितने-कितने पदों पर कितनी-कितनी भर्तियां की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सभी संविदा नर्सेज कर्मियों को नियमित नियुक्ति दे दी गई है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो शेष को कब तक नियमित नियुक्ति दे दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में गत 15 वर्षो से समय-समय पर संविदा पर की गई नर्सेज की भर्तियों में से वर्तमान में नर्स श्रेणी-द्वितीय 1197 एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 650 संविदा पर कार्यरत हैं। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में गत 15 वर्षो से कार्य कर रहे संविदा नर्सेज का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में वर्ष 2013 में जारी विज्ञप्ति के अन्तर्गत नर्स श्रेणी द्वितीय के 11259 एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 5333 पदों पर की गई भर्तियों की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा किये गये निर्णय अनुसार विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में संविदा पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों को दिनांक 28 फरवरी, 2013 तक उनके द्वारा की गई प्रत्येक एक वर्ष की पूर्ण सेवा पर 5, दो वर्ष की सेवा पर 10 एवं तीन वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर अधिकतम 15 बोनस अंक देते हुए मैरिट के आधार पर चयन कर नियुक्तियां प्रदान की गई हैं।

शैक्षणिक, तकनीकी एवं बोनस अंक के आधार पर उपलब्ध पदों के अनुरूप पात्र नर्स श्रेणी द्वितीय 11259 एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 5333 के पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई।

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अन्तर्गत संविदा कर्मियों को नियमित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीम के बग्गड़ में रीको औद्योगिक क्षेत्र प्रारम्भ करने की योजना

317. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भीम में रीको औद्योगिक क्षेत्र बग्गड़ में घोषित किया गया है? यदि हां, तो कब? क्या सरकार इसे प्रारम्भ करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त औद्योगिक क्षेत्र को अब तक सुचारु रूप से प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भीम में रीको औद्योगिक क्षेत्र बग्गड़ घोषित किया गया है। बग्गड़ औद्योगिक क्षेत्र हेतु रीको को 660-16-10 बीघा राजकीय भूमि का आबंटन दिनांक 03.06.2010 को राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति व राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण मण्डल से सम्मति के लिए आवेदन किया जाना है।

उक्त स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात इस औद्योगिक क्षेत्र को प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र भीम में औद्योगिक क्षेत्र बग्गड़ को सुचारु रूप से प्रारम्भ करने से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति व राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्वीकृति की आवश्यकता है जिसे प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है।

इस रीको औद्योगिक क्षेत्र को सुचारु रूप से प्रारम्भ नहीं करने के कारणों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। उक्त स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात ही औद्योगिक क्षेत्र को प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांसी पंचायत समिति (बड़ी सादड़ी) में पुलिस थाने की स्थापना

318. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में चोरी, डकैती एवं वन क्षेत्र को देखते हुए बांसी पंचायत समिति बड़ी सादड़ी में पुलिस थाना व आसावरा माताजी पंचायत समिति भदेसर में नवीन पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पुलिस थाना बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ की पुलिस चौकी बांसी को थाने में क्रमोन्नत करने एवं आसावरा माता में पुलिस चौकी खोलने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है ।

उदयपुर जिले में जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत आबंटित बजट

319. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वर्ष 2013 से फरवरी, 2016 तक जनजाति क्षेत्रीय विकास की योजना/उपयोजना में किस-किस मद में कितना-कितना बजट किस-किस वर्ष में आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला उदयपुर में जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत माडा एवं अन्य योजनाओं में कितना-कितना बजट प्रावधान किया गया तथा किन-किन कार्यों हेतु अब तक कितने-कितने कार्यों में बजट आबंटित किया गया तथा कितने कार्य पूर्ण कर दिये गये तथा कितने अपूर्ण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2013 से फरवरी, 2016 तक किस-किस मद में किस-किस प्रकृति के कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई? पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की योजना हेतु निम्नानुसार राशि का आबंटन किया गया है:-

(राशि लाखों में)

योजना	वर्ष 13-14	वर्ष 14-15	वर्ष 15-16
जनजाति कल्याण निधि	26742.01	22998.15	29092.22
विशेष केन्द्रीय सहायता	8377.00	8822.04	10834.98
संविधान के अनुच्छेद 275(1)	9437.80	8529.58	12223.11
सीएसएस	3220.31	2508.00	3503.50
योग	47777.12	42857.77	55653.81

मदवार बजट आबंटन की सूचना परिशिष्ट-अ पर सलंग्न है।

(2) जिला उदयपुर अनुसूचित क्षेत्र में विभागीय योजनाओं के तहत वर्ष 2013-2016 तक 118 कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से 22 कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा शेष 96 कार्य प्रगति पर हैं। विवरण निम्नानुसार है:-

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्र.सं.	स्रोत	कुल कार्य	राशि (लाख रु.)
1.	संविधान की धारा 275(1)	82	5416.31
2.	केन्द्र प्रवृर्तित योजना	3	315.33
3.	जनजाति कल्याण निधि	21	1391.32
4.	विशेष केन्द्रीय सहायता	12	255.63
	योग	**118**	**7378.59**

सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

जिला उदयपुर में माडा क्षेत्र में वर्ष 2013 से फरवरी, 2016 तक मदवार स्वीकृत राशि निम्नानुसार है:-

(राशि लाख रु.)

क्र.सं.	मद	स्वीकृत राशि	क्षेत्र
1	जनजाति कल्याण निधि	351.26	माडा
		137.50	बिखरी
2	विशेष केन्द्रीय सहायता	523.45	माडा
		448.43	बिखरी
3	धारा 275(1)	483.74	

विस्तृत सूचना परिशिष्ठ-स पर संलग्न है। उक्त अवधि के दौरान कुल 34 कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई। इनमें से 29 कार्य पूर्ण कर दिए गये हैं तथा 5 कार्य प्रगतिरत हैं। विस्तृत सूचना परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में वर्ष 2013 से फरवरी 2016 तक विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान की धारा 275 (1) मद अन्तर्गत हैण्डपम्प निर्माण, एनिकट निर्माण, सड़क निर्माण, पेयजल, जनजाति आश्रम छात्रावास मरम्मत, जनजाति आश्रम छात्रावासों में खेल सुविधा, नया छात्रावास निर्माण एवं जनजाति आश्रम छात्रावासों में डायनिंग निर्माण का कार्य निम्नानुसार करवाये गये।

क्र.सं.	स्रोत	राशि (लाख रु.)
1.	संविधान की धारा 275(1)	873.36
2.	केन्द्र प्रवृर्तित योजना	-
3.	जनजाति कल्याण निधि	2.99
4.	विशेष केन्द्रीय सहायता	72.60
	योग	**978.95**

विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में माडा एवं बिखरी तथा अनुसूचित

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्षेत्र में वर्ष 2013 से फरवरी, 2016 तक सम्पर्क सड़कों एवं अन्य कार्य कराये गये। कार्यो की सूची परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पैट्रोल व डीजल पर वैट पड़ौसी राज्यों की तुलना में अधिक होने से राजस्व का नुकसान

320. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में पैट्रोल व डीजल पर वर्तमान में वैट की दर क्या निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 01 जनवरी, 2014 के पश्चात् जनवरी, 2016 तक राज्य में पैट्रोल व डीजल पर वैट कब-कब व कितना बढ़ाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि क्रूड आयल की दरों में कमी होने के उपरान्त भी सरकार द्वारा वैट में बढ़ोतरी करने से पैट्रोल व डीजल की दरों में कमी अपेक्षाकृत कम हुई है?

(4) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में पैट्रोल व डीजल पर वैट की दर पड़ौसी राज्यों के मुकाबले अधिक होने के कारण राज्य को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार पैट्रोल व डीजल पर वैट की दरों को कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में पैट्रोल व डीजल पर वैट की दर निम्न प्रकार है:-

वस्तु	वैट की दर
पेट्रोल	30 प्रतिशत
डीजल	22 प्रतिशत

(2) दिनांक 01 जनवरी, 2014 के पश्चात् जनवरी, 2016 तक पैट्रोल एवं डीजल पर वैट दर में हुई वृद्धि का विवरण परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

(3) वैट दरों में वृद्धि का प्रभाव पैट्रोल एवं डीजल के विक्रय मूल्य पर पड़ने से इनकी दरों में कमी उस अनुपात में कम हुई है।

(4) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौरासी के पीठ व गैजी में उप तहसील खोलने की योजना

321. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में नवीन तहसील अथवा उप तहसील खोलने के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पीठ एवं गैजी में उप तहसील खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के गिरदावर सर्किल गैजी को तहसील डूंगरपुर से हस्तान्तरित कर तहसील झौथरी में मिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में नवीन तहसील अथवा उप तहसील खोलने के मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पीठ भू.अ. निरीक्षक वृत में 4 पटवार मण्डल हैं जो वर्तमान में तहसील सीमलवाडा में हैं जिसकी दूरी तहसील मुख्यालय से मात्र 5 किमी. है। सीमलवाड़ा तहसील में 28 पटवार मण्डल हैं।

गैजी भू.अ. निरीक्षक वृत में 4 पटवार मण्डल हैं जो तहसील डूंगरपुर में आते हैं। गैजी भू.अ. निरीक्षक को तहसील डूंगरपुर से हस्तान्तरित किया जाकर तहसील झौथरी में मिलाने के प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। तहसील मुख्यालय झौथरी से गैजी की दूरी लगभग 5 किमी. है।

(3) मा. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2013-14 में की गई बजट घोषणा संख्या 196 के अनुसार राज्य में तहसीलों को पंचायत समितियों के सह सीमान्त क्षेत्राधिकार कर समान मुख्यालय कायम किये जाने के क्रम में पुनर्गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/सुझाव का परीक्षण राज्य स्तर पर किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त गिरदावर सर्किल गैजी को तहसील डूंगरपुर से हस्तान्तरित कर तहसील झौथरी में मिलाये जाने के सम्बन्ध में जनहित एवं प्रशासनिक हित में उचित निर्णय लिया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकताओं को देय वेतन में बढ़ोतरी

322. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार द्वारा प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन गत सात साल से नहीं बढ़ाया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अब इनका वेतन बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में समय-समय पर वृद्धि की गयी है जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

जी हां। वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट अभिभाषण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 400 रु. एवं सहायिका के मानदेय में 250 रु. की वृद्धि दिनांक 01.06.2016 से किया जाना प्रस्तावित किया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु आबंटित राशि

323. श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015- 16 में जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु कितनी राशि का आबंटन किया गया तथा आबंटित राशि में किस-किस जिले में किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु कृषि विभाग के लिए जनजाति उपयोजना अन्तर्गत संशोधित बजट प्रावधानों में राशि 21416.07 लाख रु. का प्रावधान किया गया एवं उद्यान विभाग के लिए 3960.40 लाख रु. का प्रावधान किया गया है। जिसका कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग का जिलावार, कार्यक्रमवार/योजनावार विवरण क्रमश: परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बिना उचित फीस निर्धारण के फूड लाइसेंस जारी करने पर कार्यवाही

324. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वर्ष 2011 से 31 जनवरी, 2016 तक कुल कितने फूड लाइसेंस किस-किस जिले में जारी किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि फूड लाइसेंस की फीस व्यापारियों के टर्नओवर के हिसाब से निर्धारित किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के अनेक जिलों में एक ही दिन में बिना उचित फीस निर्धारण के ही फूड लाइसेंस जारी किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन जिलों में एवं इससे राजकोष को कितना नुकसान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जयपुर में व्यापारियों से मिलीभगत कर कम फीस पर फूड लाइसेंस जारी किये जाने के प्रकरण विचाराधीन हैं? यदि हां, तो किस स्तर पर एवं अब तक किन-किन अधिकारियों को दोषी चिन्हित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार फूड लाइसेंस देने में अनियमितता करने एवं सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के दोषी अधिकारियों एवं दलालों तथा व्यापारियों को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में दिनांक 05.08.2011 से 31.01.2016 तक कुल 59,255 खाद्य लाइसेन्स जारी किये गये हैं, जिनकी जिलेवार सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। नियम की प्रति परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य के जिलों में एक ही दिन में बिना फीस के उचित निर्धारण के ही फूड लाइसेंस जारी किये जाने का कोई प्रकरण वर्तमान में नहीं है।

(4) जी नहीं। जयपुर में व्यापारियों से मिलीभगत कर कम फीस पर लाइसेंस जारी किये जाने का कोई प्रकरण वर्तमान में नहीं है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(5) वर्तमान में फूड लाइसेंस हेतु व आवेदन फीस जमा करवाने की प्रक्रिया आन लाइन है। लाइसेंस आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं/ई-मित्र के माध्यम से आन लाइन आवेदन एवं निर्धारित शुल्क राशि ई-चालान एवं ई-मित्र के माध्यम से जमा कराई जाती है। जो कि सीधे ही राज्य कोष में जमा होती है। आवेदन दिनांक से 60 दिवस की अवधि में आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति सुनिश्चित कर लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन जारी किया जाता है किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना

325. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उद्योगों में स्थानीय क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के कितने युवाओं को कहां-कहां रोजगार दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रावधान वर्तमान में प्रदेश में लागू नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा प्रावधान लागू करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। उद्योगों में स्थानीय क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिये जाने का प्रावधान नहीं है। उद्योगों में स्थानीय क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार देने के कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किये जाते हैं। उद्यमी स्वयं श्रमिकों की कार्यकुशलता, योग्यता एवं लाभगृहिता के आधार पर श्रमिकों का चयन करने हेतु स्वतंत्र हैं।

(2) इस सम्बन्ध में वर्तमान में कोई प्रावधान विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में पुलिस हिरासत से कुख्यात अपराधी के फरार होने पर कार्यवाही

326. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(1) कुख्यात अपराधी आनन्दपाल पुलिस की गिरफ्त से कब फरार हुआ?

(2) घटना के दो माह पूर्व जब उक्त अपराधी को पेशी के लिये डीडवाना व सुजानगढ़ आदि कोर्टों में ले जाया जाता था, तब उसकी सुरक्षा में कितना पुलिस जाब्ता व कितने कमाण्डों उसकी चौकसी हेतु रहते थे और रूट लाइन व एस्कार्ट को शामिल करने पर वह संख्या कितनी होती थी?

(3) क्या यह सही है कि दो माह पूर्व की सुरक्षा के उलट वारदात के दिन सिर्फ 12 पुलिस वाले ही आनन्दपाल की सुरक्षा में थे व जो क्यू.आर.टी. कमाण्डो आनन्दपाल के वाहन के पीछे होने चाहिये थे वे उनके पीछे न होकर कई किलोमीटर दूर थे?

(4) उक्त के फरार होने के प्रकरण में जो जांच पुलिस द्वारा की गई, उस जांच में चौकसी में कटौती किये जाने के आदेशों की जिम्मेदारी किन अधिकारियों की है? उनके नाम व आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त अपराधी का अब तक सुराग नहीं लगने के कारण किन-किन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कुख्यात अपराधी आनन्द पाल सिंह अपने साथियों सुभाष मूण्ड व श्रीवल्लभ के साथ डीडवाना से बाद पेशी अजमेर लाते वक्त पुलिस थाना परबतसर जिला नागौर के क्षेत्र से अजमेर पुलिस की चालानी गार्ड की गिरफ्त से दिनांक 03.09.15 को फरार हुआ था।

(2) घटना के 2 माह पूर्व अपराधी आनन्दपाल को पेशी के लिए डीडवाना, सुजानगढ़ आदि कोर्टों में ले जाते समय सुरक्षा में उपलब्ध कराया गया पुलिस जाप्ता व कमांडों तथा रूट लाइन व एस्कार्ट में शामिल जाप्ते का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) नहीं यह सही नहीं है। घटना से दो माह पूर्व दिनांक 04.07.2015 को अपराधी आनन्दपाल सिंह को पेशी के लिए जिला कोर्ट चूरू के लिए ले जाते समय सुरक्षा हेतु जिला अजमेर से 1 सहायक उपनिरीक्षक मय हथियार 7 कांस्टेबल जिनमें से 4 मय हथियार का जाप्ता मय वाहन व वाहन चालक के लगाया गया था जबकि घटना के दिन अजमेर से 1 उपनिरीक्षक मय हथियार, 10 कांस्टेबल जिनमें से 4 कांस्टेबल मय हथियार, 1

(गृह मंत्री)

कांस्टेबल मय कैमरा का जाप्ता मय वाहन व वाहन चालक के लगाया गया था। पूर्व में आनन्दपाल सिंह की पेशी पर कोई क्यू.आर.टी. नहीं लगाई जाती थी। रूट पर केवल स्थानीय थानाधिकारी बंदी वाहन को एस्कार्ट करते थे जबकि दिनांक 03-09-2015 को प्रथम बार कुचामन से क्यू.आर.टी. एस्कार्ट डयूटी हेतु भेजी गयी थी। प्रारम्भिक सूचना के अनुसार वाहनों की गति में अन्तर होने के कारण क्यू.आर.टी. वाहन तथा बंदी के वाहन के मध्य कुछ फासला रहा था। यद्यपि सम्पूर्ण यात्रा के दौरान स्थानीय थानाधिकारी की हथियारबंद एस्कार्ट हमेशा उपलब्ध रहती थी।

(4) कुख्यात अपराधी आनन्दपाल की चौकसी में कटौती नहीं की गयी थी। वर्तमान में कुख्यात अपराधी आनंदपाल फरारी प्रकरण में मुकदमा संख्या 137/15 पुलिस थाना परबतसर जिला नागौर की जांच एस.ओ.जी. द्वारा की जा रही है, इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जांच वर्तमान में श्री दीपक उत्प्रेती आई.ए.एस. द्वारा की जा रही है।

(5) दिनांक 03.09.2015 को हार्डकोर अपराधी आनन्दपाल सिंह व उसके दो अन्य साथी डीडवाना, जिला नागौर से बाद पेशी वापस अजमेर लेजाने के दौरान फरार हो गये थे। जिस पर श्री अनिल कुमार पाण्डे पुलिस निरीक्षक जिला नागौर, श्री फूलचन्द उप निरीक्षक, श्री राजेन्द्र सिंह कांस्टेबल 633, श्री जगदीशप्रसाद कांस्टेबल 347, श्री सांवरमल कांस्टेबल 647, श्री अर्जुनलाल कांस्टेबल 1711, श्री हरदीप कांस्टेबल 288 जिला अजमेर, श्री मुकेश कांस्टेबल 194 (कमाण्डो) जिला टोंक, श्री गोपाल कांस्टेबल 725 (कमाण्डो) जिला टोंक, श्री शक्तिसिंह कांस्टेबल 1301 (कमाण्डो) जिला नागौर श्री सुनील कांस्टेबल 2148 (कमाण्डो) जिला अजमेर, श्री राजेन्द्र कांस्टेबल 2262 जिला अजमेर, श्री शम्भु सिंह कांस्टेबल ड्राईवर नं 547 (आरएसी) को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया। आनन्दपाल सिंह के फरार होने में मुख्य भुमिका निभाने वाले कमाण्डो शक्ति सिंह कांस्टेबल जो की दिनांक 03.09.2015 को स्वयं आनन्दपाल सिंह की पेशी ड्यूटी पर था, को फरारी प्रकरण संख्या 137/2015 थाना परबतसर जिला नागौर में दिनांक 15.09.2015 को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा दिनांक 16.11.2015 को पुलिस अधीक्षक नागौर के आदेश क्रमांक 46794-99 द्वारा राज्य सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जवाजा पंचायत समिति व इससे लगते क्षेत्र को जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित करने की योजना

327. श्री शंकरसिंह (ब्यावर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जवाजा, मसूदा, रायपुर व सोजत पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है तथा काश्तकार लोग आदिवासियों की तरह जीवन-यापन करते हैं एवं कृषि के लिए इनके पास जमीन भी नाममात्र (1 बीघा/½ बीघा) ही है एवं शिक्षित नहीं होने के कारण सरकारी नौकरियों में भी नहीं हैं?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र को जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित कर इनका विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अजमेर जिले की जवाजा एवं मसूदा पंचायत समितियां तथा पाली जिले की रायपुर एवं सोजत पंचायत समितियां अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हैं। इन पंचायत समितियों में निवासित अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या बहुत ही कम है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं में लाभार्थी केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के ही होते हैं।

(2) जी नहीं। अजमेर जिले की जवाजा एवं मसूदा पंचायत समितियों तथा पाली जिले की रायपुर एवं सोजत पंचायत समितियों को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र/माडा क्षेत्र के गठन/विस्तार सम्बन्धी मानदण्डों की पूर्ति नहीं करने के फलस्वरूप अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जन प्रतिनिधियों द्वारा सरकार को प्रेषित किये गये पत्रों को पब्लिक पोर्टल पर डालने की योजना

411. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जन प्रतिनिधियों द्वारा विभागों में लिखे गये पत्रों को पब्लिक पोर्टल पर डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जन प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न विभागों में विकास कार्यों के लिए लिखे गये पत्रों पर की गयी कार्यवाही से जनप्रतिनिधि को सूचित किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार के सम्मुख वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने परिपत्र क्रमांक प.10(2)प्रसु/सम/अनु-1/1996 दिनांक 10.06.2009, 31.08.2009, 20.10.2010 एवं प.10(1)प्रसु/सम/अनु-1/2014 दिनांक 26.02.2014, 19.08.2014 द्वारा निर्देश प्रसारित कर सभी अधिकारियों को इस हेतु निर्देशित किया है, जिसकी पालना में अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाकर सामान्यतया जन प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-1 से 5 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बिजली बचत हेतु एल.ई.डी. लाइटों का वितरण

412. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वर्तमान में किस-किस श्रेणी के बल्ब/एलइडी लाइट सरकार द्वारा जनता को उपलब्ध कराई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत एक वर्ष में प्रदेश में उपरोक्त कितनी लाइटें वितरित की गईं एवं इससे बिजली की कितनी बचत हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को तीन एलइडी बल्ब नगद भुगतान अथवा किश्तों में भुगतान के विकल्पों पर दिये जाते हैं। नगद भुगतान में एलइडी बल्ब की दर 100 रु. प्रति बल्ब एवं किश्तों में दर 105 रु. प्रति बल्ब है। एलइडी बल्बों का वितरण भारत सरकार के उपक्रम मैसर्स ई.ई.एस.एल. द्वारा किया जाता है।

(2) दिनांक 4 मई 2015 से आरम्भ किये गये उक्त कार्यक्रम के तहत् 11 मार्च, 2016 तक 9404743 एल.ई.डी. बल्बों का वितरण किया जा चुका है। प्रति एल.ई.डी. बल्ब से प्रतिवर्ष लगभग 28.53 यूनिट की बचत सम्भावित है। वितरित की गयी सभी एल.ई.डी. बल्ब से होने वाली बिजली का आंकलन सम्भव नहीं है, क्योंकि एल.ई.डी. बल्बों का वितरण अलग-अलग तिथियों में किया गया है एवं बिजली की बचत की वितरित की गई एल.ई.डी. के उपभोक्ता द्वारा उपयोग करने पर निर्भर करता है।

लूणी में स्वीकृत जी.एस.एस.

413. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणी में वर्तमान में कुल कितने 11 के.वी. एफ.डी.आर. व कितने 33/11 के.वी. जी.एस.एस व पी.एस.एस. चालू हालात में हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 33/11 के कितने जी.एस.एस. स्वीकृत हैं? स्वीकृत जी.एस.एस. में से कितने पूर्ण कर दिये गये तथा कितने अपूर्ण हैं? अपूर्ण जी.एस.एस. कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणी में वर्तमान में 33/11 केवी के 27 सब स्टेशन व 11 केवी के कुल 145 फीडर कार्यरत/चालू हैं, जिनका विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त उक्त विधान सभा क्षेत्र में तीन ग्रिड सब स्टेशन क्रमश: 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन बोरानाडा, 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन बासनी एवं 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन कुडी भगतासनी में चालू/ कार्यरत हैं।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र लूणी में 33/11 केवी के 9 सब

(ऊर्जा मंत्री)

स्टेशन यथा रोहिचा कलां, जानादेसर, मोडी जोशियान, खारा बेरा पुरोहितान, नारवां (जाखडों की ढाणी), चौखा, बडली, जोलियाली एवं नांदडां कलां स्वीकृत हैं।

उपरोक्त स्वीकृत सब स्टेशन में से रोहिचा कलां का कार्य पूर्ण हो चुका है व शेष के निर्माण हेतु जमीन आबंटन जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर लम्बित है। जमीन आबंटन होने पर अगले वित्तीय वर्ष 2016-17 में लक्ष्यानुसार कार्य करवाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नियमित कर्मचारी के नवीन पद पर नियुक्त होने पर प्रोबेशन काल में देय वेतन

414. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार के नियमित कर्मचारियों द्वारा एक विभाग से दूसरे विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त होने पर कर्मचारियों को नये पद पर पूर्व सेवाओं को जोड़ते हुए प्रोबेशन काल के दौरान पूर्ण वेतन (मय भत्तों सहित) दिया जा रहा है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार व केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी संस्थानों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों द्वारा राजस्थान सरकार के विभागों में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त होने पर पूर्व संस्थान में की गई सेवाओं को नहीं जोड़ते हुए प्रोबेशन काल (दो वर्ष) तक के दौरान फिक्स वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 12(6) एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 23 सितम्बर, 2014 की अनुपालना में राजस्थान सरकार के कई विभागों द्वारा पूर्व संस्थान में आहरित वेतन के आधार पर वेतन का निर्धारण किया जा रहा है? यदि हां, तो इस अधिसूचना के माध्यम से किन-किन पदों पर नियुक्त होने पर वेतन का निर्धारण किया जा सकता है और किन पदों पर नहीं? पदनामों सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पूरणमल सैनी)

(4) केन्द्र सरकार एवं केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी संस्थाओं के नियमित कर्मचारियों को राज्य सरकार में नियुक्ति पाने पर पूर्व सेवा को नहीं जोड़ते हुए प्रोबेशन काल के दौरान फिक्स वेतन देने सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के तहत दिनांक 20.01.2006 या इसके पश्चात सीधी भर्ती से नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षाकाल पर किये जाने हेतु सभी सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। इसी क्रम में वित्त विभाग की अधिसूचना प.1(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 के द्वारा राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 में सीधी भर्ती से नियुक्ति प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये किये जाने एवं नियत पारिश्रमिक देय होने बाबत प्रावधान किया गया है।

वित्त विभाग की अधिसूचना प.1(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 के द्वारा राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 में परन्तुक जोड़कर प्रावधान किया गया कि प्रोबेशनर ट्रेनी परिवीक्षा अवधि में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक प्राप्त करेगा एवं परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर पद के लिये निर्धारित वेतनमान में न्यूनतम वेतन देय होगा।

वित्त विभाग की अधिसूचना प.1(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 के द्वारा राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 में परन्तुक जोड़कर प्रावधान किया गया कि राज्य कर्मचारी जो राज्य सरकार की नियमित सेवा में है को दिनांक 20.01.2006 या इसके पश्चात प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया जाता है तो पूर्व पद के वेतनमान में प्राप्त कर रहे वेतन या नियत पारिश्रमिक जो भी लाभप्रद हो, देय होगा एवं संतोषप्रद परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर नये पद के वेतनमान में नियम 26 के अनुसार वेतन निर्धारण किया जावेगा।

नियम में संशोधन की अधिसूचना दिनांक 13.03.2006 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजस्थान सेवा नियम 1951 के संशोधित नियम 24 के प्रावधान उन राज्य कर्मचारियों पर जो राज्य सरकार की नियमित सेवा में है, को दिनांक 20.01.2006 या इसके पश्चात प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति किये

(कार्मिक मंत्री)

जाने पर लागू होते है। केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी संस्थानों में कार्यरत नियमित कर्मचारियेां की राजस्थान सरकार में विभाग में सीधी भर्ती से नियुक्ति पर उक्त संशोधित नियम 24 के प्रावधान लागू नहीं होने के कारण ऐसे कार्मिकों को नियत पारिश्रमिक देय है।

नियम में संशोधन की अधिसूचना दिनांक 13.03.2006 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) राज्य सेवा के Initial Post से उच्च पदों पर शैक्षणिक/व्यवसायिक योग्यता के अतिरिक्त अनुभव की शर्त के साथ सीधी भर्ती के प्रावधान सेवा नियमों में होते हैं। राजस्थान कम्प्यूटर स्टेट एण्ड सबआर्डिनेट सर्विस रूल्स 2015 में राज्य सेवा की एंट्री पोस्ट प्रोग्रामर के अतिरिक्त एनालिस्ट कम प्रोग्रामर उच्च पद पर शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्ति का प्रावधान होने के कारण कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या प.5(2)कार्मिक/क-2/91पार्ट दिनांक 01.07.2015 (परिशिष्ट-ब) के द्वारा उक्त नियमों में संशोधन कर एनालिस्ट कम प्रोग्रामर के पद पर सीधी भर्ती की स्थिति में परिवीक्षा अवधि एक वर्ष रखी गई है। इसके अतिरिक्त अन्य राजकीय सेवाओं में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) राजस्थान सेवा नियम 1951 के संशोधित नियम 24 के प्रावधान केन्द्र सरकार एवं केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी संस्थानों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों की राजस्थान सरकार के विभाग में सीधी भर्ती से नियुक्ति पर लागू नहीं होने के कारण ऐसे कार्मिकों को नियत पारिश्रमिक देय होता है।

नियम में संशोधन की अधिसूचना दिनांक 13.03.2006 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सेवा के अधिकारियों को ए.सी.पी. का लाभ

415. श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सेवा के अधिकारियों को एक निश्चित सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद ए.सी.पी. देने का प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों/आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरलाल)

(2) क्या यह सही है कि उक्त नियमों के तहत राज्य सेवा के अधिकारियों को दी गई ए.सी.पी. को व्यक्तिगत माना गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्तानुसार राज्य सेवा के अधिकारियों को ए.सी.पी. देने से कतिपय विभागों में कनिष्ट अधिकारियों को उनके वरिष्ठ अधिकारियों से अधिक ग्रेड-पे स्वीकृत हुई है? यदि हां, तो वित्त विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार कनिष्ट अधिकारियों को अधिक ग्रेड-पे मिलने को और वरिष्ठ अधिकारियों को कम ग्रेड-पे मिलने को न्यायसंगत मानती है? यदि नहीं, तो क्या सरकार वरिष्ठ अधिकारियों को कनिष्ट अधिकारियों के बराबर या अधिक ग्रेड-पे स्वीकृत करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ग्रेड-पे में हुए अंतर को दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम 20 की प्रतिलिपि परिशिष्ट-अ पर संलग्न है एवं वित्त विभाग द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक प. 14(88)वित्त/नियम/2008 पार्ट-II दिनांक 31.12.2009 की प्रतियां परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। एसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन किसी भी अधिकारी को उसकी सेवा अवधि के आधार पर देय होता है। इस कारण इसे व्यक्तिगत माना गया है।

(3) जी हां। वित्त विभाग को प्राप्त राज्य सेवा के अधिकारियों के एसीपी विसंगति के प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) राज्य सरकार वरिष्ठ अधिकारी की कनिष्ठ अधिकारी के बराबर अधिक ग्रेड पे स्वीकृत करने का विचार नहीं रखती है क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को एसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ केन्द्र सरकार के अनुरूप दिया गया है। केन्द्र सरकार की कर्मचारियों के एसीपी योजना के प्रावधान में भी एसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन को व्यक्तिगत माना गया है तथा वरिष्ठ कर्मचारी का कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन देय नहीं किया गया है।

(वित्त मंत्री)

एसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन सेवा अवधि के आधार पर देय है। जिसका कर्मचारी की वरिष्ठता से सम्बन्ध नहीं है। कालान्तर में जब वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी की भांति ए.सी.पी. प्राप्त करेगा, तो उक्त अन्तर स्वत: ही समाप्त हो जायेगा।

(5) जी नहीं। एसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन सेवा अवधि के आधार पर देय है। जिसका कर्मचारी की वरिष्ठता से सम्बन्ध नहीं है। कालान्तर में जब वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी की भांति एसीपी प्राप्त करेगा, तो उक्त अन्तर स्वत: ही समाप्त हो जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अराई पंचायत समिति (अजमेर) में उपकोष कार्यालय की स्थापना

416. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में कितने तहसील मुख्यालयों पर उपकोष कार्यालयों की स्थापना की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सभी उपकोष कार्यालयों के अधीन कितने आहरण वितरण अधिकारी कार्यरत हैं एवं सम्बन्धित विभिन्न सरकारी योजनाओं में प्राप्त पैंशनर्स की संख्या कितनी है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति एवं तहसील अराई के अन्तर्गत आने वाले सभी विभिन्न विभागीय कार्यालयों के आहरण वितरण अधिकारियों को एवं विभिन्न सरकारी एवं सामाजिक योजनाओं के पैंशनर्स को अपने पेंशन सम्बन्धी सभी कार्यों हेतु उपकोष किशनगढ़ एवं उपकोष सरवाड़ जाना पड़ता है जो कि 40 से 50 कि.मी. की दूरी पर है?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों एवं विभिन्न पैंशनधारियों को अनावश्यक श्रम, समय एवं व्यय से निजात दिलाने हेतु एवं किशनगढ़ उपकोष के अधीन कार्यों की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुये पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अराई पर नवीन उपकोष कार्यालय आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 की विभागीय कार्ययोजना में स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में 10 तहसील मुख्यालयों पर उपकोषों की स्थापना की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

(वित्त मंत्री)

1 केकड़ी

2 किशनगढ़

3 सरवाड़

4 नसीराबाद

5 अजमेर

6 पीसांगन

7 भिनाय

8 पुष्कर

9 रूपनगढ़

10 मसूदा

(2) उपकोषवार आहरण वितरण अधिकारियों एवं सम्बन्धित विभिन्न सरकारी योजनाओं में प्राप्त पेंशनर्स की संख्या निम्नानुसार है -

क्र.सं.	नाम उपकोष	आहरण वितरण अधिकारियों की संख्या	दिनांक 09-03-16 को सम्बन्धित विभिन्न सरकारी योजनाओं में प्राप्त पेंशनर्स की संख्या
1	केकड़ी	90	26412
2	किशनगढ़	112	38898
3	सरवाड़	56	17341
4	नसीराबाद	69	14323
5	अजमेर	01	45599
6	पीसांगन	43	13524
7	भिनाय	53	14659
8	पुष्कर	23	0
9	रूपनगढ़	33	0
10	मसूदा	71	21261

(3) जी हां।

(4) निदेशालय, कोष एवं लेखा से प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं। तहसील मुख्यालय अराई में उपकोष खोलने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में विद्युत चोरी के प्रकरणों में पकड़े गये उपभोक्ताओं से वसूली गई राशि

417. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्युत वितरण निगमों में गत 5 वर्षों में विद्युत चोरी के कितने मामलों में किस-किस श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता पकड़े गये? जिलेवार कम्पनीवार व वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पकड़े गये मामलों में कितनी शास्ति/दण्ड/जुर्माना वसूल किया गया? जिलेवार कम्पनीवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चोरी में कितने किलो-वाट विद्युत चोरी हो रही थी? जिलेवार कम्पनीवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कम्पनियों द्वारा विद्युत चोरी रोकने के लिए गत 05 वर्षों में क्या-क्या प्रयास किये व इस हेतु कितनी-कितनी राशि प्रति वर्ष आबंटित कर व्यय की गई? जिलेवार कम्पनीवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्युत वितरण निगमों द्वारा विगत 5 वर्षों में पकड़े गये विद्युत चोरी के प्रकरणों का निगमवार, वर्षवार, श्रेणीवार तथा जिलेवार विवरण प्रपत्र 'अ-1' से 'अ-3' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त पकड़े गये विद्युत चोरी के प्रकरणों में आरोपित की गई शास्ति/दण्ड/जुर्माना राशि का निगमवार, वर्षवार एवं जिलेवार विवरण प्रपत्र 'ब-1' से 'ब-3' पर उपलब्ध है।

(3) उक्त विद्युत चोरी में पाये गये विद्युत भार (किलोवाट) का निगमवार, जिलेवार एवं वर्षवार विवरण प्रपत्र 'स-1' से 'स-3' पर उपलब्ध है।

(4) विद्युत चोरी रोकने के लिये विद्युत वितरण निगम कृत संकल्प है। उक्त कार्य हेतु 33 जिलों में 46 विद्युत चोरी निरोधक थाने स्थापित किये गये हैं। साथ ही प्रत्येक वृत्त में सतर्कता अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त पवस अधिकारियों द्वारा निरन्तर बिजली चोरी पकड़ने के लिए उपभोक्ताओं की जांच की जाती है। केन्द्रीय स्तर पर भी सतर्कता दल तैनात किये गये हैं, जो कि चोरी बाहुल्य इलाकों में सघन अभियान चलाकर बिजली चोरी पकड़ने का कार्य करते हैं। पवस अधिकारियों द्वारा अन्य उपखण्डों में जाकर चोरी पकड़ने की कार्यवाही की जा रही है। औद्योगिक कनेक्शन व अन्य

(ऊर्जा मंत्री)

श्रेणी के बड़े कनेक्शनों की मीटर विंग द्वारा निश्चित अन्तराल पर आवश्यक रूप से जांच की जाती है। तकनीकी स्तर पर विद्युत चोरी रोकने हेतु कृषि उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मर में ही मीटर स्थापित कर मीटर बक्से को वेल्ड किया जाता है। घरेलू/अघरेलू क्षेत्र की विद्युत चोरी रोकने हेतु पुश फिट मीटरों की स्थापना, एबी केबल लगाना, आरमर्ड सर्विस लाइन डालना इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं।

गत 5 वर्षों में तीनों विद्युत वितरण निगमों द्वारा सतर्कता शाखा पर व्यय की गई राशि का कम्पनीवार विवरण निम्नलिखित है:-

(राशि लाख में)

वर्ष	अजमेर	जयपुर	जोधपुर	कुल
2010-11	555.36	919.98	333.39	1808.73
2011-12	592.44	653.66	347.06	1593.16
2012-13	778.94	764.68	379.77	1923.39
2013-14	840.52	841.19	439.63	2121.34
2014-15	866.36	937.88	391.03	2195.27

सतर्कता शाखा पर व्यय की गई राशि की वृत्तवार, वर्षवार सूचना परिशिष्ट 'द-1' से 'द-3' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मारवाड़ जंक्शन (पाली) में सर्किल आफिस खोलने की योजना

418. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रदेश में नये सर्किल आफिस (उप अधीक्षक) तथा थानों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मारवाड़ जंक्शन थाने को उप निरीक्षक के स्थान पर निरीक्षक ग्रेड का करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार मारवाड़ जंक्शन, खिवाड़ा, सिरयारी तथा सोजत रोड थानों को सम्मिलित कर मारवाड़ जंक्शन पर सर्किल आफिस (उप अधीक्षक) खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में नये पुलिस सर्किल/थानों के समेकित प्रस्ताव डा. परमेश चन्द्र, आई.ए.एस. सेवानिवृत की अध्यक्षता में गठित राज्य उच्च स्तरीय समिति की अभिशंसाओं के आलोक में पुलिस मुख्यालय से चाहे गए हैं। समेकित प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त क्षेत्र की आवश्यकता तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत नए पुलिस वृत/थानों के पुनर्गठन/सृजन के सम्बन्ध में समुचित निर्णय लिया जा सकेगा।

(2) पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शहरी/ग्रामीण थानों की नफरी की मापदण्ड के अनुसार उप निरीक्षक स्तर का थाना है। वर्तमान में मारवाड़ जंक्शन थाने को सी.आई. स्तर का करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) राज्य में नये जिलों, उपखण्डों, पुलिस वृत्त, पुलिस थानों के पुनर्गठन/सृजन के सम्बन्ध में डा. परमेश चन्द्र, आई.ए.एस. सेवानिवृत की अध्यक्षता में राज्य उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अनुशंसाओं के आलोक में नये पुलिस वृत्तों, थानों/चौकियों के समेकित प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है। क्षेत्र की आवश्यकता एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत मारवाड़ जंक्शन में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय (सर्किल आफिस) सृजन पर विचार किया जा सकेगा।

ब्यावर शहर में नये पुलिस थाने की स्थापना

419. श्री शंकरसिंह (ब्यावर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर शहर के औद्योगिक एवं जनसंख्या विस्तार को देखते हुए ब्यावर शहर के थानों में स्टाफ की कमी है?

(2) क्या सरकार ब्यावर शहर की बढ़ती आबादी एवं औद्योगिक विस्तार को देखते हुए नया पुलिस थाना खोलने एवं पुलिस थानों में पूरा स्टाफ लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में ब्यावर शहर व ब्यावर सदर थानों में स्वीकृत नफरी का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य में नवीन पुलिस चौकियों/पुलिस थानों के सृजन के सम्बन्ध

(गृह मंत्री)

में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिये डा. परमेशचन्द्र, आईएएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में राज्य उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसके कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों के अनुरूप महानिदेशक पुलिस से समेकित प्रस्ताव चाहे गये हैं। महानिदेशक, पुलिस राजस्थान से समेकित प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनका परीक्षण उपरांत क्षेत्र की आवश्यकताओं का आंकलन कर तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को दृष्टि में रखते हुये ब्यावर शहर में नया पुलिस थाना खोलने के सम्बन्ध में समुचित निर्णय लिया जा सकेगा।

वर्तमान में राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कान्स्टिेबल प्रशिक्षणरत है। इसके अतिरिक्त 124 उप निरीक्षक भी प्रशिक्षणरत है। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर उपलब्धतानुसार एवं आवश्यकतानुसार रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पुलिस कर्मियों का गृह जिले में स्थानान्तरण

420. श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों का पदस्थापन किन नियमों के तहत किया जाता है? क्या सरकार प्रदेश के अल्प वेतनभोगी पुलिस कर्मियों को गृह सर्किल में लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पुलिस विभाग में कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल से सहायक उपनिरीक्षक के पदों पर पदोन्नति की क्या प्रक्रिया है? पूर्व में उक्त पदों की पदोन्नति कब और कितने कार्मिकों की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के कितने अधिकारी अपने गृह जिले में पदस्थापित हैं? क्या इनका पदस्थापन नियमानुसार है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी का पदस्थापन पुलिस मुख्यालय के पत्रांक सं.-4(1)पुलिस-ए/राज/पार्ट-1/788-937 दिनांक

(गृह मंत्री)

28.01.2015 के द्वारा जारी स्थानांतरण/पदस्थापन नीति के अनुसार किया जाता है। इस नीति के अनुसार कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल एवं सहायक उप निरीक्षक को गृह सर्किल में लगाने का प्रावधान नहीं है। स्थानांतरण/ पदस्थापन नीति से सम्बन्धित उक्त पत्र की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) पुलिस विभाग में कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल से सहायक उपनिरीक्षक के पदों पर पदोन्नति राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के पदोन्नति नियमावली के अनुरूप आयोजित करने की प्रक्रिया है।

वर्ष 2014-15 में 1165 तथा वर्ष 2015-16 में 2635 कानिस्टेबल को हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति दी गई। वर्ष 2014-15 में 391 तथा वर्ष 2015-16 में 887 हैड कांस्टेबल को सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई है।

(3) राज्य में भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के अधिकारी जो अपने गृह जिले में पदस्थापित हैं उनकी सूची परिशिष्ट "ब" अनुसार है। इन अधिकारियों का पदस्थापन प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार किया जाता हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांदीकुई में माडा योजनान्तर्गत कराये गये कार्य

421. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कुछ गांव माडा योजना के अन्तर्गत आते हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से गांव? उक्त योजनान्तर्गत कौन-कौन से काम स्वीकृत किये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत 5 वर्षों में माडा योजनान्तर्गत किन-किन गांवों में क्या-क्या कार्य करवाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के 30 गांव माडा योजना के अन्तर्गत आते हैं। जिसकी सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) पिछले 5 वर्षों में माडा योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

15 तक सम्पर्क सड़कों का निर्माण एवं बालिका आश्रम छात्रावास अलियापाड़ा का निर्माण के कार्य कराये गये कार्यो का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों को टाडा-माडा योजना में जोड़ने की योजना

422. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के तहत कौन-कौन से वर्ग/जाति को सम्मिलित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए टाडा माडा योजना चलाई जा रही है? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से क्षेत्र सम्मिलित किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सीमावर्ती एवं पिछड़े जिले बाड़मेर जैसलमेर को भी टाडा माडा योजना में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अनुसार राजस्थान राज्य में सम्मिलित अनुसूचित जनजातियों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि अनुसूचित जनजाति के लिए उक्त योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र एवं माडा कलस्टर के गठन हेतु मानदण्ड निर्धारित किये हुए हैं। निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने वाले क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र एवं माडा कलस्टर में सम्मिलित किया जाता है।

वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र एवं माडा कलस्टर में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्रों हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) भारत सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र के गठन सम्बन्धी मानदण्डों की पूर्ति नहीं करने के फलस्वरूप सीमावर्ती एवं पिछड़े जिले बाड़मेर, जैसलमेर को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-423

(स्थगित)

प्रदेश के निजी चिकित्सालयों में रोगी मित्रों की नियुक्ति

424. डा. मंजू बाघमार (जायल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निजी चिकित्सालयों में रोगी मित्र नियुक्त करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो किन-किन चिकित्सा संस्थानों में रोगी मित्रों की नियुक्ति की गई? चिकित्सा संस्था व उनमें नियुक्त रोगी मित्रों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रोगी मित्रों के सहयोग से गत दो वर्षों में कौन-कौन से चिकित्सा संस्थानों में निम्न आय वर्ग के मरीज का नि:शुल्क इलाज करवाया गया? चिकित्सा संस्थावार व उनमें नियुक्त रोगी मित्र द्वारा नि:शुल्क इलाज करवाने वाले मरीजों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन रोगी मित्रों द्वारा आज तक एक भी मरीजों का नि:शुल्क इलाज नहीं करवाया गया, उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 23.07.2014 को रोगी मित्र नियुक्त करने की घोषणा की गई थी। जिसके क्रम में रियायती दरों पर आबंटित भूमि पर स्थित एवं राज्य कर्मियों के लिए अधिकृत निजी चिकित्सालयों में बीपीएल एवं गरीब तबके के मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रोगी मित्र नियुक्त किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) रोगी मित्रों के सहयोग से रियायती दर पर आबंटित भूमि पर स्थित एवं राज्य कर्मियों के लिए अधिकृत निजी चिकित्सालयों में नि:शुल्क इलाज किये गये। बीपीएल एवं गरीब तबके के मरीजों का चिकित्सालयवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जिन रोगी मित्रों/निजी चिकित्सालयों द्वारा बीपीएल मरीज आने के बावजूद भी एक भी बीपीएल एवं गरीब मरीजों का नि:शुल्क इलाज नहीं

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

किया गया है, उन चिकिसालयों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्बद्ध (एम्पेनल) नहीं किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में मरीजों की संख्या के अनुपात में संसाधनों में वृद्धि

425. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में गत दो वर्षो में प्रतिमाह आउटडोर एवं इनडोर मरीजों की संख्या कितनी रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालय में गत पांच वर्षों में मरीजों की संख्या में कितनी कमी या वृद्धि हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत पांच वर्षों में उक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं लैब टैक्निशियन की संख्या में कितनी कमी या वृद्धि हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय में मरीजों के अनुपात में संसाधनों में बहुत कम वृद्धि हुई है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय में दवा वितरण, जांच एवं चिकित्सकीय कार्यों हेतु कार्मिकों, नर्सिंग स्टाफ एवं लैब टैक्निशियनों की भारी कमी है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में गत दो वर्षो में प्रतिमाह आउटडोर एवं इनडोर मरीजों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में विगत पांच वर्षों में मरीजों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में विगत पांच वर्षों में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं लैब टैक्निशियन की संख्या का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले में नकली घी के कारखानों पर कार्यवाही

426. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में वर्ष 2008 से अब तक कितनी मात्रा में नकली घी पकड़ा गया है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कोटा जिले में नकली घी के कारखाने एवं बेचने के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मिलावटी घी पर रोक लगाने के लिये कोई कारगर प्रयास कर रही है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में वर्ष 2008 से 29 फरवरी, 2016 तक नकली घी का कोई भी प्रकरण सामने नहीं आया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। विभाग द्वारा जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से बचाव हेतु मिलावटी घी की निरन्तर जांच हेतु खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 की अनुपालना में निरीक्षण/नमूनीकरण कार्य के साथ-साथ समय-समय पर त्यौहार सीजन पर अभियान के माध्यम से भी रोकथाम के प्रयास किये जाते हैं। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में मेडिकल कालेज खोलने की योजना

427. श्री शैतानसिंह (पोकरण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार बाड़मेर जिले में इंजिनियरिंग एवं मेडिकल कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जिला बाड़मेर में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार के सहयोग से अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है। भूमि आबंटन उपरान्त केन्द्र सरकार को विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेषित की जा सकेगी।

चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु ई.पी.आई. से एमओयू किया जा चुका है। बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 से चिकित्सा महाविद्यालय प्रारम्भ करने की योजना है।

प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत कार्यरत कर्मियों का बकाया मानदेय

428. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के तहत कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों (मशीन विद मैन) को गत दो वर्षों के बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटिशन नं. 978/2015 आदेश दिनांक 23 जनवरी, 2015 में विभाग को दो सप्ताह में भुगतान करने के आदेश देने के उपरान्त भी अब तक उक्त संविदा कार्मिकों को भुगतान नहीं किया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में संविदा कार्मिकों को शीघ्र भुगतान करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत लगे हुए संविदा मशीन विद मैन के पिछले 2 वर्ष के भुगतान के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है:-

मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत 636 सूचना सहायकों के रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत मशीन विद मैन की सेवाएं आरएमआरएस के माध्यम

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 9(1)एफडी1(1)/बजट-2012 दिनांक 01.05.2014 के अनुसार दिनांक 01.08.2014 से दिनांक 28.02.2015 अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पूर्व हो तक के लिये सेवाएं लिये जाने की स्वीकृति निदेशालय के पत्र क्रमांक 722 दिनांक 13.08.2014 द्वारा प्रदान की गई थी। पुन: निदेशालय के पत्रांक 242 दिनांक 03.03.2015 द्वारा अग्रिम आदेशों तक 636 सूचना सहायकों के रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा मशीन विद मैन की सेवाएं समाप्त नहीं किये जाने के आदेश जारी किये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

तत्पश्चात निदेशालय के पत्रांक 970 दिनांक 29.07.2015 द्वारा 1005 सूचना सहायकों के रिक्त पदों के विरुद्ध मशीन विद मैन की सेवाएं आरएमआरएस के माध्यम से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 9(1)एफडी1 (1)/बजट-2012 दिनांक 01.05.2014 के अनुसार दिनांक 29.02.2016 तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो तक के लिये स्वीकृति जारी की गई है, जिनका विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है। इस प्रकार उक्त स्वीकृति के क्रम में लगे हुए संविदा मशीन विद मैन को नियमित रूप से मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

परन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में कोर्ट स्टे के आधार पर (जिलाधिकारियों से प्राप्त विवरण के अनुसार) लगे हुए कुल 1211 संविदा मशीन विद मैन हेतु लगभग 8.32 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान की स्वीकृति हेतु पत्रावली प्रक्रियाधीन है। वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान किया जावेगा, जिसका विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(2) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में कोर्ट स्टे के आधार पर लगे हुए कुल 1211 संविदा मशीन विद मैन (जिलाधिकारियों से प्राप्त विवरण के अनुसार) हेतु लगभग 8.32 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान की स्वीकृति हेतु पत्रावली प्रक्रियाधीन है। वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान किया जावेगा, जिसका विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(3) जी हां। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में कोर्ट स्टे के आधार पर लगे हुए कुल 1211 संविदा मशीन विद मैन हेतु लगभग 8.32 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान की स्वीकृति हेतु पत्रावली

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

प्रक्रियाधीन है। वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान किया जावेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों में लगे हुए 1139 संविदा मशीन विद मैन का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-'द' पर संलग्न है तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों के अधीन लगे हुए कुल 72 संविदा मशीन विद मैन का चिकित्सा संस्थानवार विवरण परिशिष्ट-'य' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक के भवन विहीन पशु चिकित्सालय

429. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोंक में कुल कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां पर स्थित हैं?

(2) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में उक्त पशु चिकित्सालय के भवनों की मरम्मत, पुताई तथा सफाई हेतु कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई? प्रत्येक पशु चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र के अधिकतर पशु चिकित्सालयों के भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के बाद भी सरकार द्वारा राशि स्वीकृत नहीं की गई है? यदि हां, तो अब कब तक राशि स्वीकृत कर मरम्मत आदि कार्य करवा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने पशु चिकित्सालय भवन-विहीन हैं? सरकार द्वारा भवन-विहीन पशु चिकित्सा भवनों का निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोंक में कुल 11 पशु चिकित्सालय संचालित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	पशु चिकित्सालय का नाम
1	बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, टोंक
2	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, भरनी
3	पशु चिकित्सालय, डारडाहिन्द, अरनिया केदार, हमीरपुर, छान, बरवास, बमोर, सानिया, सांखना, गणेती

(पशुपालन मंत्री)

(2) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र टोंक के पशु चिकित्सालयों की मरम्मत, पुताई तथा सफाई के लिए निम्नानुसार राशि स्वीकृत की गई :—

मरम्मत एवं पुताई कार्य			सफाई कार्य	
वर्ष	पशु चिकित्सालय	स्वीकृत राशि रुपयों में	पशु चिकित्सालय	स्वीकृत राशि
2013-14	अरनियाकेदार	10.00 लाख	--	--
2015-16	बमोर	22300	भरनी	1000 रुपये प्रति माह
	अरनियाकेदार	24500		
	गणेती	24200		

(3) जी नहीं। पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता अनुसार किया जाता है।

(4) विधान सभा क्षेत्र टोंक में कोई भी पशु चिकित्सालय भवन विहीन नहीं है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान पथ योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

430. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान पथ योजना के तहत सड़क निर्माण करवाने की योजना है? यदि हां, तो क्या एवं उक्त योजना हेतु सरकार ने कितना बजट स्वीकृत किया?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कृषि विपणन विभाग की सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द किया गया था? यदि हां, तो उक्त सड़कों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में वर्तमान में मण्डी सचिव, अभियन्ताओं एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के कुल कितने पद कब से रिक्त हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। इस प्रकार की कोई योजना नहीं है, अपितु कृषि उपज मण्डी समितियों में उनके पास उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए सड़क निर्माण हेतु दिनांक 31.12.2014 को दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। निर्देशों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में मण्डी समिति के उपलब्ध संसाधनों से निर्मित सड़कों का नाम 'किसान पथ' रखा गया। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि विपणन विभाग की सड़कों को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.4(6)कृषि/ग्रुप-2/2010 दिनांक 29.06.2010 के अनुसरण में सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द किया गया था, आदेश की प्रति परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की गई सड़कों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'द' पर उपलब्ध है।

(3) कृषि विपणन विभाग में वर्तमान में मंडी सचिव, अभियन्ताओं एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पदों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'य', 'र' व 'ल' पर उपलब्ध है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिकराय में किसानों के लिये संचालित योजनाएं

431. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में किसानों के लिए फार्म पोण्ड/फव्वारा, बूंद-बूंद सिंचाई, बागवानी एवं अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं? यदि हां, तो सिकराय विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजनाओं से मार्च, 2013 से दिसम्बर, 2015 तक कितने किसानों को लाभान्वित किया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) फार्म पोण्ड, बूंद-बूंद सिंचाई परियोजना आदि की स्वीकृति के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सिकराय विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजनाओं से वंचित किसानों को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में उद्यानिकी को बढ़ावा देने हेतु मिशन फार

(कृषि मंत्री)

इन्टीग्रेटेड डवलपमेन्ट आफ हार्टिकल्चर उप योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (बागवानी विकास कार्यक्रम एवं फार्म पौण्ड व फव्वारा सिंचाई संयंत्र योजना), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (फव्वारा, बूंद-बूंद सिंचाई), सौर उर्जा आधारित पम्प परियोजना, राज्य योजना (प्रदर्शन/पौध संरक्षण) आदि योजनाऐ चलाई जा रही हैं।

सिकराय विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना से मार्च, 2013 से दिसम्बर, 2015 तक लाभान्वित कृषकों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	योजना	लाभान्वित कृषक संख्या
1	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	499
2	सौर उर्जा आधारित पम्प परियोजना	24
3	राज्य योजना	43
4	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (बागवानी विकास कार्यक्रम व जल स्रोत निर्माण)	135
5	फार्म पौण्ड एवं फव्वारा सिंचाई संयंत्र योजना	273

ग्राम पंचायतवार लाभान्वित कृषकों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) फार्म पौण्ड/फव्वारा, बूंद-बूंद परियोजना आदि स्वीकृत करने के मानदण्ड परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उक्त योजनाओं से वंचित किसानों को लाभान्वित करने हेतु इस वर्ष भी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। संचालित योजनाओं के तहत इच्छुक कृषकों द्वारा आवेदन करने पर योजना दिशा-निर्देशानुसार अनुदान देय है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आमेर में फार्म पौण्ड योजना के तहत किसानों को दी गई राशि

432. श्री नवीन पिलानिया (आमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार वर्तमान में फार्म पौण्ड सिंचाई योजना में किसानों को अनुदान दे रही है? यदि हां, तो कितने-कितने प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा

(श्री नवीन पिलानिया)

है व इसके क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? क्या इसमें अनुदान की राशि पूर्णत: राज्य सरकार वहन कर रही है या इसमें केन्द्र सरकार भी सहयोग करती है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के तहत पहले किसानों को ज्यादा अनुदान राशि दी जाती थी? यदि हां, तो वह किस-किस किसान के लिए कितनी थी और अब इसमें कमी करने के क्या कारण हैं?

(3) वर्ष 2013 से 31 जनवरी, 2016 तक उक्त योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र आमेर में ग्रामवार कितने-कितने किसानों को कितनी-कितनी राशि दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में फार्म पौण्ड सिंचाई योजना में किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा योजनान्तर्गत 20x20x3 मीटर या 1200 घनमीटर क्षमता के कच्चे फार्म पौण्ड पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 52,500/- तथा मय प्लास्टिक लाइनिंग कार्य के साथ निर्माण करने पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 75000/- जो भी कम हो अनुदान देय है।

फार्म पौण्ड सिंचाई योजना में अनुदान हेतु कृषक के पास स्वयं के नाम 0.5 है. से अधिक कृषि भूमि होनी आवश्यक है। साथ ही फार्म पौण्ड की न्यूनतम निर्धारित 1200 घन मीटर की क्षमता रखने हेतु लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन गहराई 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिये है।

उद्यान विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जल स्रोत विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 100x100x3 मीटर या अन्य छोटे आकार के जल स्रोत 500 माईक्रोन प्लास्टिक शीट या आरसीसी लाइनिंग के साथ कृषक समूह के यहां निर्माण हेतु प्रोरेटा आधार पर शत प्रतिशत अधिकतम 20.00 लाख रुपये अनुदान/सहायता देय है।

एकल कृषकों हेतु इस कार्यक्रम के तहत 20x20x3 मीटर आकार के जल स्रोत 300 माईक्रोन प्लास्टिक शीट या आरसीसी लाइनिंग के साथ निर्माण पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 0.75 लाख रुपये अनुदान देय है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2015-16 में उक्त योजना पर अनुदान की राशि के तहत केन्द्रीयांश (60 प्रतिशत) तथा

(कृषि मंत्री)

राज्यांश (40 प्रतिशत), जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, दिया जा रहा है।

(2) जी हां। कृषि विभाग द्वारा इस योजना के तहत पहले किसानों को ज्यादा अनुदान राशि दी जाती थी।

वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर न्यूनतम 20x20x3 मीटर आकार या 1200 घनमीटर क्षमता के फार्म पौण्ड निर्माण पर लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को लागत का 75 प्रतिशत तथा सामान्य श्रेणी के कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रुपये 60,000/- जो भी कम हो अनुदान देय था।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (एनएमएसए) योजनान्तर्गत जारी संशोधित दिशा-निर्देशानुसार फार्म पौण्ड निर्माण के मानक तय किये गये हैं, जिनके आधार पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

उद्यान विभाग द्वारा जल स्रोत विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 100x100x3 मीटर आकार के जल स्रोत कृषक समूह द्वारा निर्माण हेतु प्रोरेटा आधार पर शत प्रतिशत अधिकतम 20.00 लाख रुपये अनुदान देय है।

(3) आमेर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से 31 जनवरी, 2016 तक ग्रामवार एक भी कृषक द्वारा फार्म पौण्ड सिंचाई योजना में आवेदन नहीं किया गया है। अत: किसी भी कृषक को अनुदान नहीं दिया जा सका।

टोडाभीम के ग्राम धवान में पशु चिकित्सालय की स्थापना

433. श्री घनश्याम (टोडाभीम) व **श्री भजनलाल** (वैर) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम धवान में पशु चिकित्सालय नहीं होने से प्रतिवर्ष चिकित्सा के अभाव में पशु मर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम के आस-पास पशु चिकित्सालय नहीं होने के कारण ग्रामवासियों को अपने पशुधन को बीमार होने पर पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाता है?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम धवान में पशु चिकित्सा के अभाव में पशुओं के मृत्यु होने की कोई सूचना नहीं है। वर्तमान में ग्राम धवान को वहां से 1.5 किलोमीटर दूर पशु चिकित्सालय कमालपुरा से पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं।

पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं उपलब्धता अनुसार विभागीय मापदण्ड पूर्ण करने पर खोली जाती हैं।

(2) जी नहीं। उक्त ग्राम से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पशु चिकित्सालय कमालपुरा स्थित है जहां से पशुपालकों को पशु चिकित्सा सेवाओं का नियमित लाभ प्राप्त हो रहा है।

जयपुर जिले में खेल एवं युवा केन्द्रों की स्थापना

434. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार खेल प्रतिभाओं के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर खेल एवं युवा केन्द्र स्थापित करने की कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार जयपुर जिले की किन-किन तहसीलों पर खेल एवं युवा केन्द्र स्थापित कर उक्त केन्द्रों को जनता को कब तक समर्पित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विराटनगर एवं पावटा कस्बों में खेल केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा संख्या 167 के तहत ग्रामीण युवा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है, जिसके तहत प्रथम चरण में राज्य के जनजाति क्षेत्र की 977 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण युवा केन्द्र खोले जा चुके हैं तथा इस वर्ष 2015-16 में 862 ग्रामीण युवा केन्द्र खोले जा रहे हैं।

राज्य की शेष ग्राम पंचायतों में आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से ग्रामीण युवा केन्द्र खोले जाने की योजना है। योजना का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

(2) जयपुर जिले की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2017-18 में ग्रामीण युवा केन्द्र खोले जाने की योजना है।

(3) वर्ष 2017-18 में जयपुर जिले की ग्राम पंचायतों में ग्रामीण युवा केन्द्र खोले जाने की योजना है, जिसमें विराटनगर एवं पावटा की ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

केकड़ी में नवीन रीको की स्थापना के लिये भू-आबंटन

435. श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के रीको इण्डस्ट्रीज एरिया केकड़ी में नवीन रीको की स्थापना के लिये जमीन आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया केकड़ी में नवीन रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिये कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन नहीं है क्योंकि केकड़ी के आसपास 20 किलोमीटर की परिधि में सरवाड़ व सावर में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है, जिनमें क्रमश: 51 व 21 भूखण्ड नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत आबंटन हेतु उपलब्ध हैं। वर्तमान में केकड़ी औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक भूखण्ड आबंटन हेतु कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

रीको द्वारा अवाप्त भूमि पर बसी कालोनियों का नियमन

436. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1996 में ग्राम-महल, श्री किशनपुरा व जीरोता-तहसील-सांगानेर में औद्योगिक विकास व विस्तार हेतु रीको द्वारा जमीन अवाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया था? क्या रीको द्वारा अवाप्ति से पूर्व ग्राम-महल, श्री किशनपुरा व जीरोता में श्याम विहार, शांति विहार, शांति विहार-

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

बी व अरिहन्त विहार कालोनियां रिकार्ड में मौजूद थीं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रीको सर्वे टीम के समक्ष श्याम विहार, शांति विहार, शांति विहार-बी व अरिहन्त कालोनी के निवासियों ने आपतियां प्रस्तुत की थीं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिस समय उपरोक्त कालोनियों के निवासियों द्वारा आपतियां प्रस्तुत की गईं, उस समय अशोक वाटिका, बाल विहार व गीता कालोनी विद्यमान थी? यदि नहीं, तो रीको द्वारा उपरोक्त कालोनियों को अवाप्ति से मुक्त करने के पश्चात् उपरोक्त भूमि स्वत: निजी खातेदारी की हो गई तथा इसके पश्चात् खातेदार द्वारा बिल्डर के नाम रजिस्ट्री करवा दी गई? क्या सरकार इस अनियमित कार्यवाही में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा जिस उद्देश्य के लिये भूमि अवाप्त की गई है उसका उपयोग केवल उसी उद्देश्य में निहित है, अन्य उपयोग या स्थानान्तरण किसी भी रूप से नहीं किया जा सकता है? इसके उपरान्त भी रीको द्वारा किन नियमों के तहत जे.डी.ए. से एम.ओ.यू. किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उपरोक्त चारों कालोनियों को जिस प्रक्रिया अपनाते हुए अवाप्ति से मुक्त किया गया उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए कृषि भूमि पर बसी हुई कालोनियों- श्याम विहार, शांति विहार, शांति विहार-बी, अरिहन्त कॉलोनी को अवाप्ति से मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1996 में जयपुर विकास प्राधिकरण एवं रीको लि. के मध्य दिनांक 20.11.1996 को हुई वार्ता में लिये गये निर्णय कि ''रीको द्वारा पुराने सवाईमाधोपुर रेलवे लाइन के दोनों और 250 मी. चौड़ाई में औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि अवाप्त की जावेगी के अनुसरण में ग्राम महल, श्री किशनुपरा व जीरोता, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की भूमि अवाप्ति प्रस्तावित की गई।

(उद्योग मंत्री)

निजी भूमि की अवाप्ति का प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व रिकार्ड में प्रस्तावित भूमि किसी भी गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम से खातेदारी दर्ज नहीं थी बल्कि निजी खातेदारी के नाम से दर्ज थी। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कौन-कौनसी सोसायटी की कालोनिया तत्समय मौके मौजूद थीं, इसका उल्लेख नहीं था।

(2) अवाप्ति के प्रारम्भिक प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व चूंकि रीको द्वारा कोई भी सर्वे नहीं किया गया था। अतः अवाप्ति से पूर्व मौके का जब सर्वे ही नहीं किया गया तो यह प्रश्न व्यवहारिक एवं तार्किक दृष्टि से उत्पन्न नहीं होता है कि रीको सर्वे टीम के समक्ष श्याम विहार, शांति विहार, शांति विहार-बी व अरिहन्त विहार कालोनी के निवासियों ने आपत्तियां प्रस्तुत की थीं।

(3) भूमि अवाप्ति हेतु भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के पश्चात भूमि अवाप्ति अधिकारी रीको द्वारा उपरोक्त अवाप्ति के सम्बन्ध में आपत्तियां मांगी गयी थी। भूमि अवाप्ति अधिकारी, रीको द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 5ए के अन्तर्गत राज्य सरकार को भिजवाये गये प्रशासनिक प्रतिवदेन के अनुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी रीको के समक्ष विभिन्न व्यक्तियों/सहकारी समितियों द्वारा स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से उक्त प्रश्नगत अवाप्ति के विरुद्ध अपनी-अपनी आपत्तियां/आक्षेप प्रस्तुत किये गये थे, जिनकी कुल संख्या धारा 5ए के प्रतिवदेन अनुसार 130 है। धारा 5ए के प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। उक्त आक्षेपों में अशोक वाटिका बाल विहार गीता, विहार कालोनियों से संबंधित आक्षेप भी प्राप्त हुये थे। ये तथ्य मौके पर उक्त कालोनियों की तत्सामयिक अवस्थिति को दर्शाता है।

अवाप्ति से मुक्त की गई भूमि अवाप्ति के समय एवं अवाप्ति से मुक्त करने के समय तक राजस्व रिकार्ड के अनुसार निजी खातेदारी भूमि ही थी। अतः इसमें अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(4) माननीय न्यायालय द्वारा जैम्स पार्क जयपुर की भूमि के सम्बन्ध में इस तरह का निर्णय रीको के पक्ष में रीको बनाम सुभाष सिन्धी हाउसिंग सोसायटी एस.एल.पी. संख्या 7254/2003 में दिनांक 13.02.2013 को दिया गया है, जबकि रीको एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के मध्य एम.ओ.यू. दिनांक 08.04.2003 एवं 15.02.2005 को किया गया है।

(उद्योग मंत्री)

(5) जी नहीं। क्योंकि भूमि का अवार्ड जारी होने के उपरान्त माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित भूमि छोड़ते हुए शेष भूमि का कब्जा दिनांक 10.09.2003 को प्राप्त होकर अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अतः उक्त भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डिग्गी कल्याण मन्दिर का बजट घोषणानुसार विकास

437. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बजट 2015-16 में सरकार द्वारा डिग्गी कल्याण मन्दिर के विकास की घोषणा की गई थी? क्या उक्त घोषणा की क्रियान्विति के सम्बन्ध में कोई मास्टर प्लान बनाया गया है? यदि हां, तो मास्टर प्लान, वित्तीय स्वीकृति व इस हेतु बनाई गई कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपखण्ड अधिकारी मालपुरा व ग्राम पंचायत डिग्गी द्वारा जनभावनाओं के विपरीत डिग्गी गांव के मौलिक स्वरूप को बिगाड़कर मुख्य मन्दिर मार्ग पर टीन शेड लगाये जाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या उक्त कार्य मन्दिर विकास के मास्टर प्लान के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इस अवैध कार्यवाही के लिये कौन-कौन अधिकारी व व्यक्ति दोषी हैं? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा जनभावनाओं व पौराणिक स्वरूप के अनुरूप ही विकास कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) डिग्गी कल्याण मन्दिर तथा गांव के विकास के लिये डिग्गी श्री कल्याण जी मन्दिर ट्रस्ट, वन, पर्यटन, पुरातत्व व देवस्थान विभाग द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट 2015-16 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा डिग्गी कल्याण मंदिर के विकास की घोषणा की गई थी।

उक्त घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में विकास कार्य का मास्टर

(देवस्थान राज्य मंत्री)

प्लान बनाये जाने हेतु पीडीकोर को कन्सलटेंट नियुक्त किया गया है। विभाग एवं पीडीकोर द्वारा नियमानुसार प्रथम चरण में मास्टर प्लान बनाने के लिये कन्सलटेंट की नियुक्ति की जाकर कार्यादेश दिनांक 10.09.2015 को जारी किया गया। कन्सलटेंट द्वारा मास्टर प्लान बनाना प्रक्रियाधीन है। प्रशासनिक विभागीय पत्रांक प.3(10)देव/14 दिनांक 19.08.2015 से वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। उपखण्ड अधिकारी मालपुरा व ग्राम पंचायत डिग्गी द्वारा जनभावनाओं के विपरीत डिग्गी गांव के मौलिक स्वरूप को बिगाड़ कर मुख्य मार्ग पर टीन शेड लगाये जाने के प्रयास नहीं किये जा रहे हैं, और ना ही उनके द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है और ना ही इस प्रकार का कोई कार्य कराया जा रहा है। इसलिये किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। सरकार मंदिर का विकास जनभावनाओं एवं पौराणिक स्वरूप के अनुरूप ही करवाने का विचार रखती है, इसी क्रम में विकास कार्य का मास्टर प्लान बनाना प्रक्रियाधीन है।

(3) डिग्गी कल्याण मंदिर तथा गांव के विकास के लिये देवस्थान विभाग द्वार किये जा रहे कार्य का उल्लेख बिन्दु संख्या 1 में किया जा चुका है।

डिग्गी कल्याण मंदिर तथा गांव के विकास के लिये वन विभाग द्वारा मनरेगा योजनांतर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	कार्य स्थल	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)	वि.वि.
1	डिग्गी तालाब साइड वृक्षारोपण डिग्गी	17.94	दिनांक 2.11.2015 से कार्य प्रारम्भ
2	रोड साइड वृक्षारोपण डिग्गी	17.194	रोड चौड़ाईकरण पश्चात कार्य प्रारम्भ किया जावेगा

मंदिर ट्रस्ट/उपखण्ड कार्यालय, पर्यटन, पुरातत्व विभाग द्वारा मंदिर एवं गांव के विकास के लिये किसी भी कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उपनिवेशन क्षेत्र में जारी भू-आबंटन नीति

438. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या उपनिवेशन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरकार द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र में सामान्य, विशेष, मोहरबन्द, 50 प्रतिशत के अधिक अनकमाण्ड तथा अन्य आरक्षण (भू.पू. सैनिक, विकलांग, शहीद आश्रित, विस्थापित, कृषि स्नातक, ओड आरक्षण, पोंग बांध आरक्षण एवं अन्य) के लिए बनाई गई नीति एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी परिपत्र एवं आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उपनिवेशन विभाग में सामान्य, विशेष मोहरबन्द आबंटन हेतु भूमि का आरक्षण राज्य सरकार की भूमि आरक्षण नीति एफ.3(46)रेव/कोल/83 दिनांक 15.09.83 दिनांक 04.06.98, दिनांक 16.03.99 एवं दिनांक 16.03.2000 के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 6 के तहत भू.पू. सैनिक, विकलांग, शहीद आश्रित, विस्थापित, कृषि स्नातक, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पूर्व कर्मकारों को भूमि आबंटन के लिए विभागीय नीति के अनुसार आरक्षण किया जाता है। पोंग बांध विस्थापितों एवं उनके अंतरितियों को इं.गा.न.प. क्षेत्र में कृषि भूमि का आबंटन एवं विक्रय नियम 1972 के नियम 3(1) के तहत भूमि आरक्षित की जाती है। ओड परिवारों को भूमि आबंटन करने के लिए अधिसूचना दिनांक 30.01.2003 के द्वारा भूमि आरक्षित की गई। उक्त आरक्षण आबंटन नियम 6(3)(छ) के तहत किया गया है। उक्त नियम में किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए सरकार भूमि का आरक्षण कर सकती है। उपर्युक्त वर्णित आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर जिले में वन भूमि पर काबिज काश्तकारों के नाम भूमि का आबंटन

439. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री दर्शन सिंह)

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कई ऐसी भूमियां हैं, जो वन विभाग व काश्तकारों दोनों को आबंटित है? यदि हां, तो कहां-कहां? प्रत्येक आबंटीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ऐसी भूमियों पर मौके पर काश्तकार काबिज है, पर राजस्व अभिलेख में उक्त भूमियां वन विभाग के नाम दर्ज हैं? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसी भूमियां काश्तकारों को आवंटन कर वन विभाग को अन्यत्र भूमि आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि बीकानेर जिले के इ.गां.न.प. क्षेत्र में कई ऐसी भूमियां है जो विन विभाग व काश्तकारों दोनों को आबंटित हैं। जिले में ऐसे कुल 981 प्रकरण हैं। जिनका तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	तहसील	प्रकरण	रकबा
1.	पूगल	209	3503.04 बीघा
2.	छतरगढ़	381	7156.03 बीघा
3.	खाजूवाला	327	7033.08 बीघा
4.	कोलायत	64	1399.07 बीघा

आबंटीवार विवरण परिशिष्ट-क संलग्न है।

(2) हां। यह सही है कि मौके पर ऐसी भूमियों पर काश्तकार काबिज है, परन्तु राजस्व अभिलेख में उक्त भूमियां वन विभाग के नाम दर्ज हैं। उपनिवेशन विभाग द्वारा (1982 में) वन विभाग को चरागाह विकास हेतु अनकमाण्ड आराजीराज भूमि इस शर्त के साथ अस्थायी आबंटन की गई थी कि सीएडी के सर्वे में उक्त भूमि कमाण्ड घोषित किये जाने पर तुरन्त उपनिवेशन विभाग को कब्जा देना होगा।

(3) वन विभाग को चरागाह विकास के लिए अस्थायी आबंटित बारानी भूमि कमाण्ड होने तथा भूमि पर वन विभाग द्वारा चरागाह विकास नहीं किये जाने पर उपनिवेशन विभाग ने उक्त भूमि आराजीराज घोषित कर काश्तकारों

(राजस्व राज्य मंत्री)

को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आबंटन नियम 1975 के प्रावधानों के तहत आबंटित कर दी, ऐसी भूमियों पर काश्तकार आबाद होकर काबिज है, काश्तकार एवं वन विभाग दोनों को आबंटित होने से दोहरे आबंटन की समस्या हो गई।

(3) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(36)उप/2012 दिनांक 03.09.2015 के द्वारा वन भूमि पर दोहरे आबंटन सम्बन्धी प्रकरणों में निस्तारण बाबत निर्देश प्रदान कर दिये गये हैं। निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वन विभाग को वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जिला कलक्टर, बीकानेर के पत्रांक 3720 दिनांक 02.04.2013 से नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा, जयपुर को भिजवा दिये गये हैं। पत्रों की प्रति परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-440

(स्थगित)

सोजत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

441. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सोजत चक 1 के खसरा नम्बर 423, 424, 425 व 434 रकबा 74 बीघा 1 बिस्वा भूमि वर्ष 1970 में किसके नाम दर्ज थी?

(2) उक्त खसरों में से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नम्बर 1 सोजत नगर को कितनी भूमि दान की गई?

(3) उक्त विद्यालय कितने बीघे भूमि पर बना हुआ है तथा उक्त भूमि पर विद्यालय के अलावा कितने व्यक्तियों का अतिक्रमण है? सरकार द्वारा उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त भूमि स्वामी के पास उक्त खसरों में से भूमि दान करने के बाद अब कितनी भूमि उसके स्वामित्व में है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सोजत चक 1 के ख.नं. 423, 424, 425, 434 की सूचना जमाबन्दी संवत् 2026-2029 के सरकारी खातों के पृष्ठ फटे होने के कारण इसकी सूचना खसरा गिरदावरी संवत् 2026-29 से दी जा रही है। खसरा गिरदावरी संवत् 2026-29 के अनुसार ख.नं. 423, 424, 425 खालसा एवं ख.नं. 434 नगर पालिका के अधीनस्थ है।

(2) उक्त खसरों में से 1970 के बाद राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यरलय नम्बर 1 सोजत नगर को कोई भूमि दान नहीं की गई।

(3) उक्त विद्यालय (खेल मैदान सहित) वर्तमान राजस्व रेकार्ड संवत् 2070-73 की जमाबंदी अनुसार ख.नं. 4409 रकबा 3.80 हैक्टेयर किस्म गै.मु. मैदान अर्थात 23 बीघा 15 बिस्वा पर बना हुआ है। जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 के अनुसार इसका कुल रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा था। इसे दुरुस्त करने बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत में वाद संख्या 1810/2015 विचाराधीन है। जिसमें शिक्षा विभाग की ओर से प्रतिदावा पेश कर रेकार्ड दुरुस्त कराने का अनुतोष चाहा है, जो कार्यवाही माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। विधालय भूमि पर 11 व्यक्तियों का अतिक्रमण है, जिनकी सूची संलग्न है। अतिक्रमी महावीर सिंह को निर्माण करने से पूर्व में रोका गया था। जिसके कारण उसने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत में वाद संख्या 89/2010 दायर करवाया, जो विचाराधीन है। अन्य अतिक्रमियों के बारे में अभी राजस्व टीम द्वारा सीमांकन करने पर पता चला है। अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(4) उक्त भूमि में से विधालय की भूमि वर्ष 1970 के बाद दान नहीं की गई है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सुजानगढ़ एवं बीदासर तहसील में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

442. श्री खेमाराम (सुजानगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सुजानगढ़ एवं बीदासर में वर्ष 2009 से 31 जनवरी, 2016 तक कितने आंगनबाड़ी व लघु आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत सभी केन्द्र वर्तमान में सुचारु रूप से कार्यरत हैं? यदि हां, तो कितने व नहीं, तो क्यों?

(श्री खेमाराम)

(3) क्या सरकार लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्रों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त तहसीलों में क्षेत्र के कौन-कौन से राजस्व ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं एवं किस-किस में नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार वंचित राजस्व ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) उक्त तहसीलों में कितने आंगनबाड़ी व लघु आंगनबाड़ी केन्द्र राजकीय भवनों में संचालित हैं और कौन-कौनसे आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां किराये या अन्य संस्थानों के भवनों मे संचालित हैं? क्या सरकार ऐसे भवन रहित केन्द्रों के लिए भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील सुजानगढ़ एवं बीदासर में 2009 से अब तक तहसील सुजानगढ़ में 19 एवं बीदासर में 14 मुख्य केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। सुजानगढ़ व बीदासर तहसील में 2009 से अब तक मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

(2) जी हां। उक्त स्वीकृत सभी केन्द्र सुचारु रूप से संचालित हैं।

(3) सरकार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्र में क्रमोन्नत जनसंख्या के निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाले केन्द्रों पर विचार करती है।

(4) उक्त तहसीलों राजस्व ग्रामवार आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। उक्त तहसीलों के जिन राजस्व ग्रामों में आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत नहीं है, उनका विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(5) नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए उप निदेशक द्वारा प्राप्त प्रस्ताव परीक्षण उपरान्त नियमानुसार भारत सरकार को भिजवाये जाते हैं। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाते हैं।

(6) उक्त तहसीलों में 326 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 17 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। 115 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवन, 66

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

विद्यालय भवन, 58 सामुदायिक भवन, 34 अन्य सरकारी भवन एवं 70 किराये के भवनों में संचालित हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रतिनियुक्तियों को समाप्त करने की कार्य योजना

443. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग में सी.डी.पी.ओ. सहित अन्य पदों पर लम्बे समय से भर्ती नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग में राज्य/जिला/सी.डी.पी.ओ. कार्यालय सहित सभी कार्यालयों में वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का पदस्थापन कार्यालय, अधिकारी/कार्मिक का नाम, वर्तमान धारित पद, मूल विभाग, विभागीय एन.ओ.सी. प्राप्त हुयी अथवा नहीं, प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन दिनांक, वर्तमान कार्यस्थिति कार्यमुक्त/कार्यरत, कार्यमुक्ति दिनांक एवं अधिकारियों की निर्धारित योग्यता सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों की नियमित भर्ती/चयन हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक होने के कारण विभाग का मूल कार्य नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रतिनियुक्तियों को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग में सीडीपीओ के पद पर कोई अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नहीं है। वर्तमान में समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग में 3 उप निदेशक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

महिला अधिकारिता विभाग जयपुर के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) विभाग में राज्य/जिला/सीडीपीओ कार्यालय सहित वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का पदस्थापन कार्यालय, अधिकारी/कार्मिक का नाम, वर्तमान धारित पद, मूल विभाग, विभागीय एन.ओ.सी. प्राप्त हुयी अथवा नही, प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन दिनांक, वर्तमान कार्यस्थिति कार्यमुक्त/कार्यरत, कार्यमुक्ति दिनांक एवं अधिकारियों की निर्धारित योग्यता का समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग का विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं महिला अधिकारिता विभाग का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) अधिकारियों/कार्मिकों की नियमित भर्ती/चयन हेतु विभागीय कार्य योजना परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) जी, नहीं। विभाग में अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों के कारण विभाग के कार्य एवं विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं हो रहा है। उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति सेवा नियमानुसार की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

बुधवार, दिनांक 9 मार्च 2016

जयपुर के होलसेलर स्टोर्स द्वारा वैट नियमों की अवहेलना पर कार्यवाही

135. श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारती वालमार्ट प्रा. लि. (टीन नम्बर 08381613405) कारफोर होलसेल केश एण्ड केरी इण्डिया प्रा. लि. (टीन नम्बर 08281667392) तथा मैट्रो केश एण्ड केरी इण्डिया प्रा. लि. (टीन नम्बर 08641667679) रिलायंस मार्केट (टीन नम्बर 08162111039) जयपुर, केवल वाणिज्य कर विभाग द्वारा पंजीकृत अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा पंजीकृत फर्मो/व्यापारियों को ही माल बेचने हेतु अधिकृत है? यदि हां, तो सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा पंजीकृत फर्मो/व्यापारियों के अतिरिक्त उक्त स्टोर्स द्वारा अन्य व्यक्तियों/व्यापारियों को भी माल बेचान किया जा सकता है? यदि हां, तो वेट कर की हानि की रोकथाम हेतु उक्त स्टोर्स के विरुद्ध सरकार द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चारों स्टोर्स के गत एक वर्ष की तिमाही विक्रय रिटर्न की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारती वालमार्ट प्रा. लि. (टिन नम्बर 08381613405) कारफोर होलसेल केश एण्ड केरी इण्डिया प्रा. लि. (टिन नम्बर 08281667392), मैट्रो केश एण्ड केरी इण्डिया प्रा. लि. (टिन नम्बर 08641667679) तथा रिलायंस मार्केट (टिन नम्बर 08162111039) जयपुर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत पंजीकृत होकर उक्त अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत राज्य में व्यवसाय करने हेतु अधिकृत है।

(2) उक्त स्टोर्स राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत राज्य में व्यवसाय करने हेतु अधिकृत है। उक्त व्यवहारियों द्वारा राज्य में बेचान पर देय वैट जमा करवाया जा रहा है।

(3) उपर्युक्त चारों स्टोर्स के गत एक वर्ष की तिमाही विक्रय रिटर्न की प्रतियां संलग्न हैं। (संलग्न क, ख, ग एवं घ)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

बांसवाड़ा के माही डैम की स्थगित योजना का सर्वे

नियम 295 के तहत लोक महत्व के प्रश्न को विधान सभा में प्रस्तुत करता हूं।

1. यह है कि जब 1965 के दरमियान माही डैम का निर्माण हुआ व नहरों की सर्वे हुई। मगर दक्षिणी राजस्थान जिला बांसवाड़ा की भूमि भौगोलिक दृष्टि से ऊंची नीची व घाटियां हैं।

अत: निर्माणाधीन नहरों का पानी बनाई नहरों के एक तरफ चलता है, जिससे नहरों के ऊपरी तरफ के किसानों की जमीन पानी पीयत से वंचित रह जाती है।

2. मान्यवर माही डैम निर्माण होने पर दायीं व बायीं नाम की दो नहरें निकाली गई हैं, जो दायीं नहर का पानी तहसील घाटोल से किसानों के खेतों में सप्लाई होता है व बायीं नहर का पानी तहसील बागीदौरा बांसवाड़ा क्षेत्रीय किसानों के खेतों में सप्लाई होता है।

परन्तु जिस गांव की जमीन कमान्ड घोषित होने के बावजूद किसानों के खेत ऊंचे-नीचे होने से सभी जमीन यानी पूरे गांव में पानी बराबर खेतों में सप्लाई नहीं होता है।

मान्यवर ऐसी स्थिति में सन् 2006 में मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा दक्षिणी राजस्थान का दौरा हुआ था व आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के गांव आमलीखेड़ा जो माही डैम के पानी भराव बैग वाटर के ऊपर पड़ाव डाल कर रात्रि विश्राम कर पानी भराव पहुंचाता है, वहां पर विभागीय अधिकारीगणों द्वारा सर्वे कराया गया उस सर्वे में।

3. पहली नहर योजना भूंगडा नहर के सम्बन्धित गांवों की जमीन खमेरा, खेरवा, नाथजी का गडा, गोलीयावाड़ा झरकनीया, हानगड़ा, नाथुखेड़ी, उदाजी का गड़ा, सामाखेड़ा, रामली, रूपजी का खेड़ा गांवों की कृषि भूमि 4000 चार हजार हैक्टेयर भूमि पीयत की सर्वे हुई थी।

मान्यवर दूसरी योजना माही नदी व डेम के दाई तरफ तहसील पीपलखूंट क्षेत्र में गांव टामटीयर, खरगोटी, सागबारी, नलदा, बोरी, दाता मऊडी खेड़ा, धारणा, मोरवानीया पीपलखूंट, चीकली, सोबनीया, जेथलीया, पडावा, दतीवार तीन धारी छतरी तक 19 गांवों की 5000 पांच हजार हैक्टेयर भूमि पीयत की सर्वे हुई थी।

इसी तरह से मान्यवर तीसरी योजना बांसवाड़ा व बागीदौरा तहसील क्षेत्र की 5300 हैक्टेयर भूमि मिलाकर कुल 18423 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिये पानी पहुंचाने माही परियोजना के अभियन्ताओं द्वारा काफी मेहनत से सर्वे रिपोर्ट की गई, सर्वे में कुल 53 गांवों के किसानों को लाभान्वित होने की योजना है।

मगर गत 2009 में सरकार बदल गई व मान्य तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी गहलोत सरकार द्वारा माही डैम के मुख्य अभियन्ता का पद समाप्त कर दिया है। जिससे उक्त विवरण सिंचाई परियोजना दबा दी गई है, उसे प्रारम्भ कर 18423 हैक्टेयर सूखी जमीन को पानी पिलाया जाकर किसानों को राहत पहुंचाई जाए, यही मेरा सुझाव है।

नवनीत लाल

(घाटोल)

उदयपुरवाटी में खस्ता हाल सड़कें

महोदय,

निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में सड़कों का खस्ता हाल है तथा ग्रामीण सड़कें लगभग क्षतिग्रस्त व टूट चुकी हैं क्योंकि उदयपुरवाटी पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण काफी मात्रा में खनन किया जाता है जिसमें खनन धारियों द्वारा काफी मात्रा में चेजा पत्थर का खनन कर इस पत्थर का परिवहन भारी वाहनों द्वारा किया जाता है। जो तय मात्रा से ज्यादा वजन लेकर सड़कों पर ओवर लोड डम्पर चलते हैं जिससे ग्रामीण सड़कें काफी क्षतिग्रस्त व टूट चुकी हैं, जिनका विभाग द्वारा नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है जिस कारण लम्बे समय से आम जनता को आने-जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के खनिज विभाग द्वारा प्राप्त राजस्व में कुछ हिस्सा राशि को सम्बन्धित खनन क्षेत्र में सड़क निर्माण में किया जाता है जिसके तहत मेरी विधान सभा क्षेत्र में भी खनन क्षेत्र के गांवों में अच्छी व गुणवतायुक्त सड़कें बनाई जायें ताकि आम जनता को राहत मिल सके। महोदय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1000 व 500 की आबादी के गांवों को सड़कों से बहुत पहले ही जोड़ दिया गया था लेकिन विभागीय भूल या अन्य किसी कारण से उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र के काटलीपुरा (मणकसास) ग्राम की आबादी 1000 होने के बावजूद भी इस ग्राम को इस योजना में सड़क से नहीं जोड़ा गया है तथा इसके साथ ही भाखरा की ढाणी (छापोली), बड़सरा-गढ़वालों की ढाणी (बाघोली), पापड़ा ढहर, मीणा बस्ती (टीटनवाड़), बिजारणियां की ढाणी (हुकमपुरा) सहित आदि गांवों को भी विभाग

के नियमानुसार आबादी होने के बावजूद भी सड़क से नहीं जोड़ा गया है। अत: मेरी विधान सभा क्षेत्र के गांवों को इस योजना में विभाग द्वारा निर्धारित नियमानुसार आबादी के आधार पर शेष रहे गांवों को भी सड़क से जोड़ा जाए तथा साथ ही मेरी विधान सभा उदयपुरवाटी में विभाग द्वारा घोषित स्टेट हाईवे सिंगनोर-भोड़की-गुढा-चौफूल्या तथा ताल से जहाज-मावता-बाघोली-सराय-नीमकाथाना सीमा तक व झड़ाया से बागोली-जोधपुरा-कांकरिया-ककराना-चंवरा कैम्प-बालाजी स्टैण्ड तक, चंवरा से पनजी का बास (केड़), चौफूल्या से दीपपुरा की सड़कों का पुन:निर्माण करवाया जाये तथा मेरी विधान सभा उदयपुरवाटी की सड़कों की खस्ता हालत को सुधारकर आम जनता को राहत प्रदान की जाये।

शुभकरण चौधरी

(उदयपुरवाटी)

आसननाथ जी मंदिर, मारवाड़ जंक्शन की भूमि को भू माफियाओं द्वारा खुर्द बुर्द किया जाना

महोदय,

ग्राम वौपारी तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली के आसननाथजी मन्दिर की भूमि को भूमाफियाओं तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा कूटरचित षड्यंत्र एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुर्द बुर्द कर दिया गया।

ग्राम वौपारी मिसल बन्दोबस्त संवत् 2010 से 2019 के खाता सं. 123 के अनुसार पुराने खसरा नं. 159 रकबा 53 बीघा 17 बिस्वा आसन डोली नाथजी खुद कास्त भगवान के नाम दर्ज थी तथा आसन मन्दिर के नाम से एनयूटी भी उठ रही है। तथा यह देवस्थान संस्था भारत सरकार के गजट में भी दर्ज हैं। जो अधिकारियों की मिलीभगत के कारण पुजारी चतरनाथ चेला कुंवरनाथ के नाम खातेदारी में चढ़ा दी गई। चतरनाथ द्वारा खातेदारी की जमीन अपने नाम होने के कारण पुराने खसरा नं. 159 जिसके नये खसरा नं. 422 रकबा 8.42.24 हैक्टेयर का अवैध बेचान भानीराम इत्यादि को कर दिया। चूंकि देवस्थान का पूरा खाता खातेदारी में चढ़ने के कारण 92 स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि सीलिंग में जब्त की जिसमें उक्त खसरा पुराना नं. 159 नये नम्बर 422 की सम्पूर्ण भूमि शामिल थी। वर्ष 1978 से 1997 तक स्थगन रहने के कारण वर्ष 1997 में स्थगन हटने तथा म्यूटेशन सं. 127 तहसीलदार मारवाड़ जं. के आदेश क्रमांक राजस्व/97/93 दिनांक 19.5.1997 की पालना में खसरा नं. 422 को सिवाय चक दर्ज किया गया।

भानीराम इत्यादि ने राजस्व मण्डल में सीलिंग केस के विरुद्ध एक निगरानी

पेश की जिसका निर्णय दिनांक 29.11.2000 को हुआ जिसमें लिखा था कि भार मुक्त भूमि पहले अधिग्रहण करें उसके बाद यदि भूमि कम पड़ती हो तो अन्य भूमि जब्त करें तथा इसका फैसला एसडीएम मारवाड़ जंक्शन करे, पुन: खातेदारी भानीराम इत्यादि के नाम दर्ज करने का कहीं नहीं लिखा था। उक्त फैसलों की पालना एसडीएम मारवाड़ जं. द्वारा आज तक नहीं किया गया। उक्त भूमि पर भूमाफिया गिरोह ने भानीराम इत्यादि से दिनांक 29.11.2000 के फैसले की पालना हेतु रेवेन्यू बोर्ड में एक प्रार्थना पत्र लगाया जिस पर रेवेन्यू बोर्ड अजमेर ने दिनांक 13.8.2015 को दो माह में पालना करने हेतु आदेश दिया। न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर नजरसानी/टीए/38/9/2005 पाली डोली आसननाथजी द्वारा चतरनाथ चेला कंवरनाथ निवासी वौपारी तहसील खारची द्वारा लगाई जिसका निर्णय 5.12.2012 को दिया जिसमें मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.5.2005 अधीनस्थ न्यायालय के निणर्य दिनांक 23.9.1994 निरस्त किया जाकर विवाद ग्रस्त भूमि डोली आसननाथजी की खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। एसडीओ मारवाड जं. द्वारा उक्त फैसले की पालना आज तक न की जाकर उक्त भूमि को सभी राजस्व कार्मिकों द्वारा मिलकर खर्द बुर्द किया जा रहा है। अब इन्हीं सभी दोषी अधिकारियों ने भूमाफियाओं से एक निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में फैसले दिनांक 5.12.2012 को निरस्त करने हेतु कराई जिसकी नियत पेशी 29.1.2016 थी मगर इसके बीच में दिनांक 18.12.2015 को इसकी बहस राजस्व मण्डल के सदस्य असफाक हुसैन साहब के समक्ष हुई उसी दिनांक 18.12.2015 को फैसला दिनांक 5.12.2012 निरस्त का टाइप हुआ। इसी दिनांक 18.12.2015 को नकल जारी हुई तथा उसी दिन को अजमेर से 150 किमी दूर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को पेश हुई जबकि राजस्व मण्डल में नकल लेने का प्रार्थना पत्र एक बजे तक ही पेश कर सकते हैं। तो फिर यह सारा मामला बहस फैसला नकल तैयार करना, नकल देना तथा मारवाड़ जं. में पेश होना सम्भव नहीं होता। यह षड्यंत्र करके फैसला दिया है। दिनांक 18.12.2015 को हुए फैसले की तारीख राजस्व मण्डल में दिनांक 29.1.2016 को नियत थी तो तारीख बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी? दिनांक 24.9.2015 को उक्त भूमि भानीराम वगैरा ने आगे बेचान कर दिया तो फिर दिनांक 18.12.2015 को भानीराम इत्यादि के नाम से बहस होना व फैसला होना नियम विरुद्ध था क्योंकि इस दिन यह खातेदार थे ही नहीं? दोयम जब उक्त भूमि 19.5.1997 से 14.9.2015 तक राजस्व रेकार्ड में राजकीय सिवाय चक दर्ज थी तो फिर दिनांक 11.12.2014 व 12.12.2014 की दिनांक को भानीराम व अमोलकचंद इत्यादि ने उक्त भूमि का आम मुख्तारनामा महिपालसिंह को दिया तथा उन्हीं आम मुख्तारनामों के जरिए उक्त भूमि दिनांक 24.9.2015 को बेचान हुई यह सारा फर्जीवाड़ा रेकार्ड से ही साबित होता है।

अत: राजस्व मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण की जांच करवाई जाये। एवं सभी दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कर दोषियों को दण्डित किया जाये तथा मन्दिर भूमि की डोली को पुन: खुद कास्त भगवान के नाम दर्ज करवाई जाये।

केसाराम चौधरी

(मारवाड़ जंक्शन)

सूरसागर के कायलाना व अखेराज जी तालाबों का विकास कार्य

मैं आपके माध्यम से नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र सूरसागर के माचिया सफारी पार्क से संलग्न कायलाना और अखेराज जी का तालाब परिक्षेत्र के पर्यटन दृष्टि से विकास की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। इस क्रम में मेरा अनुरोध है कि :

1. करोड़ों रु. की लागत से बने माचिया सफारी पार्क का लोकार्पण दिनांक 20 जनवरी 2016 को माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा किया गया है, दो माह से कम समय में यहां अब तक सवा लाख लोग पार्क अवलोकन हेतु पधारे हैं और इससे लगभग 34 लाख रु. की आय मात्र प्रवेश शुल्क से राज्य सरकार को हुई है। यहां आने वाले लोगों की संख्या सावन भाद्रपद मास में वर्षा के मौसम में और विश्व प्रसिद्ध बाबा रामदेव जातरूओं का मार्ग भी यहीं से होकर गुजरने से यहां सैलानियों की संख्या लगभग 50 हजार प्रति माह तक होने की आशा है।
2. माचिया सफारी पार्क से जुडा है बहुत ही आकर्षक कायलाना झील और अखेराज का तालाब क्षेत्र और परिक्षेत्र की पहाड़ियां, जहां विशाल संख्या में विदेशी पक्षी प्रवास पर आते हैं। वर्ष पर्यन्त यहां झील और तालाब लबालब भरे रहते हैं। परन्तु इस क्षेत्र में सुविधाओं का अभाव नहीं होने से पर्यटक का ठहराव नहीं हो पाता है।
3. मेरा निवेदन है कि कायलाना झील और अखेराज जी का तालाब परिक्षेत्र को पर्यटन दृष्टि से विकसित किया जाये और प्रयास किया जाये कि माचिया सफारी पार्क आने वाले पर्यटक अपना पूरा दिन का ठहराव इसी परिक्षेत्र में कर सकें।
4. मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में विकसित हर्बल पार्क और फूलों की घाटी की तर्ज पर कायलाना-अखेराज जी तालाब परिक्षेत्र की पहाड़ियों में हरितिमा विकसित की जाये। यहां जोधपुरी स्थापत्य कला युक्त साल, छतरी, झाली-झरोखों का निर्माण किया जाये। यहां सैलानियों के लिए शेड निर्माण, झूलों

युक्त चिल्ड्रन पार्क, सायंकालीन कलरफुल म्यूजिकल फाउन्टेन पेयजल, प्रकाश व्यवस्था विकसित की जाये।

सादर!

सूर्यकान्ता व्यास

(सूरसागर)

जहाजपुर के किसानों की बकाया मुआवजा राशि

महोदय,

निवेदन है कि संवत् 2072 खरीफ की गिरदावरी के दौरान तहसील जहाजपुर व कोटड़ी के राजस्व अधिकारियों व कार्मिकों द्वारा मनमाने ढंग से, फील्ड में गये बिना, घर पर बैठे-बैठे ही, अपनी हटधर्मिता के चलते, लैण्डरिकार्ड रूल्स में वर्णित प्रावधानों, गिरदावरी सम्बन्धी विहीत प्रक्रिया तथा राजस्व विभाग की ओर से जारी नागरिक अधिकार पत्र में वर्णित प्रावधानों की घोर अवज्ञा करते हुए शून्य प्रतिशत खराबा दर्शित कर दिया गया। जिसके कारण से जहाजपुर व कोटड़ी तहसील के किसान फसल खराबा सम्बन्धी केन्द्रीय मुआवजा राशि प्राप्त करने तथा आपदा प्रबन्ध कार्यों के लाभों से वंचित हो गये।

क्या अकाल में ऐसा हो सकता है कि जहाजपुर व कोटडी तहसील के खेतों में तो शून्य प्रतिशत खराबा और उन्हीं खेतों की मेड़ पर स्थित भीलवाड़ा तहसील के ग्राम सीदडिया में 98 प्रतिशत, फुलियाकलां तहसील के ग्राम बासेडा, लसाडियचा व आमली कलां में 76 प्रतिशत, शाहपुरा तहसील के ग्राम लुलास में 81 प्रतिशत खराबा। फिर मात्र राजनैतिक द्वेषता से जहाजपुर व कोटडी तहसील में शून्य प्रतिशत खराबा। मतलब पूरी तहसील के 450 गांवों के 80,000 किसानों के सभी खेतों में इतनी उपज हो गई कि पूरे जिले में तो अकाल है पर केवलमात्र जहाजपुर व कार्मिकों की पराकाष्ठा देखिये। जहां शक्करगढ़ के वर्षा मापक केन्द्र पर रैनी सीजन के दौरान हुई 418 एमएम वर्षा पर शून्य प्रतिशत खराबा तो दूसरी ओर इसी जिले के माण्डल के वर्षा मापक केन्द्र में 463 एमएम वर्षा पर 80 प्रतिशत खराबा तो हम्मीगढ में 520 एमएम वर्षा पर 46 प्रतिशत खराबे की रिपोर्ट की गई है। राजस्व कर्मियों की हठधर्मिता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि इन्हीं तहसीलों में राजस्व विभागीय कार्मिकों के साथ-2 कृषि, सांख्यिकी, पंचायतीराज, व केन्द्रीय टीमों द्वारा की गई क्रोप कटिंग रिपोर्ट में जहाजपुर तहसील के ग्राम टिटोडा, जवानपुरा, बिजेठा, में 60 प्रतिशत खराबा तो दूसरी ओर कोटडी तहसील के ग्राम कल्याणपुररा में राजस्व विभग के भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा 40 प्रतिशत तो अन्य ग्राम लखमणियास,

सोला का खेडा, बलोदा, रासेडा में 90 प्रतिशत खराबें की रिपोर्टिंग इन्हीं दोनों तहसीलों में पदस्थापित तहसीलदारों ने राजस्व मण्डल को प्रेषित की है। यह अधिकारियों की हठधर्मिता एवं द्वेषता नहीं तो क्या है?

इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय प्रशासन एवं उच्चाधिकारियों को अपनी ओर से अनेक ज्ञापन एवं आपत्तियां पेश की। जिसके संदर्भ में भीलवाडा कलक्टर द्वारा एक जांच कमेठी का गठन किया गया, लेकिन जांच कमेटी ने आरोपी तहसीलदारों व राजस्व कार्मिकों से मिलीभगत कर बाले-बाले झूठे तथ्य एवं फर्जी दस्तावेज संधारित कर दोनों तहसीलों में शून्य प्रतिशत खराबा होना सम्भावित रूप से मानते हुए अपनी मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश कर दी। उक्त जांच के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की घोर अवज्ञा की गई, आरोपी तहसीलदार व स्टाफ ने मिलकर रिपोर्टिंग तैयार करने के पुख्ता साक्ष्य रेकार्ड पर मौजूद है।

प्रशासनिक हठधर्मिता के विरुद्ध मेरे नेतृत्व में स्थानीय किसानों द्वारा 9 दिन तक लगभग 100 किमी दूरी तक पैदल मार्च करके ''न्याययात्रा'' प्रारम्भ की। प्रतिदिन 5000 से अधिक किसान व पशुधन इस यात्रा में सम्मिलित रहें। अन्तिम दिन कलेक्ट्री के समक्ष 40,000 से अधिक किसानों, महिलाओं व बच्चों ने सर्द हवाओं के मध्य रात्रि 11 बजे तक महापड़ाव एवं घेराव किया। प्रशासन ने आन्दोलन कारियां को मुआवजा दिलाये जाने तथा दोनों तहसीलों में अन्य तहसीलों की भांति आपदा प्रबंध संबंधी कार्य एवं लाभ प्रदान किये जाने संबंधी आश्वासन के साथ ही दोनों आरोपी तहसीलदारों को एपीओ कर दिया। इस संबंध में गठित जांच कमेटी के प्रतिवेदन पर मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महो., आपदा प्रबंधन मंत्री महो., मुख्य सचिव, राहत सचिव, राजस्व सचिव सहित अनेक प्राधिकारियों को अपनी लिखित आपत्तियां एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कियें किन्तु आज दिनांक तक दोनों तहसीलों के किसानों को न तो मुआवजा भुगतान संबंधी कोई सूचना दी गई व न ही किसी प्रकार के आपदा प्रबन्धन प्रारम्भ किये गये है। न ही मेरी आपत्तियों का निस्तारण किया गया और आरोपी तहसीलदारों को पुन: पदस्थापित कर दिया। जो जांच कार्यवाही को अपनी पदीय हैसियत से प्रभावित कर रहे है।

उक्त प्रकरा में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों तथा वास्तविक स्थिति व फर्जी गिरदावरी को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलक्टर ने अपने पत्र दिनांक 13-1-2016 से आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग को उक्त दोनों तहसीलों में अन्य तहसीलों के अभावग्रस्त गांवों की भांति सहायता/सुविधाएं प्रदान करने की अनुशंषा की गई। जिला परिषद की साधारण सभा बैठक दिनांक 7-1-2016

जिसमें इस सदन के पांच माननीय सदस्यों सहित सम्पूर्ण सदन ने दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए दोनों तहसीलों के किसानों को हुए नुकसान का सही आकलन कर, उचित मुआवजा दिलाये जाने का संकल्प कलक्टर के माध्यम से राजस्व सचिव को भिजवाया गया है। लेकिन उक्त प्रकरण में सरकार द्वारा आज तक दोनों तहसीलों के किसानों को किसी भी प्रकार की कोई सहायता एवं आपदा प्रबन्ध कार्य प्रारम्भ नहीं किये है। न ही दोषी अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही की गई है। सरकार को चाहिए कि वह क्रोपकटिंग की रिपोर्टों में से आरोपी राजस्व कर्मियों की रिपोर्टिंग को पृथक करते हुए व न्यायोचित औसत आधार पर खराबा घोषित करने हेतु संशोधित अधिूसचना जारी करें। दोनों तहसीलों के किसानों को मुआवजा दिलानें तथा आपदा प्रबन्धक चालू कराने हेतु तत्काल घोषणा करें। उक्त प्रकरण में सरकार की भी छवि खराब हो रही है।

अत: मैं सदन के माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री महोदय एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि उक्त विषय को अति गंभीरता से लेकर दोनों तहसीलों के किसानों, पशुधन व आम जनता को राहत प्रदान कराएं।

धीरज गुर्जर
(जहाजपुर)

आयुर्वेद नर्सेज का वेतन एलोपैथी नर्सेज के समकक्ष करने की मांग

निवेदन है कि छठे वेतन आयोग तक आयुर्वेद नर्सेज की वेतन श्रृंखला ऐलोपैथी नर्सेज के समान ग्रेड पे थी लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने भटनागर कमेटी की रिपोर्ट के पश्चात राजस्थान में आयुर्वेद नर्सेज की ग्रेड पे में अन्तर कर दिया तदनुसार ऐलोपेथी नर्सेज को 4200/- रु. ग्रेड पे दिया गया जबकि आयुर्वेद नर्सेज को 3600/- रु. देकर भेदभाव कर दिया गया जबकि शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता दोनों की समान है, भर्ती का तरीका एवं कार्यक्षेत्रों में भी समानता है। पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्री भैरोंसिंहजी ने ही आयुर्वेद नर्सेज को ऐलोपैथी के समान किया था।

अत: सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद नर्सेज का वेतन भी ऐलोपैथी नर्सेज के समान किया जावे।

सधन्यवाद

कंवर लाल
(मनोहरथाना)

मण्डावर को तहसील का दर्जा

महोदय,

मण्डावर जिला दौसा में वर्तमान में उप तहसील कार्यालय है। उप तहसीलदार को समस्त कार्यों की शक्तियां नहीं होती है। जिससे किसानों एवं आमजन को अपने कई कार्यों हेतु तहसील कार्यालय महुवा जाना पड़ता है। जिसके कारण उनको काफी परेशानी होती है। यदि मण्डावर को तहसील बना दिया जाता है तो आमजन एवं किसानों को अपने कार्यों हेतु काफी सुविधा होगी।

महुवा क्षेत्र के किसानों एवं आमजन हित के लिए माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाने हेतु विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियत 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव कर अनुरोध है कि उप तहसील मण्डावर को तहसील बनाने की कृपा करें।

ओमप्रकाश

(महुवा)

किशनगंज-शाहबाद की बिलासी सिंचाई परियोजना की स्वीकृति

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि बारां जिले के विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद पूर्णतया कृषि उपज पर निर्भर करता है, लेकिन पर्याप्त सिंचाई के अभाव में क्षेत्र में प्रति हैक्टेयर उपज तुलनात्मक रूप से काफी कम निकलती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में अधिकांश भूमि पर फोरेस्ट व बजंर है एवं सिंचाई के अभाव में किसानों के लिए कृषि कार्य एक घाटे का सौदा बन गया है।

बिलासी मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य बारां जिले के किशनगंज तहसील के ग्राम भंवरगढ़ के पास बिलास नदी पर वर्ष 1980 में प्रारम्भ कर 1997 में पूर्ण करवाया गया था। इसका प्रथम फेज 1980 से 1983 व द्वितीय फेज 1983 से 1997 में कुल लागत 21.55 करोड़ रुपये से करवाया गया था। बांध की भराव क्षमता Gross-1020 MCFT, Live 945 MCFT व बांध की लम्बाई 3.75 किमी. व ओवरफ्लो की लम्बाई 0.51 कि.मी. है। इस परियोजना की मुख्य नहर 26.04 किमी लम्बाई में बनी हुई है तथा मुख्य नहर से 8 माइनर व 2 सब माइनर बनाये गये हैं। परियोजना के नहरी तंत्र से 20 गांवों भंवरगढ़, ढिकवानी, कुण्डा, कापड़ी खेड़ा, रामपुरिया, फल्दी, पिंजना, खेड़ली, बरखेड़ा, बांसथूनी, खेड़ली तेलियान, कांकड़दा, नाला विरान, गजरोन, आंकोदिया, कामठा, अमलावदा, दिलोद, लालापुरा, किशनगंज की 5863 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

वर्तमान में राज्य सरकार के निर्देशानुसार (RWSLIP) मद में परियोजना के रिपेयर एण्ड रेस्टोरेशन के लिए अनुमानित लागत 995.00 लाख की डीपीआर विभाग द्वारा भिजवाई गई है। इस परियोजना के निर्माण हुए 36 वर्ष हो गये हैं। इसकी हालत काफी जीर्ण क्षीर्ण हो गई है। इसकी नहरें जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हैं व पानी व्यर्थ बह जाता है। लम्बाई के कारण टेल क्षेत्र में पड़ने वाले गांव कांकड़दा, आंकोदिया, लालापुरा, रानीबड़ौद व किशनगंज तक पानी नहीं पहुंच पाता है। किशनगंज, जो कि उपखण्ड मुख्यालय है, जिसकी लगभग 13 हजार जनसंख्या है। पिछले 15 वर्षों से सिंचाई के लिए पानी तो दूर पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है।

अत: महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि (RWSLIP) के अन्तर्गत इस परियोजना की स्वीकृति कब तक प्राप्त होगी।

सादर। **ललित कुमार**

(किशनगंज)

बीकानेर में अन्तरराष्ट्रीय साइकिल वेलोड्राम

महोदय,

बीकानेर शहर में साइकिलिंग दौड़ व उसमें बीकानेर के साइकिलिस्टों का वर्चस्व काफी समय से राजस्थान व भारत की अखिल भारतीय साइकिल चैम्पियनशिप में अग्रणी रहा है।

यह सर्व विदित है कि विगत वर्षों में कई बार साइकिल चैम्पियन रहने के कारण ही बीकानेर में वर्ष 1974-75 में सरकार ने साइकिलिस्टों को और अधिक मैडल जीत कर लाने के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक साइकिल वेलोड्राम (Velodram) का निर्माण करवाया था। जिसके कारण बीकानेर के साइकिलिस्टों का नवीन व आधुनिक तरीके से साइकिल पर अभ्यास, प्रैक्टिस करने का अवसर मिला। फलस्वरूप बीकानेर के बच्चों ने और अधिक मैडल अखिल भारतीय स्तर पर जीते।

ज्ञातव्य रहे कि 1974-75 में बना यह साइकिल वेलोड्राम भारत में पटियाला से एक मात्र पहले से निर्मित के बाद दूसरा साइकिल वेलोड्राम बीकानेर में बना था।

परन्तु धीरे-धीरे यह साइकिल वेलोड्राम पुराना होता गया। अब यह क्षत-विक्षत स्थिति में साइकिल पर अभ्यास करने लायक नहीं रहा व अन्तरराष्ट्रीय स्तर के पैमानों के अनुसार भी उपयोगी नहीं है। अब इस पर साइकिलिस्ट अभ्यास नहीं कर सकते।

अत: मेरा निवेदन है कि वर्तमान में साइकिलिस्टों की उभरती नई पौध के

अभ्यास के लिए एक नवीन अन्तरराष्ट्रीय पैमानों के अनुरूप साइकिल वेलोड्राम का निर्माण किया जाये, ताकि साइकिल दौड़ के प्रेमियों व साइकिलिस्टों को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित अभ्यास कर फिर से अपने पुराने जौहर दिखाने का अवसर मिले।

धन्यवाद।

गोपाल कृष्ण

(बीकानेर पश्चिम)

खाटां बारानी व लखटीका चकों को गंग कैनाल से पानी उपलब्ध कराना

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ग्राम पंचायत मुख्यालय खाटां (KHATAN) भारत पाकिस्तान सीमा के पास बार्डर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव खाटां में प्रत्येक वर्ग व जाति के लोग रहते हैं तथा खाटां गांव सिंचित नहीं होने से एक बारानी क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र को खाटां बारानी कहते हैं। खाटां के निवासियों को पीने का पानी पी.एस. (PS) वितरिका के चक 33PS के मोघे से मिलता है।

महोदय खाटां बारानी जमीन के पास पाकिस्तानी जमीन पर हरियाली है। उनके खेत हरे-भरे है तथा भारत क्षेत्र में भी आस पास का क्षेत्र सिंचित है जबकि खाटां क्षेत्र सिंचाई से वंचित है। यहां के लोग मेहनती है परन्तु असिंचित क्षेत्र होने एवं लगातार अकाल की मार से यहां के लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूप से कमजोर हो गये है। समीपवर्ती चकों गांवों के लोगों के खेतों में जब पानी लगता है तो यहां के निवासियों के मन में भी इच्छा होती है कि क्या कभी हमारे खेतों में भी पानी लगेगा।

महोदय खाटां बारानी तथा लखाटीबा क्षेत्र का सर्वे पूर्व में 1974-75 में हुआ था। यहां असिंचित क्षेत्र का पुनः सर्वे कर दोनों चकों की जमीन, खाटां बारानी की 172 मुरब्बे तथा लखा टीबा लगभग 375 मुरब्बे हैं अर्थात् कुल रकबा लगभग 8533 एकड़ को शामिल किये जाने की आवश्यकता है। सिंचाई विभाग द्वारा जारी नक्शें में लखाटीबा के दक्षिण में 37 पी.एस., 36 पी.एस., 38 पी.एस. के दक्षिण में KHATA तथा KHATA के दक्षिण 40 पी.एस. दिखाया गया है। सिंचाई विभाग द्वारा राजनीति से प्रेरित होकर इस नक्शे को गुमराह करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यहां यह बताया जाना जरूरी है कि समेजा वितरिका के नानूवाला हैड से वितरिका निकलती है, उससे 33 N.P., 36 N.P., 37 N.P., 38 N.P., 45 N.P., 55 N.P., 56 N.P. इत्यादि चकों में पानी लगता है तथा इसी हैड से भोमपुरा माइनर निकलती है। जबकि खाटां चक है वो

लखाटीबा के रकबे तथा खाटां बारानी के रकबे के बीच पड़ता है। 40 पी.एस. से खाटां के मध्य 38 P.S., 36 P.S., 37 P.S., 34 P.S., 35 P.S., 33 P.S. आते हैं जबकि इस नक्शे में जानबूझकर खाटां को बहुत दूर 40 पी.एस. के पास दर्शाया गया है। महोदय खाटां माइनर को जानबूझकर रोकने के उद्देश्य से इसका नामकरण “नानूवाला” किया गया जिससे यह खाटां माइनर नक्शे से ही गायब हो जाये।

सोना देवी

(रायसिंहनगर)

श्रीगंगानगर में किसानों को ओलावृष्टि से तबाह फसलों का मुआवजा

महोदय,

अभी हाल ही में श्रीगंगानगर क्षेत्र में हुई प्राकृतिक आपदा से उपजे हालातों के सम्बन्ध में मैं यह विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं। श्रीगंगानगर जिले में ओलावृष्टि क्षेत्र में पकाव के लिए तैयार खड़ी फसलों पर कहर बनकर टूटी है। लगभग नींबू के आकार के ओले और तेज हवा के साथ बारिश से सरसों और चने की फसल 80-90 प्रतिशत तक खराब हो गई है, वहीं गेहूं और जौ की फसल का भी अनुमान के मुताबिक लगभग 70-80 प्रतिशत तक खराबा हुआ है।

जिला कलक्टर (भू-अभिलेख) विभाग द्वारा सर्वे एवं मुआवजे सम्बन्धित त्वरित कार्यवाही नहीं करने को लेकर कृषक वर्ग आक्रोशित एवं आंदोलनरत हैं। श्रीगंगानगर क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से किसानों की तबाह हुई सरसों, गेहूं, चना और जौ की फसलों की गिरदावरी और सर्वे को लेकर प्रशासन गम्भीर दिखाई नहीं दे रहा है। पटवारी और गिरदावर प्रभावशाली किसानों और जमींदारों के घरों में बैठकर आकलन रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जिससे गरीब काश्तकार हताश और निराश है। जिला प्रशासन के निर्देश पर फसल खराबे को कम से कम आकलन करने की तैयारी की जा रही है।

जिले भर के काश्तकार, ओलावृष्टि से तबाह हुई फसलों से क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित कर मुआवजा और बिजली, पानी, आबियाना माफी की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर चुका है। राजस्थान सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए श्रीगंगानगर जिले में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को फसलों का राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार मुआवजा देने और किसानों के बिजली पानी और आबियाना माफी के भी आदेश प्रसारित करे, यही आपके माध्यम से मेरा राजस्थान सरकार से निवेदन है।

कामिनी जिन्दल

(श्रीगंगानगर)

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं का पदनाम परिवर्तन

महोदय,

राजस्थान में राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं के पदनाम परिवर्तन की मांग लम्बे समय से लम्बित है। भारत के लगभग सभी राज्यों में कालेज व्याख्याताओं का पदनाम परिवर्तन करके असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर कर दिया गया है। राजस्थान में भी दो वर्ष पूर्व माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने पदनाम परिवर्तन करने की घोषणा की थी; लेकिन अभी तक व्याख्याताओं का पदनाम परिवर्तन नहीं हुआ है; इससे राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में नेक मूल्यांकन, यू.जी.सी. के अनुदान प्राप्ति इत्यादि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अत: राजस्थान में राज्य सरकार कब तक कालेज व्याख्याताओं का पदनाम परिवर्तन करके असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर करेगी?

धन्यवाद।

कीर्ति कुमारी
(माण्डलगढ़)

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 26 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

1. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में चिकित्सकों के खाली पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में लम्बे समय से अस्थाई रूप से कार्यरत ए.एन.एम. को स्थाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन) :

3. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के चिकित्सालयों में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश (महुवा) :

4. विधान सभा क्षेत्र महुवा के बैजूपाड़ा एवं हिंगोटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

5. बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद में संचालित भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।
6. बारां जिले के किशनगंज-शाहाबाद क्षेत्र में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

7. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 के मध्य सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बालेसर में ट्रोमा सेंटर एवं ब्लड बैंक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।
8. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उपखण्ड बालेसर मुख्यालय पर सैटेलाइट अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।
9. प्रदेश में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के तहत कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर (मशीन विद मैन) को पिछले दो वर्ष से बकाया मानदेय नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

10. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति मुख्यालय सेखाला एवं पंचायत समिति शेरगढ़ की सीमावर्ती ग्राम पंचायत चाबा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

11. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र, एड पोस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़) :

12. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

13. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की तहसील सराड़ा के चावण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को राजकीय चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

14. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सामान्य चिकित्सालयों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पड़े तकनीकी पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

15. सुजनागढ़ चिकित्सालय को 100 बैड से 150 बैड में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भजनलाल जाटव (वैर) :

16. विधान सभा क्षेत्र वैर के तहसील भुसावर में स्थापित 25 बैड के चिकित्सालय को क्रमोन्नत कर 50 बैड का किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र वैर के कस्बा हलेना की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

18. विधान सभा क्षेत्र वैर के विभिन्न चिकित्सालयों में रिक्त चल रहे चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ को पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

19. विधान सभा क्षेत्र वैर की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वैर व भुसावर में

सी.टी. स्कैन मशीन एवं अन्य उपकरण उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

20. विधान सभा क्षेत्र वैर के चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था हेतु सफाई कर्मियों का पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

21. विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर के ग्राम भीण्डर, कानोड एवं वल्लभनगर में ब्लड बैंक की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या" (चित्तौड़गढ़) :

22. चित्तौड़गढ़ शहर में नवीन सैटेलाइट चिकित्सालय स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

23. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय में नवनिर्मित आई.सी.यू. हेतु आवश्यक मशीनरी एवं उपकरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

24. चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय में 2 नवीन रोगी वाहन, दो सोनोग्राफी कलर डोपलर मशीन व दो डायलेसिस मशीन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

25. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के उदपुरा एवं जालमपुरा पंचायतों में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

26. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की भदेसर गाम पंचायत आक्या में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री रामचन्द्र (डग) :

27. भवानीमण्डी पंचायत समिति के ब्लाक सी.एम.एच.ओ. आफिस की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

28. विधान सभा क्षेत्र डग के भिलवाडी के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

29. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्वीकृत मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

30. जिला बाड़मेर में उप स्वास्थ्य केन्द्रों के विरुद्ध ए.एन.एम. की संख्या

अधिक होने के बावजूद सैकड़ों बंद उप स्वास्थ्य केन्द्रों को पुन: प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

31. प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती कर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

32. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम एवं देवगढ़ में कनिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों, अन्य चिकित्सकों एवं नर्सेज के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

33. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के सेटेलाईट हॉस्पिटल में डाक्टरों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

34. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्राम पंचायत खजुरा व ग्राम पंचायत बड़ी सखा में प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

35. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

36. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के चिकित्सालयों में महिला चिकित्सक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

37. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में नर्स ग्रेड द्वितीय को टी.एस.पी. क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्र पर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

38. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में दरियारी, बाकडा, झलाई, माण्डेला उपली एवं भचड़िया में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

39. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

40. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के उपखण्ड सीमलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य

केन्द्र में शय्याओं की संख्या बढ़ाने एवं ट्रोमा सेंटर की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

41. कोटा जिले में मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना के तहत रोगियों को इलाज के लिये (5 से 10 रोगी) एम्स, दिल्ली और पी.जी.आई., चण्डीगढ़ को रैफर न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. राज्य स्तर पर जांच दरों में असमानता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

43. राज्य के मेडिकल कालेजों एवं जिला चिकित्सालयों में स्थित पार्कों जिनका नामकरण आज तक नहीं हुआ उनका नामकरण आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेन्स नाइटेंगल के नाम पर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

44. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के चिकित्सालयों में सफाई ठेकों को सबलेट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

45. प्रदेश के जिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों में बायोमेट्रिक मशीन का उपस्थिति प्रिंट का संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण एवं देरी से आने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही व अवकाश समायोजन के पश्चात वेतन आहरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

46. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय ब्यावर में चिकित्सक एवं स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू) :

47. प्रदेश में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत संविदा मशीन विद मैन को पुन: नियुक्ति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली)

48. विधान सभा क्षेत्र मावली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डबोक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

49. विधान सभा क्षेत्र मावली के नगरपालिका फतहनगर सनवाड़ में ट्रोमा सेंटर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

50. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में मेडिकल कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

51. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के बहरोड़ में 100 बैड़ के चिकित्सालय में आवश्यक संसाधन- लेबोरेट्री अल्ट्रासाउण्ड एम.आर.आई. एवं आई.सी.यू. वार्ड की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

52. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स ग्रेड II एवं अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डाबड़वास में भवन रहित स्वास्थ्य केन्द्रों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम नांगल खोडिया, गुती, गादोज, बसई, महाराजावास, रोड़वाल, दोसोद, प्रतापुरा एवं मेहतावास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

55. राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादरपुर (अलवर) को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

56. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालाखेड़ा जिला अलवर को 50 बैड में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

57. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के किथूर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

58. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के एन.एच.-76 फोर लेन पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंगलवाड पंचायत समिति, डूंगला में दुघर्टनाओं को देखते हुए ट्रोमा सेंटर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

59. ग्राम पंचायत सेवाडा, जिला जालोर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

60. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीवाड़ा को बैड संख्या 30 से 50 में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

61. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीवाडा के चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शैतान सिंह (पोकरण) :

62. विधान सभा क्षेत्र पोकरण के राजमथाई एवं छामण के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

63. अलवर के सामान्य चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय एवं शहर की अन्य डिस्पेन्सरी व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध डाक्टर्स की कमी के चलते हो रही असुविधाओं पर चर्चा के लिये।

64. नौगावां रामगढ़ (अलवर) में मार्च 2016 में सरकारी दवाइयां कुओं में पड़ी मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी)

65. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जोलर, रंठाजना, खैरमालिया, संगेसरा, नारायणखैड़ा, दलेवास, मैरियाखेडी एवं बड़ी सादड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

66. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर के महाराव भीम सिंह चिकित्सालय में बहुमंजिला ओ.पी.डी. ब्लॉक एवं चम्बल पार क्षेत्र में सामुदायिक/ सैटेलाइट चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी) :

67. बूंदी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डावी में महिला चिकित्सक सहित पूरा स्टाफ लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर) :

68. सवाई माधोपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खिरणी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामपाल (बारां-अटरू) :

69. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में डिवाली गांव के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

70. विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुडी, धवा, शुभदण्ड, खेजड़ली, कैरू, बैरू, चावण्डा, पुनियों की प्याउ को क्रमोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाने, ग्राम फींच, गुड़ा विश्नोईयान में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाने एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दुन्दाड़ा व सालावास को क्रमोन्नत कर सैटेलाइट चिकित्सालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

71. विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित मोगड़ा, कलां, भाण्डू कलां, दईपडा खिचियान, मोडी जोशियान, पाल, बोरानाड़ा, बम्बोर दर्जियान, लोरड़ी देजगरा, नन्दवान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

72. विधान सभा क्षेत्र लूणी में समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उप केन्द्रों पर चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों के रिक्त पदों को भरने एवं इन चिकित्सालय में आवश्यक उपकरण व एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

73. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65, 112 एवं 114 पर ग्राम कांकाणी, ग्राम भाण्डू कलां व ग्राम बम्बोर दर्जियान में 108 एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

74. विधान सभा क्षेत्र लूणी के समस्त ग्रामों व ढाणियों में जहां ए.एन.एम. एवं जी.एन.एम. के पद स्वीकृत नहीं हैं अथवा स्वीकृत पदों पर इनकी नियुक्ति नहीं या पद रिक्त हैं, उन पदों को स्वीकृत करने व रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

75. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्राम बुढीबावल, बिलाहेड़ी, नांगल सालिया, तिगांवा जगता बसई, लगड़बास एवं कोलगांव में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

76. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

77. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्राम मीरका, राताखुर्द, महरमपुर, लिसाना, कांकरा, इकरोटिया, कुलताजपुर, सांयलका, रामपुर, आकोली, खेड़ी, रूंध झामूवास, फितयाबाद, शेरपुर, जकोपुर, जालाका में सब-सेंटर खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

78. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीबीरानी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

79. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर के महाराव भीम सिंह चिकित्सालय में 474 बैड की क्षमता के विपरीत 700 बैड लगाए हुए हैं, चिकित्सालय में बैड लगाने का दायरा बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर के महाराव भीम सिंह चिकित्सालय में सेंट्रल लैब का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

81. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी मुख्यालय पर स्थित चिकित्सालय को 40 बैड का करने एवं रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिहोड़ एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाबाई में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाबाई को क्रमोन्नत कर 40 बैड का करने एवं रैफरल चिकित्सालय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम प्रतिभानगर, अजीतपुरा, धीरजपुर, मामराज की ढाणी बछाभीतर नानूवाली बावडी, भजनावाली मानोता एवं संजय नगर (चाचावाली) में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बसई, जसरापुर एवं सिहोड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

86. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के रींगस में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ट्रोमा वार्ड खोलने एवं गुरारा व बावड़ी के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

87. सी.एच.सी. बायतू (बाड़मेर) में बैड बढ़ाकर 50 बैड करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

88. पंचायत समिति मुख्यालय गिड़ा (बाड़मेर) स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री गोरधन (धोद) :

89. विधान सभा क्षेत्र धोद में ग्राम पंचायत सखड़ी में उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. नगरपालिका लोसल में सोढाणी चिकित्सालय को सिटी डिस्पेन्सरी घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

91. सामान्य चिकित्सालय करौली एवं भासलपुर में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र करौली की ग्राम पंचायत गुठला एवं कालाखाना में नवीन पी.एस.सी. खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

93. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के हदूब्डी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

94. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के मुण्डावर सी.एच.सी. को 30 बैड से 50 बैड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

95. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के जसाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

96. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के चिकित्सालयों में जांच उपकरणों की कमी से मरीजों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

97. करौली जिले के चिकित्सालयों में नि:शुल्क दवाओं के अभाव में आमजन को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये ।

98. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के सामान्य चिकित्सालय टोडाभीम, नादौती, वालघाट व अन्य चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर चिकित्सक पदस्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

99. औषधी नियंत्रक विभाग के रिक्त पदों को भरने एवं प्रत्येक अधिकारी द्वारा निर्धारित निरीक्षण न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. श्रीकल्याण चिकित्सालय, सीकर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

101. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. सीकर में मेडिकल कालेज की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती अनीता (नगर) :

103. विधान सभा क्षेत्र नगर में नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

104. बांदीकुई अस्पताल को सिटी डिस्पेंसरी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

105. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के भीलूड़ा ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

106. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के पादरडी बड़ी एवं सामलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के दिवाडा बडा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में पं. दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय में सी.टी. स्कैन मशीन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

109. जिला मुख्यालय जैसलमेर के चिकित्सालय में चिकित्सक, ए.एन.एम., लेब आपरेटर, आवश्यक जांच मशीनें लगाने एवं चिकित्सालय की सफाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री मान सिंह (गंगापुर) :

110. गंगापुर सिटी में ट्रोमा सेंटर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

111. गंगापुर सिटी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में वामन बडोदा एवं अलीगंज के स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

112. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के महुकलां एवं मिर्जापुर में शहरी डिस्पेंसरियां स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

113. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के गंगापुर सिटी सामान्य चिकित्सालय में आउटडोर के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मंगलराम (कठूमर) :

114. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के खेड़ली चिकित्सालय में महिला चिकित्सक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा) :

115. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के ग्राम गोठड़ा उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) :

116. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के रायसिंहनगर क्षेत्र में जोहड़पायतन की भूमि पर से उपस्वास्थ्य केन्द्रों को अन्य जगह स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

117. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रेडियोलोजिस्ट की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

118. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सैटेलाइट चिकित्सालय, प्रतापनगर में रिक्त पदों को विशेष प्राथमिकता से भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

119. बजट 2016-17 की घोषणा सं. 175 के अनुसार विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सिटी डिस्पेंसरी सूरसागर और राजकीय चिकित्सालय चांदपोल में नई डेन्टल चेयर यूनिट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

120. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के मास्टर खींवराज कच्छवाह राजकीय चिकित्सालय चांदपोल एवं सिटी डिस्पेंसरी सूरसागर को सैटेलाइट स्तर एवं मातृ-प्रसूति सुविधा स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

121. बजट 2016-17 की घोषणा सं. 176 के अनुसार विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सेटेलाइट चिकित्सालय चौपासनी हाउसिंह बोर्ड और सेटेलाइट चिकित्सालय प्रताप नगर में नये बैड्स, व्हील चेयर, रोगी ट्रोली, गद्दे आदि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

122. घाटोल व गनोडा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों व कम्पाउण्डरों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

123. प्रदेश में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा एवं जांच योजना में पर्याप्त धन,

दवाएं व जांच सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने से इन योजनाओं का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

124. प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने से राज्य की चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

125. राज्य के चिकित्सक व चिकित्सक शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोतरी नहीं किये जाने से चिकित्सकों का राजकीय सेवा में रूझान कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

126. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के चिकित्सा संस्थानों की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिये।

127. राज्य में आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति बरते जा रहे भेदभाव के कारण आयुर्वेद चिकित्सा पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

128. बी.डी.के. अस्पताल झुंझुनूं में सभी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवायें प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुलताना को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इस्लामपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. राज्य में डब्ल्यू.एच.ओ. के मानकों के अनुसार शिशुओं के सभी प्रकार के टीकाकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द्र कृपलानी (निम्बाहेड़ा)

132. सामान्य चिकित्सालय (उप जिला अस्पताल) निम्बाहेड़ा में जी.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर खोलने, चिकित्सालय को 100 से 150 बैड के लिए क्रमोन्नत करना, सी.टी. स्कैन मशीन उपलब्ध कराने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटी सादड़ी (जिला प्रतापगढ़) को 30 बेड से 50 बेड में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ में एक्स-रे मशीन व आवश्यक चिकित्सा स्टाफ तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धोलापानी पंचायत समिति छोटी सादड़ी में 104 (जननी एक्सप्रेस) उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के ग्राम पंचायत मुख्यालय रानीखेड़ा, मांगरोल, सतखण्डा, स्वरूपगंज, गोमाना, करजू व जलोदाजमीर (पंचायत समिति छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. सामान्य चिकित्सालय निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ में नेत्र चिकित्सा एवं आपरेशन हेतु ओ.पी.डी., नव स्वीकृत ब्लड बैंक हेतु आवश्यक पद, स्टाफ एवं ई.एन.टी. चिकित्सा हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) :

136. टोडारायसिंह शहर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर शय्याओं की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोडारायसिंह शहर में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर)

139. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में आर.बी.एम. अस्पताल में खराब पड़ी सी.टी. स्कैन मशीन एवं अन्य मशीनों को ठीक कराने/नई लगवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के आर.बी.एम. अस्पताल भरतपुर में रिक्त पड़े चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

141. भरतपुर के आर.बी.एम अस्पताल में एम.आर.आई. मशीन लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

142. भरतपुर शहर की स्वीकृत तीन डिस्पेन्सरियों को शीघ्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) :

143. विधान सभा क्षेत्र दौसा में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बापी, खानभांकरी एवं नांगल राजावतान को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

144. अलवर में संचालित शिशु वार्ड को शिशु चिकित्सालय का दर्जा दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) :

145. प्रदेश में हृदय रोग, गुर्दा रोग, लीवर रोग एवं कैंसर आदि की दवा सस्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

146. बांदीकुई के सामुदायिक अस्पताल को सिटी डिस्पेंसरी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के बसवा सामुदायिक अस्पताल में ई.सी.जी. मशीन एवं एक्सरे मशीन लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

148. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटखावदा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

149. कोटपूतली के ग्राम दांतिल व बनेठी की पी.एच.सी. को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

150. राजकीय चिकित्सालय सोजत शहर में ट्रोमा वार्ड स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा) :

151. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा मण्डरायल एवं करणपुर की सीएचसी में आधारभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में पी.एच.सी. पर चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में नवीन पी.एच.सी. की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

154. सपोटरा, मण्डरायल एवं करणपुर की सीएचसी में चिकित्सकों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

155. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) शहरी क्षेत्र में स्थित राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय में सी.आर. सिस्टम एवं ओ.टी. टेबल खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय के शहरी क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड इलाके में स्थित मातृ शिशु कल्याण केन्द्र को वर्ष 2016-17 में सिटी डिस्पेन्सरी में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय को 300 बैड कराने की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में नवीन आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली) :

160. पाली शहर के बांगड़ चिकित्सालय में ट्रोमावार्ड, हीमो डायलिसिस यूनिट, बर्न यूनिट हेतु चिकित्सालय कर्मियों के पद स्वीकृत कर पद स्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. पाली के राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में पूर्णतया खराब एवं अवधिपार हो चुकी सी.टी. स्कैन मशीन के स्थान पर नई सी.टी. स्केन मशीन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पाली में अस्पताल प्रशासन द्वारा सरकार से मांगे गये आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. पाली जिले की रोहट तहसील के गांव मौडावास व झीवड़ा में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

164. न्यू मेडिकल कालेज कोटा में द्वितीय तल के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विज्ञान नगर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. न्यू मेडिकल कालेज कोटा में पोस्टमार्टम की सुविधा चालू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

167. कोटा के न्यू मेडिकल कालेज एवं एम.बी.एस. चिकित्सालय में खराब पड़े उपकरण की मरम्मत करवाने, आईसीयू एवं अन्य वार्डों में बैड बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. कोटा शहर के दाऊदयाल जोशी आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र में आयुर्वेद महाविद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) :

169. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के राजकीय चिकित्सालयों में स्वीकृत स्टाफ लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश धाकड (बेगूं) :

170. विधान सभा क्षेत्र बेगूं के बेगूं में 100 बैड का नवीन चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

171. विधान सभा क्षेत्र कपासन में रिक्त चिकित्सकों, मेल नर्स प्रथम, मेल नर्स II एवं A.N.M. के रिक्त पदों पर पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र कपासन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भादसौडा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

173. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में सभी पंचायत केन्द्रों पर पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

174. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गडेफान में चम्बल फर्टीलाईजर एण्ड केमिकल लि. से सामाजिक सरोकार एवं जनसहभागिता के माध्यम से पी.एच.सी. गडेफान को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के नगर सांगोद में स्थित रैफरल चिकित्सालय को 30 बैड से बढ़ाकर 50 बैड का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के ग्राम छीपड़दा पी.एच.सी. निमोदा हरिजी जलौक सुल्तानपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के उप स्वास्थ्य केन्द्र देवली को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

178. विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम नटवाड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र को स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

179. विधान सभा क्षेत्र निवाई की तहसील पीपलू के राजकीय सामुदायिक अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के नवीन 12 पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र निवाई में NH 12 पर ट्रोमा अस्पताल खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र निवाई के शहर निवाई के राजकीय सामुदायिक अस्पताल में 50 बैड को बढ़ाकर 75 बैड का करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

182. विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम झिलाय व राहोली में पीएचसी. से सीएचसी में क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

183. विधान सभा क्षेत्र जायल में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र जायल की डेह, बड़ी खाटू व कठौती जोधियासी, पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

185. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उप स्वास्थ्य केन्द्रों से वंचित गांवों में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सभी सीएचसी/पीएचसी में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. सिवाना के आयुर्वेद औषधालयों में रिक्त पद भरने एवं बजट घोषणा के अनुसार नये औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पीएचसी/सीएचसी में बजट घोषणा के अनुसार नये गद्दे, व्हीलचेयर, बैड एवं ट्रोली की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा) :

189. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के विभिन्न पीएचसी व सीएचसी भवन रहित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

190. खैरवाड़ा व ऋषभदेव सीएचसी को 100 बैड किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के पीएचसी व सीएचसी पर पर्याप्त डाक्टर व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. सीएचसी खैरवाड़ा व ऋषभदेव में विभिन्न प्रकार की जांच कराने की व्यवस्था करने एवं उपकरण लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. ऋषभदेव में ट्रोमा हास्पीटल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर) :

194. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के ग्राम पंचायत मुख्यालय मावल पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की सरकारी चिकित्सा इकाइयों में चिकित्सकों एवं कम्पाउण्डर्स के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में 108 एम्बुलेंस सुविधा लम्बे समय से ठप्प पड़ी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के गांव रानाडी, वाडका, हड़मतिया आर, क्यारिया-रेवदर ब्लाक एवं क्यारिया-आबूराड ब्लाक में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

198. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के ग्राम बांट स्थित पीएचसी हेतु भामाशाह द्वारा निर्मित चिकित्सा भवन में सरकारी संसाधन एवं सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

199. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में घड़साना, रावला, अनूपगढ़ में कचरा संग्रहण के लिए वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

200. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की रावला मण्डी में पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत होने के कारण नये पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के सभी सीएचसी व पीएचसी में रिक्त पड़े चिकित्सकों व अन्य संवर्गों के पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर) :

202. जालौर शहर के औद्योगिक क्षेत्र में एक सिटी डिस्पेन्सरी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

203. जालौर चिकित्सालय में साफ-सफाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

204. जालौर चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

205. झालावाड़ के सभी चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

206. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 बैड से 50 बैड में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना) :

207. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना (झालावाड़) में स्वास्थ्य बीमा योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

208. प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकित बीमारियों की सूची में और बीमारियों को जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

209. प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना नामित अस्पताल की समय-समय पर जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

210. भोपालगढ़ सीएचसी को रैफरल अस्पताल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

211. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम सोयला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

212. विधान सभा क्षेत्र जायल के ग्राम झटेरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. विधान सभा क्षेत्र जायल के उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित सीएचसी पर महिला चिकित्सक की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) :

214. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर के महिला बाल अस्पताल में डाक्टर एवं एएनएम की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

215. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की पीएचसी देवल को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की ग्राम पंचायत थाना में पीएचसी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

217. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की ग्राम पंचायत मुख्यालय गलन्दर में पीएचसी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्थित हास्पिटल में ट्रोमा सेन्टर में डाक्टरों व कम्पाउण्डरों तथा सहायक कर्मचारियों के पद स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

219. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की ग्राम पंचायत महिपालपुरा में पीएचसी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये!

श्री सुखाराम (मेड़ता) :

220. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्राम पादूकलां, जसनगर एवं गोठन स्थित पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के मेड़ता में स्थित सीएचसी में सोनोग्राफी मशीन व ब्लड बैंक की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के रियाबड़ी उपखण्ड में स्थित सीएचसी में महिला चिकित्सक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

223. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में पीएचसी/सीएचसी में डाक्टर की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

224. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के गुढा अस्पताल को 100 बेड़ में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में ग्राम पंचायत छऊ में पीएचसी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

226. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी को कसीणां की ढाणी (गुढ़ा बावनी), रामलालपुरा (सीथल) व खेदड़ों की ढाणी (छऊ) में उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

227. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ढोढसर में ट्रोमा अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम आलीसर, उदयपुरिया एवं अणतपुरा-चिमनपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

229. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में सीएचसी चौमूं को 50 बेड से 70 बेड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

230. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में सीएचसी गोविन्दगढ़ में हड्डी विशेषज्ञ एवं नेत्र विशेषज्ञ का पद स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

231. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में पीएचसी इटावा को सीएचसी में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

232. अलवर के सामान्य चिकित्सालय में हृदय विशेषज्ञ, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन आदि विशेषज्ञ सुविधाओं का विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

233. प्रदेश में बीपीएल के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की गम्भीर रोगों में नि:शुल्क चिकित्सा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

234. निम्न एवं मध्यम वर्ग के क्षेत्र रामपुरा रोड, सांगानेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

235. मानसरोवर एवं प्रताप नगर, जयपुर में सैटेलाइट अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

236. प्रदेश में ग्रामीण डाक्टरों का अलग से कैडर बनाने एवं सेवारत डाक्टरों के लिए पीजी कोर्स चलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

237. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के अस्पतालों में डाक्टरों के पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

238. जैसलमेर जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में एएनएम लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

239. जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में आबादी चकों में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. जैसलमेर शहर के मुख्यालय पर स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

241. जैसलमेर में विदेशी पर्यटकों की स्वास्थ्य जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

242. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

243. कोलायत तहसील के झझू, नगरासर व सियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

244. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्री कोलायत व बज्जू को 30 बेड़ से 50 बेड़ में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

245. राजकीय पी.बी.एम. अस्पताल, बीकानेर में सफाई की व्यवस्था सुचारु एवं नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

246. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

247. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के अन्तर्गत आने वाले बंद उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम. के रिक्त पद भरने व कोलायत व बज्जू सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला प्रसूति चिकित्सक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

248. जयपुर में राजकीय आयुर्वेद कालेज खोलने, प्रदेश में एक भी सरकारी होम्योपैथिक कालेज न होने तथा आयुर्वेद की दवाइयां रसायन शाला में कम मात्रा में बनाने से आयुर्वेद चिकित्सालयों में दवा कम उपलब्ध होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा लिये।

249. प्रदेश में आयुर्वेद विभाग में उप निदेशक, जिला आयुर्वेद अधिकारी एवं चिकित्सकों की वर्षों से वरिष्ठता सूची जारी न होने एवं रिक्त पदों पर पदोन्नतियां नहीं होने से आयुर्वेद चिकित्सकों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

250. जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में रोगियों से मारपीट की घटनाएं बढ़ने, जांच केन्द्रों पर भीड़ होने से रोगियों को हो रही परेशानी, विशेषज्ञ चिकित्सकों के ओ.पी.डी. में समय से नहीं बैठने, संख्या कम होने तथा ओ.पी.डी. में चिकित्सकों की समय पर उपस्थिति के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय गणगौरी बाजार जयपुर में विशेषज्ञ यूनिट की स्थापना नहीं करने से उक्त अस्पताल मात्र प्रसूति केन्द्र में बदलने से चर्चा के लिये।

252. जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में साईकिल ठेके में अनियमितता की जांच, जनाना अस्पताल में रात्रि के समय वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों को नहीं रहने से प्रसूताओं की हो रही मौतों पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा) :

253. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के उप तहसील मुख्यालय सायरा स्थित पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

254. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के उपखण्ड मुख्यालय गोगुन्दा जो एन.एच.-27 पर स्थित है, पर ट्रोमा सेंटर के कार्य को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

255. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की ग्राम पंचायत मजावद व मेरपुर में पीएचसी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर) :

256. नागौर के जे.एन.एल. चिकित्सालय में डाइलिसिस यूनिट (Dilises Unit) को चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

257. नागौर के जे.एन.एल. चिकित्सालय में रिक्त पड़े एम.डी. डाक्टरों के पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

258. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के राजगढ़ तहसील में डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

259. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम पंचायत भावनी में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पर्याप्त चिकित्सक एवं नर्स कर्मचारी लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

260. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम पंचायत बोबाड़ी में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

261. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आंधी में महिला चिकित्सक एवं पर्याप्त नर्सें लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

262. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित उच्चीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

263. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के गोलाड़ा सामुदायिक चिकित्सालय को पी.पी.पी माडल पर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर-पश्चिम) :

264. बीकानेर के पी.बी.एम. अस्पताल में सफाई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

265. पी.बी.एम. अस्पताल, बीकानेर में युरोलोजी सेंटर को शीघ्र शुरू करवाने एवं अस्पताल की सीवरेज की खस्ता हालात को सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

266. बीकानेर के पी.बी.एम. अस्पताल के ट्रोमा सेन्टर में सीटी स्केन एवं एम.आर.आई. मशीन लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

267. बीकानेर के गंगाशहर डिसपेंसरी को क्रमोन्नत कर सैटेलाइट हास्पीटल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू) :

268. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत जोधपुर जिले में कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों (मशीन विद मैन) को पिछले दो वर्ष से बकाया मानदेय का भुगतान शीघ्र करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

269. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में नवगठित ग्राम पंचायत सजनाणियों की ढाणी, पंचायत समिति फलौदी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

270. राजकीय चिकित्सालय फलौदी एवं बाप में एम्बुलेन्स वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

271. राजकीय चिकित्सालय बाप एवं फलौदी में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

272. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के उप तहसील मुख्यालय शेखासर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

273. राजकीय चिकित्सालय फलौदी में 150 शायिकाओं के अनुसार चिकित्सक पदस्थापित करने एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक (हिण्डौली) :

274. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बसौली को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

275. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र सयूर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

276. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल) :

277. विधान सभा क्षेत्र झाडोल के विभिन्न चिकित्सालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

278. विधान सभा क्षेत्र झाडोल के विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों पर चिकित्सा अधिकारियों, स्त्री रोग विशेषज्ञों एवं अन्य चिकित्साकर्मियों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

279. राजस्थान में मुफ्त दवा व मुफ्त परीक्षण व्यवस्था के विस्तार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

280. राज्य सरकार द्वारा सात नये मेडिकल कालेजों को शुरू किए जाने एवं उनमें स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

281. बीकानेर जिले में ''सरकार आपके द्वार'' के दौरान चिकित्सा मंत्री द्वारा ग्राम बामणवाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा करने के बावजूद भी नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

282. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लूणकरणसर, महाजन व नापासर में डाक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

283. विधान सभा क्षेत्र आहौर में भाद्राजून पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

284. आहोर उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित सीएचसी को 50 बैड से 75 में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

285. कोटा शहर के चिकित्सालयों में बायोवेस्ट के निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

286. कोटा जिले के राजकीय अस्पतालों में सफाई व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

287. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में चिकित्सा विभाग के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

288. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की सीएचसी इटावा में सोनोग्राफी की मशीन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

289. राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा व निःशुल्क जांच योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

290. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नरैना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

291. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर में ब्लड स्टोरेज सुविधा को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

292. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के पूर्व में स्वीकृत हचूकड़ा एवं धौलियों का बास उप केन्द्रों को शुरू करने एवं इन क्षेत्रों में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

293. प्रदेश में बिगड़ रहे लिंगानुपात को सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

294. विधान सभा क्षेत्र भादरा के पी.एच.सी. गान्धी बड़ी को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

295. विधान सभा क्षेत्र भादरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भादरा, छानी बड़ी एवं रामगढ़ में विभिन्न चिकित्सकों के रिक्त पद शीघ्र भरवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

296. विधान सभा क्षेत्र भादरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र रासलाना को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भंवर लाल (सरदारशहर) :

297. छोटू लाल सेठिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरदारशहर को 100 शय्याओं में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

298. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्राम मेहरी एवं भोजूसर उपाधियान के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

299. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्राम छाजूसर, नैयासर ढाणी दूदगिरि, नारसरा, मेहरासर छन्ना, हीराजसर, मीतासर एवं धीरासर हाडान में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

300. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्राम जैतसीसर व पूलासर में स्थित सी.एच.सी. में एक्स-रे मशीन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

301. जयपुर में विधायक आवास पर संचालित एलोपैथिक डिस्पेंसरी को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत कर 24 घण्टे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

302. जयपुर के निजी अस्पतालों में हार्ट ट्रांसप्लान्ट की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

303. जयपुर के सरकारी कार्यालयों में संचालित, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी ('ए' श्रेणी) में स्वीकृत दो चिकित्सकों में से एक पद पर महिला चिकित्सक का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

304. एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर के आउटडोर कोरिडोर में मरीजों को देखने के निर्धारित समय पर वरिष्ठ चिकित्सकों की गैरहाजरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) :

305. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के श्रीगंगानगर में स्थित राजकीय चिकित्सालय में सेन्ट्रलाइज्ड आक्सीजन सप्लाई सिस्टम लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

306. श्रीगंगानगर में पुरानी आबादी के क्षेत्रीय विस्तार एवं बढ़ती जनसंख्या

को मद्देनजर रखते हुए यहां स्थित डिस्पेन्सरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

307. श्रीगंगानगर का राजकीय सिविल हास्पीटल शहर के मध्य क्षेत्र से दूर होने के कारण मध्य क्षेत्र के बाशिंदों के सुविधार्थ पुराने राजकीय चिकित्सालय भवन में सेटेलाइट हास्पीटल खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

308. मुख्यमंत्री के बजट घोषणा के अनुसार श्रीगंगानगर जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्री रोग एवं प्रसूति विशेषज्ञों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

309. श्रीगंगानगर के राजकीय चिकित्सालय में टीएमटी/टेलीमेडिसीन/एण्डोस्कोपिक/2डी.ईको/अल्ट्रासाउण्ड आदि सुविधाएं प्रारम्भ करने एवं विशेषज्ञ डाक्टर की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) :

310. विधान सभा क्षेत्र सिकराय के ग्राम पंचायत गीजगढ़ में नियमानुसार कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन का रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

311. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में रिक्त वार्ड ब्वाय, सूचना सहायक, सहायक रेडियो ग्राफर के पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

312. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के सिंघमुख पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

313. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजगढ़ तहसील के सभी अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

314. राजगढ़ शहर के आयुर्वेदिक चिकित्सालय को 'अ' श्रेणी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

315. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में उपखण्ड स्तर पर सीएचसी में डाक्टर की आपातकालीन व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

316. प्रदेश में सीनियर स्पेशलिस्ट डाक्टरों की कमी एवं रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

317. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के धानुका अस्पताल में आर्थोपैडिक डाक्टर एवं अन्य सर्जन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

318. फतेहपुर के ट्रोमा सेंटर में संसाधनों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

319. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के गांवों में मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) :

320. विधान सभा क्षेत्र दौसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान, कुण्डल और बापी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

321. विधान सभा क्षेत्र दौसा के ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

322. विधान सभा क्षेत्र दौसा की ग्राम पंचायत खान भाकरी, धर्मपुरा, बिशनपुरा, नांगल, गोविन्द, खानपुरा एवं भण्डाना में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया) :

323. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों व स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

324. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संगरिया में एक्स-रे मशीन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

325. स्वास्थ्य उप केन्द्र मेहरवाला, तहसील टिब्बी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

326. स्वास्थ्य उप केन्द्र सालीवाला, तहसील टिब्बी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

327. सूरतगढ़ कस्बे की सी.एच.सी. में स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति, हड्डी जोड़ विशेषज्ञ मय स्टाफ एवं प्रशिक्षित अल्ट्रासाउण्ड मशीन संचालक की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

328. सूरतगढ़ के ट्रोमा सेंटर में डाक्टर मय स्टाफ एवं पूर्ण उपकरणों सहित संचालित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

329. सूरतगढ़ शहर में पी.एच.सी. में ब्लड बैंक की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

330. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के ग्राम ठुकराणा, देईदासपुरा, बख्तावरपुरा में डाक्टर एवं स्टाफ लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

331. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में जैतसर पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बच्चू सिंह (बयाना) :

332. विधान सभा क्षेत्र बयाना में सीएचसी-रूपावास, पहाड़पुर, बयाना एवं पीएचसी रूदावल में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

333. विधान सभा क्षेत्र बयाना सीएचसी वांसी पहाड़पुर के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

334. विधान सभा क्षेत्र बयाना में सी.एच.सी. वांसी पहाड़पुर पर प्रसूति सुविधा चालू करने एवं 2 सफाई कर्मियों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) :

335. प्रदेश के मेडिकल कालेजों में अच्छी सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

336. विधान सभा क्षेत्र आमेर में पी.एच.सी. गुडा सुरजन को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

337. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ी सादड़ी में लेबर रूम, लेबर वार्ड एवं इमरजेंसी वार्ड के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

338. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निकुम्भ में डिजीटल एक्स-रे मशीन एवं ई.सी.जी. मशीन स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

339. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डूंगला में डिजीटल एक्स-रे मशीन एवं डेन्टल कुर्सीमय उपकरण उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

340. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के रैफरल हास्पीटल एवं मुबारिकपुर एवं नौगांवा में स्थित पी.एच.सी. में महिला एवं शिशु चिकित्सक लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा) :

341. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की नगरपालिका रावतसर में सफाई व्यवस्था सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

342. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रावतसर में बैड संख्या बढ़ाने एवं स्टाफ लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

343. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलीबंगा में व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

344. ट्रोमा सेन्टर रावतसर का संचालन करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

345. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

346. केकड़ी राजकीय चिकित्सालय के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

347. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में स्थित सभी चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) :

348. विधान सभा क्षेत्र मसूदा की पंचायत समिति मिनाय में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के 30 बैड को बढ़ाकर 50 बैड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

349. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में आयुर्वेद औषधालय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

350. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

351. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मसूदा के 30 बैड को बढ़ाकर 50 बैड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

352. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में चिकित्सक, कम्पाउण्डर एवं नर्स के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

353. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में स्थित सभी राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकीय उपकरण एवं दन्त चिकित्सा से सम्बन्धित उपकरण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

354. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोविंद नगर पश्चिम आमेर रोड जयपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

355. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, गणगौरी बाजार में आपातकालीन इकाई आरम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

356. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में स्थित राजकीय सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र जयसिंपुरा खोर जयपुर में 2 स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों को पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

357. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में पी.एच.सी.-संखवास एवं पांचोड़ी को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

358. विधान सभा क्षेत्र खींवसर व नागौर के प्रत्येक गांव में सब-सेन्टर एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

359. प्रदेश में नि:शुल्क दवा योजना में दवाओं की गुणवत्ता में सुधार एवं वाल्व तथा कार्डियेक स्टेन्ट को आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

360. जिला मुख्यालय नागौर के पुराने जिला अस्पताल के भवन में सैटेलाइट अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

361. विधान सभा क्षेत्र खींवसर व नागौर के प्रत्येक गांव व शहर में सार्वजनिक स्थानों पर सफाई कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

362. राज्य में गिरते हुए लिंगानुपात में सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) :

363. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में स्वीकृत पी.एच.सी. ईटुन्दा में डाक्टर लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

364. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम साखड़ा में नवीन पी.एच.सी. स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

365. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में पी.एच.सी. शक्करगढ़ एवं खजुरी को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

366. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में सी.एच.सी. कोटड़ी में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।